लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

©2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 1, मंगलवार, 22 नवम्बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	v–xiv
लोक सभा के पदाधिकारी	xv
मंत्रिपरिषद	xvii–xix
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1–7
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1	7–24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20	26–218
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	219–1126
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1127–1128
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	1128
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	1129
(एक) 152वां से 155वां प्रतिवेदन	1129
(दो) साक्ष्य	1129
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	1129
(एक) भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति	
श्री प्रणब मुखर्जी	1129–1138
(दो) दिनांक 22.11.2011 को पूर्व मध्य रेलवे के निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 13009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में आग लगने की घटना	
श्री दिनेश त्रिवेदी	1139–1140

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कॉलम

मूल्यों में वृद्धि के बारे में दिनांक 30.08.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के उत्तर में शुद्धि एवं इस संबंध में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

प्रो. के.वी. थॉमस 1138–1139

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कर्नाटक सरकार के राज्य राजमार्ग संख्या 17 का उन्नयन करने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 1141

(दो) आंध्र प्रदेश में सिद्दीपेट होते हुए सिकंदराबाद और करीमनगर के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 1141–1142

(तीन) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में 'सी-प्लेन' शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद 1142

(चार) देश के गैर-सरकारी संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने तथा सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के माध्यम से उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 1142–1143

(पांच) कपास के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्ता मेघे 1143–1144

(छह) उत्तराखंड में काशीपुर और जसपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण कराने तथा काशीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर स्थित लेवल क्रासिंग संख्या 39 पर सड़क उपरि पुल का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 1144

(सात) भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बार-बार हमले से बचाए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 1145

(आठ) कर्नाटक के बेलगाम में तिलकवाडी प्रथम द्वार तथा कपिलेश्वर मंदिर पर स्थित लेवल क्रासिंग पर रेल उपरि पुल का निर्माण करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश अंगड़ी 1145–1146

(नौ) हरौनी रेलवे स्टेशन से कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली एमईएमयू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) रेलगाड़ियों को उनके निर्धारित समयानुसार चलाने तथा स्टेशन पर रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुशीला सरोज 1146

विषय	कॉलम
(दस) अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है, के परिवार के सदस्यों की अनुकंपा के आधार पर तत्काल नियुक्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सीमा उपाध्याय	1147
(ग्यारह) बिहार के खगड़िया जिले में बादला-नगरपाड़ा बांध के तटबंधों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता	
श्री दिनेश चन्द्र यादव	1147–1148
(बारह) यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों के लाभ को बढ़ावा देने के लिए ऐलोपैथिक उपचार के हानिकारक प्रभावों को दर्शाने वाले मीडिया के विज्ञापनों की विषय-वस्तु को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी किए जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल रहमान	1148
(तेरह) केरल के पालक्काड में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.बी. राजेश	1149
(चौदह) भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल को बांटने के मुद्दे पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	1149–1150
(पन्द्रह) गन्ने के लिए एक उचित और लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजू शेट्टी	1150
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1151–1152
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	1152–1158
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1159–1160
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	1159–1160

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, सुरेश (बेलगाम)
अग्रवाल, श्री जयप्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)
अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)
अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)
अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)
अजहरूद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)
अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)
अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)
अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)
अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)
अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)
अर्गल, श्री अशोक (भिंड)
अलागिरि, श्री एम.के. (मदुरै)
अलागिरि, श्री एस. (कुड्डालोर)
अहमद, श्री ई. (मालापुरम)
अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)
अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)
आचार्य, बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)
आधि शंकर, श्री (कल्लावुरिची)
आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)
आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)
आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)
इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई)
इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)
ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)
उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)
उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)
एंटोनी, श्री एंटो (प्रथनमथीट्टा)
ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)
ओला श्री शीशराम (झुंझुनू)
ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)
कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)
कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)
कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)
कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)
करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)
करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)
कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)
कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)
कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)
कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)
कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)
किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)
कुमार, श्री अजय (जमशेदपुर)
कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोडा, श्री मधु (सिंहभूमि)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमूर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव (मुंबई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)

चौधरी, श्री अबू हमीश खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी, लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूभंज)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

टोम्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हि.प्र.)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डे, श्री रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोइ)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तरई, श्री बिभू प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुंबई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर, (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा (बनगांव)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतमबुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नायक, श्री पी. बलराम (महबूबाबाद)

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बुलर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किशनभाई वी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिनशा, (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)
पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
पवार, श्री शरद (माधा)
पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)
पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)
पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)
पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)
पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)
पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर पूर्व)
पाटील, श्री सी.आर. (नवसारी)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)
पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)
पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)
पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरीडीह)
पायलट, श्री सचिन (अजमेर)
पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)
पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)
पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)
पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापट्टनम)
पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)
पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)
पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)
प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)
प्रधान, श्री नित्यानंद (अस्का)
प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)
प्रेमदास, श्री (इटावा)
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)
बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)
बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)
बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)
बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)
बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)
बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)
बलीराम, डॉ. (लालगंज)
बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)
बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)
बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)
बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)
बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरुदासपुर)
बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)
बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)
बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)
"बाबा" श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
बालू, श्री टी.आर (श्रीपेरूम्बुदुर)
बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)
बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)
बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)
बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)
बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)
बिश्नोई, श्री कुलदीप (हिसार)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लौहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द्र (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिव राव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस. के (कोट्टयम)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (बाल्मीकिनगर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बहरामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मांझी, श्री हरि (गया)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुबीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री प्रणव (जंगीपुर)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबलल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अरुण (खंडवा)
यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)
यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)
यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)
यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)
यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)
यादव, श्री रमाकांत (आजमगढ़)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)
रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)
राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)
राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)
राजगोपाल, श्री एल, (विजयवाड़ा)
राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)
राजा, श्री ए. (नीलगिरि)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)
राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नई दक्षिण)
राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)
राठवा, श्री रामसिंह, (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)
राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)
राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)
राणा, श्री राजेन्द्र सिंह (भावनगर)
राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)
राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)
रामकिशुन, श्री (चन्दौली)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)
रामशंकर, प्रो. (आगरा)
रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)
राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)
राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)
राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)
राय, श्री रूद्रमाधव (कंधमाल)
राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
राय, प्रो. सौगत (दमदम)
राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)
राव, डॉ. के. एस (एलूरू)
राव, श्री के. चंदशेखर (महबूब नगर)
राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)
राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)
राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)
रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)
रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)
रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)
रेड्डी, अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)
रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)
रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)
रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)
रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा, सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगमोहन (कडापा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)

लालू, प्रसाद, श्री (सारण)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शांति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ, काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरु कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के.रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साई, प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा डॉ. अनूप कुमार (वर्धमान उत्तर)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिंह, आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जयवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री दीनू भाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनंद)

सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

स्वामी, श्री एम. चेलुवरया (मांड्या)

हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)

हक, शेख सैदुल (वर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष, कुमार श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, डॉ. श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; और 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	कार्पोरेट कार्य मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आनंद शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	पर्यटन मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री

श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री एम.के. अलागिरि	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	रेल मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेय जल और स्वच्छता मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री दिनशा पटेल	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.सी. वेणुगोपाल	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितेन्द्र सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 22 नवम्बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्र गान

(*राष्ट्रगान की धुन बजाई गई*)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: महासचिव शपथ ग्रहण हेतु सदस्य का नाम पुकारेंगे।

महासचिव: श्री कुलदीप बिश्नोई।

श्री कुलदीप बिश्नोई (हिसार)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने छह पूर्व सहयोगियों श्री अताउर रहमान, श्री वसंत साठे, श्री डाल चंदर जैन, श्री भागवत झा आजाद, श्री सुशील चंद्र वर्मा और श्री मोती लाल मालवीय के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री अताउर रहमान वर्ष 1985 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने असम के बारपेटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री रहमान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुलिस सेवा में सम्मिलित हुए किंतु उन्होंने किंग्स के कमीशन को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् वह पुलिस विभाग में अनेक पदों पर रहे और पुलिस महानिदेशक के पद तक पहुंचे। उन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक से सुशोभित किया गया। वह असम लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री रहमान ने अनेक शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए और उनके प्रबंधन से जुड़े रहे तथा जनता में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने हजरत आयशा इंगलिश मिडियम स्कूल और पुलिस लाईन्स स्कूल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई।

श्री रहमान ने सभी समुदायों के लिए असम इस्लामिक समाज डिस्पेंसरी की स्थापना में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के वंचित, पिछड़े और दबे-कुचले वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री अताउर रहमान का निधन 89 वर्ष की आयु में 9 सितम्बर, 2011 को खरगुली, असम में हुआ।

श्री वसंत साठे वर्ष 1972 से 1991 तक पांचवीं से नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। पांचवीं और छठी लोक सभा के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा सातवीं से नौवीं लोक सभा के दौरान वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री साठे ने 1942 में 17 वर्ष की अल्पायु में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

अपने दीर्घ और यशस्वी राजनीतिक जीवन काल के दौरान श्री साठे विभिन्न संसदीय समितियों और विविध मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। एक योग्य प्रशासक श्री साठे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने 1980 से 1982 तक केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री; 1982 से 1984 तक रसायन और उर्वरक मंत्री; 1984 से 1985 तक और पुन: 1987 के दौरान इस्पात, खान और कोयला मंत्री के रूप में कार्य किया। 1985 से 1989 तक वे ऊर्जा मंत्री रहे। 1980 से 1982 तक श्री साठे ने आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय का अस्थाई पदभार भी संभाला। वर्ष 1988 के दौरान उनके पास संचार मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार रहा।

श्री साठे ने 1969 से 1971 तक मैट्रोपोलिटन बोर्ड, नागपुर के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने विदर्भ उत्पादकता परिषद; नागपुर नागरिक परिषद और विदर्भ विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे इन्दिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य भी रहे।

श्री साठे ने अनेक देशों का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह 1974 में जापान जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने 1981 में बेलग्रेड में होने वाले यूनेस्को सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री साठे ने "टुआर्डस सोशल रेवोल्यूशन" नामक एक पुस्तक का लेखन किया है और अनेक लेख भी लिखे हैं एक खेल प्रेमी के रूप में श्री साठे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केन्द्र व विदर्भ क्रिकेट एसोशिएशन के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री वसंत साठे का निधन 86 वर्ष की आयु में 23 सितम्बर, 2011 को दिल्ली में हुआ।

श्री डाल चंदर जैन आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1984 से 1989 तक मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री जैन वर्ष 1967 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री जैन ने 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। श्री जैन एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे और वह वर्ष 1963 से 1968 तक सागर नगर-निगम के सभापति रहे। वह मध्य प्रदेश वाणिज्य मंडल के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री जैन (एक) प्रान्तीय स्वतंत्रता सेनानी संघ, मध्य प्रदेश कार्यकारी समिति; (दो) प्रान्तीय पुनर्वास समिति, मध्य प्रदेश सरकार; (तीन) सागर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद; (चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सलाहकार समिति, मध्य प्रदेश; और (पांच) केन्द्रीय श्रम कल्याण कोष सलाहकार समिति, नई दिल्ली के सदस्य भी रहे।

श्री जैन अखिल भारतीय दिगम्बर जैन परिषद से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे और इस संगठन के उपाध्यक्ष भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, श्री जैन अनेक शैक्षणिक सोसाइटियों से भी सम्बद्ध रहे। वह जैन उच्च-माध्यमिक विद्यालय, सागर के अध्यक्ष भी रहे। वह विद्यार्थियों और विकलांगों की सहायता करने में सदैव अग्रणी रहते थे। श्री जैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संगोष्ठियों के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

खेल प्रेमी के रूप में श्री जैन जिला ओलम्पिक संघ और जिला हॉकी संघ के सदस्य भी रहे।

श्री डाल चंदर जैन का निधन 83 वर्ष की आयु में 25 सितम्बर, 2011 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ।

श्री भागवत झा आजाद वर्ष 1052 से 1057 तक पहली, 1962 से 1977 तक तीसरी से पांचवीं और 1980 से 1988 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पहली लोक सभा के दौरान बिहार के पूर्णिया-सह-संथाल परगना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा तीसरी से पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के दौरान बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

अपने लम्बे और उत्कृष्ट राजनीतिक जीवन में श्री आजाद ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने पांचवीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

कुशल प्रशासक, श्री आजाद 19988 से 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। श्री आजाद ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उन्होंने मार्च, 1967 से फरवरी, 1969 तक शिक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री; फरवरी 1980 से मार्च, 1971 तक श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री; अक्तूबर, 1980 से जनवरी 1982 तक आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री; जनवरी 1982 से सितम्बर, 1982 तक श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार; सितम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 तक नागरिक उड्डयन एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार फरवरी, 1983 से दिसम्बर 1984 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया।

आजाद ने कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया, वह तुर्की, यूगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, स्वीटजरलैंड भेजे गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों और कई राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों के सदस्य रहे। वह 1970 में जिनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के चौवनवें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता थे।

साहित्यिक रुचि रखने वाले श्री आजाद ने कई कविताओं की रचना की।

श्री भगवत झा आजाद का निधन 89 वर्ष की आयु में 4 अक्तूबर, 2011 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री सुशील चन्द्र वर्मा 1989 से 1999 तक नौवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य संसदविद के रूप में श्री वर्मा दसवीं लोक सभा के दौरान लोक उपक्रम संबंधी समिति, वित्त संबंधी समिति ऊर्जा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे। वह ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान गृह मंत्रालय संबंधी समिति और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री वर्मा बारहवीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, संसद सदस्यों को कम्प्यूटरों का प्रावधान करने संबंधी समिति और रसायन तथा ऊर्वरक मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

पेशे से एक सिविल सेवक, श्री वर्मा ने 1949 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और 1967 से 1971 तक दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव और 1975 से 1977 तक मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1978 से 1982 तक भारत सरकार में सचिव के रूप में; 1982 से 1988 तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में और 1991 से 1994 तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में कार्य किया।

साहित्यिक प्रतिभा के धनी श्री वर्मा ने हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी।

श्री सुशील चंद्र वर्मा का निधन 85 वर्ष की आयु में 6 अक्तूबर, 2011 को भोपाल, मध्य प्रदेश में त्रासद परिस्थितियों में हुआ।

श्री मोती लाल मालवीय वर्ष 1952 से 1962 तक पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पहली लोक सभा में पूर्ववर्ती विंध्य प्रदेश के छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और दूसरी लोक सभा में मध्य प्रदेश के खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक शिक्षाविद् के रूप में श्री मालवीय ने समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा के प्रसार हेतु अथक प्रयास किए। श्री मालवीय अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अस्थायी समिति के सदस्य और देहात वर्ग संघ, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। श्री मालवीय ने बंगाली हिन्दी मंडल के सचिव के रूप में भी कार्य किया।

श्री मालवीय ने अस्पृश्यता, असमानता और अन्याय जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु निरन्तर प्रयास किए और एक समतामूलक और पंथ-निरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु कार्य किया।

श्री मालवीय हिन्दी मासिक "उत्थान" के सम्पादक रहे और उन्होंने अनेक रचनाएं प्रकाशित की।

श्री मोती लाल मालवीय का निधन 86 वर्ष की आयु में 24 अक्तूबर, 2011 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रेषित करती हूं।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात है 18 सितम्बर, 2011 को रिक्टर पैमाने पर 6.9 की तीव्रता वाले एक भीषण भूकम्प ने उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम को दहला दिया था। इस प्राकृतिक आपदा ने कहर बरसाया जिसके कारण 111 लोगों की मृत्यु हो गयी और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। इसके अतिरिक्त इस भूकम्प के कारण सिक्किम और आस-पास के क्षेत्रों में सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ और काफी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए।

माननीय सदस्यों, 8 नवम्बर, 2011 को हर की पौड़ी के समीप चंडीद्वीप घाट पर गंगा नदी के किनारे एकत्रित हुए हजारों श्रद्धालुओं में हुई भगदड़ के कारण कथित रूप से 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 अन्य घायल हो गए।

माननीय सदस्यों, 20 नवम्बर, 2011 को नन्द नगरी दिल्ली में लगी आग में कम से कम 15 व्यक्तियों की मौत हुई और 65 अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं।

हम इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जान और माल की दुखद हानि पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।

माननीय सदस्यों, 23 अक्तूबर 2011 को तुर्की के पूर्वी प्रान्त वान में 7.2 तीव्रता के विनाशकारी भूकम्प में 601 लोग मारे गए। चार लोग अभी भी लापता हैं और 2068 अन्य घायल हुए हैं। 9 नवम्बर, 2011 को तुर्की के वान प्रान्त में पुन: 5.6 तीव्रता का भूकम्प आया जिसमें 40 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हुए हैं। इन भूकम्पों में लोगों के मारे जाने के अलावा सम्पत्ति की व्यापक क्षति हुई है।

हम तुर्की गणराज्य की सरकार जिसके साथ हमारे घनिष्ठ मैत्री संबंध हैं, वहां की संसद और तुर्की के लोगों, विशेष रूप से शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि वे शक्ति और साहस के साथ इस दुखद आपदा से

उबर सकेंगे हम इस बात का स्वागत करते हैं कि 23 अक्तूबर, 2011 को आए भूकम्प से मची तबाही के बाद तुर्की की सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से तुर्की की सरकार और वहां के लोगों के लिए 500,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

माननीय सदस्यों, सभा थाईलैंड में बाढ़ की त्रासदी के बारे में जानकर दुखी है। खबरों के मुताबिक वहां बाढ़ से 2.45 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं और 500 से अधिक लोगों की जान गई है। बाढ़ से घर और कृषि भूमि तबाह तथा व्यवसाय प्रभावित हुए हैं।

मैं सभा की ओर से थाईलैंड की मित्र जनता के प्रति उन्हें हुई इस क्षति के लिए गहरी सहानुभति प्रकट करती हूं। भारत के लोग दुख की इस घड़ी में थाईलैंड के लोगों के साथ हैं। भारत ने अपनी ओर से बाढ़ राहत कार्यों के लिए थाईलैंड सरकार को 2,00,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्ति सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश भी की हैं थाईलैंड में भारतीय समुदाय और भारतीय पर्यटकों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में हमारा उच्चायोग उनके साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

यह सभा तुर्की और थाईलैंड की जनती और वहां की सरकारों के साथ एकजुटता प्रकट करती है।

यह सभा इन त्रासदियों पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या-1: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र

*1. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सहित देश से विभिन्न भागों में नक्सली प्रभाव/नक्सली हिंसा में वृद्धि होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों/जिलों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार नक्सली गतिविधियों के कारण कितने नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं/घायल हुए हैं, इससे प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है तथा अपहरण, जबरन वसूली और संपत्ति को हुए नुकसान के कितने मामलों का पता चला है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा पुलिस बलों की तैनाती सहित विकास के लिए मांगी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में नक्सलवाद से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान, बिहार सहित देश के विभिन्न भागों में नक्सली हिंसा में वृद्धि हुई है। किन्तु वर्ष 2011 में हिंसा की मात्रा में वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि की तुलना में गिरावट आयी है। विगत चार वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चालू वर्ष में, भारत के उन जिलों, जिनमें किसी न किसी रूप में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की जानकारी मिली है, की कुल संख्या 182 है। तथापि, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल 83 जिलों को वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित माना जाता है। विगत चार वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न जिलों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान, नक्सलियों द्वारा कुल 389 नागरिक और 124 सुरक्षा बल कार्मिक मारे गए हैं। विगत चार वर्षों के दौरान मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बल कार्मिकों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है। विगत चार वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवादियों द्वारा आर्थिक अवसंरचना को पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-IV में दिया गया है। वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा किए गए अपहरण की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-V में दिया गया है। वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा जबरन वसूली और जबरन वसूली से संबंधित हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-VI में दिया गया है।

भारत सरकार में, आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों/पीड़ित परिवारों को सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मारे गए नागरिकों के परिवार को 3 लाख रुपए के अनुग्रह-भुगतान का प्रावधान है। सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना में भी नक्सलियों द्वारा मारे गए नागरिकों के परिवार को 1 लाख रुपए के अनुग्रह भुगतान का प्रावधान है।

(ग) भारत सरकार द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना और एकीकृत कार्य योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करायी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-VII से IX में दिया गया है। वर्तमान में, नक्सल-रोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की बटालियनें नक्सल प्रभावित राज्यों में भेजी गई हैं।

(घ) "पुलिस" और "लोक-व्यवस्था" राज्य के विषय होने के नाते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। केन्द्र सरकार, वामपंथी उग्रवाद का मुकबला करने के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखती है जिसमें यह सी ए पी एफ की तैनाती, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शासन प्रणाली एवं क्षमता निर्माण में सुधार सहित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का यह मन्तव्य है कि समुचित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकासात्मक प्रयासों और शासन प्रणाली में सुधार के एक संमिश्रित तरीके से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध वांछित परिणाम हासिल होंगे।

अनुबंध I

वर्ष 2007 से 2011 (15.11.2011 तक) के दौरान नक्सली घटनाओं के ब्यौरे

	वर्ष				
राज्य	2007	2008	2009	2010	2011 (15 नवम्बर तक)
आन्ध्र प्रदेश	138	92	66	100	44 (82)
बिहार	135	164	232	307	274 (272)
छत्तीसगढ़	582	620	529	625	385 (538)
झारखंड	482	484	742	501	415 (436)
मध्य प्रदेश	32	35	1	7	4(7)
महाराष्ट्र	94	68	154	94	92 (75)
ओडिशा	67	103	266	218	172(189)
उत्तर प्रदेश	9	4	8	6	1 (6)
पश्चिम बंगाल	32	35	255	350	88 (322)
अन्य	17	14	5	4	1 (4)
कुल	1565	1591	2258	2212	1476(1931)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि के ब्यौरों को दर्शाते हैं।

अनुबंध II

भारत के जिलों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित गतिविधियां

राज्य	2008	2009	2010	2011
आन्ध्र प्रदेश	22	22	11	11
बिहार	33	32	31	29
झारखंड	24	24	23	23
मध्य प्रदेश	07	05	04	03
उत्तर प्रदेश	09	09	11	08
ओडिशा	20	19	23	19
महाराष्ट्र	06	04	04	07
पश्चिम बंगाल	18	15	15	12
छत्तीसगढ़	16	16	16	14
अन्य	68	62	58	56
कुल	223	208	196	182

अनुबंध III

विगत चार वर्षों के दौरान मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बल कार्मिकों का ब्यौरा

राज्य	2008		2009		2010		2011 (15 नवम्बर तक)	
	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	45	1	18	0	24	0	6(18)	0(0)
बिहार	52	21	47	25	72	25	46(53)	3(22)
छत्तीसगढ़	157	85	163	127	171	172	105(151)	77(164)
झारखंड	169	38	140	68	132	25	117(114)	20(23)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0(0)	0(1)
महाराष्ट्र	17	5	41	52	35	10	41(28)	9(9)
ओडिशा	28	73	36	31	62	17	35(49)	14(16)
उत्तर प्रदेश	0	0	2	0	1	0	0(1)	0(0)
पश्चिम बंगाल	19	7	144	14	223	35	39 (200)	1(34)
अन्य	3	1	0	0	0	0	0(0)	0(0)
कुल	490	231	591	317	720	285	389(614)	124(269)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि के आंकड़ों को दर्शाते हैं।

अनुबंध IV

आर्थिक अवसंरचना को हुई क्षति से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा

			2008		2009		2010		2011 (15 नवम्बर तक)	
				कुल		कुल		कुल		कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	आन्ध्र प्रदेश	यूरेनियम माइन्स	0		0		0		-	-
		एस्सार स्टील	1		0		0		-	
	छत्तीसगढ़	एनडीएमसी	0		2		11		1(9)	
		एस्सार पाइप लाइन्स	3		1		1			
		बीआरओ	0		0		0		-	
		ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	1		4		3	24	4(3)	
	ओडिशा	एस्सार पाइप लाइन्स	0		5		1		1(1)	
		ग्रामीण सड़क	0		2		4		2(1)	
निराशा	महाराष्ट्र	बीआरओ	0		0		1		1(1)	12(18)
बनाई गई आर्थिक अवसंरचना	मध्य प्रदेश	ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0	05	0	17	1	24	0(1)	
	बिहार	सीमेंट संयंत्र	0		0		0		-	
		सोलर प्लेट	0		2		0		-	
		ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		1		1		2(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	झारखंड	ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		0		1		0(1)	
		एस्सार पाइप लाइन	0		0		0		1(0)	
रेलवे	आंध्र प्रदेश		2		0		1		0(1)	23(47)
	बिहार		11		8		16		3(14)	
	छत्तीसगढ़		6	27	5	46	8	54	6(5)	
	झारखंड		7		17		13		7(12)	
	महाराष्ट्र		0		0		0		-	
	ओडिशा		0		10		7		7(7)	
	पश्चिम बंगाल		1		6		7		0(6)	
	उत्तर प्रदेश		0		0		2		0(2)	
टेलीफोन	आन्ध्र प्रदेश		1		0		4		2(2)	31(38)
एक्सचेंज/टावर	बिहार		14		24		14		18(12)	
	महाराष्ट्र		2		1		1		2(1)	
	छत्तीसगढ़		15		10		2		3(2)	
	झारखंड		10	46	14	67	6	45	3(6)	
	ओडिशा		4		18		17		3(14)	
	पश्चिम बंगाल		0		0		1		0(1)	
विद्युत संयंत्र	आन्ध्र प्रदेश		0	01	0	2	1	3	0(1)	0(2)
	छत्तीसगढ़		0		0		0		-	
	पश्चिम बंगाल		0		0		1		-	
	महाराष्ट्र		1		2		1		0(1)	
खनन	ओडिशा		0	06	1	3	1	9	1(1)	6(9)
	झारखंड		4		2		6		2(6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	छत्तीसगढ़		2		0		0		3(0)	
	आंध्र प्रदेश		0		0		0		-	
	महाराष्ट्र		0		0		1		0(1)	
	पश्चिम बंगाल		0		0		1		0(1)	
पोल/ट्रांसमिशन	छत्तीसगढ़		23	24	7	7	1	2	3(0)	3(1)
	ओडिशा		01		0		0		-	
	झारखंड		0		0		1		0(1)	
पंचायत भवन	छत्तीसगढ़		2	7	0	23	3	31	0(3)	4(20)
	झारखंड		0		7		4		0(3)	
	आन्ध्र प्रदेश		0		0		0		-	
	महाराष्ट्र		5		8		6		0(2)	
	बिहार		0		3		0		1(0)	
	ओडिशा		0		3		11		1(9)	
	पश्चिम बंगाल		0		2		7		2(3)	
विद्यालय भवन	छत्तीसगढ़		19	25	7	71	13		1(7)	21(31)
	आन्ध्र प्रदेश		0		0		1		0(1)	
	झारखंड		4		37		7		6(6)	
	बिहार		0		21		10		3914 (10)	
	महाराष्ट्र		2		1		0		-	
	ओडिशा		0		5		8		0(7)	
वन, सड़कें, पुलिया इत्यादि			41	41	126	126	158	158	119 (122)	119 (122)
	कुल		182	182	362	362	365	365	219 (288)	219 (288)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि के हैं।

अनुबंध V

वामपंथी उग्रवाद समूहों द्वारा अपहरण की राज्यवार घटनाएं

राज्य	2008			2009			2010			2011 (14 नवम्बर तक)		
	घटनाएं	अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या	घटनाएं	अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या	घटनाएं	अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या	घटनाएं	अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए अपहृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	3	9	4	3	3	1	10	16	2	5	5	0
बिहार	8	16	5	12	25	8	34	76	5	30	78	3
छत्तीसगढ़	51	145	24	56	121	33	69	162	36	32	61	14
झारखंड	36	96	12	80	146	20	53	121	8	55	100	21
महाराष्ट्र	1	1	1	7	38	4	6	9	0	9	12	5
ओडिशा	1	1	0	15	38	0	14	55	8	23	43	7
उत्तर प्रदेश	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	4	8	1	38	65	34	53	74	59	15	21	13
मध्य प्रदेश	2	2	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
अन्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	108	280	47	212	437	100	242	517	118	169	320	63

अनुबंध VI

वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा राज्य-वार जबरन वसूली से संबंधित हिंसा

राज्य	2008 (घटनाओं की संख्या)	2009 (घटनाओं की संख्या)	2010 (घटनाओं की संख्या)	2011 (14 नवम्बर तक) (घटनाओं की संख्या)
आन्ध्र प्रदेश	1	0	1	2
बिहार	28	30	51	47

1	2	3	6	4
छत्तीसगढ़	2	3	6	13
झारखंड	72	88	81	74
महाराष्ट्र	0	0	0	2
मध्य प्रदेश	0	0	2	3
उत्तर प्रदेश	0	3	0	0
ओडिशा	5	3	5	8
पश्चिम बंगाल	0	1	4	0
कुल	108	128	150	149

अनुबंध VII

विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अन्तर्गत जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (15-11-11 तक)
आन्ध्र प्रदेश	5.89	3.40	17.51	15.06
बिहार	16.05	3.70	17.39	19.96
छत्तीसगढ़	27.50	3.90	20.34	9.32
झारखंड	23.80	5.85	20.08	16.56
मध्य प्रदेश	2.93	-	2.32	6.20
महाराष्ट्र	3.40	2.90	8.79	0.24
ओडिशा	11.77	4.20	20.36	25.75
उत्तर प्रदेश	8.66	2.65	11.22	4.41
पश्चिम बंगाल	-	3.40	11.99	4.67
कुल	100.00	30.00	130.00	102.17

अनुबंध VIII

सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एसआरई) के तहत जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए)

राज्य	2008-09 जारी निधियां		2009-10 जारी निधियां		2010-2011 जारी निधियां		2011-2012 जारी निधियां (31-10-2011 की स्थिति के अनुसार)	
	अग्रिम	प्रतिपूर्ति	अग्रिम	प्रतिपूर्ति	अग्रिम	प्रतिपूर्ति	अग्रिम	प्रतिपूर्ति
आन्ध्र प्रदेश	2.74	3.09	1.98	0.30	11.65	16.54	9.40	-
बिहार	2.16	3.05	2.77	-	16.26	13.15	13.65	-
चंडीगढ़	4.71	15.41	4.60	31.54	40.78	46.96	24.73	3.06
झारखंड	4.74	18.76	4.99	6.12	15.16	44.24	19.59	48.22
मध्य प्रदेश	0.19	3.81	0.11		0.88	0.68	0.27	-
महाराष्ट्र	0.83	3.90	0.67	2.04	8.77	4.90	7.63	-
ओडिशा	3.39	9.70	3.71	-	44.46	12.16	21.57	-
उत्तर प्रदेश	0.74.	1.11	0.51	-	1.18	2.38	1.10	-
पश्चिम बंगाल	0.67	1.00	0.66	-	5.86	13.05	7.60	6.31
कुल	20.17	59.83	20.00	40.00	145.00	154.06	105.54	57.59
	80.00				60.00	299.06	163.13	

अनुबंध IX

एकीकृत कार्य योजना (आईपी) के तहत जारी की गई निधियां नवम्बर, 2011 की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

राज्य	जारी निधियां
1	2
आन्ध्र प्रदेश	90
बिहार	245
छत्तीसगढ़	430
झारखंड	630
मध्य प्रदेश	290
मध्य प्रदेश	90
ओडिशा	635
उत्तर प्रदेश	45
पश्चिम बंगाल	45
कुल	2500

नोट- यह योजना 2010-11 में प्रारम्भ हुई थी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदया, उत्तर प्रदेश में जनता के साथ अन्याय हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने प्रश्न काल के निलंबन की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप यह क्या कर रहे हैं? आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप यह क्या कर रहे हैं? आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी रिकॉर्ड नहीं जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप अपना प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार के जवाब में अस्पष्ट है कि...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.23 बजे

इस समय सर्वश्री चंद्रकांत खैरे, राजू शेट्टी, दिलीप कुमार, मनसुखलाल गांधी, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कृषि भूमि का कम होना

***2. श्री पन्ना लाल पुनिया:**
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किसानों के लिए कृषि अलाभकारी व्यवसाय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने के कारण कृषि जोत के घटते हुए आकार से कृषि उपज प्रभावित हुई है तथा इसने कृषि व्यवसाय को अलाभकारी बना दिया है;

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कृषि व्यवसाय छोड़ने वाले लोगों की राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) कृषि के व्यापार में जिसमें 1990 के अंत से 2004-05 के दौरान तेजी से गिरावट हुई थी, ने बाद में सुधार दर्शाया है। 2005-06 में 101.9 पर व्यापार सूचकांक के मद में, इसमें 2009-10 में 102.6 तक की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन से लाभ अनेकों कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ आदानों के उपयोग में क्षमता, मौसम परिस्थितियां, ऋण की उपलब्धता, पैदावार स्तर आदि शामिल हैं। किये गये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर हाल ही के साक्ष्य में यह सुझाव दिया गया है कि छोटे फार्मों पर उत्पाद का प्रति हैक्टेयर मूल्य आज भी मध्यम एवं बड़े फार्मों की तुलना में अधिक है। तथापि, छोटे क्षेत्र के कारण यह आय पर्याप्त नहीं है तथा छोटे आकार वाले क्षेत्र की हानि की प्रतिपूर्ति उच्चतर प्रति हैक्टेयर उत्पाद से नहीं की जा सकती है।

कृषि गणना आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि भूमि के औसत जोत आकार में गिरावट 2000-2001 में 1.33 हैक्टेयर से 2005-06 में 1.23 हैक्टेयर तक हो गयी है। तथापि, वर्षों से कृषि उत्पाद में लगातार वृद्धि हुई है, यद्यपि कुल कृषि योग्य क्षेत्र लगभग 141 मिलियन हैक्टेयर तक अधिक व कम अपरिवर्तित रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों एवं तिलहन उत्पाद के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं–

(मिलियन टन)

फसल	2008-09	2009-10	2010-11
अनाज	219.9	203.4	223.5
कुल दलहन	14.6	14.7	18.1
कुल खाद्यान्न	234.5	218.1	241.6
कुल तिलहन	27.7	24.9	31.1

(ङ) कृषि क्षेत्र में कार्यरत तैनात व्यक्तियों की संख्या में मामूली सी गिरावट को दर्शाते हुए वर्ष 2005-06, 2007-08 तथा 2009-10 के लिए विगत तीन एनएसएसओ सर्वेक्षणों के अनुसार कृषि में प्रति हजार व्यक्तियों में तैनात राज्यवार अनुमानित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 580,573 तथा 532 है जो, अन्य बातों के साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था में ढांचागत परिवर्तनों के कारण है।

(च) कृषि को एक लाभदायक उद्यम बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कृषि वृद्धि में तेजी लाने तथा फार्म आय में वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में बढ़ोत्तरी करने हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), ग्रामीण भंडारण योजना आदि। इसके अतिरिक्त, किसानों की आय सुरक्षा लाभ के लिए सरकार ने फार्म क्रेडिट की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से सुधार किया है, उच्चतर कृषि दबाव के क्षेत्रों के लिए पुनर्वास पैकेज क्रियान्वित किया है, ऋण छूट संबंधी वृहत कार्यक्रम क्रियान्वित किया है; बेहतर फसल बीमा योजनाओं को शामिल किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के माध्यम से किसानों के आय सृजन अवसरों में सुधार लाना।

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

***3. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण देश में अनुकूल मानसून होने के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक माह के दौरान तत्संबंधी वस्तु-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभन्न उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजनी होती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त रिपोर्टों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के रुझान को रोकने के लिए उठाए गए नए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन माह में चावल, गेहूं, मूंग दाल, पॉम ऑयल, आलू और नमक के खुदरा मूल्यों में स्थिरता अथवा गिरावट का रुख देखा गया। उड़द दाल, तूर दाल, मसूर दाल, चीनी, सोया तेल, वनस्पति, प्याज और दूध के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई। चने की दाल, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, सूरजमुखी तेल, चाय और टमाटर में अधिक वृद्धि देखी गई। पिछले माह में सभी वस्तुओं के मूल्य संतुलित रहे। गत तीन माह के दौरान प्रचलित खुदरा मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

दालों और खाद्य तेलों के मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण आयातों में वृद्धि हुई। दालों और खाद्य तेलों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, दालों, सब्जियों और दूध जैसी कुछ प्रोटीन वाली खाद्य वस्तुओं की मांग, आय में वृद्धि और आहार संबंधी पद्धतियों में परिवर्तन के कारण हैं। सीजनल कारकों के अलावा मौसम कुछ सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि में योगदान देता है। ग्लोबल खाद्य मूल्य भी 2011 के शुरुआत में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे और हाल में उनमें संतुलन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए मारे गए छापों, जब्त किए गए माल के मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण II से IV पर दिए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नजरबंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत जारी किए नजरबंदी आदेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य का नाम	2008	2009	2010
गुजरात	16	31	79
तमिलनाडु	141	112	120
ओडिशा	01	02	02
महाराष्ट्र	-	02	02
आंध्र प्रदेश	04	-	01
छत्तीसगढ़	-	-	01
कुल	162	147	205

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची विवरण-V में दी गई है।

विवरण I

चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के पिछले तीन माह के दौरान दैनिक खुदरा मूल्य

चावल *यूनिट: (रु. कि.ग्रा.)*

केन्द्र	दैनिक खुदरा मूल्य				उतार-चढ़ाव		
	वर्तमान तारीख 16-11-2011	1 माह पूर्व 16-10-2011	2 माह पूर्व 16-9-2011	3 माह पूर्व 16-08-2011	1 माह पूर्व 16/10-2011	2 माह पूर्व 16-9-2011	3 माह पूर्व 16-08-2011
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	24	24	24	24	0	0	0
मुंबई	21	22	22	22	-1	-1	-1
कोलकाता	20	20	20	21	0	0	-1
चेन्नई	23.33	22	22	22	1.33	1.33	1.33
				गेहूं			
दिल्ली	15	15	15	15	0	0	0
मुंबई	20	21	22	21	-1	-2	-1
भुवनेश्वर	15	शून्य	15	16	शून्य	0	-1
चेन्नई	21.33	22	22	22	-0.67	-0.67	-0.67
				चना दाल			
दिल्ली	56	55	48	42	1	8	14
मुंबई	54	56	50	43	-2	4	11
कोलकाता	50	50	43	38	0	7	12
चेन्नई	53.33	52	45	42	1.33	8.33	11.33
				तूर/अरहर दाल			
दिल्ली	74	73	73	70	1	1	4
मुंबई	71	70	71	69	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	64	64	60	54	-1	4	10
चेन्नई	65	65	65	62	0	0	3
			वस्तु-उड़द दाल				
दिल्ली	75	75	78	75	0	.3	0
मुंबई	78	77	81	77	1	.3	1
कोलकाता	65	65	60	58	-1	5	7
चेन्नई	68	70	70	68	-2	-2	0
			मूंग दाल				
दिल्ली	74	73	75	75	0	-1	-1
मुंबई	77	77	79	79	1	-2	-2
कोलकाता	70	75	70	70	-5	0	0
चेन्नई	69	68	65	65	1	4	4
			मसूर दाल				
दिल्ली	55	55	56	54	0	-1	1
मुंबई	53	57	53	57	-4	0	-4
कोलकाता	44	44	42	42	0	2	2
चेन्नई	46	45	45	45	1	1	1
			चीनी				
दिल्ली	33	33	33	32	0	0	1
मुंबई	33	33	33	32	1	0	1
कोलकाता	34	32	32	32	2	2	2
चेन्नई	30.67	31	31	30	-0.33	-0.33	0.67
			दूध (रुपए लीटर में)				
दिल्ली	29	29	26	27	0	3	2
मुंबई	36	36	36	34	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	22	22	22	22	0	0	0
चेन्नई	20.5	20.5	20.5	20.5	0	0	0
वस्तुः मूंगफली का तेल (पैक)							
दिल्ली	135	121	127	128	14	8	7
मुंबई	112	121	119	116	-8	-7	-4
कोलकाता	120	120	120	105	0	0	15
चेन्नई	109.89	98	100	100	11.89	9.89	9.89
सरसों का तेल (पैक)							
दिल्ली	83	84	81	78	-1	2	5
मुंबई	88	85	85	1	3	3	
कोलकाता	80	80	78	75	0	2	5
चेन्नई	95.6	85	84	84	10.6	11.6	11.6
वनस्पति (पैक)							
दिल्ली	79	72	79	78	7	0	1
मुंबई	83	87	87	77	-3	-4	6
कोलकाता	60	60	60	66	0	0	-6
चेन्नई	76.92	74	78	78	2.92	-1.08	-1.08
सोया तेल (पैक)							
दिल्ली	88	80	87	83	8	1	5
मुंबई	78	79	77	77	-1	1	1
कोलकाता	74	75	74	69	-1	0	5
चेन्नई	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
सनफ्लावर (पैक)							
दिल्ली	108	98	104	93	10	4	15
मुंबई	82	83	85	86	0	-3	-4

1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	95	90	90	85	5	5	10
चेन्नई	85.71	81	81	80	4.71	4.71	5.71
			वस्तु:पॉम ऑयल (पैक)				
दिल्ली	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
मुंबई	64	65	66	67	−2	−2	-3
कोलकाता	63	63	65	64	−1	−2	-1
चेन्नई	63.74	58	62	60	5.74	1.74	3.74
			वस्तु: चाय खुली				
दिल्ली	162	164	164	159	−2	−2	3
मुंबई	203	211	203	199	−10	0	4
कोलकाता	120	120	100	100	0	20	20
चेन्नई	270	270	260	260	0	10	10
			वस्तु: नमक पैक (आयोडाइज्ड)				
दिल्ली	14	14	14	14	0	0	0
मुंबई	14	14	14	14	0	0	0
कोलकाता	8	8	8	8	0	0	0
चेन्नई	14	14	14	14	0	0	0
			आलू				
दिल्ली	16	18	17	16	−2.5	-1	0
मुंबई	14	14	15	15	−1	−1	-1
कोलकाता	7	8	8	8	−1	−1	−1
चेन्नई	13	13	13.75	13	−1.5	−0.75	0
			प्याज				
दिल्ली	21	23	23	18	−2	−2	3
मुंबई	18	21	20	17	−2	−2	1

1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	16	18	20	14	−4	−4	2
चेन्नई	14.5	14.75	13	15	−0.25	1.5	−0.5
			टमाटर				
दिल्ली	25	37.5	20	19	−12	5	6
मुंबई	25	20	15	13	6	10	12
कोलकाता	32	32	25	24	0	7	8
चेन्नई	21	19.5	13	6.5	1.5	8	14.5

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

विवरण II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2008 के लिए प्राप्त सूचना (31.12.2008) तक)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17235	29	6	–	86.12	दिसम्बर
2.	असम	1419	14	19	शून्य	2.37	दिसम्बर*
3.	अरुणाचल प्रदेश	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	नवम्बर
4.	बिहार	16	9	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
5.	छत्तीसगढ़	225	1	32	1	102.03	मार्च
6.	दिल्ली	153	135	119	4	61.7	दिसम्बर
7.	गुजरात	31098	20	142	शून्य	253.15	दिसम्बर
8.	गोवा	121	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9.	हरियाणा	46	8	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	25634	13	49	शून्य	15.52	दिसम्बर++
11.	जम्मू और कश्मीर	422	376	94	शून्य	शून्य	सितम्बर
12.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल
13.	कर्नाटक	3396	74	1	4	580.95	दिसम्बर
14.	केरल	87305	12	2	शून्य	12.98	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश	14921	52	107	शून्य	405.15	अप्रैल
16.	महाराष्ट्र	2551	3376	2595	शून्य	2365.92	दिसम्बर
17.	मणिपुर	99	4	3	3	0.16	दिसम्बर
18.	मेघालय	70	1	2	1	0.05	दिसम्बर
19.	मिजोरम	61	शून्य	शून्य	शून्य	0.49	जुलाई**
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21.	ओडिशा	2001	22	117	शून्य	17.51	नवम्बर
22.	पंजाब	20632	22	9	4	3.08	नवम्बर
23.	राजस्थान	450	13	170	4	18.12	जुलाई
24.	सिक्किम	1	2	2	शून्य	0.01	दिसम्बर
25.	तमिलनाडु	20268	2525	1127	761	683.33	नवम्बर
26.	त्रिपुरा	35	12	9	शून्य	2.69	दिसम्बर
27.	उत्तरांचल						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	39474	1047	1734	शून्य	1410.49	दिसम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	176	142	5	शून्य	58.83	दिसम्बर
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	291	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर**
31.	चण्डीगढ़	6	9	शून्य	शून्य	2.01	दिसम्बर
32.	दादरा व नगर हवेली	13	2	शून्य	शून्य	5.49	दिसम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
35.	पुडुचेरी	633	81	81	8	7.07	दिसम्बर
	कुल	268775	8001	6425	790	6095.22	

*-जनवरी और फरवरी को छोड़कर

**- अप्रैल, मई और जून को छोड़कर

++- अक्तूबर को छोड़कर

विवरण III

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई। वर्ष 2009 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2008 के लिए प्राप्त सूचना (31.12.2009 तक)

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	7873	43	शून्य	1	233.31	दिसम्बर
2.	असम	2382	5	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर+
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	नवम्बर
4.	बिहार	17	8	शून्य	छपस	1.69	दिसम्बर
5.	छत्तीसगढ़	751	36	90	66	858.27	दिसम्बर
6.	दिल्ली	93	98	76	शून्य	शून्य	दिसम्बर
7.	गुजरात	28025	30	89	शून्य	528.31	दिसम्बर
8.	गोवा	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
9.	हरियाणा	107	8	1	शून्य	0.82	दिसम्बर
10.	हिमाचल प्रदेश	24642	3	2	शून्य	10.99	दिसम्बर*
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखंड						सूचित नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	1659	137	9	3	24.58	दिसम्बर
14.	केरल	48829	21	2	शून्य	121.47	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						दिसम्बर***
16.	महाराष्ट्र	1688	2565	1562	शून्य	13842.38	दिसम्बर
17.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
18.	मेघालय	8	शून्य	4	शून्य	शून्य	नवम्बर**
19.	मिजोरम	366	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
20.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
21.	ओडिशा	35494	7	149	9	14.56	दिसम्बर
22.	पंजाब	122	54	34	26	464.52	दिसम्बर
23.	राजस्थान	281	3	62	शून्य	36.89	मार्च
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	दिसम्बर
25.	तमिलनाडु	16404	4775	1471	7	623.25	दिसम्बर
26.	त्रिपुरा	66	2	2	शून्य	0.65	दिसम्बर
27.	उत्तरांचल						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	39684	1023	1491	शून्य	1929.48	दिसम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	161	117	16	शून्य	90.4	दिसम्बर
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	208	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
31.	चण्डीगढ़	8	9	शून्य	छपस	7.97	दिसम्बर
32.	दादरा और नगर हवेली	3	2	शून्य	शून्य	0.22	दिसम्बर
33.	दमन और दीव						सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
35.	पुडुचेरी	512	63	68	15	15.53	नवम्बर
	कुल	209413	9012	5131	127	18805.29	दिसम्बर

*- अगस्त और सितम्बर को छोड़कर

**- अगस्त और अक्तूबर को छोड़कर

***- अक्तूबर को छोड़कर

+-अगस्त को छोड़कर

विवरण IV

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई। स्टाक नियंत्रण के उल्लघंन के अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना (31.12.2009 तक)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)	तक सूचित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10253	शून्य	शून्य	शून्य	144.96	दिसम्बर-क
2.	असम	69	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मई
3.	अरुणाचल प्रदेश	332	29	20	10	शून्य	अगस्त-ख
4.	बिहार	65	24	शून्य	शून्य	शून्य	अक्तूबर-ग
5.	छत्तीसगढ़	211	1	18	14	757.58	अगस्त-घ
6.	दिल्ली	66	15	28	4	शून्य	दिसम्बर
7.	गुजरात	82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-ङ
8.	गोवा	30296	139	88	17	428.99	दिसम्बर
9.	हरियाणा	167	49	5	शून्य	361.62	अक्तूबर
10.	हिमाचल प्रदेश	22353	शून्य	शून्य	शून्य	11.62	नवम्बर
11.	जम्मू और कश्मीर						सूचित नहीं
12.	झारखण्ड						सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	2016	138	शून्य	2	317.78	अक्तूबर
14.	केरल	26603	33	22	3	21.931	दिसम्बर
15.	मध्य प्रदेश						सूचित नहीं
16.	महाराष्ट्र	1820	*2717*	1543	शून्य	1139.46	नवम्बर
17.	मणिपुर	9	5	5	5	0.47	दिसम्बर
18.	मेघालय	64	7	6	3	0.91	नवम्बर
19.	मिजोरम	84	शून्य	शून्य	शून्य	0.11	नवम्बर-च
20.	नागालैण्ड	2	26	शून्य	शून्य	0.39	सितम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ओडिशा	60155	6	258	शून्य	5.29	नवम्बर-छ
22.	पंजाब	213	21	13	9	1.27	दिसम्बर
23.	राजस्थान						सूचित नहीं
24.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर
25.	तमिलनाडु	18894	6995	1257	43	708.69	दिसम्बर
26.	त्रिपुरां	245	7	7	शून्य	7.07	अक्तूबर
27.	उत्तरांचल						सूचित नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	29723	558	1211	शून्य	6262.85	सितम्बर
29.	पश्चिम बंगाल	222	100	20	शून्य	281.41	दिसम्बर
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	193	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सितम्बर
31.	चण्डीगढ़	10	9	शून्य	शून्य	9.16	अक्तूबर-ज
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	शून्य	शून्य	35	दिसम्बर
33.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जुलाई-झ
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	दिसम्बर-त्र
35.	पुडुचेरी	635	26	38	51	4.18	अक्तूबर
	योग:	204783	10906	4539	161	10500.741	

क-सितम्बर, 2010 को छोड़कर

ख- फरवरी, अप्रैल, मई, 2010 को छोड़कर

ग- मार्च 2010 को छोड़कर

घ- जन., फर. जून और जुलाई 2010 को छोड़कर

ङ- नवम्बर 2010 को छोड़कर

च- अक्तूबर 2010 को छोड़कर

छ- जुलाई और अगस्त 2010 को छोड़कर

झ- अक्तूबर 2010 कोछोड़कर

त्र- जुलाई, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, 2010 को छोड़कर 23.2.2011 तक अद्यतन

विवरण V

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(क) **अल्पकालिक उपाय**

I. राजकोषीय उपाय

(i) चावल, गेहूं, और प्याज, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है। रिफाइण्ड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5% किया गया।

(ii) एन डी डी बी को शुल्क दर कोटे के तहत शून्य शुल्क पर 5000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और होल मिल्क पाउडर तथा 15000 मीट्रिक टन बटर ऑयल और एनहाइड्रस मिल्क फैट के आयात की अनुमति दी गई है।

(iii) चीनी मिलों को दिनांक 17.4.2009 को खुले सामान्य लाइसेंस के तहत (ओ जी एल) तक शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति दी गई। बाद में यह सुविधा, कार्य की मात्रा के आधार पर निजी व्यापारियों को भी प्रदान कर दी गई।

(iv) आरंभ में 1 मिलियन टन की सीमा निर्धारित करते हुए दिनांक 17.04.2010 को एस टी सी/एम एम टी सी/पी ई सी और नेफेड वो आयात शुल्क मुक्त सफेद/ रिफाइण्ड चीनी के आयात की अनुमति प्रदान की गई। केन्द्रीय राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों और निजी व्यापारियों को भी बिना किसी सीमा के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई।

(v) चीनी मिलों को अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत 'टन-टू-टन' आधार पर कच्चे चीनी के नि:शुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

II. प्रशासनिक उपाय

(i) सभी प्रकार की आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया।

(ii) गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर आगामी आदेशों तक खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और जैविक दलहन के अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर दिनांक 30.09.2011 तक प्रतिबंध लगाया गया।

(iii) गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर 9.9.2011 से प्रतिबंध हटा दिया गया।

(iv) खाद्य तेलों के 5 कि.ग्रा. ब्राण्डेड उपभोक्ता पैकों में निर्यात की अनुमति दी गई जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 टन प्रति वर्ष होगी।

(v) मिल्क पाउडर (जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्ध आहार सम्मिलित है), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई है।

(vi) खाद्य तेलों के शुल्क दर मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं।

(vii) दालों, खाद्य तेल, खाद्य तिलहन, धान, चावल और चीनी के मामले में स्टॉक सीमा आदेशों को बढ़ा दिया गया।

(viii) प्याज (सभी किस्में) के निर्यात पर 9.9.2011 से रोक लगा दी गई और 20 सितम्बर, 2011 से हटा दी गई। प्याज (सभी किस्में) का न्यूनतम निर्यात मूल्य सितम्बर, 2011 के लिए औसत 475 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

(ix) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्र. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को कायम रखा गया।

(x) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलम्बन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा।

(xi) वर्ष 2010-11 के चीनी मौसम के लिए लेवी की अनिवार्यता को 20 से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(xii) सरकार ने जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान ओ एमएसएस (डी), 2011 के अंतर्गत 25 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल आबंटित किया है।

(xiii) 25 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन 6.1.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी से जून 2011 तक के

दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत मूल्यों पर किया गया है।

(xiv) 50 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन 16 मई, 2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए मार्च, 2012 तक वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे निर्गत के मूल्यों पर किया गया है।

(xv) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 जनवरी, 2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 30.9.2011 तक वितरण हेतु 25 लाख टन के खाद्यान्न का एक अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया गया जिसमें 8.45 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 11.85 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल दिया गया।

(xvi) इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए दिनांक 30 जून, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्न का तदर्थ आबंटन किया गया जिससे 20 राज्यों में मासिक ए पी एल आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार और पूर्वोत्तर के चार राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ओर उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. हो गया। इन राज्यों में यह जून, 2011 से मार्च, 2012 के 10 महीनों की अवधि के लिए मात्रा से कम था।

(xvii) माननीय उच्चतम न्यायालय के 14 मई, 2011 के 150 सबसे गरीब जिलों अथवा अत्यंत गरीब और समाज के कमजोर वर्गों वो वितरण के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न सुरक्षित रखने के निर्देशों और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.पी वाधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण स्कीम संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति के सुझाव के अनुसरण में 13 राज्यों के 74 जिलों के लिए प्रारंभ में तीन महीनों के लिए जुलाई/अगस्त, 2011 में अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर लगभग 3.87 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया गया।

(xviii) रज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर पर 10 रुपए की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित दालों के वितरण के लिए स्कीम को लागू किया गया।

(xix) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को 1 लीटर प्रति रशन कार्ड की दर पर प्रमिाह 15 रु. प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी के साथ सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों के वितरण के लिए स्कीम।

महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध

***4. श्री नित्यानंद प्रधान:**
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाएं और बच्चे अपराध के अधिक शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकर की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान महिलाओं और बच्चो के प्रति बलात्कार, उत्पीड़न, छेड़खानी, हत्या और अपहरण सहित किए गए अन्य अपराधों के अपराध-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने दोषियों को गिरफ्तार किया गया, छोषी ठहराया गया, कितने मामलों को सुलझाया गया है/कितने मामले अनसुलझे हैं, दोषसिद्धि की दर क्या रही तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी समस्या से निपटने के लिए कतिपय निवारक और कठोर उपाय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 2,13,585 मामले सूचित किए गए थे। वर्ष 2008-10 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत महिलाओं के प्रति अपराधों का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2010 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध के कुल 26,694 मामले सूचित किए गए थे। वर्ष 2008-10 के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत बच्चों के प्रति अपराधों के राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े वर्ष 2010 तक के हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसीलिए, महिलाओं एवं बच्चों

के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण को अत्यधिक महत्व देती है।

गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं जिनमें उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और कड्डल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर "समस्त महिला पुलिस स्टेशन स्तर पर 'महिला/बाल सहायता डेस्क" स्थापित किए हैं।

गृह मंत्रालय ने एक व्यापक योजना भी स्वीकृत की है, जिसमें पूरे देश में 335 मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (ए एच टी यू) की स्थापना का प्रस्ताव है।

विवरण I

वर्ष 2008-2010 के दौरान बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	1257	1083	100	1531	1526	244	1188	965	118	1487	1302	182	1362	1210	141	1761	1674	173
2.	अरुणाचल प्रदेश	42	22	1	37	28	2	59	46	3	60	51	3	47	34	4	49	40	4
3.	असम	1438	988	94	1445	967	201	1631	1004	128	1644	1040	235	1721	1110	95	1629	1153	117
4.	बिहार	1302	921	168	1464	1323	221	929	763	178	1086	1043	237	795	533	227	892	816	280
5.	छत्तीसगढ़	978	922	206	1108	1059	207	976	982	219	1128	1117	243	1012	942	204	1198	1203	270
6.	गोवा	30	21	6	41	20	6	47	24	7	56	41	7	36	44	5	50	62	7
7.	गुजरात	374	328	48	529	535	75	433	377	33	610	597	44	408	391	33	617	620	40
8.	हरियाणा	631	508	128	849	801	175	603	525	125	484	832	230	720	59	113	866	853	161
9.	हिमाचल प्रदेश	157	115	29	182	176	48	183	176	29	250	260	40	160	139	21	197	204	38
10.	जम्मू और कश्मीर	219	142	10	234	236	17	237	196	12	303	301	12	245	177	3	266	259	5
11.	झारखंड	791	766	136	802	761	152	719	687	294	765	764	341	773	75	171	836	911	194
12.	कर्नाटक	446	412	45	642	581	53	509	401	33	595	567	48	586	512	54	771	703	82
13.	केरल	568	467	38	623	557	45	568	615	53	694	751	57	634	644	45	659	779	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	2937	2791	839	3875	3847	1357	2998	2951	562	4243	4221	854	315	3089	777	4387	4407	1230
15.	महाराष्ट्र	1558	1449	160	2206	2056	219	1483	1433	183	2075	2076	225	1599	1458	146	2180	2145	202
16.	मणिपुर	38	6	0	19	6	0	31	5	0	22	7	0	34	4	1	22	5	1
17.	मेघालय	88	41	11	82	57	11	112	67	7	110	96	7	149	80	4	135	73	4
18.	मिजोरम	77	69	85	94	81	92	83	86	58	81	117	53	92	94	84	112	125	123
19.	नागालैंड	19	18	13	27	20	15	22	25	10	27	29	16	16	13	14	19	19	12
20.	ओडिशा	1113	883	159	1045	1065	212	1023	834	146	1119	1100	183	1025	1126	132	1363	1369	188
21.	पंजाब	517	442	149	663	589	224	511	440	158	681	6312	234	546	438	166	766	654	244
22.	राजस्थान	1355	857	232	1211	1205	273	1519	967	221	1388	1387	296	1571	972	202	1343	1355	298
23.	सिक्किम	20	20	5	24	20	5	18	19	5	19	19	5	18	31	2	21	30	1
24.	तमिलाडु	573	466	109	740	583	113	596	515	91	776	776	111	686	487	105	777	682	136
25.	त्रिपुरा	204	185	23	210	173	21	190	169	24	336	169	24	238	185	28	320	226	32
26.	उत्तर प्रदेश	1871	1405	681	2825	2199	1157	1759	1312	623	2918	2168	1187	156	1171	705	2580	1842	1304
27.	उत्तराखंड	87	79	39	108	106	81	111	98	49	138	146	83	121	104	58	171	159	86
28.	पश्चिम बंगाल	2263	1693	138	1790	1664	148	2336	1572	130	1748	1707	132	2311	1866	90	2395	2242	128
	कुल राज्य	20953	17101	3652	24406	22241	5374	20874	17254	3498	25207	23315	5089	21603	18149	3630	26380	24610	5412
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	12	2	0	13	2	0	18	14	1	36	27	1	24	20	0	39	28	0
30.	चंडीगढ़	20	19	5	27	26	7	29	17	16	38	25	26	31	29	14	44	38	16
31.	दादरा और नगर हवेली	6	7	0	8	8	0	4	4	1	5	5	1	3	4	2	3	4	2
32.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	466	478	115	573	702	155	469	440	178	557	615	195	507	449	141	602	532	201
34.	लक्षद्वीप	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	8	6	0	8	9	0	1	8	4	1	8	4	3	2	1	5	2	1
	कुल संघ शासित	514	513	121	630	748	163	523	484	200	638	681	227	569	505	158	694	605	220
	कुल अखिल भारत	2146	17614	3773	25036	22989	5537	21397	17738	3698	25845	23996	5316	22172	16654	3788	27074	25215	5632

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान महिलाओं एवं लड़कियों का अपहरण एवं व्यपहरण के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	1396	925	37	1606	1635	96	1526	968	50	1889	1637	93	1531	1101	95	1722	1816	128
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	26	4	57	35	7	28	31	4	38	34	4	46	21	2	48	29	2
3.	असम	1789	780	89	1965	1269	248	2092	774	77	2392	1159	118	2767	971	106	2687	1218	146
4.	बिहार	1789	837	138	2382	1978	264	1986	772	114	2397	1967	300	2569	1150	108	2503	2280	196
5.	छत्तीसगढ़	216	178	23	229	210	33	229	179	40	267	250	43	279	193	36	352	321	58
6.	गोवा	28	8	1	28	10	1	22	13	0	18	22	0	18	10	1	15	16	2
7.	गुजरात	1119	764	44	1320	1324	67	1162	88	42	1494	1493	73	1290	1027	51	151	1580	100
8.	हरियाणा	644	327	71	594	563	90	659	339	74	53	549	104	714	431	91	543	524	130
9.	हिमाचल प्रदेश	137	67	10	144	133	17	122	68	5	102	106	17	162	55	5	101	95	5
10.	जम्मू और कश्मीर	656	267	1	523	524	1	825	427	11	696	694	10	840	346	5	509	503	10
11.	झारखंड	499	318	57	604	533	92	517	366	129	397	399	129	696	420	67	710	674	103
12.	कर्नाटक	405	201	6	487	394	11	408	245	5	506	490	6	586	328	14	751	614	47
13.	केरल	166	155	1	179	194	5	173	131	8	22	185	14	184	174	4	221	257	5
14.	मध्य प्रदेश	736	619	204	1013	1006	215	641	679	121	1060	1042	188	1030	856	208	1303	1309	390
15.	महाराष्ट्र	998	723	47	1487	1351	63	926	722	31	1388	1388	61	1124	706	21	1470	1250	43
16.	मणिपुर	87	0	0	68	0	0	97	1	0	95	1	0	107	2	0	83	2	0
17.	मेघालय	25	3	0	14	3	0	26	5	0	17	10	0	37	9	0	41	17	0
18.	मिजोरम	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	7	4	5	5	3	1	10	8	1	8	4	9	6	8	4	13	6	1
20.	ओडिशा	762	504	67	63	602	71	799	485	40	814	762	52	912	811	31	1070	1095	41
21.	पंजाब	514	257	22	573	470	42	513	212	34	566	358	66	578	226	47	646	542	100
22.	राजस्थान	1863	612	121	942	938	169	2310	732	120	1138	112	198	2477	815	128	1281	1275	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.	सिक्किम	4	5	1	8	8	1	6	3	2	7	4	3	6	10	1	13	10	1
24.	तमिलनाडु	116	521	138	1405	1116	263	1133	527	58	1313	109	126	1464	619	104	1532	1280	151
25.	त्रिपुरा	110	87	4	112	93	12	92	71	6	125	73	10	91	57	3	106	89	3
26.	उत्तर प्रदेश	4439	2571	1172	8280	5932	2782	5078	2941	1251	10487	6777	3527	5468	3050	1594	1193	6831	3951
27.	उत्तराखंड	222	125	44	203	174	118	247	150	36	191	193	97	249	147	36	293	272	55
28.	पश्चिम बंगाल	1907	1130	36	1857	1466	58	2187	1137	31	1958	179	27	2764	2069	37	2254	2545	50
	कुल राज्य	21726	12015	2343	26719	21965	4727	24014	12766	2289	300094	23603	6286	27993	15611	2779	33821	26452	5978
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13	7	0	10	10	0	14	2	0	5	2	0	8	7		11	16	0
30.	चंडीगढ़	42	13	8	42	22	21	36	17	11	29	23	13	28	1	6	23	8	8
31.	दादरा और नगर हवेली	11	6	0	16	8	0	9	10	2	12	18	3	10	3	1	7	3	1
32.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	116	405	27	412	458	41	1655	293	46	375	378	57	1740	289	85	366	352	85
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	9	5	0	8	7	0	13	13	0	11	13	0	14	13	2	22	26	2
	कुल संघ शासित	1213	436	35	489	505	62	1727	336	59	432	435	73	1802	313	94	429	405	96
	कुल अखिल भारत	22939	2451	2378	27208	22470	4789	25741	13122	2348	30526	24038	5359	29795	15924	2873	342502	6857	6074

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान छेड़छाड़ के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आन्ध्र प्रदेश	4730	3713	520	4922	4831	608	5147	4229	253	5441	5163	427	4634	3868	496	4622	4698	484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	64	13	73	66	16	58	54	15	70	57	15	84	54	4	88	61	5
3.	असम	1272	731	78	1307	833	227	1342	767	111	1614	1050	156	1400	892	73	2020	1090	138
4.	बिहार	999	684	76	1165	1042	105	726	554	68	795	721	95	534	482	73	808	676	109
5.	छत्तीसगढ़	1621	1605	279	1934	1921	330	15981	566	291	1817	1790	307	1706	1650	409	19891	960	512
6.	गोवा	32	26	4	28	33	3	37	21	3	35	22	3	36	32	4	37	38	4
7.	गुजरात	828	800	48	1291	1296	111	727	707	39	1025	1015	50	668	659	22	986	972	29
8.	हरियाणा	435	385	97	533	540	131	451	403	90	553	550	129	476	415	117	605	596	165
9.	हिमाचल प्रदेश	295	275	30	358	378	44	318	308	20	345	354	34	350	334	17	418	421	27
10.	जम्मू और कश्मीर	935	781	11	1748	1748	57	972	940	82	2044	2043	217	1038	889	29	2053	2049	55
11.	झारखंड	271	235	43	302	362	51	276	237	67	327	291	102	245	221	49	273	318	58
12.	कर्नाटक	1954	1722	9	2927	2751	110	2186	1855	71	3159	3032	91	2544	2169	52	3411	3102	69
13.	केरल	2745	2441	184	3452	3504	258	2540	2358	166	3238	3293	234	2936	2682	1683	585	3602	246
14.	मध्य प्रदेश	6445	6372	1971	7686	7683	2898	6307	6331	1566	7567	7556	1941	6646	66091	749	7863	7838	2155
15.	महाराष्ट्र	3619	3340	180	4334	4253	205	3196	311	4157	3938	382	6191	3661	3311	162	4386	4047	206
16.	मणिपुर	57	0	0	47	0	0	39	2	0	40	2	0	31	0	0	23	0	0
17.	मेघालय	54	24	12	18	19	11	72	45	3	42	65	3	48	33	3	29	27	4
18.	मिजोरम	78	71	38	76	71	40	61	68	47	78	113	60	75	73	71	79	81	122
19.	नागालैण्ड	15	10	3	22	14	5	11	11	8	13	10	9	13	12	9	15	11	1
20.	ओडिशा	2782	2342	109	3765	746	383	2697	2436	78	3589	3534	120	2905	2719	98	4116	4265	147
21.	पंजाब	388	265	73	512	458	112	319	219	79	355	315	104	349	235	77	454	445	162
22.	राजस्थान	2520	1964	825	2893	2898	1076	2485	1893	633	2692	2692	893	2339	1727	550	2598	2598	804
23.	सिक्किम	19	16	3	18	20	3	10	32	6	36	32	8	11	13	3	23	13	3
24.	तमिलनाडु	1705	1363	338	2220	2059	543	1242	1104	393	1916	1936	716	1405	987	508	1946	1598	765
25.	त्रिपुरा	346	291	17	349	312	18	384	354	16	434	354	16	376	308	22	456	358	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	2955	2599	1502	4109	3723	2277	2782	2525	1568	4026	3658	2510	2793	2513	1818	4189	3646	2810
27.	मेघालय	120	99	72	160	177	123	119	108	90	178	172	173	125	116	51	184	183	65
28.	पश्चिम बंगाल	2396	1566	95	1584	1567	93	1942	1740	85	1640	1602	100	2465	1915	81	1841	2167	91
	कुल राज्य	39688	33784	6714	47833	46305	9838	38044	33981	6005	47007	45246	8704	39893	34948	6715	49077	46860	9292
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	21	0	32	35	0	30	27	0	40	6	0	31	24	0	40	34	0
30.	चंडीगढ़	19	23	1	22	30	1	26	13	3	39	24	3	29	24	7	28	30	7
31.	दादरा और नगर हवेली	4	4	0	7	7	0	2	2	0	2	2	0	11	5	1	12	5	2
32.	दमन और दीव	2	1	0	1	1	0	4	0	0	5	0	0	2	3	0	2	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	611	715	184	855	961	266	552	515	200	710	776	231	601	572	169	794	721	336
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	65	65	7	85	92	9	53	52	4	53	53	16	46	43	7	71	72	11
	कुल संघ शासित	725	829	192	1002	1126	276	667	609	207	849	891	250	720	6741	184	947	863	356
	कुल अखिल भारत	40413	34613	6906	48835	47431	10114	38711	34590	6212	47856	46137	8954	40613	35589	6899	5024	47723	9648

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान यौन उत्पीड़न के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	3551	2945	569	3240	3260	636	3520	3103	613	4178	3848	681	4562	3332	731	3820	3965	861
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0	6	2	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0
3.	असम	2	2	0	2	2	0	10	5	3	15	7	3	20	9	3	35	13	6
4.	बिहार	21	12	3	30	28	3	12	14	0	16	20	0	16	9	0	22	20	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	छत्तीसगढ़	125	123	27	165	162	40	152	140	26	235	233	56	182	172	31	261	258	65
6.	गोवा	12	8	0	12	8	0	10	7	0	10	7	0	16	13	2	22	21	2
7.	गुजरात	122	120	5	161	181	12	114	107	14	188	190	22	110	98	9	131	134	13
8.	हरियाणा	605	567	381	731	716	451	605	583	358	717	717	396	580	526	334	635	628	408
9.	हिमाचल प्रदेश	41	36	5	55	45	8	37	37	1	40	51	1	78	51	1	73	65	1
10.	जम्मू और कश्मीर	296	284	69	401	400	96	371	365	99	512	511	114	262	234	100	295	295	139
11.	झारखंड	23	16	1	63	55	1	83	36	11	38	35	14	16	11	3	20	37	3
12.	कर्नाटक	44	41	10	38	41	10	64	30	1	40	39	1	83	16	0	22	21	0
13.	केरल	258	244	35	302	293	46	395	361	58	456	445	68	537	515	70	604	617	78
14.	मध्य प्रदेश	758	739	290	958	956	452	728	848	221	1047	1042	285	918	899	309	1182	1183	340
15.	महाराष्ट्र	1091	998	70	1352	1351	76	1099	1021	22	1337	1275	23	1180	1063	34	1515	1441	42
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	4	0	0	2	1	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
19.	नागालैण्ड	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	3	0
20.	ओडिशा	282	258	17	352	356	28	210	199	15	297	290	19	232	231	11	354	346	16
21.	पंजाब	49	29	18	61	37	22	33	34	13	50	40	18	38	27	13	42	36	17
22.	राजस्थान	19	12	14	15	15	24	24	21	9	24	24	16	23	17	9	22	22	11
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	974	856	317	1245	1101	379	501	519	296	568	651	371	638	624	417	739	752	353
25.	त्रिपुरा	4	4	2	8	6	0	5	5	0	10	6	0	9	4	0	9	7	0
26.	उत्तर प्रदेश	3374	3318	2130	4958	4876	3179	2524	2475	1838	3878	3807	2734	11	21	1951	15	36	3157
27.	उत्तराखंड	306	289	72	459	443	250	249	259	98	419	431	254	165	169	244	282	291	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28.	पश्चिम बंगाल	94	70	20	156	125	23	108	91	24	120	102	26	163	127	37	165	140	44
	कुल राज्य	12057	10972	4056	14767	14459	5738	10864	10265	3721	14200	13775	5103	9843	8170	4310	10269	10331	5786
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2	0	4	2	0	7	4	0	8	4	0	10	7	0	14	11	0
30.	चंडीगढ़	2	5	6	3	7	6	2	1	4	6	1	6	4	0	8	2	0	12
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0
32.	दमन और दीव	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	130	131	57	141	163	68	118	92	53	132	151	68	80	100	47	89	100	74
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	21	20	9	28	28	11	16	13	6	21	21	9	22	20	2	28	26	6
	कुल संघ शासित	157	158	72	176	200	85	145	112	63	168	178	83	118	128	57	135	139	92
	कुल अखिल भारत	12214	11130	4128	14943	14659	5823	11009	10377	3784	14368	13953	5186	9961	8298	4367	10404	10470	6878

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षो वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	10306	8762	697	19398	19011	1578	11297	8981	561	19018	17746	1451	12080	11459	756	21572	22299	1554
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	9	0	12	9	0	13	14	3	12	14	3	12	8	1	11	8	1
3.	असम	3478	2154	141	3577	2489	263	4398	2632	281	5753	2933	326	5410	3155	227	6208	3762	390
4.	बिहार	1992	1537	197	3732	3138	357	2532	1649	169	4939	3910	474	2271	1465	182	3850	3630	390
5.	छत्तीसगढ़	897	858	113	2297	2254	355	893	903	59	2462	2447	131	861	834	142	2450	2407	339
6.	गोवा	12	11	0	23	29	0	21	12	0	48	26	0	17	14	0	41	42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.	गुजरात	6094	6073	140	18602	18640	360	5506	5392	106	17595	17791	623	5600	5447	110	16877	16768	784
8.	हरियाणा	2435	1556	102	3712	3792	274	2617	1536	122	3661	3696	309	2720	1684	131	4057	3794	531
9.	हिमाचल प्रदेश	343	296	9	731	710	19	284	301	9	648	704	25	275	235	7	677	664	26
10.	जम्मू और कश्मीर	162	125	1	290	289	5	196	169	2	469	468	8	211	157	8	418	412	6
11.	झारखंड	851	708	157	1651	1359	278	710	809	304	1560	1465	381	650	618	177	1600	2361	411
12.	कर्नाटक	2638	2291	75	4827	4479	219	3185	2620	80	5784	5680	207	3441	2994	75	6515	5832	183
13.	केरल	4138	3653	153	6303	6311	288	4007	3923	181	5828	6307	423	4797	4461	127	7522	7492	222
14.	मध्य प्रदेश	3185	3091	1306	10196	10183	5180	3983	4031	918	11182	11172	2511	3756	3669	871	10253	10269	2708
15.	महाराष्ट्र	7829	7484	153	25979	25211	439	7681	7390	119	29493	26238	323	7434	7354	104	28261	27819	344
16.	मणिपुर	28	0	0	12	0	0	25	0	0	25	0	0	18	0	0	13	0	0
17.	मेघालय	32	5	2	29	6	2	24	10	1	6	16	1	24	10	0	11	9	0
18.	मिजोरम	5	5	2	5	5	2	4	5	10	4	4	8	3	3	2	3	3	2
19.	नागालैण्ड	4	3	1	4	2	2	0	0	2	0	2	2	1	1	2	3	3	3
20.	उड़ीसा	1618	1067	152	2121	2140	213	2047	1427	121	2915	2825	209	2067	2164	99	4840	4822	258
21.	पंजाब	984	721	65	1963	2003	243	1061	796	209	1871	1650	420	1163	845	123	2159	2132	355
22.	राजस्थान	8113	4953	1197	8027	8015	2228	10371	5985	1275	9326	9344	2247	11145	6192	1042	9113	9096	2115
23.	सिक्किम	5	8	0	5	8	0	6	8	6	12	8	9	3	3	0	4	3	0
24.	तमिलाडु	1648	1477	307	3351	3188	602	1460	1112	238	2697	2714	656	1570	1165	211	2981	2860	519
25.	त्रिपुरा	735	694	49	1064	906	34	815	778	34	1760	1249	57	937	781	39	1172	873	67
26.	उत्तर प्रदेश	8312	5837	2345	27984	22114	9232	8566	6082	2268	31807	23846	9685	7978	5776	3024	29853	22468	11741
27.	उत्तराखंड	340	258	106	570	603	550	361	294	82	890	787	280	334	264	64	625	588	518
28.	पश्चिम बंगाल	13663	10225	196	17521	16123	224	16112	13647	134	13884	13473	231	17796	16946	148	18387	19464	211
	कुल राज्य	79860	63861	7666	163986	153017	22947	88175	70506	7294	173647	158515	21000	92574	77704	7672	179476	169880	23678
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26	20	0	2	33	0	21	16	0	35	38	0	9	9	0	12	22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30.	चंडीगढ़	49	27	1	80	43	3	51	7	7	28	35	15	41	27	7	18	20	9
31.	दादरा और नगर हवेली	4	5	0	11	11	0	3	0	0	0	0	0	3	3	2	14	9	3
32.	दमण और दीव	5	4	0	20	20	0	3	2	0	4	4	0	3	2	0	6	5	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1387	879	43	725	1340	127	1283	1046	78	658	1052	103	1404	838	83	878	838	147
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2		0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	12	6	0	16	13	0	10	17	1	21	26	2	7	7	0	9	9	0
	कुल संघ शासित	1484	941	44	875	1460	130	1371	1090	86	748	1157	120	1467	886	92	937	903	159
	कुल अखिल भारत	81344	64802	7710	164861	154477	23077	89546	71596	7380	174395	159672	21120	94041	78590	7764	180413	170783	23837

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षो वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराध के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	24111	20107	2948	35831	35377	4507	25569	20907	2668	36465	34101	4118	27244	23851	3166	38570	39417	4472
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	122	18	180	139	25	164	147	25	182	158	25	190	117	11	197	138	12
3.	असम	8122	4776	436	8531	5814	1007	9721	5324	622	11810	6435	892	11555	6293	522	12996	7496	833
4.	बिहार	8662	5654	881	14223	12348	1603	8803	5423	788	14457	12000	1822	8471	5281	861	13134	12422	1554
5.	छत्तीसगढ़	3962	3796	682	6026	5896	1097	4002	3928	669	6337	6259	866	4176	3917	660	6577	6481	1343
6.	गोवा	130	89	22	176	144	49	164	97	20	235	158	27	140	127	13	214	217	16
7.	गुजरात	8616	8165	289	22194	22258	631	8009	7449	236	21170	21336	825	8148	7690	228	20459	20277	974
8.	हरियाणा	5142	3690	869	7421	7397	1407	5312	3726	851	7350	7371	1403	5562	3960	903	7540	7232	1712
9.	हिमाचल प्रदेश	979	796	86	1494	1462	143	954	899	65	1428	1527	122	1028	817	51	1481	1464	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10.	जम्मू और कश्मीर	2295	1617	92	3233	3233	176	2624	2125	207	4095	4086	362	2611	1813	145	3569	3544	215
11.	झारखंड	3183	2584	579	4932	4503	947	3021	2797	1076	4309	4205	1645	3087	2607	618	5172	6031	1156
12.	कर्नाटक	6890	5904	486	12780	11972	1081	7852	6387	368	13941	13432	833	8807	7282	511	151779	13880	868
13.	केरल	8117	7203	553	11353	11410	851	8049	7759	664	11132	11694	1068	9463	8871	637	13253	13471	886
14.	मध्य प्रदेश	14908	14447	4941	26163	26100	10908	15827	15887	3657	28262	28193	6430	16468	16083	4177	27814	27837	7525
15.	महाराष्ट्र	15862	14748	698	38390	37015	1224	15048	1439	3636	41095	39858	1116	15737	14661	585	40377	39236	1073
16.	मणिपुर	211	6	0	147	6	0	194	8	0	183	10	0	190	6	1	141	7	1
17.	मेघालय	208	75	25	161	90	24	237	130	12	178	190	12	261	133	7	228	130	8
18.	मिजोरम	162	147	125	177	159	134	150	160	117	165	235	123	170	171	159	194	210	250
19.	नागालैंड	47	36	24	68	40	26	46	49	26	72	62	54	41	39	33	68	54	18
20.	ओडिशा	8303	6618	633	10910	10760	1185	8120	6576	486	11346	11142	742	8501	8635	485	16112	16298	932
21.	पंजाब	2627	1852	378	4233	3943	779	2631	1849	565	4100	3428	1034	2853	1932	497	4646	4367	1084
22.	राजस्थान	14491	8925	2619	14097	14080	4099	17316	10092	2408	15455	15460	4006	18182	10232	2072	15335	15321	3720
23.	सिक्किम	48	49	9	55	56	9	41	63	19	76	66	25	42	58	6	66	57	5
24.	तमिलनाडु	7220	5834	2104	11345	10304	3185	6051	4858	1596	9450	9499	2977	6708	4780	1749	9649	8841	2809
25.	त्रिपुरा	1416	1292	97	1774	1517	90	1517	1406	87	2727	1910	121	1678	1360	95	2127	1611	144
26.	उत्तर प्रदेश	23569	17802	8900	57874	46420	22787	23254	17364	8555	63332	47745	23471	20169	14401	10307	58330	41235	27706
27.	उत्तराखंड	1151	918	354	1690	1694	1227	1188	999	397	2064	1963	974	1074	864	499	1750	1683	1075
28.	पश्चिम बंगाल	20912	15120	540	24328	22167	650	23307	18648	467	20671	19766	651	26125	23528	435	26549	28005	628
	कुल राज्य	191519	152374	29388	319786	296304	59851	1999171	159450	27287	332087	302289	55744	208681	169509	29613	341727	316962	61116
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	55	0	85	87	0	92	64	2	126	108	2	85	68	0	131	112	0
30.	चंडीगढ़	143	92	22	216	138	39	150	64	43	158	148	69	141	90	44	138	124	57
31.	दादरा और नगर हवेली	28	26	0	64	64	0	20	18	3	20	34	4	30	17	6	46	31	8
32.	दमण और दीव	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33.	दिल्ली संघ शासित	3938	2784	482	3115	4237	856	4251	2569	623	2753	3339	800	4518	2428	586	3040	2852	997
34.	लक्षद्वीप	4	1	1	2	1	1	1	3	0	2	3	0	1	1	0	1	1	0
35.	पुडुचेरी	129	113	17	191	194	27	106	119	19	152	176	47	115	109	21	205	203	48
	कुल संघ शासित	4337	3082	522	3724	4780	923	4633	2844	690	3249	3825	922	4904	2724	657	3612	3365	1110
	कुल अखिल भारत	195856	155456	29910	323510	301084	60774	203804	162294	27977	335336	306114	56666	213585	172233	30270	345339	320327	62226

स्रोतः भारत में अपराध

नोटः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों में लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

*महिलाओं के प्रति कुल अपराध में निम्नलिखित शीर्ष शामिल हैं:- महिलाओं एवं लड़कियों का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, छेड़छाड़, यौन-उत्पीड़न, पति एवं रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता, लड़कियों की खरीद, अनैतिक व्यापार (निवारण अधिनियम), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन अधिनियम और सती निवारण अधिनियम।

वर्ष 2008-2010 के दौरान भ्रूण हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	9	4	0	5	4	0	6	8	1	6	7	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0
5.	छत्तीसगढ़	7	7	1	6	6	2	3	2	2	2	2	2	1	0	2	0	0	1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	4	6	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.	झारखंड	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	2	2	0
12.	कर्नाटक	13	3	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0
13.	केरल	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
14.	मध्य प्रदेश	22	2	3	1	1	3	12	3	0	9	9	0	20	2	4	8	8	6
15.	महाराष्ट्र	3	1	0	6	3	0	1	2	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	2	1	0	1	1	0	6	1	1	2	2	1	8	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	7	5	1	8	8	1
23.	सिक्किम	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	20	0	0	4	0	0	9	2	1	2	4	1	7	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	60	52	24	90	79	34	9	5	15	15	9	20	31	22	24	53	37	34
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	140	75	29	118	104	41	62	21	19	39	36	24	100	45	33	82	67	45
29.	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1
	कुल अखिल भारत	140	75	29	118	104	41	63	22	19	40	37	24	100	45	34	82	67	46

स्रोतः भारत में अपराध

नोटः पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों की हत्या के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	64	65	11	98	99	10	68	69	17	78	80	30	63	52	16	66	82	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	2	1	3	2	1	4	1	0	3	1	0	10	8	2	6	4	2
4.	बिहार	115	103	1	239	205	1	126	109	4	263	235	9	200	122	12	323	257	12
5.	छत्तीसगढ़	45	39	9	47	47	9	44	35	13	53	53	14	51	42	11	68	68	9
6.	गोवा	3	3	2	4	4	7	3	0	0	8	0	0	1	3	0	3	11	0
7.	गुजरात	59	40	3	49	54	3	66	37	5	47	46	5	66	44	3	73	64	4
8.	हरियाणा	21	22	8	40	45	12	19	14	5	18	25	10	22	16	7	18	18	9
9.	हिमाचल प्रदेश	8	5	2	6	6	2	9	7	4	8	3	7	5	5	1	8	8	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
11.	झारखंड	3	0	0	2	0	0	10	6	1	2	1	4	1	1	0	2	2	0
12.	कर्नाटक	71	51	5	59	57	2	56	54	3	56	60	1	43	38	4	46	43	4
13.	केरल	37	36	4	45	59	5	44	33	9	39	39	11	41	48	8	44	57	8
14.	मध्य प्रदेश	85	78	51	151	150	133	115	102	49	167	166	71	124	107	51	176	171	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15.	महाराष्ट्र	175	146	9	192	215	9	181	121	12	187	161	22	211	149	11	251	227	12
16.	मणिपुर	6	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	5	0	5	5	0	6	4	0	2	0	0	2	1	1	2	1	1
18.	मिजोरम	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	13	18	1	18	20	1	8	10	1	13	13	1	9	9	3	15	15	3
21.	पंजाब	32	22	11	41	38	23	71	46	16	98	66	21	37	42	17	53	64	20
22.	राजस्थान	93	64	14	84	80	16	95	77	20	92	93	19	75	37	11	48	47	26
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	1	3	4	0	13	14	0
24.	तमिलनाडु	71	52	24	78	72	39	74	79	16	84	93	19	73	56	36	90	73	46
25.	त्रिपुरा	12	6	1	13	6	1	12	5	0	18	14	0	2	5	4	2	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	316	221	211	553	444	457	363	288	217	619	538	424	315	257	239	590	510	436
27.	उत्तराखंड	3	5	4	4	10	14	5	4	4	7	7	17	3	4	4	3	3	5
28.	पश्चिम बंगाल	18	8	1	22	12	1	20	10	1	16	10	2	16	7	1	32	9	1
	कुल राज्य	1251	992	374	1753	1631	747	1411	1113	398	1879	1705	688	1377	1059	442	1934	1754	693
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
33.	दिल्ली संघ शासित	41	40	3	60	60	6	73	66	10	60	66	17	29	16	12	45	4	28
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	1	0	0	1	0	0	1	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	45	44	4	69	70	7	77	71	11	64	72	20	31	16	13	47	48	30
	कुल अखिल भारत	1296	1036	378	1822	1701	754	1488	1184	409	1943	1777	708	1408	1075	455	1981	1802	723

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षो वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के साथ बलात्कार के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2008						2009						2010					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	412	396	33	484	485	48	416	344	25	492	426	36	446	453	25	559	564	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	7	0	9	7	0	16	16	0	15	6	0	12	15	0	14	13	0
3.	असम	27	11	1	14	19	1	10	7	1	11	17	1	39	19	1	24	13	4
4.	बिहार	91	92	5	96	109	5	63	67	3	66	75	8	114	75	5	112	98	2
5.	छत्तीसगढ़	411	401	71	436	434	87	394	396	96	431	426	87	382	361	103	426	430	89
6.	गोवा	18	15	5	33	15	5	30	18	6	38	33	6	23	33	2	35	51	2
7.	गुजरात	99	90	8	141	144	25	91	88	4	118	114		102	100	5	137	141	6
8.	हरियाणा	70	72	23	110	109	30	116	107	32	115	116	57	107	93	24	121	117	27
9.	हिमाचल प्रदेश	68	47	11	65	51	13	83	80	11	90	83	12	72	76	8	107	115	11
10.	जम्मू और कश्मीर	5	3	2	3	3	2	4	6	0	6	6	0	8	5	0	5	5	0
11.	झारखंड	8	11	1	11	15	1	8	8	3	23	11	14	0	4	0	0	15	0
12.	कर्नाटक	97	87	10	127	104	8	104	105	7	135	141	5	108	98	14	104	112	9
13.	केरल	215	168	12	259	242	14	235	243	16	315	305	19	208	276	18	240	323	18
14.	मध्य प्रदेश	892	877	209	1109	1104	254	1071	1040	223	1331	1324	304	1182	1168	228	1410	1390	291
15.	महाराष्ट्र	690	624	35	905	826	37	612	617	44	797	819	49	747	614	40	936	873	55
16.	मणिपुर	22	0	0	1	0	0	12	1	0	6	0	0	11	1	0	6	1	0
17.	मेघालय	34	24	0	32	28	0	60	22	0	48	25	0	91	36	2	64	47	1
18.	मिजोरम	18	18	0	18	18	0	11	9	0	11	9	0	42	39	20	42	39	30
19.	नागालैंड	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1
20.	ओडिशा	65	57	18	68	62	18	87	78	3	88	90	3	74	80	7	91	92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21.	पंजाब	106	90	35	130	105	39	210	135	47	259	207	56	144	124	47	184	167	59
22.	राजस्थान	420	324	47	362	361	46	371	279	60	318	316	44	369	219	46	277	282	63
23.	सिक्किम	12	7	3	12	7	3	14	18	2	14	20	2	14	39	0	11	39	0
24.	तमिलनाडु	187	134	49	176	149	44	182	182	10	199	193	16	203	177	30	208	188	31
25.	त्रिपुरा	104	83	10	97	72	5	83	51	11	52	38	1	107	95	12	93	96	10
26.	उत्तर प्रदेश	900	681	272	1179	934	386	625	506	242	817	724	369	451	390	266	678	598	404
27.	उत्तराखंड	9	10	6	12	15	11	7	6	5	5	7	17	10	10	8	11	11	30
28.	पश्चिम बंगाल	129	70	2	129	73	5	109	44	3	68	61	6	73	57	4	94	69	5
	कुल राज्य	5120	4399	868	6021	5491	1087	5024	4473	854	5868	5602	117	5142	4659	916	5992	5891	1185
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	2	0	10	2	0	12	10	1	28	21	1	15	8	0	23	8	0
30.	चंडीगढ़	10	5	4	12	13	5	21	8	5	20	9	7	16	21	6	27	26	8
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	0	4	3	0	2	3	1	3	4	1	3	3	2	1	1	2
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित	301	292	72	312	359	84	307	263	80	387	385	104	304	277	92	349	419	172
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	4	2	1	4	2	1	1	5	3	1	4	6	3	2	1	5	2	1
	कुल संघ शासित	326	304	77	342	379	90	344	290	90	440	424	117	342	312	101	406	457	183
	कुल अखिल भारत	5446	4703	945	6363	5870	1177	5368	4763	944	6308	6026	1236	5484	4971	1017	6398	6348	1368

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षो वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों का अपहरण एवं व्यपहरण के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	433	380	11	563	619	35	632	467	22	638	552	55	581	480	35	589	645	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	11	0	11	11	0	17	13	0	12	13	0	5	8	0	11	4	0
3.	असम	7	13	1	9	16	2	5	6	0	7	6	0	17	2	0	11	4	0
4.	बिहार	46	328	15	931	694	17	722	364	7	988	740	17	1359	631	11	1839	1260	25
5.	छत्तीसगढ़	96	94	16	105	104	10	121	103	26	102	106	16	186	160	17	200	196	22
6.	गोवा	24	8	0	28	9	0	21	14	2	24	27	2	14	10	1	12	18	2
7.	गुजरात	521	421	14	606	618	18	503	377	8	528	549	11	565	414	9	607	554	16
8.	हरियाणा	104	82	17	89	92	22	149	77	15	121	114	29	123	90	23	116	120	31
9.	हिमाचल प्रदेश	78	39	4	69	59	6	72	51	8	67	53	5	86	38	1	72	71	5
10.	जम्मू और कश्मीर	3	4	0	4	4	0	10	1	0	1	1	0	5	2	1	3	3	1
11.	झारखंड	18	11	1	36	25	1	8	3	3	10	9	3	6	6	0	1	13	0
12.	कर्नाटक	99	41	1	69	61	1	67	63	0	92	80	0	125	70	4	167	155	6
13.	केरल	87	72	2	93	111	2	83	64	4	105	82	4	111	100	4	109	136	5
14.	मध्य प्रदेश	264	246	53	357	351	82	427	329	49	547	542	74	440	364	80	527	505	101
15.	महाराष्ट्र	598	476	13	699	627	17	534	479	17	626	624	19	749	470	7	844	702	11
16.	मणिपुर	61	0	0	5	0	0	52	0	0	34	0	0	60	0	0	33	0	0
17.	मेघालय	21	7	0	12	11	0	9	5	0	4	7	0	16	11	0	10	7	0
18.	मिजोरम	2	2	0	1	1	0	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1
19.	नागालैंड	3	1	0	3	1	0	0	1	0	0	1	0	7	5	4	7	5	4
20.	ओडिशा	8	11	0	24	29	0	30	17	0	36	31	0	51	35	1	39	40	1
21.	पंजाब	184	95	11	160	143	12	355	143	21	451	211	31	373	176	31	424	303	55
22.	राजस्थान	504	226	29	251	247	35	761	349	43	465	468	57	706	254	40	382	370	81
23.	सिक्किम	3	1	1	1	1	1	6	3	3	4	3	3	5	10	0	8	10	0
24.	तमिलनाडु	275	181	19	216	231	19	300	190	7	325	255	12	459	216	15	343	290	22
25.	त्रिपुरा	23	17	2	25	24	2	2	13	0	1	4	0	22	11	1	37	28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26.	उत्तर प्रदेश	2224	1308	532	3043	2061	928	1535	1046	531	2370	1913	933	1225	898	649	1937	1570	1093
27.	उत्तराखंड	24	21	9	39	47	11	10	8	6	11	16	13	9	9	4	18	18	6
28.	पश्चिम बंगाल	196	136	2	154	165	5	199	105	3	167	131	1	332	221	8	377	231	8
	कुल राज्य	6369	4232	753	7603	6362	1226	6641	4292	776	7741	6540	1286	7637	4691	947	8718	7260	1544
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	5	0	9	9	0	10	2	0	5	2	0	9	7	0	13	7	0
30.	चंडीगढ़	36	13	7	39	15	8	27	15	7	15	18	9	23	20	5	17	18	5
31.	दादरा और नगर हवेली	11	7	0	17	9	0	8	8	2	11	17	3	10	4	0	11	7	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित	1208	335	46	388	353	68	2248	381	65	326	385	35	2982	342	62	318	359	77
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	14	4	0	10	5	0	11	12	0	14	13	0	8	9	1	8	12	1
	कुल संघ शासित	1281	364	53	463	391	76	2304	418	74	371	435	47	033	382	68	367	403	83
	कुल अखिल भारत	7650	4596	806	8066	6753	1302	8945	4710	850	8112	6975	1333	10670	5073	1015	9085	7663	1627

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षो वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

वर्ष 2008-2010 के दौरान बच्चों के प्रति कारित कुल अपराध के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य	2008						2009						2010					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आन्ध्र प्रदेश	1321	1137	127	1661	1726	178	1719	1267	121	2065	1789	195	1823	1599	155	2046	2154	205
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	18	0	20	18	0	33	29	0	27	29	0	20	26	0	21	20	0
3.	असम	183	93	18	112	109	15	44	77	12	48	70	7	197	82	7	132	51	9
4.	बिहार	766	561	26	1363	1086	36	1016	598	18	1468	1170	45	1843	900	35	2414	1718	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	छत्तीसगढ़	1167	1099	278	1271	1266	305	1319	1273	251	1497	1498	283	1463	1378	332	1668	1648	303
6.	गोवा	80	53	11	104	61	18	92	63	15	123	111	15	79	80	9	80	119	11
7.	गुजरात	1074	788	60	1197	1210	141	968	677	42	980	995	138	1006	691	26	1058	994	51
8.	हरियाणा	269	227	58	328	334	81	353	235	70	317	318	122	303	228	67	274	274	90
9.	हिमाचल प्रदेश	205	130	23	189	165	29	221	182	31	232	202	37	246	175	10	269	269	17
10.	जम्मू और कश्मीर	10	10	5	10	10	5	18	8	2	8	8	2	17	12	1	17	17	1
11.	झारखंड	71	57	5	141	98	5	61	51	20	149	108	47	54	53	3	44	74	3
12.	कर्नाटक	388	235	18	324	285	13	308	260	10	315	315	6	409	275	23	389	358	20
13.	केरल	549	441	29	666	725	33	587	513	44	698	658	51	596	689	54	698	838	57
14.	मध्य प्रदेश	4259	4035	1073	5620	5574	1866	4646	4315	1100	5838	5813	1477	4912	4632	1384	5846	5788	1803
15.	महाराष्ट्र	2709	2033	89	3082	2937	110	2894	2280	119	3086	2950	162	3264	2390	92	3759	3456	130
16.	मणिपुर	89	0	0	6	0	0	72	1	0	40	0	0	73	1	0	39	1	0
17.	मेघालय	62	40	0	53	48	0	83	40	0	66	42	0	110	51	3	77	56	2
18.	मिजोरम	22	23	1	21	22	1	14	12	2	15	13	1	50	46	22	50	46	32
19.	नागालैंड	3	1	0	6	1	0	0	1	0	0	1	0	10	7	5	10	7	5
20.	उड़ीसा	141	134	20	199	200	20	194	164	4	200	197	4	194	174	12	218	220	14
21.	पंजाब	389	243	67	385	328	88	729	368	102	891	547	132	627	376	112	700	580	158
22.	राजस्थान	1223	643	91	732	723	98	1407	719	125	899	901	122	1318	542	103	749	741	173
23.	सिक्किम	24	19	5	14	26	6	40	29	8	33	31	8	29	56	0	34	66	0
24.	तमिलनाडु	666	439	115	566	537	136	634	51	58	659	55	64	810	512	116	703	613	129
25.	त्रिपुरा	163	117	21	160	116	11	163	106	18	100	68	8	227	172	21	216	191	20
26.	उत्तर प्रदेश	4078	2585	1325	5760	4113	2339	3085	2224	1278	4736	3876	2216	2332	1808	1456	3662	3090	2490
27.	उत्तराखंड	38	39	32	58	76	62	33	25	21	36	43	57	31	32	26	45	45	58
28.	पश्चिम बंगाल	513	322	13	453	389	22	484	225	10	375	277	14	880	49	44	1009	542	51
	कुल राज्य	20486	15522	3510	24498	22183	5618	21216	16243	3481	24901	22625	5213	22923	17486	4118	26227	23976	5881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	47	30	0	52	40	0	41	29	6	63	49	7	51	38	0	61	38	0
30.	चंडीगढ़	66	20	13	59	29	17	71	36	19	64	44	27	59	60	13	66	73	15
31.	दादरा और नगर हवेली	17	13	1	25	17	1	11	11	3	15	21	4	13	7	2	2	8	2
32.	दमण और दीव	4	2	0	10	5	0	2	1	0	1	1	0	2	2	1	4	4	2
33.	दिल्ली संघ शासित	1854	899	206	1097	1012	320	2839	905	203	985	1178	212	3630	815	198	1020	1163	308
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	26	12	2	25	13	2	21	26	3	20	29	6	16	12	2	22	23	2
	कुल संघ शासित	2014	976	222	1268	1116	340	2985	1008	234	1148	1322	256	3771	934	216	1185	1309	329
	कुल अखिल भारत	22500	16498	3732	25766	23299	5958	24201	17251	3715	26049	23947	5469	26694	18420	4334	27412	25285	6210

*बच्चों के प्रति कुल अपराधों में ये शीर्ष शामिल हैं:- भ्रूण हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, आत्महत्या, के लिए प्रेरित करना, बच्चों का परित्याग एवं छोड़ना, अव्यस्क लड़कियों की खरीद, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना एवं बच्चों के प्रति किए गए अन्य अपराध।

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामले में पूर्व वर्षों वे लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

भ्रामक विज्ञापन

***5. श्री भूपेन्द्र सिंह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए एक ऐसे निकाय की स्थापना करने का है जिसके पास दंड देने की शक्ति होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में विनियामक तंत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विनियामक निकाय की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) ऐसे अनेक कानून हैं जिनमें कम्पनियों द्वारा उनके उत्पादों के संबंध में किए गए भ्रामक दावों और विज्ञापनों से निपटने के लिए उपबंध हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (स्वास्थ्य मंत्रालय)

(2) औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1955 (स्वास्थ्य मंत्रालय)

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (स्वास्थ्य मंत्रालय)

(4) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 20003 (स्वास्थ्य मंत्रालय)

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित)

(6) इसके अलावा, निजी सेटेलाइट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन कोड के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

चूंकि उपर्युक्त कानून को अनेक मंत्रालय/विभाग प्रशासित कर रहे हैं, उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने वाले भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरे एक जगह उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता मामले विभाग ने भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ताओं पर उनके दुष्प्रभावों के मामले को समझा है। विषय से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों, प्रख्यात पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों और उपभोक्ता कार्यकर्ताओं की एक बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2011 को आयोजित की गई थी। बैठक में मामले से निपटने के विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।

फर्जी पासपोर्ट

***6. श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों/बंदरगाहों पर जाली/फर्जी पासपोर्ट/दस्तावेजों के साथ यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जाली/फर्जी पासपोर्ट के मामलों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सात प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, मुम्बई और अमृतसर पर पकड़े गए फर्जी वीजा तथा पासपोर्टों से संबंधित मामलों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या
1.	2008	1246
2.	2009	1292
3.	2010	1419

जब कभी भी फर्जी/जाली अथवा पासपोर्टों के ऐसे मामले पकड़े जाते हैं, तब इनकी जांच के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है। जांच के पश्चात दोषी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। इन फर्जी/जाली दस्तावेजों को तैयार करने में संलिप्त दोषी व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार समुचित कारवाई की जाती है।

फर्जी/जाली दस्तावेजों के आधार पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) यात्रा दस्तावेजों की विशेषताओं की जांच करने के लिए सभी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मैगनीफाइंग ग्लासेज तथा अल्ट्रा वायलेट लैम्पों का उपयोग;

(ii) बेहतर सुरक्षा विशेषताओं के साथ मशीन द्वारा पठनीय (मशीन रीडेबल) पासपोर्टों और वीजा को जारी करना;

(iii) यात्रा दस्तावेजों में परिष्कृत जालसाजियों को पकड़ने के लिए प्रमुख आई सी पी पर पासपोर्टों रीडिंग मशीनों (पी आर एम) को स्थापित करना;

(iv) पासपोर्टों की प्राथमिकता के सत्यापन के लिए क्वेसचनेबल डाक्यूमेंट एक्जामिनर (क्यू डी एक्स) मशीनों का प्रतिष्ठापन;

(v) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) साफ्टवेयर, जो पासपोर्ट विवरण का सत्यापन करता है, का प्रतिष्ठान ताकि दूसरे व्यक्ति द्वारा इसके इस्तेमाल को रोका जा सके;

(vi) फर्जी/जाली यात्रा दस्तावेजों की पहचान के लिए नियमित आधार पर हवाई अड्डों के आप्रवासन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों और तिलहनों का उत्पादन

7. **श्री अर्जुन राय:**
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों और तिलहनों का उत्पादन चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में उक्त मदों का निर्यात किया गया है;

(घ) देश में खाद्यान्नों और तिलहनों के मूल्यों का स्थिर रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) देश में उक्त फसलों के लक्षित/उच्च उत्पादन को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) 2011-12 (केवल खरीफ) के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार मौजूदा वर्ष के लिए देश में खाद्यान्नों एवं तिलहनों के निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में उनके अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मद	2011-12 का उत्पादन लक्ष्य (खरीफ) मिलियन टन	2011-12 (खरीफ) अनुमानित उत्पादन मिलियन टन
खाद्यान्न	126.24	123.95
तिलहन	22.10	20.88

(ख) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2011-12 (खरीफ) के दौरान मुख्य फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के राज्यवार एवं फसलवार ब्यौरे संलग्न विवरण I से IX में दिए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के लिए खाद्यान्नों एवं तिलहनों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

मद विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु)
दलहन	136275	540.22	99915	407.35	204848	848.86
चावल बासमती	1556409	9477.03	2016869	10889.60	2183507	10578.68
चावल (बासमती से अलग)	931885	1687.37	139544	365.30	99286	222.21
गेहूं	1119	1.46	30	0.05	349	0.60
अन्य अनाज	3999650	3920.58	2892415	2973.19	3189811	3604.44
तिलहन	608274	3029.020	611764	3083.62	811861	4433.49

(घ) सरकार ने देश में अनिवार्य जिन्सों के मूल्यों स्थिर करने के लिए अनेक वित्तीय एवं प्रशासनिक उपाय किये हैं यथा विभिन्न जिंसों के आयात शुल्कों में कमी, शुल्क मुक्त आयातों को अनुमति प्रदान करना तथा कच्ची/रिफाईन्ड चीनी की लेवी बाध्यताओं को हटाना, खाद्य योग्य तेलों (नारियल तेल एवं वन आधारित तेल के अलावा) तथा दलहनों (अधिकतम 10,000 टन प्रति वर्ष तक काबूली चना एवं कार्बनिक दलहनों के अलावा) के निर्यात पर प्रतिबंध तथा 30 सितम्बर, 2012 तक दलहनों, तिलहनों एवं 30

नवम्बर, 2011 तक चीनी के मामले में भण्डार की सीमित आदेशों को बढ़ाना, समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों का आबंटन।

(ङ) देश में खाद्यान्नों एवं तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम), सूक्ष्म कृषि प्रबंधान के तहत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत से हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी थी। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामत: असम तथा झारखंड को शामिल करने के साथ 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक फसल के लिए 1000 हेक्टेयर के 1000 एककों को शामिल करने के उद्देश्य से ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में 'त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)' नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

विवरण-I

चावल का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	14241.0	10538.0	14385.0	7700.0	3246	3062	3028	2800
अरूणाचल प्रदेश	163.9	215.8	#	#	1293	1777	#	#
असम	4008.5	4335.8	4752.0	4344.4	1614	1737	2054	2032
बिहार	5590.3	3599.3	3320.2	5114.0	1599	1120	1090	1563
छत्तीसगढ़	4391.8	4110.4	6159.0	6160.3	1176	1120	1663	1663
गोवा	123.3	100.6	#	#	2466	2136	#	#
गुजरात	1303.0	1292.0	1523.0	1436.0	1744	1903	2001	2000
हरियाणा	3298.0	3625.0	3472.0	3422.0	2726	3008	2789	2840
हिमाचल प्रदेश	118.3	105.9	131.2	106.3	1523	1381	1702	1378
जम्मू और कश्मीर	563.1	497.4	507.7	504.4	2186	1914	1942	1935
झारखंड	3420.2	1538.4	1136.9	3191.6	2031	1546	1556	1949
कर्नाटक	3802.0	3691.0	4047.0	2551.0	2511	2482	2716	2489
केरल	590.3	598.3	542.9	327.2	2519	2557	2547	2424
मध्य प्रदेश	1559.7	1260.6	1772.1	1771.5	927	872	1106	1106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	2284.0	2183.0	2669.0	2617.0	1501	1485	1757	1799
मणिपुर	397.0	319.9	#	#	2357	1889	#	#
मेघालय	203.9	206.7	#	#	1886	1911	#	#
मिजोरम	46.0	44.4	#	#	885	940	#	#
नागालैंड	345.1	240.3	#	#	1994	1426	#	#
उड़ीसा	6812.7	6917.5	6858.2	5284.4	1529	1585	1621	1511
पंजाब	11000.0	11236.0	10837.0	10863.0	4022	4010	3828	3950
राजस्थान	241.1	228.3	265.6	225.0	1807	1515	2025	2025
सिक्किम	21.7	24.3	#	#	1476	1869	#	#
तमिलनाडु	5182.7	5665.2	6139.4	6034.1	2683	3070	3078	3207
त्रिपुरा	627.1	640.0	#	#	2586	2607	#	#
उत्तर प्रदेश	13097.0	10807.1	12014.1	12672.0	2171	2084	2119	2181
उत्तराखंड	582.0	608.0	545.0	570.0	1966	2068	1879	2065
पश्चिम बंगाल	15037.2	14340.7	12332.5	10522.5	2533	2547	2608	2450
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.1	24.9	#	#	2797	3059	#	#
दादरा और नगर हवेली	23.4	13.5	#	#	1721	1076	#	#
दिल्ली	31.4	29.0	#	#	4243	4252	#	#
दमन और दीव	3.8	3.3	#	#	2111	1650	#	#
पुडुचेरी	50.8	52.4	#	#	2442	2504	#	#
अन्य	एन.ए	एन.ए.	1915.2	1685.6	एन.ए	एन.न	1973	1865
अखिल भारत	99182.4	89093.0	95325.1	87102.3	2178	2125	2240	2207

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.09.2011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य के दौरान एन.ए उपलब्ध नहीं

विवरण-II

गेहूं का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टनों में)			उत्पादकता (कि.ग्रा/हैक्टेयर)		
	2008-09	2009-2010	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	16.0	10.0	10.0	1143	1000	1000
अरूणाचल प्रदेश	5.2	4.8	#	1576	1505	#
असम	54.6	63.5	64.0	1090	1087	1164
बिहार	4410.0	4570.8	4670.0	2043	2084	2084
छत्तीसगढ़	92.5	121.9	126.8	1040	1086	1144
गुजरात	2593.0	2352.0	3854.1	2377	2679	2990
हरियाणा	10808.2	10500.0	11040.9	4390	4213	4390
हिमाचल प्रदेश	547.3	327.1	670.0	1520	928	1877
जम्मू और कश्मीर	483.6	289.9	289.9	1735	1003	1003
झारखंड	153.9	173.2	151.4	1541	1738	1498
कर्नाटक	247.0	251.0	245.0	918	887	965
केरल	6521.9	8410.0	7627.1	1723	1967	1757
मध्य प्रदेश	1516.0	1740.0	2292.0	1483	1610	1730
महाराष्ट्र	0.7	0.7	#	1750	1773	#
नागालैंड	2.1	2.4	#	1500	1200	#
उड़ीसा	7.4	5.8	4.7	1396	1450	1466
पंजाब	15733.0	15169.0	15828.6	4462	4307	4507
राजस्थान	7287.0	7500.9	7214.5	3175	3133	2910
सिक्किम	7.8	5.9	#	1345	1135	#
त्रिपुरा	1.2	1.3	#	2000	1984	#
उत्तर प्रदेश	28554.0	27518.0	30001.0	3002	2846	3113
उत्तराखंड	797.0	854.0	887.0	2003	2139	2340
पश्चिम बंगाल	764.5	846.7	842.0	2490	2680	2640

1	2	3	4	5	6	7
दादरा और नगर हवेली	1.1	1.0	#	1833	1500	#
दिल्ली	74.4	92.7	#	4351	4352	#
अन्य	एन.ए	एन.ए	108.8	एन.ए	एन.ए	2358
अखिल भारत	80679.4	80803.6	85927.8	2907	2839	2938

*19.07.2011के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल एन.ए.-उपलब्ध नहीं

रबी फसल के रूप में दूसरे अग्रिम अनुमान के जारी होने के बाद 2011.12 के लिए गेहूं के अनुमान उपलब्ध होंगे।

विवरण-III

मोटे अनाज का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	4716.0	3318.0	4348.8	1744.0	3713	2586	3828	2729
अरूणाचल प्रदेश	77.7	78.6	#	#	1192	1209	#	#
असम	15.4	17.2	17.0	16.0	675	659	680	640
बिहार	1751.3	1508.1	1338.2	549.8	2577	2277	2137	1871
छत्तीसगढ़	184.4	181.8	205.4	199.8	657	669	1346	1336
गोवा	0.8	0.8	#	2667	2667	#	#	#
गुजरात	1976.0	1600.0	1755.2	1390.9	1371	1140	1297	1383
हरियाणा	1329.4	1132.0	1369.0	959.0	1760	1592	1755	1549
हिमाचल प्रदेश	712.1	563.5	713.5	700.7	2166	1736	2184	2300
जम्मू और कश्मीर	660.4	513.3	550.7	522.5	1819	1438	1576	1532
झारखंड	333.9	216.9	268.2	384.4	1266	1043	1185	1425
कर्नाटक	624.0	5895.0	7501.0	6107.7	1742	1591	2063	2533
केरल	1.7	2.2	0.7	0.3	531	751	745	877
मध्य प्रदेश	2149.9	2041.2	2166.3	2073.8	1140	1136	1234	1252
महाराष्ट्र	5971.6	6293.3	6959.0	4057.3	1031	1017	1209	1458
मणिपुर	11.5	11.7	#	#	2674	3436	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	27.8	28.2	#	#	1426	1441	#	#
मिजोरम	9.3	11.5	#	#	969	1353	#	#
नागालैंड	127.3	76.8	#	#	1666	985	#	#
उड़ीसा	191.7	230.4	364.0	280.1	1180	1357	1722	1418
पंजाब	575.1	527.1	540.0	501.0	3284	3315	3624	3432
राजस्थान	7325.7	3907.2	7995.5	6372.2	1031	541	1038	969
सिक्किम	66.2	74.2	#	#	1424	1579	#	#
तमिलनाडु	1755.1	1642.0	1878.2	1024.7	2424	2516	2365	2314
त्रिपुरा	2.0	2.0	#	#	952	1006	#	#
उत्तर प्रदेश	3080.2	2968.8	3216.6	2825.4	1550	1541	1562	1520
उत्तराखंड	347.0	297.0	334.0	344.0	1280	1160	1305	1410
पश्चिम बंगाल	365.4	404.0	407.9	127.6	3319	3531	3720	2048
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.6	0.4	#	#	3000	2000	#	#
दादरा और नगर हवेली	2.7	1.9	#	#	1227	935	#	#
दिल्ली	11.7	3.3	#	#	1114	994	#	#
दमन और दीव	3.8	0.5	#	#	2000	1667	#	#
पुडुचेरी	0.2	0.2	#	#	2000	1972	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	290.1	238.2	एन.ए	एन.ए	1255	1338
अखिल भारत	40037.9	33549.2	42219.2	30424.4	1459	1212	1528	1504

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.092011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए उपलब्ध नहीं

विवरण-IV

कुल दालों का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1448.0	1429.0	1439.0	300.0	818	740	676	421
अरूणाचल प्रदेश	9.0	9.7	#	#	1059	1090	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	64.5	64.6	63.0	5.0	567	560	543	714
बिहार	649.1	472.4	555.6	91.4	801	836	918	1130
छत्तीसगढ़	498.6	488.7	535.6	96.9	580	604	626	452
गोवा	10.2	8.5	#	#	1030	1076	#	#
गुजरात	609.0	517.0	720.0	470.0	777	705	845	822
हरियाणा	178.1	100.0	159.0	39.0	980	758	898	780
हिमाचल प्रदेश	23.5	20.7	16.5	10.6	758	681	550	503
जम्मू और कश्मीर	14.2	13.6	23.2	15.4	464	456	515	562
झारखंड	280.7	223.7	267.1	179.8	724	709	656	746
कर्नाटक	972.0	1118.0	1497.0	640.1	466	451	555	474
केरल	6.3	10.3	5.1	1.6	818	991	1354	938
मध्य प्रदेश	3683.1	4304.6	3391.4	450.6	808	871	655	399
महाराष्ट्र	1656.0	2370.0	3146.0	1579.8	537	702	773	796
मणिपुर	6.5	7.2	#	#	504	497	#	#
मेघालय	3.9	3.5	#	#	867	872	#	#
मिजोरम	3.6	6.5	#	#	900	1667	#	#
नागालैंड	39.7	34.7	#	#	1203	1036	#	#
ओडिशा	387.3	399.4	414.1	237.4	481	461	486	475
पंजाब	21.7	18.0	18.4	17.1	908	869	902	895
राजस्थान	1826.4	713.7	3216.4	1429.5	497	204	683	542
सिक्किम	11.8	12.9	#	#	937	977	#	#
तमिलनाडु	164.5	204.2	269.0	68.5	307	382	407	359
त्रिपुरा	4.4	4.5	#	#	721	703	#	#
उत्तर प्रदेश	1998.1	1901.4	2012.0	664.1	899	748	829	719
उत्तराखंड	39.0	46.0	52.0	39.0	609	719	825	907
पश्चिम बंगाल	128.5	150.3	161.2	38.9	704	826	839	634
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.2	1.8	#	#	571	621	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादरा और नगर हवेली	5.5	4.9	#	#	859	828	#	#
दिल्ली	0.7	0.8	#	#	2333	2000	#	#
दमन और दीव	1.1	1.1	#	#	846	846	#	#
पांडिचेरी	0.5	0.3	#	#	200	155	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	105.0	33.4	एन.ए.	एन.ए.	892	944
अखिल भारत	14566.7	14661.9	18093.5	6426.0	659	630	689	593

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.09.2011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए उपलब्ध नहीं

विवरण-V

कुल खाद्यान्नों का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	20421.0	15295.0	20182.8	9744.0	2294	2294	2514	2375
अरूणाचल प्रदेश	255.8	308.9	#	#	1255	1555	#	#
असम	4143.0	4481.1	4896.1	4365.4	1551	1662	1951	2012
बिहार	12220.7	10150.6	9884.0	5755.02	1766	1530	1516	1578
छत्तीसगढ़	5167.3	4902.8	7026.8	6457.0	1041	1008	1457	1587
गोवा	134.3	109.9	#	#	2231	1987	#	#
गुजरात	6481.0	5761.0	7852.3	3296.9	1595	1560	1845	1436
हरियाणा	15613.7	15357.0	16040.9	4420.0	3388	3383	3401	2359
हिमाचल प्रदेश	1401.2	1017.2	1531.1	8917.7	1757	1297	1936	2029
जम्मू और कश्मीर	1721.3	1314.2	1371.5	1042.3	1851	1405	1252	1748
झारखंड	4188.7	2152.2	1823.6	3755.8	1720	1330	1245	1748
कर्नाटक	11275.0	10955.0	13290.0	9298.9	1511	1377	1645	1943
केरल	598.3	610.8	548.7	329.0	2440	2470	2519	2402
मध्य प्रदेश	13914.6	16016.4	14957.0	4295.9	1168	1285	1161	980
महाराष्ट्र	11427.6	12586.3	15066.0	8272.1	1001	1039	1189	1325
मणिपुर	415.0	338.9	#	#	2236	1796	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	236.3	239.1	#	#	1781	1809	#	#
मिजोरम	58.9	62.4	#	#	898	1047	#	#
नागालैंड	514.2	345.2	#	#	1811	1256	#	#
उड़ीसा	7399.1	7553.1	7641.0	5801.9	1363	1397	1442	1383
पंजाब	27329.8	26950.1	27224.00	11381.1	4231	4144	4180	3904
राजस्थान	16680.2	12350.1	18691.9	8031.7	1263	931	1244	861
सिक्किम	107.5	117.3	#	#	1351	1496	#	#
तमिलनाडु	7102.3	7511.4	8313.6	7127.3	2225	2477	2364	2384
त्रिपुरा	634.7	647.9	#	#	2526	2544	#	#
उत्तर प्रदेश	46729.3	43195.3	47243.7	16161.5	2365	2236	2387	1881
उत्तराखण्ड	1765.0	1796.0	1818.0	953.0	1715	1780	1840	1693
पश्चिम बंगाल	16295.6	15741.6	13743.8	10689.0	2493	2522	2570	2419
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.9	27.1	#	#	2343	2420	#	#
दादरा और नगर हवेली	32.7	21.3	#	#	1434	1008	#	#
दिल्ली	118.2	125.8	#	#	3348	3955	#	#
दमन और दीव	8.7	4.9	#	#	1740	1361	#	#
पुडुचेरी	51.5	52.9	#	#	2201	2299	#	#
अन्य	एन.ए	एन.ए.	2419.1	1957.2	एन.ए	एन.ए.	1788	1729
अखिल भारत	234466.4	218107.7	241565.7	123952.7	1909	1798	1921	1757

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.092011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए उपलब्ध नहीं

विवरण-VI

मूंगफली का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1554.1	1006.0	1458.0	653.0	880	773	898	650
अरूणाचल प्रदेश	0.5	0.4	#	#	#	#	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	0.9	0.7	1.5	1.8	529	1750	886	1012
छत्तीसगढ़	38.0	39.1	42.4	42.4	1352	1353	1462	1462
गोवा	8.2	8.1	#	#	2158	2778	#	#
गुजरात	2661.0	1757.0	2435.9	2694.0	1395	964	1349	1880
हरियाणा	1.5	2.0	2.0	3.4	750	1000	1000	850
हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1	0.1	1000	670	742	एन.ए.
झारखंड	18.4	10.7	13.3	20.4	836	756	700	863
कर्नाटक	501.0	512.0	727.0	415.3	589	626	836	791
केरल	1.3	1.0	1.8	2.0	765	763	1230	1253
मध्य प्रदेश	227.6	217.9	301.6	204.7	1140	1158	1496	990
महाराष्ट्र	355.0	359.0	488.0	246.0	1116	1118	1330	1108
नागालैंड	0.7	0.6	#	#	1000	786	#	#
उड़ीसा	96.5	89.2	88.8	29.2	1156	1169	1186	910
पंजाब	2.5	3.1	3.9	3.0	926	1240	1773	1000
राजस्थान	536.8	354.5	681.1	735.1	1670	1087	1963	1963
तमिलनाडु	974.6	889.8	1073.4	468.3	1989	2155	2447	2037
त्रिपुरा	0.5	0.5	#	#	1000	1095	#	#
उत्तर प्रदेश	67.0	61.0	84.0	95.0	705	670	988	990
उत्तराखंड	2.0	2.0	1.0	2.0	2000	2000	1000	1000
पश्चिम बंगाल	118.3	113.0	124.2	2.7	1735	1716	1719	900
पुडुचेरी	1.6	0.9	#	#	2286	2103	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	10.5	3.2	एन.ए.	एन.ए.	2124	1552
अखिल भारत	7168.1	5428.5	7538.4	5621.6	1163	991	1268	1341

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.092011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए.-उपलब्ध नहीं

विवरण VII

रेपसीड और सरसों का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टनों में)			उत्पादकता (कि.ग्रा/हैक्टेयर)		
	2008-08	2009-2010	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	4.0	2.0	3.0	667	500	500
अरूणाचल प्रदेश	23.8	23.8	#	919	919	#
असम	122.9	128.6	136.0	543	525	513
बिहार	81.8	89.4	98.4	959	1008	1067
छत्तीसगढ़	19.6	25.0	21.1	379	419	407
गुजरात	334.0	341.0	330.0	1136	1579	1521
हरियाणा	895.0	849.0	942.0	1738	1655	1869
हिमाचल प्रदेश	2.4	2.5	6.0	270	287	688
जम्मू और कश्मीर	47.2	47.6	47.6	791	788	788
झारखंड	36.2	55.7	56.1	541	578	520
कर्नाटक	2.0	2.0	4.0	400	400	308
मध्य प्रदेश	736.6	848.9	855.1	1034	1074	1148
महाराष्ट्र	2.0	0.2	3.0	333	333	375
मणिपुर	0.2	0.2	#	500	500	#
मेघालय	4.9	4.9	#	681	680	#
मिजोरम	0.3	0.3	#	600	750	#
नागालैंड	26.6	46.9	#	1000	800	#
उड़ीसा	2.5	2.7	3.3	182	211	210
पंजाब	33.0	39.0	40.0	1222	1300	1250
राजस्थान	3502.5	2948.2	3855.1	1234	1276	1188
सिक्किम	4.1	5.3		707	914	#
तमिलनाडु	0.1	0.1	0.3	333	333	243
त्रिपुरा	1.2	1.1		750	767	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	991.9	682.0	717.0		1123	1113		1187
उत्तराखंड	10.0	12.0	7.0		714	800		500
पश्चिम बंगाल	315.3	443.0	455.0		764	1080		1108
दिल्ली	0.6	4.9	#		154	1256		#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	87.4		एन.ए.	एन.ए.		843
अखिल भारत	7200.7	6608.1	7667.3		1143	1183		1179

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल एन.ए. उपलब्ध नहीं

विवरण-VIII

सोयाबीन का राज्यवार तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	194.0	129.0	213.0	172.0	1366	827	1677	1470
अरूणाचल प्रदेश	4.7	3.1	#	#	1433	1183	#	#
छत्तीसगढ़	78.4	103.2	124.4	124.6	987	956	1170	1170
गुजरात	58.0	70.0	64.01	72.0	699	805	800	847
हिमाचल प्रदेश	1.2	0.5	0.8	1.0	1714	850	1432	1598
झारखंड	0.3	0.2	0.1	0.2	333	329	300	एन.ए.
कर्नाटक	91.0	82.0	143.0	138.0	679	446	851	690
मध्य प्रदेश	5849.8	6406.3	6669.8	6568.2	1142	1198	1200	1200
महाराष्ट्र	2756.7	2197.0	4260.0	4194.0	900	728	1582	1373
मेघालय	1.2	1.2	#	#	1091	1109	#	#
मिजोरम	1.1	2.0	#	#	1100	1603	#	#
नागालैंड	36.7	25.0	#	#	1498	1032	#	#
राजस्थान	805.7	914.6	1118.1	1238.3	971	1175	1461	1461

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिक्किम	3.3	4.1	#	#	846	1025	#	#
उत्तर प्रदेश	9.0	8.0	14.0	14.0	818	1143	1273	1273
उत्तराखंड	14.0	18.0	15.0	20.0	1556	1636	1500	1429
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.4	0.3	600	603	625	600
अन्य	एन.ए	एन.ए	35.4	29.7	एन.ए	एन.ए	1067	859
अखिल भारत	9905.4	9964.5	12657.9	12572.3	1041	1024	1325	1264

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.092011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए उपलब्ध नहीं

विवरण-IX

कुल तिलहन का राज्यवार उत्पादन तथा उत्पादकता अनुमान

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (000 टन)				उत्पादकता (कि.ग्रा./हैक्टेयर)			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2189.1	1500.0	1986.0	962.0	842	724	858	694
अरूणाचल प्रदेश	30.5	28.3	#	#	963	928	#	#
असम	137.9	144.7	152.0	10.0	542	526	519	556
बिहार	138.0	144.6	155.2	9.2	999	1042	1072	1070
छत्तीसगढ़	193.5	200.4	217.2	186.2	507	607	686	818
गोवा	8.2	8.1	#	#	2158	2793	#	#
गुजरात	4015.9	3097.0	3911.9	4173.9	1345	1109	1371	1759
हरियाणा	932.8	877.5	964.0	6.0	1723	1645	1856	750
हिमाचल प्रदेश	5.0	3.8	8.4	2.2	365	271	605	560
जम्मू और कश्मीर	49.6	49.7	49.8	2.0	760	763	762	439
झारखंड	73.2	79.6	88.5	24.6	560	563	730	699

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	1212.0	1005.0	1212.0	702.5	556	502	730	699
केरल	1.6	1.2	2.0	2.2	696	632	990	1002
मध्य प्रदेश	6976.9	7636.2	8035.4	6905.8	1075	1129	1143	1153
महाराष्ट्र	3409.7	2814.0	4997.0	4483.3	857	725	1417	1321
मणिपुर	0.7	0.7	#	#	778	778	#	#
मेघालय	7.1	7.0	#	#	676	701	#	#
मिजोरम	2.5	3.0	#	#	781	1071	#	#
नागालैंड	71.5	84.6	#	#	1142	835	#	#
उड़ीसा	180.3	172.1	183.4	95.2	604	589	626	488
पंजाब	76.2	83.4	71.2	6.0	1276	1354	1321	600
राजस्थान	5178.4	4407.2	6090.2	2378.1	1114	1066	1205	1294
सिक्किम	7.4	9.4	#	#	763	959	#	#
तमिलनाडु	1043.0	939.6	1131.9	517.4	1782	1898	2109	1662
त्रिपुरा	2.5	2.5	#	#	714	720	#	#
उत्तर प्रदेश	1164.5	816.0	911.0	197.0	865	753	849	407
उत्तराखंड	26.0	33.0	23.4	24.0	1000	1138	867	1263
पश्चिम बंगाल	582.6	727.1	760.6	162.4	828	1065	1092	829
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	#	#		800	#	#
दिल्ली	0.6	4.9	#	#	154	1256	#	#
पुडुचेरी	1.8	1.1	#	#	2000	1833	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	149.7	36.0	एन.ए.	एन.ए.	900	826
अखिल भारत	27719.0	24881.7	31100.8	20885.9	1006	959	1159	1190

*19.07.2011 के दौरान जारी चौथे अग्रिम अनुमान

$14.092011 के दौरान जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#अन्य में शामिल एन.ए उपलब्ध नहीं

बम विस्फोट

***8 श्री सुरेश कुमार शेटकर:**
श्री यशवीर सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हाल ही में हुई बम विस्फोटों की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आतंकी गतिविधियों में कितने लोग मारे गए/घायल तथा प्रभावितों के लिए कितने मुआवजे की घोषणा की गई थी उन्हें कितना मुआवजा दिया गया

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 से बम विस्फोटों मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों पीड़ितों को दिए गए मुआवजों तथा जांच की स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

सरकार आतंकवाद अतिवाद और अलगाववाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि कोई भी कारण, यथार्थ अथवा काल्पनिक आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नही ठहरा सकता। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; संयुक्त उद्यम या निजी औद्योगिक उपक्रमों में आईसीएसएफ की तैनाती करने के लिए सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन एस जी के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक एन एस जी को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना का सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबिसों घंटे प्रतिदिन(24x7)आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबिसों घंटे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना, आधुनिक एवं, उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जा सके और अभियोजना चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया जा रहा है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

विवरण

वर्ष 2010 से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों/दर्ज किए गए मामलों के साथ-साथ मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों तथा पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा

क्र.सं	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति	मृतक को दिया गया मुआवजा (नजदीकी रिश्तेदार) (लाख में)	घायल व्यक्ति को मुआवजा (लाख में) एजेंसी	दर्ज किए गए मामलों/जांच	मामलों की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	13.02.2010: जर्मन बेकरी पुणे में बम विस्फोट	17	55	85.00	22.00	मामला पंजीकृत करके कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है/ जांच एजेन्सी ए टी एस मुम्बई है।	कोर्ट केस सं. 5183/10 के तहत दिनांक 4 दिसम्बर 2010 को आरोप-पत्र दायर किया गया था।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	29.02.2010: महरौली नई दिल्ली में बम विस्फोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मामले को पंजीकृत कर लिया गया है/ जांच एजेन्सी स्पेशल सैल, दिल्ली पुलिस है।	मामलों की जांच की जा रही है।
3.	17.04.2010 एम.सी. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बंगलौर में बम विस्फोट	शून्य	17	शून्य	3.90	पांच मामले पंजीकृत किए गए हैं। जांच एजेन्सी अपराधा शाखा बंगलौर पुलिस है।	मामलों की जांच की जा रही है।
4.	09.09.2010: जामा मस्जिद दिल्ली के समीप गोलाबारी और बम विस्फोट	शून्य	गोलाबारी की घटना में 2	शून्य	शून्य	मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जांच एजेन्सी स्पेशल सैल दिल्ली पुलिस है।	मामलों की जांच की जा रही है।
5.	07.12.2010: शीतलघाट, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट	2	37	2.00	11.75	मामलों को पंजीकृत कर लिया गया है जांच एजेन्सी ए टी एस, उत्तर प्रदेश है।	-तदैव
6.	25.05.2011 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के बाहर पार्किंग स्थल में बम विस्फोट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जांच एजेन्सी एन आई ए है।	तदैव
7.	13.07.2011: मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट	27	127	75.00	47.30	मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जांच एजेन्सी ए टी एस मुम्बई है।	तदैव
8.	7.9.2011: दिल्ली उच्च न्यायालय में बम विस्फोट	15	67	70.00 (मुख्य मंत्री राहत कोष) 28.00 (प्रधान मंत्री राहत कोष) 36.00 (केन्द्रीय सहायता योजना के तहत)	134.80 मुख्य मंत्री राहत कोष) 6.00(प्रधान मंत्री राहत कोष) 9.00 केन्द्रीय सहायता योजना के तहत)	मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जांच एजेन्सी एन आई ए है	तदैव

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	17.9.2011 आगरा में विस्फोट	शून्य	4	शून्य	4.00(राज्य सरकार द्वारा)	एटीएस (उत्तर प्रदेश की) सहायता से जिला पुलिस द्वारा मामलों की जांच की जा रही है।	तदैव

'न्यूज इवेंट्स' की रिपोर्टिंग

***9. श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित बेबुनियाद और भड़काऊ समाचार रिपोर्ट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी समस्या से निपटने के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग के मानक का पर्यवेक्षण प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद ने विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने के लिए मानदंड एवं दिशानिर्देश तैयार तैयार किए हैं और वह प्रिंट मीडिया द्वारा चूक किए जाने के मामलों में उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का संबंध है केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम,1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विषय-वस्तु का विनियमन किया जाता है। कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में क्रमश: कार्यक्रम विषयवस्तु व विज्ञापन-विषयवस्तु के प्रसारण के मामले में अनुसारित किए जाने वाले दिशानिर्देशों का विस्तारपूर्वक निर्धारण किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) प्रसारण चैनलों की सतत निगरानी करता है और कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के प्रत्यक्षीकृत उल्लंघन के मामलों को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त दर्शकों से प्राप्त होने वाली शिकायतें भी इलेक्ट्रानिक प्रसारणों के भाग के रूप में प्रत्यक्षीकृत आपत्तिजनक साम्रगी की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गृह, रक्षा, विदेश, विधि, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्रालयों तथा भारतीय परिषद (एएससीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं इन मामलों की जांच करती है और उपर्युक्त अधिनियम व नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा करती है। इस संबंध में कोई भी अंतिम कार्रवाई किए जाने से पूर्व संबंधित प्रसारकों/चैनलों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रसारक संघ द्वारा गठित समाचार प्रसारक मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) और भारतीय प्रसारण परिसंघ द्वारा गठित प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद(बीसीसीसी) के रूप में समाचार चैनलों के लिए एक स्व-विनियमन प्रणाली भी कार्यशील है ताकि प्रसारण संबंधी विषय-वस्तु को स्वविनियमन किया जा सके। इन दोनों निकायों के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं और मामलों/शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करनी होती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय लंबित शिकायतों की स्थिति की सतत समीक्षा करता है। इस समय उपयुक्त व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की परिकल्पना नहीं है।

खेल अवसंरचना

***10. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री के.जी.एस.पी. रेड्डी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में क्रिकेट को अत्यधिक महत्व देने और अन्य खेलों की लगभग अनदेखी किए जाने की ओर ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को स्टेडियमें खेल के मैदानों ट्रैकों और खेल प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं सहित खेल अवसंरचना प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में योजना-वार खेल-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/खर्च की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतना सुकर बनाने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और(ख) राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में सभी खेल कवर होते हैं। जिनमें इसके दायरे में आने वाले देशी खेल भी शामिल हैं जहां तक क्रिकेट का संबंध है केंद्रीय सरकार कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। तथापि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार क्रिकेट के लिए आयकर सीमा शुल्क आदि में रियायत प्रदान करती है। राज्य सरकारों ने देश में अनेक स्थानों पर बाजार मूल्य से काफी कीमत पर रियायती दरों पर क्रिकेट स्टेडियमों के लिए भूमि मुहैया करायी है। तथापि अन्यान्य खेल विधाओं के लिए सरकार सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) राज्यों के प्रयासों की संपूर्ती के लिए सरकार ने वर्ष 2010-11 में शहरी खेल अवसंरचना योजना नामक प्रायोजिक स्कीम शुरू की है जिसका उद्देश्य संपूर्ण 'खेल इको प्रणाली' अर्थात खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकाश कोचिंग और अवसंरचना की जरूरत पूरी करना है। इस योजना के अंतर्गत अपेक्षित खेल अवसंरचना स्थापित करने के लिए राज्य सरकारें स्थानीय नागरिक निकाय स्कूल कालेज और विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। स्वीकृत परियोजना और जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए प्रशिक्षण सुविधा के संबंध में भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्रों विशेष खेल केंद्रों और उत्कृष्टता केंद्रों पर अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध है जो पूरे देश में फैले हैं। इन सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 पर दिए गए हैं।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और जारी निधियों के ब्यौरें संलग्न विवरण-3 पर है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता योजना के अंतर्गत विद्या-वार विभिन्न खेलों के लिए जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-4 में दिए गए हैं।

खेल मैदानों को विकसित करने के बारे में सरकार ने फरवरी 2009 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत राष्ट्रीय भारतीय खेल भारतीय खेल मैदान भारतीय खेल मैदान खेल मैदान संघ (एनपीएफएआई) की सोयायटी के रूप में स्थापना की। एनपीएफआई के प्रमुख उद्देश्य है। खेल मैदानों खुले स्थानों तथा खेलों के लिए अन्य सुविधाओं तथा खेल क्षेत्रो खेल मैदानों खेल पीचों पार्कों और खुले स्थानों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

एनएफएआई ने निम्नलिखित चार राज्य खेल मैदानों संघों को वित्तीय अनुदान प्रदान किए हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ का नाम	राशि (लाख रु.)
1.	हिमाचल प्रदेश खेल मैदान संघ	50.00
2.	उड़ीसा राज्य खेल मैदान संघ	50.00
3.	हरियाणा राज्य खेल मैदान संघ	50.00
4.	आंध्र प्रदेश खेल मैदान संघ	50.00
	कुल	200.00

इसके अतिरिक्त एनपीएफएआई ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल मैदानों को विकसित करने के लिए पहली किस्त के तौरे पर 144.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ङ) सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एथलीटों/टीमों को भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता में यथा अनुज्ञेय हवाई यात्रा लागत भोजन एवं आवास लागत जेब खर्च समारोह परिधान खेल किट प्रवेश शुल्क आदि शामिल है।

सरकार राष्ट्रीय टीमों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों के माध्यम से गहन कोचिंग के लिए पूरी सहायता प्रदान करती है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कोचों के अधीन व्यक्तिगत प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि

से राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कोचों के अधीन व्यक्तिगत प्रशिक्षण/कोचिंग भारत और विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने तथा खेल उपस्कर की खरीद के लिए योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त सरकार देश में सब जूनियर (8-14 वर्ष) जूनियर (14-18 वर्ष) तथा सीनियर स्तर में देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान के लिए भाखेप्रा के माध्यम से उन्हें संबंधित खेल विधाओं में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करती है:

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी योजना (एबीएससी)
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)
5. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

विवरण I

2010-11 और 2011-12 (31 अक्टूबर 2011 तक) के दौरान शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित और निर्गत अनुदान निर्गत अनुदान के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजना	2010-11		2011-12(31 अक्टूबर 2011 तक)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिमाचल प्रदेश	सिंथेटिक हाकी मैदान 1	5.00	3.50	-	-
2.	जम्मू और कश्मीर	सिंथेटिक फुटबाल मैदान	-	-	4.50	-
3.	मिजोरम	(1) सिंथेटिक हाकी मैदान	5.00	4.00	-	-
		(2) बहुउद्देशीय इंडोर हाल	-	-	6.00	4.50
4.	नागालैंड	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	-	-	5.00	3.00
5.	ओडिशा	सिंथेटिक हाकी ट्रैक	-	-	5.00	5.00
6.	पंजाब	बहुउद्देशीय इंडोर हाल	3.98	2.00	-	-
7.	राजस्थान	बहुउद्देशीय इंडोर हाल	-	-	6.00	4.50
8.	पश्चिम बंगाल	इंडोर खेल परिसर ईडन गार्डेन कोलकाता का नवीनकरण/परिवर्धन और आधुनिकीकरण	6.00	3.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
9.	मध्य प्रदेश	सिंथेटिक हाकी मैदान	–	4.81	3.62	–
10.	पुडुचेरी	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक	–	–	5.50	–
कुल			19.98	12.50	36.81	20.62

टिप्पणी 1: जम्मू और कश्मीर तथा पुडुचेरी संघ क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के मामलों में राज्य सरकार को परामर्श से अनुदान जारी करना अपेक्षित है। पुडुचेरी संघ क्षेत्र के मामलों में अनुदान जारी करने से पहले कुछ और औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

टिप्पणी 2: अनुदान की शेष राशि तभी जारी की जाएगी जब राज्य पहले से जारी अनुदान के लिए प्रगति रिपोर्ट व्यय विवरण और उपभोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है।

विवरण II

भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र भारतीय खेल प्राधिकरण के विशेष खेल केन्द्र और उत्कृष्टता केंद्र

क्र.सं.	राज्य	केंद्र		
		भाखेपा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)	विशेष क्षे. खेल (एसएजी)	उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	सिकन्दराबाद		
		इलुरू		
		मेडक		
		विशाखापट्टनम		
2.	असम	गुवाहाटी	तिनसुकिया	
		गोलाघाट	कोकराझार	
3.	अरूणाचल प्रदेश		नाहरलागुन	
4.	बिहार	पटना	मुजफ्फरपुर	
			किशनगंज	
			गिद्धौर	
5.	छत्तीसगढ़	राजनांदगाव		
		रायपुर		
6.	गोवा	पोंडा		
7.	गुजरात	गांधीनगर		गांधीनगर
8.	हरियाणा	सोनीपत		सोनीपत
		कुरूक्षेत्र		हिसार
		भिवानी		
		हिसार		

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला		
		बिलासपुर		
10.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर		
11.	झारखंड	हजारीबाग	रांची	
12.	कर्नाटक	बंगलौर		बंगलौर
		धारवाड़		
		मेडिकरी		
13.	केरल	त्रिचूर	अलेपी	कोल्लम
		कोल्लम	तेलिचेरी	त्रिवेन्द्रम
		कालीकट		
		त्रिवेन्द्रम		
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल	धार	भोपाल
		धार		
		इंदौर		
		जबलपुर		
		टीकमगढ़		
15.	महाराष्ट्र	कांदिवली		कांदीवली
		औरंगाबाद		
16.	मणिपुर	इंफाल	इंफाल	इंफाल
			उत्लोव	
17.	मेघालय	शिलांग		
18.	मिजोरम		आइजवाल	
19.	नागालैंड	दीमापुर		
20.	ओडिशा	कटक	जगतपुर	
		ढेंकानाल	सुन्दरगढ़	
		कोरापुट		

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	मस्ताना साहिब		पटियाला
		बादल		
		लुधियाना		
		पटियाला		
22.	राजस्थान	जोधपुर		
		अलवर		
23.	सिक्किम	–	नामची	–
24.	तमिलनाडु	चेन्नई	नागरकोल	–
		सलेम	मलियादुतरी	–
25.	त्रिपुरा	–	अगरतला	–
26.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	–	लखनऊ
		झांसी	–	–
		सैफई इटावा	–	–
		लखनऊ	–	–
		इलाहाबाद	–	–
		बरेली	–	–
27.	उत्तरांचल	काशीपुर	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बोलपुर	कोलकाता
		लेबोंन	–	–
		वर्धवान	–	–
		सिलिगुरी	–	–
	संघ शासित क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	पोर्ट ब्लेयर	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दिल्ली (एनसीआर)	दिल्ली	–	–
32.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	–	–

विवरण-III

खेल विभाग की योजनागत स्कीमों के संबंध में बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आबंटन	वास्तविक व्यय	आबंटन	वास्तविक व्यय	आबंटन	वास्तविक व्यय	आबंटन	वास्तविक व्यय (31.10.2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	92.00	92.00	135.00	135.00	350.00	350.00	225.00	114.37
2.	शहरी खेल अवसंरचना योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	50.00	20.62
3.	भाखेप्रा	150.00	150.00	200.37	206.15	347.00	347.00	250.90	182.50
4.	लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	20.00	20.00	23.00	23.00	30.00	30.00	30.00	13.75
5.	उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन	3.00	3.00	6.50	6.50	30.25	30.25	2.00	2.00
6.	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं के लिए विशेष पुरस्कार	8.75	8.75	5.50	5.50	34.00	34.00	4.00	4.00
7.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता योजना	39.50	39.50	51.00	50.53	87.68	81.44	100.00	25.00
8.	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण	1.50	1.50	1.00	1.00	7.00	7.00	10.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	10.25	10.25	8.12	8.12	20.00	20.00	5.00	0.00
10. से 11	डोपिंग रोधी कार्यकलाप	6.75	6.75	15.50	15.44	14.00	14.00	17.50	0.00
12.	(नाडा+एनडीटी एल+वाडा)								
13.	विकलांगों के बीच खेलों का संवर्धन	0.00	0.00	2.00	0.74	6.27	5.96	5.50	3.93
14.	राष्ट्रमंडल खेल 2010	795.00	792.00	2268.00	2260.03	1137.43	827.29	0.10	0.00
	कुल	1126.75	1123.75	2715.99	2712.01	2078.63	1806.94	700.00	366.17

विवरण IV

राष्ट्रीय खेल परिसंघों की योजना के अंतर्गत परिसंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण को जारी अनुदान के ब्यौरे

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2008-09	2008-10	2010-2011	2011-2012 (15-11-2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ नई दिल्ली	19.09	13.58	23.77	7.40
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ,चेन्नई	221.40	163.00	180.05	44.07
3.	अखिल भारतीय कराटे डो परिसंघ	00	00	10.18	00
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	42.38	23.98	47.65	12.00
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ केशवपुरम, दिल्ली	11.00	12.49	14.75	12.75
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू और कश्मीर	72.38	13.55	46.44	28.17

1	2	3	4	5	6
7.	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ, नागपुर	16.50	5.92	12.00	9.00
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	00	00	00	00
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	44.52	61.60	24.24	00
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ नई दिल्ली	15.90	9.34	7.76	9.00
11.	भारतीय फेंसिग संघ, पटियाला	24.75	30.56	174.06	36.06
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	18.54	87.80	18.43	0.26
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	00	00	00	00
14.	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ, नई दिल्ली	30.51	26.21	00	26.65
15.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	4.97	00	00	00
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, नई दिल्ली	16.00	11.50	00	00
17.	भारतीय जूडो परिसंघ नई दिल्ली	62.55	49.66	62.33	7.76
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ, नई दिल्ली	00	4.50	7.50	6.50
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.72	13.31	5.50	2.50
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	79.14	62.31	41.98	2.06
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ नई दिल्ली	324.88	80.20	313.54	52.50
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, शाहदरा, दिल्ली	18.78	00	00	00

1	2	3	4	5	6
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ कोलकाता	00	00	00	00
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	57.05	88.79	64.71	8.88
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ, नागपुर	12.00	9.00	13.50	7.50
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	9.00	12.00	12.00	12.00
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, जोधपुर	00	12.25	13.75	12.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ, चेन्नई	33.88	12.00	27.05	00
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ अहमदाबाद	15.10	26.90	1.50	00
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	102.90	104.00	119.73	44.08
31.	भारतीय ताईक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	00	11.89	55.10	7.35
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ, नई दिल्ली	16.50	9.00	19.75	13.50
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ गोरखपुर	16.00	5.00	9.00	2.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	6.00	9.75	16.00	9.00
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ चेन्नई	63.51	73.91	150.53	11.80
36.	भारतीय याटिंग संघ नई दिल्ली	36.71	147.85	85.95	5.40
37.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	31.24	30.91	00	00
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6
39.	पैरालंपिक बंगलौर	40.10	142.83	221.39	00
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	96.10	139.07	16.59	00
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्कूनर परिसंघ कोलकाता	37.02	38.87	50.11	15.93
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ नई दिल्ली	165.41	94.94	110.49	23.58
43.	भारतीय हाकी परिसंघ पटेल नगर दिल्ली	156.99	132.24	11.25	26.24
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ नई दिल्ली	74.51	11.40	00	00
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ जयपुर	32.08	11.77	10.00	23.25
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ नई दिल्ली	26.17	30.94	116.54	4.93
47.	भारतीय एथलेटिक राजस्थान	228.40	12.26	83.31	1.38
48.	भारतीय बैडमिंटन राजस्थान	170.02	23.58	32.89	14.12
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ नई दिल्ली	86.26	5.05	00	00
50.	फुटबाल, दिल्ली	52.58	41.90	610.51	25.00
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	18.24	16.43	41.69	00
	भारतीय कुश्ती परिसंघ	200.42	64.04	96.44	13.10
52.	इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली				
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ दरियागंज, दिल्ली	2.07	00	00	00
54.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	00	2.41	1.09	00

1	2	3	4	5	6
55.	विशेष ओलंपिक भारत नई दिल्ली	53.30	3.81	12.00	00
56.	मलखंब	9.00	00	11.50	00
57.	भारतीय एमेच्योर साफट टेनिस परिसंघ	6.86	10.75	14.75	6.50
58.	भारतीय ब्रीज परिसंघ	3.00	00	00	00
59.	आइस हाकी	1.50	00		00
60.	स्कूल गेम्स	13.36	43.45	5.20	00
61.	भारतीय ओलंपिक संघ नई दिल्ली	238.96	204.00	1324.60	13.88
62.	भारतीय खेल प्राधिकरण जे.एन. स्टेडियम नई दिल्ली	1000.00	2000.00	3700.16	1919.60
63.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	00	158.45	381.00	00
64.	भारतीय तेनिपिन परिसंघ	00	00	55.10	00
65.	भारतीय रग्बी फुटबाल क्षेत्र अवसंरचना परियोजना	00	00	24.27	00

बी.टी. कॉटन का उत्पादन

*11. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कपास उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य में परम्परागत कपास की तुलना में बी.टी.कॉटन का शुरुआत से वर्ष-वार कितना उत्पादन रहा;

(ख) क्या इन राज्यों में गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष बी.टी.कॉटन की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) देश में भविष्य में बी.टी. कॉटन के उत्पादन के संबंध में सरकार का क्या आकलन है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) परम्परागत कपास एवं 2002 में बीटी कपास के आरम्भ किए जाने से अब तक इनके तहत क्षेत्र सहित कपास के समग्र उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह दर्शाता है कि बी.टी. कपास के तहत क्षेत्र पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक के दौरान बढ़ा है।

कपास समेत किसी भी फसल की विभिन्न किस्मों को अपनाना कुछ घटकों जैसे निवेश पर किसानों को होने वाले प्रतिलाभ उपभोक्ता मूल्य इत्यादि पर निर्भर करता है।

विवरण

बीटी कपास के क्षेत्र के प्रतिशत सहित परम्परागत कपास, बीटी कपास एवं तहत क्षेत्र का राज्यवार तुलनात्मक विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

(उत्पादन प्रत्येक 170 किलोग्राम की 000 गांठों में)

राज्य	2002-03				2003-04				2004-05			
	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	7.99	0.04	8.03	1085.7	8.32	0.05	8.37	1890.0	11.08	0.70	11.78	2190.0
गुजरात	16.25	0.09	16.34	1684.6	16.00	0.41	16.41	4026.0	17.81	1.25	19.06	4724.8
कर्नाटक	3.91	0.02	3.93	330.9	3.14	0.03	3.17	264.6	4.87	0.34	5.21	688.0
मध्य प्रदेश	5.58	0.02	5.60	330.1	5.51	0.13	5.64	639.0	4.91	0.85	5.76	626.1
महाराष्ट्र	27.88	0.12	28.00	2596.00	27.40	0.22	27.62	3080.0	26.80	1.60	28.40	2939.0
तमिलनाडु	0.79	0.004	0.80	83.50	0.91	0.07	0.98	122.7	1.18	0.12	1.30	194.8
पंजाब	5.00	-	5.00	1083.00	4.52	-	4.52	1478.0	5.09	-	5.09	2087.0
हरियाणा	5.18	-	5.18	1038.00	5.26	-	5.26	1405.0	6.21	-	6.21	2075.0
राजस्थान	3.86	-	3.86	252.40	3.43	-	3.43	709.0	4.38	-	4.38	764.6
उड़ीसा	0.29	-	0.29	49.90	0.37	-	0.37	88.2	0.46	-	0.46	111.2
पश्चिम बंगाल	0.08	-	0.08	1.50	0.014	-	0.014	2.8	0.02	-	0.02	3.0
अन्य	9.13	-	9.13	28.1	0.20	-	0.20	22.8	-	-	-	25.1
कुल	85.94	0.29	86.24	8623.70	75.07	0.91	75.98	13729.0	83.02	4.85	87.87	16428.6

स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि एवं सहकारिता विभाग

बीटी कपास के तहत कवर क्षेत्र के सहित परम्परागत कपास, बीटी कपास एवं कुल कपास के तहत क्षेत्र का राज्यवार तुलनात्मक विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)
(उत्पादन प्रत्येक 170 किलोग्राम की '000 गांठों में)

राज्य	2005-06				2006-07				2007-08			
	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन
आन्ध्र प्रदेश	7.03	3.30	10.33	2108.0	3.15	6.57	9.72	218.10	1.33	10.01	11.34	3491.0
गुजरात	17.57	1.49	19.06	6772.0	19.87	4.03	23.90	8787.0	19.93	4.29	24.22	8276.0
कर्नाटक	3.85	0.28	4.13	554.0	3.02	0.74	3.76	610.0	2.57	1.46	4.03	778.0
मध्य प्रदेश	4.85	1.35	6.20	745.1	3.29	3.10	6.39	828.0	1.5	4.80	6.30	864.8
महाराष्ट्र	23.87	4.88	28.75	3160.0	14.52	16.55	31.07	4618.0	1.5	4.80	6.30	864.8
तमिलनाडु	1.23	0.18	1.41	213.3	0.6	0.40	1.00	220.9	0.53	0.46	0.99	200.7
पंजाब	4.85	0.72	5.57	2395.0	4.47	1.60	6.07	267.0	1.14	4.90	6.04	2355.0
हरियाणा	5.71	0.12	5.83	1499.0	4.80	0.50	5.30	1814.0	2.04	2.79	4.83	1885.0
राजस्थान	4.7	0.023	4.72	880.5	3.46	0.038	3.50	746.8	3.30	0.39	3.69	862.2
उड़ीसा	0.57		0.57	144.8	0.51		0.51	107.9	0.50		0.53	124.7
पश्चिम बंगाल	0.02		0.02	6.0	0.06		0.06	14.7	0.08		0.08	13.2
अन्य	0.19		0.19	21.3	0.17		0.17	24.9	0.16		0.16	18.5
कुल	74.44	12.34	86.78	18499.0	57.92	33.52	91.45	22631.8	39.41	54.72	94.13	25884.1

बीटी कपास के तहत कवर क्षेत्र के प्रतिशत सहित परम्परागत कपास, बीटी कपास एवं कुल कपास के तहत क्षेत्र का राज्यवार तुलनात्मक

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)
(उत्पादन प्रत्येक 170 किलोग्राम की '000 गांठों में)

राज्य	2005-06				2006-07				2007-08			
	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन	परम्परागत कपास के तहत क्षेत्र	बीटी कपास के तहत क्षेत्र	कपास के तहत कुल क्षेत्र	उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	2.56	11.43	13.99	3569.0	0.37	14.30	14.67	3227.0	0.78	17.06	17.84	5300.0
गुजरात	14.64	8.90	23.54	7013.8	6.38	18.25	24.64	7986.3	7.39	18.94	26.33	10500.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक	1.84	2.25	4.09	866.0	1.95	2.62	4.57	868.2	1.75	3.70	5.45	1250.0
मध्य प्रदेश	1.45	4.80	6.25	856.1	0.18	5.93	6.11	855.3	1.05	5.45	6.50	2000.0
महाराष्ट्र	2.66	28.80	31.46	4752.0	3.45	31.50	34.95	5859.0	3.56	35.76	39.32	8800.0
तमिलनाडु	0.40	0.75	1.15	187.7	0.26	0.78	1.04	225.0	0.72	0.50	1.22	500.0
पंजाब	0.50	4.77	5.27	2285.0	0.369	4.74	5.11	2006.0	0.70	4.60	5.30	2100.0
हरियाणा	0.77	3.78	4.55	1858.0	0.32	4.75	5.07	1926.0	0.22	4.70	4.92	1750.0
राजस्थान	1.82	1.21	30.3	725.7	1.78	2.65	4.44	903.1	0.70	2.65	3.35	900.0
उड़ीसा	0.57	–	0.57	146.6	0.54	–	0.54	147.2	0.74	–	0.74	250.0
पश्चिम बंगाल	0.03	–	0.03	6.0	0.04	–	0.01	3.3	–	–	–	#
अन्य	0.15	–	0.15	10.3	0.17	–	0.16	15.1	0.45	–	0.45	75.0
कुल	27.39	66.69	94.08	22276.2	15.80	85.52	101.32	24021.8	18.06	93.36	111.42	33425.0

कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

*12. **श्री जगदीश सिंह राणा:**
श्री अर्जुन राम मेघवल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कोई संस्थागत ढांचा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर कोई निगरानी तंत्र विद्यमान है तथा उक्त प्रयोजनार्थ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखकर, कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, अनेक कारकों पर विचार करता है जिसमें शामिल हैं—उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंत:फलत मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचें पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीविका लागत पर प्रभाव, किसानों/अन्यों से प्राप्त सुझाव आदि।

(ग) 2011-12 मौसम की दोनों खरीफ तथा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 2010-11 मौसम के लिए उनके संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है, जैसाकि निम्न सारणी में दर्शाया गया है। खरीफ दलहनों के मामलें में, दो महीनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेचे गए तूर, उड़द एवं मूंग के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी देय है।

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2010-11	2011-12	2011-12 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	1000	1080	80
		ग्रेड-ए	1030	1110	80
2.	ज्वार	हाइब्रीड	880	980	100
		मालदंडी	900	1000	100
3.	बाजरा		880	980	100
4.	मक्का		880	980	100
5.	रागी		965	1050	85
6.	अरहर (तूर)		3000	3200	200
7.	मूंग		3170	3500	330
8.	उड़द		2900	3300	400
9.	कपास	24.5-25.5 रेशे की लम्बाई (एमएम) तथा 4.3-5.1 के मेक्रोनेयर मूल्य	2500	2800	300
		29.5-30.5 रेशे लंबाई (एमएम) तथा 3.5-4.3 के मेक्रोनेयर मूल्य	3000	3300	300
10.	मूंगफली छिलके सहित		2300	2700	400
11.	सूरजमुखी बीज		2350	2800	450
12.	सोयाबीन	काला	1400	1650	250
		पीला	1440	1690	250
13.	तिल		2900	3400	500
14.	राम तिल		2450	2900	450
15.	गेहूं		1120[&]	1285	165
16.	जौ		780	980	200
17.	चना		2100	2800	700
18.	मसूर (लेंटिल)		2250	2800	550

1	2	3	4	5	6
19.	रेपसीड/सरसों		1850	2500	650
20.	कुसुम्भ		1800	2500	650
21.	तारिया		1780	2425	75
22.	खोपरा	मिलिंग	4450	4525	75
		बाल	4700	4775	75
23.	छिलका रहित खोपरा		1200	1200	0
24.	पटसन		1575	1675	100
25.	गन्ना$		139.12	145.00	5.88

&न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस देय था।

$उचित एवं लाभकारी मूल्य

(घ) और (ङ) सरकार, केन्द्रीय राज्य तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद का प्रस्ताव करती है। राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है कि वे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कृतिक बल

***13. श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नन्दन नीलकेणी की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है/सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त कृतिक बल ने लाभार्थियों को उनके पसंदीदा स्थान पर सीधे नकद राजसहायता या खाद्यान्न के विकल्प का चयन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित उदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने तथा इसे सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) श्री नंदन निलेकणी, अध्यक्ष, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था, विचारार्थ विषयों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सूचना प्रोद्योगिकी रणनीति सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना और खाद्यान्न तथा मिट्टी के तेल पर राजसहायता का सीधा अंतरण करने के लिए क्रियान्वयन योग्य हल तलाश करना शामिल था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट 2-11-2011 को माननीय वित्त मंत्री को सौंप दी है।

कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क कहा जाएगा, क्रियान्वित करने के लिए समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित करने की संस्तुति की है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु साधारण सॉफ्टवेयर मंच का विकास किया जा सकता है जिसमें नीतियों, मूल्य और प्रशासनिक ढांचे को समनुरूप बनाने के लिए लचीली रुख अपनाने की

अनुमति होगी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की गई है कि सॉफ्टवेयर से राज्य सरकारों के लिए यह निर्णय करना संभव हो सकेगा कि वे लाभार्थियों को जिंस (खाद्यान्न/मिट्टी का तेल) अथवा नकद में अपनी पात्रता लेने के लिए विकल्प देने की पेशकश कर सकें और साथ ही इससे उस स्थान का विकल्प देना भी संभव हो सकेगा जहां से लाभार्थी अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यबल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना और कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं कि वे मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके और उचित दर दुकानों के प्रचालन की कुशलता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम को मजबूत करें। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वा एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है।

कृषि विकास

***14. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी रही है;

(ख) क्या सरकार कृषि क्षेत्र के कार्यानिष्पादन से संतुष्ट है और उसने विकास दर को बढ़ावा देने के लिए मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो लक्षित तथा वास्तव में प्राप्त विकास दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि की उपलब्धियों/कमियों को देखते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि में विकास दर का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के पहले वर्षो अर्थात 2007-08 से 2010-11 के दौरान जारी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में औसत वार्षिक वृद्धि 4% लक्षित वृद्धि दर की तुलना में 3.2% है। तथापि, दसवीं योजना अवधि के दौरान यह 2.5% औसत वृद्धि दर की तुलना में अधिक है। 2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में अत्यधिक सूखे तथा 2010-11 में वुछ राज्यों नामत: बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में सूखे एवं कम वर्षा के कारण 11वीं योजना अवधि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि काफी कम हुई है, तथापि, वृद्धि दर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 2010-11 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद 6.6% के स्तर तक पहुंच चुका था, जो विगत 6 वर्षो के दौरान उच्चतम प्राप्त वृद्धि दर है।

(घ) और (ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि के लिए 4% वृद्धि दर का प्रस्ताव किया गया है तथा उसे तैयार किया जा रहा है।

ऐतिहासिक स्मारकों का विरुपण

***15. श्रीमती जे. शांता:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐतिहासिक स्मारकों को विरूपण से बचाने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त दिशा-निर्देशों के बावजूद देश में विशेषकर कर्नाटक राज्य में ऐतिहासिक स्मारकों का लगातार विरूपण होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) देश में ऐतिहासिक स्मारकों को विरूपण से बचाने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। फिर भी, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 में दण्ड का प्रावधान है जिनमें ऐसे कार्य दण्डनीय हैं।

कर्नाटक राज्य सहित देश में स्मारकों के विरूपण की छुट-पुट घटनाएं होती रहती हैं। सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरुकता की कमी और अनभिज्ञता के कारण कुछ स्मारकों की दीवारों पर

घसीट कर लिखने और भद्दे-चित्रण के दृष्टांत हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियतकालिक जागरुकता कार्यक्रमों का अयोजन कर रहा है तथा स्कूली एवं कालेज के विद्यार्थियों के साथ-साथ जनसाधारण को सम्मिलित करते हुए समय-समय पर स्मारकों पर प्रदर्शनियों के माध्यम से भी ऐसी गतिविधियों को रोक जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मण्डल/शाखा और क्षेत्रीय कार्यालयों की पहल के माध्यम से देश भर में 19 और 25 नवम्बर, 2011 के बीच, विश्व दाय सप्ताह समारोहों के दौरान एक बार फिर इस मुद्दे पर विशेष बल दिया जा रहा हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार भी मुद्रण तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से 'अतुल्य भारत' के अंतर्गत जागरुकता अभियान आयोजित करता है।

कला-कृति विध्वंस जैसे कार्यो का पता लगाने के लिए पहरा तथा निगरानी स्टाफ को सतर्क रहने तथा पर्यवेक्षी स्टाफ को निरन्तर निरीक्षण करते रहने के लिए कह दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा स्मारकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए नियमित पहरा तथा निगरानी स्टाफ, निजी सुरक्षा कार्मिकों, राज्य पुलिस गार्डो और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है।

[हिन्दी]

युवाओं/खेलों का विकास

***16. श्री भूदेव चौधरी:**
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्य खेलों के विकास तथा संवर्धन के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) सरकार द्वारा ग्रामीण, जनजातीय और पिछडें क्षेत्रों सहित देश में खेल कौशल की पहचान करने/खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा युवाओं के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का राज्यवार तथा योजनावार ब्यौरा क्या है एवं इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के उत्थान के लिए योजना/कार्यक्रमवार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/खर्च की गई है;

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा और खेल नीति को निष्पक्ष तरीके से कार्यान्वित करने तथा इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) विभिन्न खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम के द्वारा राज्य सरकारों को खेलों के कार्यक्रमों के द्वारा राज्य सरकारों को खेलों के प्रोत्साहन और संवर्धन के कार्य में प्रेरित करती है। राज्य सरकारों को दो मुख्य योजनाओं अर्थात् पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) तथा शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत सहायता-अनुदान मुहैया कराया जाता है।

(i) पिछले तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक प्रतियोगिताओं के अयोजन हेतु पंचायत युवा क्रीड़ा और अभियान (पायका) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और ऐसे प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	वर्ष	खेल मैदानों का विकास		वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन	
		राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और उनकी मंजूरी	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और उनकी मंजूरी	जारी राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	2008-09	24	83.85	5	5.93
2.	2009-10	07	105.00	18	24.91

1	2	3	4	5	6
3.	20010-11*	30	260.84	42	88.05*
4.	2011-12 31.10.11 तक	2	87.95	20	26.42
	कुल	63	537.64	85	

*खेल प्रतियोगिताओं के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) को जारी निधि शामिल है। नोट: वार्षिक प्रतियोगिताओं के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान वर्ष 2009-10 के दौरान एसएआई को ब्लॉक अनुदान के रूप में 38.15 करोड़ रूपए किए गए, जो बाद में एसएआई द्वारा राज्यों/संघ राज्य खेलों को जारी कर दिए गए। राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ii) शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) दो वर्षो (2010-11 तथा 2011-12) के लिए प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को खेल सुविधाओं के आनिकीकरण उनके उन्नयन (अर्थात् सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक बिछाने, हॉकी तथा फुटबाल मैदान मैदान हेतु एस्ट्रोटर्फ तथा बहुउद्देशीय अन्दूर हाल के निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है। प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई राशि
1.	2010-11	29	4	12.50
2.	2011-12	11	7	20.62
	कुल	40	11	33.12

राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(ख) पायका के अंतर्गत ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं से अलग जो प्रतिभा पहचान का मुख्य आधार है, 14 से 21 वर्ष के आयु वर्ग की खेल प्रतिभा को विशेषकर जो ग्रामीण, जनजातीय तथा पिछड़े तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, बच्चों की पहचान कर उन्हें पूरे देश के भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है। लगभग 14280 ऐसे बच्चे/युवा पूरे देश के विभिन्न एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र में (दोनों आवासीय तथा गैर-आवासीय आधार पर) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। एसएआई की प्रशिक्षण योजनाओं तथा उपलब्धियों से संबंधित पिछले चार साल के ब्यौरे संलग्न विवरण IV पर दिया गया है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) बहुत से युवा विकास योजनाओं अर्थात् राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी), युवा और किशोरों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी), कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम, हेतु प्रशिक्षण आदि को कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय बहुत से युवा कार्यक्रम जैसे जागरूकता प्रजनन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्य शिविर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह समारोह, खेल प्रोत्साहन तथा साहसिक-कार्य प्रोत्साहन, जिला युवा वर्ग सम्मेलन आदि की कार्यान्वित कर रही है।

(ग) खेलों का बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष से संबंधित फंड का आवंटन तथा खर्चे से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण V पर दिया गया है। युवा विकास से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण VI पर दिये गये हैं।

(घ) राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का दोहरा उद्देश्य सबके लिए खेल तथा खेलों में विशिष्टता प्राप्ति का होना है। ऊपर बताई गई योजनाएं निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढ़ग से कार्यान्वित करने, यन्त्र रचना की मानीटरिंग हेतु बनाई गई है। मिस-पायका जो पायका गतिविधियों का आनलाईन प्रचालन करती है, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारियां सुनिश्चित कराती है। सुविख्यात खिलाड़ी जो सक्रिय खेलों से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, राज्यों में पायका गतिविधियों का आगे बढ़ाने में मानीटरिंग करने हेतु पर्यवेक्षक के रूप में लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 युवा विकास समस्याओं को को हल करने में प्रथम भूमिका निभाने में अपनी पहचान दी है। इसने प्रशासन को बताया है कि विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/युवा संगठनों को युवा योजनाओं से संबंधित अभिबिन्दुता में समन्वय स्थापित करना है ताकि युवा विकास हो सके।

विवरण I

पायका योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (31 अक्टूबर 2011 तक) के दौरान खेल मैदानों के विकास हेतु प्राप्त प्रस्तावों, उनकी मंजूरी एवं जारी की गई राशि

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	01	12.99	–	12.99	02	25.98	–	25.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	01	4.44	02	10.51	–	–
3.	असम	01	–	–	3.85	–	–	–	–
4.	बिहार	01	5.22	–	5.22	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	01	–	–	5.06	–	–	–	–
6.	गोवा	01	–	–	0.18	–	–	–	–
7.	गुजरात	01	–	–	7.10	01	2.55	–	–
8.	हरियाणा	01	3.26	–	3.25	02	14.43	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	01	2.01	–	2.01	02	8.80	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	01	2.66	–	–	–	–	–	–
11.	झारखंड	–	–	01	2.39	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	–	01	3.12	02	14.86	–	–
13.	केरल	01	0.80	–	0.80	01	11.17	–	–
14.	मध्य प्रदेश	01	11.82	–	–	–	–	01	29.73
15.	महाराष्ट्र	01	8.91	–	4.86	01	41.94	–	–
16.	मणिपुर	01	0.87	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	01	1.06	01	1.19	–	–
18.	मिजोरम	01	0.85	01	0.21	01	2.27	–	–
19.	नागालैंड	01	1.18	–	0.30	02	2.96	01	4.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ओडिशा	01	3.67	01	8.05	01	5.98	–	7.34
21.	पंजाब	01	6.27	–	6.27	-02	26.66	–	–
22.	राजस्थान	10	3.71	–	4.72	–	–	–	–
23.	सिक्किम	01	0.54	01	0.13	01	2.02	–	–
24.	तमिलनाडु	01	5.00	–	1.91	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	01	1.09	–	–	03	3.24	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	01	10.00	–	16.96	01	62.27	–	18.39
27.	उत्तराखंड	01	3.00	–	5.90	02	19.43	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	01	–	–	2.32	–	2.32	–	–
संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	01	1.06	–	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	01	0.51	–	–
31.	पुडुचेरी	–	–	–	–	01	0.69	–	–
	कुल	24	83.85	07	105.00	30	260.84	02	87.95

विवरण II

योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 2010-11 तथा 20011 तथा 2011-12 (31 अक्टूबर 2011 तक) वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं उनकी मंजूरी के राज्य वार ब्यौरे।

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्ताव एवं मंजूरी	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	01	0.78	01	0.95	01	11.26	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	01	0.93	–	–	01	2.05	–	–
3.	असम	01	1.88			02	3.34	–	–
4.	बिहार	–	–	01	3.42	01	6.19		
5.	छत्तीसगढ़	–	–	01	1.17	01	2.01	02	2.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गोवा	–	–			02	0.26	–	–
7.	गुजरात	–	–			01	2.69	–	–
8.	हरियाणा	–	–	01	1.10	02	1.81	02	1.60
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	01	0.71	02	1.33	02	1.23
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	01	2.10	–	–
11.	झारखंड	–	–			02	3.16		
12.	कर्नाटक	–	–	01	1.42	02	2.94	01	2.16
13.	केरल	–	–			01	1.32	01	0.23
14.	मध्य प्रदेश	–	–	01	2.64	02	4.79	02	4.92
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	02	4.36	–	–
16.	मणिपुर	–	–	01	0.47	–	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	02	0.79	01	0.09
18.	मिजोरम	–	–	01	0.37	02	0.71	–	–
19.	नागालैंड	–	–	01	0.56	01	0.13	–	–
20.	ओडिशा	–	–	01	2.11	02	4.27	–	–
21.	पंजाब	01	1.97	01	1.18	02	1.85	02	2.09
22.	राजस्थान	–	–	01	1.93	–	–	01	0.46
23.	सिक्किम	–	–	01	0.32	–	–	01	1.12
24.	तमिलनाडु	–	–	01	2.62	02	5.10	–	–
25.	त्रिपुरा	01	0.37	01	0.36	03	0.78	02	0.70
26.	उत्तर प्रदेश	–	–	01	2.55	01	09.47	01	8.20
27.	उत्तराखंड	–	–	01	1.03	02	1.47	02	1.39
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	01	3.31	–	–
संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	01	0.03	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	पुडुचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	एनवाईकेएस ग्रामीण प्रतियोगिता	–	–	–	–	3.22	–	–	–
34.	एनवाईकेएस अंत विद्यालय प्रतियोगिताएं	–	–	–	–	7.31	–	–	
	कुल	05	5.93	18	24.91	42	88.05	20	26.42

विवरण III

वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 (31 अगस्त 2010) शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताओं, उनकी मंजूरी एवं जारी की गई राशि राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2010-11			2011-12 (अक्टूबर 2012 तक)		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई राशि	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजस्थान	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	4.50
2.	हिमाचल प्रदेश	1	1	3.50	शून्य	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	पंजाब	3	1	2.00	शून्य	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	ओडिशा	4	शून्य	शून्य	1	1	5.00
7.	मध्य प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	1	3.62
8.	उत्तर प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	तमिलनाडु	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मिजोरम	4	1	4.00	1	1	4.50
11.	पश्चिम बंगाल	3	1	3.00	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	शून्य	1	शून्य	शून्य
14.	बिहार	–	–	शून्य	1	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	जम्मू और कश्मीर	-	-	शून्य	1	1	शून्य
16.	केरल	-	-	शून्य	1	शून्य	शून्य
17.	मणिपुर	-	-	शून्य	1	शून्य	शून्य
18.	उत्तराखंड	-	-	शून्य	1	शून्य	शून्य
19.	त्रिपुरा	-	-	शून्य	1	शून्य	शून्य
20.	नागालैंड	-	-	शून्य	1	1	3.00
21.	पुडुचेरी	-	-	-	1	1	शून्य

विवरण IV

एसआई खेल-कूद प्रोत्साहन योजनाएं

खेल-कौशल पहचान करने तथा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1)	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)	सब जूनियर स्तर प्रशिक्षुओं के लिए
(2)	आर्मी बायन स्पोर्टस कम्पनी योजना (एनएसटीसी)	सब जूनियर स्तर प्रशिक्षुओं के लिए
(3)	एसआई प्रशिक्षण केन्द्र योजना (एसटीसी)	जूनियर स्तर प्रशिक्षुओं के लिए
(4)	स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम (एसएजी)	जूनियर स्तर प्रशिक्षुओं के लिए
(5)	सेन्टर आफ एक्सेलेन्स स्कीम (सीओई)	वरिष्ठ स्तर प्रशिक्षुओं के लिए

1. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी): इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत, इसमें 22 स्थायी विद्यालय, 15 नवोदय, देशी खेलों और मार्शल आर्ट का बढ़ावा देने हेतु 24 विद्यालय तथा 39 अखाड़े स्वीकार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 34 उभरते अखाड़ों को उपस्कर सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा फुटबाल, हॉकी, ताईकवांडो, रगनी तथा जूडो की विधा में अखाड़ो की पद्धती पर चल रहे 5 स्पोर्टस सेन्टर भी हैं।

(1) इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षुओं को गैर-आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है हालांकि, विशेष मामलों में प्रशिक्षुओं को 2 विद्यालयों में आवासीय आधार प्रवेश दिया जाता है तथा 3000/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बजीफे के अलावा 300 दिन के लिए 75/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन योजना-व्यवस्था तथा आवास मुहैया कराया जाता है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रतिवर्ष 2000/-रुपए की स्पोर्टस किट, प्रतिवर्ष 32/-रुपए की दर से आकस्मिक बीमा, प्रतिवर्ष 2000/-रुपए की स्पोर्टस का प्रतियोगिता विगोपन, 2000/-रुपए के खेल उपस्कर खरीद हेतु विद्यालय को वार्षिक अनुदान भी मुहैया कराया जाता है।

(2) इस योजना के अंतर्गत, 15 नवोदय विद्यालयों को चुना गया है। चयनित नवोदय विद्यालयों में प्रशिक्षुओं का चयन, एक विद्यालय में प्रवेश हेतु 4 नवोदय विद्यालय के क्षेत्रधिकार को कवर करते हुए किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षुओं को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3000/-रुपए की दर से बजीफा मुहैया कराया जाता है, 1500/- प्रति वर्ष की दर से स्पोर्ट, किट, प्रतिवर्ष 32/- रुपए की दर से आकस्मिक बीमा, प्रतिवर्ष 1500/- रुपए की दर से प्रतियोगिता विगोपन, खेल उपस्करों की खरीद हेतु विद्यालय को 2000/- रुपए वार्षिक अनुदान मुहैया कराया जाता है।

(3) देशी खेलों तथा मार्शल आर्टस के प्रशिक्षण हेतु एक प्लेटफार्म बनाने के लिए 24 विद्यालयों को चुना गया है। प्रशिक्षुओं को 3000/-रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वजीफा, 1500/-रुपए प्रतिवर्ष स्पोर्टस किट की दर से, प्रतिवर्ष 32/-रुपए की दर से आकस्मिक बीमा, खेल उपस्करों की खरीद हेतु 20,000/- रुपए का विद्यालय को वार्षिक अनुदान तथा स्काउटिंग प्रतिभा की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए मुहैया कराया जाता है।

(4) चयनित अखाड़े: पहलवानी देशे में एक पारंपरिक स्वदेशी खेल है। इसमें 39 अखाड़ों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक अखाड़ों में 15-20 पहलवान हैं। देश में विभिन्न अखाड़ों द्वारा किए गए प्रयासों की पूर्ति हेतु 34 उभरते हुए अखाड़ों का उपस्कर सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही उभरते पहलवानों को निरंतर निगाह में रखा जाता है। इन चयनित अखाड़ों को रेसलिंग मेट की एक सेट तथा/अथवा मल्टी-जिम मुहैया कराई जाती है। इन अखाड़ों के प्रशिक्षुओं को 1000/-रुपए का प्रतिमाह वजीफा तथा 32/-रुपए की आकस्मिका बीमा, इनके आदि के मुहैया कराया जाता है।

(5) एनएसटीसी योजना के अंतर्गत अखाड़ों की पद्धती के अनुरूप स्पोर्टस सेन्टरों का चयन: इस योजना के अंतर्गत उच्च निष्पादित खेल केन्द्र जो विशेषकर महत्वपूर्ण खेलों जैसे एथेलेटिक्स, जूडो, रेसलिंग, बाक्सिंग तैराकी तथा अन्य जाने माने मार्शल आर्टस के सद्दश जो आधुनिक खेलों को बढ़ावा देते हैं को भी यह सहायता उपलब्ध कराई जाए जैसे कि अखाड़ों तथा मौजूदा 05 स्पोर्टस सेन्टरों चयन में की गई है।

2. आर्मी बॉयज स्पोर्टस कम्पनी स्कीम (एवीएससी), इस योजना के अंतर्गत 08 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की पहचान कर उन्हें प्रवेश दिया जाता है। इन पहचान किए गए प्रशिक्षुओं को जब वे 17 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, सेना में आत्मसात कर लिया जाता है। वर्तमान में सेना में 15 एबीएससी हैं। इन्हें 13 विधाओं में प्रशिक्षण दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रवेश करने वाले बच्चों को 300 दिन के लिए 125/-रुपए की दर के भोजन व्यवस्था तथा आवास, 2000/-रुपए प्रतिवर्ष प्रतियोगिता विगोपक, 300/- रुपए की दर के चिकित्सा खर्च, 1000/-का प्रतिवर्ष की दर से शैक्षिक खर्चा, नए प्रशिक्षुओं को 2000/-रुपए की दर से एक बार अनुदान भी मुहैया कराया जाता है। खेल उपस्करों की खरीद तथा खेल-मैदानों के रख-रखाव हेतु 50,000/-रुपए वार्षिक अनुदान के रुप में कम्पनी को मुहैया कराए जाते हैं।

3. एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)-इस योजना के तहत् 14 से 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। सभी प्रकार की अवसंरचनात्मक राज्य सरकार मुहैया कराती है। एसआई चयनित प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने हेतु इस योजना को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है वर्तमान में 5: एसटीसी सेन्टर हैं। 27 विद्यालयों में यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आवासीय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को आवास तथा भोजन व्यवस्था हेतु 125/-रुपए की दर से प्रतिदिन-गैर-पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तथा 140/-रुपए की दर से प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 330 दिनों तक के लिए, 4000/-रुपए प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष स्पोर्टस किट हेतु, 30/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से आकस्मिक बीमा, 3000/-रुपए प्रतिवर्ष प्रतियोगिता विगोपन, 1000/-रुपए प्रति वर्ष की दर से शैक्षिक खर्चा, 300/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से चिकित्सा भत्ता, 100/-रुपए की दर से प्रति व्यक्ति अन्य खर्चा मुहैया कराया जाता है। गैर-आवासीय योजना में 4000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से स्पोर्टस किट, 3000/-रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रतियोगिता विगोपन, 6000/-रुपए की दर से वजीफा तथा 32/-रुपए में बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

4. स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम (एसएजी): इस योजना के तहत् 23 विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है यह प्रशिक्षण देश के 14 ये 21 आयु वर्ग के अगम्य जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों के खेल प्रतिभा हेतु पूरे देश के 21 एसएजी केन्द्रों में प्रदान किया जाता है। आवासीय योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को 125/-रुपए की दर से गैर पर्वतीय तथा 140/-रुपए की दर से पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 330 दिनों के लिए आवास तथा योजना-व्यवस्था, 4000/-रुपए प्रतिवर्ष की स्पोर्टस किट, 32/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से शैक्षिक आकस्मिक बीमा, 3000/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रतियोगिता विगोपन, 1000/-रुपया प्रतिवर्ष की दर से आकस्मिक बीमा, 300/-रुपए प्रतिमाह की दर से चिकित्सा खर्चा, 100/-रुपया प्रति व्यक्ति अन्य खर्चा, तथा गैर-आवासीय योजना के तहत् 4000/-प्रतिवर्ष की दर से स्पोर्टस किट, 3000/-रुपए प्रति व्यक्ति की दर से प्रतियोगिता विगोपन, 6000/-रुपए की दर से वजीफा तथा 32/-रुपए की दर से बीमा मुहैया कराया जाता है।

(1) एसटीसी/एसएजी के एक्टेशन सेंटर स्कूल और कालेजों को कवर करने हेतु बड़ा कवरेज करते हैं। बच्चों को 14-21 वर्षों के आयु वर्ग में प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में 101 एक्टेंशन सेंटर हैं। इस योजना के तहत् प्रवेश करने वाले प्रशिक्षुओं को 6000/-प्रतिवर्ष रुपए प्रति प्रशिक्षुओं को वजीफा, 2000/- रुपए प्रति वर्ष प्रति पशिक्षु प्रतिवर्ष स्पोर्टस कीट, 32/-रुपए प्रतिवर्ष की दर आकस्मिक बीमा तथा संस्थान को सहायक अवसंरचना, उपस्कर तथा वित्तीय सहायता के रूप में 5000/-रुपए प्रति प्रशिक्षु प्रतिवर्ष जो कुल 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, सहायता मुहैया कराई जाती है।

5. सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स स्कीम (सीओई): इसमें 17 से 25 तथा इससें ऊपर आयु के प्रशिक्षुओं को प्रवेश दिया जाता है। उन जूनियर स्तर के खिलाड़ियों को जो सीनियर स्तर में प्रवेश करने

वाले हैं तथा जिनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने की संभावना है, प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में 12 सेन्टर्स ऑफ एक्सक्लेंस, रिजीनल सेन्टर/सब सेन्टर/एसटीसी है पूरे देश में 17 विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। आवासीय योजना के तहत् 330 दिनों के लिए 175 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आवास तथा भोजन-व्यवस्था, 6000 रुपए प्रतिवर्ष की स्पोर्टस किट, 32/-रुपए प्रतिवर्ष की दर से आकस्मिक बीमा, 3000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रतियोगिता विगोपन, 500 रुपए प्रति वर्ष की दर से चिकित्सा भत्ता, 100/-रुपए की दर अन्य खर्चा तथा गैर-क्षेत्रीय योजना के तहत् 6000 रुपए की दर से स्पोर्टस किट, 3000 रुपए की दर से प्रतियोगिता विगोपन, 900/-रुपए की दर से वजीफा तथा 32/-रुपए की दर से बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

विवरण-V

पिछले चार वर्षों के दौरान एसएसआई के प्रशिक्षुओं की उपलब्धियां

राष्ट्रीय स्तर

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-2009			2009-10			2010-2011		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1.	एनएसटीसी स्कूल	16	13	10	10	10	19	0	0	0
2.	आर्मी बायज स्पोर्टस कम्पनीज (एबीएससी)	83	42	26	60	32	24	0	0	0
3.	साई प्रशिक्षण केन्द्र	144	132	153	131	121	139	20	19	19
4.	स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी)	96	68	62	69	67	51	16	05	08
5.	एसटीसी/एसएजी का एक्सटेशन सेन्टर	0	04	04	0	0	02	0	0	0
6.	सेन्टर ऑफ एक्सलैस (सीओई)	52	37	45	74	56	43	02	07	06
	कुल	391	296	300	344	286	278	38	31	33

अंतर्राष्ट्रीय स्तर

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-2009			2009-10			2010-2011		
		जी	एस	बी	जी	एस	बी	जी	एस	बी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एनएसटीसी स्कूल	04	01	03	0	01	0	0	0	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आर्मी बायज स्पोर्टस कम्पनीज (एबीएससी)	05	03	03	09	03	03	0	0	01
3.	साई प्रशिक्षण केन्द्र	46	19	05	13	06	12	05	13	
4.	स्पेशल एरिया गेम्स (एसएजी)	11	11	0	04	04	07	04	02	02
5.	एसटीसी/एसएजी का एक्सटेशन सेन्टर	0	0	01	0	0	0	0	0	0
6.	सेन्टर ऑफ एक्सलैस (सीओई)	18	15	15	22	09	17	06	06	15
	कुल	84	49	35	40	30	33	22	13	32

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आवंटन	खर्चा	आवंटन	खर्चा	आवंटन	खर्चा	आवंटन	खर्चा 31-10-2011 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पायका	92.00	92.00	135.00	135.00	350.0	350.0	225.0	114.37
2.	यूएसआईएस	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	50.00	20.62
3.	एसएआई	150.0	150.00	200.37	206.15	347.0	347.0	250.9	182.50
4.	एलएनयूपीई (ग्वालियर)	20.00	20.00	23.00	23.00	30.0	30.00	30.00	13.75
5.	सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों	3.00	3.00	6.50	6.50	30.25	30.25	2.00	2.00
6.	अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं में पदक विजेताओं के पदक	8.75	8.75	5.50	5.50	34.00	34.00	4.00	4.00
7.	राष्ट्रीय खेल फेडरेशन (एनएसएफ) को सहायता	39.50	39.50	51.00	50.53	87.68	81.44	100.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण	1.50	1.50	1.00	1.00	7.00	10.00	10.00	0.00
9.	एनएसडीएफ	10.25	10.25	8.12	8.12	20.00	20.00	5.00	0.00
10.	नाडा, से एनटीडीएल	6.75	6.75	15.50	15.44	14.00	14.00	17.50	0.00
11.	एवं वाडा								
12.	विकलांगों में खेलों को बढ़ावा देना	0.00	0.00	2.00	0.74	6.27	5.96	5.50	3.93
13.	राष्ट्रमंडल खेल-2010	795.00	792.00	2268.00	2260.03	1137.43	872.29	0.10	0.00
	कुल	1126.75	1123.75	27115.99	2712.01	2078.63	1806.94	700.00	366.17

विवरण VI

पिछले तीन वर्षों तथा वित्तीय वर्ष के दौरान युवा कार्यक्रम विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजनावार आवंटन तथा खर्चे आवंटन तथा खर्चे

क्र.सं.	योजना का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		आवंटन	खर्चा	आवंटन	खर्चा	आवंटन	खर्चा	आवंटन
1.	एनवाईकेएस	98.37	99.79	127.54	130.41	120.50	126.20	133.50
2.	एनएसवी	13.88	13.28	18.30	17.31	0.00	0.00	0
3.	आरएसवी	13.88	13.28	18.30	17.31	0.00	0.00	0
4.	एनपीवाईएडी	6.71	4.33	7.07	11.12	13.38	10.46	8.27
	(एनआईसी, एनवाईएफ वाईएलपीडीपी, साहसिक कार्य, नवयुवक विकास							
5.	राष्ट्रीय युवा	0.00	0.00	0.00	0.03	32.35	22.88	18.87
	कुल	126.35	123.40	160.59	166.21	166.23	159.54	160.64

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत् जारी किए गए फंड की राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.3	6.92	6.77	4.03
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14	0.20	0.18	0.18
3.	असम	0	0.81	0	0.96
4.	बिहार	1.03	1.03	1.19	0.58
5.	छत्तीसगढ़	0.97	1.64	1.89	1.32
6.	गोवा	0.52	0.53	0.6	0.35
7.	गुजरात	2.91	2.91	4.46	1.92
8.	हरियाणा	1.43	1.90	2.19	1.15
9.	हिमाचल प्रदेश	1.72	2.15	1.49	1.14
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0.99	0	0.57
11.	झारखंड	0	0	0	0.57
12.	कर्नाटक	3.68	4.77	.32	3.33
13.	केरल	2.84	2.84	3.67	1.97
14.	मध्य प्रदेश	2.38	2.38	2.74	1.71
15.	महाराष्ट्र	5.26	5.61	8.04	3.83
16.	मणिपुर	0.42	0	0	0.43
17.	मेघालय	0.49	0.49	0.59	0.50
18.	मिजोरम	0.61	0.69	0.82	0.62
19.	नागालैंड	0.19	0.21	0.25	0.19
20.	ओडिशा	1.45	1.79	1.67	1.27
21.	पंजाब	2.05	2.03	3.12	1.62
22.	राजस्थान	2.58	3.18	3.65	2.33
23.	सिक्किम	0.28	0.38	0.33	0.33
24.	तमिलनाडु	6.27	5.69	9.27	4.25

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	0.61	0.69	0.82	0.62
26.	उत्तर प्रदेश	8.54	5.53	5.53	2.64
27.	उत्तराखंड	1.68	1.68	1.20	0.85
28.	पश्चिम बंगाल	1.69	1.69	2.02	1.05
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03	0.03	0.05	0.05
30.	चंडीगढ़	0.31	0.31	0.47	0.47
31.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.02	0.04	0.04
32.	दमन और दीव	0.05	0.03	0.05	0.05
33.	लक्षद्वीप	0.03	0.03	0.05	0.05
34.	पुडुचेरी	0.22	0.12	0.39	0.33
35.	दिल्ली	0.57	0	0	0
	कुल	55.27	59.27	66.86	41.30

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत उपलब्धियों से संबंधित राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09				
		विशेष सिविल	चयनित ग्राम	रक्त दान	वृक्ष बागान	प्लस पोलियो (लाभान्वित बच्चे)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	825	3000	23416	211221	1232441
2.	अरूणाचल प्रदेश	15	61	0	1385	246
3.	असम	225	160	0	0	0
4.	बिहार	196	305	1168	49176	56296
5.	छत्तीसगढ़	732	778	1500	116524	44572
6.	गोवा	70	70	1951	7401	5585
7.	गुजरात	1438	1438	3149	13770	22522

1	2	3	4	5	6	7
8.	हरियाणा	759	170	8905	3230	54720
9.	हिमाचल प्रदेश	387	655	1093	93298	15200
10.	जम्मू और कश्मीर	112	120	475	14621	65000
11.	झारखंड	65	122	1487	23109	16698
12.	कर्नाटक	2204	2590	1225	360350	455186
13.	केरल	700	750	10303	709565	97309
14.	मध्य प्रदेश	836	932	2870	52566	92711
15.	महाराष्ट्र	1490	1490	64000	270000	210000
16.	मणिपुर	17	60	130	2750	1230
17.	मेघालय	11	36	113	1000.00	200
18.	मिजोरम	231	240	2899	3445	46780
19.	नागालैंड	51	52	232	7175	8050
20.	ओडिशा	1325	1325	1154	4662	578
21.	पंजाब	469	864	1829	30943	27932
22.	राजस्थान	1554	1600	5976	193650	83000
23.	सिक्किम	125	125	350	12500	0
24.	तमिलनाडु	4918	4670	35144	195944	136020
25.	त्रिपुरा	142	1902	2363	150518	244169
26.	उत्तर प्रदेश	1842	1902	2363	150518	244169
27.	उत्तराखंड	585	569	420	33812	63254
28.	पश्चिम बंगाल	589	845	9394	46038	29819
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	75	64	1275	16270	90750
31.	दादरा और नगर हवेली	12	12	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	6	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	6	0	0	250
34.	पुडुचेरी	101	126	425	3850	36950
35.	दिल्ली	0	0	2908	0	63203
	कुल	22112	25308	189954	2641773	3250671

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत उपलब्धियों से संबंधित राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10				
		विशेष सिविल	चयनित ग्राम	रक्त दान	वृक्ष बागान	प्लस पोलियो (लाभान्वित बच्चे)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	591	3256	2774	49239	649017
2.	अरूणाचल प्रदेश	1000	61	158	2600	350
3.	असम	3	176	0	0	0
4.	बिहार	76	250	587	20500	13570
5.	छत्तीसगढ़	552	610	1420	43871	22318
6.	गोवा	61	61	473	1185	11204
7.	गुजरात	897	897	834	45328	9317
8.	हरियाणा	131	131	6489	47700	13090
9.	हिमाचल प्रदेश	642	630	13	200250	16025
10.	जम्मू और कश्मीर	147	147	177	52000	77000
11.	झारखंड	21	85	70	7010	3250
12.	कर्नाटक	1262	3001	737	195100	825581
13.	केरल	885	800	5621	105897	23000
14.	मध्य प्रदेश	502	502	0	30762	0
15.	महाराष्ट्र	1258	1258	45350	106890	518213
16.	मणिपुर	10000	20	250	2000	0
17.	मेघालय	1600	36	163	1500	0
18.	मिजोरम	8650	235	1572	3217	6800
19.	नागालैंड	3527	45	754	5850	5000
20.	ओडिशा	961	961	955	6500	0
21.	पंजाब	89	595	1056	28630	34629
22.	राजस्थान	1455	1600	1809	260000	80000

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	45	125	140	7000	0
24.	तमिलनाडु	2565	4687	21987	111.63	81213
25.	त्रिपुरा	3172	34	2380	10000	2200
26.	उत्तर प्रदेश	793	794	208	18552	8550
27.	उत्तराखंड	235	235	373	4599	40000
28.	पश्चिम बंगाल	197	197	4613	22104	11016
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	36	69	1426	3750	447650
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	3	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	13	0	0	600
34.	पुडुचेरी	54	126	440	5075	39000
35.	दिल्ली	1	0	50	100	1000
	कुल	32517	21646	107879	1398272	2939593

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत उपलब्धियों से संबंधित राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2010-11				
		विशेष सिविल	चयनित	रक्त दान	वृक्ष बागान	प्लस पोलियो (लाभान्वित बच्चे)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1095	3256	19775	244824	1114894
2.	अरूणाचल प्रदेश	50	65	36	2400	450
3.	असम	0	102	24	0	1428
4.	बिहार	92	331	660	23383	28363

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	522	755	1406	98284	45477
6.	गोवा	78	80	200	1000	300
7.	गुजरात	1013	1308	1500	672000	85000
8.	हरियाणा	714	855	9168	19465	54720
9.	हिमाचल प्रदेश	638	660	780	84985	11117
10.	जम्मू और कश्मीर	65	80	1400	45350	113
11.	झारखंड	34	199	854	14160	1174
12.	कर्नाटक	2605	2625	7100	200100	116010
13.	केरल	1117	800	1825	485000	25000
14.	मध्य प्रदेश	854	859	8008	590000	192269
15.	महाराष्ट्र	1907	1890	52806	390000	192969
16.	मणिपुर	4	38	166	1450	200
17.	मेघालय	15	106	121	530	2865
18.	मिजोरम	81	120	3120	2835	3420
19.	नागालैंड	21	34	490	12050	1200
20.	ओडिशा	1047	1709	1675	25228	150
21.	पंजाब	427	97	3824	45612	24072
22.	राजस्थान	1696	1700	7000	295000	52000
23.	सिक्किम	125	125	310	12512	25000
24.	तमिलनाडु	4450	4686	70061	478794	242156
25.	त्रिपुरा	114	44	19	22000	16000
26.	उत्तर प्रदेश	2245	2291	1933	135245	186982
27.	उत्तराखंड	643	651	17676	248227	41187
28.	पश्चिम बंगाल	653	829	8698	52394	12430
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	131	78	2923	10000	54500
31.	दादरा और नगर हवेली	8	16	120	1600	7000

1	2	3	4	5	6	7
32.	दमन और दीव	14	8	83	1300	1500
33.	लक्षद्वीप	8	7	0	200	0
34.	पुडुचेरी	73	175	650	15000	6000
35.	दिल्ली	6	550	3055	5200	6320
	कुल	22545	27129	227466	3706075	2553338

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत उपलब्धियों से संबंधित राज्यवार विवरणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12				
		विशेष सिविल	चयनित	रक्त दान	वृक्ष बागान	प्लस पोलियो (लाभान्वित बच्चे)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	736	1215	15665	113209	413219
2.	अरूणाचल प्रदेश	45	85	32	3200	477
3.	असम	23	125	74	2705	3710
4.	बिहार	136	333	685	1766	12336
5.	छत्तीसगढ़	501	757	1603	67105	23301
6.	गोवा	71	93	177	1327	305
7.	गुजरात	703	1328	938	15109	23308
8.	हरियाणा	574	857	2713	12119	32603
9.	हिमाचल प्रदेश	421	660	384	21905	9005
10.	जम्मू और कश्मीर	47	80	911	22117	98
11.	झारखंड	43	198	674	9706	805
12.	कर्नाटक	2301	2625	6515	98221	76507
13.	केरल	915	811	1203	173323	13025
14.	मध्य प्रदेश	705	863	6701	61727	60217
15.	महाराष्ट्र	1515	1893	43337	103108	86217

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	27	43	103	789	107
17.	मेघालय	23	117	74	789	3215
18.	मिजोरम	110	132	965	2730	1535
19.	नागालैंड	18	35	112	965	633
20.	ओडिशा	736	1706	815	12709	125
21.	पंजाब	337	186	2832	21375	16397
22.	राजस्थान	1123	1700	2203	95215	21394
23.	सिक्किम	87	125	117	7315	12431
24.	तमिलनाडु	3505	4686	55671	232333	135732
25.	त्रिपुरा	79	174	21	9305	7118
26.	उत्तर प्रदेश	1937	2289	1137	87544	76915
27.	उत्तराखंड	574	651	23217	37950	52557
28.	पश्चिम बंगाल	437	831	6911	45713	9622
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	102	79	2104	7576	33291
31.	दादरा और नगर हवेली	11	17	86	927	3115
32.	दमन और दीव	17	8	95	1125	1376
33.	लक्षद्वीप	8	7	17	131	27
34.	पुडुचेरी	122	175	521	12691	7232
35.	दिल्ली	17	521	3776	32205	11371
	कुल	18006	25405	182389	1316034	1149332

[अनुवाद]

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को वापस लेना

***17. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम किन-किन राज्यों में लागू हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों सहित विभिन्न पक्षों से इस अधिनियम को वापस लेने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू है:

(i) सम्पूर्ण असम और नागालैंड राज्य;

(ii) अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिले;

(iii) अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में असम से लगा 20 किमी चौड़ा सीमावर्ती क्षेत्र;

(iv) इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर मणिपुर राज्य;

(v) राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित त्रिपुरा राज्य;

(vi) जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, बडगाम, अनंननाग, पुलवामा, बारामुला और कुपवाड़ा जिले।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की धारा-3 के तहत केन्द्र सरकार/राज्य के राज्य पाल को राज्यों/क्षेत्रों को "अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं बशर्ते कोई राज्य अथवा उसका कोई भाग ऐसी अशांत अथवा संकटपूर्ण स्थिति में हो कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक हो।

मणिपुर में विभिन्न संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से कतिपय क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना को वापस लेने अथवा अधिनियम का निरसन करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा संबंधी मामलों के बारे में भारत सरकार कोई निर्णय लेने से पहले वास्तविक स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***18. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री विट्ठलभाई रादड़िया:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार और गुजरात सहित देश में राज्यवार कुल कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों का उद्योगवार एवं मात्रावार ब्यौरा क्या है तथा इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों को अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष, 2007-08 में बिहार और गुजरात समेत देश में 26,221 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें थीं। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन उद्योगों द्वारा किए गए उत्पादों के संबंध में आंकड़ें नहीं रखता है। तथापि, गत तीन वर्ष के लिए खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित वस्तुओं का निर्यात नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

2008-09	2009-10	2010-11
49352	50759	63733

स्रोत: वणिज्यिक एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीपीआईएण्डएस)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी

सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, एवं आईटीडीपी क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन उपायों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, अनुसंधान एवं विकास को सहायता, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटीकल कंट्रोल प्सारइंट्स (एचएसीसीपी) जैसी गुणवत्ता प्रणालीयों के कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें विश्व बाजार में अधिक बनाने की दृष्टि से विशिष्ट खाद्य वस्तुओं पर कर में कमी, उत्पाद शुल्क की समाप्ति/घटाने, सीमा शुल्क में कमी जैसे अनेक उपाय किए हैं।

विवरण

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या (2007-08)

राज्य	प्रचानरत फैक्ट्रियों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	6127
तमिलनाडु	3589
महाराष्ट्र	2316
उत्तर प्रदेश	1700
पंजाब	2072
कर्नाटक	1604
गुजरात	1401
पश्चिम बंगाल	1271
केरल	1183
असम	876
हरियाणा	501
छत्तीसगढ़	730
ओडिशा	580
मध्य प्रदेश	533
राजस्थान	516
उत्तराखंड	288
बिहार	179
झारखंड	114
दिल्ली	116
हिमाचल प्रदेश	112
जम्मू और कश्मीर	114
गोवा	74
पुडुचेरी	60
त्रिपुरा	54
दमन और दीव	28
चंडीगढ़ (संघशासित)	24
नागालैंड	16
मेघालय	14
मणिपुर	10
दादरा और नगर हवेली	14
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
कुल	26,221

स्रोत: सीएसओ (एएसआइ टाइम सीरियस 1998-99)-(2007-08 से मार्च, 2011 तक)

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

*19. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के अनेक भाग भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आदि से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) इन आपदाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई/कितने व्यक्ति घायल हुए;

(घ) इन राज्यों में संपत्ति, पशुधन और फसलों की अनुमानित कितनी हानि हुई;

(ङ) इन क्षेत्रों का दौरा करने वाली केन्द्रीय दलों और इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है और उन्हें अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां वर्ष 2011-12 में राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मानव जीवन की क्षति, पशुधन की क्षति तथा फसली क्षेत्रों एवं मकानों को हुई क्षति के साथ-साथ विभिन्न मात्रा में बाढ़, भूकम्प त्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण -I में दिया गया है।

(ङ) और (च) सिक्किम, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों ने अपने प्रयासों में सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी और एफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। मांगी गई सहायता, केन्द्रीय दलों के दौरे, दलों की रिपोर्टों की स्थिति तथा अनुमोदित सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2011-12 वे दौरान चक्रवाती तूफानों/भारी बाढ़/बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने/भूकम्प इत्यादि के कारण हुई क्षति के राज्य वार ब्यौरे

(अनंतिम) 14.11.2011 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	मानव जीवन की क्षति की संख्या	पशुधन की क्षति की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसलीं क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
3	असम	3	-	277	4.17
4	बिहार	33*	-	1603	-
5	गोवा	1	-	134	एन ई जी
6	गुजरात	53	175	4734	-

1	2	3	4	5	6
7	हरियाणा	–	–	–	–
8	हिमाचल प्रदेश	51	2374	10838	1.56
9	झारखंड	–	–	–	–
10	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
11	कर्नाटक	84	51	419	–
12	केरल	133	525	11737	0.88
13	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
14	महाराष्ट्र	106	–	–	–
15	मेघालय	–	–	–	–
16	मिजोरम	–	–	–	–
17	ओडिशा	87	1493	290780	4.19
18	पंजाब	14	4	26	–
19	सिक्किम	77*	1333	23903	0.14
20	तमिलनाडु	–	–	–	–
21	उत्तर प्रदेश	692	268	22858	5.25
22	उत्तराखंड	19	10	107	–
23	पश्चिम बंगाल	77*	33	317481	0.09
24	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
25	पुडुचेरी	–	–	4	0.0049
	कुल	1,430	6,266	6,84,901	16.28

*इसमें 18 सितम्बर 2011 को भूकम्प के कारण सिक्किम में हुई 60 लोगों की मृत्यु, पश्चिम बंगाल में 9 लोगों की मृत्यु और बिहार में 6 लोगों की मुत्यु शामिल है।

विवरण II

वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगने वाले राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र (आपदा के ब्यौरे)	मांगी गयी सहायता (करोड़ रु. में)	केन्द्रीय दल के दौरे	दल द्वारा आकलित (करोड़ रु. में)	उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी द्वारा एनसीसीएफ/एन धनराशि डी आर एफ से निधि के अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	सिक्किम (भूकम्प-सितम्बर, 2011)	2847.83	27-30 सितम्बर 2011 और तथा 7-10 अक्तूबर, 2011	291.36+41.64 एनडी आरडब्ल्यूपी	केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर दिनांक 8.11.11 का आई एम जी द्वारा विचार किया गया है। इसे एच एल सी के समक्ष शीघ्र ही होने वाली इसकी अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।
2	पश्चिम बंगाल (भूकम्प-सितम्बर 2011)	525.04	11 अक्तूबर, 2011	-	केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इसे आई एम जी के समक्ष और बाद में एच एल आई एम जी के समक्ष और बाद में एच एल सी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
3	ओडिशा (बाढ़ 2011)	3265.37	26-30 सितम्बर, 2011	1292.86	केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर दिनांक 8.11.11 को आईएमजी द्वारा विचार किया गया है। इसे एच एल सी के समक्ष शीघ्र ही होने वाली इसकी अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।
4	केरल (बाढ़/भूस्खलन 2011)	1048.09	20-24 अक्तूबर 2011	-	केन्द्रीय दल से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, इसे आईएमजी के समक्ष और बाद में एचएलसी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
5	उत्तर प्रदेश (बाढ़ 2011)	1447.67	दौरा अभी करना है	-	राज्य हेतु ज्ञापन प्राप्त होने पर दिनांक 21 अक्तूबर, 2011 को एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन किया गया है। राज्य सरकार से परामर्श करके स्थिति का आकलन करने के लिए शीघ्र ही दौरा करेगा।
6	हिमाचल प्रदेश (बाढ़/भूस्खलन/बादल फटना 2011	700.57	दौरा अभी करना है	-	राज्य हेतु ज्ञापन प्राप्त होने पर दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन किया गया है। राज्य सरकार से परामर्श करके स्थिति का आकलन करने के लिए दल शीघ्र ही दौरा करेगा।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शहरी गरीबी

***20. श्री प्रेमदास राय:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शहरी गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को लागू करने में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) कोई पृथक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए सरकार ने जून, 2011 में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम सहित देश भर में संयुक्त ग्रामीण-शहरी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) अभियान शुरू किया है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से एसईसीसी पहले से ही शुरू की है।

(ग) और (घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआवाई) का उद्देश्य शहरी गरीब लोगों के रोजगार, कौशल का उन्नयन और सामुदायिक विकास के मुद्दों का निवारण करना है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निधियन में केन्द्र और राज्यों का अंशदान अनुपात 90:10 होता है जो कि क्षेत्र में राज्यों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की कमी को ध्यान में रख कर किया जाता है। यह मंत्रालय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एक मुश्त 10% प्रदान करने की योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। शहरी गीबों और निम्न आय समूहों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं को केन्द्रीय पूल से सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक बाजार, स्लम पुनर्विकास, बहुउद्देशीय संसाधन केन्द्र, सामुदायिक स्वच्छता कार्य आदि ऐसे कुछेक क्षेत्र हैं जिन्हें इस योजना के तहत शामिल किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10% योजना की प्रगति का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण -I और -II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 10% में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत हुई वास्तविक राज्य-वार प्रगति

क्रमांक	राज्य का	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (18.11.2011 तक स्थिति के अनुसार)	
		नामव्यक्ति/ सामूहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रप्त शहरी गरीबों की संख्या	नामव्यक्ति/ सामूहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रप्त शहरी गरीबों की संख्या	नामव्यक्ति/ सामूहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित गरीबों संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रप्त शहरी गरीबों की संख्या	नामव्यक्ति/ सामूहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित गरीबों संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रप्त शहरी गरीबों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	16	20	34	28	33	27
2.	असम	479	420	472	420	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मणिपुर	7	737	8	2469	8	97	0	0
4.	मेघालय	99	51	24	47	52	154	0	0
5.	मिजोरम	0	0	29	230	546	3145	588	1836
6.	नागालैंड	276	10	142	46	326	154	225	224
7.	सिक्किम	479	1478	86	0	150	320	25	60
8.	त्रिपुरा	272	1826	200	1014	382	1586	297	817
	कुल	1612	4522	977	4246	1498	5484	1168	2964

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं और जारी किए गए केन्द्रीय अंशदान

क्रमांक	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (18.11.2011 तक स्थिति के अनुसार)	
		स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया केन्द्रीय अंशदान* (रुपए लाख में)	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया केन्द्रीय अंशदान* (रुपए लाख में)	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया केन्द्रीय अंशदान* (रुपए लाख में)	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी किया गया केन्द्रीय अंशदान* (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	415.14	6	1438.69	4	795.49	0	1798.13
2.	असम	0	1558.86	4	630.59	6	670.62	1	341.05
3.	मणिपुर	0	3028.00	0	1135.26	2	944.60	0	0.00
4.	मेघालय	0	0.00	1	911.01	1	535.30	0	0.00
5.	मिजोरम	0	0.00	4	442.78	4	731.21	0	1771.13
6.	नागालैंड	0	0.00	3	165.12	3	284.52	0	0.00
7.	सिक्किम	0	0.00	1	388.61	1	35.90	0	0.00
8.	त्रिपुरा	0	0.00	1	237.94	2	1002.36	0	0.00
	कुल	1	5000.00	20	5350.00	23	5000.00	1	3910.31

*नई योजनाओं और पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं दोनों के लिए।

शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम

1. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कुछ जिलों में पायलट आधार पर शहरी खेल-कूद अवसंरचना स्कीम (यू एस आई एस) को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यू एस आई एस के अंतर्गत पहचाने गए जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) यूएसआई एस के अंतर्गत की गयी गतिविधियों तथा अब तक उनमें हासिल की गयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों को आवंटित/जारी की गयी धनराशि तथा उक्त स्कीम के अंतर्गत अब तक उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। योजना से संबंधित संलग्न ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। यूएसआईएस के अंतर्गत खेल अवसंरचना परियोजनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

शहरी खेल अवसंरचना (यूएसआईएस) के सृजन हेतु सहायता की योजना के ब्यौरे

(क) यह एक केनद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य पूरे "स्पोर्टस इको सिस्टम" अर्थात् खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उनका विकास, कोचिंग तथा अवचंरचना की ओर ध्यान दिलाना है।

(ख) यह योजना दो वर्षों (2010-11 तथा 2011-12) हेतु प्रचालन में है तथा 2011-12 तक प्रायोजित आधार पर कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) यह योजना सामुदायिक खेल-मैदानों का प्रोत्साहन तथा संरक्षण देने, मौजूदा अवसंरचना के प्रयोग को उपयोग में लाकर विवेचित खाली स्थान को भरने आवश्यक अवसंरचना का सृजन करने तथा सामुदायिक कोचों समेत कोचों के बीच क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने पर फोकस डालती है।

(घ) योजना खेल अवसंरचना परियोजना के सृजन जैसे सिंथेटिक हॉकी फील्ड, फुटबाल मैदान तथा बहुउद्देशीय हाल (60 मी. गुना 40 मी. आकार के) निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.50 करोड़ रुपये से 6.00 करोड़ रुपये की सीमा में वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

(च) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें, स्थानीच नागरिक निकास, केन्द्रीय/राज्य सरकार के अंतर्गत स्कूल/कॉलेज यूनिवर्सिटीयां तथा स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(छ) कोई भी राज्य एक वर्ष में एक से अधिक परियोजना को प्राप्त नहीं कर सकेगा।

विवरण II

15 नवम्बर, 2011 तक की स्थिति

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	खेल अवसंरचना परियोजना	जिला	राशि		जारी किए जाने का महीना और वर्ष
			अनुमोदित	जारी की गई	
1	2	3	4	5	6
1.	मल्टी पर्पज इंडोर हाल	तरन तारन पंजाब	3.98	2.00	मार्च 2011
2.	इंडोर खेल परिसर का नवीकरण/आधुनिकीकरण	कोलकता पश्चिम बंगाल	6.00	3.00	मार्च 2011

1	2	3	4	5	6
3.	सिंथेटिक हाकी फील्ड बिछाना	उना हिमाचल प्रदेश	5.00	3.50	मार्च 2011
4.	सिंथेटिक हाकी फील्ड बिछाना	डॉ. कोलासिब मिजोरम	5.00	3.50	मार्च 2011
5.	सिंथेटिक हाकी फील्ड बिछाना	भुवनेश्वर ओडिशा	5.00	5.00	अगस्त 2011
6.	सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रेक बिछाना	मोहिमा नागालैंड	5.00	3.00	अगस्त 2011
7.	सिंथेटिक हाकी फील्ड बिछाना	जबलपुर मध्य प्रदेश	4.81	3.62	अक्तूबर 2011
8.	मल्टीपरपज इंडोर हाल का निर्माण	एजवाल मिजोरम	6.00	4.50	अक्तूबर 2011
9.	मल्टीपरपज इंडोर हाल का निर्माण	जोधपुर राजस्थान	6.00	4.50	अक्तूबर 2011
		कुल	46.79	33.12	

नोटः शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा पहले से जारी की गई राशि के लिए प्रगति रिपोर्ट, व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद शेष राशि जारी की जाएगी।

तनाव रोधी फसल किस्में

2. **श्री पोन्नम प्रभाकरः**
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कृषि वैज्ञानिक ऐसी फसल-किस्मों का विकास कर रहे हैं जो वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक तापक्रम तथा अन्य एबियोटिक तनाव कारकों को सह सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य में मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय उच्च तापमान और अन्य अजैविक दबावों की प्रतिरोधी किस्मों के विकास के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न फसलों में अब तक विकसित कुछ प्रमुख दबाव प्रतिरोधी किस्मों की सूची विवरण में दिया गया है।

विवरण

गेहूं: पीबीडब्ल्यू 527, एचडी 2888 एचआई 153, एचआई 1500, एचडी 8627, एचएस 507, वीएल 829, वीएल 892, डब्ल्यूएच 1080, एचडी 2781, एचडब्लयू 1085

जौः एचएल 276, आडी 2660, के 603

चावलः सहभागी धान, वंदना, अन्नडा अन्पूर्णा, अंजलि, दातेश्वरी, पीएनआर-519, वीएल धान 208, अभिषेक , विरेन्द्र, सदाबहार, हजारीधान गोविन्द, हीरा, तुलसी, शुष्क सम्राट।

मक्काः पूसा हाईब्रिड मक्का-1,2 और 5, विवेक-21, विवेक-23, एचएम-4

ज्वारः मलदंडी 35-1, फुले-मौली

बाजराः विकसित एचबी 67, जीएचबी-757, जीएचबी-538, आरएचबी 177, एचएचबी 226, एचएचबी 216, आरएचबी 154, जीए.चबी 719, एचएचबी 68

चनाः आरएसजी 44, आरएसजी 888, एस 26, बीजीडी 72, विजय, पूसा 362, पूसा 362, पूसा 1103

मोठः सीजैडएम 1, सीजेडएम 2, सीजैडएम 3

कपासः एचडी 324, सीआईसीआर-1 राज डीएच 7, सी एसएचएच 198, पीकेवी एचवाई 5, जवाहर ताप्ती, प्रताप कापी, पीए 225, जी.काट. 15 जी.काट 18 एनएच 545, एलआरए 5166, एके 235, सूरज, सुरभि, सुमंगल, वीना।

गन्नाः सीओ 94008 (श्यामा), सीओ 99004 (दामोदर), सीओ 2001-3 (सुलभ), सीओ 2011-15 (मंगला), करन-1, करन-4।

लवणीयता

चावल: सीआर धान 402, सीआर धान 403, सीएसआर 30, सीएसआर 27, सीएसआर-36, नरेन्द्र उॅसर संकर धान 3, लुनीश्री, भूतनाथ, डीआरआर धान 39, जारवा, सुमति, विकास

गेहूं: केआरएल-14, केआरएल-19, केआरएल-210, केआरएल-213

चना: आईसीसीवी 6, करनाल चना 1

कपास: एएच 1, सीआईसीआर-2, राज डीएच 9, जी 27 पूसा अगेती

गन्ना: सीओ 94008 (श्यामा), सीओ 99004 (दामोदर), सीओ 2001-3 (सुलभ), सीओ 2001-15 (मंगल)

गुनिया घास: अम्लीय मृदा के लिए: हामिल, पीजीजी-1, अवक्रमित वनों तथा बीहड़ों के लिए हामिल, पीजीजी 14 और पीजीजी 19, तटीय लवणीय के लिए: हामिल, पीजीजी-14

जलमग्नता

चावल: स्वर्ण सब-1, आईआर 64 सब-1

गहरा जल

चावल: जितेन्द्र, दिनेश, जलधि, नीरज

उच्च तापमान

गेहूं: डब्ल्यूएच 730, एनआईएडब्ल्यू 34, राज 3765 और डीबीडब्ल्यू 14, एचडी 2808 और राज 4037

मूंग: एसयूएम 1, 16, सम्राट, मेहा, आईपीएम 02-3, आईपीएम 02-14, पंत मूंग 5 और एसएमएल 668, पूसा विशाल

उड़द: उब्ल्यूबीयू 109, केयू 96-3 और पंत यू 35।

मटर: आदर्श, प्रकाश, विकास और पंत मटर 42

मक्का संकर: प्रकाश, बुलंद, पीएमएच-1, पीएमएच-3, एचएम-9 और एचक्यूपीएम-1

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वितरण

3. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्री हरि मांझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन गरीब लोगों को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओं) के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त खाद्यान्नों के वितरण में लगे गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या खाद्यान्नों के दुरूपयोग को रोकने के लिए ऐसी एजेंसियों की निगरानी करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) (क) से (च) गैर सरकारी संगठनों के जरिए गरीबों को सीधे खाद्यान्नों प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए प्राकृतिक आपदाओं से प्रवण, खाद्यान्न की कमी वाले गांवों अथवा रिहाइशों में ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों अथवा गैर सरकारी संगठनों के जरिए अनाज बैंकों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा 2008-09, 2009-10, 2010-11 और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण अनाज बैंकों स्कीम के अधीन आवंटित खाद्ययान्नों का विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आवंटित खाद्यान्न (टन)
2008-09	9628
2009-10	8856
2010-11	6836
2011-12 (अक्टूबर, 2011 तक)	4328

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उपर्युक्त स्कीम के अधीन खाद्ययान्नों का आवंटन करती है। राज्यों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे उचित और पात्र ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों अथवा गैर सरकारी संगठनों के जरिए स्कीम का क्रियान्वयन करें और उनके क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग भी करें। विभिन्न राज्यों में स्कीम के क्रियान्वयन में शामिल गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों की सूची केन्द्र सरकार नहीं रखती है।

[अनुवाद]

नई टीआरपी व्यवस्था

4. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स व्यवस्था (टी आर पी) की परीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रचलित मौजूदा व्यवस्था की विश्वसनीयता क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से अपने सुझाव देने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने नयी टी आर पी व्यवस्था को अंतिम रूप देने के पहले इस मुद्दे पर विभिन्न साझेदारों से संपर्क किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) नयी टी आर पी व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार द्वारा की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(झ) नयी टी आर पी व्यवस्था कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (झ) टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स तैयार करने की मौजूदा प्रणाली में कतिपय कमियों के मद्देनजर और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के पश्चात सरकार ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करने और उन पर सिफारिशें देने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के पूर्व महासचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को प्रस्तुत की। उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(i) उद्योग की अगुवाई वाले निकाय अर्थात प्रसारण श्रोतागण अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) के माध्यम से टीआरपीज का स्व-विनियमन;

(ii) बीएआरसी में एक 12 सदस्यीय बोर्ड होना चाहिए;

(iii) बीएआरसी को अनुसंधान, डिजाइन व विश्लेषण के क्षेत्र में मार्गदर्शित करने के लिए बीएआरसी के भीतर एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति (एचपीसी) होनी चाहिए;

(iv) नमूना आकार को 8,000 से बढ़ाकर 30,000 पीपल मीटर होम्स कर दिया जाना चाहिए;

(v) उद्योग को नमूना आकार के विस्तार का वित्त-पोषण करने के लिए वार्षिक आधार पर अपने संगत टर्नओवर का कुछ प्रतिशत बीआरसी को भुगतान करना चाहिए;

(vi) रेटिंग एजेंसी के चयन में पारदर्शिता होनी चाहिए;

(vii) हितों के टकराव से बचने के लिए रेटिंग एजेंसियों एवं प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं एवं विज्ञापन एजेंसियों के बीच कोई पारस्परिक धारिता नहीं होनी चाहिए;

(viii) टीआरपी मापन प्रक्रिया में चार चरण होने चाहिए और निष्पक्ष एवं विश्वसनीय परिणाम हासिल करने के लिए इनमें से प्रत्येक चरण के कार्य को अलग-अलग एजेंसियों को पृथक रूप से सौंपा जाना चाहिए;

(ix) रेटिंग एलेंसियों की प्रमुख पात्रता शर्तों के विषय में वर्ष 2008 की ट्राई रिपोर्ट में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

चूंकि उद्योग द्वारा समिति की सिफारिशों का पालन किया जाना है, इसलिए रिपोर्ट को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान के पास भेज दिया गया था। प्रसारण दर्शकगण अनुसंधान परिषद इस प्रयोजन से एक प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है और इसके द्वारा जुलाई, 2013 तक रेटिंग रिपोर्टों का प्रकाशन आरंभ किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

एनसीआरपीबी क्षेत्रों में धनराशि का उपयोग

5. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा

चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड (एनसीआरपीबी) के अंतर्गत आ रहे क्षेत्रों में क्षेत्र वार एवं शीर्ष वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्षो चालू वर्ष के दौरान भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों बोर्ड योजना बोर्ड द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(राशि लाा रुपए में)

उपक्षेत्र/वर्ष	जलापूर्ति	सीवर/जलनिकास/ ठोस कचरा प्रबंधन	विद्युत	सड़क/परिवहन	भूमि विकास	सामाजिक अवसंरचना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09							
हरियाणा	5616.41	4566.84	28723.99	16967.27	823.03	0.00	56697.54
यूपी	0	0	0	0	5000.000	0	5000.00
राजस्थान	0	0	10608.00	0	0	0	10608.00
कुल	5616.41	4566.84	39331.99	16967.27	5823.03	0	72305.54
2009-10							
हरियाणा	12712.92	1545.47	21752.19	36064.00	0	5525.72	77603.30
यूपी	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	3852.26	0	0	0	3852.26
कुल	12712.92	1545.47	25604.45	36064.00	0	5528.72	81455.56
2010-11							
हरियाणा	9088.09	2611.68	1704.75	37908.08	0	7126.08	58438.68
यूपी	0	0	0	0	1439.00	0	1439.00
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
कुल	9088.09	2611.68	1704.75	37908.08	1439	7126.08	59877.68
2011-12 (11.11.11 तक)							
हरियाणा	888.49	3408.12	6231.00	15270.00	0	8275.00	34072.61
यूपी	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	5000.47	0	0	0	5000.47
कुल	888.49	3408.12	11231.47	15270.00	0	8275.00	39073.08

[अनुवाद]

डीटीएच सेवाएं

6. श्री एस.एस. रामासुब्बूः क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान (डायरेक्ट टू होम) डीटीएच सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए डीटीएच सेवा प्रदाता/रेडियो चैनल का प्रसारण कर रहे संचालकों ने उन्हें रिले करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार चूककर्ता डीटीएच संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए डीटीएच क्षेत्र में पंजीकृत उपभोक्ता आधार निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	सशुल्क डीटीएच सेवाओं के लिए पंजीकृत उपभोक्ता आधार
1.	दिसम्बर, 2008	11104997
2.	दिसम्बर, 2009	19148848
3.	दिसम्बर, 2010	32054073
4.	सितम्बर, 2011	41044463

(ग) ऐसे कोई मामले मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाए गए थे क्योंकि वर्तमान में डीटीएच प्लेटफार्म पर रेडियो चैनलों के प्रसारण हेतु नीतिगत दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि का आवंटन

7. श्री एस. अलागिरीः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने किसी निजी फर्म/एजीओ को अब तक भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीए के/यान में आए भूमि के उपयोग के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन का ब्यौरा क्या है;

(घ) भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए उल्लंघन की घटनाओं को जानने के लिए डीडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक हासिल सफलता क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1860 के सोसाइटी अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/संस्थानों को भूमि आबंटित की है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई सूचना के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान दिनांक 1-1-2006 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थानों को किए गए आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है, आबंटन/लीज डीड की शर्तों और निबंधनों के अनुसार कार्रवाई की जानी है। यदि कोई उल्लंघन नोटिस किया जाता है अथवा किसी सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो डीडीए के फील्ड स्टाफ की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उल्लंघन/दुरुपयोग के लिए लीज डीड/आबंटन को रद्द करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

विवरण I

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संस्थागत भूमि का वर्षवार निपटान।

(I) श्रेणी-उच्च और तकनीकी संस्थान

क्र.सं.	आबंटन की तारीख/कब्जे की तारीख	सोसाइटी का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मी. में)	स्थान
1	2	3	4	5
1	6.3.2006	रितानंद बालवड एजुकेशन फाउंडेशन	2000	सेक्टर-17 द्वारका
2	28.3.2006	सोसाइटी फार एम्पालाइमेंट एण्ड कैरियर काउंसलिंग	1479	तुगलकाबाद
3	8.6.2006	कमल एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी	2012	सेक्टर-9 द्वारका
4	5.9.2006	आइल इंडस्ट्रीस डेवलपमेंट बोर्ड	6500	सेक्टर-23 द्वारका
5	15.11.2006	रिशी औरबिन्दो एजुकेशन सोसाईटी	4154.29	नरेला
6	2.1.2007	स्काई विजन वेलफेश्र सोसाईटी	2300	सेक्टर-9 द्वारका
7	21.11.2007	स्पाईस बोर्ड	936	सेक्टर-ए-7 नरेला
8	4.2.2008	दा मिशनरी आफ चैरटी	1050	जंगपुरा
9	21.12.2009	दा दिल्ली आर्थोडाक्स डायोसेशन कांउसिल	461.60	सेक्टर-3 रोहणी
10	9.6.2010	इंटरनेशनल मेडिकल साइंस ऐकेडमी (सोसाइटी का अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है तथा प्लाट को लगभग आधा करने का अनुरोध किया गया है)	873	सेक्टर-ए-7 नरेला

(II) श्रेणी-धार्मिक

क्र.सं.	आबंटन की तारीख/कब्जे की तारीख	सोसाइटी का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मी. में)	स्थान
1	2	3	4	5
1	13.2.2006	श्री विष्णु धार्मिक सभा	126	केशव पुरम
2	13.2.2006	श्री विष्णु धार्मिक सभा	126	केशव पुरम
3	14.2.2006	राज योगा शिक्षा एण्ड रिसर्च सत्संग भवन	400	दिलशाद गार्डन

1	2	3	4	5
4	16.6.2006	दिल्ली मेरोथमा चर्च	400.06	द्वारका
5	13.7.2006	भारत में मेथोडिस्क चर्च	402	रोहणी
6	13.7.2006	भारत में मेथोडिस्क चर्च	400	द्वारका
7	11.9.2007	संत निरंकारी मंडल	400	द्वारका
8	17.3.2008	दा दिल्ली आर्थोडाक्स डायोसिस	400	मयूर विहार फेज-3
9	24.3.2008	राज योगा शिक्षा एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन	400	द्वारका
10	25.4.2008	दिल्ली मेरोथमा चर्च	340.80	मयूर विहार फेज-3
11	6.11.2008	एस एस जैन सभा	378	रोहणी
12	7.7.2008	सोना देवी राजा राम चैरिटेबल ट्रस्ट	400	कडकडडूमा
13	7.11.2008	श्री संतन धर्मशाला	395.58	रोहणी
14	19.9.2008	द्वारका कालीबाडी	400	द्वारका
15	25.9.2008	श्री गुरु सिंह सभा	400	सेक्टर 11 द्वारका
16	29.9.2008	दर्शगाह ई इश्लामिया इंटाजामिया कमेटी	407.17	रोहणी
17	22.12.2008	रोहणी धार्मिक सेवा समिति	350	रोहणी
18	20.1.2009	गुरुद्वारा साध संगत सैनिक विहार	200	पीतमपुरा
19	6.5.2009	आर्य समाज सैनिक विहार	200	सैनिक विहार पीतमपुरा
20	15.6.2009	आयप्पा सेवा समिति	392.60	कोडली घरोली मयूर विहार
21	21.10.2009	श्री गुरू सिंह सभा	400	द्वारका
22	11.5.2009	प्राचीन सनातन धर्म सभा	200	सैनिक विहार पीतमपुरा
23	19.2.2010	श्री दत्ताचार्य गया बोध सत्संग सभा चैरिटेबल ट्रस्ट	488.11	द्वारका
24	5.3.2010	इस्कान	4031.25	रोहणी
25	13.7.2010	आर्य समाज सैनिक विहार	200	सैनिक विहार पीतमपुरा

1	2	3	4	5
26	11.5.2010	बंगाल वेलफेयर एण्ड कल्चरल ऐसोसिएशन	364.06	वसुधरा
27	25.2.2011	जितेंद्र चैरिटेबल सोसाइटी	400.50	द्वारका
28	29.3.2011	दिल्ली वाकफ बोर्ड	400	जंगपुरा
29	10.1.11	श्री जग्गनाथ रोहणी सेवा संघ	430.60	रोहणी
30	11.1.2011	श्री बालाजी बबोसा धार्मिक सोसाइटी	400	रोहणी

(III) श्रेणी-सामुदायिक हाल

क्र.सं.	आबंटन की तारीख/कब्जे की तारीख	सोसाइटी का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मी. में)	स्थान
1	25.1.2006	सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर सीएचबीएस लिमि.	1126.70	सरस्वती विहार
2	1.10.2007	नव निर्माण एजुकेशन एवं कलचरल सोसाईटी	882.17	द्वारका
3	6.8.2009	ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्पलाइज सीएचबीएस	0.1300	किरण विहार
4	6.8.2009	ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्पलाईज सीएचबीएस	0.1300	किरण विहार

(श्रेणी)-मिडिल स्कूल

क्र.सं.	आबंटन की तारीख/कब्जे की तारीख	सोसाइटी का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मी. में)	स्थान
1	27.7.2009	हाई ब्रो एजेकेशन सोसाइटी	6000	कडकडडुमा

सूखे संबंधी सहायता

8. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बद्री राम जाखड़:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-11 के दौरान देश में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा लागू की जा रही सिंचाई योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या प्रभावित लोगों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को अनुमोदित सहायता की शेष राशि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने वर्ष 2010-11 के दौरान क्रमश: 38,24,17 और 11 जिलों से सूखा घोषित किया।

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, परियोजनाओं का नियोजन, निष्पादन, प्रचालन तथा अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों में से एवं प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी समर्थन मुहैया करता है, जो कि उत्प्रेरक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है। अब तक देश में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत इसकी 1996-97 में शुरुआत से 287 मुख्य/मध्यम/लघु परियोजनाएं वितपोषित की गई हैं जिनमें से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में क्रमश: 9,9,18,7 परियोजनाएं हैं।

12768 लघु सिंचाई स्कीमें हैं जिन्हें एआईबीपी के अंतर्गत इसकी शुरुआत से वित्तपोषित किया गया है जिनमें से 92,285,78 और 57 लघु सिंचाई स्कीमें क्रमश: बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। एआईबीपी के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा उड़ीसा के अविभाजित क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड तथा उड़ीसा के अविभाजित कालाहाण्डी, बोलंगीर और कोरापुट (केबीआर) के कम से कम 20 है. की संभावना वाले जिलों में सतही लघु सिंचाई स्कीमें तथा कम से कम 50 है, की सिंचाई संभावना के साथ 5 कि.मी. की परिधि के भीतर स्कीमों का समूह और सूखा प्रवण एवं जनजातीय क्षेत्रों में 50 है, से अधिक की सिंचाई क्षमता के साथ सहायता कर रहे गैर-विशेष श्रेणी में सतही लघु सिंचाई स्कीमें वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है, जो कि परियोजना लागत की 90% होती है। एआईबीपी के अंतर्गत वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2008-09, 2009-10 के सूखों के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से तथा वर्ष 2010-11 के सूखे के लिए राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से मांगी गई और अनुमोदित की गई सहायता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09 का सूखा		2009-10 का सूखा		2010-11 का सूखा	
		राज्यों द्वारा मांग	अनुमोदित सहायता*	राज्यों द्वारा मांग	अनुमोदित सहायता*	राज्यों द्वारा मांग	अनुमोदित सहायता*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	-	-	10106.77	575.30		
2	असम	-	-	792.60	89.94		
3	बिहार	-	-	23071.13	1163.64	6573.45	1459.54
4	हिमाचल प्रदेश	-	-	608.13	88.93		
5	जम्मू और कश्मीर	-	-	211.82	156.77		
6	झारखंड	-	-	890.31	200.955	2871 .00	855.30
7	कर्नाटक	2043.07	83.83	394.92	116.49		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	केरल	–	–	168.22रु	33.02रु		
9	मध्य प्रदेश	–	–	11669.68	246.31		
10	महाराष्ट्र	–	–	15059.64	671.88		
11	मणिपुर	–	–	22.09	14.57		
12	नागालैंड	–	–	74.76	21.12		
13	ओडशा	–	–	2266.65	151.92	1576.80	376.55
14	राजस्थान	–	–	14927.37	1034.84		
15	उत्तराखंड	200.14	57.51	–	–		
16	उत्तर प्रदेश	–	–	12133.42	515.05		
17	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	1100.00	724.99

ओलावृष्टि हेतु 0.12 करोड़ रु. सहित

* संबंधित राज्य सरकार के पास आपदा राहत कोष (बीआरएफ)/राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष के 75% के समायोजन की शर्त पर

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

9. **श्री जी. एम. सिद्देश्वर:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं एवं ऐसे प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) इस प्रकार के प्रस्ताव सरकारों से सीधे प्राप्त नहीं होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अन्तर्गत देश में नई खाद्य यूनिटों की स्थापना तथा मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उननयन और स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं योजना में, मंत्रालय ने अब तक कर्नाटक की 123 यूनिटों को सहायता दी है।

विकिरण संसूचन प्रणाली

10. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकिरण की संसूचन के लिए देश में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकिरण के कारण हुई मौतों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेडियोलॉजी संबंधी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए विकिरण संसूचन प्रणाली की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों में ऐसी सुविधाएं स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रणाली पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) यह मामला परमाणु ऊर्जा विभाग सं संबंधित है। सूचना एकत्र की जा रही है और विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना

11. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित उसके प्रस्तावित प्रकार्य क्या हैं; और

(ग) उक्त प्राधिकरण की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए युग के कमांडो

12. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन एस जी) ने भूमि, वायु एवं जल के माध्यम से विशेष आतंकवाद रोधी एवं अपहरण रोधी कार्रवाइयां करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस नये युग के कमांडो तैयार करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) ब्लैक कैट कमांडो के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना चला रही है;

(ख) एन एस जी कमांडो कम्पनियों का निगरानी, बम का पता लगाने और निष्क्रिय करने तथा आधुनिक डिजिटल संचार प्रणालियों के लिए संवर्धित प्रशिक्षण, कौशल एवं रणनीति के उन्नयन, उन्नत मॉड्यूलर हथियार प्रोफाईल तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उन्नयन किया जा रहा है।

अपशिष्ट प्रबंधन

13. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई दीर्घावधि योजना है; और

(घ) अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन कार्यपद्धति 200 तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शहरी स्थानीय निकायों के समक्ष पेश आ रही विभिन्न कठिनाइयों का पता लगाया है जिसमें तकनीकी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक विशेषज्ञता की कमी, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और संस्थागत व्यवस्थाएं शामिल हैं।

(ग) नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन राज्य का विषय है और इस प्रकार की प्रणाली की योजना, डिजाइन बनाने, उसके कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण का दायित्व राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय का है। तदनुसार, इस प्रकार की प्रणालियों की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का काम राज्यों का है। तथापि, भारत सरकार अपनी स्कीमों अर्थात जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 10 प्रतिशत एक मुश्त स्कीम और सेटेलाइट कस्बों की अवस्थापना विकास स्कीम के जरिए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

(घ) ठोस कचरा प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रणाली अपनाने के लिए शहरों एवं राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने नगर पालिका ठोस कचरा प्रबधन एवं संचालन नियमावली, 2000 अधिसूचित की है, ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी नियम पुस्तिका (मई 2000), ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समूह की रिपोर्ट (मई 2005) और एकीकृत पोषण प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट (मार्च 2003) प्रकाशित की है।

बीजों का आयात

14. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से बीज आयात करने के लिए अनुमति हेतु राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग की बीज संबंधी आयात एवं निर्यात समिति (एग्जिम समिति) नई बीज विकास नीति, 1988 जिसमें अनाजों, मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों तथा चारा फसलों के बीज तथा पुष्प व फल फसलों की कलम, बालवृक्ष, कलिकायुक्त टहनियां आदि कवर होते हैं, के प्रावधानों के अनुसार बीजों/पौध रोपण सामग्री के आयात के प्रस्तावों पर विचार करती है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तराखंड सरकार से अप्रैल, 2010 में फ्रांस से 3000 नाशपाती व 4000 अखरोट के पौधों के आयात करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। एग्जिम समिति ने अप्रैल, 2010 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त पौध रोपण सामग्री के आयात की सिफारिश की थी।

खेल महासंघों में प्रशासकों का कार्यकाल

15. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल महासंघों/खेल निकायों के पदाधिकारियों/प्रशासकों के लिए उम्र सीमा तथा कार्यकाल सीमा लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा कार्यकाल एवं उम्र सीमा संबंधी जारी दिशा-निर्देशों तथा ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय खेल निकायों के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार वर्ष 1975, 1988, 1997 और 2001 से देश में खेलों और क्रीड़ाओं के मानकों में सुधार के बारे में अनुदेश जारी करती रही है जिनमें राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों/प्रशासकों के कार्यकाल का प्रावधान था किंतु उसे भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के कड़े विरोध के कारण 2001 से स्थगित रखा गया था। 2010 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट मत व्यक्त किया कि राष्ट्रीय खेल परिसंघों को संचालित करने वाले सरकारी दिशा-निर्देश वैध, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हैं तथा कार्यकाल संबंधी अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चार्टर का उल्लंघन नहीं करते। दूसरी जनहित याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के असीमित कार्यकाल से उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के असीमित कार्यकाल से संबंधित विषय में सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। माननीय न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिंता तथा सांसदों और जन साधारण द्वारा इस संबंध में व्यक्त किए गए विचार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के आयु और कार्यक्राल संबंधी सीमा लागू करने का निर्णय लिया गया और संशोधित दिशा-निर्देश 1 मई, 2010 को जारी किए गए। अब तक 67 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों में से 41 राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने इन दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित कर दिया।

(घ) सरकारी दिशा-निदेश के अनुसार सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता, और जवाबदेही बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) खेल निकायों के चुनाव, स्पष्ट, पारदर्शिता और उचित नियमों से संचालित होना चाहिए जिसमें एवं स्पष्ट मतदाता सूची, एक सवतंत्र निर्वाची अधिकारी तथा गुप्त मतदान हो।

(ii) हितों का टकराव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियात्मक विनियम हो।

(iii) नये उम्मीदवारों को पहुंच बनाने के लिए पदाधिकारियों का कार्यकाल सीमित अवधि का होना चाहिए।

(iv) कार्यकारी समिति में मताधिकार वाले 25% सदस्य जाने माने खिलाड़ी होना चाहिए।

(v) खिलाड़ियों के साथ विवाद का समाधान करने के लिए एक विवाद निवारण सेल होना चाहिए।

(vi) सरकार से 10 लाख रुपये से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने चाहिए।

(vii) सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जन साधारण की सूचना के लिए अपने वेबसाइट पर अपने वार्षिक लेखे और अन्य महत्वपूर्ण सूचना अनिवार्यत: डालनी चाहिए।

[हिन्दी]

देशभक्ति संबंधी फिल्मों का निर्माण

16. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो के दौरान देशभक्ति वाली फिल्मों में तेज गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों (डी डी के) के माध्यम से निर्मित एवं दिखायी गयी ऐसी फिल्मों की डी डी के वार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) प्रत्येक वर्ष बनाई गई फिल्मों के प्रकार के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई आकड़े नही रखे जाते हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देशभक्ति फिल्मों की किसी भी श्रेणी का रखरखाव नहीं करता है। तथापि फिल्म प्रभाग ने अंतिम तीन वर्षो के दौरान सत्रह तथा चालू वर्ष में दो देशभक्ति फिल्मों का निर्माण किया है।

(ग) दूरदर्शन सामान्यत: फीचर फिल्मों का निर्माण नहीं करता है। तथापि चालू वर्ष सहित अंतिम तीन वर्षो के दौरान दूरदर्शन ने डीडी नेशनल चैनल पर देशभक्ति विषय वस्तु वाली 14 फिल्मों का प्रसारण किया है।

(घ) फिल्म उद्योग मुख्यत: निजी क्षेत्र में है। तथापि सरकार मददगार तथा उत्प्रेरक के रूप कार्य करती है। सरकार का सभी श्रेणियों में स्तरीय फिल्मों के निर्माण को उत्साहित करने का प्रयास रहता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन नामत: फिल्म प्रभाग राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर वित्तीय समर्थन पुरस्कार वितरण एवं फिल्म समारोहों के आयोजन के माध्यम से इस उदेद्श्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

[अनुवाद]

बेसमेंटों का उपयोग

17. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण दिल्ली में बेसमेंट के उपयोग हेतु आज की तिथि को प्रयोज्य निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) बेसमेंटों के अवैध उपयोग/उल्लंघन की निगरानी के लिए गठित एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) आवासीय या खतरनाक उद्योगों के लिए उपयोग किए जा रहे बेसमेंटों की सिलिंग सहित इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए बेसमेंट मानदण्ड, मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 के अध्याय 17.0, डवलपमेंट बोड खण्ड 8 (5) (घ) में निर्धारित किए गए हैं जिनमें यह व्यवस्था है वि यदि बेसमेंट का उपयोग, परिसरों के अनुरूप कार्यकलापों हेतु किरूाजाता है। तो यथा अनुमत्य, इसकी गणना अगिन प्राधिकरणों और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अध्यधीन फर्शी क्षेत्रफल अनुपात में की जाएगी।

उपर्युक्त मानदण्ड सभी उपयोगों प्लाट काटकर बनाए गए आवासों में रिहायशी प्लाटों को छोड़कर, पर लागू हैं जिनके लिए दिल्ली मास्टर प्लान-20221 में यह व्यवस्था है कि बंसमेंट की गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात के रूप में नही की जाएगी यदि उसका उपयोग भवन उप-नियमों यानी घरेलू भण्डारण और पार्किंग के अंतर्गत अनुमत्य प्रयोजनों हेतु किरूा जाता है। बेसमेंट क्षेत्र अनुमत्य और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार भूतल क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन आंतरिक प्रांगण और शैफ्ट के नीचे वाले क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। यदि बेसमेंट का उपयोग 15.0 मिश्रित उपयोग विनियमन की शर्तानुसार किया जाता है तो फर्शी क्षेत्रफल अनुपात में इसकी गणना होगी और अनुमत्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात से अधिक होने पर उचित प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीउमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तथा

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से नियुक्त निगरानी समिति परिसरों जिसमें बेसमेंट भी शामिल है के उल्लंघन/अवैध उपयोगों की निगरानी करती है।

(ग) जब कभी बेसमेंट का दुरुपयोग पाया जाता है, क्रमशः दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम और दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई जिसमें परिसरों को सील करना भी शामिल है, की जाती है।

एपिग्राफिस्टों की कमी

18. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह तथ्य हैं कि उल्लेखों का अध्ययन कर सकने वाले एपिग्राफिस्टों की देश में कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित अनुवर्ती कार्रवाई क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरालेखविदों की वर्तमान स्वीकृति संख्या में विभिन्न धाराओं में अनेक पद खाली हैं, जो फिडर ग्रेड में योग्य अधिकारियों की कमी के कारण भरे नहीं जा सके। संस्कृति मंत्रालय ने भी पुरालेख के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शैक्षिक व्यवसायियों और विद्वानों को सम्मानित करने के लिए पुरालेख के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है ताकि उनकी विशेषज्ञता और ज्ञान को विद्वानों की भावीपीढ़ी को सौंपा जा सके और पुरालेख में अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके।

नए कलावरों की स्थापना

19. **श्री पी.टी. थॉमसः** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य में नए कलावरों (निर्माण सामग्री उचित दर दुकानें) के उन्नयन और उनकी स्थापना के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत सरकार को केरल राज्य सरकार से 18 नए कलावर इकाइयां शुरू करने एवं मौजूदा तीन कलावर इकाइयों की सुविधाओं के उन्नयन हेतु 14.18 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ है। गरीबों को किफायती मूल्य पर सस्ती भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने के प्राथमिक उद्देश्य से कलावर भवन निर्माण सामग्री उचित मूल्य दुकानें केरल राज्य निर्मित केंद्र द्वारा 2008 में शुरू की गई थीं। गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर स्टील, रेत, एवं सीमेंट बेचने के लिए राज्य में 10 कलावर कार्यरत बताई जाती हैं। केरल सरकार को सूचित किया गया है कि वर्तमान में इस मंत्रालय के अधीन भवन निर्माण सामग्री की उचित मूल्य दुकानों के वित्त पोषण की योजना नहीं है।

अनधिकृत निर्माण

20. **श्री हमदुल्लाह सईदः** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध खनन निर्माणों के विरूद्ध कोई अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या असुरक्षित और गैर-कानूनी निर्माण को रोकने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) संबंधित स्थानीय निकायों (एलबीएस) अर्थात दिल्ली निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा विद्यमान में ऐसा कोइ भी विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया होने के नाते जब कभी भी कोई अनधिकृत निर्माण नोटिस में आता है, अवैध/अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध संबंधित एलवीएस, दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण की कार्रवाई करना मुख्य रूप से एलबीएस जैसे दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण हेतु दिल्ली नगर निगम ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष जोनल नियंत्रण कक्ष, गिराऊदस्ते

आदि का पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एनडीएमसी में समिति का गठन किया गया है तथा इसके क्षेत्रों में अतिक्रमणों और अवैध निर्माण की जांच पड़ताल हेतु पृथक विभाग पहले से ही कार्य कर रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बौद्ध स्तूप की खोज

21. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्ण क्षेत्र में हाल ही में बौद्ध स्तूप की खोज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्राचीन स्मारक की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 2010 में आंध्र प्रदेश सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश के बन्टुमिलि मन्डा, कृष्णा जिले के मुन्जल्लुरु गांव में एक बौद्ध स्तूप स्थल की खोज की गई थी जिसमें लगभग 10 मीटर ऊंचाई वाला एक अर्धगोलाकार टीला है जिसके आधार पर चार मूल दिशाओं में आयताकार प्रक्षेप हैं। जो यह 43 सेंटीमीटर के क्षेत्र में मुन्जुल्लुरु गांव में मिला था। इस टीले के आस-पास वे क्षेत्र में शंखों के खोल सहित काले और लाल मिट्टी के बर्तन, बफ पाये गये। चूने और पिथा का टूटा हुआ आयक स्तंभ जो पांचवीं और छठी शताब्दी ई. का प्रतीक होता है, भी पाया गया।

(ग) राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उक्त प्राचीन स्मारक के परिरक्षण के लिए अधिसूचना संख्या जी.ओ. एमएस सं. 64, वाईएटी और सी (पीएमयू) विभाग, दिनांक 16 जून, 2011 जारी की है।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाएं

22. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के कितने नगरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु परियोजना-वार योजनाएं क्या हैं और इनकी प्रगति की क्या स्थिति है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या इन योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में बहुत लंबा समय लगा है; और

(घ) यदि हां, तो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आरंभ की गयी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) राजस्थान राज्य में अजमेर-पुष्कर शहर ऐसे दो मिशन शहर हैं जिन्हें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी शहरों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के छोटे और मझोले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

122908.11 लाख रुए की अनुमोदित लागत और 76622.50 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के वचनबद्धता के यूआईजी के अंतर्गत राजस्थान राज्य के लिए कुल 13 परियोजनाएं (जिनमें मिशन शहर अजमेर-पुष्कर के लिए 4 परियोजनाएं और मिशन शहर जयपुर के लिए 9 परियोजनाएं शामिल हैं) अनुमोदित की गई हैं। अभी तक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 42493. 38 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

60988.52 लाख रुपए की अनुमोदित लागत और 48790.83 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के वचनबद्धता से यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 35 शहरों के लिए 37 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। परियोजनाओं के उपयोग के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2842.99 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक सुधार संबद्ध योजना है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पेरास्टेटल के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मिशन निदेशालय द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पेरास्टेटल के अधिकारियों के द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी), राज्य स्तर पर सहायक कार्यक्रम प्रबंधन एककों (पीआईयू) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एकको (पीएमयू), राज्य स्तर पर स्वतंत्र

पुनरीक्षा और मानीटरिंग एजेंसी (आईआरएमए) आदि का सहयोग लिया गया है। राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी), राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) और राज्य के लिए आईआरएमए के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है। मिशन के क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की जाती है।

बेघर परिवार

23. **श्री विजय बहादुर सिंह:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बेघर लोगों का कुल प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का प्रतिशत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों में भूमि और आवासों के निर्माण के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों के पलायन को रोकने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत की जनगणना, 2001 में यह अनुमान लगाया था कि देश भर में 19,43,766 बेघर व्यक्तियों में से 11,65,167 (60 प्रतिशत) ग्रामीण व्यक्ति हैं तथा 7,78,599 (40 प्रतिशत) शहरी व्यक्ति हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शहरी आवास और पयावास नीति (एन यू एच एच पी), 2007 का उद्देश्य ऐसे छोटे और मझौले कस्बों के विकास में तेजी लाना है जो कि आर्थिक गति के जनक के रूप में कार्य करने के साथ-साथ मौजूदा बड़े शहरों में प्रवसन की दर में कमी लाने का पर्यास कर सकते हैं तथा इस नीति में संतुलित विकास के लिए तीव्र परिवहन कोरीडोर पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करके मेगा और मेट्रो शहरों में प्रवसन की दर में कमी लाने की तत्काल आवश्यकता का भी समर्थन किया गया है।

'भूमि और कॉलोनी बसाना' राज्य के विषय होने के कारण एनयूएचएचपी: 2007 के अंतर्गत पहल- प्रयास शुरू करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

तथापि, केन्द्र सरकार निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआईजी) के लिए आवास के निर्माण में मदद कर रही है यानी:

- वर्ष 2005 में सरकार द्वारा शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं कस्बों में स्लमों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करता है। दिनांक 01.11.2011 की स्थिति के अनुसार बीएसयूपी और आईएचएसडीपीर के अंतर्गत कुल 15,62,211 रिहायशी आवासों का निर्माण करने के लिए 21,54,548.87 करोड़ रु. की परियोजना लागत से कुल 1501 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।
- शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है और ऐसे परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 8370 लाभार्थियों को शामिल किया गया है तथा 7.25 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी के लिए सकल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) जारी किया गया है।
- भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण हेतु भूमि जुटाना और आंतरिक एवं बाह्य अवस्थापना संपर्क के प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार सहायता उपलब्ध कराना है। 5000 करोड़ रु. के परिव्यय से वर्ष 2009 में शुरू की गई उक्त स्कीम का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों का निर्माण करना है जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से कम 25 प्रतिशत मकान हों। आज की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 53.96 करोड़ रुपये के कुल केन्द्रीय अंश के साथ 792.04 करोड़ रु. की परियोजना लागत अनुमोदित की गई है तथा 100 रिहायशी मकान स्वीकृत किए गए हैं।

- 'राजीव आवास योजना' (रे) नाम की एक नई स्कीम दिनांक 2.6.2011 को शुरू की गई ह। 'राजीव आवास योजना' (रे) फेज-1 5000 करोड़ रु. के बजट के साथ स्कीम के अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए है। इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थानों के पुनर्विकास के लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रखरखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी वे राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। स्लम मुक्त शहरी योजना स्कीम राजीव आवास योजना के प्रारंभिक के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने अर्थात राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक चरण के लिए 157 शहरों को धनराशि जारी की गई है।

महिलाओं के बीच खेलकूद को बढ़ावा देना

24. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खेलकूद में लिंग असमानता के उन्मूलन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिलाओं को खेलकूद में अग्रसर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में खेलकूद को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं में महिला खिलाड़ियों की विशिष्ट भोजन/प्रशिक्षण आवश्यकताओं प्रावधान है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिष्टित महिला खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) खेलों के संवर्धन और विकास में कोई लिंग भेद नहीं है। मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध लाभ और सुविधाएं दोनों लिंगों के खिलाड़ियों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं।

1975 में शुरू की गई महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर महिलाओं के बीच खेलों को संवर्धित करना है। इसके बाद जिला और राज्य स्तरों पर निम्न स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसके लिए राज्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार निधियां प्रदान की गई हैं। महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप योजना को अब वर्ष 2008-09 से शुरू किए गए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के साथ समेकित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित मानकों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

प्रतियोगिता स्तर	निधियन स्तर
जिला स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 10,000/- रु. की दर से 1.20 लाख रु.
राज्य स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 50,000/- रु. की दर से राज्यों के लिए 6 लाख रु.
	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 25,000/- रु. की दर से संघ क्षेत्र के लिए 3 लाख रु.
राष्ट्रीय स्तर	12 विधाओं के लिए प्रति विधा 3.50 लाख रु. की दर से 42 लाख रु.

इस योजना में निम्नलिखित 12 खेल विधा शामिल हैं जिन्हें देश के विभिन्न राज्यों में राज्य खेल परिषद के सहयोग से महिलाओं के लिए खेल समारोह आयोजित करने के लिए चार समूहों में बांटा गया है।

क्र.सं.	समूह 1	समूह 2	समूह 3	समूह 4
1	बास्केटबाल	हैंडबाल	एथलेटिक्स	खो-खो
2	हाकी	हाकी	बैडमिंटन	कबड्डी
3	टेनिस	टेनिस	टेबल टेनिस	वालीबाल

भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न खेल संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत महिला खिलाड़ियों की आवक संख्या बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केंद्रों में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न केंद्रों में अनेक विधाओं 4196 महिला प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए सभी तीन वर्गों अर्थात सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करना अपेक्षित है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रत्येक वर्ग में सीनियरों के लिए 2.00 लाख रु. की दर से एक राष्ट्रीय स्तरीय चैम्पियनशिप आयोजिन करने, जूनियर चैम्पियनशिप के लिए 4 लाख रु. और सब जूनियर चैम्पियनशिप के लिए 6 लाख रु. की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के रूप में 6 क्षेत्रीय चैम्पियनशिप तक प्रति चैम्पियनशिप एक लाख रु. की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) प्रत्येक योजना में वित्तीय दिशा निर्देश के अनुसार भाखेप्रा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पर रही महिला खिलाड़ियों सहित सभी खिलाड़ियों की भिन्न-भिन्न खाद्य/प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

राष्ट्रीय कोचिंग कैंपों में भाग ले रही महिला खिलाड़ियों सहित खिलाड़ियों को भोजन प्रभार तथा भोज्य संपूरक निम्नलिखित दरों पर प्रदान किए जाते हैं:-

खाद्य प्रभार

(i) सीनियर: प्रति एथलीट प्रतिदिन 400/-रु. (पावर और नन-पावर दोनों खेलों के लिए)

(ii) जूनियर और सब जूनियर: प्रति एथलीट प्रतिदिन 300/-रु. की अधिकतम सीमा (पावर और नन पावर दोनों खेलों के लिए)

खाद्य संपूरक

(i) सीनियर: प्रति एथलीट प्रतिदिन 250/-रु. (पावर और नन-पावर दोनों खेलों के लिए)

(ii) जूनियर और सब जूनियर: प्रति एथलीट प्रतिदिन 100/-रु. की अधिकतम सीमा (पावर और नन पावर दोनों खेलों के लिए)

[हिन्दी]

खरीद में गिरावट

25. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में गेहूं, बाजरा, चावल, तिलहन और दलहन की खरीद में गिरावट आयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त वस्तुओं की वस्तु-वार कुल कितनी मात्रा की खरीद की गयी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, बाजरा चावल तिलहन और दालों की फसलों के विणपन मौसम के दौरान राज्य में इन फसलों की खरीदारी में उतार-चढ़ाव का रूझान रहा है। पिछले 3 वर्ष के दौरान उपर्युक्त जिंसों की खरीदारी के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
गेहूं	935	1152	476	1302
चावल	11	0	0	0
मोटे अनाज	0	0	नगण्य	0
दाल (चना)	0	0	0	0
तिलहन	0	0	0	0

टिप्पणी: नगण्य का अर्थ 500 टन से कम है।

#17-11-11 के अनुसार स्थिति।

[अनुवाद]

कम मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं

26. श्री अधीर चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सहित कतिपय राज्यों ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे हेतु खाद्यान्नों के निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं आबंटित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) मई, 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए किए गए खाद्यान्नों के 50 लाख टन के अतिरिक्त आवंटन में से अंत्योदय योजना के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को खाद्यान्नों को वितरण करने के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) मई, 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 50 लाख टन खाद्यान्नों के अलावा सरकार ने जुलाई से अक्तूबर, 2011 तक के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के मूल्यों पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को वितरण करने के लिए 7,59,650 टन खाद्यान्नों सहित 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों के लिए 23.67 लाख टन खाद्यान्नों का कुल आवंटन और किया है।

खाद्यान्नों की क्षति

27. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कीटनाशकों के उपयोग के कारण खाद्यान्नों और मुख्य फसलों की कितनी वार्षिक क्षति हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2007 से आज की तिथि तक हुई वार्षिक क्षति के फसल-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार ने खाद्यान्नों और मुख्य फसलों के कीटनाशकों के उपयोग से होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सामान्यत: कीटनाशकों के उपयोग की संस्तुति सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कीटों के आर्थिक न्यूनतम निर्धारित स्तर (ईटीएल) को पार करने के पश्चात की जाती है ताकि आर्थिक हानि से बचा जा सके। इस प्रकार, कीटनाशकों के उपयोग से खाद्यान्नों को कोई हानि नहीं पहुंचती यदि उन्हें लेबल एवं विज्ञप्ति के अनुसार उचित रूप से प्रयोग किया जाए। मीडिया में नकली कीटनाशकों के कारण फसल हानि की रिपोर्ट आई है। हालांकि नकली कीटनाशकों के उपयोग के कारण वर्षवार एवं फसलवार हानि का डाटा उपलब्ध नहीं है।

कीटनाशकों की गुणवत्ता की मानिटरगिं राज्य सरकारों द्वारा 68,110 नमूनों के विश्लेषण की वार्षिक क्षमता वाली 68 राज्य कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल), दो क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओ एवं एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला, जो रेफरल विश्लेषण करती है, द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) के अंतर्गत आवास योजना

28. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) 'बचत आवास योजना' के अंतर्गत गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) देश में इस योजना को आरंभ करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) ने एनएचबी बचत आवास योजना (एनएचबी-बीएवाई) नामक बचत से जुड़ी आवास ऋण स्कीम तैयार की है।

(ख) एनएचबी बचत आवास योजना (एनएचबी-बीएवाई) बचत से जुड़ी आवास ऋण स्कीम है जिसका शुरुआती लक्ष्य सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बड़े संगठनों के निचले स्तर के कर्मचारियों जैसे कि पैरा-मिलिट्री और सशस्त्र बलों में निचले स्तर के कर्मचारी, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के कर्मचारी, औद्योगिक कामगर, नर्से, अन्य वेतन भोगी वर्ग आदि।

इस स्कीम का उद्देश्य निचले स्तर के कर्मचारियों में बचत की आदत को बढ़ावा देना है जिसे आवास हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(ग) उक्त सकीम राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) द्वारा वर्ष 2007 में अनुमोदित करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई थी, लेकिन बदलते बाजार परिदृश्य को देखते हुए, अब इस स्कीम की समीक्षा राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी) द्वारा की जा रही है और इस समय किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

वामपंथी उग्रवादग्रस्त जिलों में कर्मचारियों को प्रोत्साहन

29. श्री जयराम पांगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक और गैर-आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इसमें शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सेवारत अधिकतर सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अतः वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के तैनात केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक मसौदा प्रोत्साहन योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए सितम्बर, 2009 में परिचालित की गई थी। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कई राज्य सरकारों के मत अभी प्रतीक्षित हैं।

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) की तैनाती

30. श्री के. सुगुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने और इससे संबद्ध कर्त्तव्यों के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) के कार्मिकों की तैनाती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए विद्रोह-रोधी तथा संबंधित ड्यूटियों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए जाते हैं।

नक्सलवाद सहित विद्रोह-रोधी समस्याओं से जूझ रहे विभिन्न राज्यों में इन बलों की तैनाती राज्य सरकारों की विशिष्ट अपेक्षाओं/आवश्यकताओं, स्थिति की संवेदनशीलता, सुरक्षा के समग्र परिदृश्य तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आदि के आधार पर की जाती है। ऐसे घटकों के मद्देनजर राज्य सरकारों की सहायता के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई हैं। किसी भी राज्य में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का स्तर परिवर्तनशील है और यह समय-विशेष पर उभर रही सुरक्षा से संबंधित स्थिति के आधार पर बदलती रहती है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के विवरण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आम-तौर पर प्रकट नहीं किए जाते हैं।

जैव कृषि के लिए धनराशि

31. श्री पी.के. बिजू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव कृषि अनुसंधान केन्द्रों (आरसीओएफ) की स्थापना के लिए जारी की गयी धनराशि की तुलना में कम धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या खर्च न की गयी राशि को सरकार को वापस कर दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय जैविका कृषि केन्द्र (आरओएफ) की इमारतों के निर्माण के लिए स्वीकृत निधियां एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आरसीओएफ	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)
इम्फाल	117.69	117.62
नागपुर	50.00	46.21
बंगलौर	240.00	175.23

(ख) अव्ययित निधियां होने का मुख्य कारण निर्माण की गति का अपेक्षित से कम होना है। निधियों बिलों के आधार पर आहरित की जाती हैं इसलिए अव्ययित निधियां सरकार के पास हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

32. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इस मिशन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की सामान्य परिषद (जीसी) ने 8 फरवरी 2011 को आयोजित अपनी बैठक में एनएचएम की समीक्षा की। एनएचएम की कार्याकारी समिती(ईसी) ने 3 मई 2011 को आयोजित अपनी बैठक में स्कीम की समीक्षा की। जीसी द्वारा स्कीम की समीक्षा के पश्चात ग्रीन हाऊस और शेड नेट हाऊस की क्षेत्र सीमा को प्रति लाभार्थी 1000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर कर दिया गया इसके साथ ही ग्रीन हाउस एवं शेड नेट हाउस के आकार के अनुसार रोपण सामग्री एवं आदानों हेतु सहायता प्रति लाभार्थी 4000 वर्गमीटर तक सीमित है। जीसी ने अन्य मंत्रालयों/विभागों की स्कीम के साथ एचएचएम के अभिसरण के लिए और फलों एवं सब्जियों हेतु शीत श्रृंखला और बहु माडल परिवहन प्रणाली के विकास पर अधिक ध्यान देने की भी सलाह दी है।

ईसी ने सम्पूर्ण दृष्टिकोण के साथ समूह दृष्टिकोण अपनाकर एनएचएम के कार्यान्वयन हेतु और एचएचएम के तहत स्थापित नर्सरियों के प्रत्यायन पर जोर दिया है ताकि गुणवत्ताप्रद रोपण साम्रगी की उपलब्धता और बागवानी फसलों हेतु किसानों को ऋण सुविधा दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएचएम स्कीम हेतु 8809.00 करोड़ रू. परिव्यय निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

शहरों और नगरों का विकास

33. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बढ़ते शहरों और नगरों के लिए उचित विकास की रणनीति की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य में अब तक तैयार की गयी रणनीति के ब्यौरे क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनरशि आबंटित की गयी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के पास प्रत्येक राज्य की कितनी मांगें लंबित पड़ी हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय शहरों में शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यह बढ़ती शहरी जनसंख्या शहरी मूलभूत सेवाओं और अवसंरचना पर अत्यधिक भार डालती है। इस समस्या से निपटने के लिए 03.12.2005 को सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है। सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत देश भर में 65 चुनिन्दा शहरों में सुधार प्रधान और द्रुत गति से विकास कार्य शुरू किए हैं। सभी अन्य कस्बे और शहर मिशन के छोटे और मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत निधियन के लिए पात्र हैं। मिशन में इन शहरों का सुस्थिर विकास, शहरी

अवसंरचना कार्यकुशलता, सेवा प्रदानगी तंत्र, सामुदायिक सहभागिता और शहरी स्थानीय निकायों और पेरास्टेटल एजेंसियों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष 2005-06 से शुरू हुई मिशन की सात वर्ष की अवधि के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 31,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यूआईजी के अंतर्गत हरियाणा सहित राज्यों/शहरों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के यूआईजी के अंतर्गत बिहार, झारखंड, गोवा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कुछेक राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने अपने आबंटन का पूर उपयोग कर लिया है। जेएनएनयूआरएम के यूआईजी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुरूप पाई गईं, राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर उनके तकनीकी मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के अध्ययधीन, केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल आबंटन (रुपए लाख में)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (रुपए लाख में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) वचनबद्धता	जारी एसीए (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	211,845.00	50	488,153.01	205,346.11	139,967.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	10,740.00	3	18,048.20	16,243.38	8,504.30
3.	असम	27,320.00	2	31,610.71	28,449.64	24,338.51
4.	बिहार	59,241.00	8	71,181.41	39,475.72	9,858.94
5.	चंडीगढ़	27,087.00	3	19,119.60	15,295.68	2,684.64
6.	छत्तीसगढ़	24,803.00	3	30,364.00	24,291.20	21,862.08
7.	दिल्ली	282,318.00	28	719,708.00	251,897.80	62,977.89
8.	गोवा	12,094.00	1	362.25	289.80	72.45
9.	गुजरात	257,881.00	71	549,323.60	238,568.62	159,084.46
10.	हरियाणा	32,332.00	4	69,720.70	34,860.35	17,788.48
11.	हिमाचल प्रदेश	13,066.00	4	15,323.06	11,759.25	3,141.62
12.	जम्मू और कश्मीर	48,836.00	4	53,152.00	46,946.80	18,778.73
13.	झारखंड	94,120.00	5	79,485.72	49,936.43	12,484.15
14.	कर्नाटक	152,459.00	46	369,230.04	145,202.51	84,305.79

1	2	3	4	5	6	7
15.	केरल	67,476.00	11	99,789.00	64,554.60	20,025.20
16.	मध्य प्रदेश	132,850.00	23	245,921.54	125,920.42	64,255.92
17.	महाराष्ट्र	550,555.00	79	1,150,038.01	513,602.60	366,203.97
18.	मेघालय	15,668.00	2	21,795.72	19,616.15	7,846.46
19.	मणिपुर	15,287.00	3	15,395.66	13,856.09	5,196.20
20.	मिजोरम	14,822.00	1	1,681.80	1,513.62	1,135.23
21.	नागालैंड	11,628.00	3	11,594.13	10,434.72	3,517.90
22.	ओडिशा	32,235.00	5	81,197.66	63,712.53	21,987.25
23.	पुदुचेरी	20,680.00	2	25,306.00	20,244.80	7,250.20
24.	पंजाब	70,775.00	6	72,539,00	36,269.50	14,672.88
25.	राजस्थान	74,869.00	13	122,908.11	76,623.49	42,493.38
26.	सिक्किम	10,613.00	2	9,653.67	8,688.30	4,013.51
27.	तमिलनाडु	225,066.00	48	530,128.28	212,677.10	104,792.04
28.	त्रिपुरा	14,018.00	2	18,047.00	16,043.40	4,010.85
29.	उत्तर प्रदेश	276,941.00	33	536,361.94	269,660.09	178,491.79
30.	उत्तराखंड	40,534.00	13	39,073.95	30,860.78	15,559.00
31.	पश्चिम बंगाल	321,840,00	60	574,231.42	210,108.74	94,219.98
	कुल	3150000.00	536	6,070,445.19	2,802,950.21	1,521,521.66

अवैध निर्माण हेतु एफआईआर

34. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माण करने के लिए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है;

(ख) दिल्ली पुलिस ने कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(ग) दिल्ली में ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.10.11 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अवैध निर्माण किए जाने के संबंध में दर्ज किए गए मामलों तथा दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
2008	13	20
2009	41	49
2010	59	67
2011 (31.10.11 तक)	157	187

(ग) जब कभी भी किसी अनधिकृत निर्माण की सूचना प्राप्त होती है, तब भू-स्वामित्व वाली संबंधित एजेंसी जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड आदि द्वारा उनके अधिनियम के अनुसार अवैध/अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अनधिकृत/अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर निगरानी रखने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल स्टीयरिंग कमेटी भी गठित की गई है।

खाद्य सुरक्षा

35. **श्री पी.आर.नटराजनः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एम.एस. स्वामीनाथन, अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई 'ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति' से संबद्ध प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा एम.एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत में खाद्य असुरक्षा की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट (दिसंबर, 2008) तैयार की गई है। रिपोर्ट में देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति तथा प्रचलित प्रमुख सार्वजनिक खाद्य सुपुदर्गी प्रणालियों के काम का विश्लेषण दिया गया है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में खाद्य असुरक्षा तथा पोषणिक सुरक्षा नेट कार्यक्रमों के संचालन के स्तर की एक व्यापक सांकेतिक तस्वीर पेश करने का भी प्रयास किया गया है।

गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में शुरू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उसे सुप्रवाही बनाना एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें, भारतीय खाद्य निगम के काम में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें, विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग तथा सतर्कता में सुधार करें तथा विभिन्न स्तरों पर भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने जैसी नई प्रौद्योगिकियों को लागू करें।

[हिन्दी]

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए योजना

36. **श्री सी.आर. पाटिलः** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शारीरिक रूप से विकलांग लोगों/गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों/अनुसूचित जातियों के लोगों/अनुसूचित जनजातियों को युवक-युवतियों के लिए खेलकूद प्रतिभा विकसित करने की कोई योजना आरंभ करने का है ताकि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और खेलकूद क्षेत्र में ऐसे युवक-युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) अपंग व्यक्तियों के बीच खेलों का व्यापक आधार बनाने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने प्रायोगिक आधार पर 2009-10 में अपंग व्यक्तियों के लिए खेल और क्रीड़ा नामक एक नई योजना शुरू की है जिसके निम्नलिखित संघटक हैं:

1. अनुबंध आधार पर कोचों को नियुक्त करने तथा खेल उपस्कर की खरीद के लिए स्कूलों/संस्थानों को अनुबंध।

2. सामुदायिक कोचिंग

3. जिला, राज्य और राष्ट्रीय सतर पर खेल प्रतियोगिताएं

इस योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। मास्टर ट्रेनरों को लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एलएनयूपीई), ग्वालियर में

एलएनयूपीई, भाखेप्रा, विशेष ओलंपिक भारत और अखिल भारतीय बधिर परिषद के संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाता है। 2010-11 के दौरान 488 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन मास्टर ट्रेनरों ने अपने संबंधित जिलों में सामुदायिक कोचों को प्रशिक्षण प्रदान किया। 2010-11 के दौरान कुल मिलाकर 7592 सामुदायिक कोचों को प्रशिक्षित किया गया। ये सामुदायिक कोच विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक खेल कुशलता प्रदान करते हैं।

खिलाड़ियों के बीच खेल कुशलता विकसित करने जिसमें गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लोगों सहित खेलों के सर्वधन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी विभिन्न खेल विधाओं के संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। तथापि उनके प्रयासों की संपूर्ती के लिए मंत्रालय भारतीय पैरालंपिक समिति, विशेष ओलंपिक भारत, और अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, कोचिंग कैंप आयोजित करने और खेल उपस्कर की खरीद के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना से सहायता प्रदान करता है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण

37. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की उत्पादन लागत का आकलन करने संबंधी कोई मानदंड हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मानदण्डों का उल्लंघन किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन लागत का कोई आकलन नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और

(ङ) इस सबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) तकनीकी समिति की सिफारिशों पर भारत में गन्ने सहित मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए एक सघन योजना की शुरूआत 1970-71 में की गई थी। समय-समय पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। उत्पादन लागत में केवल नकद रूप में वास्तविक व्यय को ही नहीं परन्तु भूमि एवं पारिवारिक श्रम सहित स्वामित्व प्राप्त परिसम्पतियों के आरोपित मूल्य को भी शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) 2006-07 से 2008-09 तक गन्ने के लिए उत्पादन लागत (सी2) (रूपए प्रति क्विंटल) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2006-07	2007-08	2008-09
आन्ध्र प्रदेश	88.71	106.06	119.72
हरियाणा	92.37	96.52	92.39
कर्नाटक	63.62	48.46	86.53
महाराष्ट्र	80.15	76.29	107.56
तमिलनाडु	78.22	73.45	85.79
उत्तर प्रदेश	68.49	73.35	93.64
उत्तराखण्ड	66.37	57.77	84.62

खाद्य राजसहायता

38. श्री गणेश सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को संबंधित राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या के अनुपात में खाद्य राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत

के महापंजीयक के 1 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा वास्तव में पहचान किए गए और राशन कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या जो भी कम हो, का उपयोग करता है।

केन्द्र सरकार चावल के लिए 5.65 रूपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 4.15 रूपये प्रति किलोग्राम के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए वितरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन करती है।

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन खाद्यान्नों की खरीदारी करने वाले राज्यों को खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। रिलीज की गई खाद्य राजसहायता विभिन्न स्कीमों के अधीन खाद्यान्नों के उठान पर निर्भर करती है।

विदेशी कंपनियों के माध्यम से जासूसी

39. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश कंपनियों में कार्यरत अनेक व्यक्ति जासूसी के मामलों में पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पता चले जासूसी के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में जासूसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसी विदेशी कंपनियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विशेषकर विदेशी कम्पनियों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा जासूसी के किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि पिछले तीन वर्षों और वर्ष (2008 से 2011(आज तक) के दौरान देश में कुल 46 पाक समर्थक जासूसी माड्यूलों का भंडाफोड़ किया गया था।

(ग) आसूचना तंत्र को मजबूत बनाकर केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच निकट सम्पर्क और समन्वय सुनिश्चित करके और उन्नत अत्याधुनिक हथियारों एवं संचार प्रणाली के साथ पुलिस एवं सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करके सरकार ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए एक सु-समन्वित एवं बहुआयामी नीति अपना रही है।

बर्ड फ्लू का प्रकोप

40. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृरेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम में बर्ड फ्लू का प्रकोप हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में बड़े पैमाने पर कुक्कुटों को मारा गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अन्य पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) 08 सितम्बर, 2011 को असम के धूबरी जिले के आगोमोनी ब्लाक में भमनदंगा गांव के भाग-1 में बर्ड फ्लू के प्रकोप की सूचना मिली थी। पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में तेहाता ब्लाक में नंशातोला और पुटिमारी गांव में 19 सितम्बर 2011 को बर्ड फ्लू के दो और प्रकोप की सूचना मिली थी।

(ग) नियंत्रण और रोकथाम प्रचालन में असम में 15,409 और पश्चिम बंगाल में 48,581 पक्षी मारे गये थे। असम और पश्चिम बंगाल में मुआवजे के रूप में क्रमशः 6.52 लाख रूपए और 19.29 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई थी।

(घ) नियंत्रण और रोकथाम प्रचालन को तत्काल आधार पर आरम्भ किया गया था जिससे कि राज्य में और आस-पास के राज्यों में बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। बर्ड फ्लू के प्रकोप से बचने के लिए सभी राज्यों को कड़ाई से सावधानी रखने और कुक्कुट पक्षियों पर निगरानी जारी रखने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। दोनों राज्यों में प्रचालन के बाद भी निगरानी जारी है जिसे कार्य योजना के अनुसार तीन महीनों के लिए जारी रखा जाएगा।

एएफएसपीए में संशोधन

41. श्री हरि मांझी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 में संशोधन संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में संशोधन संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। गृह मंत्रालय को इस मामले की जानकारी है और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए परामर्श की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

किसानों को सहायता

42. श्री नारन भाई कछाड़िया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश और गुजरात में अजा/अजजा और पिछड़े किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए आकस्मिक निधि से निधियां जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। अ.जा. और अ.ज.जा. के किसानों सहित किसानों के लाभार्थ कृषि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पर्याप्त निधियां मुहैया कराई गई हैं, इसलिए इस प्रयोजन के लिए भारत की आकस्मिक निधि से निधियां निकाले जाने की कोई आवश्यकता या प्रस्ताव नहीं है।

मैट्रो रेल परियोजनाएं

43. श्री मानिक टैगोर:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री पी. कुमार:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में मैट्रो रेल परियोजनाओं हेतु अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) विभिन्न राज्यों में चल रही मेट्रो रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश में महानगरों/मझौले शहरों में मेट्रो रेल संपर्कता प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों से प्राप्त/केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां। केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में मेट्रो रेल परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की हैं। केन्द्र सरकार ने अभी तक गुजरात राज्य के लिए कोई मेट्रो परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) और (ग) देश में स्वीकृत की गई और पूरी हो गई/चल रहीं मेट्रो रेल परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	परियोजना	लंबाई कि.मी.	लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1	दिल्ली एमआरटीएस फेज-I	65.05	10571.00	पूरी हो गई
2	दिल्ली एमआरटीएस फेज-II	54.68	11691.36	पूरी हो गई

1	2	3	4	5
3	दिल्ली मेट्रो का गुड़गांव तक विस्तार (हरियाणा)	14.47	1589.44	पूरी हो गई
4	दिल्ली मेट्रो का नोएडा तक विस्तार (उत्तर प्रदेश)	7.00	827.00	पूरी हो गई
5	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर, दिल्ली तक	20.16	4012.00	पूरी हो गई
6	द्वारका सेक्टर 9 से द्वारका सेक्टर 21, दिल्ली तक	2.76	356.11	पूरी हो गई
7	नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट तक	19.2	3586.39	पूरी हो गई
8	आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका सेक्टर 21, दिल्ली तक	3.50	793.00	पूरी हो गई
9	दिल्ली मेट्रो का वैशाली (गाजियाबाद) तक विस्तार	2.574	320.00	पूरी हो गई
10	दिल्ली एमआरटीएस फेज-III	103.05	3524.00	कार्य शुरू हो गया है
11	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद (हरियाणा) तक विस्तार	13.875	2494.00	कार्य शुरू हो गया है
12	चैन्नई मेट्रो (तमिलनाडु) वाशरमेनपेट से चेन्नई एयरपोर्ट तक चेन्नई सेन्ट्रल से सेंट थामस माउंट	45.046	14600.00	सितंबर, 2011 तक समग्र प्रगति 16.24% है
13	कोलकाता पूर्व पश्चिम मेट्रो कोरीडोर (पश्चिम बंगाल) हावड़ा मैदान से साल्ट लेक सेक्टर-5	14.67	4874.58	जुलाई, 2011 के अंत तक समग्र प्रगति 16.50% है
14	बैंगलौर मेट्रो (कर्नाटक) हेसाराघट्टा क्रास से पुट्टेनहल्ली और बायाप्पनाहल्ली से मैसूर रोड टर्मिनल तक	42.3	11609.00	सितंबर, 2011 के अंत तक समग्र प्रगति 45.35% है सभी प्रमुख संविदाएं दे दी गई हैं। महात्मा गांधी रोड स्टेशन से बायाप्पनाहल्ली स्टेशन तक पहली लाइन 20.10.2011 को शुरू कर दी गई है।
15	मुंबई मेट्रो लाइन-1 (महाराष्ट्र) वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर	11.07	2356.00	100% फाऊंडेशन कार्य पूरा हो गया है जबकि सितंबर, 2011 तक वायडक्ट के भाग का केवल 85% कार्य पूरा हुआ है और डिपो भाग का 90% कार्य पूरा हो गया है।
16	मुंबई मेट्रो लाइन-2 (महाराष्ट्र) चारकोप-बान्द्रा-मनकुर्द	31.87	7660.00	जनवरी, 2010 में कंशेसनर के करार पर हस्ताक्षर किए गए और कंशेसनर ने परियोजना कार्य को शुरू कर दिया है।

1	2	3	4	5
17	हैदराबाद मेट्रो (आंध्र प्रदेश)	71.16	12132	परियोजना का कार्य सफल न्यूनतम बोलीदाता, मेसर्ज लार्सेन एंड टोब्रो लिमिटेड को उनके द्वारा उद्धत की गई 1,458 करोड़ रुपए की अनुदान राशि पर दे दिया गया है और कार्य सौंपे जाने के आशय का पत्र 6 अगस्त, 2010 को जारी कर दिया गया था। कंशेसनर ने कार्य शुरू कर दिया है।
18	जयपुर मेट्रो स्टेज-I (राजस्थान)	9.25	1250.00	केन्द्रीय सरकार ने 21 जनवरी, 2011 को राज्य सरकार के संपूर्ण निधियन के आधार पर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का सिद्धांततः अनुमोदन कर दिया है। स्टेज-I का सिविल कार्य डीएमआरसी को 'डिपोजिट कार्य' के आधार पर सौंप दिया गया है। यह कार्य शुरू हो गया है।

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रमांक	परियोजना	लंबाई कि.मी.	लागत (करोड़ रुपए में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1	कोची मेट्रो रेल (केरल)	25.30	2991.50	पूर्व-लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की दिनांक 8.11.2011 को बैठक हुई
2	जयपुर मेट्रो स्टेज-II (अम्बाबारी से सीतापुर्विया वाया एसएमएस अस्पताल) (राजस्थान)	29.11 (स्टेज-I के तहत निर्मित सिविल अवसंरचना के 9.25 कि.मी. सहित)	8723.37	राजस्थान सरकार ने पीपीपी के तहत जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के स्टेज-2 का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जयपुर मेट्रो से मांगी गई पूरक सूचना की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
3	कोलाबा-महिम/बान्द्रा कोरीडोर (लाइन-III) (महाराष्ट्र)	20.40	12000.00	महाराष्ट्र सरकार ने डीएमआरसी के पेटर्न पर परियोजना का प्रस्ताव किया है। महाराष्ट्र सरकार से डीपीआर पर कुछ स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया है। इनकी प्रतीक्षा है।
4	बंगलौर हाई स्पीड रेल लिंक	34.00	6736	बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ तीव्र गति का संपर्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने पीपीपी के तहत सिटी से एयपोर्ट तक हाई स्पीड रेल लिंक विकसित करने का प्रस्ताव किया है। 34 कि. मी. लंबी इस लाइन की कुल परियोजना लागत (भूमि की लागत सहित) लगभग 6736 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। प्रबंध निदेशक, रिआयत करार पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं जिनकी प्रतीक्षा है।
5	लुधियाना मेट्रो (पंजाब)	28.954	8705	लुधियाना मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक प्रस्ताव पर 14.07.2011 को पंजाब सरकार से सिद्धांतत: अनुमोदन प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार ने पीपीपी मॉड पर परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। पंजाब सरकार से कुछ सूचना मांगी गई है जिसकी प्रतीक्षा है।
6	चेन्नई मेट्रो (तमिलनाडु) कोरीडोर-1 का तिरुवोट्टियुर और बिम्को नगर तक विस्तार)	9	2845	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रति संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दी गई है।
7	दिल्ली मेट्रो का बहादुरगढ़ (हरियाणा) तक विस्तार	11.181	1489.00	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रति संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित कर दी गई है।

[हिन्दी]

पशुधन की नई किस्मों का विकास

44. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरीश चौधरी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गाय/पशुधन की उन्नत किस्मों का विकास और उनका संरक्षण करने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पशुधन/गाय की किस्मों में सुधार करने और गाय/पशुधन की नई किस्मों का विकास करने में लगे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(घ) नई किस्मों के नाम और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार इस आयोजन हेतु निगमित संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) यह विभाग देश में गायों/पशुधन की उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(1) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(2) केंद्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना

(3) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना

(4) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान

(5) जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास

(6) सूअर विकास

(ग) पशुधन/गाय के उन्नयन में सलग्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II दिया गया है।

(ङ) और (च) यह विभाग कॉरपोरेट संगठन को इस प्रायोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है।

विवरण I

1	2	3
1.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान	करनाल, हरियाणा
2.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
3.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मकदुम, मथुरा उत्तर प्रदेश
4.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार हरियाणा
5.	राष्ट्रीय पशु पौष्टिकता और शरीर विज्ञान संस्थान	बैंगलूर, कर्नाटक
6.	केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकनगर राजस्थान
7.	केन्द्रीय एबीयन अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश
8.	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान ब्यूरो	करनाल, हरियाणा
9.	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	रानी, गुवाहाटी
10.	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र	डिरंग, अरुणाचल प्रदेश
11.	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	झरनापानी, नागालैंड
12.	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर, राजस्थान

1	2	3
13.	राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केन्द्र	उप्पल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश
14.	राष्ट्रीय अश्व और वेटी टाइप पालन केन्द्र	हिसार, हरियाणा
15.	गोपशु परियोजना निदेशालय	मेरठ, उत्तर प्रदेश
16.	भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान	आईसीएआर, पटना, बिहार
17.	आईसीएआर अनुसंधान कोम्पलेक्स	आईसीएआर, पटना, बिहार
	विश्वविद्यालय	
1.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	टीएनवीएएसयू चैन्नई, तमिलनाडु
2.	आनंद कृषि विश्वविद्यालय	एएयू, आंनद, गुजरात
3.	असम कृषि विश्वविद्यालय	एएयू, गुवाहाटी असम
4.	गुरू अंगत देव पशु विज्ञान और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	जीएडीवीएएसयू, लुधियाना, पंजाब
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	एचएयू हिसार, हरियाणा
6.	नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	एनडीयूएटी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश
7.	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय	जेएयू,जूनागढ़, गुजरात
8.	महात्मा फूले कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	एमचीपीएटी, एलआरएस, वालभानगर राजस्थान
9.	वेंकेटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय	एसवीवीयू, त्रिरपति, आन्ध्र प्रदेश
10.	महात्मा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	एमचीपीएटी, एलआरएस, वालभानगर राजस्थान
11.	केरल कृषि विश्वविद्यालय	केएयू, त्तिरसूर केरल
12.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय	आरएयू, बीकानेर राजस्थान
13.	सरदार कुशीनगर दांतीवाडा कृषि विश्वविद्यालय	एसएयू सरदारखूरसी नगर गुजरात
14.	पश्चिम बंगाल पशु मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय	डब्ल्यूबीयूयूएएफस, कोलकता पश्चिम बंगाल
15.	महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय	एमएएफएसयू, नागपुर, महाराष्ट्र
16.	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	सीएसकेएचपीवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
17.	गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	जीबीपीयूएटी, पंतनगर, उत्तराखण्ड
18.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	ओयूएटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा
19.	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	एनएयू, नवसारी गुजरात
20.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	बीएयू, राची, झारखण्ड
21.	मध्य प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय	एमपीपीसीवीवीवी, जबलपुर, मध्य प्रदेश
22.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	सीएयू मिजोरम
23.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	नागालैंड विश्वविद्यालय मिडिजीहिमा नागालैंड

विवरण II

नई प्रजातियों के नाम

क्र.सं.	नई प्रजातियों के नाम	दूध उत्पादन	दिवस में दूध देने की अवधि
1.	फ्रशवाल	3293	300
2.	करन स्विस	3137	287
3.	करन फ्राइज	4017	309
4.	वृंदावनी	3589	304
5.	सुनंदनी	3265	305

[अनुवाद]

विवेकानंद की जयंती मनाया जाना

45. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 2013-14 के दौरान पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोजना और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रामकृष्ण मिशन जैसे विभिन्न संगठनों, जो कि इस अवसर के आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं, को कोई सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावों और संगठनों को दी जा रही सहायता संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए संगठनों का नाम और प्रस्ताव

क्र.सं.	संस्थान	विषय	परियोजना की लागत/मंजूर की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	रामकृष्ण मिशन मुख्यालय, हावड़ा	विवेकानंद मूल्यपरक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव	10000.00
2.	जन सेवा प्रसारण न्यास, नई दिल्ली	स्वामी विवेकानंद पर एक फिल्म निर्माण करने के लिए प्रस्ताव	70.00
3.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा धार्मिक स्मारकों का जीर्णोद्धार	1242.00
4.	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम (धर्मार्थ अस्पताल), वृंदावन	अस्पताल के उन्नयन के लिए प्रस्ताव	270.00
5.	श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी	ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू करने और विवेकानंद स्मारक भवन की पहली मंजिल के निर्माण के लिए प्रस्ताव	301.00

1	2	3	4
6.	रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	सभागार-सह-सेमिनार हॉल के निर्माण के लिए प्रस्ताव	136.00
7.	शिकागो विश्वविद्यालय	"भारत, संस्कृति मंत्रालय विवेकानंद पीठ" स्थापित करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में अक्षय निधि के लिए प्रस्ताव	1.5 मिलियन यूएस.डालर 735.00
8.	रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान कोलकाता	"स्वामी विवेकानंद डायगनोस्टिक एंड कार्डिएक केयर सेंटर" का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव	2021.00
9.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर, खेत्री	"राष्ट्रीय हित के संरक्षित स्मारक" के रूप में ऐतिहासिक विरासत भवन "फतेह बिलास" के संरचण के लिए प्रस्ताव	72.80
10.	रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, गोलपार्क	स्वामी विवेकानंद की 50वीं जयंती मनाने हेतु विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रस्ताव	671.00
11	असम सरकार	क्षेत्रीय ओर राज्य स्तरों पर युवा शिविर, विवेक ज्योति यात्रा, निबंध प्रतियोगिता आदि आयोजित करने के लिए प्रस्ताव	59.19
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत			*15577.99*

[हिन्दी]

विस्फोटकों की बरामदगी

46. **श्रीमती मीना सिंह:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अम्बाला सहित देश के विभिन्न भागों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों को अप्रिय आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए थे;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक आने के स्त्रोतों का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी नही। तथापि अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन की पार्किंग पर दिनांक 13.10.2011 को लगभग 5 कि.ग्रा. विस्फोटक (आर डी एक्स) जब्त किया गया था।

(ख) लगभग 5 कि.ग्रा. वजन के विस्फोटक पदार्थ के पैकेट और लपेटे हुए दो छोटे ज्योमेट्री बाक्स जिनमें पाँच इलेक्ट्रिक डेटोनेटर टाइमर थे बरामद किए थे।

(ग) नई दिल्ली पुलिस स्टेशन विशेष शाखा में दिनांक 11.10.2011 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख और विस्फोटक पदार्थ की धारा 120-ख विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,4,5, के तहत एक मामला एफ आई आर संख्या 52 के रुप में दर्ज किया गया था और दिल्ली पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

(घ) 12 अक्टूबर, 2011 को दिल्ली पुलिस की एक टीम अम्बाला पहुंची और अम्बाला के उप पुलिस उपायुक्त से मिली और सूचित किया कि पंजीकरण संख्या एच आर 03-0054 वाला एक संदिग्ध वाहन अम्बाला में है और आगे की कार्रवाई के लिए इसका पता लगाया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने उक्त कार का पता लगाया और विस्फोटक पदार्थ बरामर्द किए।

(ङ) से (ज) केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है केन्द्र और राज्य पुलिस तथा आसूचना एजेंसियों के बीच सतत समन्वय आसूचना का प्रवाह और ऐसे खतरों तथा गतिविधियों से प्रभावकारी रूप से निपटना सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत निधियां

47. **श्री महेश जोशी:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवंटित, जारी और व्यय की गई निधियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राजस्थान में निधियां अव्ययित पड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) सरकार ने ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित/जारी राज्य-वार राशियों और शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या दर्शाते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान जारी अनुदान सहायता के मुकाबले राजस्थान में 2671.09 लाख रुपए की केन्द्रीय धनराशि अव्ययी पड़ी हुई है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) एक चालू परियोजना है और इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान जारी धनराशियों हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र देय नहीं है। यह मंत्रालय राजस्थान सरकार को अव्ययित धनराशि के उपयोग हेतु लगातार अनुस्मरण करा रहा है।

(घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं-

	लक्ष्य
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) के अंतर्गत व्यैक्तिक लघु-उद्यमों हेतु सहायता मुहैया कराए जाने वाले शहरी गरीबों की संख्या	60,000
शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत समूह लघु-उद्यमों हेतु सहायता मुहैया कराए जाने वाली शहरी गरीब महिलाओं की संख्या	50,000
थ्रिफ्ट और क्रेडिट (आवृत्ति निधि सहायता सहित) शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम (यू डब्ल्यू एस पी) हेतु सहायता मुहैया कराये जाने वाली शहरी गरीब महिलाओं की संख्या	1,00,000
शहरी गरीबों में रोजगार संवर्द्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराए जाने वाले शहरी गरीबों का संख्या	2,00,000

(ङ) राष्ट्रीय स्तर पर, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में गठित एक संचालन समिति जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितबद्धियों के सदस्य शामिल हैं, स्वर्णजयंती शहरी रेजगार योजना स्कीम का संचालन और मानीटरिंग करती है। राज्य/संघ राज्य सरकारों से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय निधि के उचित उपयोग के संबंध में त्रैमासिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इनके अलावा, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय समय-समय पर इस स्कीम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने हेतु राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा भी करता है।

विवरण I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय निधि आबंटन और जारी राशियां दर्शाते हुए विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3115.78	4327.22	3390.83	3390.53	3790.43	8226.02	4827.60	2413.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	222.53	0.00	207.85	103.93	201.79	201.79	259.97	0.00
3.	असम	2956.48	2947.90	2956.05	1478.03	2869.96	2869.96	3274.79	0.00
4.	बिहार	1855.09	1980.98	1790.24	895.12	2001.40	2001.40	3158.72	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1122.37	637.36	1075.14	881.30	1201.95	1201.95	1342.71	671.35
6.	गोवा	110.94	0.00	90.56	0.00	101.24	0.00	115.29	0.00
7.	गुजरात	1480.38	1548.80	1501.44	1801.44	1678.53	1928.53	3843.37	0.00
8.	हरियाणा	547.14	1334.275	58.34	585.34	654.37	654.37	1597.70	796.85
9.	हिमाचल प्रदेश	11.64	12.43	12.18	12.15	30.00	50.00	106.54	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	160.24	0.00	120.93	0.00	135.21	135.21	293.30	146.65
11.	झारखंड	727.93	0.00	728.91	0.00	814.86	814.88	1627.99	0.00
12.	कर्नाटक	3648.54	4896.14	3624.71	3924.71	3940.45	5376.04	4874.28	2437.14
13.	केरल	953.22	1017.91	948.13	948.13	1059.96	474.03	1376.53	688.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	4722.97	043.48	4087.96	4087.96	4570.13	5914.60	5719.08	2359.54
15.	महाराष्ट्र	8998.1	9608.72	8075.96	8075.96	9028.52	10464.11	10304.04	0.00
16.	मणिपुर	445.06	445.71	461.8	461.88	448.43	448.43	799.30	0.00
17.	मेघालय	381.48	190.74	369.51	0.00	358.74	0.00	489.49	0.00
18.	मिजोरम	349.7	350.20	389.51	369.51	358.74	641.66	358.74	0.00
19.	नागालैंड	288.11	288.53	277.13	277.13	269.06	419.06	269.06	134.53
20.	ओडिशा	1664.03	1776.95	1476.59	1476.59	1050.75	1650.75	2083.28	0.00
21.	पंजाब	241.04	120.52	358.93	0.00	401.27	0.00	2278.11	1137.55
22.	राजस्थान	2773.39	1574.91	2623.52	1311.76	2932.96	2932.96	4187.60	0.00
23.	सिक्किम	63.58	63.67	46.19	45.19	44.84	194.84	44.84	22.50
24.	तमिलनाडु	4012.17	4284.44	3817.38	3817.36	4267.63	4267.63	6346.09	3173.05
25.	त्रिपुरा	44.06	248.84	481.88	0.00	448.43	224,26	523.81	0.00
26.	उत्तराखंड	630.71	566.72	468.70	468.70	546,34	546.34	583.96	291.98
27.	उत्तर प्रदेश	6880.05	8846.94	6462,43	6482.43	7224.67	7224.6	11119.01	5559,50
28.	पश्चिम बंगाल	1624.27	1948.07	1940.44	1940.44	2169.31	2169.31	5764.81	2802.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43.55	0.00	37.50	0.00	37.50	18.75	23.34	11.67
30.	चंडीगढ़	58.06	0.00	78.52	0.00	78.52	39.26	147.13	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	25.81	0.00	17.58	17.58	17.6	8.79	17.30	0.00
32.	दमन और दीव	22.58	0.00	16.41	0.00	16.41	0.00	12.23	0.00
33.	दिल्ली	92.2	0.00	93.34	0.00	200.00	0.00	350.00	0.00
34.	पुडुचेरी	7.8	7.80	6.66	6.66	50.00	50.00	150.00	75.00
	कुल	50750.00	54067.25	48500.00	42180.85	53620.00	58149.79	78250.01	23303.78

विवरण II

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई के विभिन्न घटकों के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		वैयक्तिक/सामुहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाख में)	वैयक्तिक/सामुहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाख में)	वैयक्तिक/सामुहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाख में)	वैयक्तिक/सामुहिक माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायित शहरी गरीबों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त शहरी गरीबों की संख्या	सृजित कार्य दिवसों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	29156	45363	8,23	8389	23914	0.00	22505	26753	1.73	3314	9486	0.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	16	20	0.86	34	28	0.04	33	27	0.04
3.	असम	479	420	3.43	472	420	16.15	0	0	0.00	0	0	0.00
4.	बिहार	1347	2315	0.00	0	0	0.00	0	17134	0.00	0	230	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1522	1909	0.40	2490	1083	0.08	2773	3701	0.96	515	2391	0.05
6.	गोवा	655	1570	1.96	0	0	0.00	0			0		
7.	गुजरात	8008	4.39	0.59	19394	23754	0.69	11302	31517	1.98	4636	21762	0.02
8.	हरियाणा	2052	5745	0.42	4490	5495	0.67	2424	4724	0.33	452	1726	0.01
9.	हिमाचल प्रदेश	122	199	0.00	16	149	0.00	4	25	0.00	0	-	-
10.	जम्मू और कश्मीर	339	3357	0.24	0	0	0.88	0			0		
11.	झारखण्ड	0	0	0.00	364	209	0.00	784	2874	0.30	98	343	0.05
12.	कर्नाटक	17536	13462	4.70	8298	15853	2.70	7657	13397	3.10	1490	4650	0.72
13.	केरलं	3820	3632	0.00	2493	2696	0.13	2895	3190	0.16	2304	1619	0.96
14.	मध्य प्रदेश	5272	16493	1.24	16817	33088	3,91	17822	31439	4.16	2228	12745	0.61
15.	महाराष्ट्र	49482	55523	5.57	37575	40683	5,40	42148	36369	5.37	1972	836	1.43
16.	मणिपुर	7	737	0.34	8	2469	1.54	8	97	0.00	0		
17.	मेघालय	99	51	0.00	24	47	0.19	52	154	0.68	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	0	0	1.05	153	230	0.00	546	3145	0.28	588	1836	0.00
19.	नागालैंड	276	10	0.19	345	46	0.33	326	154	0.99	225	224	0.09
20.	ओडिशा	1094	3317	0.46	8500	5697	1.04	8506	3356	1.73	769	580	0.39
21.	पंजाब	383	0	0.00	14	0	0.01	66	0	0.11	0	0	0.00
22.	राजस्थान	4833	4037	1.27	9415	5315	1.04	7353	3355	1.61	941	2794	0.47
23.	सिक्किम	479	1478	3.71	86	0	0.00	150	320	013	25	60	0.04
24.	तमिलनाडु	23659	73024	8.23	3624	1224	8.20	8535	7198	14.45	1283	0	0.45
25.	त्रिपुरा	272	1826	0.24	200	1014	0.24	382	1586	31.16	297	817	0.18
26.	उत्तराखंड	736	1414	5.00	992	1744	0.33	914	2168	1.00	142	252	0.19
27.	उत्तर प्रदेश	27302	54802	9.13	3410	15281	3.81	9943	52419	5.91	16.8	8532	0.32
28.	पश्चिम बंगाल	4690	2268	0.00	2259	7049	0.24	5019	5878	2.50	3967	8891	0.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29	1	0.01	43	1	0.00	43	0	0.00	0		
30.	चंडीगढ़	607	5459	0.00	0	0	0.00	1.4	124	0.00	154	331	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	67	219	0.94	0	0	1.01	0			0		
32.	दमन और दीव	68	0	0.04	0	0	0.00	0			0		
33.	दिल्ली	275	325	0.00	125	109	0.00	2511	548	0.00	72	0	0.00
34.	पुडुचेरी	70	417	0.35	706	44	0.05	1423	276	0.13	196	86	0.01
	कुल	164736	303418	57.44	151060	187644	50.15	187189	254229	78.60	27529	80219	6.54

भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियां

48. **श्री धनंजय सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध व्यापार, मानव व्यापार और राष्ट्र विरोध गतिविधियों की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार की भारत-नेपाल सीमा पर बाड़ लगाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत-नेपाल सीमा खुली एवं सुभेद्य प्रकृति की है। भारत-नेपाल सीमा के आर-पार भारतीय एवं नेपाली नागरिकों की गतिविधि को उस भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें दोनों देशों के नागरिकों को भारत-नेपाल सीमा के आर-पार आने-जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

भारत-नेपाल सीमा पर गैर-कानूनी व्यापार, मानव तस्करी तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की सूचनाएं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एसएसबी द्वारा जब्त किए गए हथियार/गोला-बारूद, जाली भारतीय करेंसी नोट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सीमा रक्षक बल के रूप में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी को तैनात किया गया है। सीमा पार की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए एसएसबी द्वारा नियमित उपस्थिति, चौबीसों घंटे गश्त, औचक जांच तथा निगरानी की जाती है। इसके अलावा, संबंधित राज्य पुलिस भी निगरानी करती है। ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं, आवधिक सीमावर्ती जिला समन्वय समिति (बीडीसीसी) की बैठकों, दोनों देशों के बीच वास्तविक समय पर जानकारी/आसूचना इत्यादि के आदान-प्रदान आदि जैसे अन्य संस्थागत तंत्र भी हैं। मामलों को सुलझाने के लिए निरन्तर आवधिक बैठकें की जाती हैं। जहां कहीं अपेक्षित होता है, राजनयिक चैनलों के माध्यम से भी इन मामलों को उठाया जाता है।

(घ) और (ङ) भारत-नेपाल सीमा पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारत-नेपाल सीमा पर पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.10.2011 तक) के दौरान की गई जब्ती

मदें	धनराशि (रुपए)
1	2
प्रतिबंधित सामग्रियां	617088220.00
मादक द्रव्य	1845754075.00
जाली भारतीय मुद्रा	980750.00
भारतीय मुद्रा	8065510.00
नेपाली मुद्रा	9136006.00
भूटानी मुद्रा	26.00
नेपाली जाली मुद्रा	7202.00
बांग्लादेशी मुद्रा-टका	540.00
चांदी	1398257.00
वन उत्पाद	86962059.00
प्राचीन वस्तुएं	3918700.00
सोने के बिस्कुट/हार के सेट	134309.00
कुल योग	2573445654.00
हथियार	133.00
कारतूस	1209.00
कामचलाऊ बम	535.00
विस्फोटक/विस्फोटक सामग्रियां	78465.00
विस्फोटक सामग्री	15.00
सेफ्टी फ्यूज (मीटरों में)	26.15
सेफ्टी फ्यूज (फीट में)	30.37
डोटोनेटर	1132.00
मैगजीन	10.00
जिलेटिन स्टिक	65.00
गिरफ्तारी (संख्या में)	6435.00

इदुक्की पैकेज

49. **श्री के.पी. धनपालन:**
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इदुक्की पैकेज के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) केरल के वायनाडु, कुटानाडु और इदुक्की पैकेजों हेतु अब तक जारी की गई निधियो का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने पैकेज में किसी परिवर्तन का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तुत की गई परियोजनाएं अनुमोदन हेतु लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भारत सरकार ने 765 करोड़ रुपए के परिव्यय से इदुक्की पैकेज अनुमोदित किया। राज्य सरकार ने 396 करोड़ रुपए की धनराशि के प्ररियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से 234 करोड़ रुपए की धनराशि की परियोजना मंजूर की गई है तथा चल रही स्कीमों के तहत 104 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) अब तक इदुक्की पैकेज के लिए 104 करोड़ रुपए निर्मुक्त कर दिए गए हैं और केरल कुट्टानाड पैकेज के लिए 83 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। वायनाड के लिए अलग से कोई पैकेज नहीं है। तथापि वायनाड केरल के तीन अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के अधीन एक अभिज्ञात जिला है। 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार, केरल के तीन अभिज्ञात जिलों में कार्यान्वित प्रधानमंत्री के विशेष पुनर्वास पैकेज के अधीन 428.79 करोड़ निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने इदुक्की पैकेज के अधीन कुछ कार्यक्रमों से जुड़ी शर्तों में कुछ परिवर्तन किए जाने का सुझाव दिया है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) इदुक्की पैकेज के एक कार्य रूरल कनेक्टविटी के तहत प्रस्तावित कुछ सड़कें प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दिशानिर्देशों की परिधि से बाहर थीं। केरल सरकार ने पीएमजीएसवाई स्कीम के अनुसार मंजूर किए गए प्रस्तावों के अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कार्यान्वित स्कीम ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अधीन कार्य को वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है।

(ii) केरल सरकार ने समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार मृदा संरक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई 80 करोड़ रुपये की पनधारा विकास परियोजना को संशोधित किया है।

(iii) केरल सरकार ने इस पैकेज के अंतर्गत 497.07 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय से इदुक्की जिले में पशुधन विकास के लिए व्यापक परियोजना प्रस्तुत की हैं, जिससे कि इदुक्की जिले को एक दुग्ध जिले में परिवर्तित किया जा सके।

(ङ) और (च) 497.07 करोड़ रु. की एक व्यापक परियोजना जिसका उद्देश्य इदुक्की पैकेज के अधीन इदुक्की को राज्य के एक "दुग्ध जिला" में परिवर्तित किया जाना है, पशुपालन, डेयरिंग एवं मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित है।

जगन्नाथ मंदिर का रख-रखाव

50. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओडिशा राज्य में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की जीर्ण-शीर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मंदिर की मरम्मत और उसके नवीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जिसे उक्त मंदिर के रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधियों का व्यय नहीं कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त मंदिर के रख-रखाव और परिरक्षण हेतु आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) ओडिशा राज्य में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। इस स्मारक पर मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। आबंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त मंदिर के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए आबंटित प्रयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/व्यय की गई निधियां (राशि रुपए में)
1	2	3
1	2008-09	38,31,251
2	2009-10	48,21,567
3	2010-11	14,24,512

[हिन्दी]

केबल टीवी को डिजिटल बनाना

51. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले विभिन्न शहरों में प्रसारण को अनिवार्य रूप से डिजिटल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को लागू करने से पहले कोई कानून बनाने/केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जान की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) देश में डिजिटलीकरण की स्कीम को चार चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रथम चरण में चारों महानगरों को शामिल किश जाएगा जबकि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। सरकार ने दिनांक 11.11.2011 को अधिसूचित किया है कि प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए डिजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए इनक्रिप्डिट रूप में किसी भी चैनल के कार्यक्रमों को प्रसारित या पुन: प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इस संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शहर कस्बा या क्षेत्र तथा कार्यान्वित किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा को दर्शाने वाला ब्यौरा निम्नानुसार एक सारणी में दिया गया है।

चरण	क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विनिर्दिष्ट तारीख
1	2	3	4
चरण-II	1. बंगलौर	कर्नाटक	31 मार्च, 2013
	2. हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	
	3. अहमदाबाद	गुजरात	
	4. पुणे	महाराष्ट्र	
	5. सूरत	गुजरात	
	6. कानपुर	उत्तर प्रदेश	
	7. जयपुर	राजस्थान	
	8. लखनऊ	उत्तर प्रदेश	
	9. नागपुर	महाराष्ट्र	
	10. पटना	बिहार	
	11. इंदौर	मध्य प्रदेश	

1	2	3	4
	12. भोपाल	मध्य प्रदेश	
	13. थाणे	महाराष्ट्र	
	14. लुधियाना	पंजाब	
	15. आगरा	उत्तर प्रदेश	
	16. पिम्प्री-चिंचवाड़	महाराष्ट्र	
	17. नासिक	महाराष्ट्र	
	18. वड़ोदरा	गुजरात	
	19. फरीदाबाद	हरियाणा	
	20. गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	
	21. राजकोट	गुजरात	
	22. मेरठ	उत्तर प्रदेश	
	23. कल्याण-डोम्बिवली	महाराष्ट्र	
	24. वाराणसी	उत्तर प्रदेश	
	25. अमृतसर	पंजाब	
	26. नवी मुंबई	महाराष्ट्र	
	27. औरंगाबाद	महाराष्ट्र	
	28. सोलापुर	महाराष्ट्र	
	29. इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	
	30. जबलपुर	मध्य प्रदेश	
	31. श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	
	32. विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	
	33. रांची	झारखंड	
	34. हावड़ा	पश्चिम बंगाल	
	35. चंडीगढ़	चंडीगढ़	
	36. कोयम्बटूर	तमिलनाडु	
	37. मैसूर	कर्नाटक	
	38. जोधपुर	राजस्थान	

(ग) से (ङ) डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डीएएस) को कार्यान्वित करने और साथ ही केबल टीवी क्षेत्र को बेहतर विनियमन करने का उदेद्श्य से सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क(विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करते हुए 25 अक्तूबर, 2011 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 नामक एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है। संशोधनों की मुख्य विशेषताओं में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ), स्वतंत्र केबल ऑपरेटरों (आईसीओ) सहित विभिन्न श्रेणी ऑपरेटरों के पंजीयन हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विभिन्न सीमा-स्तरों सहित पात्रता संबंधी शर्ते निर्धारित करने में केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के उदेद्श्य से ऑपरेटरों केबल ऑपरेटर और 'व्यक्ति' की परिभाषाओं में आशोधन;

(ii) केंद्र सरकार को पंजीयन/नवीनीकरण उसके अस्वीकरण किसी प्रकार के उल्लंघन के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा पंजीयन के ऐसे अस्वीकरण व निलंबन व निरस्तीकरण के मामले में केंद्र में सरकार को सक्षम बनाने वाले प्रावधान;

(iii) एफटीए चैनलों सहित सभी चैनलों को अधिसूचित तारीख से डीजिटल संबोधनीय प्रणाली के जरिए इनक्रिप्टिड रुप में मुहैया कराए जाने का अनिवार्य प्रावधान करने हेतु धारा 4क में संशोधन करना;

(iv) फी-टु-एयर चैनलों के लिए अलग-अलग प्रशुल्क सहित बेसिक सर्विस टियर की संरचना और उसकी कीमत को विनिर्दिष्ट करने के लिए ट्राई को शक्ति संपन्न बनाने वाले प्रावधान; और

(v) सार्वजनिक भूमि पर केबल ऑपरेटरों के लिए मार्गाधिकार की अनुमति देने के लिए नया प्रावधान।

नदी बेसिन में अपरदन

52. श्री अशोक अर्गलः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यमुना और चंबल नदी बेसिन में अपरदन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि भूमि बीहड़ में परिवर्तित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदी बेसिन-वार अपरदन का आकलन नहीं किया गया है। हालांकि उपलब्ध अनुमानों (2005) के अनुसार समूचे देश में जल के कारण लगभग 93.68 मि. है. (यमुना एवं चम्बल नदियों के स्त्रवण क्षेत्रों समेत) क्षेत्र मृदा अनरदन से प्रभावित होता है।

(ग) और (घ) बंजरभूमी एटलस (2005) के अनुसार समूचे देश में खड्ड/ अर्रा भूमि 2.05 मि. है. (1986-200) से थोड़ा सा घटकर 1.90 मि. है. हो गई है।

(ङ) मृदा अपरदन भू-अवक्रमण रोकने विभिन्न प्रकार के भू-उपयोगों में संतुलन बनाने एवं अवक्रमित कृषि भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के उदेद्श्य से भारत सरकार कृषि मृत्रालय समूचे देश में विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम नामतः वर्षा संचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्लूडीपीआरए) नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपीएण्डएफपीआर) क्षारीय एवं अम्लीय मृदा का सुधार एवं विकास (आरएडीएएस) एवं झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) कार्यान्वित कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी समूचे देश में पारिस्थितकीय संतुलन बनाने के लिए अवक्रमित भूमि को जोतने संरक्षित करने एवं विकास करने के लिए एक वृहद समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रहा है।

म्यांमार में अलगाववादियों के कैंप

53. योगी आदित्यनाथः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ अलगाव-वादी समूहों ने म्यांमार में कैंप स्थापित कर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन कैंपों को नष्ट करने के लिए म्यांमार की सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। एन एस सी एन/के एन डी एफ बी, यू एन एल एफ पी एल ए के वाई के एल प्रीप्राक जैसे भारत

के पूर्वोत्तर राज्यों के अलगावादी समूहों के सगैगं स्टेट चीन स्टेट तथा कचीन स्टेट, म्यांमार में शिविर/छिपने के ठिकाने हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा फैलाने के लिए आई आई जी द्वारा म्यांमार के भूभाग के प्रयोग को प्रत्येक वर्ष भारत तथा म्यांमार के बीच विभिन्न उच्चस्तरीय वार्ताओं में निरन्तर उठाया गया है। नियमित अनुवर्तन के परिणामस्वरूप म्यांमार सरकार ने अलगाववादी समूहों के विरूद्ध कार्रवाई करने की इच्छा जाहिर की है और आई जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की है।

कीटनाशकों की मांग

54. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में कीटनाशकों की कुल आवश्यकता कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक को प्रदान किए गए कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) गत तीन वर्षो के दौरान कर्नाटक में कीटनाशकों की कुल आवश्यकता, जैसा कि क्षेत्रीय सम्मेलनों में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई है। निम्नानुसार है:

वर्ष	कीटनाशक (तकनीकी ग्रेड मीट्रिक टन में)
2008-09	1900
2009-10	1700
2010-11	1700
2011-12	1750

(ख) केन्द्र सरकार राज्यों को कीटनाशक मुहैया नहीं कराती। यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारी स्कीमों के तहत कीटनाशक अधिप्राप्त करें।

अनिश्चित मानसून पैटर्न के कारण फसलों को क्षति

55. श्री रामकिशुन:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित देश में फसल उत्पादन, विशेषकर कपास और धान का उत्पादन अनिश्चित मानसून पैटर्न अर्थात कम ज्यादा और असामयिक वर्षा के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो और चालू वित्त वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित राज्यों ने वर्ष के दौरान क्षतिपूर्ति की मांग की है।

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मौजूदा वर्ष अर्थात 2011-12 के लिए तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सहित देश में चावल एवं कपास के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख टन में)

राज्य	चावल				कपास#			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**
तमिलनाडु	51.83	56.65	61.39	60.34	1.88	2.25	5.00	4.00
उत्तर प्रदेश	130.97	108.07	120.14	126.72	0.01	0.05	0.5	एन.ए.
अखिल भारत	991.82	890.93	953.25	871.02	222.76	240.22	334.25	361.02

*2010-11 चौथे अग्रिम अनुमान

**2011-12 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

#लाख गांठें (170 किलोग्राम प्रत्येक)

(ग) से (ङ) आमतौर पर राज्य गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग को सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तथा हानि का मूल्यांकन करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा दल भेजा जाता है। कृषि एवं सहकारिता विभाग को उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गन्ना किसानों को अग्रिम भुगतान

56. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में सहकारी चानी मिलें और उत्पादकों कृषक संगठनों में वर्ष 2011-12 के लिए गन्ना उत्पादकों के पहले अग्रिम भुगतान को लेकर तनातनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में किसानों के संगठन आंदोलन कर रहे थे और चीनी मौसम 2011-12 के लिए गन्ने के प्रति मीटरी टन के लिए 2350/-रुपये की पहली किस्त की मांग कर रहे थे। इस मामले का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और दिनांक 11.11.2011 के उनके विचार-विमर्श के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के लिए गन्ने के मूल्य की पहली किस्त के लिए कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों के लिए प्रति मीटरी टन 2050/- रुपये, पुणे सोलापुर और अहमदनगर जिलों के लिए प्रति मीटरी टन 1850/-रुपये और महाराष्ट्र राज्य के शेष जिलों के लिए प्रति मीटरी टन 1800/-रुपये का भुगतान करने का निर्णय किया गया था। इसलिए मामले में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी।

भवनों का ढहना

57. श्री अब्दुल रहमान:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भवनों के ढहने के कारण अनेक लोग हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में मारे गए/घायल लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रभावित परिवारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

छात्रों को वित्तीय सहायता

58. श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार इस सहायता से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, विदेश में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने, कोचिंग कैंप आयोजित करने, खेल उपस्कर की खरीद के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता योजना से अन्यों के साथ राष्ट्रीय खेल परिसंघों

सहित भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय स्कूल परिसंघ को सहायता प्रदान की जाती है। आज तक, सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ को विदेश में प्रतियोगिताओं जैसे विश्व यूनिवर्सिटी चैम्पियानशिप में भाग लेने के लिए जिसकी पिछली प्रतियोगिता 2012 में चीन में आयोजित हुई थी तथा विश्व यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की है। उसी प्रकार भारतीय स्कूल परिसंघ टीमों को एथलेटिक्स, बास्केटबाल, जिम्नास्टिक्स, हैन्डबाल, फुटबाल, तैराकी और टेबल टेनिस विधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेश में टीम भेजने के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर-विश्वविद्यालय टूर्नामेन्टों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी प्रदान की जाती है। यह ट्राफी भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को प्रदान की जाती है। सकल विजेता विश्वविद्यालय को भी 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, प्रथम रनर-अप विश्वविद्यालय और द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय को क्रमशः 5 लाख रुपये और 3 लाख रुपये दिये जाते हैं।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (15.11.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय विश्वविद्यालय संघ		158.45	381.00	-
2	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ	13.36	43.54	5.20	-
3	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	19.09	13.58	23.77	7.40
4	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ चेन्नई	221.40	163.00	180.05	44.7
5	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	00	00	10.18	-
6	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	42.38	23.98	47.65	12.00
7	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, केशवपुरम, दिल्ली	11.00	12.49	14.75	12.75
8	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू और कश्मीर	72.38	13.55	46.44	28.17
9	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ, नागपुर	16.50	5.92	12.00	9.00
10	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	00	00	00	-
11	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	44.52	61.60	24.24	-
12	भारतीय साईकिल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	15.90	9.34	7.76	9.00
13	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	24.75	30.56	174.06	36.06
14	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ जोधपुर	18.54	87.80	18.43	0.26
15	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6
16	भारतीय क्याकिंग और केनोइंग संघ नई दिल्ली	30.51	26.21	00	26.65
17	भारतीय पोलो संघ नई दिल्ली	4.97	00	00	-
18	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ नई दिल्ली	16.00	11.50	00	-
19	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	62.55	49.66	62.33	7.76
20	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	00	4.50	7.50	6.50
21	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	12.72	13.31	5.50	2.50
22	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	79.14	62.31	41.98	2.06
23	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	324.88	80.20	313.54	52.50
24	भारतीय नेटबाल परिसंघ, शहादरा दिल्ली	18.78	00	00	
25	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ कोलकाता	00	00	00	
26	भारतीय रोइंग परिसंघ सिकंदराबाद	57.05	88.79	64.71	8.88
27	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ, नागपुर	12.00	9.00	13.50	7.50
28	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	9.00	12.00	12.00	12.00
29	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, जोधपुर	00	12.25	13.75	12.00
30	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ, चेन्नई	33.88	12.00	27.05	
31	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	15.10	26.90	1.50	
32	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	102.90	104.00	119.73	44.08
33	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ, बंगलौर	00	11.89	55.10	7.35
34	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ, नई दिल्ली	16.50	9.00	19.75	13.50
35	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	16.00	5.00	9.00	2.50
36	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	6.00	9.75	16.00	9.00
37	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	63.51	73.91	150.53	11.80
38	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	36.71	147.85	85.95	5.40

1	2	3	4	5	6
39	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	31.24	30.91	00	-
40	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	00	00	00	-
41	पैरालंपिक, बंगलौर	40.10	142.83	221.39	-
42	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	96.10	139.07	16.59	-
43	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	37.02	38.87	50.11	15.93
44	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	165.41	94.94	110.49	23.58
45	भारतीय हाकी परिसंघ, पटेल नगर दिल्ली	156.99	132.24	11.25	26.24
46	भारतीय महिला हाकी परिसंघ, नई दिल्ली	74.51	11.40	00	
47	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	32.08	11.77	10.00	23.25
48	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	26.17	30.94	116.54	4.93
49	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	228.40	12.26	83.31	1.38
50	भारतीय बैडमिंटन संघ, राजस्थान	170.02	23.58	32.89	24.12
51	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	86.26	5.05	00	
52	फुटबाल, दिल्ली	52.58	41.90	610.51	28.75
53	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	18.24	16.43	41.69	-
54	भारतीय कुश्ती परिसंघ, इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली	200.42	64.04	69.44	13.10
55	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, दरियागंज, दिल्ली	2.07	00	00	
56	विशेष आंलेपिक भारत, नई दिल्ली	00	2.41	1.09	-
57	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	53.30	3.81	12,00	-
58	मलखंभ	9.00	00	11.50	-
59	भारतीय एम्च्योर साफ्ट टेनिस बाल	6.86	10.75	14.75	6.50
60	भारतीय ब्रीज परिसंघ	3.00	00	00	-

1	2	3	4	5	6
61	आइस हाकी	1.50	00	-	-
62	भारतीय ओलंपिक संघ नई दिल्ली	238.96	204.00	1324.60	13.88
63	भारतीय खेल प्राधिकरण, जे.एन. स्टेडियम, नई दिल्ली	1000.00	2000.0 0	3700.16	1919.60
64	भारतीय टेनपिन परिसंघ	-	-	55.10	-
65	भारतीय रग्बी परिसंघ	-	-	24.27	-

[हिन्दी]

दालों की उपलब्धता

59\. **श्री दिनेश चन्द्र यादवः**
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान दालों की उपलब्धता में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान देश में दालों की कुल उपलब्धता क्या है और इनमें उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है;

(ग) इसमें आयातित और देश में उत्पादित दालों का हिस्सा कितना कितना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दालों की मांग और आपूर्ती के बीच अंतर कितना है?

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो.के.वी. थॉमस): (क) जी हां। वर्ष 2010-11 के दौरान देश में दालों की उपलब्धता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आया है।

(ख) दालों की घरेलू उपलब्धता घरेलू उत्पादन और आयातों को जोड़कर तथा निर्यातों को घटाकर देखी जाती है। इस समय (I) काबुली चना और (II) 10000 टन तक जैविकदालों के सिवाय दालों के निर्यात पर प्रतिबंध है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान दालों की घरेलू उपलब्धता नीचे तालिका-1 में दी गई है:-

तालिका 1: दालों की उपलब्धता

(मिलियन टन में)

	घरेलू उत्पादन	आयात	निर्यात	घरेलू उपलब्धता
2009-10	14.66	3.51	0.09	18.08
2010-11	18.09	2.69	0.20	20.59

स्त्रोतः उत्पादन के लिए- कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत निर्यात और आयात के लिए-डी जी सी आई एस, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार।

उपभोक्ता को जो बड़ा लाभ हुआ वह दालों के मूल्यों में गिरावट के रूप में हुआ। वर्ष 2010-11 में दालों की मुद्रास्फीति की दर में वर्ष 2009-10 की तुलना में भारी गिरावट आई (तालिका-2)।

*तालिका-2: दालों के लिए मुद्रास्फीति दर**

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित

(मिलियन टन में)

	2009-10	2010-11
अरहर	48.81	-4.49
मूंग	55.43	19.95
उड़द	42.97	18.96
चना	-1.06	-1.44
मसूर	16.31	-14.77
सभी दालें	22.41	3.20

*औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर परिकलित।

(ग) घरेलू तौर पर उपलब्ध कुल दालों में से आयातित और घरेलू तौर पर दलों का भाग (% में) नीचे दिया गया है:

	आयातित दालों का भाग	घरेलू तौर पर उत्पादित दालों का भाग
2009-10	19.32	80.68
2010-11	12.95	87.05

(घ) दालों की वर्ष-वार मांग ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए योजना आयोग द्वारा गठित क्राप हसबेंडरी कृषि इनपुट मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्यकारी दल द्वारा प्रक्षेपित की गई थीं। दालों की उपर्युक्त मांग और ऊपर तालिका-1 में बताई गई दालों की उपलब्धता के आधार पर मांग और आपूर्ति में अंतर निम्नानुसार है:

तालिका 4: दालों की मांग और आपूर्ति में अंतर

(मिलियन टन में)

वर्ष	दालों की उपलब्धता	दालों की मांग	अंतर
2009-10	18.08	18.29	-0.21 (घाटा)
2010-11	20.59	19.08	1.59 (अधिशेष)

मलिन बस्ती निवासी

60. **श्री वीरेन्द्र कश्यप:**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री विजय बहादुर सिंह:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा आवंटित और जारी की गई निधि सहित मलिन/झुग्गी निवासियों को आवास और बुनियादी सुविधाएं देने तथा सभी शहरों/कस्बों को मलिन बस्ती रहित बनाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों/कस्बों में मलिन बस्ती के निवासियों की संख्या देश में निरन्तर बढ़ रही है और यह ऐसे शहरों/कस्बों की कुल आबादी का 25 प्रतिशत तक हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में शहरी मलिन बस्ती के निवासियों को सुरक्षीत पेयजल शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस प्रायोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त निधि की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों को उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी निधि उपलब्ध कराई गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार ने शहरी गरीबों के मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) कार्यक्रम के तहत देश में चयनित 65 शहरों में शहरी गरीबों को आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों और कस्बों को मदद देने हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन जेएनएनयूआरएम) का शुभारंभ किया। अन्य शहरों के लिए आवास और स्लम उन्नयन कार्यक्रम हेतु समेकित अवास और स्लम विकास कार्यक्रम आईएचएसडीपी प्रारंभ किया गया। बीएयूपी और आईएचएसडीपी प्रारम्भ किया गया। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों दिसंबर 2005 से कार्यान्वित है। जेएनएनयूआरएम की अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू होकर सात वर्ष है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को देश में शहरी गरीबों हेतु आवास और अवसंरचना सुविधाओं हेतु अतिरिक्त केद्रीय सहायता राशि जारी की जाती है।

जेएनएनयूआरएम के तहत नीतिगत पहल-प्रयास के रूप में सरकार ने देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) निम्न आय वर्ग (एल आई जी)/माध्यम आय वर्ग (एल आई जी) हेतु एक मिलियन आवासों जिसमें में न्यूनतम 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो, के निर्माण हेतु 5000 रु. करोड़ की राशि से भागीदारी में किफायती आवास स्कीम (यू एच पी) भी शुरू की है।

स्लम मुक्त भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 2.6.2011 में एक नई स्कीम राजीव आवास योजना (आर ए वाई) प्रारंभ की गई है। स्कीम में उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख है जो स्लम पुन: विकास हेतु उपर्युक्त (आवास) और मूलभूत नागरिक और सामाजिक सेवायों के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण हेतु स्लम वासियों को संपति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। स्कीम 12वीं योजना के अंत में (2017) तक सम्पूर्ण देश में लगभग 250 शहरों को कवर किया जायेगा। 157 शहरों को स्कीम मुक्त शहर योजना स्कीम-राजीव आवास योजना के प्रारंभिक चरण के तहत प्रारंभिक कार्यों हेतु निधी जारी की गई है। बीएसयूपी, आईएचएसडीपी ए एचसी और आरएवाई के तहत राज्यवार फंड आवंटन/मंजुरी के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I, II, III से IV पर है।

(ख) और (ग) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार 785 शहरों/कस्बों जिनकी आबादी 50000 से अधिक है व स्लम आबादी 23 प्रतिशत है। देश में शहरी क्षेत्रों में स्लमों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी के अन्यों के साथ-साथ निम्न कारण है:

(i) ग्रामीण शहारी प्रवास प्राकृतिक बढ़ोत्तरी और ग्रामीण क्षेत्रों का केन्द्रों के रूप में पुन: वर्गीकरण की वजह से शहरीकरण में वृद्धि हुई है।

(ii) शहरी समाज के बड़े वर्गो, विशेषरूप से गरीबों की भूमि की बढ़ती कीमतों, और किफायती आवास की उपलब्धता की कमी की वजह से शहरों और कस्बों में भूमि और आवास का पता लगना तक पंहुच की अक्षमता।

(iii) गरीब बस्तियों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अवस्थापना और सेवाओं की व्यवस्था पर अपर्याप्त निवेश के लंबी अवधि की वजह से उक्त सुविधाओं की कमी; और

(iv) शहरों और कस्बों में पुराने क्षेत्र खराब सेवाओं सहित रख-रखव की कमी और प्राकृतिक रूप से पुराने होते जाने के कारण और जीर्ण-शीर्ण होते जा रहे हैं।

(घ) जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के कनवरजेंस के माध्यम से आवास और उससे जुडी अवसंरचना सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय संबंधी परियोजनाओं और स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सार्वभौमिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्यवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II पर है।

(ङ) और (च) राज्य संघ शासित क्षेत्र सरकारें मंजूर परियोजनाओं में मामले के बड़ी लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग कर रही है। चूंकि बढ़ी लागत वहन करना बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दिशा-निर्देशों में अनुमत नहीं है इसलिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से बड़ी लागत को अपने स्वयं के फंड से पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण I

2008-09 से 2011-12 के दौरान बीएसयूपी के अंतर्गत आबंटित, अनुमोदित और राज्य-वार एसीए

करोड़ रु. में

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीएसयूपी 2005-12 के अंतर्गत कुल राशि एसीए	अनुमोदित एसीए				जारी एसीए			
			200-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1547.42	650.50	0.00			211.57	240.89	306.93	84.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	43.95	40.59				0.00	10.99	0.84	
3.	असम	121.94	49.04				0.00	24.40	12.26	
4.	बिहार	531.54	133.22				33.30			
5.	छत्तीसगढ़	385.21	23.03	29.78			0.00	83.80	7.44	
6.	गोवा	11.43	0.00				0.00			
7.	गुजरात	1015.56	78.74	103.22	12.49	130.86	175.34	137.25	158.44	2.34
8.	हरियाणा	57.31	0.00				15.59		7.80	
9.	हिमाचल प्रदेश	31.29	0.00				0.00			
10.	जम्मू और कश्मीर	140.18	49.56				7.47	4.97	3.19	
11.	झारखंड	351.09	118.68		77.15		9.67	1.80	37.48	
12.	कर्नाटक	407.97	135.00				21.88	74.37	49.97	35.01
13.	केरल	250.00	31.18				0.00	24.00	50.00	
14.	मध्य प्रदेश	351.10	87.59				17.80	51.63	56.65	12.80
15.	महाराष्ट्र	3372.56	705.34	467.99		86.25	436.48	232.55	293.87	49.81
16.	मणिपुर	43.91	43.91				0.00	10.98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	मेघालय	40.35	16.58				0.00	10.09		
18.	मिजोरम	80.11	51.20				0.00	12.80	7.23	12.80
19.	नागालैंड	105.60	0.00				11.01		26.40	
20.	उड़ीसा	78.74	5.41				1.35		9.95	
21.	पंजाब	444.46	0.00				0.00	8.32	9.04	
22.	राजस्थान	383.46	0.00		88.11		0.00		43.17	
23.	सिक्किम	29.06	26.27				0.00	6.56	7.96	
24.	उड़ीसा	1107.80	94.44				57.83	126.71	162.36	43.30
25.	त्रिपुरा	23.66	0.00				3.49	6.98		
26.	उत्तर प्रदेश	1165.22	937.76		5.40	4.80	235.57	71.14	284.49	54.03
27.	उत्तरांचल	97.84	9.93	37.32			3.20		10.61	1.29
28.	पश्चिम बंगाल	2126.98	440.87		355.17		211.13	87.84	150.33	159.46
29.	दिल्ली	1481.28	52.80		893.8	227.82	15.78		183.69	
30.	पुडुचेरी	83.20	0.00		50.89		0.00	13.78	1.07	
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00				0.00			
32.	चंडीगढ़	446.13	0.00				94.03	89.91	38.28	
33.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00				0.00			
34..	लक्षद्वीप	0.00	0.00				0.00			
35.	दमन और द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	16356.35	3781.62	689.20	1432.20	449.73	1562.50	1331.73	1920.15	455.49
	डीपीआर तैयार करने का प्रभार		डीपीआर तैयार करने का प्रभार				3.35	0.69	4.55	
	पीएमयू						3.92	0.80	0.40	0.20
	पीआईयू						13.15	3.14	0.53	0.60
	सीबीपी						0.00	2.01	0.00	
	कुल						1582.92	1338.37	1925.63	456.29

विवरण II

आईएचएसपी (16.11.2011) के अंतर्गत आबांटित अनुमोदित और जारी नया एसीए-अनन्तिम

करोड़ रु. में

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएचएसडीपी 2005-12 के अंतर्गत कुल राशि एसीए	अनुमोदित एसीए				जारी एसीए			
			200-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	7	8	9	10	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	764.57	271.98	0.00	0.00	0.00	48.91	195.04	114.86	
2.	अरूणाचल प्रदेश	24.52	8.96	0.00	0.00	0.00			4.40	
3.	असम	67.25	23.37	13.73	0.00	0.00	7.39	11.17		
4.	बिहार	168.07	64.21	38.51	67.40		32.10		19.26	24.11
5.	छत्तीसगढ़	158.83	36.82	0.00	0.00		0.00	43.57	13.74	
6.	गोवा	35.79	0.00	0.00	0.00		0.00			
7.	गुजरात	256.25	73.23	17.13	0.00		33.84	13.99	6.46	5.40
8.	हरियाणा	209.70	26.74	0.00	0.00		0.00	13.37	19.81	8.20
9.	हिमाचल प्रदेश	37.07	20.88	0.00	11.71		6.39	10.44	5.85	
10.	जम्मू और कश्मीर	117.34	34.51	17.85	29.72		13.80	9.61	5.38	22.33
11.	झारखंड	136.00	72.40	0.00	43.35		33.33		13.94	10.60
12.	कर्नाटक	222.69	76.93	0.00	0.00		0.00	38.46	37.84	46.43
13.	केरल	198.83	42.18	55.29	0.00		47.82	8.24	30.72	
14.	मध्य प्रदेश	276.64	21.88	28.87	16.78	10.96	10.94	12.48	6.77	18.23
15.	महाराष्ट्र	1130.60	772.57	20.19	0.00	326.21	386.79	92.29	84.06	9.22
16.	मणिपुर	32.35	8.33	11.67	0.00		6.18	4.49	5.66	10.35
17.	मेघालय	28.97	13.46	0.00	0.00		3.58	6.72		
18.	मिजोरम	29.78	23.57	0.00	0.00		3.77	11.12		9.58
19.	नागालैंड	44.14	0.00	0.60	0.0		0.00	7.85		
20.	उड़ीसा	176.56	123.30	9.45	5.42		55.34	17.91	4.73	6.83
21.	पंजाब	172.56	8.22	0.00	99.76		3.54		50.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	424.56	52.11	45.93	196.00		40.24	43.94	122.00	
23.	सिक्किम	20.90	0.00	17.92	0.00		0.00	8.96		
24.	तमिलनाडु	349.38	184.17	18.74	0.00		77.38	90.85	70.92	
25.	त्रिपुरा	28.36	17.60	14.11	00.00		0.00	19.02	12.36	
26.	उत्तर प्रदेश	854.41	509.10	100.76	177.76	33.70	256.50	18.50	198.20	99.52
27.	उत्तराचंल	63.58	0.00	87.66			0.00	26.99	16.84	7.78
28.	पश्चिम बंगाल	681.04	297.60	0.15	0.00		227.42	72.14	34.15	76.12
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
30.	पुडुचेरी	26.95	0.00	0.00	0.00		0.96	0.43		
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.29	8.90	0.00	0.00		0.00	03.16		
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33.	दादरा और नगर हवेली	20.56	0.00	2.89	0.00	0.00		1.44		
34.	लक्षद्वीप	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
35.	दमन और दीव	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6828.31	2793.01	501.32	647.90	370.87	1296.21	780.72	879.95	354.71

विवरण III

भागीदरी में किफायती आवास अनुमोदित कुल परियोजनाएं

दिनांक 16.11.2011 की स्थिति के अनुसार (रु. करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश (अवस्था, लागत का 25%)	अनुमोदित कुल राज्य अंश	कुल राज्य यूएलबी अंश	कुल राज्य लाभार्थी अंश	ईडब्ल्यूएस इकाइयां	एलआईजी	एमआईजी	अनुमेय रिहायशी यूनिटों की कुल सं.	बैठकों की सं	सीएसएमसी की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में	35.33	2.48	1.68	0	31.16				816	84	27-Apr.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास											
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वृन्दावन योजना सं. 1, सेक्टर-5 ई, लखनऊ, उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	57.73	4.63	2.75	0	50.35				1500	84	27 - Apr-10
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	132.81	8.32	6.32		118.17	1776	800		2576	85	5 -May.10
4.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गहरू योजना, बिजनौर लखनऊ, उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	139.03	6.63	6.62		125.78	896	1536		2432	85	5-May 10
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गोमती नगर एक्स. योजना लखनऊ उ.प्र में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	103.63	9.41	4.93		89.28	1728	208		1936	85	5 May 10
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	देवपुरा लखनऊ उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	132.91	8.74	6.33		117.85	3152			3152	85	5-May 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	27.85	1.40	1.33		25.12	720			720	86	25-May. 10
8.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जानकीपुरम सेक्टर-1 कानपुर उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	34.11	3.12	1.62		29.36	688			688	86	25-May. 10
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	हंसपुरम सैक्टर-7 कानपुर उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	21.71	2.05	1.03		18.62	564			564	86	25-May.10
10.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	रूकमणी बिहार आवासीय योजना, वृन्दावन, मथुरा, उ.प्र. (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागेदारी में किफायती आवास	31.72	1.70	1.51		28.52	672	304		976	86	25-May. 10
		उपयोग		716.83	48.48	34.13	0.00	634.22	10196	2848	0	15360		
11.	छत्तीसगढ़	रायपुर	धर्मपुरा सामाजिक आवास स्कीम धर्मपुरा, रायपुर में भागिदारी में किफायती आवास के तहत 648 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों (जी + 2) का निर्माण	15.62	0.59			15.04	648			648	86	25-May. 10
12.	छत्तीसगढ़	रायपुर	पुरैना सामाजिक आवास स्कीम पुरैना, रायपुर भागीदारी में किफायती	7.75	0.27			7.48	320			320	86	25-May.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			आवास के तहत 320 ईडब्ल्यूएस पैलटों (जी+3) का निर्माण											
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुरा रायपुर में भागीदारी आवास परियोजना	17.81	1.75			16.07	972			972	86	25-May.10
14.	छत्तीसगढ़	रायपुर	बोर्ताखुद, रायपुर में किफायती आवास परियोजना प्रस्ताव	34.03	2.88			31.15	1800			1800	86	25-May.10
			उप योग	75.21		5.48	0.00	0.00	69.73	3740	0	0	3740	
	कुल			792.04	53.96	34.13	0.00	703.94	13936	2848	0		19100	

विवरण IV

157 शहरों की सूची

वित्तीय वर्ष-2009-10

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में) शहरों की संख्या	शहर-एसएफसीपी द्वारा की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर) 969.40 लाख की दूसरी किस्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई	1. ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जीएसएमसी)
			2. ग्रेटर विशाखा पत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी)
			3. विजयवाड़ा
			4. तिरूपति
			5. गुंटूर
			6. नैल्लोर
			7. करनूल
			8. राजामुन्दरी
			9. वारंगल
			10. काकीनाडा
2.	असम	76.34 (एक शहर)	11. गुवाहाटी

1	2	3	4
3.	बिहार	191.59 (चार शहर)	12. पटना
			13. गया
			14. भागलपुर
			15. मुजफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	16. भिलाई नगर
			17. रायपुर
			18. बिलासपुर
			19. कोरबा
5.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	20. अहमदाबाद
			21. सूरत
			22. वदोदरा
			23. राजकोट
			24. जामनगर
			25. भावनगर
			26. भड़ूच
			27. पोरबन्दर
6.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	28. फरीदाबाद
			29. पानीपत
			30. यमुना नगर
7.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	31. शिमला
8.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	32. जमशेदपुर
			33. धनबाद
			34. रांची
			35. बोकारो स्टील सिटी
9.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	36. बंगलोर
			37. मैसूर

1	2	3	4
			38. हुबली धारावाड़
			39. मंगलोर
			40. बेलगांव
			41. गुलबर्ग
			42. देवनगरी
			43. बिल्लारी
10.	केरल	263.31 (छः शहर)	44. कोच्वी
			45. तिरूअनंतपुरम
			46. कोझीकोडे
			47. कन्नूर
			48. कोल्लर
			49. थ्रिसुर
11.	मध्य प्रदेश	282.25 (छः शहर)	50. इंदौर
			51. भोपाल
			52. जबलपुर
			53. ग्वालियर
			54. उज्जैन
			55. सागर
12.	महाराष्ट्र	944.67 (सोलह शहर)	56. ग्रेटर मुंबई
			57. पूना
			58. नागपुर
			59. नासिक
			60. औरंगाबाद
			61. शोलापुर
			62. भिवांडी

1	2	3	4
			63. अमरावती
			64. कोल्हापुर
			65. संगली-मिराज कुपवाड़
			66. नांदेड़-वागला
			67. मालेगांव
			68. अकोला
			69. जलगांव
			70. अहमदनगर
			71. धुले
13.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	72. भुवनेश्वर
			73. पुरी
			74. कटक
			75. राउरकेला
			76. ब्रह्मपुर
14.	राजस्थान	281.15 (छः शहर)	77. जयपुर
			78. जौधपुर
			79. कोटा
			80. बीकानेर
			81. अजमेर
			82. उदयपुर
15.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	83. इम्फाल
16.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	84. चैन्नई नगर निगम
			85. कोयम्बटूर
			86. मुदरई

1	2	3	4
			87. तिरूचुरापल्ली
			88. सालेम
			89. तिरूपुर
			90. तिरूनावेली
			91. एरोड
			92. वेल्लौर
17.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	93. अगरतला
18.	उत्तर प्रदेश	733.17 (अठ्ठारह शहर)	94. कानपुर
			95. लखनऊ
			96. आगरा-नगर निगम
			97. वाराणसी
			98. मेरठ
			99. इलाहाबाद
			100. गाजियाबाद
			101. बरेली
			102. अलीगढ़
			103. मुरादाबाद
			104. गोरखपुर
			105. झांसी नगर निगम
			106. सहारनपुर
			107. फिरोजाबाद
			108. मुज्जफ्फर नगर
			109. मथुरा

1	2	3	4
			110. शहजाहापुर
			111 नोएडा
19.	उत्तराचंल	114.63 (तीन शहर)	112. देहरादून
			113. नैनीताल
			114. हरिद्वार
20.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	115. कोलकता
			116. आसनसोल
			117. दुर्गापुर
			118. सिलिगुड़ी (भाग)
21.	अरूणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	119. नाहरलागुन
			120. ईटा नगर
22.	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	121. पोर्ट ब्लेयर
23.	दमन और दीव	58.06 (दो शहर)	122. दमन
			123. द्वीप
24.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	124. सिलवासा
			125. अमली
25.	दिल्ली	981.96 (डीएमसी)	126. दिल्ली क्षेत्र का नगर निगम
26.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	127. मारमागोवा
			128. पणजी
			129. मारगोवा
27.	जम्मू और कश्मीर	236.60 (छः शहर)	130. जम्मू
			131. श्रीनगर
			132. अनंतनाग

1	2	3	4
			133. उधमपुर
			134. बारामूला
			135. कठुआ
28.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (तीन शहर)	136. अमीनी
			137. कवरत्ती
			138. मिनीकोए
29.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	139. शिलांग
30.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	140. आइजोल
			141. चमफई
			142. कोलासिब
			143. लोंगतई
			144. लुंगलई
			145. मामित
			146. साईहा
			147. सरचिप
31.	नागालैंड	108.03 (दो शहर)	148. कोहिमा
			149. दिमापुर
32.	पुदुचेरी	79.01 (दो शहीर	150. पुदुचेरी
			151. ओझूकरी
33.	सिक्किम	62.39. (एक शहर)	152. गंगटोक
34.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	153 लुधियाना
			154. अमृतसर
			155. जालंधर
			156. पटियाला
			157. भटिंडा

खिलाड़ियों के चयन प्रणाली की समीक्षा

61. **श्री हरीश चौधरी:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संबंधित खेल संघों जिनके खिलाड़ियों ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई पदक नहीं है, की चयन प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कोई समीक्षा/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यहि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने चयन समिति के गठन के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें परिसंघ के अध्यक्ष उसके चेयरमैन होंगे और मुख्य कोच तथा एक जाने माने खिलाड़ी होंगे जो अधिनिमानतः अर्जुन पुरस्कार पाने वाले हों, वे इसके सदस्य होंगे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय खेल विधाओं में भागीदारी के लिए चयन किया जायेगा जो संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ का विवेकाधिकार है। सरकार चयन प्रक्रिया पर नजर रखने तथा उपचारी कार्रवाई के लिए सीधे सरकार को सूचित करने के लिए कुछ खेल विधाओं में जाने माने खिलाड़ियों को रूप में भी नियुक्त करती है।

ऋण माफी योजना

62. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से किसान कृषि ऋण ले सकते हैं;

(ख) क्या साज सुविधा लेने वाले किसानों के लिए कोई बीमा योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिन किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी निधि उपलब्ध कराई गई;

(च) क्या बहुत से किसान उक्त योजना को हाथ में नहीं ले पाए; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) किसान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और आरआरबी से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए लघु-आवधिक फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान या तो केसीसी अथवा उपर्युक्त एजेंसियों से अलग-अलग कृषि संवर्गी कार्यकलापों हेतु मियादी ऋण सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, सरकार द्वारा कार्यान्वित फसल बीमा योजनाएं नामतः राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) पायलेट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस), पाइलेट मौसम आधारित फसल बीमा योजना(डब्ल्यूबीसीआईएस) में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसल/क्षेत्रों के लिए बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं से मौसमीय कृषि कार्य ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों के अनिवार्य कवरेज की व्यवस्था है। साथ ही केसीसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले किसान भी नाममात्र के प्रीमियम का भुगतान करके मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता हेतु 50 हजार रुपए तक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के पात्र हैं।

(घ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तोल और माप अधिनियम

63. श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज कमोडिटीज) रूल्स, 2011 के अंतर्गत थोक और खुदरा व्यापारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के अनुरक्षण संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है कि केन्द्रीय भण्डार, एनसीसीएफ और सुपर बाजार अपने खुदरा भण्डार में उक्त इलेक्ट्रानिक तोल मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ग्राहकों को धोखा देने के लिए उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (7) के तहत सभी फुटकर विक्रेता, जो मूल्य वर्धित कर (वेट) अथवा टर्न ओवर टैक्स (टीओटी) के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है, वे कम से कम यथार्थता वर्ग-III वाली इलैक्ट्रानिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद जारी करने की सुविधा वाली तोलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं ो लाभ के लिए नि:शुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वजन को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।

(ख) सरकार को इस संबंध में केन्द्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय भंडारों में बाटों के साथ मैकेनिकल तौलन स्केल की भी व्यवस्था थी ताकि उपभोक्ता उनके द्वारा बेचे गए पैकबंद वस्तुओं के वजन की जांच कर सकें। इन मैकेनिकल स्केलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप-विज्ञान द्वारा सत्यापित वकिया जाता है। केन्द्रीय भंडार ने सूचना दी थी कि वे 31.3.2012 तक चरणबद्ध तरीके से अपने सभी खुदरा भंडारों में इलैक्ट्रानिक तौलन मशीनों की व्यवस्था कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के दिल्ली में दो खुदरा बिक्री केन्द्र हैं, जहां केवल पैकबंद वस्तुएं बेची जाती हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक भंडार में तौलन मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके सभी बिक्री केन्द्रों में यथार्थता वर्ग-III इलैक्ट्रानिक तोलन वेइंग मशीनें हैं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कर में छूट

64. डॉ क्रुपारानी किल्ली: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को शत-प्रतिशत कर में छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर में छूट के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस उद्योग के समक्ष मुख्य बाधाएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 81 बी की उपधारा 11ए के अंतर्गत, फलों या सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकिंग करोबार अथवा खाद्यान्नों के संचालन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत करोबार से लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रम के मामले में लाभों से विनिर्दिष्ट राशियों (प्रथम पांच निर्धारण वर्षों के लिए 100% तथा उसके पश्चात अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए 25% (कंपनी के मामले में 30%) तकी कटौती की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों, यदि ऐसे उपक्रम ने अप्रैल, 2001 के पहले दिन या उसके पश्चात ऐसा कारोबार शुरू किया हो। दूध, पॉल्ट्री और मांस जैसी शीघ्र सड़ने-गलने वाली खाद्य मदों के परिरक्षण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 ने 01.04.2009 को अथवा उसके पश्चात ऐसा कारोबार शुरू करने वाली यूनिटों के लिए मांस एवं मांस उत्पादों तथा पॉल्ट्री, समुद्री एवं डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकिंग करोबार के संबंध में कर अवकाश भी प्रदान करने के लिए धारा 80 आईबी की उपधारा (11 ए) को संशोधित किया था।

इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2009 ने 01.04.2009 को या उसके पश्चात प्रचालन शुरू करने के लिए विशिष्ट उत्पादों हेतु शीत श्रृंखला सुविधाओ की स्थापना एवं प्रचालन तथा कृषि उपजों के भंडारण हेतु माल-गोदाम सुविधाओं की स्थापना एवं प्रचालन कारोबार को आयकर अधिनियम, 1961 में नई धारा 35 एडी को समाविष्ट करके निवेश-लिंक्ड कर प्रोत्साहन भी दिया है। इस धारा के अनुसार, पिछले वर्ष में विशिष्ट करोबार के उद्देश्य से पूर्ण रूपेण व्यय हुए पूंजीगत प्रकृति (भूमि, गुडविल या वित्तीय लिखतों को छोड़कर) के किसी भी सम्पूर्ण व्यय के बारे में 100% कटौती की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी की हों ताकि खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक लगातार वृद्धि कर रहा है, परन्तु और वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश जान पड़ती है जो प्रायः बाधाओं जैसे उत्पादों की विनिष्टता, कच्ची सामग्री की मौसमी उपलब्धता, फूलों एवं सब्जियों की प्रसंस्करण योग्य किस्म की अनुपलब्धता, खेत स्तर पर और द्वितीय/तृतीय स्तर दोनों पर अपर्याप्त अवसंरचना से प्रभावित होती है जिसमें विशाल आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं भी शामिल हैं।

खाद्य तेल का आयात

65. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री पी. कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल के आयात के लिए किसी फार्मूला को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) खाद्य तेलों का आयात करने के लिए कोई फर्मूला नहीं है लेकिन सरकर ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) का आयात करने की अनुमति दी है ताकि देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए अप्रैल, 2008 से क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों पर क्रमशः शून्य तथा 7.5% तक आयात शुल्क को कम करके आयात को उदार बनाया गया है तथा इस नीति को जारी रखा गया है।

केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

66. श्री ए. सम्पत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के कार्मिक (सीपीएमएफ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में बल-वार और विंग-वार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले ऐसे कार्मिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे मामलों को रोकने और सीपीएमएफ के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) केवल कुछ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। वर्ष 2008 से 2011 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर गए कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बल	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर गए कार्मिकों की संख्या							
	2008		2009		2010		अक्टूबर, 2011	
	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म
असम राइफल्स	954	02	1254	03	732	02	752	06
बीएसएफ	3529	00	6319	00	5443	00	4852	00
सीआईएसएफ	458	12	954	02	165	11	229	02
सीआरपीएफ	1501	10	3569	18	2789	11	2115	13
आईटीबीपीएफ	229	02	651	02	463	01	252	-
एस एस बी	165	11	342	22	439	08	320	09

सामान्य सी ए पी एफ कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए व्यक्तिगत/घरेलू समस्याओं को कारणो के रूप में बताया है।

(ग) परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. पारदर्शी अवकाश नीति कार्यान्वित करना;

ii. कमांडरों, अधिकारियों और सैन्यदलों के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की नियमित बातचीत करना;

iii. सैन्यदलों तथा उनके परिवारों के लिए आधारभूत सुविधाओं/सुविधाओं का प्रावधान करना;

iv. शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना;

v. सैन्यदलों और उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं;

vi. अधिक जोखिम, कठिनाई और अन्य भत्ते;

vii. सैन्यदलों को अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहने और दूरस्थ स्थानों पर तनाव कम करने के लिए एस टी डी टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान;

viii. बेहतर तनाव प्रबंधन के लिए योग कक्षाएं;

ix. मनोरंजन एवं खेलकूद की सुविधाएं इत्यादि;

x. सैन्यदलों एवं उनके परिवारों को केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन की सुविधाएं इत्यादि।

नेहरू युवा केंद्र संगठन की उपलब्धियां

67. **चौधरी लाल सिंह:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनावार और राज्यवार नेहरू युवा संगठन (एन वाई के एस) के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना-वार और राज्य-वार इस योजना के लिए आवंटित/व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात इस योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक उक्त योजना के अंतर्गत सभी जिलों को कवर किए जाने की संभावना है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) ने.यू. केन्द्र की स्थापना 1972 से इस उद्देश्य से की गई है कि ग्रामीण युवाओं को उनके व्यक्तित्व और कुशलता के विकास के लिए राष्ट्रीय विकास और अवसर की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जा सके। राज्यों में स्थापित ये केन्द्र युवा क्लबों, महिला मन्डलों और स्वयं सेवक जो बुनियादी स्तर पर कार्य करते हैं, के बड़े नेटवर्क के माध्यम से बहुआयामी कार्यकलाप करते हैं। 9वीं, 10वीं ओर 11वीं योजना के दौरान ने यु.के. के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में युवा क्लब सदस्यों का क्षमता निर्माण, महिलाओं के लिए कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यकारी कैम्प, बुनियादी स्तरों पर खेल-संवर्धन क्रिया-कलाप, जिला सांस्कृतिक समारोह और युवा समागम शामिल हैं।

(ख) ने.यु.के. सं. के प्रत्येक केन्द्र को जिला में ब्लाकों की संख्या वु आधार पर प्रतिवर्ष निधियां दी जाती हैं। 9वीं, 10वीं योजना के दौरान 143.38 करोड़ रुपये और 251.82 करोड़ रुपए तथा 11वीं योजना के दौरान 565.29 करोड़ रुपये की निधियां ने.यु.के. संगठन के केन्द्रों के लिए रखी गई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रों को विगत दो वर्षों तथा चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौन आवंटित/निर्गत निधियों का पूरा उपयोग कर लिया गया जिसके लिए उनकी स्वीकृति दी गई थीं और लक्ष्य पूरे हो गये हैं। ने.यु.के. संगठन युवा विकास संबंधी पहल कर रहा है। ने.यु.के.सं. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेषकर जागरुकता अभियान जैसे कार्यक्रमों और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए भी नई पहल कर रहा है। ने.यु.के.सं. द्वारा योजनाओं के कार्यकरण और क्रियान्वयन में कफी बड़ा परिवर्तन लाया गया है। इसके लिए महिला और बाल विकास, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए युवा विनिमय कार्यक्रम, एच आई बी एड्स पेयजल और स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और कृषि विस्तार और शिक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों के 59 जिलों के लिए युवा रोजगार गम्यता कुशलता, 200 सीमावर्ती/आदिवासी/पिछड़े जिलों तथा 100 जिलों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गए हैं।

(ङ) वर्तमान में जिन जिलों में ने.यु. केन्द्र संगठन के केन्द्र नहीं हैं उनमें केन्द्र खोलने के लिए सरकार ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य

68. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों में लगे स्थानीय सरकारी पदाधिकारियों को सहयोग और सुरक्षा उपलब्ध करायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जब कभी भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट मांग की जाती है, जब सीआरपीएफ सड़कों के निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए सामान्य सुरक्षा प्रदान करती है। तथापि, सीआरपीएफ का प्राथमिक अधिदेश नक्सल-रोधी अभियान चलाना है।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरों को शामिल करना

69. श्री एस. सेम्मलई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस लाख से कम जनसंख्या वाले 28 शहरों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में शामिल करने का प्रस्ताव हाल ही में योजना आयोग को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त बनाने के लिए जूएनएनयूआरएम के अगले चरण में प्रस्तावित नई रणनीतियों और पहलों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के शहरी अवस्थापना एवं शासन उप-मिशन के अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 5 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूहों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था:-

गुंटुर, वारंगल, दुर्ग-भिलाई नगर, भवनगर, जामनगर, बेलगाम, मंगलौर, हुबली-धारवाड़, कोझीकोड, ग्वालियर, अमरावती, भिवंडी, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर, कटक-जालंधर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सालेम, तिरूप्पुर, तिरुचिरापल्ली, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, और मुरादाबाद।

संसाधनों की कठिनाइयों के कारण योजना आयोग, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी अवस्थापना एवं शासन के अंतर्गत इन शहरों को शामिल करने पर सहमत नहीं हुआ।

(ग) सरकार ने 20 वर्ष की अवधि के लिए शहरी अवस्थापना सेवाओं के लिए निवेश संबंधी जरूरतों का आकलन करने के लिए डा. ईशर जज अहलुवालिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकरण विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण की कार्ययोजना एवं पहल-प्रयासों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

भंडारण क्षमता

70. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में उपलब्ध वर्तमान खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का उपयोग पूरी तरह से कर लिया गया है जिसके कारण और अधिक खाद्यान्न के भण्डार की संभावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो आगामी रबी फसल के लिए अतिरिक्त भंडार के सृजन के लिए चावल निर्यात सहित किए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामत: कितनी क्षमता सृजित होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी और किराए की, दोनों में ढकी हुई तथा कवर और प्लिंथ सहित कुल 333 लाख टन भंडारण क्षमता है जिसका 1-10-2011 की स्थिति के अनुसार राज्य एजेंसियों

के पास ढकी हुई और कैप क्षमता सहित 295 लाख टन भंडारण क्षमता थी। इस प्रकार 1-10-2011 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों के केन्द्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए 628 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध थी जबकि केन्द्रीय स्टॉक 517 लाख टन था।

खाद्यान्नों की खरीदारी बढ़ने के कारण और कवर तथा प्लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डार निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन अतिरिक्त भंडारण की जरूरत का आकलन समूची खरीद/खपत और पहले से ही उपलब्ध भंडारण स्थान के आधार पर की जाती है। उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए भंडारण क्षमता का सृजन किसी राज्य विशेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की चार माह की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। खरीद क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने हेतु पिछले तीन वर्षों में अधिकतम स्टाक स्तर पर विचार किया जाता है।

इस विश्लेषण और स्कीम में विहित मापदंडों के आधार पर राज्यवार अपेक्षित क्षमता और स्थानों की पहचान की गई थी। इस स्कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराया देने के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा 69 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भंडारण निगम क्रमश: 5.4 और 14.4 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 4 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है।

सरकार ने हाल ही में खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। चूंकि, यह निर्यात प्राइवेट खाते से किया जाएग इसलिए केन्द्रीय पूल के स्टॉक और परिणामस्वरूप सरकारी भंडारण पर इसका सीधा असर नहीं होगा। तथापि, निर्यात के निर्णय के कारण खाद्यान्नों की कुछ मात्रा जो अन्यथ सरकारी स्टॉक में आई होती, अब उसका निर्यात हो जाएगा और इससे उतनी मात्रा तक भंडारण समस्या कम होगी

[अनुवाद]

मणिपुर में नाकाबंदी

71. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री पी. लिंगम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय संगठनों/समूहों द्वारा मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 53 और 39 पर आर्थिक नाकाबंदी के कारण राज्य में खाद्य आपूर्ति, ईंधन और अन्य खाद्य सामग्रियों की भारी कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) पृथक सदर हिल डिस्ट्रिक्ट के संगठन की मांग करते हुए सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट डिमाण्ड कमिटी (एसएचडीडीसी) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की आर्थिक नाकाबंदी और इस मांग का विरोध करते हुए यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) द्वारा जवाबी नाकाबंदी के कारण मणिपुर में खाद्यान्नों, चिकित्सा आपूर्तियों और पेट्रोलियम उत्पादों सहित आवश्यक सामग्रियों की कमी हुई है। आर्थिक नाकाबंदी के कारण आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। चुनिन्दा आयल पम्पों पर पेट्रोल एवं डीजल की राशनिंग जारी है। कुछेक अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की जानकारी भी मिली है। पेट्रोलियम उत्पादों सहित समस्त आवश्यक सामग्रियों को नियमित अन्तराल पर राष्ट्रीय राजमार्ग-53 से होकर वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों को ढोने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनाती किए जाने हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराए हैं।

(ग) सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी ने मणिपुर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 से अपनी नाकाबंदी को स्थगित कर दिया है। यूनाइटेड नागा काउंसिल को राज्य एवं केन्द्र सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि में जीपीएस प्रौद्योगिकी का उपयोग

72. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीपीएस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किसानों को फसल के उगाने के प्रकार, उर्वरकों के प्रयोग तथा उक्त प्रणाली के माध्यम से पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें सटीक सूचना देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत योजना को पहले से ही क्रियान्वयन किए जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें अभी कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दसवीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के तहत "सूक्ष्म कृषि में परिवर्तनशील दर निवेशों के वास्तविक-समय अनुप्रयोग हेतु कम लागत संवेदकों और वर्णाक्रमीय परावर्ती तरीकों के विकास" पर एक प्रारम्भिक अध्ययन शुरू किया गया है। इसके साथ ही, परिषद ने क्षेत्र विशिष्ट संतुलित उर्वरकों की सुनिश्चितता के लिए 65 जिलों के लिए जीपीएस आधारित मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार किए हैं।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग

73. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:**
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में प्रतिबंधित कीटनाशकों/रसायनों का प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि और बागवानी क्षेत्र कीटनाशकों/रसायनों के प्रयोग के बारे में कोई जांच/अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार की इन खतरनाक रसायनों की जांच की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो कृषि और बागवानी क्षेत्र में कीटनाशकों/रसायनों के समुचित प्रयोग की जांच के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) देश में नाशकजीवमारों का उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन विनियमित होता है। समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें आईं हैं जिसमें कहा या है कि मण्डी में उपलब्ध सब्जियों में प्रतिबंधित नाशकजीवमार हैं। तथापि ''राष्ट्रीय स्तर पर नाशकजीवमार अवशेषों का मानीटरन'' की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत नाशकजीवमार अवशेषों को पता लगाने के लिए गए फलों और सब्जियों सहित कृषि जिन्सों के नमूनों के विश्लेषण में कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रतिबंधित किसी नाशकजीवमार के उपयोग का संकेत नहीं दिया है।

(ङ) और (च) चूंकि विज्ञान एक गतिशील विषय है अत: समय-समय पर सरकार के ध्यान में नए विकास आते हैं। सरकार विशेषज्ञ समितियों, पंजीकरण समितियों के जरिए कीटनाशकों की समीक्षा करती रहती हैं। ऐसी समीक्षाओं के आधार पर अब तक 28 कीटनाशकों पर आयात और विनिर्माण के लिए रोक लगा दी गई हैं।

सरकार ''भारत में नाशकजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण'' की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम समेकिन नाशकजीव प्रबंधन (आईपीएम) की कार्यनीति को लोकप्रिय बना रही है। यह नाशकजीवमारों के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग पर जोर देता है।

किसानों को संस्तुत मात्रा में पंजीकृत नाशकजीवमारों के उपयोग तथा लेबल और पर्चियों में दी गई अपेक्षित सामग्रियों और अन्य अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

[अनुवाद]

हैलीकॉप्टर सेवा

74. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को हैलीकॉप्टर सेवा किस प्रकार मुहैया कराई जा रही है तथा विगत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों द्वारा हैलीकॉप्टरों के प्रयोग के दौरान दुर्घटनाएं बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बल-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसी कुल कितनी दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई तथा उनमें कितने कार्मिक मारे गए;

(घ) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को उच्च गुणता तथा सुरक्षित हैलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) हैलीकॉप्टरों के प्रयोग हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) केन्द्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) को विगत तीन वर्षों के दौरान उनकी आवश्यकता के आधार पर और अभियान संबंधी आवश्यकता के आधार पर भारतीय वायुसेना के बेड़े से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन हेलीकॉप्टरों की सेवाओं का इस्तेमाल हताहतों को निकालने और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य-टुकड़ियों को पहुंचाने, वीआईपी को लाने-ले-जाने, संचार कार्यों, टोह और सेवा योग्य उड़ानों, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा स्थित दुर्गम सीमा-चौकियों कह हवाई देख-रेख, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सैन्य-टुकड़ियों के प्रशिक्षण एवं उनकी तैनाती तथा हैलीबॉर्न अभियानों में किया जा रहा है। वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान इन पर क्रमश: 23,11,11,020 रुपए, 34,73,81,238 रुपए और 26,57,80,705 रुपए का व्यय हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां। इस अवधि के दौरान, दिनांक 13 मई, 2011 को सीमा सुरक्षा बल का एक चेतक हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें बी एस एफ के 2 अधिकारियों और पवन हंस हेलीकॉप्टरर्स लिमिटेड (पी एच एच एल) के पायलट की मृत्यु हो गई। दूसरी दुर्घटना दिनांक 19.10.2011 को हुई जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को उपलब्ध कराया गया एक एडवांस्ड लाइट हेलकॉप्टर (ए एल एच) ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें पी एच एल के 2 पायलट और एक उड़ान तकनीशियन की मृत्यु हुई।

(घ) सरकार द्वारा महानिदेशालय, नागर विमानन और भारतीय वायु सेना के निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार, हेलीकॉप्टरों के बेड़े के रख-रखाव के लिए उच्च सुरक्षा मानकों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

ए एल एच ध्रुव हेलीकॉप्टर बेड़े का रख-रखाव और संचालन मै. एच ए एल/पी एच एच एल के माध्यम से किया जाता है और एम आई-17 बेड़े का रख-रखाव और संचालन, पुनर्नियोजित/प्रतिनियुक्ति आधार पर भारतीय वायु सेना से लिए गए इंजीनियरों/तकनीशियनों और पायलटों की अनुभवी टीम द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) सी ए पी एफ से पायलटों का चयन किया गया है और उन्हें भारतीय वायु सेना तथा मै. एच ए एल स्थित रोटरी विंग अकादमी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। ए एल एच/ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए इंजीनियरों की भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, सी ए पी एफ कार्मिकों को हेलीबॉर्न प्रशिक्षण अर्थात स्थिलरिंग, रैपेलिंग, पैरा-जम्पिंग इत्यादि के प्रशिक्षण अभियान संबंधी आवश्यकता के आधार पर दिया जा रहा है।

बी.आई.एस.ए. का गठन

75. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बी.आई.एस.ए.) के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा यह कब से कार्यशील होगा; और

(घ) देश में बी.आई.एस.ए. के गठन से भारतीय कृषि क्षेत्र को कितना लाभ होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सरकार ने बोरलॉग

इन्स्टीट्यूट फार साउथ एशिया इण्डिया की स्थापना के लिए गेहूं तथा मक्का के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (सिमिट) के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान होगा जिसके लिए भूमि तथा सहयोगी सुविधाएं संबंधित तीन राज्य सरकारों द्वारा मुहैया की जा रही हैं। सभी अन्य प्रकार के व्यय की व्यवस्था सिमिट (सीआईएमएमवाईटी) द्वारा पूरी की जायेगी।

(ग) इस संस्थान द्वारा संचालित गेहूं तथा मक्का के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान से भारत को लाभ मिलने की आशा की जाती है।

फार्मूला-वन कार रेस

76. **श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में देश की पहली फार्मूला-वन कार रेस प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके आयोजकों को प्रदान की गई कर-छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रतिस्पर्धा के आयोजन हेतु आयोजको को प्रदान की गई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। ग्रेटर नोएडा में 28 से 30 अक्टूबर, 2011 के बीच फार्मूला-1 ग्रैण्ड प्रिम्स मोटर रेसिंग इवेन्टस आयोजित किए गये थे।

(ग) और (घ) सरकार ने बगैर कोई धनराशि दिये निम्नलिखित शर्तों पर इवेन्ट के आयोजन की अनुमति प्रदान की:-

(I) इवेन्ट के आयोजन के लिए स्थल पर का इस्तेमाल करने के लिए सभी अपेक्षित स्वीकृति;

(II) इवेन्ट आयोजन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति;

(III) विदेश मंत्रालय से स्वीकृति;

(IV) विदेशी टीमों और अन्य विदेशी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा दृष्टि से गृह मंत्रालय की स्वीकृति;

(V) सीमा शुल्क भुगतान सहित आयातों को संचालित करने वाले लागू विनियमों का अनुपालन।

(VI) इवेन्ट से संबंधित सभी विदेशी मुद्रा बहिर्गमन के लिए अपेक्षित स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन।

(VII) टूर्नामेंट में तम्बाकू और मदिरा का संवर्धन नहीं करना या विज्ञापन नहीं अनुपालन।

(VIII) खेल इवेन्ट के रूप में सीमा शुल्क या कर छूट या कोई अन्य छूट का कोई दावा नहीं।

(IX) कोई विदेशी प्रतिभागी जो इवेन्ट से सहयोजित या संबंधित है, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत में किसी प्रतिबन्धित या निषिद्ध क्षेत्र का भ्रमण नहीं करेगा।

(X) खेल संवर्धन के संबंध में प्रतिवद्वताओं की पूर्ति जिसमें करार की पूरी अवधि अर्थात 2015 तक जो अगले 5 वर्षों तक विस्तारणीय है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल निधि को 10 करोड़ रुपये का वार्षिक अंशदान शामिल है। वर्ष 2010 और 2011 के लिए अंशदान तुरन्त करना होगा।

(XI) इवेन्ट से संबंधित अन्य सभी स्वीकृतियां जिनमें एफ एम एस सी आई, एफ आई ए और एफ ओ ए से आवश्यक अनुमति, स्वीकृति/अनुमोदित शामिल हैं।

(XII) कि किसी विदेशी को भारत में सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी निषिद्ध/प्रतिबंधित क्षेत्र का भ्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

77. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुलिस-सुधार के प्रयोजन से राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस तारीख को किया गया;

(ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा आज की तिथि तक इनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथव उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सरकार ने पुलिस की समस्याओं का अध्ययन करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने फरवरी 1979 से मई 1981 की अवधि के दौरान आठ रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। रिपोर्टों को केन्द्र सरकार से विशिष्ट निर्देशों के साथ इसकी जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया था। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को राजी करने की पहल की। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश जिन्हें केन्द्र सरकार ने कार्यान्वित किया है, पुलिस कर्मियों के आवास के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराने, पुलिस संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अन्तर्गत राज्य पुलिस बल में कम्पयूटरीकरण के लिए सहायता प्रदान करने, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना करने, आईपीएस अधिकारियों के लिए सरदार बल्लभाई भाई नेशनल पुलिस अकादमी, हैदाराबाद में प्रबंधन पाठ्यक्रमों का आयोजन करने, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, डाइरेक्टरेट ऑफ कोओर्डिनेशन पुलिस वायरलैस तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एण्ड फॉरेंसिंक साइंस के गठन को सरल एवं कारगर बनाने, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के दिशानिर्देशों को जारी करने इत्यादि से संबंधित हैं।

आयोग की कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशें, जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका, इस प्रकार थीं:

(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन:

(ii) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वरिष्ठतम प्रमुख, मुख्य सचिव और निवर्तमान डीजीपी की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा तैयार किए गए राज्य कैडर के आईपी एक अधिकारियों के एक पैनल से डीजीपी का चयन तथा किसी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल;

(iii) मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किए गए आई पी एक अधिकारियों के एक पैनल से भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो के प्रमुख की नियुक्ति;

(iv) अनावश्यक दबाव से जांच का पृथक्करण;

(v) पुलिस अधिनियम, 1861 का प्रतिस्थापना

बाद में गृह मंत्रालय ने एक मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए सितम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को एक मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया।

समिति द्वारा तैयार किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम के मसौदे की प्रति विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों को भेज दी गयी थी क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड ने या तो पुलिस अधिनियम को अधिनियमित कर दिया है या वर्तमान अधिनियम को संशोधित कर दिया है।

पुलिस सुधारों पर विभिन्न समितियों/आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2004 में गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इसने उन सिफारिशों को सूचीबद्ध किया जिन्हें अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है या आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है।

समिति ने 49 ऐसी सिफारिशों को चुना जो पुलिस को पेशेवर ढंग से सक्षम तथा सेवोन्मुखो संगठन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये 49 सिफारिशें मुख्यत: निम्न से संबंधित थीं:

(i) शहरी के साथ-साथ ग्रामीण पुलिस में कार्य निष्पादन के पेशागत मानकों को सुधारना,

(ii) पुलिस की आन्तरिक सुरक्षा की भूमिका पर बल देना,

(iii) पुलिस कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण कैरियर प्रगति तथा सेवा शर्तों की समस्याओं का समाधान करना,

(iv) अपराध, गिरफ्तारी इत्यादि का पंजीकरण न करने के संबंध में पुलिस के विरुद्ध शिकायतों का निपटान,

(v) बाहरी दवाबों में पुलिस तंत्र को मुक्त करना।

समीक्षा समिति की रिपोर्ट को समस्त राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे संबंधित सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें भेज दिया गया था।

राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार, सिफारिशों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है, अर्थात कुछ सिफारिशों को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित कर दिया गया है जबकि अन्य सिफारिशों को आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

78. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी दिल्ली इलाके की अधिकांश इमारतों को खतरनाक तथा निवास हेतु असुरक्षित घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त इमारतों पर अनधिकृत निर्माण इनके ध्वस्त होने के कारणों में से एक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी इमारतें गिरीं और इससे कितने व्यक्तियों की मौतें हुईं;

(ङ) क्या सरकार ने जीर्ण-शीर्ण स्थिति वाली इमारतों की पहचान के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सूचित किया है कि दिनांक 01.01.2011 से 31.10.2011 की अवधि से संबंधित अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र की 25 इमारतें खतरनाक और असुरक्षित हैं।

(ग) एम सी डी ने यह सूचित किया है कि इसका अधिकांश क्षेत्र प्राचीर नगर क्षेत्र (वाल्ड सिटी एरिया) के अन्तर्गत आता है और यहां की अधिकांश सम्पत्तियां 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इनकी ढांचागत कमजोरी ही ध्वस्त होने का कारण है।

(घ) यहां केवल एक ही इमारत गिरी थी जिसमें कथित रूप से सात लोगों की जान गई थी।

(ङ) और (च) एम सी डी स्टाफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 25 इमारतें खतरनाक हैं। इस संबंध में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 (खतरनाक इमारतों का गिराना) और धारा 349 (कतिपय परिस्थितियों में इमारत को खाली करने का आदेश देने की शक्तियां) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

सोने तथा चांदी के आभूषणों हेतु मानक

79. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप मांझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.एस.आई.) ने देश में सोने तथा चांदी के आभूषणों की शुद्धता संबंधी कोई मानक तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से आभूषण-विक्रेताओं द्वारा उक्त शुद्धता-मानकों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न भागों में विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौन सरकार ने राज्य-वार कितने आभूषण-विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की; और

(ङ) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में विगत एक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार ने राज्य-वार कितने आभूषण-विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की; और

(च) विभिन्न राज्यों में हॉल-मार्क आभूषणों के विक्रय हेतु किन-किन आभूषण विक्रेताओं को अधिकृत किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस 1417:1999 'स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातु, आभूषण/कलात्मक वस्तुएं शुद्धता और मोहरांक विनिर्देशन' का प्रतिपादन किया है। इसमें सोने की 9 श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं जिनका प्रयोग उनमें स्वर्ण की मात्रा के आधार पर सोने के आभूषणों/कलात्मक वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	शुद्धता	कैरट
शुद्ध स्वर्ण	999	-
मानक स्वर्ण	995	-
958.3	958	23
916.6	916	22
875	875	21
750	750	18
708	708	17
585	585	14
375	375	9

भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस 2112:2003, 'चांदी और चांदी मिश्रधातु, आभूषण/कलात्मक वस्तुएं और मोहरांक-निर्देशन' का भी प्रतिपादन किया है जिसमें शुद्ध चांदी की 3 श्रेणियों और चांदी मिश्र धातु की पांच श्रेणियां विनिर्दिष्ट की गई हैं, जिनका प्रयोग उनमें चांदी की मात्रा के आधार पर चांदी के आभूषणों/कलात्मक वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	शुद्धता
9999	999.0
9995 शुद्ध चांदी	999.5
999	999.0
925	925.0
900 आभूषणों/कलात्मक	900.0
835 वस्तुओं के लिए	835.0
800 चांदी मिश्र धातु	800.0

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2010 और 2011 के दौरान किसी विशेष लाइसेंसधारी जौहरी द्वारा शुद्धता मानकों के उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आई एस 1417:1999/आई एस 2112:2003 के अनुसार शुद्धता मोहरांकन के लिए सोने/चांदी के आभूषणों/कलात्मक वस्तुओं के प्रमाणन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम के अनुसार प्रामाणिक शिकायतों के मामले में उनको बदलने का प्रावधान है, जो नीचे दिया गया है:-

'जब भी भारतीय मानक ब्यूरो से किसी एसेइंग और हालमार्क केन्द्र से एसेइंग रिपोर्ट के साथ खरीदे गए हल मार्क वाले सोने/चांदी के आभूषणो/कलात्मक वस्तु को निशुल्क बदला जाएगा। सोने के आभूषण/कलात्मक वस्तु की भारतीय मानकों से अनुरूपता का निर्णय लेने का अंतिम अधिकार भारतीय मानक ब्यूरो के पास होगा।'

भारतीय मानक ब्यूरो के पास भारतीय मानक ब्यूरो की हालमार्किंग स्कीम के अंतर्गत जौहरियों से बाजार नमूने लेने और नमूनों के विफल होने पर कार्रवाई करने के लिए भी तंत्र है। जिन जौहरियों ने उनके द्वारा विनिर्मित/बेचे गए आभूषणों पर हालमार्क उपयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस नहीं लिया है उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का कोई नियंत्रण नहीं है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर कुछ लाइसेंसधारी जौहरियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) 15 नवंबर, 2011 के अनुसार 8606 सोने के जोहरी और 513 चांदी के जौहरी र्स्वच्छिक हालमार्किंग स्कीम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारी हैं। इन जौहरियों की सूची भारतीय मानका ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in से प्राप्त की जा सकती है।

विवरण

उन जौहरियों की सूची जिनके खिलाफ सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 2010 और 2011 के दौरान कार्रवाई की है

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जौहरियों की संख्या जिनके उन खिलाफ कार्रवाई की गई	
	2010-11	2011-12 (15 नवम्बर, 2011 तक)
कर्नाटक	2	0
आंध्र प्रदेश	2	14
केरल	15	0
तमिलनाडु	5	2
गुजरात	19	13
असम	1	0
पश्चिम बंगाल	1	2
राजस्थान	1	1
उड़ीसा	2	0
अन्य राज्य	0	0
कुल	48	32

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठनों से मिलीभगत

80. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **गृह मंत्री** 6.9.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5475 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार के कतिपय भागों में आतंकवादी/नक्सलवादी तत्वों तथा कुछ व्यक्तियों के बीच मिलीभगत के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के सीमावर्ती देशों से भी इन संगठनों को मदद मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य पुलिस बलों द्वारा आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खुलासे से बिहार में कुछ आतंकवादी तत्वों के नाम उजागर हुए हैं जिनके लश्कर-ए-तैयबा (एलइटी) से संबंध हैं। जानकारियों के आधार पर, वर्ष 2004 तथा 2009 के बीच बिहार के चार एलईटी कार्यकर्ताओं का पता चला था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

(ग) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि बिहार की सीमा के साथ के देश नक्सल गुटों की सहायता कर रहे हैं। तथापि, सी पी आई (माओवादी) को नेपाल के यूसीपीएन (माओवादी) के साथ भाई चारे का संबंध बनाए रखने के लिए जाना जाता है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियां ऐसे गुटों तथा व्यक्तियों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखती हैं।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी प्रसारण केंद्र

81. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के शिर्डी सहित अन्य स्थानों में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र (एल.पी.टी./एच.पी.टी) तथा आकाशवाणी रेडियों स्टेशन स्थापित करने हेतु कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्तमान में शिर्डी में एक एलपीटी सहित महाराष्ट्र में 121 टीवी ट्रांसमीटर (एचपीटी-13, एलपीटी-88, वीएलपीटी-20) कार्यशील हैं। स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों को देश के बाकी क्षेत्रों के साथ दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा "डी डी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है। स्थलीय कवरेज के विस्तार हेतु फिलहाल नए ट्रांसमीटरों की परिकल्पना नहीं है। दूरदर्शन की डिजिटलीकरण स्कीम के भाग के रूप में, महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, पुणे एवं औरंगाबाद में डिजिटल उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

11वीं योजना में अनुमोदित 10वीं योजनागत सतत स्कीम के भाग के रूप में, अमरावती में 10 किया एफएम रेडियों स्टेशन की स्थापना की जा रही है जो दिसंबर, 2011 तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाएगा। तथापि, शिर्डी में रेडियो स्टेशन की स्थापना करने हेतु कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

इसके अतिरिक्त, 11वीं योजना में महाराष्ट्र के निम्नलिखित 11 स्थानों में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं:

क्र.सं.	स्थान	एफएम ट्रांसमीटर की क्षमता
1.	ब्रह्मपुरी	100 वाट
2.	बुलदाना	100 वाट
3.	गोण्डिया	100 वाट
4.	जालाना	100 वाट
5.	जलगांव	5 किवा
6.	मालेगांव	100 वाट
7.	परभनी	5 किवा
8.	रत्नागिरि	1 किवा
9.	सांगली	1 किवा
10.	शोलापुर	10 किवा
11.	वर्धा	100 वाट

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम

82. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यान्वित किए जा रहे एकीकृत आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम का लाभ लक्षित आबादी तक पहुंच रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस हेतु योजना-वार तथा शहर/नगर-वार कितनी राशि स्वीकृत तथा जारी की गई और इस कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या रहीं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) देश में कार्यन्वित हो रहे समेकित आवास और शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है;

(ख) और (ग) राज्यवार ब्यौरा संलग्न II में दिया गया है।

(घ) मंजूर जारी राशि का ब्यौरा (स्कीम वार संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)।

भारत सरकार ने देश में शहरी गरीबों हेतु शहरी गरीब (बीएसयूपी) कार्यक्रम हेतु मूलभूत सेवाओं के तहत देश में 65 शहरों/कस्बों में शहरी गरीबों हेतु आवास और अवसरंचना सुविधाओं के लिए शहरों और कस्बे को मदद करने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) प्रारभ की। अन्य शहरों/कस्बों हेतु समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शुरू की गई।

2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय देशभर में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कार्यन्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करके, कौशल प्रशिक्षण देकर तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पतियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। यह योजना 2009-2010 से व्यापक रूप से कार्यन्वित है।

3. आवास और शहरी गरीब हेतु ब्याज सब्जिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण ब्याज सब्सिडी प्रदान करनी है और ऐसे परिवारों के मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

4. **राजीव आवास योजना (रे):**

4.1 स्लम मुक्त भारत बनाने हेतु सरकार के विजन (सपने) के अनुपालन में 2.06.2011 को एक नई स्कीम राजीव आवास योजना (आरएवाई) प्रारंभ की गई। राजीव आवास योजना के विवरण-ए की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से 2 वर्ष की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवस्था की गई तथा व्यय को वास्तविक योजना परिव्यय तक सीमित किया गया है। (112 वीं योजना (2017) के अंत तक संपूर्ण देश में लगभग 250 शहरों को कवर करने की संभावना है। शहरों का चयन केन्द्र के परामर्श से राज्यों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों को करना होगा 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख आबादी से अधिक शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा अन्य छोटे शहरों को स्लमों अल्पसंख्या आबादी के अनुसार और वे क्षेत्र जहां संपति अधिकार दिए गए हैं। स्कीम राज्यों द्वारा तय गति के अनुसार प्रगति करेंगी।

4.2 स्कीम के तहत यह भी निर्णय किया गया है। कि ईडब्लू एस/एल आई जो निवासियों को समर्थ आवास हेतु केन्द्रीय सरकार से रु. 1000 करोड़ की प्रारंभिक राशि निवेश के साथ रु. 5 लाख तक ऋण हेतु ऋण लेने के लिए मार्ट गेज रिस्क गांरटी फंड बनाने का निर्णय किया गया।

4.3 सांचे में समर्थ आवास योजना जिसका लक्ष्य समर्थ आवास स्टाक बनाने के लिए सार्वजनिक प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देना है, आरएवाई में समायोजित की गई है।

विवरण II

1. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम):** बीएसयूपी और आईएचएसडीपी लाभार्थियों के हित में है। 1.11.2011 को बी.एस.यू.पी. और आईएचएसपी के तहत कुल रिहायशी यूनिटों के निर्माण हेतु 21,54,548.87 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश (एसीए) सहित कुल 39,654.58 करोड़ रु. की परियोजना लागत से कुल 1501 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। अब तक मंजूर 1562211 रिहायशी यूनिटों (डीयू) में से कुल 304463 डीयू सूचित किए गए जैसा कि शहरी गरीब द्वारा दी गई।

2. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) (निजी ऋण और सब्सीडी) के तहत लाभार्थीयों की कुल सं. 11,72,244 है शहरी गरीबों में रोजगार विकास हेतु कौशल प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 20,13,352 है। शहरी महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (यूडब्लूईपी) के तहत लाभार्थियों की सं 04,69,948 है और एसजेएसआरवाई के तहत शहरी वेज रोजगार कार्यक्रम (यूडब्लूईपी) के तहत बने श्रम दिवसों की संख्या 771.87 लाख है। 3. शहरी गरीबों के आवास हुत ब्याज सब्जिडी स्कीम (आईएसएचयूपी)

इस योजना के तहत सितम्बर, 2011 तक समेकित रूप में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में 8370 लाभार्थी कवर किये गए हैं तथा रु. 7.25 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई है। आईएसएचयूपी मांग के आधार पर चलने वाली स्कीम है और सभी शहरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के व्यक्ति इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण III

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनसआरएम) (p-4-7)

22-11-2011 के लिए लोक सभा का अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के संदर्भ में अनुलग्नक (उपमिशन-II)

शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं (उपमिशन-II)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसी ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1302.40	650.50	211.57			240.89			306.93			84.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.15	40.59	0.00			10.99			0.84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	54.49	49.04	0.00			24.40			12.26			
4.	बिहार	342.27	133.22	33.30			0.00						
5.	छत्तीसगढ़	28.79	23.03	0.00	42.25	29.77	83.80			7.44			
6.	चंडीगढ़			94.03			89.91			38.28			
7.	दिल्ली	127.32	52.8	15.78			0	1905.13	893.88	183.69	512.10	227.82	
8.	गोवा			0.00									
9.	गुजरात	168.02	78.75	175.34	216.19	103.22	137.25	27.61	12.49	158.44	220.81	130.86	2.34
10.	हरियाणा			15.59						7.79			
11.	हिमाचल प्रदेश			0.00									
12.	जम्मू और कश्मीर	57.22	49.56	7.47			4.92			3.19			
13.	झारखंड	175.38	118.69	9.67			1.80	159.71	77.15	37.48			
14.	कर्नाटक	236.91	134.99	21.88			74.37			49.97			35.01
15.	केरल	39.55	31.18	0.00			24.00			50.72			
16.	मध्य प्रदेश	183.98	87.59	17.80			51.63			56.65			12.80
17.	महाराष्ट्र	1363.23	705.34	436.48	943.11	467.99	232.55			293.87	191.42	86.25	49.81
18.	मेघालय	21.30	16.58	0			10.09						
19.	मणिपुर	51.23	43.91	0			10.98						
20.	मिजोरम	56.99	51.20	0			12.80			7.23			12.80
21.	ओडिशा	7.45	5.41	1.35			0			9.95			
22.	पंजाब			0			8.32			9.04			
23.	पुदुचेरी			0	92.00	50.89	13.78			1.07			
24.	सिक्किम	30.33	26.26	0			6.56			7.96			
25.	नागालैंड			11.01			0			26.40			
26.	राजस्थान			0			0	181.5	88.11	43.17			
27.	तमिलनाडु	193.21	94.44	57.83			126.71			162.36			43.30
28.	त्रिपुरा			3.49			6.98						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	उत्तर प्रदेश	1893.13	937.76	235.57			71.14	11.67	5.40	284.49	11.28	4.80	54.03
30.	उत्तराखंड	13.24	9.93	3.20	49.91	37.33	0.00			10.61			1.29
31.	पश्चिम बंगाल	881.74	440.87	211.13			87.84	710.33	355.17	150.33			159.46
		7273.33	3781.64	1562.49	1343.46	689.20	1331.73	2995.95	1432.20	1920.16	935.61	449.73	455.49

विवरण III (क)

समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसीए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय शेयर	जारी एसी ए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	451.87	271.98	48.91			195.03			114.86			
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.95	8.96	0.00						4.48			
3.	असम	28.76	23.38	7.39	17.92	13.73	11.17						
4.	बिहार	113.39	64.21	32.10	81.10	38.51		156.63	67.40	19.26			24.11
5.	छत्तीसगढ़	49.10	36.82	0.00			43.57			13.74			
6.	गोवा		0.00	0.00									
7.	गुजरात	114.58	73.22	33.84	39.71	17.13	13.99			6.46			5.40
8.	हरियाणा	33.42	26.74	0.00			13.37			19.81			8.20
9.	हिमाचल प्रदेश	31.90	20.88	6.39			10.44	17.38	11.71	5.85			
10.	जम्मू और कश्मीर	42.60	34.50	13.80	25.72	17.86	9.61	36.88	29.72	5.38			22.33
11.	झारखंड	123.67	72.39	33.33				74.59	43.35	13.94			10.60
12.	कर्नाटक	138.81	76.93	0.00			38.46			37.84			46.43
13.	केरल	55.50	42.18	47.82	80.59	55.29	8.24			30.72			
14.	मध्य प्रदेश	28.48	21.88	10.94	48.90	28.87	12.48	26.46	16.78	6.77	16.68	10.96	18.23
15.	महाराष्ट्र	1166.39	772.57	386.79	30.50	20.19	92.29			84.06	528.96	326.21	9.22
16.	मणिपुर	10.83	8.33	6.18	16.04	11.66	4.48			5.66			10.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	19.66	13.46	3.58			6.72						
18.	मिजोरम	31.00	23.57	3.77			11.12						9.58
19.	नागालैंड		0.00	0.00	2.39	0.60	7.85						
20.	ओडिशा	184.06	123.30	55.34	16.99	9.45	17.92	8.17	5.42	4.73			6.83
21.	पंजाब	21.01	8.22	3.54				253.01	99.76	50.46			
22.	राजस्थान	83.37	52.12	40.24	81.85	45.94	43.94	304.28	196.00	122.00			
23.	सिक्किम		0.00	0.00	19.91	17.92	8.96						
24.	तमिलनाडु	249.24	184.17	77.38	40.97	18.73	90.85			70.92			
25.	त्रिपुरा	20.01	17.60	0.00	16.44	14.11	19.02			12.36			
26.	उत्तर प्रदेश	771.75	509.10	256.50	160.35	100.63	18.49	299.77	177.76	198.2	59.92	33.7	99.52
27.	उत्तराखंड		0.00	0.00	155.42	87.66	26.99			16.84			7.78
28.	पश्चिम बंगाल	377.09	297.60	227.42	0.64	0.15	72.14			34.15			76.12
29.	दिल्ली		0.00	0.00									
30.	पुदुचेरी		0.00	0.96			0.43						
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.88	8.90	0.00			3.16						
32.	चंडीगढ़		0.00	0.00									
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	5.24	2.89				1.44				
34.	लक्षद्वीप		0.00	0.00									
		4166.32	2793.01	1296.21	840.68	501.32	780.72	1177.17	647.90	879.93	605.56	370.87	354.70

विवरण III (ख)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएअआरवाई) के अंतर्गत 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान जारी राज्य वार केन्द्रीय राशि का विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी	जारी	जारी	जारी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4327.22	3390.53	5226.02	2413.80

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	103.93	201.79	0.00
3.	असम	2947.90	1478.03	2869.96	0.00
4.	बिहार	1980.98	895.12	2001.40	0.00
5.	छत्तीसगढ़	637.36	881.30	1201.95	671.35
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1548.80	1501.44	1928.53	0.00
8.	हरियाणा	1334.27	585.34	654.37	798.85
9.	हिमाचल प्रदेश	12.43	12.15	50.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	135.21	146.65
11.	झारखंड	0.00	0.00	814.88	0.00
12.	कर्नाटक	4896.14	3524.71	5376.04	2437.14
13.	केरल	1017.91	948.13	474.03	688.27
14.	मध्य प्रदेश	5043.48	4087.96	5914.80	2859.54
15.	महाराष्ट्र	9608.72	8075.96	10464.11	0.00
16.	मणिपुर	445.71	461.88	448.43	0.00
17.	मेघालय	190.74	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	350.20	369.51	641.66	0.00
19.	नागालैण्ड	286.53	277.13	419.06	134.53
20.	ओडिशा	1776.95	1476.59	1650.75	0.00
21.	पंजाब	120.52	0.00	0.00	1137.55
22.	राजस्थान	1574.91	1311.76	2932.96	0.00
23.	सिक्किम	63.67	46.19	194.84	22.50
24.	तमिलनाडु	4284.44	3817.38	4267.63	3173.05
25.	त्रिपुरा	248.84	0.00	224.25	0.00
26.	उत्तराखंड	566.72	488.70	546.34	291.98
27.	उत्तर प्रदेश	8846.94	6462.43	7224.67	5559.50
28.	पश्चिम बंगाल	1948.07	1940.44	2169.31	2882.40

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	18.75	11.67
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	39.26	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	17.58	8.79	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पुदुचेरी	7.80	6.66	50.00	75.00
	कुल	54067.26	42160.85	58149.79	23303.78

विवरण III (ग)

शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी (आईएसएचयूपी)

वर्ष	शामिल राज्य	लाभार्थियों की संख्या	ब्याज सब्सिडी के एनपीवी की राशि (लाख रु. में)	वित्तीय वर्ष में शामिल कुल संख्या	वित्तीय वर्ष में जारी ब्याज सब्सिडी की कुल एनपीवी
2008-09	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	आन्ध्र प्रदेश	531	36.82	531	36.82
2010-11	आन्ध्र प्रदेश	5233	378.01		
	कर्नाटक	53	14.50		
	राजस्थान	22	8.14	5844	476.94
	छत्तीसगढ़	542	75.12		
	तमिलनाडु	4	1.17		
2011-12	आन्ध्र प्रदेश	1586	127.94		
	कर्नाटक	235	44.21		
	महाराष्ट्र	1	0.23		
	तमिलनाडु	105	28.61	1985	210.11
	मध्य प्रदेश	6	0.95		
	राजस्थान	18	4.10		
	छत्तीसगढ़	34	4.07		
			कुल	8370	723.87 लाख (लगभग 7.25 करोड़)

विवरण III (घ)

राजीव आवास योजना (रे)

157 शहरों की सूची

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु. में)/शहरों की संख्या	शहर-एसएफसीपी द्वारा जारी की गई राशि	
1	2	3	4	
		वित्तीय वर्ष 2009-10		
1.	आंध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1	ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जीवीएमसी)
			2	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर-निगम (जीवीएमसी)
		969.40 लाख की दूसरी किस्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	3	विजयवाड़ा
			4	तिरुपति
			5	गुंटूर
			6	नैल्लोर
			7	करनूल
			8	राजामुन्दरी
			9	वारंगल
			10	काकीनाडा
2.	असम	76.34 (एक शहर)	11	गुवाहाटी
3.	बिहार	191.59 (चार शहर)	12	पटना
			13	गया
			14	भागलपुर
			15	मुजफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	16	भिलाई नगर
			17	रायपुर
			18	बिलासपुर
			19	कोरबा
5.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	20	अहमदाबाद
			21	सूरत
			22	वदोदरा

1	2	3	4	
			23	राजकोट
			24	जामनगर
			25	भावनगर
			26	भरूच
			27	पोरबन्दर
6.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	28	फरीदाबाद
			29	पानीपत
			30	यमुना नगर
7.	हिमाचल प्रदेश	63.54 (एक शहर)	31	शिमला
8.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	32	जमशेदपुर
			33	धनबाद
			34	रांची
			35	बोकारो स्टील सिटी
9.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	36	बंगलोर
			37	मैसूर
			38	हुबली-धारवाड़
			39	मैंगलोर
			40	बेलगाम
			41	गुलबर्ग
			42	देवनगरी
			43	बेल्लारी
10.	केरल	263.31 (छह शहर)	44	कोच्ची
			45	तिरुअनंतपुरम
			46	कोझीकोड
			47	कन्नूर
			48	कोल्लम
			49	थ्रिसूर

1	2	3	4
11.	मध्य प्रदेश	282.25 (छह शहर)	50 इंदौर
			51 भोपाल
			52 जबलपुर
			53 ग्वालियर
			54 उज्जैन
			55 सागर
12.	महाराष्ट्र	944.67 (सोलह शहर)	56 ग्रेटर मुम्बई
			57 पूना
			58 नागपुर
			59 नासिक
			60 औरंगाबाद
			61 शोलापुर
			62 भिवांडी
			63 अमरावती
			64 कोल्हापुर
			65 संगली-मिराज कुपवाड़ा
			66 नांदेड़-वागला
			67 मालेगांव
			68 अकोला
			69 जलगांव
			70 अहमद नगर
			71 धुले
13.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	72 भुवनेश्वर
			73 पुरी
			74 कटक
			75 राउरकेला
			76 ब्रह्मपुर

1	2	3		4
14.	राजस्थान	281.15 (छह शहर)	77	जयपुर
			78	जोधपुर
			79	कोटा
			80	बीकानेर
			81	अजमेर
			82	उदयपुर
15.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	83	इम्फाल
16.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	84	चेन्नई नगर निगम
			85	कोयम्बटूर
			86	मदुरई
			87	तिरुचुरापल्ली
			88	सलेम
			89	तिरुपुर
			90	तिरुनावेली
			91	एरोडे
			92	वेल्लोर
17.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	93	अगरतला
18.	उत्तर प्रदेश	733.177 (अठ्ठारह शहर)	94	कानपुर
			95	लखनऊ
			96	आगरा नगर-निगम
			97	वाराणसी
			98	मेरठ
			99	इलाहाबाद
			100	गाजियाबाद
			101	बरेली
			102	अलीगढ़
			103	मुरादाबाद

1	2	3	4	
			104	गोरखपुर
			105	झांसी नगर-निगम
			106	सहारनपुर
			107	फिरोजाबाद
			108	मुज्जफ्फर नगर
			109	मथुरा
			110	शाहाजहानपुर
			111	नोएडा
19.	उत्तराखंड	114.63 (तीन शहर)	112	देहरादून
			113	नैनीताल
			114	हरिद्वार
20.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	115	कोलकाता
			116	आसनसोल
			117	दुर्गापुर
			118	सिलीगुड़ी (भाग)
21.	अरुणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	119	नाहरलागुन
			120	ईटानगर
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	121	पोर्ट ब्लेयर
23.	दमन और दीव	58.06 (दो शहर)	122	दमन
			123	दीव
24.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	124	सिलवासा
			125	अमली
25.	दिल्ली	981.96 (डीएमसी) (एक शहर)	126	दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
26.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	127	मारमागोवा
			128	पणजी
			129	मारगोवा

1	2	3	4	
27.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छह शहर)	130	जम्मू
			131	श्रीनगर
			132	अनंतनाग
			133	उधमपुर
			134	बारामूला
			135	कठुआ
28.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (3 शहर)	136	आमीनी
			137	कवरत्ती
			138	मिनीकोए
29.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	139	शिलांग
30.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	140	आइजवाल
			141	चमफई
			142	कोलासिब
			143	लोंगतई
			144	लुंगलई
			145	मामित
			146	साईहा
			147	सरचिप
31.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	148	कोहिमा
			149	दीमापुर
32.	पुदुचेरी	79.01 (दो शहर)	150	पुदुचेरी
			151	ओझूकरी
33.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	152	गंगटोक
34.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	153	लुधियाना
			154	अमृतसर
			155	जालंधर
			156	पटियाला
			157	भटिंडा

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र

83. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः**
श्री वीरेन्द्र कश्यपः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया जो फर्जी जाति-प्रमाणपत्रों के आधार पर पुलिस कर्मियों की भर्ती कराता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और परिणाम क्या हैं और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे किसी रैकेट का पर्दाफाश नहीं किया गया है।

(ङ) जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण-पत्र की सत्यता के अध्यधीन अनंतिम नियुक्ति दी जाती है, जिसका जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी से सत्यापन कराया जाता है।

[अनुवाद]

पेड-न्यूज

84. **श्री जयवंत गंगाराम आवलेः**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में प्रायोजित समाचारों (पेड-न्यूज) संबंधी कितने मामलों की सूचना मिली और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(ख) पेड-न्यूज के चलन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार/भारतीय प्रेस परिषद् (पी.सी.आई.) ने क्या प्रयास किए हैं;

(ग) पेड-न्यूज के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् की रिपोर्टों में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या पेड-न्यूज संबंधी रिपोर्ट की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित मंत्री-समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो मंत्री-समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) विगत हाल ही के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को पेड न्यूज के संबंध में सूचित किए गए मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रेस परिषद ने पेड न्यूज जैसे गंभीर मुद्दे का संज्ञान लिया है और पेड न्यूज पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

- पेड न्यूज की घटना को एक दंडनीय निर्वाचक कदाचार बनाने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाए।
- 'पेड न्यूज' की शिकायतों पर अधिनिर्णय लेने और किसी भी मामले में अंतिम निर्णय देने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को पूरी तरह से शक्तिसंपन्न अवश्य बनाया जाए।
- प्रेस परिषद की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसके कार्यक्षेत्र में लाए जाने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन किया जाए, और
- इलेक्ट्रानिक एवं अन्य मीडिया से प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

सरकार ने एक मंत्री-समूह (जीओएम) का गठन किया है जो पेड न्यूज पर भारतीय प्रेस परिषद की रिपोर्ट की जांच करेगा और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के बारे में अपने विचार देगा। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के दौरान पेड न्यूज की घटनाओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

(घ) से (च) पेड न्यूज के संबंध में गठित मंत्री-समूह ने उक्त मुद्दे पर 7 सितंबर, 2011 को हुई अपनी पहली बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा की। मंत्री-समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और मंत्री-समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

विवरण

परिषद् द्वारा 2009-10 के दौरान पेड न्यूज पर प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	मिसिल संख्या	शिकायतकर्ता /नाम व पता	प्रतिवादी	विषय	कृत कार्रवाई/ अवस्था
1	2	3	4	5	6
1.	14/75/09-10	श्री कुंवर मानवेन्दर सिंह, सदस्य (लोक सभा), अवगढ़ हाऊस, डमपियार नगर, मथुरा (उ.प्र.)	दैनिक जागरण, मथुरा	विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में शिकायत	26.4.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
2.	14/179/09-10	श्री राकेश श्रीवास्तव "न्यायिक" एम.एम. 22, विकास प्राधिकरण कालोनी, शिवनगर, वाराणसी-221003 (उ.प्र.)	हिन्दुस्तान	बी.एस.पी. उम्मीदवार के समर्थन में पैसे लेकर प्रकाशित समाचार प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत	3.06.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त
3.	14/180/09-10	श्री रामप्रवेश शर्मा उर्फ शंकर, जे.डी.यू. उम्मीदवार, 36 जहानाबाद लोक सभा बिहार।	हिन्दुस्तान	विपक्षी उम्मीदवार के समर्थन में पैसे लेकर प्रकाशित समाचार प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत	26.04.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
4.	14/183/09-10	श्री लवन ठाकुर, अध्यक्ष, आरटीआई ब्यूरो, 88/6, समखेतर, मंडी (हिमाचल प्रदेश)।	द ट्रिब्यून	उम्मीदवार के समर्थन में पैसे लेकर प्रकाशित समाचार प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत	26.042010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
5.	14/183/09-10	श्री राम इकबाल सिंह, पूर्व विधायक, बीजेपी, 70, घोसी लोक सभा क्षेत्र, मऊ (उ.प्र)।	दैनिक जागरण	एक उम्मीदवार के समर्थन में पैसे लेकर प्रकाशित समाचार प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत	23.04.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
6.	14/184/09-10	श्री रणदीप ठाकुर, 4, एलआईजी बर्रा-2, कानपुर (उ.प्र.)	दैनिक जागरण	एक उम्मीदवार के समर्थन में पैसे लेकर प्रकाशित समाचार कालम/विज्ञापन प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत	24.08.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
7-8.	14/185-186/09-10	लायन एस. गोपालन, 43, पेरियार नगर, सेनगुनठहापुरम पोस्ट, करूर-639002 (तमिलनाडु) (छ.ग.)	(1) दिनामलार (2) द हिन्दू	प्रेस के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते हुए जाति संबंधित उम्मीदवार/चुनाव क्षेत्र के प्रकाशन के संदर्भ में।	23.04.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त।
9.	14/402/09-10	श्री रामधर वर्मा, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)	दैनिक भास्कर, रायपुर	चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के पक्ष में भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में।	1.01.2010 को अनिष्पादन पर निरस्त/पते के अभाव में।

1	2	3	4	5	6
10-12	14/407-409/09-10	श्री पी.पी. कपूर, हरियाणा राज्य संयोजक, इण्डियन फेडरेशन ट्रेण्ड यूनियन, जीडी रोड,	1 दैनिक भास्कर 2 दैनिक जागरण 3 पंजाब केसरी	विधान सभा चुनाव के राजनैतिक दलों के पक्ष में भ्रामक विज्ञापनों/रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में।	परिषद की जांच प्रक्रिया समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण परिपक्व पानीपत (हरियाणा)।
13-16	14/582-586/09-10	श्री रामासुब्रहमण्यन, राज्य सचिव बहुजन समाज पार्टी, 83-3बी, अर्जुन निवास आपार्टमेंट, कोयम्बटूर (त.न.)	1 दिनाकरण 2 तमिल मुरासू 3 डेली थान्थी 4 मलाई मलार	चुनावी अभियान के दौरान लहर/मड़किला वातावरण बनाने हेतु समाचार का प्रकाशन	परिषद् द्वारा प्रकरण निर्णित।
17	14/318/09-10	श्री एस.एस. आर्य, राज्य प्रधान सचिव, इण्डियन जस्टिस पार्टी, हरियाणा।	पंजाब केसरी	लोगों को गुमराह करने के प्रकाशन के संदर्भ में।	परिषद की जांच प्रक्रिया समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण परिपक्व

परिषद् द्वारा 2010-11 के दौरान पेड न्यूज पर प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	मिसिल संख्या	शिकायतकर्ता/नाम व पता	प्रतिवादी	विषय	कृत कार्रवाई/अवस्था
1	14/219/10-11	श्री राकेश कुमार शर्मा, 143, सेक्टर 13, करूक्षेत्र, हरियाणा	दैनिक जागरण	लोक सभा/विधान सभा चुनाव के दौरान पैसे लेकर धोखा/हेराफेर करके संपादकीय/विज्ञापन के प्रकाशन के विरुद्ध शिकायत।	क्षेत्राधिकार के कारण समाप्त 6.09.2010
2	14/459/10-11	श्री जय सिंह, गांव व थाना-गजरौला, पीलीभीत (उ.प्र.)।	अमर उजाला	पंचायत चुनाव के दौरान ब्लैकमेल करने हेतु मानहानिजनक/झूठे समाचारों के प्रकाशन के संदर्भ में।	पतिवादी को दिनांक 15.12.2010 को टिप्पणियों हेतु नोटिस प्रेषित।

भारतीय प्रैस परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान पेड न्यूज पर प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	मिसिल संख्या	शिकायतकर्ता/नाम व पता	प्रतिवादी	विषय	कृत कार्रवाई/अवस्था
1	2	3	4	5	6
1.	14/30/11-12	श्री नामानागस्वरा राव, संसद सदस्य लोक सभा तेलगू देशम पार्लियामेंट पार्टी, 5 पालियामेंट हाउस, नई दिल्ली	साक्षी	झूठा एवं द्वेषपूर्ण अभियान प्रकाशन के संबंध में	शिकायतकर्ता से 30.9. 2011 को वे परिषद् का ध्यान पेड न्यूज से संबंधित दिशा निर्देश के अनुरोध किया था कि उल्लंघन की और आकृष्ट करें तथा साथ ही अपना घोषणा पत्र एवं साक्षी

1	2	3	4	5	6
					समाचारपत्र में प्रकाशित आक्षेपित विषय वस्तु/ विज्ञापन की प्रति प्रेषित करें। उत्तर अपेक्षित है।
2.	14/87/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	हिन्दुस्तान	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
3.	14/79/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	दैनिक जागरण	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
4.	14/80/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	प्रभात खबर	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
5.	14/81/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	राष्ट्रीय सहारा	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
6.	14/82/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
7.	14/83/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	पूर्वांचल की राह (चुनाव विशेष)	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
8.	14/84/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	दैनिक आज	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
9.	14/85/11-12	जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर, द्वारा भारतीय का निर्वाचन आयोग	दैनिक उद्योग व्यापार टाइम्स	पेड न्यूज के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
10.	14/123/11-12	श्री एन. कोडा, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता पुत्र श्री एन. वारदाजुला रेड्डी, प्रोडाटूर, ददपा जिला, आंध्र प्रदेश	साक्षी	चुनाव के दौरान उनके पिता के बारे में झूठी श्रृंखला प्रकाशित करने के संदर्भ में	दिनांक 22.9.11 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
11.	14/371/11-12	सुश्री मायाभूषण नागवेनकर, 1392 डोक्सवीयर, अंजुना, बोर्डेज, गोवा तथा महासचिव गोवा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, श्रमशक्ति भवन पणजी, गोवा	हेराल्ड	पेड न्यूज के संदर्भ में	शिकायतकर्ता से 21.11.11 को जांच प्रक्रिया विनियम 1979 की अपेक्षाएं पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

डी.टी.एच. सेवा निजी क्षेत्र को सौंपना

85. श्री जगदीश शर्मा:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/दूरदर्शन का अपनी डी.टी.एच (डायरेक्ट टु होम) सेवा का संचालन निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन कर्मचारियों ने इस संबंध में 21 सितंबर, 2011 को देश भर में एक धरने का आयोजन किया था; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या मांगें की गई हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) जी, नहीं। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन 97 टीवी चैनलों तक करने की योजनागत स्कीम का सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था। बाद में प्रसार भारती बोर्ड ने दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म का 150 चैनलों तक और अधिक विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया। प्रसार भारती बोर्ड ने उपस्करों के सीमित अवधि के लिए संचालन व रख-रखाव सहित उनको किराए पर ले करके डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।

(ग) दिनांक 21.09.2011 को कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आकाशवाणी भवन परिसर में 10.00 बजे से 17.00 बजे तक और 13.00 बजे से 14.15 बजे तक क्रमश: धरना और गेट पर मध्याह्नकालीन बैठक का आयोजन किया। दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी और एडीजी(पी), गुवाहाटी के कार्यालय ने भी 10.00 बजे से 17.00 बजे तक धरना आयोजित किए जाने की सूचना दी।

किसी भी आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र से कोई अप्रिय घटना होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई और कोई सेवाएं प्रभावित नहीं हुई।

(घ) संघ की मुख्य मांगें निम्नानुसार हैं:-

(i) आकाशवाणी और दूरदर्शन के संघों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से शुरू करना;

(ii) मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के पूरे होने तक आकाशवाणी की नियमावली के अनुसार संघों की मान्यता के संबंध में यथा-स्थिति बरकरार रखी जाए;

(iii) डीटीएच के विस्तार हेतु उपस्करों को किराए पर लेने सहित परियोजना संबंधी कार्यों व अधिप्रापणों को आउटसोर्स करने की प्रक्रिया को बंद करना।

मंत्रालय ने प्रसार भारती को केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संघ मान्यता) नियमावली, 1993 के अनुसार, प्रस्ताव मंत्रालय को भिजवाने के लिए कहा है।

कीटनाशकों के दुष्प्रभाव

86. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री कादिर राणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा विश्व में उत्पादित कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या सरकार कीटनाशकों पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) नाशकजीवमारों की भारत में खपत विश्व की खपत के केवल 2 प्रतिशत अनुमानित है।

(ख) और (ग) सरकार नाशकजीवमारों के उपयोग सहित पादप रक्षण उपायों हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और, बृहद कृषि प्रबंधन जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियां प्रदान कर रही है।

(घ) सुरक्षा और प्रभाविता का सत्यापन करने के बाद ही देश में उपयोग हेतु नाशकजीवमारों का पंजीकरण किया जाता है। तथापि नाशकजीवमारों का अनुचित उपयोग बुरा प्रभाव डाल सकता है। सरकार ने "भारत में नाशकजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत पादप रक्षण कार्यनीति के मुख्य आधार के रूप में समेकित नाशकजीवमार प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाया है। आईपीएम कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

भारत सरकार ने 28 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में 31 आईपीएम केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों का अधिदेश नाशकजीव/रोग मानीटरन, जैव नियंत्रक एजेंटो/जैवनाशक जीवमारों का उत्पादन और निर्मुक्ति, जैव नियंत्रक एजेण्टों का संरक्षण तथा किसानों के खेतों में कृषक क्षेत्रीय स्कूलों (एफएफ एस) का आयोजन करके सबसे निचले स्तर पर कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों तथा किसानों को प्रशिक्षण देकर आईपीएम में मानव संसाधन विकास करना है। एफएफएस का मुख्य उद्देश्य अद्यतन आईपीएम प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे नाशकजीव प्रबंधन कार्य में निर्णय लेने में समर्थ हो सकें। एफएफएस में किसानों को उनकी फसलों पर नाशकजीवमारों के उचित उपयोग के बार में भी प्रशिक्षित किया जाता है ताकि नाशकजीवमारों के न्यूनतम उपयोग से फसलों को उगाया जा सके।

[अनुवाद]

दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैटों का निर्माण

87. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की निर्धन वर्ग के लिए 67000 फ्लैटों के निर्माण की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों जैसे द्वारका, रोहिणी, नरेला, कठपुतली कॉलोनी और कालकाजी विस्तार में कुल 70160 फ्लैटों का डिजायन/निर्माण विभिन्न चरणों पर है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कालकाजी विस्तार और कठपुतली में स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी बस्ती के स्व-स्थाने पुर्नवास हेतु फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) द्वारका, रोहिणी और नरेला में प्री-फैब प्रौद्योगीकरण का प्रयोग करते हुए फ्लैटों (कुल 19,632(का निर्माण शुरू किया जा चुका है। द्वारका में लगभग 1220 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और रोहिणी में 512 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द्वारका में 760 एलआईजी फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष फ्लैटों की आयोजना और उनकी निविदा देने संबंधी विभिन्न चरणों पर है।

विवरण

आवासों के ब्यौरे का सारांश

I प्री-फैब प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए

(क) ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स:

रोहिणी एवं नरेला	-22,127 यूनिटें
द्वारका	-2,360 यूनिटें

(ख) एलआईजी फ्लैट्स:

रोहिणी एवं नरेला	-24,660 यूनिटें

II परंपरागत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए

(क) ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स

रोहिणी एवं नरेला	-3612 यूनिटें
जहांगीरपुरी	-264 यूनिटें
द्वारका	-1220 यूनिटें

(ख) एलआईजी फ्लैट्स:

रोहिणी एवं नरेला	-50 यूनिटें
द्वारका	-760 यूनिटें

III स्लम एवं झुग्गी झोंपड़ी बस्ती के स्व-स्थाने पुनर्वास

कठपुतली कॉलोनी	-2800 यूनिटें
कालकाजी विस्तार	-8086 यूनिटें
कुसुमपुर पहाड़ी	-4221 यूनिटें
कुल:	70160

[हिन्दी]

बालाजी घाट की दुर्दशा

88. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित बालाजी घाट, जो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर स्थल भी है, की दुर्दशा तथा जीर्ण-शीर्ण स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संरक्षण तथा सुरक्षा हेतु क्या योजना बनाई गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वाराणसी में गंगा नदी के किनारे स्थित बालाजी घाट केंद्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फलों और साग-सब्जियों का उत्पादन

89. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान देश में फलों और साग-सब्जियों का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं; और

(घ) फलों और साग-सब्जियों का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान देश में फलों और सब्जियों का उत्पादन और उनके निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	2008-09		2009-10	
	फल	सब्जियां	फल	सब्जियां
उत्पादन (मिलियन मी.टन)	68.47	129.08	71.52	134.10
निर्यात (मिलियन मी. टन)	2.17	0.47	2.08	0.47

(घ) फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग 2 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की संरक्षिता में शहरी क्लस्टर हेतु सब्जी पहल (वीयूआईसी) पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह स्कीम एक मिलियन और उससे अधिक की आबादी अथवा राजधानी शहर वाले 29 राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक शहर में कार्यान्वित की जा रही है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम एक वर्ष (2011-12) की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में पैक घरों की स्थापना मुख्य बर्हिगमन, हवाई पत्तनों पर पेरिसेबल कार्गो हेतु केन्द्र तथा वाष्प ताप उपचार सुविधा की स्थापना, मण्डी पहुंच पहल, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल है।

[अनुवाद]

प्रतिभा-खोज योजना

90. श्री राम सिंह राठवा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में प्रतिभा-खोज एवं प्रशिक्षण योजना तथा अन्य संबंधित योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को प्रगत प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का इस प्रशिक्षण हेतु देश के विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) जी, हां सरकार पूरे देश में प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण योजना और अन्य योजनाओं को कार्यान्वित करती है। सरकार राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कोचों के अधीन व्यक्तिगत प्रशिक्षण/कोचिंग, भारत और विदेश में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने और उपकरणों की खरीद के लिए प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजना के अंतर्गत प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त सरकार देश में सब जूनियर (8-14 वर्ष), जूनियर (14-18 वर्ष) तथा सीनियर स्तर पर देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाती है और उन्हें कोचों के माध्यम से उन्हें संबंधित विधाओं में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करती है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी योजना (एबीएससी)
3. भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र योजना (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल योजना (एसएजी)
5. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

इन योजनाओं में ग्रामीण, जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल हैं। नि:शुल्क भोजन और आवास सुविधाएं, खेलकिट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन भी प्रदान कराए जाते हैं, जबकि गैर-आवासीय प्रशिक्षुओं को भोजन और आवास के बदले मासिक वजीफा दिया जाता है। उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षुओं को विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाता है। भाखेप्रा योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 प्रशिक्षुओं को लाभ मिलता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महानगरीय क्षेत्रों में वाहनों में बढ़ोतरी

91. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के कारण यातायात की भीड़-भाड़ और उससे संबंधित अन्य समस्याओं के प्रबंधन और समाधान हेतु किए गए/किए जा रहे अल्पवधिक और दीर्घावधिक उपायों का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या किसी विशेषज्ञ अध्ययन ने एक तरफ निजी वाहनों के उपयोग को निरुत्साहित करने और दूसरी तरफ मेट्रो रेल, एमआरटी और अन्य साधनों जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बढ़ती समस्या के प्रति ढुल-मुल रवैया अपनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) शहरी परिवहन शहरी विकास जो कि राज्य का विषय है, से जुड़ा हुआ है। इसलिए शहरी परिवहन प्रबंधन के लिए पहल-प्रयास प्राथमिक रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर शुरू किए जाने है।

तथापि, शहरी परिवहन की तेजी से बढ़ रही समस्या की गंभीरता को महसूस करते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार करने, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी परिवहन हेतु बसों का वित्त पोषण, तीव्र बस परिवहन प्रणाली परियोजनाएं, यातायात परिवहन प्रबंधन केंद्रों तथा विभिन्न शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं की मंजूरी जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग

92. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विदेशी फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में कितनी फिल्मों की शूटिंग की गई;

(ग) इसके लिए नियत शुल्क तथा उक्त अवधि में उनसे अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रयोजनार्थ विदेशी फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2008 से 80 विदेशी फीचर फिल्मों/टीवी रिऐलिटी शोज की शूटिंग करने की अनुमति प्रदान की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में फीचर फिल्मों/टीवी रिऐलिटी शोज की शूटिंग करने के लिए प्रदान की गई अनुमतियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	अनुमति की संख्या
1.	2008	26
2.	2009	23
3.	2010	21
4.	2011 (आज तक)	10
	कुल	80

(ग) भारत में शूटिंग की अनुमति की मांग करने वाले आवेदक से 225 अमरीकी डॉलर के समतुल्य शुल्क प्रभारित किया जाता है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान शुल्क से अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	अनुमति की संख्या	अर्जित राजस्व (लाख रुपए में)
1.	2008	26	2.41
2.	2009	23	2.48
3.	2010	21	2.06
4.	2011 (आज तक)	10	1.04
	कुल	80	7.99

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में फीचर फिल्मों/टीवी रिऐलिटी शोज की शूटिंग करने के लिए विदेशी फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देने/प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

(i) यह मंत्रालय अपनी योजनागत स्कीम "भारत तथा विदेशों के फिल्म बाजारों में सहभागिता" के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/बाजारों में इंडिया पॅविलियन के माध्यम से भारत के शूटिंग स्थलों का संवर्धन करता है।

(ii) कतिपय शर्तों के अध्यधीन विदेशी निर्माताओं द्वारा फीचर फिल्मों/टीवी रिऐलिटी शोज की शूटिंग हेतु फोटोग्राफी, फिल्मांकन व ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए काम आने वाले फिल्म शूटिंग उपस्करों तथा अपरिष्कृत फिल्म, वीडियो टेप आदि को सीमा-शुल्क का भुगतान किए बिना अस्थायी रूप से आयात किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(iii) समयबद्ध तरीके से शूटिंग की अनुमतियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत प्रस्ताव

93. श्री मारोतराव सैनुसी कोवासे: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा समन्वित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप-मिशन और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत क्रमशः 1,54,750 और 99,224 आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिए कुल

55 परियोजनाएं और 107 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। बीएसयूपी के तहत 6 परियोजनाएं और आईएचएसडीपी के तहत 8 परियोजनाएं संशोधन के लिए राज्य सरकार को लौटाई गई हैं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत सरकार के पास कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

महाराष्ट सरकार ने शुरू नहीं की जा सकने वाली परियोजनाओं के स्थान पर नई परियोजनाओं का अनुरोध किया है और इस पर सहमति व्यक्त की गई है। राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त होने वाली प्रस्तावों पर, केन्द्र स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

डीडी उर्दू/क्षेत्रीय चैनलों को बढ़ावा देना

94. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/प्रसार भारती (पीबी) का विचार दूरदर्शन (डीडी) उर्दू और क्षेत्रीय डीडी चैनलों के लिए नए कार्यक्रम/सामग्री शुरू और तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत वर्षो में क्षेत्रीय चैनलों की उपेक्षा हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे चैनलों के पुनरुद्धार हेतु 142 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त चैनलों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार/प्रसार भारती ने क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन उर्दू चैनल की नई विषय-वस्तु शुरू करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। डीडी (कशीर), डीडी (उर्दू) और डीडी (पूर्वोत्तर) को छोड़कर अन्य कोई क्षेत्रीय केन्द्र किसी कार्यक्रम को प्रचालित नहीं करता है। ये केन्द्र नई विषय-वस्तु प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डीडी चैनलों के लिए विषय-वस्तु के सॉफ्टवेयर निर्माण/अधिप्रापण हेतु योजनागत स्कीम के अंतर्गत 142.00 करोड़ रु. के ईएफसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:?

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विषयगत शीर्ष	11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय	चरणबद्धन		
			2010-11	2011-12	2012-13
1.	डीडी उर्दू	80.00	41.00	35.00	4.00
2.	आरएलएसएस	15.00	01.00	10.00	4.00
3.	डीडी इंडिया	14.00	03.00	08.00	3.00
4.	डीडी भारती	14.00	03.00	08.00	3.00
5.	डीडी न्यूज	10.00	01.00	05.00	4.00
6.	डीडी अभिलेख	09.00	01.00	05.00	3.00

(छ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने विगत छह माह के दौरान सभी क्षेत्रीय चैनलों में अपने निर्धारित बिंदु चार्टो के प्ररूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। आकाशवाणी के साथ समन्वय करके क्षेत्रीय केन्द्रों में नई कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन सभी कार्यक्रम-प्ररूपों व धारावाहिकों को वापस ले लिया गया है, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है ताकि नए व अभिनव कार्यक्रमों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।

डीएमआरसी के पार्किंग प्रभार

95. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पार्किंग प्रभारों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी है और ये प्रभार भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार/डीएमआरसी को पार्किंग शुल्क में परिवर्तन हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो डीएमआरसी ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने सूचित किया है कि उसमें 8.9.2011 से पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (उन्मूलन एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के परामर्श के अनुसार पार्किंग शुल्क की दरें बहुत कम थी।

पटेल चौक और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशनों में भिन्न-भिन्न दैनिक शुल्कों को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशनों के लिए मासिक पार्किंग शुल्क एक समान है। इन दो मैट्रो स्टेशनों के समीपवर्ती क्षेत्र ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनमें पार्किंग के अलावा कोई पार्किंग सुविधाएं नहीं है। इन दो मेट्रो स्टेशनों में पार्किंग की दरें सड़क वाहनों के उपयोग को सीमित करने के लिए अधिक रखी गई हैं।

पार्किंग शुल्क में इस बढ़ोतरी के कारण आम आदमी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि सभी मैट्रो स्टेशनों में डीएमआरसी का पार्किंग दरें नागरिक प्राधिकरणों के निकटवर्ती पार्किंग स्थलों की तुलना में अभी भी कम है।

(ग) और (घ) डीएमआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (उन्मूलन एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के परामर्श से पार्किंग शुल्कों में वृद्धि की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली और सूरजमुखी का बुआई क्षेत्र

96. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में कम वर्षा के कारण गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मूंगफली और सूरजमुखी की बुआई कम क्षेत्र में हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खरीफ, 2011 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में मूंगफली और सूरजमुखी के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्र में कमी आई है। क्षेत्र में एह कमी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में मौसम की असामान्यता, बार-बार पड़ने वाले सूखे के कारण है। तथापि, गुजरात राज्य में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र के कवरेज में कमी के मुख्य कारण अन्य खरीफ फसल यथा कपास और एरण्ड के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि है। खरीफ, 2010 और खरीफ, 2011 के दौरान कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में मूंगफली और सूरजमुखी के अन्तर्गत क्षेत्र निम्नलिखित है:-

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

राज्य	फसल	2010-11 (चौथा) अग्रिम अनुमान)	2011-12 (प्रथम अग्रिम अनुमान)
कर्नाटक	मूंगफली	6.59	5.25
	सूरजमुखी	1.94	1.75
आन्ध्र प्रदेश	मूंगफली	13.47	10.4
	सूरजमुखी	0.42	0.21
गुजरात	मूंगफली	16.91	14.33
	सूरजमुखी	-	

(ग) मूंगफली और सूरजमुखी सहित तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार वर्ष 2011-12 के दौरान 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयल पॉम और मक्का स्कीम (आइसोपॉम) कार्यान्वित कर रही है। साथ ही वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तिलहन विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करती है। वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) स्कीम आइसोपॉम के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए राज्यों को सहायता प्रदान करती है। तिलहन विकास के लिए राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अन्तर्गत किसी भी फसल के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर संस्वीकृत समिति द्वारा अनुमोदित फसल विकास कार्यकलापों को सहायता दे सकती है। तिलहन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन अलावा वर्ष 2011-12 के दौरान तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कफी वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

डीएवीपी द्वारा विज्ञापन देना

97. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मीडिया/एजेंसी-वार कितने विज्ञापन जारी किए और उन पर कितना व्यय हुआ;

(ख) मीडिया में विज्ञापन जारी करने हेतु नियत मार्गनिदेशों/मानकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मार्गनिदेशों/मानकों में पिछली बार सुधार/संशोधन किस तिथि को किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा विज्ञापनों पर किए गए व्यय के साथ जारी किए गए विज्ञापनों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रिंट मीडिया		श्रव्य-दृश्य मीडिया	
	व्यय (करोड़ रु. में)	विज्ञापनदाताओं की संख्या	व्यय (करोड़ रु. में)	विज्ञापनों की संख्या
2008-09	276.39	16,539	190.77	196
2009-10	304.80	15,395	229.35	329
2010-11	356.64	21,247	216.03	572
2011-12 (दिनांक 17.11.11 तक की स्थिति के अनुसार	188.33	10,777	55.50	249

(ख) प्रिंट मीडिया विज्ञापनों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों से संबंधित नीतियां सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं। उक्त नीतियां क्रमशः संलग्न विवरण-I विवरण-II दी गई हैं।

(ग) प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति पिछली बार दिनांक 2 अक्तूबर, 2007 को संशोधित की गयी थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नीति पिछली बार दिनांक 19 सितंबर, 2008 को संशोधित की गयी थी।

विवरण I

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई विज्ञापन नीति

(1 अक्तूबर, 2007 से लागू)

अनुच्छेद-1

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों के विज्ञापनों के लिए प्रमुख विज्ञापन एजेंसी है। विज्ञापन देने में सरकार का मूल उद्देश्य समाचारपत्रों और समसामयिक विषयों, विज्ञान, कला, साहित्य, खेलकूद, फिल्मों और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं के जरिये विज्ञापन की अभिप्रेत विषय सामग्री अथवा संदेश का यथासंभव व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उस समाचारपत्र या पत्रिका की राजनीतिक संबद्धता अथवा संपादकीय नीतियों को नहीं देखता। फिर भी, निदेशालय उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने से बचेगा, जो सांप्रदायिक भावनायें भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करते हैं या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदंडों को आघात पहुंचाते हैं।

पूर्व के सभी आदेशों को निष्प्रभाव करते हुए सरकार ने एतद्वारा 2 अक्तूबर, 2007 से नई विज्ञापन नीति निर्धारित की है।

नोट: हाउस जर्नल, स्मारिकाओं एवं वार्षिक पत्रिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-2

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है। निदेशालय पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने के लिए उनकी सूची बनता है जिसमें स्वीकृत पत्र-पत्रिकाओं को पैनलबद्ध किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैनल में रखेगा जिनकी भारत सरकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए आवश्यकता होगी। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैनल में शामिल किया जाये जो देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़े जाते हों।

अनुच्छेद-3

केंद्र सरकार के सभी विज्ञापनों को डीएवीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। मंत्रालयों/विभार्गों के अन्तर्गत सभी सम्बद्ध कार्यालय, स्वायत्त संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी विदृप्रति के माध्यम से ही अपने विज्ञापन भेजेंगे। तथापि, वे विदृप्रति दरों पर सूचीबद्ध समाचारपत्रों को ही सीधे तौर पर निविदा सूचनाएं भेज सकते हैं। सा.क्षे.उप., स्ववायत्त निकाएं एवं भारत सरकार की समितियां सूचीबद्ध समाचारपत्रों को विदृप्रनि दरों पर सीधे ही सभी विज्ञापन भेज सकते हैं बशर्ते कि सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों को अधोलिखित विधि में जारी किया हो:-

(रुपए में)

लघु	न्यूनतम 15%
मध्यम	न्यूनतम 35%
बड़े	न्यूनतम 50%
अंग्रेजी भाषा	(अनुमानत:) 30%
हिंदी भाषा*	(अनुमानत:) 35%
क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाएं*	(अनुमानत:) 35%

*जैसा कि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाएं।

अनुच्छेद-4

सभी मंत्रालय/विभाग स्वायत्तशासी निकाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के भीतर विगत वर्ष में वास्तविक व्यय के 80% तक प्राधिकार पत्र (एलओए) जारी करना होगा तथा वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी से पूर्व सभी शेषों का पूर्ण भुगतान करना होगा।

पैनल सलाहकार समिति

अनुच्छेद-5

सरकारी विज्ञापन छापने के लिए पैनलबद्ध करने हेतु पत्र-पत्रिकाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक पैनल

सलाहकार समिति है। महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसमें पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) के अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार)/उप-महानिदेशक (सूचना एवं संचार), प्रेस पंजीयक/उप प्रेस पंजीयक तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे निदेशक/उपसचिव/अवर सचिव शामिल हैं। इस समिति में बड़े, मझोले तथा छोटे समाचारपत्रों के संगठन का एक-एक प्रतिनिधि भी होगा। पात्र-पत्रिकाओं को पैनलबद्ध करने के बारे में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत पैनल सलाहकार समिति की सिफारिशें आमतौर पर अंतिम होती हैं।

अनुच्छेद-6

सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की विविध श्रेणियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पैनल सलाहकार समिति निम्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर पैनल से शामिल करने का ध्यान रखती है:

(क) छोटे और मझोले समाचार-पत्र/पत्रिकाएं

(ख) विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्र जैसा कि-बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, सन्थाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित जनजातीय भाषाएं।

(ग) पिछड़े, सुदूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाएं।

अनुच्छेद-7

समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है:

(1) छोटे समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,000 हो;

(2) मझोले समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,001 से लेकर 75,000 हों; और

(3) बड़े समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 75,000 से अधिक हो।

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड

अनुच्छेद-8

पहली बार पैनल में शामिल होने वाले सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अघोलिखित का अनुपालन करना होगा:

1. उनका प्रकाशन कम से कम 36 माह से बिना रुके और नियमित रूप से हो रहा हो।

(क) क्षेत्रीय भाषाओं जैसेकि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, सन्थाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए या जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में प्रकाशित समाचारपत्रों को छः माह के नियमित एवं अबाधित प्रकाशन के पश्चात् सूचीबद्धता हेतु विचार किया जा सकता है। सभी क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाई लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के मामले में, अर्हता अवधि 18 माह की रहेगी।

(ख) एक लाख एवं अधिक की प्रसार-संख्या वाले व्यापक परिचालित समाचारपत्रों की पाठक कार्यक्षमता का लाभ उठाने के लिए ऐसे समाचारपत्रों को प्रकाशन की एक वर्ष की अवधि के बाद सूचीबद्धता के लिए पात्र बनाया जायेगा। ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार संख्या संबंधी दावे को तभी स्वीकार किया जायेगा जब वे आर.एन.आई या एबीसी द्वारा प्रमाणित होंगें।

2. उन्हें प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

3. विगत छः वर्षों में डीएवीपी ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया हो और न ही उनकी तरफ डीएवीपी की कोई लेनदारी बकाया हो।

4. अयोग्यता की अवधि छह साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. उन्हें आवेदन के साथ भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा अस्थापित घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।

6. आवेदक को भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशन के नाम जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

7. पैनलबद्ध होने के लिए वांछित विवरण जैसे समाचारपत्र का आकार, भाषा, आवधिकता, प्रिंट एरिया तथा प्रिंटिंग प्रेस आदि का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।

8. इसके अतिरिक्त, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि समाचारपत्र उचित मानदंडों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है। उचित मानदंडों के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं:

(क) मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट हो तथा धब्बे, दोहरी छपाई और काट-छांट से रहित होनी चाहिए।

(ख) इनमें अन्य अंकों से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(ग) इनमें अन्य पत्र-पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(घ) इसके मुखपृष्ठ पर समाचारपत्र का शीर्षक (मास्टहैड) और प्रकाशन का स्थान, तिथि तथा मुद्रित होना चाहिए; इसमें भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय की पंजीकरण संख्या, खण्ड एवं अंक संख्या, पृष्ठों की संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिका का मूल्य भी मुद्रित होना चाहिए।

(ङ) समाचारपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इंप्रिंट लाईन मुद्रित होनी चाहिए।

(च) अन्दर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, पृष्ठ का शीर्षक तथा प्रकाशन की तिथि मुद्रित होनी चाहिए। अनेक संस्करणों वाले समाचारपत्रों के लिए प्रकाशन का स्थान भी अन्दर के पृष्ठों में उल्लिखित होना चाहिए।

(छ) सभी प्रकाशनों में सम्पादकीय मुद्रित होना चाहिए।

नोट: पैनल में शामिल होने/दर नवीरकरण के लिए आवेदन देने से पहले प्रकाशक को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नीति में दी गई सभी शर्तों को उनका प्रकाशन पूरा करता है। आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूरा होना चाहिए तथा उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी होने चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन एक वर्ष में दो बार ही किया जा सकता है- पहली बार फरवरी के अंत में तथा दूसरी बार अगस्त के अंत में। फरवरी अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर उसी वर्ष के माह में विचार किया जायेगा तथ उनका अनुबंध उसी वर्ष की 1 जुलाई से शुरू होगा तथा अगस्त अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर नवंबर में विचार किया जाएगा एवं उनका अनुबंध अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होगा। पैनल में शामिल होने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुच्छेद-9

उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक को पैनल सलाहकार समिति के अध्यक्ष के नाते यह विवेकाधिकार होगा कि वह पैनल सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किसी समाचारपत्र को छह महीने के लिए या पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक तक अस्थायी रूप से पैनल में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि उक्त समाचारपत्र ने पैनल में शामिल होने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लीं हों या फिर उसे सरकारी विज्ञापन छापने के लिए उपयुक्त पाया गया हो। अस्थायी रूप से पैनल में शामिल किए जाने के सभी मामले पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक में समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

अनुच्छेद-10

रेट कांट्रेक्ट

सभी सूचीबद्ध समाचारपत्रों को कहा जायेगा कि वे दरों के बारे में अनुबंध के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ रेट कांट्रेक्ट (दर अनुबंध) करें जो तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। हालांकि चार्टर्ड एकाउंटेंट/आर.एन.आई./ए.बी.सी. के प्रमाणपत्रों के आधार पर, जो भी लागू हो, दर अनुबंध की वैध अवधि के दौरान, दर अनुबंध की अवधि से एक वर्ष पूरा होने के बाद वितरण में परिवर्तन केवल एक बार स्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिए आर.एन.आई. को गत वर्ष की वार्षिक विवरणी जमा करने का प्रमाण विधिवत् रूप से संलग्न होना चाहिए। हालांकि ए.बी.सी./ आर.एन.आई. से वितरण में कमी संबंधी सूचना के मामले में महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1: दर अनुबंध के नवीकरण के आवेदन पत्र वि. दृ.प्र.नि. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी 2: सभी सूचीबद्ध प्रकाशन, आर.एन.आई को जमा की गई गत वर्ष की वार्षिक विवरणी की प्रति आर.एन.आई. के प्राप्ति प्रमाण के साथ, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक जमा करा दें ऐसा न करने पर महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. द्वारा समाचार पत्र को पैनल से हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद-11

नियमितता

नियमित प्रकाशन के लिए आवेदक ने पिछले 12 महीनों के दौरान पर महीने कम से कम 25 दिन समाचारपत्र अवश्य प्रकाशित किया हो। इसी तरह साप्ताहिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक; पाक्षिक पत्रिकाओं ने 23 अंक एवं मासिक पत्रिकाओं ने बीते वर्ष में 11 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा।

अनुच्छेद-12

जिन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की स्थापित प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 75,000 से अधिक प्रतियां हो और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने भी इसे प्रमाणित किया हो, उसी शीर्ष के साथ गत गत चार महीने में नियमित प्रकाशन के बाद वे एक नई जगह से अपना ताजा संस्करण पैनल में शामिल करवा सकते हैं किंतु ऐसे मामलों में ताजा संस्करण को पैनल में सबसे कम प्रसार संख्या वाले स्लैब में ही रखा जाएगा।

छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों (दैनिक) के मामले, में, विज्ञापन नीति की अन्य शर्तों के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित वितरण के अनुसार 4 महीने के नियमित प्रकाशन के बाद इनके नवीन संस्करणों को भी पैनल में शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद-13

किसी समाचारपत्र/पत्रिका को पैनल में शामिल करने पर तभी विचार किया जाएगा जब उसकी कम से कम 2000 प्रतियों की बिक्री हुई हो। हालांकि, बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिज़ो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी उर्दू तथा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं में देशभर में प्रकशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं तथा पिछड़े, सीमावर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों या दूरस्थ क्षेत्रों या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं या जो जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित होते हों उन्हें प्रति प्रकाशन दिवस के लिए न्यूनतम 500 प्रतियों का ही पेड वितरण प्रमाणित करना होगा।

अनुच्छेद-14

एक समाचारपत्र/पत्रिका में न्यूतम प्रिंट एरिया इस प्रकार होना चाहिए:

अवधि	से न्यूनतम प्रिंट एरिया
दैनिक	1520 स्टे. कॉ.से.मी/7600 वर्ग से.मी.
साप्ताहिक/पाक्षिक	700 स्टे.कॉ.से.मी./3500 वर्ग से.मी.
मासिक	960 स्टे.कॉ.से.मी./4800 वर्ग से.मी.

हालांकि, खंड 13 में उल्लिखित श्रेणी में आने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में पैनल सलाहकार समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद-15

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए पहले दी गई मंजूरी तब तक वैध रहेगी जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाती।

अनुच्छेद-16

आवेदन करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को प्रसार संख्या के बारे में ए.बी.सी. लागत लेखाकर/सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित आंकड़े नीचे दिये गये मानदंड के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे:

25000 प्रतियों तक-निर्धारित प्रपत्र में लागत लेखाकर/चार्टर्ड एकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।

25001-75000 तक

कम्पनियां: निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।

व्यक्ति: निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।

75000 से अधिक-ए.बी.सी./आर.एन.आई. का प्रमाणपत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय पिछले एक वर्ष के लिए आर.एन.आई./ए.बी.सी./सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र में प्रमाणित औसत प्रसार संख्या को मानेगा।

नोट 1: जो प्रतियां समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अंकित मूल्य पर 40% से अधिक कमीशन पर बेची गई हैं उन्हें वि.दृ. प्र.की दर की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

नोट 2: आर.एन.आई. वितरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

नोट 3: 25,000 तक के वितरण वाले प्रकाशन को आर. एन.आई./ए.बी.सी. प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद-17

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को अपने प्रतिनिधियों अथवा आर.एन.आई के माध्यम से प्रसार संख्या के आंकड़ों की जांच करने का अधिकार होगा। तथापि, उन पत्र-पत्रिकाओं की कोई जांच नहीं होगी जिनकी प्रसार संख्या 25,000 तक है।

अनुच्छेद-18

निलंबन और वसूलियां: महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे समाचारपत्र को तत्काल प्रभाव से सूची से निलंबन कर सकते हैं जिसके बारे में:

(क) यह पाया गया कि उसने जानबूझकर प्रसार संख्या अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में झूठी सूचना दी है; अथवा

(ख) यह पाया गया कि उसने प्रकाशन स्थगित कर दिया है, उसकी अवधि या शीर्षक बदल दिया है या उसका प्रकाशन अनियमित हो गया है या उसने किसी पूर्व सूचना के बिना अपना परिसर/ प्रैस बदल दिया है; अथवा

(ग) यह पाया गया कि वह आर.एन.आई. को अपना वार्षिक विवरण अथवा निर्धारित एजेंसियों से प्राप्त होने वाला वार्षिक प्रसार संख्या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा; अथवा

(घ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा यह पाया गया कि वह अनैतिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न है; तथापि वि.दृ.प्र. नि. इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए मामले को मंत्रालय को भेजेगा।

(ङ) इस तरह की गतिविधियों के लिए उसे किसी न्यायालय ने दंडित किया है।

(च) यदि कोई समाचार पत्र भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायतशासी निकायों की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों को लेने और प्रकाशित करने से दो बार से अधिक बार मना करता है।

बशर्ते कि, महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उपरोक्त (क), (ख) (ग) और (च) से संबंधित मामलों में उस समाचार पत्र को पर्याप्त अवसर दिए बिना निलंबन के कोई आदेश जारी न करें।

इस प्रकार के मामलों में समाचार-पत्र को 12 महीने की अवधि तक निलंबित रखा जाएगा। उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के मामले में डीएवीपी प्रकाशक से, उसे पहले किये जा चुके भुगतान की वसूली करेगा। प्रकाशक को डीएवीपी से वसूली के लिए मांग पत्र जारी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर यह राशि जमा करनी होगी अन्यथा समाचार-पत्र को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल प्रभाव से पैनल से हटा दिया जाएगा और बकाया राशि डीएवीपी के पास लंबित पड़े बिलों/भुगतान, 'यदि कोई है तो', से वसूली की जाएगी। जब तक यह वसूली नहीं हो जाती तब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन दर

अनुच्छेद-19

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए भुगतान हेतु दर ढांचा, दर ढांचा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसी समाचारपत्र की प्रमाणित प्रसार संख्या के आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। पैनल में शामिल सभी समाचारपत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें तथा अन्य शर्तें मानते हुए निदेशालय के साथ रेट कांट्रेक्ट करेगा और इन समाचारपत्रों को निदेशालय जब भी विज्ञापन जारी करेगा, वह उनका प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

बिलों का भुगतान और समायोजन

अनुच्छेद-20

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्राप्तकर्ता के नाम से विज्ञापन बिलों की राशि का भुगतान करेगा। यह भुगतान उसी पते पर भेजा जायेगा जो समाचारपत्र ने रेट कांट्रेक्ट नवीकरण फार्म में या पैनल में शामिल करने के नये आवेदन में दिया है। पैनल में शामिल होने के वर्ष के दौरान प्राप्तकर्ता के नाम या पते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह औचित्यपूर्ण न हो और ऐसा करना अपरिहार्य न हो या बाध्यकर न हो गया हो।

अनुच्छेद-21

प्रत्येक समाचारपत्र को अखबार की एक प्रति जिसमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन दाता हो अपने विज्ञापनदाता को रिलीज आर्डर में दिये गये पते पर भेजना आवश्यक है। ऐसा न करने पर विज्ञापन के लिए भुगतान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीएवीपी पैनल में शामिल किसी प्रकाशन

की नमूना प्रतियों की निर्धारित अवधि हेतु नियमित आपूर्ति की मांग कर सकता है। यदि समाचार पत्र निर्धारित तारीख तक विज्ञापन प्रकाशित करने में सक्षम न हो तो उसे 48 घंटे के भीतर डीएवीपी. को इसकी सूचना देनी होगी।

अनुच्छेद-22

प्रत्येक समाचार-पत्र को सभी तरह से पूर्ण और संबंधित दस्तावेजों सहित अपना विज्ञापन-बिल, विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय हर संभव प्रयास करेगा कि बिल प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर ही भुगतान कर दें।

अनुच्छेद-23

कोई भी समाचार-पत्र संबंधित रिलीज आर्डर मिले बिना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी वेबसाइट www.davp.nic.in की मार्फत इलेक्ट्रानिक रिलीज आर्डर जारी करता है। कोई भी समाचार-पत्र अपने नाम से जारी वैध रिलीज आर्डर के बिना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करेगा। समाचार-पत्रों डुप्लीकेट रिलीज आर्डर जारी करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय गुण-दोष के आधार पर और प्रत्येक मामले में अलग-अलग रूप से विचार करेगा।

अनुच्छेद-24

समाचारपत्र को रिलीज आर्डर में वि.दृ.प्र.नि. के विज्ञापनों के प्रकाशन की दर्शाई गई तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि विज्ञापन का प्रकाशन रिलीज आर्डर में दर्शाई गई तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि को, किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

विज्ञापनों को जारी करना

अनुच्छेद-25

जैसे ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से विज्ञापन जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, डीएवीपी ग्राहक मंत्रालयों/विभागों उद्देश्यों, विषयवस्तु, विज्ञापन के लक्षित वर्ग तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एक उपयुक्त मीडिया सूची तैयार करेगा।

अनुच्छेद-26

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे आवधिक प्रकाशनों को अधिक विज्ञापन, विशेषतौर से सामाजिक संदेश वाले ऐसे विज्ञापन जारी करने का प्रयास करेगा जिनके प्रकाशन की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। इस आशय के भी प्रयास किए जाएंगे कि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सुदूर क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने वाले समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन जारी किए जाएं। सजावटी विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सुनिश्चित करेगा कि प्रसार संख्या, भाषा, कवरेज एरिया की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के अखबारों में एक संतुलन बना रहे। इस प्रयोजन के लिए रुपए के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार होगा:

श्रेणी	सीमा (रुपए में)
छोटे	(न्यूनतम) 15%
मझोले	(न्यूनतम) 35%
बड़े	(अधिकतम) 50%
अंग्रेजी	(लगभग) 30%
हिंदी	(लगभग) 35%
अन्य भाषाएं	(लगभग) 35%

उपर्युक्त मानदंड निर्देशात्मक हैं और मंत्रालयों/विभागों की समग्र मीडिया नीति में इनका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए ताकि अनुकूलतम राशि में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, कुछ विशेष मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग इन मानदंडों से बचना चाहता है, उसे आदेश प्रस्तुत करते समय पूर्ण तथा विस्तृत औचित्य देना चाहिए।

डीएवीपी ऐसे सभी मामलों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाएगा।

अनुच्छेद-27

जिन मामलों में महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. अंतिम रूप से प्राधिकृत अधिकारी हैं उनमें समीक्षा का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय का होगा।

डीएवीपी में सूचीबद्ध होने के लिए जरूरी कागज़ात

1. आर.एन.आई.पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या।

2. प्रसार संख्या का प्रमाण (चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र/लागत लेखाकार प्रमाणपत्र/सांविधिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो)।

3. आर.एन.आई. को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति।

4. दैनिक अखबार को अपने प्रकाशन के पहले माह के अंकों को 9 वें और 17 वें माह के अंकों के साथ प्रस्तुत करना होगा और साप्ताहिक व पाक्षिक समाचारपत्रों के पिछले 6 माह के अंक प्रस्तुत करने होंगे तथा मासिकों को 12 माह के नवीनतम प्रकाशनों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

नोटः जिन मामलों में न्यूनतम मानदण्ड 6 माह है उनमें दैनिकों को 3 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां और सभी पत्रिकाओं को 6 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

5. रेट कॉर्ड की तीन प्रतियां।

6. स्थाई लेखा संख्या (आयकर विभाग द्वारा जारी) की फोटो प्रति।

विवरण II

भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नीति

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.दृ.प्र.नि.) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के लिए टी.वी. और रेडियो स्पॉट जिंगल्स कार्यक्रमों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित करने वाली केंद्रक (नोडल) एजेंसी है।

2. चैनलों को सूचीबद्ध करना और उनकी टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट दरों को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर लक्षित दर्शकों के लिए निर्धारित उद्देश्यों और संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। वि.दृ.प्र.नि. इस प्रकार के विज्ञापन, जैसे स्पॉट्स/जिंगल्स आदि जारी करते समय रेडियो/टी.वी. चैनलों की राजनीतिक संबद्धता अथवा सम्पादकीय नीतियों को ध्यान में नहीं रखता। तथापि, इस प्रकार के चैनलों को विज्ञापन जारी नहीं करता जो सामुदायिक आवेश और हिंसा को बढ़ावा देते हैं, यह भारत की संप्रभुता और एकता का उल्लंघन करते हैं अथवा सामाजिक रूप से स्वीकार्य सार्वजनिक शिष्टाचार और आचरण को उत्तेजित करते हैं अथवा उत्तेजित करने का इरादा रखते हैं। चूंकि एक अभियान के लिए संचार माध्यमों की योजना प्रचार संबंधी आवश्यकताओं और उस अभियान के लिए लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है इसलिए एक चैनल के सूचीबद्ध होने का तात्पर्य उसे नियमित रूप से वि.दृ.प्र.नि. की ओर से विज्ञापन मिलना नहीं है।

3. निजी टी.वी/रेडियो चैनलों पर केंद्र सरकार के प्रचार संबंधी सभी विज्ञापन वि.दृ.प्र.नि के माध्यम से ही जारी किए जायेंगे। हालांकि मंत्रालय/विभाग (अर्ध-सरकारी, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इत्यादि भी शामिल हैं) अपने श्रव्य दृश्य विज्ञापन एन एफ डी सी के माध्यम से विदृप्रनि के साथ सूचीबद्ध चैनलों को विदृप्रनि द्वारा अनुमोदित दरों पर देने के लिए स्वतंत्र हैं।

4. सरकार ने जिन विदेशी चैनलों को मजूरी नहीं प्रदान की है उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। उन विदेशी/भारतीय चैनलों को कोई भी विज्ञापन जारी नही किया जायेगा जिनके अपलिंकिंग की मंजूरी रद्द कर दी गई है अथवा सरकार ने जिन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

5. उपग्रह सैटेलाइट टी.वी. चैनलों को सूचीबद्ध करनाः

वि.दृ.प्र.नि. के साथ सूचीबद्ध होने के इच्छुक चैनलों को वि.दृ.प्र.नि. के विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करना होगा। ऐसे विज्ञापन वर्ष में दो बार अर्थात् पहली बार 31 मार्च और दूसरी बार 30 सितम्बर को जारी किए जाएंगे। दूरदर्शन ओर लोकसभा टेलीविजन अथवा सरकारी स्वामित्व वाले किसी अन्य चैनल को स्वतः ही सूची में शामिल माना जाएगा। तथापि, यदि दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम अर्थात खेल कार्यक्रमों के विपणन के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त करता है तो वि.दृ.प्र.नि. इस प्रकार की एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित कर सकता है और इस नीति में प्रावधान किए गए ढांचा फार्मूले के अनुसार दरों पर बातचीत कर सकता है।

5(1) सैटलाईट (उपग्रह) टी.वी. चैनलों को सूचीबद्ध करने का मानदण्डः

सूचीबद्ध होने के लिए चैनल को निम्नलिखित न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करना होगा-

(क) **न्यूनतम प्रसारण अवधि**-चैनल की 31 मार्च या 30 सितम्बर को (जो भी लागू हो) कम से कम छह माह की लगातार प्रसारण अवधि पूरी होनी चाहिए। इसके बावजूद हालांकि तीन महीनों के लगातार संचालित होने के बाद, यदि वे अखिल भारतीय चैनल में 0.02% का शेयर पर लेते हैं तो महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. द्वारा उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है।

(ख) **न्यूनतम चैनल शेयर**-किसी भी चैनल को सूचीबद्ध होने के लिए टीएएन या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य किसी स्थापित टी.वी. व्युअरशिप सर्वे एजेंसी के अनुसार सी एण्ड एस टैम्स

(पैरामीटर 15+आयु वर्ग, पुरुष/महिला दोनों, सभी एसईसी (सी), 06.00-23.59 घंटे, टाइम बैंड, सभी सप्ताह के दिनों में) अखिल भारतीय सर्वभौम में कम से कम 0.02% का अखिल चैनल शेयर होना चाहिए।

(ग) **छूट वाले वर्ग**-निम्नलिखित को उपर्युक्त 5(1)(बी) खण्ड में बताए गए न्यूनतम चैनल शैयर से छूट दी जाएगी।

(i) ऐसे चैनल जो विशेष रूप से पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड एवं बिहार के दर्शकों के लिए हैं, जब से टीएएम या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य किसी स्थापित टी.वी. व्युअरशिप सर्वे एजेन्सी द्वारा अभी तक इन राज्यों को कवर नहीं किया गया हो।

(ii) ऐसे चैनल जो पिछड़े, सीमावर्ती या सुदूर स्थान या आदिवासी/अल्पसंख्यक भाषा में प्रबल हों।

5(2) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आई.डी.संख्या 1/50/2006-एमयूसी, दिनांक 24.03.2008 के द्वारा वि.दृ.प्र.नि. सरकार द्वारा अनुमोदित कोस्ट पर रेटिंग पाइंट (सीपीआरपी) के आधार पर सूचीबद्ध चैनलों का रेट निर्धारित किया जाएगा।

6. सूचीबद्ध/दरों के निर्धारण के संबंध में अन्य शर्तें:

(क) सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करने वाले चैनल इस आशय का प्रमाणपत्र देंगे कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है और उनको वि.दृ.प्र.नि. द्वारा सूचीबद्ध करने के निर्णय को स्वीकार करना होगा। यदि चैनलों द्वारा दी गई सूचना असत्य और/या किसी भी संबंध में गलत पाई जाती है तो चैनल को सूची से निलंबित कर दिया जाएगा और/या उसे सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

(ख) सूचीबद्धता एवं विज्ञापन दरें एक वर्ष अथवा तब तक, जब तक नए पैनल व दरें नहीं बनतीं, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होंगी। यद्यपि, लगातार 6 महीने की अवधि तक टैम दरों में 15% से अधिक परिवर्तन होने की स्थिति में, सरकार के पूर्व अनुमोदन से विदृप्रनि किसी भी चैनल के लिए विज्ञापन दरों का पुनर्विलोकन कर सकता है।

(ग) चैनल इस आशय का वचनपत्र देंगे कि उनके द्वारा स्वीकृत विदृप्रनि की अनुमोदित दरें उनकी न्यूनतम दरें हैं तथा वे विशेष रूप से विदृप्रनि के लिए हैं और किसी अन्य एजेंसी को नहीं दी जा सकती हैं। यदि इस शर्त के उल्लंघन की दशा में पैनल बनाने की दरों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार विदृप्रनि के पास सुरक्षित है।

(घ) यदि किसी भी समय यह पाया गया कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त संस्थाओं के लिए विदृप्रनि द्वारा जारी विज्ञापनों को स्वीकार करने के लिए चैनल ने दो से अधिक बार इंकार किया है तो चैनल को विदृप्रनि से मिलने वाले सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सकती है।

(ङ) किसी भी प्रकार की असहमति इत्यादि होने के मामले में चैनलों के पैनल तैयार करने तथा उनकी दरों के लिए उपर्युक्त प्रावधानों तथा नियमों व शर्तों के होते हुए भी विदृप्रनि का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

7. स्पॉट्स इत्यादि जारी करना:

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विभापन जारी करने की मांग प्राप्त होते ही विदृप्रनि ग्राहक की आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद, संदेश की विषय-वस्तु, लक्ष्य दर्शक तथा निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त योजना तैयार करेगा।

(ख) मीडिया योजना के लिए ग्राहक मंत्रालय/विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, टी.वी./रेडियो स्पॉट विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होंगे। विज्ञापन प्रसारित होने से पहले ही प्राधिकार पत्र प्राप्त करके विदृप्रनि निधि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेगा। केवल उन मामलों को छोड़कर जहां किसी विशेष चैनल के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विशेष अनुरोध किया गया हो, किसी भी चैनल को दिए जाने वाले विज्ञापन आर्थिक रूप से कुल तय बजट के 5% से अधिक नहीं होने चाहिए।

(ग) विदृप्रनि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त विभागीय प्रभार नहीं लेगा। इसके अलावा, विदृप्रनि टी.वी/रेडियो चैनलों से प्राप्त होने वाले एजेंसी कमीशन का 15% ग्राहक मंत्रालय को देगा।

8. **बिलों का भुगतान:** प्रत्येक चैनल अभियान के समापन के 30 दिनों के भीतर या मासिक प्रसारणों की अंतिम तिथि को निर्धारित प्रारूप में टेलीकॉस्ट/प्रसारण प्रमाण-पत्रों सहित सभी दृष्टि

से पूर्ण अपने टेलीकॉस्ट/प्रसारण बिलों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा। चैनलों द्वारा प्रस्तुत टेलीकॉस्ट/प्रसारण प्रमाण-पत्र टेलीकॉस्ट/प्रसारण प्रमाण-पत्र टेलीकॉस्ट/प्रसारण का प्रधान सबूत होंगे। तथापि, टीवी चैनलों के मामलों में थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग अर्थात् टैम(एडैक्स) का चैनलों के लिए अतिरिक्त सहायक टेलीकॉस्ट प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने का अनुमोदन किया जा सकता है। विदृप्रनि बिलों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान जारी करने का भरसक प्रयास करेगा।

9. टीवी/रेडियो चैनलों को किए गए अधिक भुगतान के मामले में वसूली की जाएगी।

10. **सूचीबद्धता सलाहकार समिति:** इस नीति में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा स्पॉट्स, कार्यक्रमों, आदि तथा किसी अन्य नए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा-निर्देशों, सूचीबद्धता एवं टेलीकॉस्ट/प्रसारण दर ढाँचा के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सूचीबद्धता सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति अंतिम अनुमोदन एवं अधिसूचना के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

11. **लागू होने की तिथि:**

यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी।

नोट: रेडियो चैनलों के लिए विज्ञापन दरों के संबंध में सूचीबद्धता सलाहकार समिति (ईपीसी) की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। निजी रेडियो चैनल की सूचीबद्धता संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों तथा विज्ञापन दरों के निर्धारण संबंधी मानदंड अलग से जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए वर्तमान नीति को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू किया जाएगा।

[अनुवाद]

महिला सुरक्षा कार्मिक

98. श्रीमती जे. शांता: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कार्यरत महिला कार्मिकों को प्रदत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने ऐसी महिला कार्मिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बीएसएफ सहित अर्ध-सैनिक बल-वार, क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की महिला कार्मिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं में बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- जहां महिलाएं तैनात हैं, उन स्थानों पर क्रेच/डे-केयर केन्द्र।
- महिला कार्मिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित पृथक आवास।
- कमोड लगातार समुचित टेंट तैयार करके ऐसे क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जहां उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है।
- एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के दौरान और पिकेटिंग ड्यूटी के दौरान महिला कर्मियों के लिए सचल शौचालय युक्त वाहन।
- केन्द्र सरकार के तहत पहले से उपलब्ध मातृत्व अवकाश, शिशु-देखभाल अवकाश, कर संबंधी लाभ इत्यादि जैसी सुविधाएं भी सी ए पी एफ महिला कार्मिकों को उपलब्ध हैं।
- गर्भवती महिला को विशेष देखभाल युक्त चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा कवरेज मुहैया कराने के लिए महिला डॉक्टर उपलब्ध हैं।
- जहां भी केन्द्रीय विद्यालय हैं वहां उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं।
- महिला कार्मिकों को कार्य स्थल पर उनके साथी पुरुष कार्मिक के बराबर सुविधाएं लिंग संबंधी किसी तरह का भेद-भाव किए बगैर उपलब्ध करायी गई हैं।
- वेतन एवं भत्तों का संवितरण कोर-बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है।
- विवाहित महिला कार्मिकों के मामले में, जहां तक संभव होता है, पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाता है।

(ख) सरकार द्वारा उनको आत्म-निर्भर बनाने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:-

- सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के लिए

सरकारी सेवा में जेण्डर सेंसिटाइजेशन संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसे उनके बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा भी बनाया गया है।

* महिला कार्मिकों के यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी शिकायतों को देखने के लिए सभी स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में यौन-उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को शामिल किया गया है।

* महिला कार्मिकों को उनके कैरियर उन्नयन अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता में उनके सहकर्मी पुरुष साथी के बराबर समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

* महिला कार्मिकों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के दौरान समुचित प्रशिक्षण एवं विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्म-निर्भर होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नकली ब्रांडेड वस्तुएं

99. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देशभर में नकली ब्रांडेड वस्तुओं का उत्पादन और उनकी बिक्री बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार को होने वाली राजस्व हानि का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उक्त वस्तुओं के उत्पादन और उनकी बिक्री को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में आत्महत्या के मामले

100. श्री के.सी.सिंह 'बाबा':
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमसफ) में आत्महत्या और अपने सहकर्मियों पर फायरिंग के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2011 में बल-वार/लिंग-वार, ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) क्या इन घटनाओं के कारणों/परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है अथवा अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच/अध्ययन के निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं तथा इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) सरकार ने कार्य से संबंधित तनाव कम करने, कार्य-स्थिति और सीपीएमएफ कार्मिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने सहित क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) में आत्महत्या करने तथा अपने सहकर्मियों पर गोली चलाने की घटनायें निम्नानुसार हैं:

बल का नाम	आत्महत्याओं की संख्या/सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	वर्ष 2011-आज की तारीख तक	
		पुरुष	महिला
1	2	3	4
असम राइफल्स	आत्महत्या	08	00
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	01	00
बीएसएफ	आत्महत्या	36	00
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	02	00

1	2	3	4
सीआईएसएफ	आत्महत्या	10	00
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	01	00
सीआरपीएफ	आत्महत्या	37	01
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	03	00
आईटीबीपी	आत्महत्या	04	00
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	00	00
एनएसजी	आत्महत्या	02	00
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	00	00
एसएसबी	आत्महत्या	09	02
	सहकर्मियों पर गोली चलाने के मामले	02	09

(ग) और (घ) जी हां। ऐसे प्रत्येक मामले में कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच कराई जाती है। अधिकतर मामलों में इनके कारणों से संबंधित घटक सामान्यतः व्यक्तिगत तथा घरेलू समस्याएं जैसेकि वैवाहिक अनबन, व्यक्तिगत दुश्मनी, मानसिक बीमारी, अवसाद इत्यादि पाए गए थे और ये इस प्रकार बलों से संबंधित नहीं थे।

(ङ) जी हां। बलों के माध्यम से सरकार द्वारा उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों में पर्याप्त आराम और राहत सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी के घण्टों को विनियमित करना, जरूरतमंद कर्मियों को पात्र छुट्टी की मंजूरी प्रदान करना, मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान करना, टीम स्पोर्ट और खेलकूद के अवसर उपलब्ध कराना, योग और ध्यान का प्रशिक्षण प्रदान करना, चिकित्सकों तथा अन्य विशेषज्ञों द्वारा वार्ताएं आयोजित करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्मियों के साथ नियमित बातचीत करना इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

जल परियोजनाएं

101. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत किसी टीम ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कुछ जल परियोजनाओं का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अभी तक क्या-क्या रिपोर्टें तैयार की गईं और सिफारिशें की गईं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। जे.एन.एन.यू.आर.एम के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी एवं कार्यान्वयन स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी (आई.आर.एम.ए.) जो कि राज्यों द्वारा नियक्त एवं शहरी विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सी.एस.एम.सी.) द्वारा अनुमोदित है करती है, परियोजना दस्तावेजों की डेस्क समीक्षा एवं प्रत्येक परियोजना स्थल का आवधिक दौरा शुरू करती है जिससे जारी की गई राशि उद्देश्यपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से उपयोग में लाई जा सके। जे.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना एवं शासन उप-मिशन द्वारा अनुमोदित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए आई.आर.एम.ए. के राज्यवार दौरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजनओं के क्रियान्वयन के बारे में आई. आर.एम.ए. की टिप्पणियां राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को भेजी जाती हैं जो उनकी जांच कर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करती है। केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं के लिए आगे की किस्तों की स्वीकृति देते समय आई.आर.एम.ए. की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का एस.एल.एन.ए. का मूल्यांकन धान में रखा जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनांक 31.10.11 को जे.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के अधीन अनुमोदित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए आई.आर.एम.ए. द्वारा किए गए दौरों की संख्या
1	महाराष्ट्र	24
2	केरल	2
3	राजस्थान	1
4	गुजरात	7
5	आन्ध्र प्रदेश	12
6	पश्चिम बंगाल	15
7	कर्नाटक	4
8	तमिलनाडु	15
9	उत्तर प्रदेश	9
10	मध्य प्रदेश	4
11	छत्तीसगढ़	1
12	उत्तराखंड	4
13	पंजाब	1

[हिन्दी]

जननक्षमता कैम्प्स

102. **श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में गायों और भैंसों में बांझपन संबंधी समस्याओं के इलाज हेतु राज्य-वार जननक्षमता कैम्प आयोजित करने हेतु जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त कैम्प किन स्थानों पर आयोजित किए गए और इन में कितनी गोजातियों का इलाज किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन कैम्पों में गो-जातियों को उक्त इलाज से हुए वास्तविक लाभ का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) के तहत जारी धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एनपीसीबबी के तहत राज्यों को 10,000 रुपए प्रति शिविर की दर से प्रतिवर्ष प्रति प्रखंड 2 शिविरों के आयोजन के लिए राशि दी जाती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना का मूल्यांकन 12 राज्यों में स्वतंत्र एजेंसी (नाबार्ड परामर्शी सेवा-नबकान्स) के द्वारा किया गया था जिसने चरण-1 के क्रियान्वयन को काफी हद तक पूरा कर लिया था। मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का चरण-2 आरंभ कर दिया गया था।

विवरण I

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(लाख रुपए में)

क्र. स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	905.95	1000.00	1000.00	1645.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	162.70	-	133.55	100.00
3.	असम	-	614.14	74.08	565.12

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	508.25	–	–	300.00
5.	छत्तीसगढ़	284.06	–	100.00	400.00
6.	गुजरात	–	643.24	1000.00	500.00
7.	हरियाणा	774.35	1200.00	1000.00	1000.00
8.	हिमाचल प्रदेश	155.46	297.19	500.37	300.00
9.	जम्मू और कश्मीर	300.00	250.00	300.00	–
10.	झारखंड	417.40	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	500.00	–	500.00
12.	केरल	792.39	865.73	491.15	800.00
13.	मध्य प्रदेश	500.00	750.00	900.00	500.00
14.	महाराष्ट्र	250.00	678.85	1140.00	
15.	मणिपुर	–	323.80	361.75	
16.	मेघालय	65.34	–	200.00	–
17.	मिजोरम	–	65.00	171.57	189.45
18.	नागालैंड	68.29	69.76	227.28	167.49
19.	ओडिशा	882.98	390.58	646.94	300.00
20.	पंजाब	646.00	441.81	1000.00	–
21.	राजस्थान	632.73	700.00	–	500.00
22.	सिक्किम	131.82	77.30	100.00	
23.	तमिलनाडु	234.15	700.00	1000.00	750.00
24.	त्रिपुरा	256.82	–	237.76	–
25.	उत्तर प्रदेश	–	737.60	487.01	–
26.	उत्तराखंड	415.68	–	200.00	540.71
27.	पश्चिम बंगाल	352.60	1300.00	927.54	400.00
	अन्य	–	4.86	–	–
	कुल	8736.97	11609.86	12199.00	9458.42

टिप्पणी: एनपीसीबीबी के अंतर्गत राज्यों को प्रति कैम्प 10,000 रुपए की दर से प्रत्येक वर्ष प्रति प्रखंड में दो कैम्प आयोजित करने के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश में आयोजित की गई जननक्षमता शिविरों के स्थान

क्र.सं.	जिले का नाम	जारी निधि (लाख रुपए में)	आयोजित कैम्पों की संख्या	उपचारित बोबाईनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अलीराजपुर	1.80	18	3937
2.	अनुप्पुर	1.20	12	8594
3.	अशोकनगर	1.20	12	4068
4.	बालाघाट	3.00	30	9152
5.	बरवानी	2.10	21	9030
6.	बैतूल	3.00	30	14754
7.	भिंड	1.80	18	1953
8.	भोपाल	0.60	6	9457
9.	बरहानपुर	0.60	6	3369
10.	छत्तरपुर	2.40	24	9057
11.	छिंदवाड़ा	3.30	33	18850
12.	दतिया	090	9	1516
13.	दामोह	2.10	21	5915
14.	देवास	1.80	18	2593
15.	धार	3.90	39	14304
16.	ढिंडोरी	2.10	21	3708
17.	गुना	1.50	15	2675
18.	ग्वालियर	1.20	12	2362
19.	हरदा	0.80	9	6164
20.	होशंगाबाद	2.10	21	11295
21.	इंदौर	1.20	12	4932
22.	जबलपुर	2.10	21	8403
23.	झबुआ	1.80	18	25287

1	2	3	4	5
24.	कटनी	1.80	18	8777
25.	खंडवा	2.10	21	13187
26.	खारगोन	2.70	27	18623
27.	मालदा	2.70	27	30260
28.	मंडसौर	1.50	15	9978
29.	मुरैना	2.10	21	4483
30.	नरसिंगपुर	1.80	18	9082
31.	नीमुच	0.90	9	3995
32.	पन्ना	1.50	15	4220
33.	रायसेन	2.10	21	8356
34.	राजगढ़	1.80	18	8595
35.	रत्लाम	1.80	18	5417
36.	रीवा	2.70	27	1285
37.	सागर	3.30	33	4541
38.	सतना	2.40	24	5156
39.	सेहोर	1.50	15	6171
40.	सेवपी	2.40	24	14395
41.	शाहडोल	-	-	-
42.	शाजापुर	2.40	24	9796
43.	शिवपुरी	2.40	24	2638
44.	सिधी	1.50	15	9257
45.	सिंगरौली	090	9	2919
46.	शेवपुर	0.909	9	1641
47.	टीकमगढ़	1.80	18	5885
48.	उज्जैन	1.80	18	23367
49.	उमेरिया	0.90	9	4478
50.	विदिशा	2.10	21	8842
	कुल	93.90	939	452629

[अनुवाद]

हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

103. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चौथा हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना 'रिस्पांस' प्राप्त हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य में ऐसे और फिल्म समारोह आयोजित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रलाय हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से संबद्ध नहीं है।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रति वर्ष गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सामरोह का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोहों का अयोजन करता है।

कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं

104. **श्री पी.आर. नटराजन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जेलों में कैदी उत्पादक कार्यो में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में तिहाड़ जेल सहित देश के विभिन्न जेलों में कैदियों द्वारा निर्मित/बेची गई वस्तुओं और उससे अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की जेलों में कैदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) भारत की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अत: कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तिहाड़ जेल में कैदियों को जेल फैक्टरी और अन्य स्थानों पर कार्य आबंटित किया जाता है। विगत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में निर्मित और बेची गई वस्तुओं की लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	(क्रय) खरीद (रुपए)	विक्रय (बिक्री (रुपए)
2008-09	9,09,16,979	5,36,53,318
2009-10	6,42,62,947	8,34,57,524
2010-11	8,12,28,065	12,88,27,022
चालू वर्ष	1,50,77,208	2,50,42,237
कुल	25,14,85,199	29,09,80,101

(ग) और (घ) जहां कहीं भी कैदियों द्वारा वस्तुएं तैयार की जाती हैं, वहां वस्तुओं के विपणन के लिए प्रयास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

ऊंट के जरिए गश्त प्रणाली

105. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऊंट के जरिए गश्त प्रणाली 'वाच टावर्ज' इत्यादि को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऊंट के जरिए गश्त प्रणाली और वाच टावर्स के लिए संघ सरकार द्वारा कोई मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

लीज़ पर लिए गए गोदाम

106. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोदाम किराए पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लीज़ हेतु कितना भुगतान किया गया है और लीज़ पर गोदाम लेने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.4.2007 से 31.10.2011 तक के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा 76.96 लाख टन निवल क्षमता किराए पर ली गई थी। 2007 से 2011 तक पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल किराए की क्षमता और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न वर्षों में किराए पर ली गई/किराए से खाली की गई निवल क्षमता सहित 31 अक्टूबर, 2011 को किराए की उपलब्धता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) विभिन्न निजी पार्टियों/सरकारी एजेंसियों को 2005-06 से 2009-10 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अदा किराए की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) अपनाए जाने वाले व्यापक पैरामीटर ये हैं कि केवल जमा राशि के आधार पर अथवा सहमत शर्तों पर केन्द्र/राज्य भंडारण निगमों के साथ क्षमता के किसी भाग को आरक्षित करके आवश्यकता की सीमा तक इन एजेंसियों से केवल उचित भंडारण योग्य गोदाम किराए पर लिए जाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों और प्राइवेट पार्टियों से भी गोदाम किराए पर लिए जाते हैं। गोदाम किराए पर लेने की अवधि को न्यूनतम अवधि तक रखा जाता है और किसी भी मामले में एक वर्ष से अधिक की लम्बी अवधि के लिए प्रतिबद्धता नहीं दी जाती है।

विवरण I

अप्रैल, 2007 से अक्टूबर, 2011 तक किराए पर ली गई/किराए से हटाई गई राज्यवार निवल क्षमता

जोन	क्र.सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	1.04.07 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	1.04.08 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	1.04.09 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	1.04.10 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	1.04.11 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	31.10.11 की स्थिति के अनुसार किराए पर ली गई क्षमता (ढकी एवं कैप)	2007-08 के दौरान किराए पर ली गई/ किराए से हटाई गई निवल क्षमत	2008-09 के दौरान किराए पर ली गई/ किराए से हटाई गई निवल क्षमत	2009-10 के दौरान किराए पर ली गई/ किराए से हटाई गई निवल क्षमत	2010-11 के दौरान किराए पर ली गई/ किराए से हटाई गई निवल क्षमत	31.03.11 31.10.11 के दौरान किराए पर ली गई/ किराए से हटाई गई निवल क्षमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पूर्वी	1	बिहार	1.54	1.65	1.96	2.09	2.32	2.42	0.11	0.31	0.13	0.23	0.10
	2	झारखंड	0.57	0.54	0.52	0.51	0.63	0.67	-0.03	-0.02	-0.01	0.12	0.04
	3	ओडिशा	3.83	3.44	3.99	3.50	3.14	3.12	-0.39	0.55	-0.49	-0.36	-0.02
	4	पश्चिम बंगाल	1.37	1.37	1.69	1.96	2.00	2.05	0.00	0.32	0.27	0.04	0.05
	5	सिक्किम	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		जोड़ (पूर्व अंचल)	7.32	7.01	8.17	8.07	8.10	8.27	-0.31	1.16	-0.10	0.03	0.17
पूर्वोत्तर	6	असम	0.56	0.62	0.66	0.66	0.71	0.70	0.06	0.04	0.00	0.05	-0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	अरुणाचल प्रदेश	0	0.02	0.02	0.04	0.05	0.04	0.02	0.00	0.02	0.01	-0.01
	8	मेघालय	0.15	0.16	0.12	0.12	0.12	0.12	0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00
	9	मिजोरम	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	त्रिपुरा	0.15	0.18	0.22	0.22	0.19	0.19	0.03	0.04	0.00	-0.03	0.00
	11	मणिपुर	0.02	0	0	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
	12	नागालैंड	0.1	0.03	0.12	0.14	0.13	0.13	-0.07	0.09	0.02	-0.01	0.00
		जोड़ (पूर्वोत्तर अंचल)	0.99	1.02	1.15	1.19	1.22	1.20	0.03	0.13	0.04	0.03	-0.02
उत्तर	13	दिल्ली 1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	हरियाणा	10.43	10.78	12.3	13.43	15.12	15.82	0.35	1.52	1.13	1.69	0.70
	15	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
	16	जम्मू और कश्मीर	0.26	0.27	0.26	0.28	0.18	0.18	0.01	-0.01	0.02	-0.10	0.00
	17	पंजाब	38	34.25	33.98	45.81	51.47	52.35	-3.75	-0.27	11.83	5.66	0.88
	18	चंडीगढ़	0.68	0.66	0.57	1.71	2.20	2.27	-0.02	-0.09	1.14	0.49	0.07
	19	राजस्थान	0.39	0.13	1.39	7.20	8.41	12.30	-0.26	1.26	5.81	1.21	3.89
	20	उत्तर प्रदेश	6.06	5.94	7.03	6.72	17.30	25.93	-0.12	1.09	-0.31	10.58	8.63
	21	उत्तराखंड	0.85	0.53	1.35	1.55	1.49	1.30	-0.32	0.82	0.20	-0.06	-0.19
		जोड़ (उत्तर अंचल)	56.8	52.67	56.99	76.82	96.391	10.27	-4.13	4.32	19.83	19.57	13.88
दक्षिण	22	आंध्र प्रदेश	20.09	18.97	18.64	22.83	29.20	31.77	-1.12	-0.33	4.19	6.37	2.57
	23	अंडमान और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	केरल	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	कर्नाटक	0.8	0.56	2.37	3.43	3.44	3.48	-0.24	1.81	1.06	0.01	0॰04
	26	तमिलनाडु	1.06	0.77	2.57	3.34	3.42	3.66	-0.29	1.80	0.77	0.08	0.24
	27	पुदुचेरी	0.02	0.04	0.02	0.10	0.14	0.24	0.02	-0.02	0.08	0.04	0.10
		जोड़ (दक्षिण अंचल)	21.97	20.34	23.6	29.70	36.20	39.15	-1.63	3.26	6.10	6.50	2.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिम	28	गुजरात	0.36	0.33	1	1.53	1.76	1.87	-0.03	0.67	0.53	0.23	0.11
	29	महाराष्ट्र 3	3.01	2.53	5	7.19	8.21	8.44	-0.48	2.47	2.19	1.02	0.23
	30	गोवा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	मध्य प्रदेश	1.85	1.81	4.17	5.78	4.28	3.45	-0.04	2.36	1.61	-1.50	-0.83
	32	छत्तीसगढ़	7.44	1.69	1.31	3.31	3.87	4.05	-5.75	-0.38	2.00	0.56	0.18
		जोड़ (पश्चिम क्षेत्र)	12.66	6.36	11.48	17.81	18.12	17.81	-6.30	5.12	6.33	0.31	-0.31
		सकल जोड़	99.74	87.40	101.39	133.59	160.03	176.70	-12.34	13.99	32.20	26.44	16.67

* नकारात्मक आंकड़े किराए से हटाई गई क्षमता सूचित करते हैं।

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के गत चार वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी/सरकारी एजेंसियों को खाद्यान्नों के भंडारण हेतु भुगतान की गई किराए की राशि

वर्ष	रकम (लाख में)
2007-08	29,059.55
2008-09	45,683.51
2009-10	77,893.95
2010-11*	78,916.52

*अनंतिम

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आबंटन

107. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री मानिक टैगोर:
श्री अशोक अर्गल:
श्री जी. एम. सिद्देश्वर:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के कोटे को कम/युक्तिसंगत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्य-वार और श्रेणी-वार खाद्यान्नों के मासिक कोटे, आबंटित/उठाए गए और वितरित खाद्यान्नों की कुल मात्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों से उनके खाद्यान्नों कोटे को बहाल करने/उनके कोटे में वृद्धि करने के बारे में अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च 2000 के आबादी अनुमानों अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और जारी किए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, देश में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है।

गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। कम स्टॉक को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूँ और चावल के आवंटन को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए विगत के उठान के आधार पर क्रमश: जून, 2006 और अप्रैल, 2007 में युक्तिसंगत बनाया गया था। फिलहाल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के बीच में है। पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए खाद्यान्नों के आवंटन और उठान के राज्यवार/श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों की संयुक्त जिम्मेदारी के रूप में खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है जबकि इनका उठान करने और लक्षित लाभार्थियों को इनका आगे वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों का आवंटन बहाल करने/बढ़ाने/अतिरिक्त आवंटन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोध और केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता को ध्यान में रखकर गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन निम्नानुसार किए गए हैं:

(i) दो माह के लिए अंत्योदय अन्य योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए वितरण करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित/से निकाले गए मूल्यों पर जनवरी, 2010 में 36.08 लाख टन खाद्यान्न।

(ii) 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए मई, 2010 में 30.66 लाख टन खाद्यान्न।

(iii) उन 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ यह 15 किलोग्राम से कम थी वहाँ न्यूनतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 27.41 लाख टन खाद्यान्न।

(iv) 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 3.65 लाख टन खाद्यान्न।

(v) सितम्बर, 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

(vi) जनवरी, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

(vii) 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जनवरी, 2011 में 25. 00 लाख टन खाद्यान्न।

(viii) मई, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा में नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न।

(ix) 30-06-2011 को 50.00 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए जिससे 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जून, 2011 से मार्च, 2012 तक गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए के लिए खाद्यान्नों का मासिक आवंटन बढ़ाकर 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया और 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां बढ़ाकर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह कर दी गई।

(x) जुलाई से अक्तूबर, 2011 के दौरान 27 राज्यों में 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों के लिए 23.67 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए।

खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के किए गए तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-V और VI में दिए गए हैं।

विवरण I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2008-2009 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गेरऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	1,871.306	3577.682	1035.657	644.569	1852.54	3532.766
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	25.309	15.86	49.889	91.058
3.	असम	475.224	295.692	635.340	1406.256	473.79	295.009	632.043	1400.842
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	218.330	2958.122	738.798	772.495	17.729	1529.022
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	150.066	937.698	472.694	301.944	31.117	805.755
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	88.359	53.161	420.295	561.815
7.	गोवा	5.460	6.108	24.787	36.355	5.46	5.356	23.142	33.958
8.	गुजरात	486.469	340.080	215.491	1042.04	445.348	340.753	70.865	856.968
9.	हरियाणा	208.572	122.820	272.101	603.493	197.589	112.235	77.792	387.616
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	247.296	463.176	125.083	83.703	251.615	460.401
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	467.720	776.804	204.558	111.223	454.501	770.282
12.	झारखंड	619.956	385.536	60.438	1065.93	505.608	367.101	10.654	883.363
13.	कर्नाटक	798.864	503.892	730.586	2033.342	799.817	503.729	647.726	1951.272
14.	केरल	402.348	250.260	511.996	1164.604	402.458	250.585	467.888	1120.931
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	353.207	2085.683	1147.915	655.125	182.422	1985.462
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	421.481	3165.785	1545.76	902.623	258.555	2706.938
17.	मणिपुर	43.008	26.724	36.684	106.416	37.272	22.905	37.861	98.038
18.	मेघालय	47.376	29.484	67.416	144.276	48.021	29.739	67.973	145.733
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	15.44	10.07	49.788	75.298
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.375	21.246	83.423	139.044
21.	ओडिशा	1,165.572	531.120	170.091	1866.783	1159.265	531.95	135.127	1826.342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	पंजाब	121.176	75.360	466.384	662.92	104.231	46.533	354.574	505.338
23.	राजस्थान	629.532	391.488	343.604	1364.624	614.179	377.563	289.057	1280.799
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	12.123	6.936	25.54	44.599
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,640.456	3682.832	1349.833	827.174	1629.144	3806.151
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	151.104	275.004	77.797	48.879	141.336	268.012
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	440.674	4925.854	2456.513	1608.775	190.049	4255.337
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	153.080	362.252	125.746	55.065	127.307	308.118
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	856.678	3031.942	1381.671	512.809	824.037	2718.517
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.040	1.800	22.501	29.341	4.01	1.449	10.92	16.379
31.	चंडीगढ़	3.006	0.822	1.800	5.628	2.984	0.526	0	3.51
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	2.196	1.434	8.154	4.524	2.196	1.368	8.088
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	0.690	2.37	0.235	0.1	0.088	0.423
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.492	3.360	4.608	0.756	0.492	2.455	3.703
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	3.237	38.349	12.605	4.759	1.564	18.928
	जोड़	17,405.371	10,195.770	11,175.290	38,776.431	15,655.783	9,524.637	9,420.384	34,600.804

विवरण II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2009-2010 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गेरऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	2,177.874	3884.25	1025.602	624.841	1876.249	3526.692
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	24.646	15.515	59.377	99.538
3.	असम	475.224	295.692	715.050	1485.966	472.792	294.94	632.501	1400.233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	697.689	3437.481	1128.744	917.645	227.625	2274.014
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	304.320	1091.952	483.38	297.851	224.667	1005.898
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	83.294	51.464	442.517	577.275
7.	गोवा	5.460	6.108	35.140	46.708	5.461	5.584	34.263	45.308
8.	गुजरात	481.968	340.080	796.440	1618.488	436.233	309.727	279.504	1025.464
9.	हरियाणा	208.572	122.820	649.080	980.472	194.958	111.564	195.149	501.671
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	281.586	497.466	125.307	81.899	254.606	461.812
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	447.720	756.804	198.378	100.636	459.84	758.854
12.	झारखंड	619.956	385.536	306.300	1311.792	585.276	377.555	75.449	1038.28
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	853.216	2167.492	823.56	512.891	755.741	2092.192
14.	केरल	402.348	250.260	648.996	1301.604	402.435	249.106	581.902	1233.443
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	1,298.394	3030.87	1326.159	743.101	844.166	2953.426
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	1,765.055	4509.359	1600.574	953.669	1021.774	3576.017
17.	मणिपुर	43.008	26.724	47.414	117.146	48.228	28.787	45.089	122.104
18.	मेघालय	47.376	29.484	70.416	147.276	46.972	29.263	69.08	145.315
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	16.14	9.62	49.915	75.675
20.	नागालैंड	32.112	19.968	77.466	129.546	34.807	22.638	77.087	134.532
21.	ओडिशा	1,165.572	531.120	419.160	2115.852	1166.1	536.384	378.217	2080.701
22.	पंजाब	121.176	75.360	1,017.384	1213.92	112.253	50.17	825.103	987.526
23.	राजस्थान	629.532	391.488	924.444	1945.464	627.407	384.712	907.216	1919.335
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	11.301	7	25.905	44.206
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,725.456	3767.832	1214.759	781.254	1955.099	3951.112
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.104	302.004	73.998	48.243	156.935	279.176
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	2,554.714	7039.894	2633.109	1664.269	2157.635	6455.013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	226.830	436.002	147.666	62.885	197.921	408.472
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	1,141.280	3316.544	1469.782	509.152	1166.359	3145.293
30.	अंडमान और निकोर द्वीपसमूह	5.115	1.800	25.044	31.959	3.012	1.352	14.125	18.489
31.	चंडीगढ़	3.572	0.624	21.600	25.796	3.445	0.194	21.637	25.276
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	2.196	2.160	8.88	1.508	0.732	0.733	2.973
33.	दमण और दीव	1.044	0.636	2.640	4.32	0.489	0.268	0.589	1.346
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.498	3.360	4.614	0.756	0.504	2.447	3.707
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	18.600	53.712	16.893	8.943	6.481	32.317
	जोड़	17,413.031	10,195.578	19,994.088	47.602.697	16,545.424	9,794.358	16,062.903	42,402.685

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2010-2011 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गेरऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	1,970.104	3,676.480	1,047.270	651.972	1,733.895	3,433.137
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	22.021	13.258	49.744	85.023
3.	असम	475.224	295.692	902.210	1,673.126	467.054	292.276	832.311	1,591.641
4.	बिहार	1,691.908	1,047.884	803.400	3,543.192	1,578.663	990.201	400.290	2,969.154
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	380.400	1,168.032	488.845	290.276	355.986	1,135.107
6.	दिल्ली	108.696	63.084	423.954	595.734	102.830	47.692	456.781	607.303
7.	गोवा	5.460	6.108	57.183	68.751	5.766	6.007	42.031	53.804
8.	गुजरात	550.368	340.080	995.550	1,885.998	566.836	329.707	636.337	1,532.880
9.	हरियाणा	208.572	122.820	353.850	685.242	208.278	119.619	285.200	613.097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	293.108	508.988	119.519	82.488	284.455	486.462
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	448.020	757.104	199.466	106.211	443.438	749.115
12.	झारखंड	619.965	385.527	313.920	1,319.412	568.567	361.799	102.381	1,032.747
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	946.200	2,260.476	820.164	455.472	856.404	2,132.040
14.	केरल	402.348	250.260	747.038	1,399.646	410.892	256.364	705.901	1,373.157
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	877.978	2,610.454	1,321.076	593.133	793.651	2,707.860
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	1,746.108	4,490.412	1,657.242	943.946	1,085.981	3,687.169
17.	मणिपुर	43.008	26.724	72.112	141.844	25.881	17.699	27.629	71.209
18.	मेघालय	47.376	29.484	106.068	182.928	45.893	29.024	81.688	156.605
19.	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	16.439	9.938	38.125	64.502
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.868	20.826	82.432	138.126
21.	ओडिशा	1,165.572	531.120	525.096	2,221.788	1,118.944	520.996	412.149	2,052.089
22.	पंजाब	121.176	75.360	589.812	786.348	114.963	51.853	513.891	680.707
23.	राजस्थान	629.532	391.488	1,016.108	2,037.128	635.059	384.787	917.997	1,937.848
24.	सिक्किम	11.304	6.936	26.010	44.250	10.490	6.451	26.059	43.000
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,680.456	3,722.832	1,253.445	775.561	1,669.120	3,698.126
26.	त्रिपुरा	76.380	783.144	1,680.456	3,722.832	1,253.445	775.561	1,669.120	3,698.126
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	2,463.768	6,948.948	2,816.831	1,679.267	2,059.855	6,555.953
28.	उत्तराखंड	140.100	69.072	264.950	474.122	153.828	67.535	234.475	455.838
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	1,426.600	3,601.864	1,535.429	491.693	1,298.496	3,325.618
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.340	1.800	26.880	34.020	3.173	0.907	13.841	17.921
31.	चंडीगढ़	3.756	0.624	27.000	31.380	3.517	0.140	22.318	25.975
32.	दादरा और नगर हवेली	5.028	2.196	2.700	9.924	1.459	0.373	0.625	2.457
33.	दमण और दीव	1.044	0.636	3.300	4.980	0.370	0.143	0.649	1.162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.504	3.360	4.620	0.986	0.504	4.895	6.385
35.	पुडुचेरी	21.564	13.548	21.000	56.112	20.480	12.385	15.570	48.435
	जोड़	17,448.901	10,229.027	19,869.401	47,547.329	17,448.808	9,655.519	16,616.340	43,720.667

विवरण IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान*			
		गरेनी	अंअयो	गेरऊ+	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1052.088	654.288	2031.876	3738.252	502.906	318.825	645.987	1,467.718
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.254	15.972	60.060	101.556	12.681	7.299	31.223	51.203
3.	असम	475.224	295.692	1035.840	180.756	231.960	144.846	412.174	788.980
4.	बिहार	1689.372	1050.420	910.520	3650.312	816.782	501.712	176.985	1,495.479
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	431.120	1218.752	240.689	142.249	138.367	521.305
6.	दिल्ली	108.696	63.084	426.078	597.858	54.778	21.089	203.393	279.260
7.	गोवा	5.532	6.108	48.676	60.316	2.766	3.106	24.376	30.248
8.	गुजरात	550.368	340.080	1128.290	2018.738	272.195	175.088	183.229	630.512
9.	हरियाणा	208.572	122.820	401.030	732.422	119.624	60.102	150.528	330.254
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	303.266	519.146	65.532	41.368	146.967	253.867
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	447.720	756.804	101.419	54.940	225.782	382.141
12.	झारखंड	619.968	385.524	333.540	1339.032	301.652	190.202	36.418	528.272
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	1072.370	2386.646	403.405	254.392	460.002	1,117.799
14.	केरल	402.348	250.260	779.066	1431.674	202.663	125.752	371.344	699.759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मध्य प्रदेश	1068.216	664.260	779.066	1431.674	202.663	125.752	371.344	699.799
16.	महाराष्ट्र	1709.424	1034.880	1902.810	4647.114	838.922	477.168	558.559	1,874.649
17.	मणिपुर	43.008	26.724	90.714	160.446	31.230	19.543	26.868	77.641
18.	मेघालय	47.316	29.484	104.836	181.696	24.223	14.909	50.476	89.608
19.	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	8.320	5.111	18.826	32.257
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	17.695	10.737	41.578	70.010
21.	ओडिशा	1165.572	531.20	420.306	2116.998	583.399	259.122	192.498	1,035.019
22.	पंजाब	121.176	75.360	617.564	814.100	57.223	26.907	233.815	317.945
23.	राजस्थान	629.532	391.488	1094.120	2115.140	319.096	193.855	505.289	1,018.240
24.	सिक्किम	11.304	6.936	26.030	44.270	6.458	3.784	12.894	23.136
25.	तमिलनाडु	1259.232	783.144	1680.456	3722.832	636.650	396.841	842.789	1,876.280
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	184.134	308.034	41.391	25.043	67.927	134.361
27.	उत्तर प्रदेश	2765.700	1719.480	2628.710	7113.890	1,496.26	856.871	922.887	3,276.019
28.	उत्तराखंड	128.988	80.184	292.530	501.702	60.913	33.372	690.017	1,696.676
29.	पश्चिम बंगाल	1553.580	621.684	1588.490	3763.754	759.287	247.372	690.017	1,696.676
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.340	1.800	26.880	34.020	2.095	0.334	5.312	7.741
31.	चंडीगढ़	3.756	0.624	30.600	34.980	1.614	0.060	12.600	14.274
32.	दादरा और नगर हवेली	5.028	2.196	3.060	10.284	2.656	1.098	1.025	4.779
33.	दमण और दीव	1.044	0.636	3.750	5.430	1.185	0.269	0.997	2.451
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.504	3.360	4.620	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	23.800	58.912	9.631	6.324	5.875	21.830
	जोड़	17435.328	10242.672	10242.238	48874.238	9,084.426	4,992.093	7,852.498	21,929.017

+जून, 2011 में किया गया तदर्थ आवंटन शामिल है।

*सितम्बर, 2011तक

विवरण-V

गत दो वर्षों और चालू के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया गया खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 10 में गरेनी/अंअयो/गरेऊ के परिवारों के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	मई, 10 में गरेनी/अंअयो/गरेऊ के परिवारों के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	सितम्बर, 10 और जनवरी, 11 में गरेनी के परिवारों के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	जनवरी,11में गरेऊ के परिवारों के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	मई,11में गरेनी के परिवारों के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	316420	268957	511570	255220	311570
2.	अरूणाचल प्रदेश	4840	4114	12592	3104	7592
3.	असम	89860	196381	290794	192673	140794
4.	बिहार	237580	201943	500214	116258	500214
5.	छत्तीसगढ़	88220	149974	143784	205047	14784
6.	दिल्ली	55640	47294	31364	51509	31364
7.	गोवा	6400	5440	3680	5904	3680
8.	गुजरात	175140	148869	162572	144063	162572
9.	हरियाणा	62960	53516	60504	51205	60504
10.	हिमाचल प्रदेश	25140	21369	39416	16128	39416
11.	जम्मू और कश्मीर	36040	30634	56440	63139	56440
12.	झारखंड	87120	74052	183584	42587	183584
13.	कर्नाटक	188740	160429	239946	136922	239946
14.	केरल	122200	153870	125653	179893	119168
15.	मध्य प्रदेश	194060	164951	516324	121077	316324
16.	महाराष्ट्र	354540	301359	501060	242956	501060
17.	मणिपुर	8140	6919	17730	5231	12730
18.	मेघालय	8980	7633	19034	5773	14033
19.	मिजोरम	3340	5678	10214	18149	5214
20.	नागालैंड	6040	10268	14510	13864	9510
21.	ओडिशा	135820	115447	252906	75819	252906

1	2	3	4	5	6	7
22.	पंजाब	79520	67592	35888	276145	35888
23.	राजस्थान	177340	301478	236420	239700	186420
24.	सिक्किम	2100	2285	4498	1646	6098
25.	तमिलनाडु	277640	235994	372918	195767	372918
26.	त्रिपुरा	14440	12274	22622	9269	22622
27.	उत्तर प्रदेश	522830	444406	818880	335641	818880
28.	उत्तराखंड	24380	20723	38188	165650	38188
29.	पश्चिम बंगाल	290460	246891	397152	202822	397152
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1620	1377	2146	150	2146
31.	चंडीगढ़	4060	3451	1764	3907	1764
32.	दादरा और नगर हवेली	720	612	1382	3981	1382
33.	दमण और दीव	510	0	268	4788	268
34.	लक्षद्वीप	220	187	230	174	230
35.	पुदुचेरी	4480	3808	6442	3039	6442

टिप्पणी:

1. मई, 2010 के अंतर्गत 30.66 लाख टन के समग्र आवंटन में से कुछ राज्यों को किया गया पुन: आवंटन शामिल हैं।
2. जनवरी, 2011 के आवंटन के अधीन 25.00 लाख टन के समग्र आवंटन में से कुछ राज्यों को किया गया पुन: आवंटन शामिल है।
3. मई, 2011 के आवंटन के अधीन 50 लाख टन के समग्र आवंटन में से कुछ राज्यों को किया पुन: आवंटन शामिल है।

विवरण VI

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में 27 राज्यों में निर्धनतम और पिछले जिलों के लिए किया गया खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	13 राज्यों के 74 निर्धनतम जिलों हेतु जुलाई/अगस्त, 2011 में 3 माह के लिए किया गया आवंटन	27 राज्यों के 174 निर्धनतम जिलों हेतु अक्तूबर, 2011 में एक वर्ष के लिए किया गया आवंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	116563

1	2	3	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	737
3.	असम	0	15340
4.	बिहार	183102	412293
5.	छत्तीसगढ़	44769	87183
6.	गुजरात	0	51502
7.	हरियाणा	3792	5947
8.	हिमाचल प्रदेश	8913	2504
9.	जम्मू और कश्मीर	6405	5352
10.	झारखंड	28237.08	103992
11.	कर्नाटक	0	31395
12.	केरल	1365	3703
13.	मध्य प्रदेश	83670	194374
14.	महाराष्ट्र	0	105812
15.	मणिपुर	300	935
16.	मेघालय	0	1919
17.	मिजोरम	0	159
18.	नागालैंड	0	315
19.	ओडिशा	0	143933
20.	पंजाब	0	1839
21.	राजस्थान	25269	73785
22.	सिक्किम	202.98	61
23.	तमिलनाडु	0	40948
24.	त्रिपुरा	327	2407
25.	उत्तराखंड	1318.59	1281
26.	उत्तर प्रदेश	0	316724
27.	पश्चिम बंगाल	0	259315
	जोड़	387671	1980318

शहरी गरीबों के लिए आवास

108. श्री पन्ना लाल पुनिया:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री जगदीश ठाकोर:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने शहरी गरीबों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी योजनाएं तैयार की हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बहुसंख्यक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्रता का क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को ऋण प्रदान नहीं करना चाहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शहरी गरीबों को पांच लाख रुपए के आवास ऋण की गारन्टी देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) केन्द्र सरकार निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए शहरी क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों हेतु आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान कर रहीं है;

- वर्ष 2005 में सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में चिन्हित 65 शहरों में स्लमों में शहरी गरीबों हेतु आवास और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करना और समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों (बीएसयूपी) को आवास और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। 1.11.2011 को बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के तहत 1501 परियोजनाएं 21,548.87 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित 39,654.58 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से 15,62,211 रिहायशी आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदित की गई थीं।

- शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आइएससचयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्गों (एलआजी) को एक लाख तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की गयी है। सितम्बर, 2011 को 8370 लाभार्थियों को 7.25 करोड़ रु. की ब्याज सब्सिडी की नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनवीपी) के लिए कवर किया गया।

- भागीदारी में किफायती आवास स्कीम (ए.एच.पी.) के तहत केन्द्र सरकार 50,000/-रु. प्रति किफायती आवास की दर या सिविक अवसंरचना की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी। आज तक कुल 53.96 करोड़ रु. के केन्द्रीय शेयर (ए.सीए.) सहित 79.04 करोड़ रु. की परियोजना लागत अनुमोदित की गयी है इस स्कीम के तहत 19,100 रिहायशी यूनिटें मंजूर की गई हैं।

(ख) और (ग) स्लम मुक्त भारत निर्माण के सरकार संकल्प के अनुसरण में 02.06.2011 को लगभग 250 शहरों को शामिल करने के लिए 5000 करोड़ रु. से बजट से एक नई स्कीम 'राजीव आवास योजना' (आर.ए.वाई) प्रारम्भ की गई। इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण समेत बनी सम्पत्ती के रखरखाव सहित मूलभूत सुविधाएं और सामाजिक आवसंरचना और सुविधाएं और स्लमों में आवास हेतु केन्द्र द्वारा लागत का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में 90 प्रतिशत) वहन किया जायेगा। इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक सम्पूर्ण देश में लगभग 250 शहरों को शामिल किए जाने की सम्भावना है। शहरों का चयन केन्द्र से परामर्श करके किया जाएगा। राज्यों को जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों को शामिल करना इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा अन्य छोटे शहरों को शहर की प्रगति, स्लमों, अल्पसंख्यक आबादी के पूर्व प्रभाव और क्षेत्र जहां सम्पत्ति का अधिकार दिया गया है के अनुसार हो। स्कीम

राज्यों द्वारा तय अनुसार ही प्रगति करेगी। स्लम मुक्त शहर योजना स्कीम-राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक फेज के तहत प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु 157 शहरों को फंड जारी किया गया है।

(घ) से (च) वाणिज्यिक बैंक और आवास वित्त कारपोरेशन (एच.एफ.सी.) मध्यम और उच्च आय वर्ग को उनके रिस्क की गणना के अनुसार सेवा देना पसंद करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. की आवास ऋण की जरूरत पूरी होती है। भारत सरकार ने आर.ए.वाई. के तहत 1000 करोड़ रु. के प्रारंभिक कोपर्स से क्रेडिट मॉरगेज फंड बनाने का प्रस्ताव किया है जिसमें ई.डब्ल्यू.एस. एल.आई.जी लाभार्थियों को आवास हेतु 5 लाख रु. तक ऋण दिया जायेगा।

[अनुवाद]

भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन

109. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की मीडिया के कथित अनैतिक व्यवहार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय पेस परिषद् को देश में समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार का दायित्व सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय प्रेस परिषद् से उसे और अधिक अधिकार दिए जाने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसके अधिकार-क्षेत्र के अधीन लाए जाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) मीडिया द्वारा अनैतिक कार्यों का सहारा लिए जाने की रिपोर्टें मिली हैं। भारत में समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बरकरार रखने और उनमें सुधार लाने के लिए स्थापित भारतीय प्रैस परिषद, जो एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ने 'पत्रकारिता संबंधी आचरण के मानदण्ड' तैयार किए हैं जिनमें पत्रकारिता के सिद्धांत और आचार-शास्त्र शामिल हैं और जिनका मीडिया द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। हाल ही में, अनेक ऐसी मीडिया रिपोर्टें भी मिली हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कुछ वर्गों को विशिष्ट व्यक्तियों या संगठनों या कॉरपोरेट संस्थाओं के पक्ष में "समाचारों" के रूप में छद्मवेशित अनिवार्यत: "विज्ञापन" प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए हैं। इसे सामान्यतया "पेड न्यूज" के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारतीय प्रैस परिषद ने इस अनैतिक कार्य के मुद्दे का संज्ञान लिया है और पेड न्यूज पर एक रिपोर्ट जारी की है। सरकार ने भारतीय प्रैस परिषद द्वारा पेड न्यूज पर तैयार की गई रिपोर्ट की जांच करने और "पेड न्यूज" की समस्या का समाधान करने हेतु एक व्यापक नीति एवं संस्थागत तंत्र पर अपने विचार देने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रैस परिषद ने, यह पाए जाने के पश्चात कि उससे निदेशों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए प्रैस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत दी गई शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं, प्रैस परिषद् अधिनियम, 1978 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। भारतीय प्रैस परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, कुछेक प्रमुख संशोधनों का उद्देश्य पत्रकारिता संबंधी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकारी विज्ञापनों को वापस लेने, समाचारपत्रों का पंजीयन व संपादक या पत्रकार का प्रत्यायन स्थगित करने जैसी कार्रवाई करने की और अधिक शक्तियों से भारतीय प्रैस परिषद को लैस करना है। प्रस्तावित संशोधनों में भारतीय प्रैस परिषद को सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण के आचरण के संबंध में निदेश देने के लिए शक्ति प्रदान करने की भी परिकल्पना की गयी है।

प्रस्तावित संशोधनों की जांच की जा रही है और स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श करने ओर मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने के पश्चात उनके प्रारूप को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस स्टेशन

110. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों द्वारा मांगी गयी और उन्हें दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में पुलिस थाना नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने "सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण" हेतु एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत प्रति पुलिस थाना 2.00 करोड़ रुपए की दर से नक्सल प्रभावित राज्यों में 400 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार प्रत्येक पुलिस थाने की लागत का 80 प्रतिशत उपलब्ध कराएगी।

(ग) इस योजना के अंतर्गत अभी तक नक्सल प्रभावित राज्यों को 120 करोड़ रु. जारी किए गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	10.00
2.	बिहार	2.00	23.50
3.	छत्तीसगढ़	2.00	20.50
4.	झारखण्ड	2.00	20.50
5.	मध्य प्रदेश	1.00	2.60
6.	महाराष्ट्र	-	3.00
7.	उड़ीसा	1.00	20.00
8.	उत्तर प्रदेश	-	4.50
9.	पश्चिम बंगाल	-	5.40
	कुल	10.00	110.00

[हिन्दी]

कीटनाशकों का उपयोग

111. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री ए. सम्पत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में कतिपय कीटनाशकों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके मूल देश में प्रतिबंधित किया जा चुका है और देश में अवैध रूप से आयात किया जा रहा है; और

(घ) देश में कृषि उद्देश्यों के लिए केवल सुरक्षित कीटनाशकों का उपयोग सुनिश्चित किये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 213 "भारतीय लोकतान्त्रिक युवा संघ बनाम भारत संघ और अन्य में" माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13-05-2011 को देश में एण्डोसल्फान के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया और भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कृषि आयुक्त की अध्यक्षता मे एण्डोसल्फान के उपयोग से मानव जीवन पर कोई गम्भीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या अथवा पर्यावरण प्रदूषण के प्रश्न पर वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की।

न्यायालय द्वारा समिति को एण्डोसल्फान के विकल्प का सुझाव देने का भी निदेश किया गया। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को पूरी तरह से न्यायालय के अंतरित आदेश के कार्यान्वयन के लिए 14-05-2011 को आदेश जारी किया गया है जिसमें सभी विनिर्माणों पर रोक लगायी गयी है।

केन्द्र सरकार ने हाल ही में लिडेंन के सूत्रीकरण के विनिर्माण और आयात पर भी 25 मार्च, 2011 से प्रतिबंध लगाया है और 25 मार्च, 2013 से इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि इसमें स्थायी जैविक प्रदूषण की पहचान की गई है।

इसके पहले केन्द्र सरकार ने 27 कीटनाशकों पर उनके खतरनाक प्रकृति के कारण समय-समय से की गई आधार पर प्रतिबंध लगाया था।

(ग) 67 नाशक जीवमार ऐसे हैं जिन पर कुछ देशों में प्रतिबंध लगाया गया है अथवा जिन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। लेकिन पंजीकरण समिति द्वारा लगाई गई है। लेकिन पंजीकरण समिति द्वारा उनकी जांच और समय-समय पर समीक्षा के आधार पर भारत में उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई है। इन कीटनाशियों का उपयोग अवैध नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर नाशक जीवमार अवशेष मानीटरिंग स्कीम के अन्तर्गत नाशक जीवमार अवशेषों के लिए कृषि

जिन्सों के नमूनों के विश्लेषण से प्रतिबन्धित कृमिनाशियों की उपस्थिति का पता नहीं चलता।

(घ) नाशक जीवमार अधिनियम, 1968 की धारा 5 और अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति (आर. सी.) आवेदनों के विभिन्न मापदण्डों जैसे मानवजाति, पशुओं की सुरक्षा के लिए रासायनिक, जैव प्रभाविता, पैकेजिंग और विषक्ता प्रसंस्करण तथा उससे संबंधित मामलों पर पंजीकरण समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी तरह जांच करने के पश्चात ही कीटनाशकों का पंजीकरण करती हैं। पंजीकरण समिति देश में कीटनाशकों के प्रयोग के लिए इसकी सुरक्षा और जैव प्रभावित सुनिश्चत करने के पश्चात ही इसकी पंजीकरण करती है। देश में केवल पंजीकृत कीटनाशक का ही प्रयोग किया जा सकता है। कीटनाशकों की ताजा वैज्ञानिक सूचना/विकास को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश पंजीकृत कीटनाशकों के विनिर्माण, आयात, परिवहन और बिक्री के लिए उनके विनियमन हेतु लाइसेंस जारी करते हैं।

कृषकों को राजसहायता

112. श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री ए. सम्पत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान देश में किसानों को मुहैया करायी गयी वित्तीय सहायता/राज सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय किसानों को दी जा रही राजसहायता/वित्तीय सहायता की राशि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसका कारण क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) भारत सरकार की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अनेक घटकों के तहत किसानों को वित्तीय राजसहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसानों को प्रदत्त वित्तीय सहायता/राजसहायता की राशि पर संयुक्त राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि किसानों को सहायता के हिस्से के रूप में विभिन्न घटकों के तहत प्रदत्त राजसहायता की राशि से संबंधित आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) विकसित देशों में राजसहायता की राशि अंत:क्षेत्रीय वाणिज्यिक समानता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा रखने के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि विकासशील देशों में वित्तीय राजसहायता का लक्ष्य ढांचागत रूपांतरण लाना अर्थात् कृषि क्षेत्र को एक आधुनिक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र बनाना है। विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाओं के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप समुदायों, तथा जापान द्वारा कृषि को प्रदत्त राजसहायता की राशि के ब्यौरे संलग्न-2 पर दिये गए है।

(घ) सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राजसहायता की राशि के प्रावधान सहित, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर सूचना करने के लिए कृषि के लिए जन संचार माध्यम सहायता, किसान काल सेंटरों आदि जैसी विभिन्न योजनाओं क्रियान्वित कर रही हैं।

विवरण I

कृषि क्षेत्र में राज सहायता की राशि (मौजूदा मूल्यों पर)

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	मदें	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	उर्वरक (कुल)	32490	76603	61264
	(1) स्वदेशी उर्वरक	12950	17969	17580

1	2	3	4	5
	(2) आयात किया गया उर्वरक	6606	10079	4603
	(3) गैर नियंत्रित उर्वरक की बिक्री	12934	48555	39081
2.	सिंचाई**	19930	21879	27863
3.	सीमांत किसानों को तथा सहकारी समितियों को बीजों, तिलहनों, दलहनों, कपास,चावल, मक्के का विकास तथा फसल बीमा के रूप में दो गयी अन्य सहायता$	15500	57708	29428
4.	विद्युत*	20967	29147	30712
5.	खाद्य राजसहायता	31328	43751	58443

टिप्पणी: 2010-11 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं

*विद्युत बोर्डों की सभी राजसहायता राशि शामिल है। विशिष्ट रूप से कृषि क्षेत्र का रख-रखाव नहीं किया गया है।

**राज्य सरकार की सिंचाई पद्धति की नीति के अनुसार किसानों को जल आपूर्ति के लिए दरें नीचे रखी गयी हैं। सकल राजस्व पर अत्यधिक लागतों को आरोपित माना जाए।

$वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की अन्य राजसहायता राशि में शामिल हैं-केन्द्र सरकार के बजट (लेखाशीर्ष) में स्वदेशी आयात किए गए एवं गैर-नियंत्रित उर्वरकों के लिए बांडों के माध्यम से भुगतान, सीमांत किसानों (व्यय बजट 2010-11खण्ड-1) को दी गयी उर्वरक एवं अन्य राजसहायता की राशि शामिल है।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली

विवरण II

विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाओं के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा जापान द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदत्त राजसहायता राशि का ब्यौरा

	संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिकी डालर मिलियन)			यूरोपीय समुदाय (यूरो मिलियन)			जापान (बिलियन येन)		
	2005	2006	2007	2003-04	2004-05	2005-06	2004	2005	2006
मौजूदा कुल एएमएस (अंबर बाक्स)	12937	7742	6259	30880	31214	28427	608	593	517
कम वचन-बद्धता (हरा बाक्स) से छूट संबंधी उपाय	71829	76035	76162	22074	24390.6	40280.2	2098	1916	1802
कम वचन-बद्धता से छूट संबंधी उपाय-उत्पादन सीमित कार्यक्रम (नीला बाक्स) के तहत सीधा भुगतान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	24782	27236	13445	68	65	70

[अनुवाद]

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम

113. **श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकर ने देश भर में डेयरी के विकास के लिए गहन डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के चरण-वार अनुमोदित प्रारूप का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय के अनुसार अब तक जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित निधि को जारी किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इस कार्यक्रम के अधीन अब तक लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) सघन डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) नामक योजना को गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100% अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. दुधारू गोपशुओं का विकास;
2. तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि;
3. लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन, में सुधार करने के लिए अवसंरचना का सृजन;
4. ग्रामीण स्तर पर डेयरी सहकारिता सोसाइटियों को सुदृढ़ बनाते हुए दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;
5. अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना;
6. अपेक्षकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

मार्च, 2005 में योजना में संशोधन किया गया था और संशोधित योजना का नाम "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)" दिया गया था। इस योजना को पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए 50.00 लाख रुपए से कम धनराशि मिली थी। अब धनराशि सीधे क्रियान्वयन एजेंसी यानि राज्य डेयरी परिसंघ/जिला दुग्ध संघ को जारी की जाती है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के तहत अनुमोदित परियोजना परिव्यय और सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) योजना के योजना-वार वित्तीय परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

योजना	योजना आवंटन	वास्तविक व्यय (17.11.2011 तक)
XIII	200.00	80.96
IX	250.00	96.98
X	175.00	132.04
XI	125.00*	149.19

*225.00 करोड़ रु. के सम्मिलित परिव्यय के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना-गुणवत्त तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण के साथ मिला दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य डेयरी परिसंघों/जिला दुग्ध संघ को, धनराशि जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्ताव, अनुदान की वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र, जिस प्रयोजन से इसकी स्वीकृति दी गई है, कार्यनिष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध धन के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

(च) आरंभ से, योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के तहत कुल मिलाकर 19.40 लाख कृषक सदस्य लाभान्वित हुए हैं। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों (कृषक सदस्यों) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के अन्तर्गत 17.11.2011 तक राज्य-वार/परियोजना-वार अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	संस्वीकृति वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	17.11.2011 तक कुल जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1995-96	239.41	221.91
2	आंध्र-I	1995-96	447.32	447.32
	आंध्र-II	2000-01	934.28	934.28
	आंध्र-III	2006-07	557.96	519.16
	आंध्र (आत्महत्या संभावित)	2006-07		216.00
3.	अरुणाचल प्रदेश-I	1993-94	472.70	472.70
	अरुणाचल प्रदेश-II	2009-10	749.03	148.30
4.	असम-I	1994-95	1260.76	909.51
	असम-II	2004-05	588.35	185.87
5.	बिहार-I	1994-95	158.61	158.60
	बिहार-II	1995-96	344.50	344.50
	बिहार-III (कैमूर)	1997-98	67.25	67.25
	बिहार-IV (मधुबनी)	1997-98	66.30	66.30
	बिहार V (नलंदा)	2000-01	447.73	333.33
	बिहार-VI	2001-02	279.78	228.67
6.	झारखण्ड	1995-96	364.50	364.50
	झारखण्ड-II	2005-06	294.29	294.29
	झारखण्ड-III	2010-11	279.91	25.00
7.	गुजरात	1993-94	600.00	600.00
8.	गोवा	2009-10	259.46	170.78

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	1995-96	203.75	203.75
	हरियाणा-II	2005-06	1453.83	1257.67
	हरियाणा-III	2006-07	823.22	823.22
	हरियाणा-IV	2006-07	287.38	222.03
10.	हिमाचल प्रदेश-I	1997-98	805.95	805.95
	हिमाचल प्रदेश-II	2004-05	899.12	899.12
	हिमाचल प्रदेश-III	2010-11	867.72	267.88
11.	जम्मू और कश्मीर-जम्मू	1995-96	635.12	414.69
	जम्मू और कश्मीर-कश्मीर	1995-96	608.17	355.57
12.	केरल	2004-05	288.15	288.15
	केरल-II	2005-06	287.07	287.07
	केरल-III	2005-06	1390.48	1390.48
	केरल-IV	2011-12	1550.93	477.53
	केरल (आत्महत्या संभावित)	2006-07		40.00
13.	कर्नाटक (आत्म संभावित)	2006-07		72.00
14.	मध्य प्रदेश, I&II	1993-94	494.06	494.06
	मध्य प्रदेश, IV	1995-96	475.28	475.28
	मध्य प्रदेश, V	2005-06	228.89	192.44
	मध्य प्रदेश, VI	2005-06	420.58	361.77
	मध्य प्रदेश, VII	2006-07	1422.09	743.27
15.	छत्तीसगढ़-I	1993-94	287.00	287.00
	छत्तीसगढ़-II	2001-02	700.63	264.20
	छत्तीसगढ़-III	2001-02	849.16	305.00
16.	महाराष्ट्र-I	1995-96	1985.24	1985.23

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र-II	1997-98	1941.55	1941.55
	महाराष्ट्र-III	2005-06	1000.30	929.30
	महाराष्ट्र (अत्महत्या संभावित)	2006-07		72.00
17.	मणिपुर	1993-94	224.10	224.10
	मणिपुर-II	2006-07	1023.23	1023.23
	मणिपुर-III	2011-12	553.36	43.58
18.	मेघालय-I	1994-95	141.29	141.29
	मेघालय-II	2000-01	472.52	438.92
19.	मिजोरम-I	1993-94	367.99	367.99
	मिजोरम-II	1995-96	349.19	349.19
	मिजोरम-III	2001-02	199.41	199.41
	मिजोरम-IV	2004-05	254.98	254.98
	मिजोरम-V	2006-07	264.34	210.00
20.	नागालैंड-I	1993-94	668.22	668.22
	नागालैंड-II	1998-99	347.49	347.49
	नागालैंड-III	2004-05	597.30	597.30
	नागालैंड-IV	2010-11	479.10	120.00
21.	उड़ीसा-I	1993-94	631.00	631.00
	उड़ीसा-II	1994-95	443.21	443.21
	उड़ीसा-III	1998-99	621.84	621.84
	उड़ीसा-IV	2000-01	784.53	784.53
	उड़ीसा-V	2005-06	556.16	556.16
	उड़ीसा-VI	2005-06	563.97	563.97
	उड़ीसा-VII	2008-09	702.13	364.33

1	2	3	4	5
	उड़ीसा-VIII	2009-10	730.00	380.58
	उड़ीसा-IX	2010-11	599.71	120.00
	उड़ीसा-X	2011-12	1056.24	32.00
22.	राजस्थान-I	2004-05	590.50	590.50
	राजस्थान-II	2005-06	290.00	112.02
	राजस्थान-III	2005-06	864.10	794.41
	राजस्थान-IV	2007-08	862.74	500.64
23.	सिक्किम-I&II	1993-94	678.47	678.47
	सिक्किम-III	2000-01	368.16	368.16
	सिक्किम-IV	2003-04	1007.43	1007.43
	सिक्किम-V	2008-09	274.45	231.56
24.	तमिलनाडु-I	1995-96	336.63	336.63
	तमिलनाडु-II	2004-05	312.15	287.59
	तमिलनाडु-III	2006-07	554.06	487.45
	तमिलनाडु-IV	2006-07	291.77	189.83
	तमिलनाडु-V	2007-08	867.62	525.00
	तमिलनाडु-VI	2011-12	599.65	189.88
25.	त्रिपुरा-I	1993-94	304.90	304.90
	त्रिपुरा-II	1994-95	319.51	319.51
	त्रिपुरा-III	2006-07	295.14	295.14
26.	उत्तर प्रदेश-I, II &III	1993-94	1242.89	1242.89
	उत्तर प्रदेश-IV (22.02.11 को संशोधित परिव्यय)	2000-01	703.61	679.46
	उत्तर प्रदेश-V	2001-02	1231.32	665.35
	उत्तर प्रदेश-VI	2003-04	290.54	231.69

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल-I	2002-03	1911.18	1911.18
	उत्तरांचल-II	2004-05	532.75	532.75
	उत्तरांचल-III	2011-12	1502.69	223.82
28.	पश्चिम बंगाल-I	1994-95	498.88	498.88
	पश्चिम बंगाल-II	1998-99	140.83	140.83
	पश्चिम बंगाल-III	2004-05	126.04	97.87
	पश्चिम बंगाल-IV	2011-12	879.02	145.66
	कुल		58826.15	45637.30

विवरण IIअ

"गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)" योजना के तहत 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान योजना-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	8वीं योजना के दौरान कुल जारी की गई धनराशि	9वीं योजना के दौरान कुल जारी की गई धन राशि	10वीं योजना के दौरान कुल जारी की गई धन राशि	11वीं योजना के दौरान कुल जारी की गई धन राशि	कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियो (कृषकों की संख्या)
				(लाख रुपए में)		('000' में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.35	120.32	17.90	11.34	0.47
2.	आंध्र प्रदेश	350.00	288.81	573.45	904.50	90.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	350.00	108.50	14.20	148.30	0.85
4.	असम	400.00	399.34	296.04	0.00	25.30
5.	बिहार	260.00	429.51	494.34	119.39	46.69
6.	झारखंड	0.00	0.00	426.80	152.40	20.21
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	170.78	19.56

1	2	3	4	5	6	7
8.	गुजरात	600.00	0.00	0.00	0.00	9.97
9.	हरियाणा	65.00	138.75	811.18	1491.74	59.64
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	655.20	349.92	967.83	42.64
11.	जम्मू और कश्मीर	150.00	399.47	220.79	0.00	5.48
12.	केरल	0.00	0.00	627.07	1856.16	385.97
13.	कर्नाटक	0.00	0.00	72.00	0.00	
14.	मध्य प्रदेश	828.00	200.00	568.59	827.71	37.56
15.	छत्तीसगढ़	0.00	479.20	79.52	140.00	9.74
16.	महाराष्ट्र	449.69	3156.29	772.10	550.00	275.82
17.	मणिपुर	174.10	50.00	160.00	906.81	7.45
18.	मेघालय	135.00	150.21	295.00	0.00	3.74
19.	मिजोरम	321.00	455.35	365.52	239.70	5.52
20.	नागालैंड	600.00	415.71	491.50	225.80	14.10
21.	ओडिशा	1074.21	388.43	1505.51	1529.47	157.94
22.	राजस्थान	0.00	0.00	440.65	1556.92	107.41
23.	सिक्किम	325.00	488.26	958.17	514.19	10.97
24.	तमिलनाडु	335.00	1.63	411.92	1267.83	348.48
25.	त्रिपुरा	338.00	286.41	40.00	255.14	9.56
26.	उत्तर प्रदेश	900.00	746.77	875.23	297.39	129.44
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	2214.71	453.04	88.63
28.	पश्चिम बंगाल	350.00	218.88	42.01	272.35	26.27
	कुल (योजना)	8077.35	9577.04	13124.12	14858.79	1939.80
	अन्य (विविध)	18.65	120.96	79.88	60.21	
	कुल योग	8096.00	9698.00	13204.00	14919.00	

[हिन्दी]

भारतीय कृषि सेवा का सृजन

114. **श्री धर्मेन्द्र यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय परिसघों, कृषकों मंचों, शोधवेताओं तथा कृषि संगठनों ने भारतीय कृषि सेवा के एक पृथक संवर्ग के सृजन की मांग की है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विभिन्न समितियों, आयोगों ने भी अन्य संगठित संवर्ग सेवाओं की तर्ज पर एक पृथक भारतीय कृषि सेवा बनाए जाने की भी सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कृषि को उद्योग का दर्जा दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय कृषि सेवा की संरचना के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया था और 1990 के दशक में आंतरिक राज्य परिषद की एक उप-समिति के द्वारा इसे मंजूर नहीं किया गया था।

बाद में 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय कृषि सेवा की संरचना की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा इस सिफारिश की जांच की गई थी, परन्तु दक्षताओं की समरूपता के अभाव में इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया, जिसके कारण विभिन्न विषयों से संबंधित कार्मिकों की अन्त: परिवर्तनीयता व्यवहार्य नहीं थी। तथापि, छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक इस प्रस्ताव को अस्थागित रखने का निर्णय लिया गया।

छठें केन्द्रीय वेतन आयोग ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश की पुन: पुष्टि नहीं की।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादियों का भाग निकलना

115. **श्री रामसुन्दर दास:**
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आतंकवादियों के पुलिस-अभिरक्षा तथा अदालत-परिसर से भाग निकलने की कई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत होने की पुष्टि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन राज्यों में अभी तक कितने आतंकवादियों को पुन: गिरफ्तार किया गया; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) (क) से (ङ) इस प्रकार के आंकड़े केन्द्रीयकृत तौर रखे जाते हैं क्योंकि भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूचित के अनुसार 'कानून एवं व्यवस्था' तथा 'कारगार' राज्य के विषय हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सूचना निम्न प्रकार से हैं:–

(1) अपनी सजा काट के तथा प्रत्यावासित किए जाने के लिए प्रतीक्षारत तीन आतंकवादियों के भाग निकलने की सूचना दिनांक 1.1.2010 को बंदी केन्द्र लामपुर, दिल्ली से दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में पुलिस थाना, कोतवाली, दिल्ली में विदेशी विषयक अधिनियम की धारा 14 के तहत दिनांक 2. 1.2010 को एक मामला, एफ आई आर सं. 3/10 दर्ज किया गया तथा दिल्ली पुलिस के विशेष सैल ने इसकी जांच शुरू कर दी थी। उपर्युक्त मामले में मेघालय पुलिस के एक उप निरीक्षक दिनोमणी सिंह, जो सेवा सदन, लामपुर में तैनात था, की मिलीभगत/लापरवाही सामने आई है तथा इसकी जांच की जा रही है।

(2) दो आतंकवादी लखनऊ पुलिस की हिरासत से भाग निकले। लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। अभी तक उन दोनों को फिर से पकड़ा नहीं जा सका है।

(च) ऐसी घटनाओं से निपटने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार ऐसी तथा अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य बलों के क्षमता-निर्माण हेतु आसूचना, सूचना तथा धनराशि मुहैया कराती है।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

116. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ङ) देश में डेयरी क्षेत्र में संलग्न सरकारी एवं निजी अभिकरणों की संख्या कितनी है;

(च) देश में दुग्ध सहकारिताओं की संख्या और दुग्ध क्षेत्र के विकास में उनकी हिस्सेदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र के संवर्धन तथा दूध की कमी को पूरा करने के लिए दुग्ध सहकारिताओं और डेयरी सहकारिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन कुल मिलाकर पर्याप्त है। तथापि कमी के मौसम में तरल दूध की कमी को दूध पाउडर/दुग्ध वसा के पुनर्गठन द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादन में 2006-07 के 108.6 मिलियन टन की तुलना में 2010-11 में 116. 2 मिलियन टन (अनुमानित) के साथ 7% की वृद्धि हुई है। दुग्ध उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा और प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) विभाग के पास दुग्ध उत्पादन में संलग्न सार्वजनिक और निजी एजेंसियों की संख्या संबंधी कोई सूचना नहीं है।

(च) देश में 2009-10 के दौरान दुग्ध सहकारिता की संख्या लगभग 1.40 लाख थी। सहकारिता क्षेत्र द्वारा लगभग 8% दुग्ध उत्पादन को हैंडल किया जाता है। सहकारिताओं के दुग्ध संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूध की कमी को पूरा करने के लिए डेयरी विकास योजनाएं नामत: सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सहाकारिताओं को सहायता, राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना और आहार और चारा विकास योजना क्रियान्वित कर रहा है।

विवरण I

गत तीन वर्षों (2007-08 से (2009-10) के दौरान दुग्ध उत्पादन की राज्यवार वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2007-08	% वृद्धि	2008-09	% वृद्धि	2009-10	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8.925	12.4	9.570	7.2	10.429	9.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.032	-34.7	0.024	-25.0	0.026	8.3
3.	असम	0.752	0.1	0.753	0.1	0.756	0.4
4.	बिहार	5.783	6.1	5.934	2.6	6.124	3.2

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	छत्तीसगढ़	0.866	2.0	0.908	4.8	0.956	5.3
6.	गोवा	0.058	1.8	0.059	1.7	0.059	0.0
7.	गुजरात	7.911	5.0	8.386	6.0	8.844	5.5
8.	हरियाणा	5.442	1.4	5.745	5.6	6.006	4.5
9.	हिमाचल प्रदेश	0.874	0.2	0.884	1.1	0.836	-5.4
10.	जम्मू और कश्मीर	1.519	8.5	1.565	3.0	1.604	2.5
11.	झारखंड	1.442	2.9	1.466	1.7	1.463	-0.2
12.	कर्नाटक	4.244	2.9	4.538	6.9	4.822	6.3
13.	केरल	2.253	6.3	2.441	8.3	2.537	3.9
14.	मध्य प्रदेश	6.572	3.1	6.855	4.3	7.167	4.6
15.	महाराष्ट्र	7.210	3.3	7.455	3.4	7.679	3.0
16.	मणिपुर	0.078	1.3	0.078	0.0	0.078	0.0
17.	मेघालय	0.077	2.7	0.077	0.0	0.078	1.3
18.	मिजोरम	0.017	6.3	0.017	0.0	0.011	-35.3
19.	नागालैंड	0.045	-32.8	0.053	17.8	0.078	47.2
20.	ओडिशा	1.625	13.6	1.598	-1.7	1.651	3.3
21.	पंजाब	9.282	1.2	9.387	1.1	9.389	0.0
22.	राजस्थान	9.536	1.7	9.491	-0.5	9.548	0.6
23.	सिक्किम	0.049	0.0	0.049	0.0	0.046	-6.1
24.	तमिलनाडु	5.586	0.5	5.673	1.6	5.778	1.9
25.	त्रिपुरा	0.091	2.2	0.096	5.5	0.100	4.2
26.	उत्तर प्रदेश	18.861	4.2	19.537	3.6	20.203	3.4
27.	उत्तराखंड	1.221	0.7	1.230	0.7	1.377	12.0
28.	पश्चिम बंगाल	4.087	2.6	4.176	2.2	4.300	3.0

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.024	4.3	0.026	8.3	0.024	-7.7
30.	चंडीगढ़	0.047	2.2	0.047	0.0	0.046	-2.1
31.	दादरा और नगर हवेली	0.005	0.0	0.010	100.0	0.010	0.0
32.	दमन और दीव	0.001	0.0	0.001	0.0	0.001	0.0
33.	दिल्ली	0.282	-2.4	0.408	44.7	0.466	14.2
34.	लक्षद्वीप	0.002	0.0	0.002	0.0	0.002	0.0
35.	पुदुचेरी	0.046	2.2	0.046	0.0	0.046	0.0
	अखिल भारत	104.845	3.9	108.585	3.6	112.540	3.6

विवरण II

डेयरी सहकारी समितियां - (2009-10)

राज्य/संघ शासित राज्य	संगठित डेयरी सहकारी समितियों की संख्या (संचयी)
1	2
आंध्र प्रदेश	4,911
असम	66
बिहार	8,299
छत्तीसगढ़	751
दिल्ली	
गोवा	179
गुजरात	13,890
हरियाणा	6,881
हिमाचल प्रदेश	795
जम्मू और कश्मीर	**
झारखंड	50
कर्नाटक	11,902
केरल	3,632
मध्य प्रदेश	5,729
महाराष्ट्र	22,217
नागालैंड	47
उड़ीसा	3,203
पुदुचेरी	101
पंजाब	6,904
राजस्थान	15,956
सिक्किम	287
तमिलनाडु	10,038
त्रिपुरा	84
उत्तर प्रदेश	21,343
पश्चिम बंगाल	2,962
अखिल-भारत	1,40,227

स्रोत: एनडीडीबी

इसमें पूर्व गठित पारम्परिक समितयां और तालुका संघ शामिल हैं।

** रिपोर्ट नहीं।

कृषि उपज पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

117. श्री प्रेम दास राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उपज में अत्यधिक कमी के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और फसल-वार इसका निष्कर्ष क्या रहा; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के जलवायिक दशा में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। जलवायु परिवर्तन पर क्रमबद्ध अध्ययनों तथा कृषि के विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम और हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने मवेशी, मत्स्य, बागवानी और वानिकी के विभिन्न स्थानों पर अध्ययन के उद्देश्य से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में "नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट आन क्लाईमेट चेंज" नामक अध्ययन प्रारंभ किया है। जलवायु परिवर्तन के आकलन तथा कृषि उत्पादकता पर उसके प्रभाव एक सतत प्रक्रिया है और इसके प्रभावों पर निश्चित और पूर्ण प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तथापि एनएनपीसीसी के तहत किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादों पर भविष्य में प्रभाव डाल सकता है। एनएनपीसीसी के क्षेत्रवार और फसलवार मुख्य निर्णय अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दों, कृषि तथा खाद्यान्न क्षेत्रों में प्रशमन के दृष्टिगत, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों नामतः कृषि में बृहत प्रबंधन (एमएमए);, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन (एनएमएमआई) आदि का तेजी से कार्यान्वयन आरंभ किया है।

विभिन्न फसलों और क्षेत्रों पर तापमान, वर्षा पैटर्न के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर "नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट आन क्लाईमेट चेंट (एनएनपीसीसी) के तहत देश के विभिन्न स्थानों पर किए गए विभिन्न अध्ययनों की प्रमुख खोज निम्नलिखित है:-

1. दक्षिण-पश्चिम मानसून खरीफ फसल जो खाद्यान्न उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है और देश में तिलहन उत्पादन का 65 प्रतिशत है, के लिए महत्वपूर्ण है। देश में अंतः वार्षिक मानसून वर्षा विभिन्नता के कारण देश में सूखा और बाढ़ की स्थिति बनती है, जो खाद्यान्न उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित करती है।

2. वर्ष 1901 से वर्ष 2005 की अवधि के डाटा का विश्लेषण से पता चलता है कि वार्षिक तापमान में 0.5. डिग्री सेंटीग्रेट की वृद्धि हुई है। वर्ष 1875 से वर्ष 2004 की अवधि हेतु हमारे देश का औसत वार्षिक तामान का दीर्घावधि अंतर 0.03. डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दशक के क्रम में था जबकि वर्ष 1971 से 2004 की अवधि हेतु यह 0.22. डिग्री सेंटीग्रेट प्रति दशक के लगभग था जो कि हाल के दशकों में अधिक गर्मी दर्शाता है।

3. देश में 47 स्थानों का दीर्घावधि (1952-2007) के औसत वार्षिक तापमान रुझान के विश्लेषण ने केन्द्रीय और दक्षिण भागों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वृद्धि का रुख दर्शाया था जबकि गुजरात, कोंकण प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के त्तर-पश्चिम भागों में घटता हुआ रुख महसूस किया गया है।

4. तापमान में वृद्धि से फसल अवधि में कमी, फसल रेसपीरेशन दर में वृद्ध फसल और कीटों के मध्य संतुलन का प्रभावित होना, मृदा में पोषक खनिज तत्वों में कमी, उर्वरक उपयोग दक्षता में कमी ओर वाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि हो सकती है।

5. कार्बन डाई आक्साइड में वृद्धि, हालांकि कुछ फसलों जैसे, गेहूं, चावल, फलीदार फसलों और तिलहन के लिए लाभदायक है। मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना जैसी फसलों को बढ़ी हुई कार्बन डाई आक्साइड से कोई लाभ नहीं होता।

6. उग्र मौसम घटनाएं अपने तरीके से फसलों को प्रभावित करती है महाराष्ट्र राज्य में प्याज की फसल सम्पूर्ण रूप से असफल होने पर एक अध्ययन किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि बल्ब फार्मेशन अवधि में उच्च्व तापमान के कारण वर्ष 1997 (रबी) के दौरान और वर्ष 1998 (खरीफ) के दौरान उचच वर्षा के कारण पर्पल ब्लाच और स्टेम्फिलियम

ब्लाईट रोग फैल गया था जो प्याज की फसल के असफलता हेतु एक प्रमुख कारण था।

7. ऐसा अवलोकन में पाया गया है कि नवम्बर से मार्च माह के दौरान तापमान में वृद्धि के कारण हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन क्षेत्रों में ठण्ड के अवधि में कमी के कारण सेब-बेल्ट ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर स्थानांतरित हो गया है। लाहौल और स्फीति और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्र सेब की खेती के तहत नए क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।

[हिन्दी]

नक्सलवादियों द्वारा विस्फोटक का उपयोग

118. **श्री गणेश सिंह:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में उद्योगों द्वारा प्रापण किए गए विस्फोटकों का नक्सलवादियों द्वारा उपयोग किए जाने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा विस्फोटकों की नक्सलवादियों द्वारा तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) (क) से (घ): देश के विभिन्न भागों में आई ई डी विस्फोट करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के छिपने के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। तथापि, राज्य सरकारों, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विस्फोटकों तथा औद्योगिक घरानों से इनके रिसाव के बीच कोई स्पष्ट संबंध होने के संकेत नहीं मिले हैं।

(ङ) दो केन्द्रीय विधान अर्थात् विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में विस्फोटकों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने तथा उनके रिसाव/चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। पुलिस और लोक व्यवस्था, राज्य के विषय होने के नाते संबंधित राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे उक्त अधिनियमों के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें। भारत सरकार स्थिति पर गहनता से निगरानी रखती है।

कृषि उत्पादों की बर्बादी

119. **राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्रीमती रमा देवी:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हारवेस्टिंग इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि की बर्बादी के संबंध में दी गयी एक रिपोर्ट से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) (क) जी हां। पशुधन उत्पाद एवं प्रमुख फसलों की उपज की मात्रा तथा सस्योत्तर नुकसान का अध्ययन किया गया था। अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर 2010 में प्रस्तुत की गई थी।

(ख) भारत के 106 जिलों में 46 फसलों तथा जिन्सों के संबंध में सस्योत्तर नुकसान के आकलन पर सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 5 अनाज, 4 दलहन, 6 तिलहन, 8 फल, 8 सब्जियां, 8 रोपण फसलें तथा मसालें 6 पशुधन उत्पाद तथा गुड़ शामिल थे। राष्ट्रीय स्तर पर उपज की मात्रा तथा सस्योत्तर नुकसानों के सम्पूर्ण आंकलनों के लिए खेत में पूछताछ तथा प्रेक्षणों द्वारा एकत्रित आंकड़ों की संवीक्षा तथा सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया था।

नुकसानों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न जिंसों की कटाई, संग्रहण, गहाई, ग्रेडिंग/छंटाई, ओसाई/क्लीनिंग, सुखाना, पैकेजिंग, परिवहन तथा भण्डारण जैसे परिचालनों पर विचार किया गया।

रिपोर्ट में मुख्यत:फार्म भण्डारण, परिवहन तथा प्रसंस्करण में होने वाले नुकसान शामिल हैं जोकि सस्योत्तर रखरखाव की प्रमुख अवस्थाएं हैं। कई अन्य सस्योत्तर घटक हैं जो शामिल नहीं किए गए। फार्म से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए छोटे व्यापारियों, थोक विक्रेताओं तथा परचूनियों के जरिए लम्बी आपूर्ति श्रृंखला है। प्रत्येक स्तर पर नुकसान की संभावना होती है तथापि इस अध्ययन में उन्हें शामिल नहीं किया गया।

आकलित औसत वार्षिक नुकसान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सस्योत्तर नुकसान को कम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकास के लिए अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी आंरभ की है।

ऐसा करते समय रिपोर्ट की उपलब्धियों को ध्यान में रखा गया है तथा मंत्रालय द्वारा नीति तैयार करने में भी उपयोग में लाया जाता है।

विवरण

वर्ष 2005-07 के दौरान भारत में कटाई तथा कटाई उपरान्त नुकसानों का आकलन

फसल/जिंस	आकलित नुकसान %
1	2
(i) अनाज	
1. धान	5.2
2. गेहूं	6.0
3. मक्का	4.1
4. बाजरा	4.8
5. ज्वार	3.9
(ii) दलहन	
1. अरहर	5.4
2. चना	4.3
3. उड़द	6.1
4. मूंग	5.5
(iii) तिलहन	
1. सरसों	8.9
2. कपास बिनौला	2.8
3. सोयाबीन	6.2
4. कुसुम	3.7
5. सूरजमुखी	4.5
6. मूंगफली	10.1
(iv) फल	
1. सेब	12.3
2. केला	6.6
3. नींबू वर्गीय फल	6.3
4. अंगूर	8.3
5. अमरूद	18
6. आम	12.7
7. पपीता	7.4
8. चीकू	5.8
(v) सब्जियां	
1. बंदगोभी	6.9
2. फूलगोभी	6.8
3. मटर	10.3
4. खुम्बी	12.5
5. प्याज	7.5
6. आलू	9

1		2
7.	टमाटर	12.4
8.	टैपियोका	9.8
(vi) नकदी फसलें तथा मसाले		
1.	सुपारी	7.9
2.	काली मिर्च	3.9
3.	काजू	1.1
4.	मिर्च	5.6
5.	नारियल	5.4
6.	धनिया	7.3
7.	गन्ना	8.7
8.	हल्दी	7.4
(vii) पशुधन		
1.	अण्डे	6.6
2.	अन्त:स्थलीय मछली	6.9
3.	समुद्री मछली	2.9
4.	मांस	2.3
5.	मुर्गे का मांस	3.7
6.	दूध	0.8

*अंडा उत्पादन बिलियन में, प्रति हजार अण्डे मूल्य रुपए में

पुलिस द्वारा अत्याचार

120. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज पुलिस अत्याचार के मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सुलझाए गए, अनसुलझे मामलों की कुल संख्या तथा इन सभी मामलों को सुलझाए जाने के लिए उठाए गए कदमों तथा उक्त के दौरान आरोपित व्यक्तियों पर की गयी कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों तथा उनके परिवारों को मुआवजा दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल मुआवजा सहित मुआवजे के भुगतान के लिए राज्य-वार क्या मानदंड हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) (क) और (ख) वर्ष 2010 और 2011 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) द्वारा पुलिस अत्याचार के संबंध में दर्ज किए गए कुल मामलों की राज्यवार संख्या के साथ-साथ सुलझाए गए और अनसुलझे मामलों की कुल संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एन एच आर सी द्वारा संबंधित राज्य सरकारों/पुलिस संगठनों से अनुलझे मामलों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। उक्त अवधि के दौरान एन एच आर सी ने किसी भी पुलिस कार्मिक के विरूद्ध कार्रवाई की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार, मानवाधिकार आयोग संबंधित सरकार अथवा प्राधिकारी को मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की सिफारिश करता है। एन एच आर सी ने पुलिस शीर्ष के तहत वर्ष 2010 के दौरान दर्ज किए गए 40 मामलों में 81,55,000 रुपए और वर्ष 2011 के दौरान दर्ज किए गए 03 मामलों में 8,25,000 रुपए की मौद्रिक राहत/मुआवजा का भुगतान करने की सिफारिश की थी। उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार 12 मामलों में 12,20,000 रुपए और 01 मामले में 50,000 रुपए के भुगतान से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनके राज्यवार-ब्यौरे सलंग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है और यह राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि पुलिस अत्याचार को रोके और उसका न होना सुनिश्चित करे। तथापि, केन्द्र सरकार भी परामर्शी-पत्र जारी करती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिशानिर्देश और सिफारिशें जारी करता है।

विवरण I

वर्ष 2010 और 2011 (31.10.2011 तक) के दौरान पुलिस अत्याचार के विरूद्ध दर्ज मामलों और सुलझाए गए तथा अनसुलझे मामलों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(14/11/2011 के आंकड़े)

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	दर्ज मामलों की कुल संख्या	सुलाझाए गए	अनसुलझे	दर्ज मामलों की कुल संख्या	सुलझाए गए	अनसुलझे
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	270	232	38	281	236	45
अरूणाचल प्रदेश	11	7	4	7	5	2
असम	128	56	72	130	33	97
बिहार	981	959	22	879	769	110
गोवा	20	20	0	19	11	8
गुजरात	343	326	17	239	205	34
हरियाणा	1277	1252	25	1397	1192	205
हिमाचल प्रदेश	39	37	2	22	16	6
जम्मू और कश्मीर	71	64	7	103	30	73
कर्नाटक	185	172	13	128	116	12
केरल	104	95	9	67	59	8
मध्य प्रदेश	662	637	25	572	520	52
महाराष्ट्र	500	459	41	461	388	73
मणिपुर	40	13	27	34	12	22
मेघालय	17	9	8	13	7	6
मिजोरम	5	1	4	42	2	2
नागालैंड	3	1	2	0	0	0
ओडिशा	240	226	14	403	338	65
पंजाब	375	367	8	297	275	22
राजस्थान	917	896	21	797	730	67
सिक्किम	0	0	0	3	2	1
तमिलनाडु	485	441	44	493	424	69

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	12	10	2	13	5	8
उत्तर प्रदेश	19014	18716	298	17680	15793	1887
पश्चिम बंगाल	252	229	23	315	267	48
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	6	3	3
चंडीगढ़	43	43	0	51	44	7
दादरा और नगर हवेली	2	2	0	3	3	0
दमन और दीव	3	3	0	6	6	0
दिल्ली	1836	1814	22	2133	1696	437
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	12	12	0	18	15	3
छत्तीसगढ़	123	101	22	145	92	53
झारखंड	505	477	28	466	395	71
उत्तराखंड	606	588	18	482	380	102
कुल	29082	28266	816	27667	24069	3598

विवरण II

सिफारिश की गई मौद्रिक राहत/मुआवजा के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क. वर्ष 2010 के दौरान
(14/11/2011 के आंकड़े)

क्र.सं.	पीड़ित व्यक्ति का नाम	सिफारिश की गई धनराशि (लाख रुपए में)	स्थिति	राज्य का नाम
1	2	3	4	5
1.	मुंगी दिनेश पुत्र प्रभाकर	1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई	आन्ध्र प्रदेश
2.	असोधिनागी रेड्डी	1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई	आन्ध्र प्रदेश
3.	मालोती कलन्दी पत्नी बादल कलंदी	1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई	असम
4.	नजरूल इस्लाम पुत्र स्व. ओतरूल्लाह शेख	1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई	असम

1	2	3	4	5	6	7
5.	संजोय मजूमदार		0.25	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
6.	तल्ला जोराम		0.20	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
7.	बासु शेख उर्फ गाजीपुर रहमान पुत्र अक्के अली		3.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
8.	पहचानरहित एन डी एफ बी कॉडर		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
9.	अलाउद्दीन शाह जमाल प्रोमटोन संगमा, जहांगीर, सलीम		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
10.	राजेश बासुमतारी		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		असम
11.	जावेद अहमद पुत्र स्व. गुलाम अहमद एवं अन्य		0.10	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई		बिहार
12.	लखूभाई उर्फ बाबूभाई हमीरभाई उर्फ बलसारा		1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई		गुजरात
13.	भावेश जी रामूजी ठाकुर		1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		गुजरात
14.	अमित पुत्र मेनपाल		0.25	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		हरियाणा
15.	मनोज पुत्र मीरा एवं राजेन्द्र		0.25	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		हरियाणा
16.	सुनील गोराई उर्फ अमर सिंह पुत्र दालू जी		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		झारखंड
17.	दीपक सोनी उर्फ राजीव सिंह उर्फ पुत्र बैजनाथ पी		1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		झारखंड
18.	सम्पत पुत्र रहमान		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		केरल
19.	अन्नू खान पुत्र कल्लन खान		2.50	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		मध्य प्रदेश
20.	गिरम सिंह पुत्र भाल सिंह भील		1.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		मध्य प्रदेश
21.	योगेश नामदेव ढांगर पुत्र नामदेव जनकीराम ढांगर		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		महाराष्ट्र
22.	टोनी पीटर खरबीथाई पुत्र बी लिंगदोह		5.00	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		मेघालय
23.	लालडांगलियाना		0.50	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		मिजोरम

घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

121. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना सहित खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं के अधीन बदरंग, सड़े हुए कीड़े-मकोड़े तथा फफूंद लगे हुए खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) खाद्यान्नों के खराब होने तथा राज्यों को उनकी आपूर्ति करने को लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी हैं; और

(घ) उक्त योजना के अधीन अच्छी गुणवत्ता के खाद्यानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) (क) से (ग) खाद्य और

सार्वजनिक वितरण विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वर्तमान सहित पिछले 3 वर्षों में आपूर्ति करने के लिए जारी गेहूं और चावल की खराब गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम चला रहा है, उसने भी सूचना दी है कि उसे भी पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीमों के अधीन खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में उड़ीसा और गोवा राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग ने भारतीय खाद्य निगम से कहा है कि वह आईसीडीएस स्कीम के अधीन अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्याकलापों को आवश्यक अनुदेश जारी करें। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने इन कल्याण योजनाओं के संबंध में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्व भारतीय खाद्य निगम को फिर से बताया है। गोवा के मामले में क्षेत्र प्रबंधक, गोवा में सूचित किया है कि गोवा सरकार के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण करके स्टॉक जारी किए गए थे और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी तथा जारी स्टॉक की गुणवत्ता से संतुष्ट होने के बारे में प्रेषित रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किए थे। उड़ीसा के मामले के बारे में भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि केवल उचित औसत किस्म का स्टॉक जारी किया गया था और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से उठान किए गए स्टॉक की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट होन के संबंध में उनसे में प्रमाण-पत्र लिया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो मध्याह्न भोजन योजना चलाता है, ने सूचित किया है कि कुछ राज्यों में विभिन्न स्कूलों में खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न मिलने की घटना वर्ष 2010-11 के दौरान उनके ध्यान में आई है जब वे इन राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए संयुक्त समीक्षा बैठकों के जरिए अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने यह बात ब्रीफिंग के दौरान इन राज्य सरकारों में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों और भारतीय खाद्य निगम के ध्यान में लाई थी। इसके बाद यह बात संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों और जिले के मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकारियों तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को भी बताई थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए विहित पद्धति के अनुसार संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए कि उठान किए जा रहे खाद्यान्न उचित औसत किस्म के हों।

उपर्युक्त मामले में भी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारतीय खाद्य निगम को पत्र लिखा है कि वे मध्याह्न भोजन योजना के अधीन आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में बेहद सतर्क रहें क्योंकि यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मामले के बारे में भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही मामले की जांच की है और सूचित किया है कि कोलकाता, वर्द्धमान, मालदा, मुर्शिदाबाद और हुगली आदि जैसे पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के अधीन केवल उचित औसत किस्म का स्टॉक जारी किया गया था। तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के अधीन अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण देश विभिन्न क्षेत्रीय और जिला कार्यों को मौजूदा अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए पुन: पत्र लिखा है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य सभी खाद्यान्न आधारित कल्याण स्कीमों के लिए कीट जंतुबाधा से मुक्त केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी किए गए हैं, निम्नलिखित पद्धति विहित की गई है और समय-समय पर राज्य सरकारों/भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी किए गए हैं:

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कीट जंतुबाधा से मुक्त केवल अच्छी गुणवत्ता के और खाद्य अपमिश्रम निवारण मानकों के अनुरूप खाद्यान्न जारी किए जाएं।

(ii) राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक का उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टॉक में से खाद्यान्नों के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिए और सीलबंद किए जाएं।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टॉक की सुपुर्दगी लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक से नीचे के पद का अधिकारी तैनात न किया जाए।

(v) राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं और मंत्रालय के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा औचक जांच की जाती है।

(vi) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण श्रृंखला की विभिन्न अवस्थाओं में ढुलाई

और भंडारण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता अपेक्षित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बनी रहे।

(7) जहां विकेन्द्रीकृत खरीद प्रचालन में है वहां राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी खाद्यान्नों की गुणावत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन वांछित मानकों को पूरा करे।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत जारी किए गए खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

वर्ष	राज्य		शिकायत	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2		3	4
सार्वजनिक वितरण प्रणाली				
2011-12 (चालू वर्ष)	पश्चिम बंगाल	1.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों को सड़े गेहूं और चावल की आपूर्ति के संबंध में श्री जसवंत सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा से एक शिकायत प्राप्त हुई।	शिकायत की जांच करवाई गई। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि स्टाक की संयुक्त जांच और नमूनें एकत्र करने के बाद राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न जारी किए जाते हैं। खाद्य भंडारण डिपु, देवग्राम (सिलीगुड़ी) में खाद्य स्टाक की जांच के दौरान विश्लेषण करने पर ग्रेड से नीचे के/जारी न करने योग्य स्टाक पाए गए। इस गलती के लिए तत्कालीन क्षेत्र प्रबंधक, प्रबंधक (डिपु) और खाद्य भंडारण डिपु के प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण), देवग्राम (सिलीगुडी)को भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरोप-पत्र दिए गए हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
		2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित छत्तीसगढ़ से प्राप्त खराब गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति के संबंध में प्रधान सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से नवम्बर, 2011 के प्रथम सप्ताह एक शिकायत प्राप्त हुई।	मामले को जांच के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को तुरन्त ही प्रेषित कर दिया गया है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसकी प्राथमिकता आधार पर पूरी तरह से जांच की जा रही है।
		3.	देश के जनजाति क्षेत्रों में सड़े हुए खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में श्रीमती बिंद्रा करात, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने दिनांक 24.3.2011 को राज्य सभा में शून्य काल में मामले को उठाया था।	मामले की जांच की गई और आंध्र प्रदेश के 4 जनजाति जिलों, महाराष्ट्र में 2 जिलों और मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक-एक जिलों में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि दन सभी जिलों में चावल के नमूने जारी करने वाले मानदण्डों के भीतर ही थे और तदनुसार, माननीय संसद सदस्य को सूचित कर दिया गया।

1	2	3	4
2010-11	बिहार	1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फुलवारी शरीफ और दीघाघाट से भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में श्री श्याम रजक, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, बिहार सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई।	मामले की जांच कार्रवाई गई और इसे सही नहीं पाया गया। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को पुन: अनुदेश जारी किए गए कि राज्य सरकार के साथ संयुक्त जांच/नमूना लेने के बाद राज्य सरकार को केवल उचित औसत गुणवत्ता वाले खाद्यान्न जारी किए जाएं।
		2. बिहार के माननीय मुख्य मंत्री के दौरे के दौरान पूर्वी चम्पारण जिले, बिहार में बरहरवा लखनसेन की उचित दर दुकानों में खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के निदेशक, में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम को जुलाई, 2010 को संबोधित प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई।	मामले की जांच की गई और इसे सही नहीं पाया गया।
	छत्तीसगढ़	राज्य एजेंसियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत टूटे अनाजों के साथ मिश्रित घटिया चावल की आपूर्ति के संबंध में दिनांक 8.8.2010 को श्री अब्दुल रजाक कुरेशी, राज्य अध्यक्ष, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ से एक शिकायत प्राप्त हुई।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई, जिन्होंने उचित दर दुकानों से नमूनें एकत्र किए और गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के तहत निर्धारित टूटे अनाजों को सीमा से थोड़ा बाहर पाया। किन्तु ये सभी खाद्य अपमिश्रण निवारण मानक के भीतर थे और क्षतिग्रस्त नहीं थे। इस पर भी राज्य सरकार से इस संबंध में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
	महाराष्ट्र	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के संबंध में जून, 2010 को उपसभापति, पूर्वोत्तर जिला कांग्रेस समिति, मुम्बई, महाराष्ट्र से एक शिकायत प्राप्त हुई।	चूंकि शिकायत सामान्य किस्म की थी इसलिए इस विभाग ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों को जारी वाले खाद्यान्नों को जारी करने के समय भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया विधि की जानकारी शिकायतकर्ता को दे दी है। तत्पश्चात् किसी व्यक्तिगत मामले के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
	उत्तर प्रदेश	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरित खराब	मंत्रालय के एक अधिकारी को भेज कर मामले की जांच करवाई गई, जिन्होंने यह सूचित किया कि

1	2	3	4
		गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में बबेरू गांव, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश के निवासियों से एक शिकायत प्राप्त हुई।	शिकायत सही नहीं पाई गई है। उचित दर दुकानों से एकत्र किए गए सभी 8 नमूने (गेहूं के 4 और चावल के 4) जारी करने वाले मानदण्डों के भीतर पाए गए।
2009-10	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	खाद्य भंडारण डिपु, घेराव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में श्री जयकिशन, विधायक से जून, 2009 में एक शिकायत प्राप्त हुई।	मंत्रालय के एक अधिकारी को भेज कर मामले की जांच करवाई गई। खाद्य भंडारण डिपुओं से एकत्र किए गए 15 नमूनों (9 गेहूं के और 6 चावल के) में से 10 नमूने (7 गेहूं के और 3 चावल के) एक समान विनिर्दिष्टियों की सीमा के बाहर पाए गए। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 3 प्रबंधकों किया है कि 3 प्रबंधकों (गुण-नियंत्रण), एक सहायक ग्रेड-1(डीपु) और डिपु प्रभारी के विरूद्ध पहले ही अनुशासनिक कर्रवाई की गई है।

पशुधन की गणना

122. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में पशुधन की गणना करवाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) वर्तमान मे प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक प्रजनन पद्धतियों द्वारा दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) (क) से (ग) सरकार ने 2007 में विगत पशुधन गणना की थी जो 18वीं पशुधन गणना थी। 18वीं गणना-2007 के निष्कर्ष इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रजातियां	पशुओं की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	गोपशु	199075
2.	भैंस	105343
3.	याक	83
4.	मिथुन	264
5.	बोवाईन	304765
6.	भेड़	71558
7.	बकरी	140537
8.	घोड़े और टट्टू	611
9.	खच्चर	137
10.	गधा	438
11.	ऊंट	517
12.	सूअर	111134
13.	कुत्ते	19087
14.	खरगोश	424
15.	कुक्कुट	648830

18वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजना/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है:

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

केन्द्रीय गोपशु प्रजनन सूची

केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान

केंद्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना

इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परियोजना आधारित संस्थान और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान/नेटवर्क परियोजना के जरिए देश के विभिन्न कृषि जलवायविक क्षेत्रों के पशुधन की विभिन्न प्रजातियों के उन्नयन के लिए अनुसंधान कार्यक्रम चलाती है।

विवरण

दुधारू पशुओं की संख्या-2007 $

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्णक्रित गाय	स्वदेशी गाय	कुल गाय	दुधारू भैंस	दुधारू वोवाईनों की कुल संख्या (गाय+भैंस)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	828	2233	3061	6224	9285
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	90	96	1	96
3.	असम	153	2533	2686	148	2834
4.	बिहार	836	2990	3826	2846	6672
5.	छत्तीसगढ़	59	2360	2418	316	2734
6.	गोवा	8	16	24	16	41
7.	गुजरात	525	2004	2529	4390	6919
8.	हरियाणा	268	340	608	2704	3312
9.	हिमाचल प्रदेश	409	460	869	448	1317
10.	जम्मू और कश्मीर	678	592	1270	551	1821
11.	झारखण्ड	67	2147	2214	412	2626
12.	कर्नाटक	1259	2656	3915	2374	6289
13.	केरल	745	48	793	13	806
14.	मध्य प्रदेश	205	5995	6200	3979	10179
15.	महाराष्ट्र	1623	3284	4907	3325	8231
16.	मणिपुर	24	74	98	16	113
17.	मेघालय	17	276	293	4	297

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम	4	8	13	2	15
19.	नागालैंड	79	60	139	8	147
20.	ओडिशा	332	2377	2710	281	2991
21.	पंजाब	683	166	850	2779	3629
22.	राजस्थान	397	4630	5028	5400	10428
23.	सिक्किम	23	19	42	0	42
24.	तमिलनाडु	3071	1240	4312	806	5118
25.	त्रिपुरा	30	246	277	4	281
26.	उत्तर प्रदेश	791	5537	6328	10565	16892
27.	उत्तराखंड	157	605	762	665	1427
28.	पश्चिम बंगाल	1055	5004	6059	174	6233
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	10	15	3	18
30.	चंडीगढ़	3	1	4	12	16
31.	दादर और नगर हवेली	1	11	11	1	13
32.	दमन और द्वीव	0	1	1	0	1
33.	दिल्ली	25	28	53	171	224
34.	लक्षद्वीप	1	1	2	0	2
35.	पुदुचेरी	39	2	40	2	42
	अखिल भारत	14407	48042	62449	48641	111091

नोट: ये आंकड़े मोटे तौर पर बताए गए हैं इसलिए कुल योग नहीं मिलेगा।

0 हजार के आंकड़े से कम है।

$अनंतिम, ग्राम स्तरीय योग से लिया गया है

स्त्रोत: 18वीं पशुधन गणना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय

[अनुवाद]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति की घोषणा

123. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति को सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष घोषित करने का निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के निदेशों का पालन नहीं करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पद-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है/ किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16

(2) के अनुसार सेवा (भारतीय पुलिस सेवा सहित) के सभी सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 31 जनवरी तक सरकार को अपनी वार्षिक अचल सम्पत्ति विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(ख) इस अपेक्षा के अनुपालन के संबंध में दिनांक 5.5.2011, 5.9.2011 और 31.10.2011 को निदेश जारी किए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के 3242 अधिकारियों में से विभिन्न रैंकों के 643 आई पी एस अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 के लिए अपनी अचल सम्पत्ति विवरणी (दिनांक 1.1.2011 की स्थिति के अनुसार) प्रस्तुत किया जाना बाकी है।

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सतर्कता अनापत्ति प्रदान किए जाने से संबंधित दिशानिर्देशों में दिनांक 7.9.2011 को समुचित संशोधन करते हुए यह उल्लेख किया है कि समय पर अपनी अचल सम्पत्ति विवरणी प्रस्तुत नहीं करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सतर्कता अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी तथा भारत सरकार में इम्पैनलमेंट हेतु उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बारे में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है।

पीडीएस पर वाधवा समिति की रिपोर्ट

124. **श्री जे.एम.आरुन रशीद:**
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाधवा समिति और अन्य एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के मूल्यांकन/समीक्षा से कई राज्यों में भ्रष्टाचार और सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पीडीएस में उक्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा अपने राज्य में पीडीएस के कार्यकरण के बारे में शपथ पत्र दायर करने में असफल होने पर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन पर समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन कराया गया है। इन अध्ययनों में लीकेज/विपथन, शामिल करने/शामिल न करने की त्रुटि, जाली/अपात्र राशन कार्डों की मौजूदी आदि जैसी कुछ कमियां बताई गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को प्रभावित करने वाली खामियों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति ने 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर भी एक रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों में केन्द्रीय सतर्कता समिति ने शामिल करने और शामिल न करने की त्रुटि, जाली/अपात्र राशन कार्डों का प्रचलन होना, लाभार्थियों को खाद्यान्नों की उनकी पात्रता का कोटा न मिलना उचित दर दुकानों का मनमाने ढंग से आवंटन करना जैसी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की त्रुटियों का उल्लेख किया है।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 के प्रावधानों को लागू करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं। सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं कि वे मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र अपनाकर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके और उचित दर दुकानों के प्रचालनों की कुशलता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रम को मजबूत करें।

(घ) जब कभी अपेक्षित होता है अन्य के साथ-साथ भारत संघ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 196/2001-पीयूसीएल बनाम भारत संघ और अन्य में शपथ पत्र दाखिल न करने के लिए राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम केन्द्र सरकार का नहीं हैं क्योंकि यह मामला उपर्युक्त रिट याचिका के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय और संबंधित पक्षों के बीच है।

[हिन्दी]

आवासों की कमी

125. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कमजोर वर्गो तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित लोगों के विभिन्न श्रेणियों में आवासों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ख) उक्त श्रेणियों के लोगों को आवास प्रदान किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए और केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कस्बों और शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को कम लागत के आवास प्रदान किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित और जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कम लागत के आवास निर्मित करने के लिए निजि डेवलपरों और बिल्डरों को प्रोत्साहित करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नए आवासों के कब तक निर्मित होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 11वीं योजना के शुरू में शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2007 में 24.71 मिलियन रिहायशी इकाइयों की कमी होगी, जो कि 11वीं योजना अवधि (2011-12) के अंत तक 26.53 मिलियन हो जायेगी। इस अनुमान के अनुसार, 21.78 मिलियन अर्थात कुल कमी का 88.14 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है तथा 2.89 मिलियन अर्थात कुल आवासीय कमी का 11.70 प्रतिशत निम्न आय समूह (एल आई जी) से संबंधित है। तकनीकी समूह द्वारा अनुसूचित जाति (एस सी) और अनुसूचित जनजाति (एस टी) के लिए आवासीय कमी का कोई अनुमान नहीं लगाया गया था।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) 2007 का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय एवं सेवाओं की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में पर्यावास के सुस्थिर विकास को प्रोत्साहित करना है। तथापि 'भूमि' और 'कॉलोनी बसाना' राज्य के विषय होने के कारण एनयूएचएचपी:2007 के अंतर्गत पहल-प्रयास शुरू करना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

केन्द्र सरकार निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूहों (एलआईजी) के लिए आवास के निर्माण मे मदद कर रहीं है यानी:

- वर्ष 2005 में सरकार द्वारा शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) संबंधी उप मिशन के अंतर्गत 65 निर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास एव स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों एवं कस्बों में स्लमों में शहरी गरीबों के लिए आवास एवं बुनियादी सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता प्रदान करता है। दिनांक 01.11.2011 की स्थिति के अनुसार बीएसयूपी और आईएचएसडीपी करने के लिए 21,54,548.87 करोड़ रु. के केन्द्रीय अंश (एसीए) सहित कुल 39,654.58 करोड़ रु. की परियोजना लागत से कुल 1501 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत बजट आवंटन और की गई प्रगति संलग्न विवरण-I और-II में दी गई है।

- शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएचएसयूपी) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं निम्न आय वर्ग (एलआईजी) को ऋण-सक्षम उपाय के रूप में आवासीय ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था है और ऐसे परिवारों को मकानों के निर्माण/अधिग्रहण के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों/आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा 1 लाख रु. तक के ऋण हेतु ब्याज अदायगी में 5 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2011-12) के लिए आईएसएचयूपी के अंतर्गत आवंटित बजट 50. 00 करोड़ रु. है। संचयी रूप से सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 1420 लाभार्थियों के लिए सकल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) जारी किया गया है। तथापि पिछले तीन वर्षो के दौरान स्कीम के

अंतर्गत बजट आवंटन तथा की गई प्रगति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

- भागीदारी में किफायती आवास स्कीम का उद्देश्य किफायती आवासों के निर्माण हेतु भूमि जुटाना और आंतरिक एवं वाह्य अवस्थापना संपर्क के प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार सहायता उपलब्ध कराना है। 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय से वर्ष 2009 में शुरू की गई उक्त स्कीम का लक्ष्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/मध्यम आय वर्ग के लिए 1 मिलियन मकानों का निर्माण करना है जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कम से 25 प्रतिशत मकान हों। स्कीम के अंतर्गत की गई संचयी प्रगति संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

- 'राजीव आवास योजना' (रे) नाम की एक नई योजना '(रे) फेज-1 5000 करोड़ रु. के बजट के साथ स्कीम अनुमोदन की तारीख से दो वर्षो की अवधि के लिए है। इस स्कीम में स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को स्लम पुनर्विकास हेतु उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान और किफायती आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा आवास जिसमें किराया आवास शामिल है, तथा स्लमों के स्वस्थाने पुनर्विकास लिए अस्थायी आवास के प्रावधान की 50 प्रतिशत लागत जिसमें इस स्कीम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का प्रचालन और रख-रखाव शामिल है, केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत, यदि आवश्यक हो, सहित केन्द्र की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत होगी। स्लम मुक्त शहरी योजना स्कीम के अंतर्गत प्रारंभिक कार्यकलाप करने अर्थात राजीव आवास योजना के प्रारम्भिक चरण के लिए 157 शहरों को धन राशि जारी की गई है। 157 शहरों की सूची संलग्न विवरण-V में दी गयी है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एन यू.एच.एच.पी.), 2007 का लक्ष्य सामाज के सभी वर्गों के लिए वहनीय लागतों पर भू-आश्रय एवं सेवाओं की सामान आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में पार्यावास के सतत विकास को प्रोन्नत करना हैं। आवास की कमी की मात्रा तथा केन्द्र एवं राज्य-सरकारों की बजटीय बाधाओं को देखते हुए, इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बहु-प्रयोजनी स्टॉक होल्डरों, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा/ संस्थागत क्षेत्र को शामिल करना है। तदनुसार सरकार सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भागीदारी में किफायती आवास संबंधी स्कीम के माध्यम से निजी क्षेत्र, वित्तीय सेवा क्षेत्र, राज्य पैरा स्टेटल, शहरी स्थानिय निकायों, आदि के साथ सरकारी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनयी गयी स्कीमों के अंतर्गत सभी अधिसूचित स्लम-पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के तहत कर रियायतों की घोषणा की है।

शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) मांग आधारित स्कीम है तथा मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय की अन्य स्कीम है तथा मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, इसलिए इन स्कीमों के अंतर्गत प्रगति राज्यों द्वारा नियत गति पर निर्भर करती है। अत: इन स्कीमों के अंतर्गत मकानों निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

विवरण I

2008-09 से 2011-12 के दौरान बीएसयूपी के अंतर्गत आवंटित, अनुमोदित और राज्य-वार एसीए

करोड़ रु.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीएसयूपी 2005-12 के अंतर्गत	अनुमोदित एसीए			जारी एसीए		
			2008-09	2009-10	2010-11	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1547.42	650.50	0.00		211.57	240.89	306.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरूणाचल प्रदेश	43.95	40.59			0.00	10.99	0.84
3.	असम	121.94	49.04			0.00	24.40	12.26
4.	बिहार	531.54	133.22			33.30		
5.	छत्तीसगढ़	385.21	23.03	29.78		0.00	83.80	7.44
6.	गोवा	11.43	0.00			0.00		
7.	गुजरात	1015.56	78.74	103.22	12.49	175.34	137.25	158.44
8.	हरियाणा	57.31	0.00			15.59		7.80
9.	हिमाचल प्रदेश	31.29	0.00			0.00		
10.	जम्मू और कश्मीर	140.18	49.56			7.47	4.92	3.19
11.	झारखंड	351.09	118.68		77.15	9.67	1.80	37.48
12.	कर्नाटक	407.97	135.00			21.88	74.37	49.97
13.	केरल	250.00	31.18			0.00	24.00	50.72
14.	मध्य प्रदेश	351.10	87.59			17.80	51.63	56.65
15.	महाराष्ट्र	3372.56	705.34	467.99		436.48	232.55	293.87
16.	मणिपुर	43.91	43.91			0.00	10.98	
17.	मेघालय	40.35	16.58			0.00	10.09	
18.	मिजोरम	80.11	51.20			0.00	12.80	7.23
19.	नागालैंड	105.60	0.00			11.01		26.40
20.	ओडिशा	78.74	5.41			1.35		9.95
21.	पंजाब	444.46	0.00			0.00	8.32	9.04
22.	राजस्थान	383.46	0.00		88.11	0.00		43.17
23.	सिक्किम	29.06	26.27			0.00	6.56	7.96
24.	तमिलनाडु	1107.80	94.44			57.83	126.71	162.36
25.	त्रिपुरा	23.66	0.00			3.49	6.98	
26.	उत्तर प्रदेश	1165.22	937.76		5.40	235.57	71.14	284.49
27.	उत्तराखंड	97.84	9.93	37.32		3.20		10.61
28.	पश्चिम बंगाल	2126.98	440.87		355.17	211.13	87.84	150.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	दिल्ली	1481.28	52.80	50.89	893.88	1578		183.69
30.	पुदुचेरी	83.20	0.00	50.89		0.00	13.78	1.07
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00			0.00		
32.	चंडीगढ़	446.13	0.00			94.03	89.91	38.28
33.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00			0.00		
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00			0.00		
35.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	16356.35	3781.62	689.20	1432.20	1562.50	1331.73	1920.15
	डीपीआर तैयार करने का प्रभार					3.35	0.69	4.55
	पीएमयू					3.92	0.80	0.40
	पीआईयू					13.15	3.14	0.53
	सीबीपी					0.00	2.01	
	कुल					1582.92	1338.37	1925.63

विवरण II

आई एचएसडीपी (16.11.2011) के अंतर्गत आवंटित अनुमोदित और जारी नया एसीए-अनान्तिम

करोड़ रु.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएचएसडी पी2005-12 के अंतर्गत आबंटित कुल नया एसीए	अनुमोदित एसीए			जारी एसीए		
			वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	764.57	271.98	0.00	0.00	48.91	195.04	114.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	24.52	8.96	0.00	0.00	0.00		4.48
3.	असम	67.25	23.37	13.73	0.00	7.39	11.17	
4.	बिहार	168.07	64.21	38.51	67.40	32.10		19.26
5.	छत्तीसगढ़	158.83	36.82	0.00	0.00	0.00	43.57	13.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
7.	गुजरात	256.25	73.23	17.13	0.00	33.84	13.99	6.46
8.	हरियाणा	209.70	26.74	0.00	0.00	0.00	13.37	19.81
9.	हिमाचल प्रदेश	37.07	20.88	0.00	11.71	6.39	10.44	5.85
10.	जम्मू और कश्मीर	117.34	34.51	17.85	29.72	13.80	9.61	5.38
11.	झारखंड	136.00	72.40	0.00	43.35	33.33		13.84
12.	कर्नाटक	222.69	76.93	0.00	0.00	0.00	38.46	37.84
13.	केरल	198.83	42.18	55.29	0.00	47.82	8.24	30.72
14.	मध्य प्रदेश	276.64	21.88	28.87	16.78	10.94	12.48	6.77
15.	महाराष्ट्र	1130.60	772.57	20.19	0.00	386.79	92.29	84.06
16.	मणिपुर	32.35	8.33	11.67	0.00	6.18	4.49	5.66
17.	मेघालय	28.97	13.46	0.00	0.00	3.58	6.72	
18.	मिज़ोरम	29.78	23.57	0.00	0.00	3.77	11.12	
19.	नागालैंड	44.14	0.00	0.60	0.00	0.00	7.85	
20.	ओडिशा	176.33	123.30	9.45	5.42	55.34	17.91	4.73
21.	पंजाब	172.56	8.22	0.00	99.76	3.54		50.46
22.	राजस्थान	424.56	52.11	45.93	196.00	40.24	43.94	122.00
23.	सिक्किम	20.90	0.00	17.92	0.00	0.00	8.96	
24.	तमिलनाडु	349.38	184.17	18.74	0.00	77.38	90.85	70.92
25.	त्रिपुरा	28.36	17.60	14.11	0.00	0.00	19.02	12.36
26.	उत्तर प्रदेश	854.41	509.10	100.62	177.76	256.50	18.50	198.20
27.	उत्तराखंड	63.58	0.00	87.66	0.00	0.00	26.99	16.84
28.	पश्चिम बंगाल	681.04	297.60	0.15	0.00	227.42	72.14	34.15
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	पुदुचेरी	26.95	0.00	0.00	0.00	0.96	0.43	
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27.29	8.90	0.00	0.00	0.00	3.16	
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33.	दादरा नगर हवेली	20.56	0.00	2.89	0.00	0.00		1.44
34.	लक्षद्वीप	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	दमन और दीव	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	6828.31	2793.01	501.32	647.90	1296.21	780.72	879.95

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएचयूपी) के अंतर्गत बजट आबंटन तथा की गई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु. में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	जारी ब्याज सब्सिडी का	लाभार्थियों की संख्या सकल वर्तमान मूल्य (करोड़ रु. में)	शामिल राज्य
2008-09	95.00 30.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2009-10	180.59 5.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर)	83 लाख	36.82 लाख	531	आंध्र प्रदेश
2010-11	200.00 50.00 (संशोधित अनुमान स्तर पर)	12.83 करोड़ (ब्याज सब्सिडी को उनकी के अग्रिम के रूप में सी एन ए को 11:00 करोड़ रुपए जारी करने सहित)	4.77 करोड़	5854	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु

विवरण IV

भागीदारी में किफायती आवास अनुमोदित कुल परियोजनाएं

दिनांक 16.11.2011 की स्थिति के अनुसार (रु. करोड़ में)

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य का	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश	अनुमोदित कुल राज्य अंश	कुल राज्य यूएलबी अंश	कुल राज्य लाभार्थी अंश	ईडब्ल्यूएस इकाइयां	एलआजी	एमआईजी	अनुमोदित रिहायशी यूनिटों की सं	बैठकों की सं	सीएसएमसी की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुज योजना सैक्टर-ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास)	35.33	2.48	1.68	0	31.16				816	84	27-अप्रैल-10
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वृन्दावन योजना सं. 1, सैक्टर-5 ई, लखनऊ उ.प्र. में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	57.73	4.63	2.75	0	50.35				1500	84	27 अप्रैल-10
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुज योजना सैक्टर-ए, लखनऊ,उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	132.81	8.32	6.32		118.17	1776	800		2576	85	5-मई-10
4.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गहरू योजना, बिजनौर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	139.03	6.63	6.62		125.78	896	1536		2432	85	5-मई-10
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	गौमती नगर एक्स.योजना लखनऊ, उत्तर प्रदेश (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	103.63	9.41	4.93		89.28	1728	208		1936	85	5-मई-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	देवपुरा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	132.91	8.74	6.33		117.85	3152			3152	85	5-मई-10
7.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	वसंतकुंज योजना सैक्टर-ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	27.85	1.40	1.33		25.12	720			720	85	25-मई-10
8.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	जानकीपुरम सैंक्टर-1, कानपुर उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	34.11	3.12	1.62		29.36	688			688	86	25-मई-10
9.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	हंसपुरम, सैक्टर-7, कानपुर, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएमके अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	21.71	2.05	1.03		16.62	564			564	86	25-मई-10
10.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	रुकमणी बिहार आवासीय योजना, वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) भागीदारी में किफायती आवास	31.72	1.70	1.51		28.52	672	304		976	86	25-मई-10
			उप योग	716.83	48.48	34.13	0.00	634.22	10196	2843	0	15360		
11.	छत्तीसगढ़	रायपुर	धर्मपुरा सामाजिक स्कीम धर्मपुरा रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास के तहत 648 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों (जी+3) का निर्माण	15.62	0.59			15.04	648			648	86	25-मई-10
12.	छत्तीसगढ़	रायपुर	पुरैना सामाजिक आवास स्कीम पुरैना, रायपुर में भागदारी में किफायती आवास के तहत 320 ईडब्ल्यू फ्लैटों (जी+3)का निर्माण	7.75	0.27			7.48	320			320	86	25-मई-10
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर	राजपुरा, रायपुर में भागीदारी में किफायती आवास परियोजना	17.81	1.75			16.07	972			972	86	25-मई-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	छत्तीसगढ़	रायपुर	बोर्ताखुर्द, रायपुर में भागीदारी में किफायती परियोजना प्रस्ताव	34.03	2.88			31.15	1800			1800	86	25-मई-10
			उप योग	75.21	5.48	0.00	0.00	69.73	3740	0	0	3740		
	कुल			792.04	53.96	34.13	0.00	703.94	13936	2848	0	19100		

विवरण V

157 शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई राशि (लाख रु.) में/शहरों की संख्या	शहर-एसएफसीपी द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1. ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जीएचएमसी)
			2. ग्रेटर विशाखापट्नम नगर-निगम (जीवीएमसी)
		969.40 लाख की दूसरी किश्त मार्च 2011 में निर्मुक्त की गई।	3. विजयवाड़ा
			4. तिरूपति
			5. गुंटूर
			6. नैल्लोर
			7. करनूल
			8. राजामुन्दरी
			9. वारंगल
			10. काकीनाडा
2.	असम	76.34 (एक शहर)	11. गुवाहाटी
3.	बिहार	191.59 (चार शहर)	12. पटना
			13. गया
			14. भागलपुर
			15. मुजफ्फरपुर
4.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	16. भिलाई नगर
			17. रायपुर

1	2	3	4
			18. बिलासपुर
			19. कोरबा
5.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	20. अहमदाबाद
			21. सूरत
			22. वड़ोदरा
			23. राजकोट
			24. जामनगर
			25. भावनगर
			26. भरूच
			27. पोरबंदर
6.	हरियाणा	151.3 (तीन शहर)	28. फरीदाबाद
			29. पानीपत
			30. यमुना नगर
7.	हिमाचल प्रदेश	63.84 (एक शहर)	31. शिमला
8.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	32. जमशेदपुर
			33. धनबाद
			34. रांची
			35. बोकारो स्टील सिटी
9.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	36. बंगलोर
			37. मैसूर
			38. हुबली-धारवाड़
			39. मैंगलोर
			40. बेलगांव
			41. गुलबर्ग
			42. देवनगरी
			43. बिल्लारी
10.	केरल	263.31 (छह शहर)	44. कोच्ची
			45. तिरूअनंतपुरम

1	2	3	4
			46. कोझीकोडे
			47. कन्नूर
			48. कोल्लम
			49. थ्रिसूर
11.	मध्य प्रदेश	282.25 (छह शहर)	50. इंदौर
			51. भोपाल
			52. जबलपुर
			53. ग्वालियर
			54. उज्जैन
			55. सागर
12.	महाराष्ट्र	944.67 (सोलह शहर)	56. ग्रेटर मुम्बई
			57. पूना
			58. नागपुर
			59. नासिक
			60. औरंगाबाद
			61. शोलापुर
			62. भिवांडी
			63. अमरावती
			64. कोल्हापुर
			65. सांगली-मिराज कुपवाड़
			66. नांदेड़-वागला
			67. मालेगांव
			68. अकोला
			69. जलगांव
			70. अहमदनगर
			71. धुले

1	2	3	4
13.	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	72. भुवनेश्वर
			73. पुरी
			74. कटक
			75. राउरकेला
			76. ब्रह्मपुर
14.	राजस्थान	281.15 (छः शहर)	77. जयपुर
			78. जोधपुर
			79. कोटा
			80. बीकानेर
			81. अजमेर
			82. उदयपुर
15.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	83. इम्फाल
16.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	84. चैन्नई नगर निगम
			85. कोयम्बटूर
			86. मदुरई
			87. तिरुचिरापल्ली
			88. सेलम
			89. तिरुपुर
			90. तिरुनावेली
			91. एरोड
			92. वेल्लौर
17.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	93. अगरतला
18.	उत्तर प्रदेश	733.17 (18 शहर)	94. कानपुर
			95. लखनऊ
			96. आगरा नगर-निगम
			97. वाराणसी
			98. मेरठ

1	2	3	4
			99. इलाहाबाद
			100. गाजियाबाद
			101. बरेली
			102. अलीगढ़
			103. मुरादाबाद
			104. गोरखपुर
			105. झांसी नगर-निगम
			106. सहारनपुर
			107. फिरोजाबाद
			108. मुज्जफ्फरपुर
			109. मथुरा
			110. शाहजहांपुर
			111. नोएडा
19.	उत्तराखंड	114.63 (तीन शहर)	112. देहरादून
			113. नैनीताल
			114. हरिद्वार
20.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	115. कोलकाता
			116. आसनसोल
			117. दुर्गापुर
			118. सिलीगुड़ी (भाग)
21.	अरूणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	119. नाहरलागुन
			120. ईटानगर
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	76.18 (एक शहर)	121. पोर्ट ब्लेयर
23.	दमन और दीव	58.06 (दो शहर)	122. दमन
			123. दीव
24.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	124. सिलवासा
			125. अमली

1	2	3	4
25.	दिल्ली	981.96 (डीएमसी)	126. दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
26.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	127 मारमागोवा
			128. पणजी
			129. मारगोवा
27.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छह शहर)	130. जम्मू
			131. श्रीनगर
			132. अनंतनाग
			133. जधमपुर
			134. बारामूला
			135. कठुआ
28.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (3 शहर)	136. आमीनी
			137. कवरत्ती
			138. मिनीकोए
29.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	139. शिलांग
30.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	140. आइजवाल
			141. चमफई
			142. कोलासिब
			143. लोंगतई
			144. लुंगलई
			145. मामित
			146. साईहा
			147. सरचिप
31.	नागालैंड	108.03 (दो शहर)	148. कोहिमा
			149. दिमापुर
32.	पुदुचेरी	79.01 (दो शहर)	150. पुडुचेरी
			151. ओझूकरी
33.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	152. गंगटोक

1	2	3	4
34.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	153. लुधियाना
			154. अमृतसर
			155. जालंधर
			156. पटियाला
			157. भटिंडा

[अनुवाद]

स्टेशनरी का प्रापण

126. श्री पूर्णमासी राम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को राष्ट्रीय सरकारी उपभोक्ता परिसंघ (एनसीसीएफ) से स्टेशनरी आदि के मदों के प्रापण के लिए अधिकृत किया है और परिसंघ ने सरकारी विभागों को स्टेशनरी तथा अन्य सामग्रियों को बेचने के लिए आगे फ्रेन्चाइजेज नियुक्त किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का एनसीसीएफ के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(ग) क्या एनसीसीएफ स्टेशनरी तथा बॉम्बे डाईग के तौलिए आदि सहित इन सामग्रियों की सरकारी विभागों को अत्यधिक ऊंचे दरों पर आपूर्ति कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान एनसीसीएफ द्वारा सरकारी विभागों को आपूर्ति की जाने वाली मदों का ब्रांड नाम तथा दरों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष एनसीसीएफ द्वारा आपूर्ति की गयी बॉम्बे डाईग के तौलियों के आकार, गुणवत्ता तथा बिक्री सहित उनकी मात्रा कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. ने सूचित किया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या फा.सं. 14/12/94-वैलफेयर (वाल्यूम-2) दिनांक 5.7.2007 के अनुसार, सरकारी विभागों को गुणवत्ता और दरों के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से एकल टेंडर आधार पर 1 लाख रुपए तक के स्टॉक्स खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सरकारी विभागों को उनके फर्म इन्डेंन्टों पर अपने नियमित स्टाफ द्वारा संचालित की जा रही शाखाओं/फ्रेन्चाइजीज/काउण्टरों के जरिए स्टेशनरी और अन्य उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। ये वस्तुएं राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा अपने पंजीकृत सप्लायरों अर्थात विनिर्माताओं/वितरकों/प्राधिकृत व्यापारियों से खरीदे जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने पंजीकृत सप्लायर्स से स्टेशनरी, तौलिया आदि सहित विभिन्न मदें खरीदता है और उन्हें घर पहुंचाने और लम्बे समय के लिए उधार की सुविधा सहित उचित दरों पर अपने ग्राहकों को बेचता है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

एक्स-रे स्कैनर लगाया जाना

127. श्री मानिक टैगोर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के बम विस्फोटों के मामलों के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागो में एक्स-रे स्कैनर लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है कि इनमें से अधिकांश एक्स-रे स्कैनरों की मरम्मत की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन एक्स-रे स्कैनरों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) हाल के बम विस्फोटों के मामलो के पश्चात् राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में कोई भी एक्स-रे स्कैनर नहीं लगाया गया है।

कृषि में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना

128. **श्री के. सुगुमार:**
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को पट्टे के आधार पर भूमि देकर उसे कृषि क्षेत्र में शमिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृषि लागत को काम करने के लिये सहकारी कृषि को लोकप्रिय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसमें कृषि हेतु सरकारी भूमि निजी क्षेत्र को पट्टे पर दी जा सके।

(ग) और (घ) चूंकि "सहकारिता" राज्य का विषय है, अत: राज्यों से सहकारी समितियों के जरिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय करने की आशा की जाती है। तथापि राज्यों के परामर्श से तैयार की गई राष्ट्रीय किसान नीति में लघु कृषक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और सहायता करने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की कई केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की स्कीम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता आदि कार्यान्वित की जा रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि के संवर्धन के लिए सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करती हैं।

आपदा प्रबंधन के तरीके

129. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन तरीके आपनाये जाने के कारण देश को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में आपदा प्रबंधान तरीकों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं/किये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) इस मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र की हाल ही की किसी ऐसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन तरीके अपनाये जाने के कारण देश को प्रति वर्ष कई करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने मौजूदा आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 26 सिम्बर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित एवं अधिसूचित किया है ताकि आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं को तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्रों की व्यवस्था की जा सके तथा उसे बेहतर बनाया जा सके जिससे कि आपदाओं के प्रभाव के निवारण एवं उपशमन तथा किसी आपदा के दौरान उत्पन्न परिस्थिति में समग्र, समन्वित तथा तत्काल कार्रवाई करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा उपाय सुनिश्चित हो सके।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं तथा राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के संबंध में 25 दिशानिर्देश पहले ही जारी कर चुका है। आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय नीति (एन पी डी एम) जारी की गई है जिसके दायरे में आपदा प्रबंधन के सभी पहलू आते हैं।

इन सभी उपायों से मौजूदा आपदा प्रबंधन तरीकों को बेहतर बनाने तथा देश में प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव के प्रशमन, नियंत्रण तथा उसके कम होने की संभावना है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

130. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री एम.बी. राजेश:
श्रीमती रमा देवी:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा धान, गेहूं, गन्ना आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि उत्पाद की उत्पादन लागत की गणना करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं और किन घटकों पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या कुछ कृषक संघों ने सीएसीपी द्वारा न्यूनतमक समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय कृषि उत्पाद की लागत की गणना करने के लिए अपनाए गए वर्तमान तरीके के प्रति आपत्ति दर्ज कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रबी मौसम के दौरान कृषि उत्पाद के लिए नये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो फसल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या धन उत्पादों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा धान उत्पादों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) (क) सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि लागत मूल्य आयोग (सीएसीपी)की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखकर, धान, गेहूं तथा गन्ने सहित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, अनेक कारकों पर विचार करता है जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतःफसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीविका लागत पर प्रभाव, किसानों अन्यों से प्राप्त सुझाव आदि।

(ख) और (ग) उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की प्रक्रिया के संबंध में किसानों के संगठनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 2009 में, प्रो. वाई के. वाई अलघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रिया में संशोधन किया गया था।

(घ) और (ङ) 2011-12 मौसम की रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये हैं:

(रु. प्रति क्विं.)

फसल	2011-12 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
गेहूं	1285
जौ	980
चना	2800
मसूर (लेन्टिल)	2800
रेपसीड/सरसों	2500
कुसुम्भ	2500
तोरिया	2425

(च) और (छ) सरकार धान सहित, मुख्य कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद की खरीद करने का प्रस्ताव करती है। सरकार, केन्द्रीय, राज्या तथा सहकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रापण संचालनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है।

[अनुवाद]

नक्सलवादियों को भुगतान

131. श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा नक्सलवादियों को धन अन्तरण/भुगतान किये जाने के बारे में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वामपंथी उग्रवादी समूह, विशेष रूप से सी पी आई (माओवादी) ठेकेदारों, व्यापारियों, उद्योगों अत्यादि सहित विभिन्न स्रोतों से बल प्रयोग के माध्यम से जबरन धन वसूली करते हैं। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष में एक मध्यस्थ के माध्यम से एस्सार नामक एक औद्योगिक घराने द्वारा सी पी आई (माओवादी) को उनकी जबरन धन की मांगों के परिणामस्वरूप धन के भुगतान के आरोप ध्यान में आए हैं।

(ग) छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्वोक्त मामले में एक मामला दर्ज किया है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच आई डी के एक विशेष जांच दल को सौंप दी है।

बस रैपिड ट्रांजिट

132. श्री महेश जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सर्वेक्षण/अध्ययन से यह संकेत मिला है कि राजस्थान में बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) कोरीडोर दैनिक यात्रियों के लिए लाभदायक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन योजनाओं को लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, केन्द्र सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.यू.आर.एम.) के तहत अब तक बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (बी.आर.टी.एस.) परियोजनाएं स्वीकृत की है।

पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना को जारी रखना

133. श्री एल. राजगोपाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष राज्य पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ) को समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किये गये कार्यकलापों का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को आगामी पांच वर्षों की अवधि तक जारी रखने हेतु कोई अनुरोध/मांग प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अनुरोधों/मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ) दिनांक 31.03.2011 तक स्वीकृत की गई थी। इसकी समयावधि चालू वित्त अर्थात् 2011-12 तक बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तत्पश्चात्, इस योजना को प्लान योजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान वार्षिक कार्य योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित विभिन्न मदों की तुलना में एम पी एफ योजना के तहत विभिन्न राज्यों को कुल 3512.27 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष, 2011-12 के लिए, एम पी एफ योजना की समय सीमा का विस्तार लंबित रहने तक सभी राज्य सरकारों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना 2011-12 पर इस मंत्रालय में हुई विभिन्न उच्च शक्ति प्राप्त समितियों (एचपीसी) की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है और सिद्धान्त रूप में सहमति व्यक्त की गई है। तथापि, अनुमोदित कार्य योजनाओं के लिए निधियां योजना की समयावधि बढ़ाने के लिए समक्ष प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही जारी की जाएंगी।

एमपीएफ योजना गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक बहुत लोकप्रिय योजना है। इसे जारी रखने का मुद्दा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन जैसे विभिन्न फोरमों में उठाया जाता है। सरकार ने इस योजना की समयावधि चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 के लिए बढ़ाने और इसके बाद इसे बाद एक प्लान योजना के रूप में जारी रखने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी की गई निधियां		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.83	115.54	89.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.72	11.50	10.75
3.	असम	68.11	60.79	48.51
4.	बिहार	41.57	59.34	63.67
5.	छत्तीसगढ़	26.54	17.04	29.8
6.	गोवा	4.00	7.08	2.3
7.	गुजरात	48.02	52.18	55.27
8.	हरियाणा	27.51	46.63	30.41
9.	हिमाचल प्रदेश	9.99	7.10	6.36
10.	जम्मू और कश्मीर	109.65	111.18	148.25
11.	झारखंड	69.85	33.49	36.9
12.	कर्नाटक	69.61	63.96	83.01
13.	केरल	22.90	32.54	42.68
14.	मध्य प्रदेश	40.37	54.87	72.41
15.	महाराष्ट्र	75.86	72.48	42.26
16.	मणिपुर	39.23	27.44	26.63
17.	मेघालय	10.81	9.73	8.48
18.	मिजोरम	12.69	11.48	19.55
19.	नागालैंड	38.42	31.50	33.77
20.	ओडिशा	42.54	51.87	54.24

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	21.56	33.50	26.08
22.	राजस्थान	49.10	51.18	47.88
23.	सिक्किम	6.12	4.72	2.17
24.	तमिलनाडु	50.10	60.67	92.52
25.	त्रिपुरा	20.66	22.92	23.08
26.	मध्य प्रदेश	102.31	125.17	77.61
27.	उत्तराखंड	19.39	5.29	6.35
28.	पश्चिम बंगाल	32.18	48.81	43.73
	कुल	1157.64	1230.00	1224.63

[हिन्दी]

मानसून पर निर्भरता

134. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि मुख्यतया मानसून पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कृषि क्षेत्रफल का कितना भाग मानसून पर निर्भर है;

(ग) कृषि क्षेत्र में कार्यरत आबादी का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मानसून की अनिश्चित प्रकृति के मद्देनजर उक्त निर्भरता को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत) (क) और (ख) जी हां, महोदया,। वर्ष 2008-09 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कुल गैर-सिंचित क्षेत्र कुल बुआई क्षेत्र का लगभग 55.3% है जो मुख्यतया वर्षा पर निर्भर हैं। राज्यवार कुल बुआई क्षेत्र तथा कुल गैर-सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गणना 2001 के अनुसार कृषि क्षेत्र (कृषक+कृषि मजदूर) में तैनात लोगों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों पर विशेष दबाव देने तथा भारी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यक्रमों की विविधता को प्रस्तुत करने, परिणत करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिचिंत क्षेत्रीय प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन किया है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय प्राधिकरण (एनआरएए) का उद्देश्य वर्षा क्षेत्रों में विभिन्न पूंजी निवेशों के परिणामों को सुसाध्य करने के लिए कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के अलावा सार्थक नीतियां, तकनीकी सहायता, विशेषज्ञ की जानकारी प्रदान करना तथा रूपांतरण के लिए क्षमता निर्माण करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, आय, रोजगार सृजन तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आदान की क्षमता प्रदान करना है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय प्राधिकरण (एनआरएए) ने एक संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग के सहयोग से जल प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग के सहयोग से जल सिंचित विकास परियोजना-2008 के लिए सामान्य दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। सामान्य दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं- दृष्टिकोण में नवाचार, राज्यों को अधिकार प्रदान करना, राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं पंचायत स्तरों पर बहु-अनुशासनात्मक व्यवसायियों के साथ समर्पित संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

विवरण I

2008-09 के दौरान मुख्य राज्यों के लिए राज्यवार कुल बुआई क्षेत्र एवं कुल गैर-सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

('000 हैक्टेयर)

राज्य	कुल बुआई क्षेत्र	% कुल गैर-सिंचित क्षेत्र
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10868	55.6
अरूणाचल प्रदेश	211	73.6
असम	2753	94.9
बिहार	5662	37.7
छत्तीसगढ़	4710	71.6
गुजरात	9801	56.8
हरियाणा	3576	19.5
हिमाचल प्रदेश	541	80.7
जम्मू और कश्मीर	739	57.5
झारखंड	1504	92.7
कर्नाटक	10174	68.2
केरल	2089	81.3
मध्य प्रदेश	14941	56.5
महाराष्ट्र	17426	81.8
मणिपुर	236	78.1
मेघालय	284	78.2
मिजोरम	95	88.3
नागालैंड	316	75.5
ओडिशा	5604	60.9
पंजाब	4169	2.2
राजस्थान	17551	64.4
सिक्किम	107	91.8
तमिलनाडु	5043	41.9
त्रिपुरा	280	78.2
उत्तराखंड	754	54.9
उत्तर प्रदेश	16417	20.3
पश्चिम बंगाल	5294	40.8
अखिल भारत	141364	55.3

विवरण II

गणना 2001 के अनुसार कृषि कार्मिकों के राज्यवार ब्यौरें

क्र.सं.	राज्य	कुल कृषि कार्मिक ('000 हैक्टेयर')
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27
2.	आंध्र प्रदेश	21692
3.	अरूणाचल प्रदेश	298
4.	असम	4994
5.	बिहार	21611
6.	चंडीगढ़	3
7.	छत्तीसगढ़	7402
8.	दादरा और नगर हवेली	54
9.	दमन और द्वीप	5
10.	गोवा	86
11.	गुजरात	10964
12.	हरियाणा	4297

1	2	3
13.	हिमाचल प्रदेश	2049
14.	जम्मू और कश्मीर	1838
15.	झारखंड	6741
16.	कर्नाटक	13111
17.	केरल	2345
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	18439
20.	महाराष्ट्र	22629
21.	मणिपुर	493
22.	मेघालय	639
23.	मिजोरम	283
24.	नागालैंड	580
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	53
26.	ओडिशा	9247
27.	पुदुचेरी	83
28.	पंजाब	3555
29.	राजस्थान	15664
30.	सिक्किम	148
31.	तमिलनाडु	13754
32.	त्रिपुरा	589
33.	उत्तराखंड	1830
34.	उत्तरप्रदेश	35568
35.	पश्चिम बंगाल	13017
	अखिल भारत	234088

स्रोत: गणना 2001

राजीव आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाईयां

135 श्री के.पी. धनपालन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव आवास योजना (आरएवाई) के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया/किये जाने का प्रस्ताव है तथा कितनी आवासीय इकाइयों का आवंटन किया गया है;

(ख) राजीव आवास योजना के अंतर्गत मकानों के आवंटन के लिये सरकार द्वारा अब तक प्राप्त अनुरोधों तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई का सामना कर रही है जिसके परिणामस्वरूप मैट्रो शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राजीव आवास योजना (आर ए वाई) को 02/06/2011 से शुरू किया गया है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत (आर ए वाई) रिहायशी आवासों का निर्माण और आबंटन नहीं किया गया है। यह स्कीम हाल ही में शुरू की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बुनियादी ढांचे के लिये योजनाएं

136. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
योगी आदित्यनाथ:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिये लागू की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरों के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ कुछ योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश को अब तक कितनी निधिया जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं हैं:-

I. **राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना:** यह योजना वर्ष 2006 में देश में दो स्केलों अर्थात् 1: 10,000 और 2: 2,000 में 152 कस्बों/शहरों के लिए जीआईएस डाटाबेस सृजित करने के लिए शुरू की गई थी। तथापि, यह योजना शहरी क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना प्रदान नहीं करती है।

II. **पूलबद्ध वित्त विकास निधि (पीएफडीएफ) योजना:** इस योजना का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की ऋण योग्यता में सुधार लाना ताकि निजी निवेशकों से वित्त प्राप्त किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

III. **पूर्वोत्तर शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी):** यह कार्यक्रम प्राथमिक शहरी सेवाओं अर्थात् (1) जल आपूर्ति, (2) सीवरेज और स्वच्छता और (3) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए एशियन डेवलेपमेंट फंड (एडीबी) की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को कवर करता है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर-पूर्व राज्यों के विकास के लिए निधियां

137. **श्री रामकिशुन:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू-वर्ष में उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजना-वार, योजना-वार और राज्य-वार कुल कितनी निधियां स्वीकृत, जारी एवं उपयोग में लाई गईं;

(ख) क्या उत्तर-पूर्व राज्यों ने राज्यों के विकास के लिए स्वीकृत निधियों का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं एवं योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने तथा इसके लाभार्थियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई लेखापरीक्षा की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क)से (ग) उत्तर-पूर्व के राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने में योजना आयोग शामिल होता है। प्रत्येक वर्ष की योजनाओं के आकार को, राज्यों के उपलब्ध संसाधनों (राज्य की अपनी निधियों, और कोई अन्य संसाधनों) और विशिष्ट वर्ष में उपलब्ध केंद्रीय सहायता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। राज्य सरकारों और सेक्टरों में प्राथमिकता परियोजनायों को शुरू करने और योजना में संसाधन गैप को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए वार्षिक योजनागत परिव्यय/व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) द्वारा अव्यगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के तहत उत्तर-पूर्वी रात्य सरकारों को सहायता अनुदान दिया जाता है। तथापि, इस स्कीम के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। एनएलसीपीआर और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) पैकेज के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनूदित/रिलिज की गई राज्यवार कुल निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुदानों के राज्यवार, परियोजनावार रिलीज/उपायों की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III में दिया गया है। ये अनुबंध मंत्रालय की बेवसाइट www.mdoner.gov.in पर भी दिए गए हैं।

एनएलसीपीआर तथा बीटीसी पैकेज के तहत जारी निधियां

राज्य	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.11.2011 तक)
एनएलसीपीआर स्कीम				
अरूणाचल प्रदेश	165.98	152.89	143.94	85.22
असम	94.38	107.49	168.61	52.42
मणिपुर	84.36	90.09	78.87	19.83
मेघालय	94.83	76.72	57.86	60.84
मिजोरम	14.95	19.91	73.73	28.29
नागालैंड	103.81	102.94	98.43	59.02
सिक्किम	62.91	22.91	55.39	34.86
त्रिपुरा	39.19	95.67	95.50	28.21
कुल	660.41	668.62	772.33	368.09
बीटीसी	67.03	3.15	50.00	15.09

एनएलसीपीआर तथा बीटीसी पैकेज के तहत उपयोग की गई निधियां

राज्य	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (16.11.2011 तक)
एनएलसीपीआर स्कीम				
अरूणाचल प्रदेश	122.96	96.81	161.50	31.06
असम	86.48	53.75	93.93	81.45
मणिपुर	68.03	83.90	59.72	22.92
मेघालय	64.45	63.68	33.74	40.17
मिजोरम	59.20	10.02	24.25	16.58
नागालैंड	61.84	113.96	109.37	61.94
सिक्किम	49.27	37.83	21.08	36.05
त्रिपुरा	58.77	76.83	65.70	15.68
कुल	571.00	536.78	569.29	305.85
बीटीसी पैकेज	58.37	43.05	45.73	20.13

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों को पूर्वोत्तर परिषद्‌ द्वारा प्रदान की गई कुल निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया है। यह अनुबंध मंत्रालय वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर भी दिया गया है।

दिनांक 30.06.2011 को एनईसी रिलीज की खर्च न हुई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य सरकारों द्वारा बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसीज) और खर्च न की गई शेष निधियों की स्थिति (30 जून, 2011 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	
1	2	3
1	अरूणाचल प्रदेश	160.38
2	असम	107.95
3	मणिपुर	65.77
4	मेघालय	97.58
5	मिजोरम	71.69
6	नागालैंड	61.33
7	सिक्किम	85.93
8	त्रिपुरा	35.10
9	अन्य	62.54
	कुल	758.27

इसके अतिरिक्त 52 गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालय अपनी सकल बजटीय सहायता का 10% भाग उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के लिए निर्धारित करते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए दिए गए एकमुश्त प्रावधान में से उक्त मंत्रालय/विभागों द्वारा किए गए व्यय उपयोग की निगरानी करता है। तथापि, यह मंत्रालय राज्यवार उपयोग की निगरानी नहीं करता है। वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष 2011-12 के दौरान एनईआर के लिए निर्धारित निधियों के तहत किए गए वार्षिक आबंटन/व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है:

सं. अ.	व्यय	सं. अ.	व्यय	सं. अ.	व्यय	ब. अ.
2008-09	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12
14847.36	12733.74	16229.46	14692.68	21772.22	19779.06	23321.78

किसी विशेष वर्ष में एनईआर को जारी की गई निधियों का पूरी तरह उपयोग करने में विलंब होने के कारण-लधु कार्य मौसम, तूफानी मौसम, व्यवसायों की कमी तथा भौगोलिक स्थिति आदि हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय नियंत्रण और महालेख परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पुल स्कीम की निष्पादन लेखा परीक्षा भी किया है। सांविधिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त विभागीय लेखा प्राधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा भी नियमित आधार पर की जाती है।

विवरण I

11वीं योजना(2007-12)-अनुमोदय परिव्यय/वास्तविक व्यय-उत्तर-पूर्वी राज्य

(करोड़ रु.)

राज्य	11वीं योजना 2007-12 योजनागत परिव्यय	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अरूणाचल प्रदेश	7901.00	1320.00	1082.98	2264.60	1739.28	2100.00	2591.90	2500.00	2560.93	3200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	23954.00	3800.00	2669.28	5011.51	3593.76	6000.00	5023.09	7645.00	7799.68	9000.00
मणिपुर	8154.00	1374.31	1336.50	1660.00	1521.50	2000.00	1784.41	2600.00	2581.88	3210.00
मेघालय	9185.00	1120.0	984.07	1500.00	1386.96	2100.00	1417.86	2230.00	2230.00*	2727.00
मिजोरम	5534.00	850.00	767.33	1000.00	822.53	1250.00	1067.22	1500.00	1263.95	1700.00
नागालैंड	5978.00	900.00	845.63	1200.00	1097.42	1500.00	1428.50	1500.00	1428.82	1810.00
सिक्किम	4720.00	691.14	607.04	852.53	1140.25	1045.00	1019.26	1175.00	1175.00*	1400.00
त्रिपुरा	8852.00	1220.00	1067.15	1450.00	1431.16	1680.00	1735.57	1860.00	1368.21	1950.00

*राज्य द्वारा संशोधित नहीं किया गया: अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया

स्रोत: योजना आयोग

विवरण II

एनएलसीपीआर योजना के तहत वर्ष-वार जारी की गई निधियां

वित्त वर्ष 2008-09

(लाख रुपए)

अरूणाचल प्रदेश

क्र.सं.	परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	आर.के. मिशन अस्पताल, ईटानगर के लिए "समग्र निधि"	2000.00
2.	अरूणाचल प्रदेश में नाहरलगुन (लेखी गांव) से ईटानगर तक 132 के वी विद्युत लाइन	49.86
3.	अरूणाचल प्रदेश में ईस्ट कामेंग जिले में पक्के से वाली तक (18 कि.मी.) सड़क का निर्माण	400.00
4.	अरूणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले में खासो (दिरांग)में रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल खोलना	200.00
5.	वाक से लिरोमोबा (78 कि.मी.)चरण-(15 कि.मी.) सड़क का निर्माण	203.00
6.	गछाम से मोरसिंग (24.50 कि.मी.)तक सड़क का निर्माण	604.30
7.	हवाई जिला मुख्यालय से अंचल प्रशासनिक सर्किल तक (55.77 कि.मी) सड़क का निर्माण	1024.67
8.	न्यू मोहोंग से महादेवपुर टाउनशिप तक नोंगखोन से होते हुए (12 कि.मी.) सड़क का निर्माण	111.95
9.	चांगलांग जिले में चांगलांग से खिमयोंग तक (36.10 कि.मी.) सड़क का सुधार	254.09
10.	अरूणाचल प्रदेश में नफरा से नाखु-नचीबन गांव तक (11.00 कि.मी.) सड़क का निर्माण	188.10

1	2	3
11.	अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में लहू नाला से मुक्तो सर्किल मुख्यालय तक मिर्बा, गोमकेलिंग और सेरजोंग होते हुए (15 कि.मी.) संपर्क सड़क का निर्माण	480.12
12.	अरुणाचल प्रदेश में तामेन तली सड़क, यरकुम होते हुए (60.00 कि.मी.) (चरण-1: से 49 कि.मी.) का निर्माण	282.90
13.	अरुणाचल प्रदेश में संग्राम से फस्संग-पल्लंग तक, नयापिन (एसडीओं मुख्यालय) चरण-1 सड़क का निर्माण	277.74
14.	अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरि जिले में जोप से सिलसांगों तक (30 कि.मी.) सड़क का निर्माण	1150.00
15.	अरुणाचल प्रदेश सागली से सकियांग तक (50 कि.मी.) सड़क का सुधार/निर्माण	956.16
16.	अरुणाचल प्रदेश में निरजुली से सागली तक डोईमुख तोरू सड़क 40.00 कि.मी. (एनएच 52(ए)से) का सुधार	596.31
17.	अरुणाचल प्रदेश में अनिनि में राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का पुनर्निर्माण	68.92
18.	अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोंटेसरी से अनि गोम्पा तक रोपवे का निर्माण	100.00
19.	मानुबाड़ी, बनफोरा, वानु और जेतुआ होते हुए सतनागुडी से लोंगडिंग सड़क का निर्माण (चरण-1) (15.50 कि.मी.)	200.00
20.	अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में किटपी में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय	200.00
21.	अरुणाचल प्रदेश 14वें डोईमुख विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रशासनिक मुख्यालयों और गांवों में जल आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना/विस्तार करना	400.00
22.	अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में लुमला टाउनशिप में जल आपूर्ति	112.80
23.	मंचन प्रशासनिक सर्किल को जोड़ने के लिए लोहित नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन ब्रिज (स्पैन 156.55 मीटर)का निर्माण	412.59
24.	अरुणाचल प्रदेश में जे. एन. कॉलेज, पासीघाट में 200 सीट वाले बालिका छात्रवास का निर्माण	130.26
25.	अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले में खसो दिरांग में लड़कियों के लिए रामकृष्ण शारदा मिशन स्कूल खोलना	133.63
26.	अरुणाचल प्रदेश में दिपुलामगु ब्रिज प्वाइंट से पीपु तक (14.00 कि.मी.) सड़क का निर्माण	105.18
27.	अरुणाचल प्रदेश में सामान्य अस्पताल, नाहरलगुन में सेकेंडरी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (चरण-1)की अवसंरचना को सुदृढ़ करना	63.56
28.	अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट कामेंग जिले में पक्के से वाई तक (18 कि.मी.) सड़क का निर्माण	346.21
29.	गांधी ब्रिज साइट पर सियांग नदी पर मोटर वाहन योग्य संस्पेंशन ब्रिज का निर्माण	1000.00

1	2	3
30.	अरुणाचल प्रदेश में सिले में सिले, रानी, सिकबामिन, सिका, टोड ओयान गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति की योजना	500.00
31.	टूटिंग के समीप कोडक में सियांग नदी पर स्टील सस्पेंशन ब्रिज और संपर्क सड़कों का निर्माण	533.85
32.	अरुणाचल प्रदेश में लुमला में 33/11 केवी, 2x1.6 एमबीए सब-स्टेशन के साथ तवांग से लुमला तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	163.73
33.	एनएलसीआर के तहत अरूणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग जिले में मेबो-ढोला सड़क पर बोर्गुली और सेराम गांव के बिच टटसिंग नदी पर सिंगल लेन बैली ब्रिज (स्पैन 40 मीटर) का निर्माण	107.21
34.	अरुणाचल प्रदेश में जीरो टाउनशिप 32 कि.मी. आंतरिक सड़क का पुनरूद्धार और उन्नयन	440.99
35.	अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी में अनिनि दम्बुनि सड़क पर बीआरओ सड़क (4 कि.मी. प्वाइंट) से इतेब तक सड़क का निर्माण	697.40
36.	अरुणाचल प्रदेश में दोसिंग-पारेंग-सिने-यीबुक सड़क (चरण-1) का सुधार और विस्तार	575.21
37.	अरुणाचल प्रदेश में अलोंग से पासीघाट तक 132 केवी सिंगल सर्किट पारेषण लाइन	884.60
38.	अरुणाचल प्रदेश में सिभुम के समीप सुबनसिरि नदी पर स्टील सस्पेंशन ब्रिज (स्पैन 174.00 मीटर) का निर्माण	300.00
39.	अरुणाचल प्रदेश में खेटी से दादम तक (21 कि.मी.) सड़क का निर्माण	342.43
	जोड़	16597.77

असम (रुपए लाख)

1.	एनएच-37 से जीएस सड़क तक इलेक्ट्रिकल कार्यो सहित 4 लेन की त्रिपुरा सड़क का निर्माण	357.99
2.	असम से कछार जिले में सम्पर्क और संरक्षण सहित घागरा नदी पर कथल सड़क के 7वें कि.मी. पर आरसीसी पुल का निर्माण	78.75
3.	धूबरी जिले में सिलेरपुर-बोर्शीझोरा सड़क पर रेगुलर चैनल गदाधर पर आरसीसी पुल न. 1/1 का निर्माण	141.98
4.	लेतेकुपुखुरी भोगपुर चारिआली, लखीमपुर में शंकर माधव सांस्कृतिक काम्प्लेक्स का निर्माण	126.45
5.	दर्रांग जिला, असम में खारूपेतिया कॉलेज में अवसंरचनात्मक सुविधाएं-कक्षा के कमरों का निर्माण, एसी युक्त कम्प्यूटर प्रयोगशाला, प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास, बिजली की सुविधाएं, जल आपूर्ति और स्वच्छता स्थापनाएं	55.33
6.	असम में शिवसागर जिले में माउंट सेपोन सनपुरा पर 17/4, 19/4, और 26/1 आरसीसी ब्रिज का निर्माण	160.91
7.	गुवाहाटी, असम के विभिन्न भागों में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	638.00

1	2	3
8.	कर्बियालोंग जिला, असम में ग्रेटर दिफु जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	854.64
9.	असम में नगांव जिले में संपर्क सड़कों सहित होजाई सड़क	110.41
10.	असम में दिसपुर जल आपूर्ति योजना को सुरक्षित करना	225.29
11.	असम में धेमाजी जिले में पुकिया शिलापत्थर पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	78.81
12.	असम में नलबाड़ी जिले में नलबाड़ी पल्ला सड़क पर आरसीसी पुल सं. 20/1 का निर्माण	39.38
13.	असम में 220/132, केवीए 1×50 एमवीए और 132/33 केवी, 1/16 एमवीए अगिया सब स्टेशन का निर्माण	422.50
14.	असम में घोलाघाट जल आपूर्ति योजना चरण-2	203.00
15.	असम में बोंगाईगांव जिले में जोगीघोपा चापर सड़क पर संपर्क सड़कों सहित भारलकुंडा नदी पर आरसीसी पुल सं. 5/1, सिस्टर-पार बील पर 7/1, दुलानी बील पर 8/1, चंपामती नदी की सहायक नदी पर 9/9 और हिल कनाल पर 11/1 आरसीसी पुल का निर्माण	210.80
16.	असम में शोनितपुर जिले में बालीपाड़ा में औद्योगिक विकास केंद्र तक जाने वाली संपर्क सड़क का निर्माण	157.16
17.	असम में लखीमपुर जिले में लालुक-नारायणपुर वाया बिहापुरिया सड़क पर कचीकता नदी पर पुल सं. 19/1 और बहनिगांव सरितापुर आसीसी पुल सं. 18/1 का निर्माण	65.68
18.	असम में नलबाड़ी जिले में बगाइस रोड पर आरसीसी पुल सं. 10/1 और 18/1 का निर्माण	96.10
19.	असम में धुबरी जिले में फकीराग्राम सप्रग्राम रोड़ पर आरसीसी पुल सें. 1/1, 4/1, 8/1 और 9/1 आरसीसी पुल का निर्माण	174.12
20.	असम में डिब्रुगढ़ जिले में सड़क के साथ-साथ नाला एवं पटरी का निर्माण	199.10
21.	बोगाईगोंव जिले में संपर्क सड़कों और संरक्षण कार्यो सहित अभयपुरी तुलुंगिया सड़क पर फील्ड कनाल/शक्ति नदी पर आरसीसी पुल सं. 4/1, 7/1, 8/1, और 11/1 का निर्माण	105.42
22.	एसजेएन राजकीय हम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पंजबाड़ी गुवाहाटी के दो मंजिले भवन का निर्माण	82.06
23.	असम में उदालगुड़ी में बेंगबाड़ी अंबगांव रोड़ पर लखीमोरासुति नदी पर 7/2, लाखी नदी पर 3/2 और भुल्ला पदी पर 2/3 आरसीसी पुल का निर्माण	184.23
24.	असम में मोरिगांव जिले में संपर्क सड़कों सहित भोरभोगीया घींग रोड़ पर आरसीसी पुल सं. 5/3 का निर्माण	75.22
25.	असम में धुबरी जिले में झागरापार में जिला खेल काम्प्लेक्स का निर्माण	116.66

1	2	3
26.	डिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क प्रभार के अंतर्गत नहरकटिया-टिनखोग रोड पर डिसाम नदी पर आरसीसी पुल सं. 15/2 का निर्माण और गौरीसागर मोरान रोड पर आरसीसी पुल सं. 57/1 आरसीसी पुल का निर्माण	126.65
27.	ग्रेटर बोकाजन जल आपूर्ति योजना	310.02
28.	कोकराझार जिले में गौरांग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा नदी पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	313.69
29.	नार्थ लखीमपुर कमलबाडी रोड पर आरसीसी पुल सं. 4/1, 6/1, और 14/1 आरसीसी पुलों का निर्माण	168.09
30.	धेमाजी जिले में भैरापुर से कुलीबाजार रोड पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 1/1, 3/1, और 4/1 का निर्माण	268.70
31.	धुबरी शहर जल आपूर्ति योजना	304.43
32.	बारपेटा जिले में मानस सेंचुरी को जाने वाली बारपेटा बाशीबाड़ी रोड का पहले कि.मी. से 21वें कि.मी. तक सुधार	361.02
33.	हॉवली, बारपेटा में चंड़ी बरूआ स्टेडियम काम्प्लेक्स का निर्माण	89.67
34.	नवांग जिले में नवांग-मोरिकलोंग नोनाई दक्षिणपट रोड का सुधार	90.79
35.	डिब्रुगढ़ जिले में बुरहागोहेन टिनथेंगिया रोड पर आरसीसी पुल सं. 5/1 का निर्माण	56.93
36.	मोरिगांव जिले में बोराभोगिया मिकिह्वा सड़क पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 9/2 का निर्माण	104.09
37.	खोंवांग भामू रोड पर संपर्क सड़कों और संरक्षण कार्यों सहित आरसीसी पुल सं. 10/1 का निर्माण	59.51
38.	एनएच-37 से जीएस रोड तक विद्युत कार्यों सहित 4 लेन के त्रिपुरा रोड़ का निर्माण	332.43
39.	दीफु में जॉयसिंह दोलाई आडिटोरीयम काम्प्लेक्स का निर्माण	115.74
40.	उदालगिरी तमलापुर रोड	969.96
41.	चम्दुआपारा-पुरांदिया रोड	166.84
42.	थाईजुआरी नाला और लांगोलदिसा नाला पर देहांगी दयानमुख रोड़ पर आरसीसी पुल सं. 28/1 का निर्माण (पीडब्ल्यूडी सड़कें, हाफलोंग डिवीजन)	111.76
43.	ग्वालपाड़ा में संपर्क सड़कों और संरक्षण कार्यों सहित एटी रोड़ (पुराना) आरसीसी पुल सं. 32./1का निर्माण	230.51
44.	धर्मजुली डांडुआ रोड पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 7/1 का निर्माण	77.48
45.	डिफोलु नदी पर चौकिहोला पंजन डाइथर मालसी डिरींग कोहोरा (सीपीडीएमडीके) रोड़ पर संपर्क सड़क और संरक्षण कार्यों सहित आरसीसी पुल सं. 22/1 का निर्माण	94.87

1	2	3
46.	उदालगिरी ग्रामीण सड़क डिवीजन के अंतर्गत बदलापाढ़ा से धर्मजुली रोड़ का सुधार	124.58
	जोड़	**9437.75**

मणिपुर (लाख रुपए)

1.	मणिपुर में उनोपट और उसके आसपास के गांवों में जल आपूर्ति योजना का विस्तार	93.00
2.	काकचिंग ईथी मारू मेन कनाल का आधुनिकीकरण	107.30
3.	मणिपुर में मारम सब स्टेशन विलोंग सब स्टेशन तक 33 केवी सिंगल सर्किट लाइन के साथ 2x2.5 एमवीए, 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	170.00
4.	चांदेल में संबद्ध 132 केवी लाइन और संबंधित निर्माण कार्यों के साथ 2x12.5 एमवीए, 132 केवी सब स्टेशन सब स्टेशन की स्थापना	416.00
5.	हौका में थूबल नदी पर पुल का निर्माण	86.81
6.	कियामगी मांग मापा में इंफाल नदी पर पुल का निर्माण	148.00
7.	मणिपुर में हीरोक चिंगड़ोगपोक में हीरोक नदी पर पुल का निर्माण	69.44
8.	मणिपुर में लीसांगथीम में यूबल नदी पर पुल का निर्माण	107.00
9.	मणिपुर में रिहा लोउते और आसपास के गांवों में जल आपूर्ति का विस्तार	110.00
10.	इंफाल ईस्ट में खारासोन में ईताम नदी पर ब्रिज का निर्माण	113.00
11.	मणिपुर में वैयूपट में जल आपूर्ति योजना (18एमएलडी)	1500.00
12.	मणिपुर में तमेंगलोंग में लोकतम डाउन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (233 मेगावाट) का बाराज घटक	3450.00
13.	खुगा नदी पर कुंबी पुल (49 मीटर स्पैन) का निर्माण	107.79
14.	पहाड़ी इलाकों में 32 पीएचएससीएस का निर्माण	165.00
15.	घाटी के इलाकों में 18 पीएचएससीएस का निर्माण	113.16
16.	इंफाल वेस्ट में सेकमाइजिन में संबद्ध 33 केवी लाइन और संबंधित निर्माण कार्यों के साथ 2x5 एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	118.92
17.	चूड़ाचांदपुर में हेंगलेप में संबद्ध 33 केवी लाइन के साथ 2x1 एमवीए 33 केवी सब केवी स्टेशन की स्थापना	129.38
18.	चांदेल में चकपिकरांग में संबद्ध 33 केवी लाइन और संबंधित निर्माण कार्यों के साथ 2x1 एमवीए, 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	174.79

1	2	3
19.	इंफाल ईस्ट में सगोलमंग में संबद्ध 33 केवी लाइन और संबंधित कार्यों के साथ 2x3.15 एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	107.05
20.	उखरूल में उखरूल खुंजओं में संबद्ध 33 केवी लाइन संबंधित निर्माण कार्यों के साथ 2x5 एमवीए, 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	132.48
21.	सेनापति-फाइबंग रोड का निर्माण (90 कि.मी.)	900.00
22.	कियामगी मांग मापा में इंफाल नदी पर पुल का निर्माण	115.74
	जोड़	**8435.68**

मेघालय (लाख रुपए)

1.	रिओ भोई प्रिबाइटेरियन हायर सेकेंडरी स्कूल, रिओ-भोई जिला, मेघालय के स्कूल भवन का निर्माण	115.00
2.	राहमबाई पोहशकुर सेकेंडरी स्कूल, राइमबाई जैंतिया हिल, मेघालय के स्कूल भवन का निर्माण	55.23
3.	नोंगपोह (शहरी) जल आपूर्ति योजना, मेघालय	600.00
4.	मेंदिपेथर सेकेंडरी स्कूल, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के स्कूल भवन का निर्माण	38.24
5.	तुरा, गारो हिल्स, मेघालय में गनोई जल विद्युत परियोजना (22.5 एमवी) के निर्माण में 30 प्रतिशत अनुदान की संस्वीकृति	1156.79
6.	मेघालय में मावशाहेव-उमलाई मावफु रोड के 6 से 13 कि.मी. तक के शेष भाग का निर्माण	300.00
7.	मेघालय में रिओ-भोई जिले में न्यू उमत्तु जल विद्युत परियोजना (2.20 एमवी)	1521.08
8.	मेघालय में सोनापुर (एनएच-440 से लाड बोरसोरा तक 910 कि.मी) सड़क की रोडी़ डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार करना	262.39
9.	मेघालय में माइरंग जल आपूर्ति योजना	210.00
10.	मेघालय में एनएच-37 (गुवाहाटी-शिलांग रोड) के 9वें मील से किलिंग पिलंगकाटा तक (6.00 कि.मी.) रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सड़क का सुधार, चौड़ा सुदृढ़ करना	100.00
11.	जैंतिया हिल्स, स्वायत्त जिला परिषद, जोवाई (जैंतिया हिल्स) मेघालय के लिए लावमुसियांग मार्किट का पुनर्विकास	633.03
12.	मेघालय में लुमशोंग-उमलोंग सड़क का (0-8 कि.मी.) रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित निर्माण	102.03
13.	मेघालय में जकरेम-रानीकोर सड़क का (6-15 कि.मी.) तक रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार	148.83
14.	दखिया-सुतंगा साईपुंज-मौलसेई-हाफलोंग सड़क का (29 से 44 कि.मी.) तक रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार और चौड़ा करना	210.11

1	2	3
15.	मेघालय में राइमबाई से दीचिनरम तक (7कि.मी.) दो लेन की सड़क का रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार/निर्माण	189.80
16.	मेघालय में लमशाड, लाड मॉनगम के समीप शॉपिंग काम्प्लेक्स एवं आडिटोरियम का निर्माण	72.88
17.	सुतंगा प्रेसबाइटेरियन हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए स्कूल भवन का निर्माण	68.00
18.	मेघालय में मिसा (असम) से बिरनीहाट (मेघालय) तक 220 केवी डी/सी पारेषण लाइन का निर्माण	2500.00
19.	एसएसी विस्तार कार्यक्रम-नई अर्थव्यवस्था में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रोगार क्षमता का विकास करना और मेघालय में क्षेत्रीय प्रतिभा को बढ़ावा देना और प्रमाणित करना	99.18
20.	मेघालय में मुखाईलोंग-लुमशियुर्मिति (0-19 कि.मी.) सड़क का रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार	290.00
21.	मेघालय में एनएच-51 रांगसिग्रे तक (4.725 कि.मी.) सड़क का रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार	100.00
22.	मेघालय में मुशूट से लम्पुथोई तक (12 कि.मी.) सड़क का रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार	150.00
23.	मेघालय में मावसिनराम सीमावर्ती क्षेत्र कॉलेज की अवसंरचना की आवश्यकता	77.49
24.	मावकिरवात-रंगबालांग (12 कि. मी. से 19 कि.मी.) तक सड़क का रोड़ी डालने और तारकोल बिछाने सहित सुधार	150.00
25.	मेघालय में किनटोन मस्सर, मावलई में ओ.एम राय मेमोरियल स्कूल के भवन का निर्माण	70.50
26.	मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में टिकरीकिला कॉलेज काम्प्लेक्स का निर्माण	170.00
27.	मेघालय में अराईमिले से तुरा टाउन रोड़ के डाकोप्रग्रे तक (4.00 कि.मी.) सड़क को दो लेन में चौड़ा करना	90.00
	जोड़	**9482.69**

मिजोरम (लाखों रुपए)

1.	मिजोरम में एनएलसीपीआर के तहत लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के अंदर स्कूलों का निर्माण	73.68
2.	मिजोरम में कितुयम-आर्तकवान रोड पर तुईचांग नदी पर पुल का निर्माण	81.00
3.	मिजोरम में माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण	236.00
4.	मिजोरम में एनएलसीपीआर के तहत लाई स्वयत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के अंदर स्कूलों का निर्माण	73.68
5.	मिजोरम में लोंगपुईघाट-कुकुरदुलेया सड़क (36.00 कि.मी.) का निर्माण	344.69

1	2	3
6.	मिजोरम में लंगतलाई भूस्खलन स्थल पर सड़क बनाने का और पुनरूद्धार करने का निर्माण कार्य	69.08
7.	आइजोल में मिजोरम लॉ कॉलेज का निर्माण	90.48
8.	मिजोरम में विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक हालों का निर्माण	148.00
9.	मिजोरम में पर्वा-1 से सिमेनसोरा तक सड़क का उन्नयन	377.91
	जोड़	**1494.52**

नागालैंड (रुपए लाख)

1.	नागालैंड में कम गहरे ट्यूबवैलों के जरिए भूजल संसाधनों का उपयोग	19.85
2.	नागालैंड में खनिज भंडार वाले इलाकों तक संपर्क सड़कों का निर्माण	820.00
3.	नागालैंड में धनसिरी नदी पर 2 लेन के आरसीसी पुल का निर्माण	203.33
4.	नागालैंड में समेकित नगुईकी सिंचाई परियोजना	73.23
5.	नागालैंड में दीमापुर में राज्य रैफरल अस्पताल का जीर्णोद्धार	645.30
6.	नागालैंड में हेजीदेश गांव में इंतांकी नदी पुल का सुधार और मोंगलुमुक से जालुकी गांव तक सड़क का उन्नयन	221.42
7.	रूसोमा से कुजुमेतुमा तक (36 कि.मी.) सड़क का उन्नयन	683.99
8.	नागालैंड में 25 वर्ष से अधिक पुराने 11 राजकीय हाई स्कूल भवनों का सुधार और उन्नयन	308.49
9.	नागालैंड में कोहिमा में राज्य अभिलेखागार	135.81
10.	नागालैंड में रजेबा से छिजामी तक वाया थेत्सुमी (25-30 कि.मी.) सड़क का निर्माण	810.20
11.	नागालैंड में गणेशनगर से पेरेन तक 66 केवी पारेषण लाइन (33 केवी पर चार्ज की गई) का निर्माण और जालुकी और पेरेन में 5 एमवीए, 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	672.75
12.	नागालैंड में रूझाओं से फेक शहर तक वाया खुमवोफु (13 कि.मी.) सड़क का निर्माण	270.55
13.	नागालैंड में रूसोमा सें किजुमेतुमा सड़क पर डीजैडयु-यु नदी पर आईआरसी पर श्रेणी "ए" लोडिंग के टी. बीम गर्डर डबल लेन पुल का निर्माण	171.32
14.	नागालैंड में खनिज भंडार वाले इलाकों तक संपर्क सड़कों का निर्माण	820.00
15.	नागालैंड में फेक से छोजुबा तक (44.36 कि.मी.)सड़क का निर्माण	550.00
16.	नागालैंड में हेजीदेस गांव में इंतंकी नदी पुल तक सड़क (6.60 कि.मी.) का सुधार और मोंगलुमुक से जालुकी गांव तक सड़क (6.30 कि.मी.) का उन्नयन	211.50
17.	नागालैंड में पर्यटक गांवों से प्रमुख/लघु केन्द्रों तक सड़कों का उन्नयन और सुधार	151.48

1	2	3
18.	नागालैंड में किफोर से कितुस्किर तक (10 कि.मी.) सड़क का निर्माण	231.20
19.	नागालैंड में जेकिए से होकिया तक वाया सतोई(जेकिए-घोखुवि)26 कि.मी. सड़क का निर्माण और सुधार	523.00
20.	नागालैंड में एनएच-150 से थिफुज तक (25 कि.मी.) सड़क का निर्माण	375.00
21.	नागालैंड में तामलु प्रशासनिक मुख्यालय से शिमन्युचिंग तक सड़क का निर्माण	360.00
22.	नागालैंड में वोखा जिले में सड़कों का सुधार (प्रधानमंत्री का पैकेज)	140.59
23.	नागालैंड में ट्युनसांग जिले में सड़कों का सुधार (प्रधानमंत्री का पैकेज)	1041.11
24.	नागालैंड में तुओफेमा से काशा तक (8.5 कि.मी.) सड़क का निर्माण/सुधार	181.21
25.	नागालैंड में नोकलक से थोनोक्यू तक, वाया संगलाओ, सड़क का निर्माण	265.68
26.	नागालैंड में अगुनातो से समतोर तक सड़क निर्माण	493.70
	जोड़	**10380.71**

सिक्किम (रुपए लाख)

1.	दक्षिणी सिक्किम में सर्किल के तहत नमाची-असांगथांग रोड (कि.मी.)	188.52
2.	सिक्किम में सिंगताम में तिस्ता पर गोशखान द्वारा पुल का निर्माण	418.50
3.	सिक्किम के विभिन्न स्कूलों में स्कूल भवन और वर्षा जल संचय का निर्माण	361.43
4.	सिक्किम में एलएलएचपी से नाथुला तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	907.80
5.	सिक्किम के 5 माध्यमिक स्कूलों के लिए एक बहुप्रयोजन हाल एवं कक्षा कक्षों का निर्माण	281.50
6.	पश्चिम सिक्किम में लेगशिप ताशीडिंग रोड पर रंगित पदी पर पूर्व प्रतिबलित पुल का निर्माण	430.40
7.	सिक्किम में रिम्बी स्टेज-1 और 2 के अभिनवकरण और आधुनिकीकरण सहित 66 केवी राज्य ग्रिड के साथ रिम्बी स्टेज-1 और रिम्बी-2 को एक साथ चालू करना	259.82
8.	पूर्वी सिक्किम में पाक्योंग-माचोंग-रोलेप राड (35 कि.मी)का निर्माण	1028.60
9.	दक्षिण सिक्किम में रबोलंगला-माक्खा रोड (26 कि.मी.) का उन्नयन	14.48
10.	सिक्किम में रबदेनत्से, ग्येजिंग में वर्षा जल संचय ढांचे का निर्माण	145.00
11.	चखुंग खनेशरवांग एसपीडब्ल्यु रोड से चोटा समदंगहोते हुए मजुवा गांव तक सिक्किम के पश्चिम जिले में 2 आरसीसी पुलों के साथ 3 कि.मी. लंबी सड़क का विस्तार	83.62
12.	चंगथांग के लिए 66 केबी सब स्टेशन और चंगथांग में 2x5 एमवीए ट्रांसफारमर बे और मयोंग में एक फीडर बे का निर्माण	170.20

1	2	3
13.	सिक्किम के विभिन्न स्कूलों में स्कूल भवनों और वर्षा जल संचयन का निर्माण	281.48
14.	पूर्वी सिक्किम में एलएलएचपी से नन्दोक रोड (4 कि.मी.) का उन्नयन	112.95
15.	पश्चिम सिक्किम में श्रीबादाम-देयथांग-मंगलबेरी 18.3 कि.मी. रोड का निर्माण/सुधार	520.35
16.	पूर्वी सिक्किम में तिनतेक-दिक्चु रोड-12 कि.मी. का सुधार और चौड़ा करना	316.95
17.	सिक्किम में (क) चिकबेरी (ख) जूम और (ग) माझीगांव नदी के किनारे ग्राम पर्यटन का विकास	528.02
18.	उत्तरी सिक्किम में पासिंगडोंग पीएचई से लिंगयेम गुफा (मोनेस्ट्री)और लिंगथेम स्कूल तक 8 कि.मी. संपर्क सड़क का निर्माण	241.15
	जोड़	**6290.77**

त्रिपुरा (लाख रुपए)

1.	भवान त्रिपुरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कॉलेज	165.51
2.	त्रिपुरा में तेलियामुरा में जलापूर्ति परियोजना	19.52
3.	त्रिपुरा में हालाहाली-अंबासा-दंगाबारी-थायचेरा-बागफा-बेलोनिया रोड (173 कि.मी.)का उन्नयन	1587.60
4.	त्रिपुरा में तेलियामुरा उप-प्रभागीय अस्पताल का सुधार	230.65
5.	त्रिपुरा में दक्षिण जिला अस्पताल	176.00
6.	त्रिपुरा में उत्तरी जिला अस्पताल	176.00
7.	उत्तरी त्रिपुरा में अध्यापक शिक्षा का एक नया कालेज स्थापित करना	664.72
8.	उत्तरी त्रिपुरा में बोधजंगनगर औद्योगिक क्षेत्र सहित ट्रांसमिशन योजना	400.0
9.	त्रिपुरा में 2 पर्तमान अर्द्ध स्थायी लकड़ी के (एसपीटी) पुलों के स्थान पर कमलापुर-माराचेरा-अम्बासा रोड पर 23.85 कि.मी. और सीएच: 24.45 कि.मी. पर नए आरसीसी पुलों का निर्माण	239.03
10.	त्रिपुरा में राज्य के बी.एड. कालेज का सुधार	260.06
	जोड़	**3919.09**

बीटीसी पैकेज (लाख रुपए)

1.	बीटीसी पैकेज के तहत सड़क परियोजनाएं	1161.57
2.	2008-09 में संस्वीकृत बीटीसी पैकेज के तहत तीन परियोजनाएं	1675.88
3.	भूमका होते हुए गोसाईगांव से कजोगांव तक का सुधार	495.00

1	2	3
4.	जिन परियोजनाओं के लिए राशि 2005-06 से 2008-09 तक जारी की गई थी उनके लिए 10 प्रतिशत ऋण का घटक	3370.51
	जोड़	**6702.96**

वित्त वर्ष 2009-10

अरूणाचल प्रदेश (लाख रुपए)

1.	अरुणाचल प्रदेश में सिंगचुंग उप प्रभाग के तहत डिटचिंग, सचेदा, रामु-सोतु और लिचिनी होते हुए मगोपाम से बीचोम वाया नामफरी (50 कि.मी.) रोड	493.65
2.	अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अरूणाचल प्रदेश के सिविल सचिवालय भवन निर्माण	3307.23
3.	अरुणाचल प्रदेश में नफरा से नाखु नचीबन गांव तक (11.00 कि.मी.) सड़क का निर्माण	199.09
4.	अरुणाचल प्रदेश सतनागुडी से लांगडिंग तक रोड वाया कानुबारी बनफेरा, बानू और जेदुआ (चरण-1) (15.50 कि.मी.)	124.48
5.	अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में किटपी में विवेकानन्द केंद्रीय विद्यालय	91ण05
6.	अरुणाचल प्रदेश में नामसांग खेला रोड (45 कि.मी.) का निर्माण	178.11
7.	अरुणाचल प्रदेश में यारकुम होते हुए तामेन ताली रोड(45 कि.मी.) का निर्माण चरण-1: 0.00 से 99 कि.मी.	323.32
8.	अरुणाचल प्रदेश में गचाम-मोरशिंग रोड (24.50 कि.मी.) का निर्माण	706.50
9.	अरुणाचल प्रदेश में याचुली में किमिन जोरी. बी. आरटीएफ रोड पर प्वाइंट (80.00 कि.मी.) से कृषि विज्ञान केंद्र तक (5.500 कि.मी.) रोड का निर्माण	276.85
10.	अरुणाचल प्रदेश में बामेंग से लाडा तक (40 कि.मी.) रोड का निर्माण	276.30
11.	अरुणाचल प्रदेश में रोइंग शांतिपुर रोड (सीएच: 9.2 कि.मी.) पर जिया तेनाली से इडिली होते हुए बिजारी तक (19.90 कि.मी.) रोड का निर्माण	545.15
12.	अरुणाचल प्रदेश में मेरीयांग प्रभाग के तहत 90 मीटर चौड़ रेंग्लात में यामने नदी पर मोटर योग्य स्टील आर्क पुल का निर्माण	228.38
13.	अरुणाचल प्रदेश में तिराप जिले में कमहुआ नोवनु गांव (फेंगचाउ सर्किल) से नगीनु बीआरटीएफ प्वाइंट (वाक्का सर्किल) तक पीडब्ल्युडी रोड से रोड का निर्माण	477.60
14.	अरुणाचल प्रदेश में पुगिंग से पालिंग तक रोड का निर्माण	540.07
15.	तवांग टाउनशिप रोड का निर्माण	172.82

1	2	3
16.	अरूणाचल प्रदेश में (122 मीटर चौड़ी) पाकसिंग सियोम नदी पर स्थायी संस्पेंशन ब्रिज का निर्माण	126.81
17.	अरूणाचल प्रदेश में जीरो में 32 कि.मी. आंतरिक सड़क का निर्माण	495.00
18.	अरूणाचल प्रदेश में वाक लिरोमोबा रोड (78 कि.मी.) चरण-1 (15 कि.मी.) रोड का निर्माण	233.00
19.	अरूणाचल प्रदेश में दमपोरिजो से हाली तक (45 कि.मी.) रोड का निर्माण	1121.06
20.	अरूणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में मेंगा-गिबा (8 कि.मी.)रोड का सुधार/उन्नयन	128.40
21.	अरूणाचल प्रदेश में तवांग जिले में तवांग मोंटेसरी से अनीगोम्पा तक रोपवे	84.96
22.	अरूणचल प्रदेश ईटानगर में राज्य विधान सभा भवन का निर्माण	1362.59
23.	अरूणाचल प्रदेश में संग्रम में फासंग पलांग वाया न्यापिन (एसडीओ मुख्यालय) चरण-1 में रोड का निर्माण	268.81
24.	अरूणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले में जोप से सिलसांगों तक (30 कि.मी.) रोड का निर्माण	774.41
25	अरूणाचल प्रदेश में यारकुम होते हुए (120.00 कि.मी.) तामेन ताली रोड (चरण-1:0.00 49.00 कि.मी.) का निर्माण	186.23
26.	अरूणाचल प्रदेश में पश्चिम सियांग जिले में न्योरक से राइम मोकुगांव तक (20 कि.मी. चरण-1: 9.2 कि.मी.) रोड का निर्माण	355.00
27.	अरूणाचल प्रदेश में (174.00 मीटर चौड़ा) सुबनसिरी नदी पर सियुम के समीप स्टील संस्पेशन ब्रिज का निर्माण	204.05
28.	अरूणाचल प्रदेश में चंगीयांग जिले में चंगीयांग से खिमयोंग तक (36.10 कि.मी.) सड़क का सुधार	303.07
29.	अरूणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले के मेबो उप प्रभागीय मुख्यालय और साथ लगे गांवों में पेय जल की आपूर्ति उपलब्ध कराना	724.72
30.	अरूणाचल प्रदेश के 14वें दाइमुख विधान सभा चुनाव क्षेत्र के तहत सभी प्रशासनिक मुख्यालयों और उसके गांवों को जलापूर्ति सुविधाएं प्रदान करना (बढ़ाना)	200.00
31.	अरूणाचल प्रदेश में नोनखों होते हुए नए मोहोंग से महादेवपुर टाउनशिप तक (12 कि.मी.) रोड का निर्माण	106.44
32.	अरूणाचल प्रदेश में खेती से दमन स्टेज-1(21.00 कि.मी) लंबी रोड का निर्माण	382.76
33.	अरूणाचल प्रदेश अपर सियांग जिले के जेंगिंग से रामसिंग तक (35 कि.मी.) रोड का निर्माण	113.92
34.	अरूणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले में सिल्ली से यंगरंग तक रोड का निर्माण	176.80
	जोड़	**15288.63**

1	2	3
असम		(लाख रुपए)
1.	असम में नजिराखाट सोनापुर की (6 कि.मी. लंबी) सड़क चौड़ी करना और उठाना	130.80
2.	असम में 31 कि.मी. में बीबीडीसी रोड का सुधार	1216.93
3.	शोणिमपुर जिले में संपर्क सड़कों सहित चरियाली पावोई रोड पर आरसीसी पुल सं. 6/1 का निर्माण	29.58
4.	असम के कामरूप जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से शरू करके रामपुर आदर्श रोड का सुधार	129.39
5.	असम में (क) दिररिंग नदी पर आरसीसी पुल सं. 8/6 का निर्माण	351.19
	(ख) बोरजन नदी पर पुल सं. 18/1,	
	(ग) बोरजन नदी पर पुल सं. 19/1,	
	(घ) दोनजान नदी पर पुल सं. 23/3,	
	(ङ) काकोसांग नदी पर पुल सं. 27/3,	
	(च) चौकीहोला-पनजान-डीथोर-मलासी-डिररिंग-कोहोरा रोड (सीपीडीएमडी) पर दीहोरी नदी पर पुल सं. 48/1 और	
	(छ) कोहोरा वागोरी रोड पर कोहरा नदी पर आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	
6.	रपशिर अली (पुल सं. 3/2, 5/2 एवं 5/4 का निर्माण)	66.15
7.	गारमारी गागलमारी रोड पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	72.81
8.	असम में नंदिनी कराइमारी रोड पर आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	204.25
9.	असम में नवांग जिले के तहत नवांग-बाड़ा पुजिया रोड का सुधार	85.63
10.	बोंगईगांव जिले में जोगीघोरा चापार रोड पर आरसीसी पुल सं. 5/1, 7/1, 8/1, 9/9 और 11/1 का निर्माण	200.10
11.	असम में नालबाड़ी जिले में संपर्क सड़कों सहित बगलास रोड पर आरसीसी पुल सं. 26/1, 19/1, और 19/3 का निर्माण	111.44
12.	असम में संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल, ह्युम पाइप पुलिया, जल निकासी सहित गनजुंग माईबाग रोड पर 17 से 28.78 कि.मी. तक रोड़ी बिछान और तारकोल डालना	198.71
13.	असम में नगांव जिले में नगांव बड़ा पुजिया (राष्ट्रीय राजमार्ग 38) रोड प्रभार पर आरसीसी पुल संख्या 7/1, 15/1, और 19/1 का निर्माण	146.00
14.	असम में उदालगुड़ी जिले में बेनगाबरी, अम्बागांव रोड पर लखीमोरासुती नदी पर लाखी नदी पर 3/2 और भुला नदी पर 7/2 का निर्माण	188.00
15.	संपर्क सड़कों और संरक्षण निर्माण कार्यों के साथ गोलाघाट जिले में माउंट गोलाघाट मेरापानी रोड पर आरसीसी पुल सं. 24/2 और 32/2 का निर्माण	74.98

1	2	3
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग-37 से जीएस रोड तक बिजली के काम सहित 4 लेन त्रिपुरा रोड का निर्माण	332.43
17.	गोरोईमारि-देवगुड़ी लहरीघाट सड़क पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 12/1 का निर्माण	113.11
18.	कोकराझार जिले में धुबरी-कचुगांव सड़क पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1, और 45/1 का निर्माण	205.46
19.	घागरा नदी पर वृहत आरसीसी पुल के निर्माण सहित चेंकुरी एलगिन सड़क का सुधार और उन्नयन	416.60
20.	असम में बोरजन संयुक्त सिंचाई योजना	267.78
21.	असम में मजुली नातुन कमलबाड़ी सत्र (चरण-1)की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण	218.46
22.	नगांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव गोवेसोना केंद्र सड़क पर शांतिजन नदी पर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	50.00
23.	असम में धुबरी जिले में सिलेरपारा-बोर्शीझोरा सड़क पर रेगुलर गदाधर चैनल पर आरसीसी पुल सं. पुल सं. 1/1 का निर्माण	182.55
24.	उत्तर-पूर्वी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (एनइजेओटीआई), गुवाहाटी, असम का अवसंरचानात्मक विकास	137.99
25.	असम में धुबरी जिले में बेलगुड़ी-सत्रसाल सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	110.69
26.	बारपेटा जिले में डॉ. जीना राम दास रोड पर कालदिया नदी पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 2/4, 6/1, और 8/1 का निर्माण	216.12
27.	असम में लांगक्लांगवोंग जल आपूर्ति योजना	210.51
28.	दखिनगांव में कहिलीपाड़ा से डॉन बोस्को स्कूल तक सड़क का सुधार	113.84
29.	सोनितपुर जिले में बदलीपाड़ा औद्योगिक विकास केंद्र के लिए विद्युत लाइन	320.72
30.	असम में सरयघाट में बूढीधींग नदी पर संपर्क सड़कों के साथ आरसीसी पुल सं. 18/1 और 19/1 दो पुलों के साथ-साथ 12 कि.मी. से 18 कि.मी. तक डिब्रुगढ़-सापेखटी सड़क का निर्माण	828.72
31.	असम में नारायणपुर शहर में नगरपालिका की सड़कों का सुधार	141.17
32.	नगांव ग्रामीण सड़क डिवीजन (नगांव जिला) के अंतर्गत सोनाई नदी पर जाजारी-चाबुकधारा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 5/1 का निर्माण	85.52
33.	नगांव जिले में अम्बगांव कठपाड़ा सोलमारी सिंगयारी सड़क पर (एनजी-एम-17) आरसीसी पुल सं. 6/1, 9/1, और 10/1 का निर्माण	85.52
34.	मोरिगांव जिले में संपर्क सड़कों और संरक्षण कार्यो सहित भालुकमारी मिकिरभेटा भुरबंधा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 8/1 का निर्माण	90.76

1	2	3
35.	उदालगुड़ी जिले में क्रॉस ड्रेनेज निर्माण कार्यों सहित सीएच.00 एम से सीएच 9400 एम तक टांगला भेरगांव रामगांव सड़क का सुधार	368.82
36.	पक्के नाले और आरसीसी के स्लैब की पुलियों के साथ-साथ डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद पथ से दौलगोबिंदपुर तक, वाया नलबाड़ी हिन्दू संस्थान, नलबाड़ी, सड़क पर रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना	81.21
37.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बागोरी प्रवेश स्थान पर पर्यटक आधारभूत संरचना का विकास	116.32
38.	असम में जोरहाट में जेबी रोड पर संपर्क सड़कों सहित आरसीसी पुल सं. 4/1,और 6/1का निर्माण	115.20
39.	सिलचर में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	209.05
40.	डिब्रूगढ़ डिवीजन में तेंगाघाटा खेरमिया मौजा में बूढीधींग नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना	112.00
41.	हेलकांदजिले में स्वप्नपूर से रामचंडी रोड पर डालना और तारकोल बिछाना	153.50
42.	जोरहाट शहर में सड़कों का निर्माण	78.43
43.	शिवसगर शहर की सड़कों का सुधार	108.00
44.	डिब्रुगढ़ जिले में सासोनी मौजा में बूढीधींग नदी से लिफ्ट सिंचाई योजना	91.44
45.	डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क डिवीजन के अंतर्गत डिब्रु-चाईखोवा उद्यान की ओर जाने वाली सड़कों के नेटवर्कों का सुधार	268.79
46.	डीथोर लघु सिंचाई एवं सामुदायिक विकास परियोजना	78.42
47.	असम में मगलडोई जल आपूर्ति योजना	445.06
48.	जोरहाट सड़क डिवीजन के अंतर्गत चारिगांव सड़क का सुधार	199.82
49.	असम में नगांव राज्य सड़क डिवीजन (नगांव जिला) के अंतर्गत नगांव-भुरागांव रोड, वाया धींग का उन्नयन	410.71
50.	असम में तीनसुखिया जिले में मरगेरीता पाइप जल आपूर्ति योजना	328.73
51.	बारपेटा जिले में मानस सेंचुरी को जाने वाली बारपेट-बसबाड़ी रोड का 1 कि.मी. से 21 कि.मी. तक सुधार	250.00
	जोड़	10749.41

मणिपुर (लाख रुपए)

1.	खुमान लमपक स्पोर्टस काम्प्लेक्स में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	580.60
2.	सावोमबंग-सगोलमंग सड़क का 0 कि.मी. से 12 कि.मी. तक सुधार	70.16

1	2	3
3.	बाबू बाजार में थूबल नदी पर पुल का निर्माण	92.19
4.	कोमलथबी, चांदेल में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	119.25
5.	साईकोट ब्लॉक मुख्यालय, चुडाचांदपूर में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	93.36
6.	लियाई खुलेन, सेनापति में जल आपूर्ति योजना का पुनरूद्धार	108.00
7.	चुड़ाचांदपूर में थनलोन में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	67.18
8.	सेनापति में मोटबंग में संयुक्त जल आपूर्ति	80.70
9.	चुड़ाचांदपूर सिंघाट में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	64.45
10.	काकचिंग ईथी मारू मुख्य नहर का आधुनिकीकरण	103.16
11.	खरूल जिले में जिला स्पोर्टस काम्प्लेक्स का निर्माण	330.00
12.	इंफाल वेस्ट में लांगथाबल फुरमखोंग में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	269.70
13.	9 जिलों पशु अस्पतालों का निर्माण	231.40
14.	लीशांगथेम में थूबल नदी पर पुल का निर्माण	83.70
15.	उखरूल में संगशाक में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	44.10
16.	मणिपुर विश्वविद्यालय में 60 संबद्ध कालेजों का अवसंरचनात्मक विकास	300.00
17.	हीरक चिंगडोंगपोक में हीरक नदी पर पुल का निर्माण	53.75
18.	थूबल में ईरोंग ईचिन के पास थुबल नदी पर पुल का निर्माण	128.00
19.	सेनापति में 50 विस्तर वाले जिला अस्पताल का निर्माण	449.22
20.	चुड़ाचांदपुर में संगाईकोट में जल आपूर्ति का संवर्धन	44.10
21.	मणिपुर में खारासोम लाजो-लायी रोड पर लायी नदी पर पुल का निर्माण	124.65
22.	चुडांचांदपुर में चांगपिकोट में जल आपूर्ति योजना का निर्माण	36.90
23.	मणिपुर में तमेई-कुईलोंग सड़क पर जडुकी नदी पर पुल का निर्माण	79.00
24.	इंफाल ईस्ट में खोमिडोक जल आपूर्ति योजना का पुनरूद्धार (1.20 एमएलडी)	162.30
25.	विष्णुपुर में लीमराम ईरेंघम एरिया जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	91.25
26.	मणिपुर में खुमान लंपक स्पोर्टस काम्प्लेक्स में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	447.88

1	2	3
27.	इंफाल में 480 बिस्तर वाले जे. एन. अस्पताल उन्नयन करना और सुसज्जित करना	631.00
28.	इंफाल ईस्ट में खरासोम में ईतम नदी पर बराज का निर्माण	127.50
29.	पूरूल सब डिवीजन मुख्यालय में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	132.45
30.	सेनापति में तुंजय में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	67.96
31.	कोंथुजाम जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	273.60
32.	घाटियों में 10 प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का निर्माण (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ii) बैरक टाइप क्वार्टर	277.20
33.	जीरी तिपाईमुख रोड का सुधार (8-48 कि.मी.)	655.15
34.	वाईथुपट जल आपूर्ति योजना (18 एमएलडी)	1433.67
35.	ऊनोपट और आसपास के गांवो मे जल आपूर्ति का संवर्धन	104.80
36.	लमशांग-खोंगहम्पट रोड का सुधार (8.54 कि.मी.)	151.78
37.	उखरूल जिले में 50 बिस्तर वाले जिला अस्पताल का निर्माण	502.90
38.	मारम सब डिवीजन से विलिंग सब डिवीजन तक 33 केवी सिंगल सर्किट लाइन के साथ-साथ 2×2.5 एसवीए, 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	196.10
	जोड़	9009.01

मेघालय (लाख रुपए)

1.	मेघालय में मावफलांग-बालाट रोड पर 10 पुलों और संपर्क सड़क का पुनर्निर्माण	103.36
2.	मेघालय में गारोबाधा-बेटासिंग रोड, वाया रंगशखोना (जीआर रोड के 6 कि.मी. से बीएम रोड के 6 कि.मी. तक वाया खसीबिल) (7.833 कि.मी.) का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	350.00
3.	मेघालय में नोंगस्टोइन में न्यू नोंगस्टोइन मार्किट काम्प्लेक्स का निर्माण	163.45
4.	विलियम नगर शहर में (8 कि.मी.) सड़क को चौड़ा करके दो लेन का बनाना जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	544.56
5.	मेघालय में नोंगपोह (शहरी) जल आपूर्ति योजना	376.05
6.	मेघालय में लिंगखत-डावकी रोड 9.75 कि.मी. का पुनरूद्धार	417.91
7.	मेघालय में डमलग्रे-मेलिम-बोल्डमगिरी रोड पर पुलों और संपर्क सड़कों का पुनर्निर्माण (पुल सं. 5/3, 8/5, 9/1 और 10/2)	412.90

1	2	3
8.	मेघालय में लेमेर, अपर शिलांग, ईस्ट खासी हिल्स में बोरमानिक कालेज बिल्डिंग का निर्माण	90.19
9.	मेघालय में मावकिरवात-रंगब्लांग रोड का (12वें कि.मी. से 19वें कि.मी.) सुधार जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	115.80
10.	मेघालय में मिसा (असम) में बिरनीहाट (मेघालय) तक 220 केवी डबल सर्किट पारेषण लाईन का निर्माण	1107.00
11.	मेघालय में नोंगपिनडेंग, नोंगस्टोइन, वेस्ट खासी हिल्स में नोंगस्टोइन कालेज बिल्डिंग, छात्र एवं छात्राओं के छात्रवास, लाइब्रेरी आदि का निर्माण	223.06
12.	मेघालय में खेरापाड़ा से डेकु बाजार रोड पर पुलों का पुनर्निर्माण (पुल सं. 2/5, 5/3, और 10/2)	307.00
13.	मेघालय में ग्रेटर रेलियांग जल आपूर्ति परियोजना	776.23
14.	मेघालय में मुखाईलोंग लुमशियुरमिट रोड (0-19 कि.मी.) का सुधार जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	111.45
15.	मेघालय में ग्रेटर सोहरीबखाम जल आपूति योजना (हिल्स डिवीजन)	241.29
16.	मेघालय में ग्रेटर उमसिंग जल आपूर्ति योजना	406.18
17.	मेघालय में जकरेम-रानीकोर रोड (6-15 कि.मी.) का सुधार जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	51.59
18.	मेघालय में मावसिनराम जल आपूर्ति योजना (हिल्स डिवीजन)	139.82
19.	मेघालय में मुशुट से लुम्पुथोइ (12 कि.मी.) सड़क का निर्माण जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	126.42
20.	मेघालय में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिलांग की आरसीसी बिल्डिंग का निर्माण	90.05
21.	मेघालय में रोंगजिएंग-मनगसंग-एडोरग्रे सड़क का पुलों सहित निर्माण जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है (33 से 38 कि.मी.) (5.16 कि.मी.)	158.13
22.	मेघालय में अमपति में 2×20 एमवीए, 132/33 केवी सब स्टेशन सहित रोंगखोन से अमपति तक डबल सर्किट लाइन का निर्माण	1108.55
23.	मेघालय में एनएच 51 से रोंगसिग्रे तक (4.725 कि.मी.) सड़क का सुधार, रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना	85.65
24.	मेघालय में एनएव-37 (गुवाहाटी-शिलांग रोड) के 9वें कि.मी. से किलिंग-पिलनकाता तक (6.00 कि.मी.) सड़क का सुधार, चौड़ा और सुदृढ़ करना जिसमें रोड़ी डालना और तारकोल बिछाना शामिल है	77.43
25.	मेघालय में दखियाह सुतंगा साइपुंग माउलसी हाफलोंग रोड पर लेतीन नदी पर स्थायी आरसीसी पुल के रूप में पुल सं. 31/1 का निर्माण	87.53
	जोड़	**7671.60**

1	2	3
मिजोरम		(लाख रुपए)
1.	मिजोरम में 4 कॉलेजों का अवसंरचनात्मक विकास	196.68
2.	मिजोरम के मारा स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को गहन और सुदृढ़ करना	16.8714
3.	मिजोरम में मारा स्वायत्ता जिला परिषद क्षेत्र में (एमएनडी) में स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण	76.47
4.	मिजोरम में चंपई में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	405.43
5.	मिजोरम में सिहमुई में आईजोल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	398.17
6.	मिजोरम में एनएलसीपीआर के तहत लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी) के अंदर स्कूलों का निर्माण	63.70
7.	मिजोरम में आईजोल में पोस्ट मैट्रिक छात्रों के होस्टल का निर्माण	60.00
8.	मिजोरम में आईजोल में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	506.50
9.	मिजोरम में लवंगतलाई से साइहा तक 33 केवी डबल सर्किट पारेषण लाइन (टावर टुपे) का निर्माण	267.60
	जोड़	**1991.4214**

नागालैंड		(रुपए लाख)
1.	नागालैंड में धनसिरि नदी पर 2 लेन के आरसीसी पुल का निर्माण	174.01
2.	नागालैंड में कोहिम लाइके रोड जंक्शन से ओल्ड पुइलवा (पुइलों) तक 15 कि.मी. सड़क निर्माण	264.33
3.	नागालैंड में यांगली से सुरूहोतो तक सड़क का निर्माण	315.77
4.	नागालैंड में शीफोबोजोउ आर.डी. ब्लॉक के 24 गांवों को जल की आपूर्ति करना	1030.97
5.	नागालैंड में रूसोमा से किजुमेतुमा तक (36.00 कि.मी.) सड़क का उन्नयन	597.06
6.	नागालैंड लोंगथो से लिपहयान में गवर्नर कैंप तक (20 कि.मी.) सड़क का निर्माण	386.32
7.	नागालैंड में रूसोमा से किजुमेतुमा सड़क पर डीजैडयू-यू नदी पर आईआरसी श्रेणी "क" लोडिंग के टी.बीम गर्डल डबल लेन पुल का निर्माण	195.40
8.	नागालैंड में चुचुईमलंग से मोंगडिकंग तक (20 कि.मी.) सड़क का निर्माण	390.48
9.	नागालैंड में खनिज भंडार क्षेत्रों में संपर्क सड़कों का निर्माण	701.71
10.	नागालैंड में लोंगलेंग में बहुउद्देश्यीय हाल का निर्माण	413.08
11.	नागालैंड में एनएच-61 से (अलिचेन से मंगटोंग तक 11 कि.मी.) दोयांग जल विद्युत परियोजना चरण-1 तक सड़क का सुधार /उन्नयन	248.52

1	2	3
12.	नागालैंड में तापलु प्रशासनिक मुख्यालय से शेमयुचिंग तक का सड़क का निर्माण	411.46
13.	नागालैंड में तूफेमा से काशा तक (8.5 कि.मी.) सड़क का निर्माण/सुधार	207.10
14.	नागालैंड में यांगली से सुरोहोतो तक (17 कि.मी.) सड़क का निर्माण	315.77
15.	नागालैंड में अगुपतो से समतोर रोड तक सड़क का निर्माण	563.75
16.	नागालैंड में झेकिए से होकिया तक वाया सतोई (झेकिए से धोखुवी तक) 26 कि.मी. सड़क का निर्माण और सुधार	597.44
17.	नागालैंड में वोख जिला, नागालैंड में सड़क का सुधार (प्रधानमंत्री पैकेज)	98.94
18.	नागालैंड में तूएनसंग जिला, नागालैंड में सड़क का सुधार (प्रधानमंत्री पैकेज)	1200.00
19.	नागालैंड में चुचुईमलंग से मोंगडिकंग तक (20 कि.मी.) सड़क का निर्माण	390.48
20.	नागालैंड में नोकलक से थोनोकन्यु वाया संगलाओ सड़क का निर्माण	304.01
21.	नागालैंड में पर्यटक गांवों से वृहत/लघु केन्द्रों (हब्स) तक सड़क का निर्माण	172.81
22.	नागालैंड में कोहिम लाइके रोड जंक्शन से ओल्ड पुइलवा (पुइलों) तक 104 कि.मी. सड़क का निर्माण	264.33
23.	नागालैंड में केफोर से कितुस्सकिर तक (10 कि.मी.) सड़क का निर्माण	234.36
24.	नागालैंड लोंगथो से लिपहयान में गवर्नर कैंप तक (20 कि.मी.) सड़क का निर्माण	386.32
25.	नागालैंड में एनएच-150 से थिफुजु तक (25 कि.मी.)	429.24
	जोड़	**10293.75**

सिक्किम (लाख रुपए)

1.	सिक्किम में सेंट्रल पंडेम में ग्रामीण जल आपूर्ति का संवर्धन	633.00
2.	वेस्ट सिक्किम में देंतम-उत्तारी रोड़ (10 कि.मी.) सड़क की कारपेटिंग/सतह सुधार	81.17
3.	सिक्किम में एलएलएचपी से टदोंग तक नई 66 केवी डबल सर्किट पारेषण लाईन और 66/11 केवी सब स्टेशन	294.50
4.	ईस्ट सिक्किम में रेनॉक जल आपूर्ति योजना	574.21
5.	ईस्ट सिक्किम में संग नया बाजार में जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	70.85
6.	साउथ सिक्किम में ममरिंग में 1x15 एमवीए, ट्रांसफार्मर और 66/11 के सब स्टेशन पर एक्सटेंशन बे की स्थापना	218.10

1	2	3
7.	साउथ सिक्किम में राबोंग बाजार में गार्डन सहित भगवानबुद्ध की प्रतिमा का पूर्ण विद्युतीकरण तथा साथ ही वर्तमान इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के आधुनिकीकरण और मरम्मत के साथ वर्तमान ओवरहैड एलटी वितरण लाइन को भूमिगत केबल प्रणाली में बदलना	144.18
8.	सिक्किम में (क) चिरबीरी, (ख) जुम और (ग) माझीगांव रिवर बैंक पर्यटक गांव का विकास	274.78
	जोड़	**2290.79**

त्रिपुरा (लाख रुपए)

1.	त्रिपुरा में 15 राजकीय डिग्री कालेजों में सुविधाओं का उन्नयन	1497.69
2.	त्रिपुरा में मोहनपुर-सिमना रोड पर सीएच 30.10 कि.मी. और सीएच 34.53 कि.मी. पर समचेरा नदी पर 2 आसीसी पुलों का निर्माण	123.08
3.	त्रिपुरा में धनपुर से ककराबन सड़क पर सीएच 7.00 कि.मी. और 4.50 कि.मी. पर 2 आरसीसी पुलों का निर्माण	124.71
4.	त्रिपुरा में कृषि कालेज की बिल्डिंग का निर्माण	2017.71
5.	त्रिपुरा में जोग्रेन्द्रनगर से जम्पईजला रोड सीएच 4.40 कि.मी. और सीएच 7.50 कि.मी. पर स्थानीय सरिता पर 2 आरसीसी पुलों का निर्माण	158.37
6.	त्रिपुरा में थलीबाड़ी रोड पर सीएच 4.50 कि.मी. पर ककरीचेरा पुल का निर्माण	75.52
7.	त्रिपुरा में गार्गी-तुलामुरा रोड पर तुलमुराचेत पर तुलमुरा मार्किट के समीप आरसीसी पुल का निर्माण	118.19
8.	त्रिपुरा में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज़ (अब एनआईटी) का अवसंरचनात्मक विकास	419.53
9.	त्रिपुरा में चंपकनगर से उदयपुर रोड तक सीएच 0.01 कि.मी. पर हावड़ा नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	108.60
10.	त्रिपुरा में विशालगढ़ तकरजरा रोड पर गोलघाटी मार्किट के पास आरसीसी पुल का निर्माण	127.14
11.	त्रिपुरा में चंपकनगर-मंडाईरोड (ओडीआर) पर सीएच 6.60 कि.मी. पर घनाई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	115.68
12.	त्रिपुरा में कृषि कालेज की बिल्डिंग का निर्माण	2017.71
13.	त्रिपुरा में मोहनपुर-सिमना रोड (ओडीआर) पर सीएच 12.00 कि.मी. पर सरिता पर आरसीसी पुल का निर्माण	83.80
14.	त्रिपुरा में कमलपूर-बिलासचेरा रोड (ओडीआर) पर सीएच 0.90 कि.मी. पर धुराईचेरा पर आरसीसी पुल का निर्माण	107.02
15.	त्रिपुरा में महारानी-तुलाशिखर रोड पर सीएच 6.05 कि.मी. पर बालूचेरा पर कृष्णपुर में काजवे के समीप आरसीसी पुल का निर्माण	64.13

1	2	3
16.	त्रिपुरा में बेरिमुरातलतला रोड पर (ओडीसी) पर लोहर पर आरसीसी पुल का निर्माण	82.56
17.	त्रिपुरा में कमलघाट-गमचकोबरा-बाणिक्य चोवमुहानी रोड पर सीएच 0.45 कि.मी. पर लोहर नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	95.90
18.	त्रिपुरा में सतचंद ब्लॉक आफिस-ओल्ड मनुबंकुल रोड (ओडीआर) पर सीएच 0.05 पर कालपनियाचेरा पर आरसीसी पुल का निर्माण	95.62
19.	त्रिपुरा में बधारघाट में त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण	100.55
20.	त्रिपुरा में जतनबाड़ी-नूतनबाजार में जल आपूर्ति योजना	187.57
21.	त्रिपुरा में विशालगढ़ में जल आपूर्ति योजना	280.23
22.	त्रिपुरा में खावाई-उदनारोड (ओडीआर) पर सीएच 12 कि.मी. पर लक्ष्मीचेरा पर आरसीसी पुल का निर्माण	77.65
23.	त्रिपुरा में 150 हाई स्कूलों की अवसंरचना का उन्नयन	547.00
24.	त्रिपुरा में 100 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की अवसंरचना का उन्नयन	941.31
	जोड़	9567.27

बीटीसी पैकेज (रुपए लाख)

1.	बोडोफा सांस्कृतिक काम्प्लेक्स कोकराझार का निर्माण	315.46

वित्तीय वर्ष 2010-11

अरूणाचल प्रदेश (रुपए लाख)

1.	अरूणाचल प्रदेश में सिंगचुंग उपमंडल के तहत मागोपांग से बिचोम वाया नामफ्री (50 कि.मी.) वाया डिचिंग, सचेदा, रामू-सोतू और लीचीनी सड़क का निर्माण	548.26
2.	अरूणाचल प्रदेश में वीकेवी, कोलोरियांग (चरण-2) का अवसंरचना विकास	99.34
3.	पूर्वी कामेंग जिले में लोफा से पाकोटी गांव तक सड़क का निर्माण	238.70
4.	अरूणाचल प्रदेश में कैपिटल कॉम्प्लेक्स (पापुमपारे जिला) में पुलिस अफसर मैस अपर सबओरडीनेट्स तथा पुलिस अधिकारियों के लिए आवास	310.27
5.	अरूणाचल प्रदेश में नामसैंग-खेला सड़क (45.30 कि.मी.) का निर्माण	174.61
6.	अरूणाचल प्रदेश में जांगलूम क्षेत्र को जलापूर्ति एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना	173.48
7.	त्वांग में हाई अल्टीट्युड खेल परिसर का निर्माण	461.15
8.	अरूणाचल प्रदेश में तेजू टाऊनशिप के लिए पेयजल आपूर्ति के उपलब्ध कराना	826.48

1	2	3
9.	अरूणाचल प्रदेश में बूचे नदी और लिटेमोरे-तारामोरी सड़क के बाह (पश्चिमी सियांग जिला) के ऊपर बैली/आरसीसी पुल का निर्माण	108.00
10.	पूर्वी कामेंग जिले में सेपा में 2×3.15 एमवीए, 33/11 केवी सब स्टेशन आई/सी वितरण ट्रांसफार्मर और संबद्ध 11 केवी लिंक का निर्माण	297.86
11.	दराक से बेलो से योमचा तक सड़क का निर्माण	352.96
12.	ईटानगर से सिजोसा (86 कि.मी.) सड़क का निर्माण (चरण-1: कामपो से तापीयासो सड़क 30 कि.मी.)	1551.75
13.	पाके प्वाइंट पर वोमे नदी पर स्टील पुल का निर्माण	83.82
14.	केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत इवैक्यूएशन के लिए मेबो से दांबुक तक 33 केवी लाइन का निर्माण	335.00
15.	लुंबा से रायुंग वाया गलांग, जोरू और रिस्सी गांव तक का निर्माण (20 कि.मी.), चरण-1	776.93
16.	सिले में सिले, रानी, सिकाबामिन, सिका टोड, ओवेन गांव के लिए पोर्टेबल पेयजल आपूर्ति स्कीम	473.65
17.	जांग टऊनशिप और इसके आस-पास के गांवों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना	199.31
18.	नाफ्रा से नाखू-नाचिबा गांव तक सड़क का निर्माण (11कि.मी.)	53.91
19.	पाची से रिगोम वाया फंचाग, ताबरी लोचुंग और बोकर तक सड़क का निर्माण (33 कि.मी.)	509.99
20.	वाकरो सर्कल के तहत कम्फाई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण (लं. 80 मी.)	214.00
21.	वाक्का सर्कल मुख्यालय के तहत जानम से ओखासुन तक सड़क का निर्माण (19 कि.मी.)चरण-1	390.90
22.	चामबांग से फा तक सड़क का निर्माण (30 कि.मी.) चरण-1	424.46
23.	याचुली में किमी-सीरो बीआरटीएफ सड़क से कृषि विज्ञान केन्द्र तक 80 कि.मी. प्वाइंट पर सड़क का निर्माण (5.50 कि.मी)	276.17
24.	दादो में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का अवसंरचना विकास	255.13
25.	बामेंग से लादा तक सड़क का निर्माण (40 कि.मी.)	262.83
26.	संग्राम से फसांग-फलांग वाया नयापिन (एसडीओ मुख्यालय) तक सड़क का निर्माण चरण-1	231.44
27.	पूर्वी सियांग जिले में जे.एन. कॉलेज, पासीघाट से बालेक तक सड़क का निर्माण	172.49
28.	चांगलांग जिले में एनएच-153, लांगबी गांव प्वाइंट से तेंगमान गांव वाया खेत्वा और जोतिन जुडा सड़क का निर्माण (35.00 कि.मी.)	767.86
29.	पश्चिम कामेंग जिले में जनागथुंग-चेरांग-पंचवटी-छांदर सड़क का सुधार	891.47
30.	पश्चिम सियांग जिले में लीकाबाली-आलो बीआरटीएफ सड़क को काने गांव वाया मांगी से जोड़ने के लिए 10 कि.मी. प्वाइंट से सड़क का निर्माण (7.50 कि.मी.)	651.55

1	2	3
31.	ऊपरी सियांग जिले में रामसिंग में विवेकानन्द केन्द्र विश्वविद्यालय की स्थापना	123.72
32.	सागाली से साकियांग तक सड़क का सुधार/निर्माण (50 कि.मी.)	107.35
33.	पूर्वी कामेंग जिले में च्यांग-ताजो टाऊशिप में जलापूर्ति	533.64
34.	नाहरलागुन, पापुमपारे जिला में सूचना भवन के लिए आरसीसी (सी2) कार्यालय भवन का निर्माण	335.64
35.	ईटानगर पापुमपारे जिला में बायोलोजिकल पार्क/जू में गैस्ट हाऊस सहित अवसंरचना विकास	119.09
36.	परांग घाटी, पापुमपारे जिला में नवसृजित सीओ मुख्यालय के लिए जलापूर्ति बढ़ावा/उपलब्ध कराना	177.21
37.	टुटिंग के नजदीक कोडक में सियांग नदी पर स्टील संस्पेशन पुल और पहुंच मार्ग का निर्माण	246.23
38.	पूर्वी सियांग जिले में मेबो उपमंडल मुख्यालय और आस-पास के गांव को पोर्टेबल पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना	737.17
	कुल	**14393.87**

असम (रुपए लाख)

1.	जोरहाट शहर में जोरहाट एयरपोर्ट पर जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाईट	75.34
2.	मनकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना	60.90
3.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभार (नागांव जिला) के तहत सोनाइ नदी पर डिमोउ-रायडोंगिया सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	96.50
4.	उदालगुड़ी ग्रामीण सड़क प्रभार के तहत बदलापाड़ा से धर्मजुली तक सड़क का सुधार	160.62
5.	जिला खेल संघ (स्टेडियम परिसर, हेलाकांडी) की आरसीसी गैलरी का निर्माण	63.73
6.	हेलाकांडी जिला, असम में सिल्चर-हेलाकांडी सड़क पर पहुच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 38/1, 43/1, 43/3, और 44/2 का निर्माण	139.53
7.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभार, नागांव जिला, असम के तहत सोनाइ नदी पर मझगांव शांतिपुर सड़क पर आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	118.76
8.	असम में मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए मत्स्य कालेज के लिए व्यापक विकास योजना	308.76
9.	असम में भंगारपर से चंद्रानाथपुर वाया बाबुरबाजार सड़क का निर्माण (लं. 5.5 कि.मी.)	100.00
10.	काचर जिले में पंचग्राम सब स्टेशन की 132/33 केवी ट्रांसफार्मर क्षमता को बढ़ना तथा इसे 2x16 एमवीए, से 2x25 एमवीए करना	177.40
11.	असम में ढुबरी जिले में सिलेरपार-बोरशीझेरा सड़क पर रेगुलर चैनल गदाधर के ऊपर अरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	81.13

1	2	3
12.	नागांव जिले में शांतिजन नदी पर श्रीमंत शंकरदेव गोवेसोना केन्द्र सड़क पर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	111.62
13.	असम प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी का अवसंरचना विकास	515.68
14.	तिनसुखिया ग्रामीण सड़क उपमंडल/मंडल में बोरहापजन सामंदाग वाया नहोरानी सड़क से सुकनगुडी एल.पी स्कूल तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैंग टॉपिंग	114.15
15.	कोकराझार जिले में गोरांग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	305.00
16.	ढुबरी जिले में बेलगुड़ी-सतरासल सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	49.20
17.	बारपेटा शहर में बस टर्मिनलों का निर्माण	65.63
18.	तिनसुखिया ग्रामीण सड़क उपमंडल/मंडल में सर्किट हाऊस तिनसुखिया से एनएच-37 तक वाया ओकानीनुरिया बोलगुडी ओकानीमुरिया नखराई और लुनपुरिया कैबोलतो गांव तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैक टॉपिंग	185.75
19.	असम में काचर जिले में घाघरा नदी पर कथाल सड़क पर 7 कि.मी. प्वाइंट पर पहुच मार्गों और संरक्षण कार्यो सहित आरसीसी पुल का निर्माण	100.00
20.	गोलाघाट जिले में माउंट गोलाघाट मेरापानी सड़क पर पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्यो सहित आरसीसी पुल सं. 4/2 और 32/2 का निर्माण	31.99
21.	एई नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	2810.01
22.	डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क मंडल, डिब्रुगढ़ के तहत पुरानी एटी सड़क पर पुल सं. 1/2 एवं 4/1 का निर्माण	103.49
23.	सिबसागर जिला, असम में आरसीसी पुल सं. 3/3 के साथ तिफुक जाजोलीपुखुरी सड़क का निर्माण	199.64
24.	मोरान नेताई सड़क, डिब्रुगढ़ का निर्माण	107.49
25.	कारबी एंगलांग स्वायत्त परिषद, (केएएसी) के तहत सड़क परिवहन प्रणाली का अवसंरचना विकास-भाग-1	64.85
26.	कारबी एंगलांग जिला, असम में हीडिपी से लाहोरीजन-गौतम बस्ती सड़क तक सड़क का निर्माण	170.76
27.	सिबसागर जिले में आरसीसी पुल सं. 9/2 के साथ मोहमोरा अली का निर्माण	271.80
28.	असम सलेट कमीशन का अवसंरचना विकास	118.04
29.	तांगला-काचूबिल सड़क का सुधार	384.90
30.	बास्का जिले में मूशालपुर में प्रस्तावक स्टेडियम का निर्माण	317.65
31.	असम में सोनितपूर और जोयसीडही में दखिनीडोल लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण	85.54

1	2	3
32.	असम में नागांव जिले के तहत नागांव-बाड़ापुजीया सड़क का निर्माण	86.04
33.	काचर जिले में सिंगराई नहर पर श्यामप्रशादपुर से दासग्राम सड़क वाया सवैपनार्गुल पर आरसीसी पुल सं. 2/2 एवं 2/3 का निर्माण (पुल सं. 3/1 औरी 4/6 के रूप मे पुनर्नामित)	91.61
34.	कोकराझार में 132 केवी बीटीसी-कोकराझार एस/सी लाईन और 132 केवी कोकराझार एस/सी लाइन 132 केवी/33 केवी सब स्टेशन का निर्माण	1538.02
35.	बोंगाईगांव ग्रामीण सड़क मंडल के तहत चिलापाड़ा, काहीबाडी गांव में काकोइजाना एनएच-31 से नागांव, माणिकपुर एनएच-31 वाया कीर्तनपाड़ा, नंबरपाड़ा गांव में आरसीसी पुल सं. 1/2 का निर्माण	1425.60
36.	दीफु में जयसिंह दोलाई ऑडीटोरियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण	108.94
37.	गोलाघाट जलापूर्ति स्कीम -चरण-2	85.00
38.	(क) देरोई रोंगोली सड़क पर आरसीसी पुल सं. 1/1 और 2/1 (ख) दिओपलिंग रामुआगर सड़क पर पुल सं. 2/1 और घीलागुड़ी सड़क पर पुल सं. 3/1 का निर्माण	138.06
39.	बहुमंजिला कार पार्किंग, एवं सिटी हाल, जोर हाटका निर्माण	371.06
40.	चराईदेव ग्रामीण सड़क मंडल के तहत सोनारी कस्बे में सड़क नेटवर्क का सुधार	260.55
41.	विद्युत कार्यो सहित जू जापोरीगोग सड़क का निर्माण (दिसपुर नारंगी सड़क के राज्य जु से जंक्शन प्वाइंट के निकट आरजी बरूआ रोड से सीएच 0.00 से 1865.00 मी. तक)	223.13
42.	बाथूपुरी, गोरचुक, गुवाहाटी में बोडो साहित्य सभा का सामाजिक, साहित्यिक सांस्कृतिक परिसर	296.82
43.	महालीपाड़ा डोंगापाड़ा बरांगजुली पीडब्ल्युडी सड़क का निर्माण	297.69
44.	उदालगुड़ी ग्रामीण सड़क मंडल के तहत बदलापाड़ा से धर्मजुली सड़क का सुधार	70.70
45.	धेमाल जिले में बहिरजोनाई-बेराचपारी सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 1/1, 3/1 और 5/1 का निर्माण	222.10
46.	जोरहाट जिला, असम में टिओक बोलोमा नाकाचारी सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 11/1 का निर्माण	63.07
47.	लखीमपुर जिले में बहानीगांव नहर पर आरसीसी पुल सं. 18/2 एवं काचीकाटा नदी पर लालुक नारायणपुर वाया बिहपुरिया सड़क पर पुल सं. 19/1 का निर्माण	84.30
48.	बोंगाईगांव शहर जलापूर्ति स्कीम (बोंगाईगांव जिले)	1129.46
49.	खारूपेटिया जलापूर्ति स्कीम	699.23
50.	मोहबोंधा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 13/1, 13/2, एवं 20/2 का निर्माण	219.15
51.	सरूपाथर पाइप जलापूर्ति स्कीम, गोलाघाट	363.30

1	2	3
52.	मनकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना	38.39
53.	मोरीगांव जिले में मोरीगांव मोइराबाई सड़क पर आरसीसी पुल सं. 24/1 का निर्माण	111.92
54.	डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क मंडल में नाहरकटिया कस्बे में सड़क के साथ ड्रेन एवं फुटपाथ का निर्माण और सड़क के किनारे स्ट्रीट लाईट जलाने का प्रावधान	255.43
55.	विश्वनाथ चरियाली शहर में सड़कों का सुधार	414.35
56.	बेजेरा बालीकुची सड़क का सुधार	132.02
57.	नागांव जिले में बोटाबारी हाटीबंधा नदी पर राह बारापुजिया सड़क पर अरसीसी पुल सं. 2/1 एवं 4/1 का निर्माण	130.69
58.	नागांव जिले में धर्मतुल-डाडुआ सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 7/1 का निर्माण	99.60
59.	डिब्रुगढ़ जिले में बामुनबाड़ी से जारीगुड़ी सड़क पर आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	43.76
60.	गुवाहाटी के विभिन्न भागों में बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण	365.00
	कुल	**16861.06**

मणिपुर (रूपए लाख)

1.	तामेनलांग जिले में 50 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण और उसे सुसज्जित करना	517.00
2.	मणिपुर में थाउबल मथक लीकाइ कइरांबी में थाउबल नदी पर अरसीसी पुल का निर्माण (60 कि.मी.)	178.45
3.	मणिपुर में मोंगखांग लंबी में इम्फाल नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	204.35
4.	साजिक तम्पक और आस-पास के गांवों में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	93.00
5.	रीहा लाउते और आस-पास के गांवों जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	123.25
6.	काकचिंग इथेइ मारू मेन नहर का आधुनिकीकरण	90.11
7.	मणिपुर में कीरो लिटन माखोंग में इरिल नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	220.65
8.	मणिपुर में सापम में जलापूर्ति स्कीम	92.50
9.	पूर्वी इम्फाल, मणिपुर में सीएचसी नापेट पाली, जीरीबाम उप मंडल का निर्माण	181.75
10.	मणिपुर में चूड़ाचांदपुर जिले में जिला खेल परिसर का निर्माण	310.30
11.	मणिपुर में तामेंगलांग जिले में जिला खेल परिसर का निर्माण	269.50
12.	चंदेल में चकपीकारोंग में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	49.82

1	2	3
13.	मणिपुर में बिश्नूपुर जिले में जिला खेल परिसर का निर्माण	338.50
14.	थाउबल, मणिपुर में वांगजिंग कैंटीन लम्पक में वांगजिंग नदी पर मिनी बैराज का निर्माण	179.35
15.	थाउबल, मणिपुर में चंद्राखोंग में इटोक नदी पर बैराज का निर्माण	179.35
16.	उखरूल, मणिपुर में कोनकन थाना में नामिया नदी पर पिक अप वियर का निर्माण	110.25
17.	बिश्नूपुर, मणिपुर के थांगा में जलापूर्ति स्कीम संवर्धन (191.25 एमएलडी)	191.25
18.	बिश्नूपुर, मणिपुर में केबुल लमजाऊ में जलापूर्ति स्कीम (0.418 एमएलडी)	92.00
19.	मणिपुर में पूर्वी इम्फाल में जीरीबाम में मॉडल आवासीय राजकीय विद्यालय (VI-XII) की स्थापना	505.50
20.	थाउबल हाऊका में थाउबल नदी का निर्माण	67.20
21.	मणिपुर में ट्राइबल बाजारों का निर्माण (सं. 7)	442.95
22.	मणिपुर में घाटी/पहाड़ीयों में 9 राजकीय महाविद्यालयों का अवसंरचना का विकास	349.90
23.	बाबू बाजार में थाउबल नदी पर पुल का निर्माण	71.34
24.	मोंगसंगई से खूमान लम्पक तक वाया कोंगबा 33केवी डी/सी लाइन की संस्थापना	172.80
25.	सेनापति, मणिपुर में हेंगबुंग में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	152.00
26.	मणिपुर में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपस्करों का सुदृढ़ीकरण	354.58
27.	9 जिलों में सरकारी अस्पतालों का निर्माण	198.02
28.	मणिपुर में सेनापति में 50 बिस्तर का जिला अस्पताल	348.55
29.	चुड़ाचांदपुर, मणिपुर में एबुलोन से बुंगपीलोन तक सड़क का निर्माण (0.00-25.00 कि.मी.)	402.75
30.	मणिपुर में सेनापति-फाईबुंग सड़क का निर्माण	1400.00
	जोड़	**7886.97**

मेघालय (रुपए लाख)

1.	मेघालय में लुम्सनांग-उमलांग सड़क (0-8 कि. मी.) का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित निर्माण	239.42
2.	मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स में माओथाओपडाह प्रेसबिटेरियन सैकेंडरी स्कूल भवन का निर्माण	117.76
3.	मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स में नांगपाथाह सैकेंडरी स्कूल के भवन , छात्रवास, बास्केटबाल कोर्ट आदि का निर्माण	97.45
4.	मेघालय में री-भोई प्रेसबेटेरियन हासर सैकेंडरी स्कूल, नांगपोह के स्कूल भवन का निर्माण	131.42

1	2	3
5.	मेघालय में लालोंग संयुक्त जलापूर्ति स्कीम (जोपाई मंडल)	165.54
6.	मेघालय में उमरोई जलापूर्ति स्कीम (उमसिनिंग मंडल)	331.32
7.	मेघालय में रिम्बाई प्रेसबिटेरियन हायर सैकेंडरी स्कूल	137.30
8.	मेघालय में जैतिया हिल्स जिले में दखिया-सुतंगा-साइपुंग-मोलसी-हाफलांग सड़क (1 से 8, 17 एवं 18 कि.मी.) का मैटलिंग ब्लैकटापिंग सहित उसे चौड़ा करके डबल लेन का बनाना	567.90
9.	मेघालय में मुखाइयालांग लुमशियुरमित सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार (0-19 कि.मी.)	115.42
10.	मेघालय में दखिया सुतंगा साइपुंग माउलसइ हाफलांग सड़क पर लेतिन नदी पर स्थायी आरसीसी पुल के रूप में पुल सं. 31/1 का निर्माण	50.42
11.	मेघालय में सोनापुर (एनएच-44) से लाड बोरसोरा(10 कि.मी.) तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार	299.87
12.	मेघालय में रिम्बाई से डीचीनरूम तक की सड़क को मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित डबल लेन में सुधार/निर्माण (7 कि.मी.)	216.92
13.	मेघालय में विलियमनगर कस्बे में सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित उसे चौड़ा करने दो लेन का बनाना	591.947
14.	मेघालय में गारोबाधा-बेतासिंग सड़क वाया रंगसाखोना का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (जीआर सड़क के 6 कि.मी. से एमवीए सड़क के 6 कि.मी. तक वाया खासीबिल) (7.833 कि.मी.)	295.39
15.	मेघालय में ऊपरी शियांग जलापूर्ति परियोजना	1188.84
16.	पश्चिम खासी हिल्स जिला, मेघालय में लेटमाओसियांग-माओथाओपडाह सड़क के 14वें कि.मी. से उमंगी नदी पर स्थयी आरसीसी पुल के रूप में पहुंच मार्गों सहित एसपीटी पुल संख्या 14/1 का पुनर्निर्माण	254.38
17.	मेघालय में 9वां मील एनएच-37 गुवाहाटी-शिलांग सड़क से कीलिंग पिलंगकाटा तक की का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार, चौड़ा करना सुदृढ़ीकरण (7 से 21.50 कि.मी.)	394.62
18.	डीएनएस वाहलांग मेमोरियल सैकेंडरी स्कूल, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग के स्कूल भवन का निर्माण/नवीकरण	110.05
19.	मेघालय में लिंगखाट-डाउकी सड़क का पुनर्स्थापना (9.75 कि.मी.)	392.21
20.	मेघालय में टूरा टाउन सड़क को अराईमाइल से डाकोग्रे तक चौड़ा करके दो लेन का बनाना (4.00 कि.मी.)	88.05
	कुल	**5786.227**

1	2	3
मिजोरम		(रुपए लाख)
1.	सईहा, मिजोरम में आर.ए. लोरेन मार्किट केन्द्र का निर्माण	135.05
2.	मिजोरम में जोबॉक में राज्य खेल अकादमी	630.45
3.	मिजोरम में ग्रेटर लाँगतलाई जलापूर्ति स्कीम	905.0.
4.	मिजोरम में ग्रेटर सईतुआल जलापूर्ति स्कीम	759.90
5.	इंडोर स्टेडियम का निर्माण, आइजोल	223.08
6.	सेरलुइ 'बी' में 33 केवी डी/सी सेरलुइ 'बी' कोलासिब में 132 केवी सब स्टेशन में इनकमिंग बे का निर्माण में	76.08
7.	मिजोरम में निचला साकाओरदई जलापूर्ति स्कीम	47.20
8.	मारा स्वायत्त जिला परिषद, मिजोरम में तुइपांग जलापूर्ति स्कीम	332.16
9.	मिजोरम में ग्रेटर हनाहथियाल जलापूर्ति स्कीम	291.39
10.	मिजोरम में सिंहपुई से थुआमपुई सड़क का निर्माण	87.61
11.	एनएलसीपीआर के तहत मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी) में स्कूल भवन का निर्माण	47.87
12.	सिंहमुई, मिजोरम में आईजोल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	398.17
13.	मिजोरम मे रामथार, 'एन' से रामहलुन खेल परिसर तक सड़क का निर्माण	71.38
14.	पछुंगा यूनिवर्सिटी कालेज आइजोल, मिजोरम में मल्टी काम्प्लेक्स भवन आडीटोरियम का निर्माण	102.69
15.	मिजोरम के केतुम में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	62.55
16.	मिजोरम के बुंगतलांग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	62.55
17.	एमपीएससी के लिए परीक्षा हॉल का निर्माण, मिजोरम	102.31
18.	लाँगतलाई स्लाइडिड लोकेशन, मिजोरम में सड़क संरचना और पुनःस्थापना का निर्माण	78.95
19.	मिजोरम में लेंगपुइ एयरपोर्ट का उन्नयन	648.43
20.	मिजोरम के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक भवनों का निर्माण	74.34
21.	मिजोरम में चुहवेल से सिहथियांग तक सड़क का निर्माण	78.89
22.	मिजोरम में परवा 1 से सिमेनसोरा सड़क का उन्नयन	326.29

1	2	3
23.	गवर्नमेंट प्रेस का सुदृढ़ीकरण, आइजोल, मिजोरम	297.34
24.	मिजोरम के चम्पाई में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	253.4
25.	मिजोरम के मारा स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की गहनता और सुदृढ़ीकरण	16.8714
26.	मिजोरम में लांगपुइघाट-कुरकुरदुलेरा सड़क का निर्माण (36.00 कि.मी.)	344.69
27.	मिजोरम में लेंगपुई एयरपोर्ट का उन्नयन	227.04
28.	राजकीय चम्पाई महाविद्यालय, चम्पाई, मिजोरम का अवसंरचना विकास	342.47
29.	मिजोरम में 132 केवी सब स्टेशन आइजोल (जुआंगतुई) में लीलो सहित कोलासिब-आइजोल (मेलरियात) के बीच 132 केवी (डी/सी) का निर्माण	348.47
	कुल	**7372.6114**

नागालैंड (रुपए लाख)

1.	नागालैंड के काहिमा में राज्य अभिलेखागार	66.00
2.	नागालैंड में चेन ईएसी मुख्यालय, चेनवाटन्यू गांव में जलापूर्ति का संवर्धन	86.28
3.	नागालैंड में फेक-चोजुबा सड़क का निर्माण और उन्नयन	350.00
4.	नागालैंड में रूसोमा से किजूमेटुमा सड़क पर डीजेडयू-यू नदी पर आईआरसी श्रेणी 'क' के टी.बीम गिरडर डबल लेन का पुल का निर्माण	123.25
5.	दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सपो केन्द्र की स्थापना	355.09
6.	परेन गवर्नमेंट महाविद्यालय, परेन नागालैंड में इंडोर और आऊटडोर स्टेडियम का निर्माण	290.30
7.	नागालैंड में ओडीआर से एमडीआर तक दीमापुर-नुइलैंड सड़क का उन्नयन	1038.03
8.	नागालैंड में राजेबा से चिजामी तक वाया थेटसुमी सड़क का निर्माण (25.30 कि.मी.)	925.88
9.	जेकिए से सतोई तक -70 कि.मी. सड़क का सुधार (घुखूयी से सतोई प्रशासनिक मंत्रालय, एमडीआर 21 कि.मी. तक	507.50
10.	रूझाजो से फेक शहर तक वाया खुमवोफू सड़क का निर्माण	309.50
11.	पीजीसीआईएल सब स्टेशन दीमापुर से चीफोबोजोऊ तक एंड उपस्करों और 220 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	510.76
12.	एकीकृत नगुईकी सिंचाई परियोजना	62.78

1	2	3
13.	शैलो ट्यूबवैल के जरिए ग्राउंड जल संसाधन का उपयोग	36.89
14.	नीमी-लालुरी सड़क से मिनरल डिपाजिट क्षेत्रों तक तीजू पुल और चिजूती पुल का निर्माण	716.00
15.	को-को-डोयांग सड़क का उन्नयन (एनएच-61 से कितसाकी वाया अतोईजू एसडीओ मुख्यालय-37 (एमडीआर)	598.00
16.	नागालैंड में अगुनातो-शेमतोर तक सड़क का निर्माण	352.35
17.	यांगली से सुरोहोतो तक सड़क का निर्माण	157.88
18.	ओडीआर से एमडीआर तक दीमापुर-नुईलैंड सड़क का उन्नयन (28 कि.मी.)	1038.03
19.	नागालैंड में एनएच-61 से दोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट फेज-1 तक सड़क का सुधार एवं उन्नयन (अलीचेन से मांगमेटोंग -11 कि.मी.)	252.77
20.	कोहिमा से लीकी सड़क जंक्शन से तेपुई से बराक तक सड़क का निर्माण-10 कि.मी. (एमडीआर)	348.43
21.	चोजुबा बॉर्डर रोड से किजूमेतुमा जंक्शन तक वाया खुसूमी (26 कि.मी.) 15 मी. लंबाई के आरसीसी पुल सहित सड़क का निर्माण	1232.01
22.	25 वर्ष से अधिक पुराने राजकीय उच्च विद्यालय भवनों का सुधार एवं उन्नयन	292.49
23.	लिफायान में लांगथे से गवर्नर्स कैम्प तक सड़क का निर्माण (20 कि.मी.)	193.15
	कुल	**9843.47**

सिक्किम (रुपए लाख)

1.	पूर्वी सिक्किम में गंगटोक में और उसके आस-पास पावर इवैक्यूएशन एवं अन्य संबद्ध कार्यो के लिए 11 केवी एच.टी. ट्रांसमिशन लइनों के आखेरण सहित पेरबिंग, रांगता, पूर्वी सिक्किम में 66/11 केवी, 2x5 एमवीए, सब स्टेशन का निर्माण	572.07
2.	पूर्वी सिक्किम में मार्चक में 2×7.5 एमवीए सब स्टेशन के निर्माण सहित 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन का आरेखण	360.27
3.	सिक्किम में विभिन्न स्थनों पर 5 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए बहुउद्देशीय हॉल और कमरों का निर्माण	349.61
4.	नामची से समद्रुप्त्से रोपवे, दक्षिणी सिक्किम	577.52
5.	दक्षिणी सिक्किम में नामची-असंगथांग (हेलीपैड) सड़क 5 कि.मी.	216.00
6.	पूर्वी सिक्किम में सिची-रांका सड़क दो लेन का बनाना (11 कि.मी.)	922.80
7.	दक्षिण सिक्किम में यांगांग-माखा सड़क के साथ खुंडरूके खोला पर स्टील पुल का निर्माण	86.78

1	2	3
8.	दक्षिण सिक्किम में नामची फोंगला सड़क 8वां कि.मी. के साथ लवांग खोला पर 40 मी. लंबे स्टील पुल का निर्माण	117.56
9.	दक्षिण सिक्किम में जीएलवीसी सड़क के साथ ड्यू खोला पर 70 मी. लंबे पुल का निर्माण	182.28
10.	ऊपरी जोंगो, उत्तरी सिक्किम में पासिंगडोंग पीएचई से लिंगथेम गुम्फा (मोनेस्ट्री) और लिंगथेम स्कूल तक लिंक सड़क का निर्माण	275.00
11.	पूर्वी सिक्किम में तिनटेक दिकचू सड़क का सुधार और उसे चौड़ा करना (12 कि.मी.)	368.00
12.	पाकयांग, पूर्वी सिक्किम में जलापूर्ति स्कीम का निर्माण	354.03
13.	नामची दक्षिण सिक्किम में विद्यमान 2x2.5 एमवीए, सब स्टेशन का 2x7.7 एमवीए, में उन्नयन सहित पुराने लामची बाजार में लीलों व्यवस्था सहित 66/11 केवी, 2x2.5 एमवीए, सब स्टेशन का निर्माण	485.26
14.	सिक्किम में सिंगताराम के तीस्ता के ऊपर गोसखाना द्वारा पुल का निर्माण	329.05
15.	दक्षिण सिक्किम में नवसृजित जोथंग नगर पंचायत की जलापूर्ति का संवर्धन (कारफैक्टर) दक्षिणी सिक्किम में नए क्षेत्रिय प्रशासनिक केंद्र को ट्रीटमेंट प्लांट सहित जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर का संशोधन का वर्जन	342.95
	कुल	**5539.18**

त्रिपुरा (रुपए लाख)

1.	कंचनपुर जालाबासा सड़क (ओडीआर) पर सीएच 2.80 कि.मी. पर बड़ादुपट्टाचेरा के ऊपर अरसीसी पुल का निर्माण	139.54
2.	त्रिपुरा में कंचनपुर-जालाबासा सड़क (ओडीआर) पर सीएच 9.00 कि.मी. पर उजानमचमाराचेरा के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	110.52
3.	त्रिपुरा में मोहनपुर-सिमना सड़क (आडीआर) पर सीएच 18.40 कि.मी. पर चंपकचेरा के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	102.17
4.	त्रिपुरा में जीरानिया त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज-चॉकबास्ता में एनएस-44 घोरामाराचेरा के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	111.89
5.	राजकीय डिग्री कॉलेज, धर्मानगर, उत्तरी त्रिपुरा में फैक्लटी और स्टाप के लिए 100 सीट के छात्रावास और क्वार्टरों का विकास	138.76
6.	त्रिपुरा में कैलाशहर राजकीय कन्या हायर सैकेंडरी स्कूल और बोर्डिंग हाउस का नवीकरण और उन्नयन	169.95
7.	खुमुलंग, टीटीएएडीसी, त्रिपुरा मोटर स्टैंड का निर्माण	69.89
8.	त्रिपुरा नजरूल कला क्षेत्र (चरण-2)	295.26

1	2	3
9.	त्रिपुरा में मोहनपुर-सिमना सड़क (ओडीआर) पर सीएच 14.60 कि.मी. पर स्थानीय नाले के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	63.84
10.	त्रिपुरा में लड़कों का छात्रावास (खेल) का निर्माण	108.68
11.	त्रिपुरा में लड़कियों का छात्रावास (खेल) का निर्माण	100.44
12.	त्रिपुरा प्रौद्योगीकी संस्थान का निर्माण (चरण-1)	285.79
13.	खुमुलुंग, सदर में खेल पीरसर का निर्माण	172.21
14.	त्रिपुरा में धर्मानगर में मोटर स्टैंड का निर्माण	372.20
15.	पश्चिम त्रिपुरा जिले में सुर्जामनीनगर में ट्रांसमिशन परियोजना (चरण-1) 400 केवी सब स्टेशन (132 केवी पर चार्ज किया जाना है) एवं अवसंरचना विकास	2878.48
16.	त्रिपुरा में मैलक-गामुकाबाड़ी वाया बुरबारिया का सुधार (7.50 कि.मी.)	384.50
17.	ट्रांसमिशन परियोजना (चरण-1) पश्चिमी त्रिपुरा में सुर्जामनीनगर से 79 टिला ग्रिड सब स्टेशन तक (11.14 कि.मी.) फीडर बे एवं स्थल विकास सहित 132 केवी डी/सी लाइन	342.28
18.	ट्रांसमिशन परियोजना (चरण-1) पश्चिमी त्रिपुरा में बुद्धजंगनगर में सुर्जामनीनगर से बुद्धजंगनगर तक (20 कि.मी.) 132 केवी डी/सी लाइन एवं संबद्ध फीडर बे	265.97
19.	त्रिपुरा में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण (चरण-1)	285.79
20.	त्रिपुरा में त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज (अब एनआईटी) का अवसंरचना विकास	394.85
21.	त्रिपुरा में बोधजंगनगर औद्योगिक संपदा सहित ट्रांसमिशन स्कीम	140.31
22.	त्रिपुरा में कमलघाट-गमचाकोबरा-बनिक्या चाऊमुहानी सड़क पर सी एच. 0.45 कि.मी. पर लोहार पदी के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	95.90
23.	त्रिपुरा में बेरीमुरा तलताला सड़क (ओडीआर) पर लोहार नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण	82.56
24.	त्रिपुरा में कृषि महाविद्यालय के भवन का निर्माण	916.92
25.	त्रिपुरा में क्षेत्रीय शारिरिक शिक्षा महाविद्यालय, पानीसागर का उन्नयन	498.11
26.	त्रिपुरा में नजरूल काला क्षेत्र (चरण-2)	295.26
27.	त्रिपुरा में धमनपुर से काकराबन सड़क पर सीएच 7.00 कि.मी. और 4.50 कि.मी. पर स्थानीय नाले के ऊपर 2 आरसीसी पुलों का निर्माण	145.38
28.	त्रिपुरा के मेलाघर में जलापूर्ति स्कीम	319.05
29.	त्रिपुरा में विधि महाविद्यालय का निर्माण	150.96

1	2	3
30.	त्रिपुरा में खोवाइ-उदान सड़क(ओडीआर) पर सीएच 12.01 कि.मी. पर लक्ष्मीचेरा के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	112.66
	कुल	**9550.02**

बीटीसी पैकेज (रुपए लाख)

1.	आस्का जिले में कालदिया नदी और पर दो पुलों सहित जलाह से कुमारटीकाटा का सुधार	1060.60
2.	गोसाईगांव-सप्तग्राम सड़क पर गुरूफेला नदी पर आरसीसी पुल सं. 8/1 का निर्माण	396.00
3.	दोतमा-भावरागुड़ी सड़क पर गोंगिया नदी पर आरसीसी पुल सं. 6/3 का निर्माण	400.0
4.	दोलोंगघाट (धुलाबाड़ी) में पूथीमारी नदी पर आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	400.00
5.	द्वारका, नई दिल्ली में बोडोलैंड भवन	454.92
6.	चिरांग में काजलगांव में खेल परिसर का उन्नयन	250.00
7.	लालपुल (उदालगुड़ी) में एकीकृत कृषि प्रसंस्करण पार्क की स्थापना	453.50
8.	बारामा (बाक्सा) में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	445.00
9.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, कोकराझार के लिए बोडो भाषा अनुसंधान एवं विकास केंद्र	47.90
10.	रीटागुड़ी (कोकराझार), समथाइबाड़ी (चिरांग) और उदालगुड़ी जिले में बोरनागांव में पशु चिकित्सालयों में विद्यमान सुविधाओं में बढ़ोतरी	200.95
11.	खरूओजन, मूसालपुर में प्रस्तावित एकीकृत टैक्सटाइम पार्क	891.13
	कुल	**5000.00**

वित्तीय वर्ष 2011-12

15.11.2011 तक की स्थिति

अरूणाचल प्रदेश (रुपए लाख)

1.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पापुम पारे जिला में एक ऑडीटोरियम का निर्माण	359.68
2.	ईटानगर में अरूणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय भवन का निर्माण	2628.38
3.	तिरप जिले में कामहुआ नोकनु गांव (पोंगचाऊ सर्कल) से पीडब्ल्यूडी सड़क से डीनू बीआरटीएफ सड़क प्वाइंट (वाक्या सर्कल) तक सड़क का निर्माण	477.60
4.	याचुली, नीचला सुबनसिरी जिला में जलापूर्ति का सुधार और संवर्धन (0.6 एमएलडी)	473.30
5.	यूपिया जिला मुख्यालय,पापुम पारे जिला 220.13 में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	220.13
6.	ताक लीरोबोमा सड़क का निर्माण (78 कि.मी.) चरण-1 (15 कि.मी.)	146.39

1	2	3
7.	गाचम-मोरशिंग सड़क का निर्माण (24.50 कि.मी.)	420.81
8.	मागोपाम से बीचाम सड़क वाया नामफ्री का निर्माण (50 कि.मी.)	340.88
9.	ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी पुल प्वाइंट से सेगी सी ओ (मुख्यालय) एसएच डब्ल्यू एसएम-1 एवं 11, कारपेटिंग पीसीसी, ड्रेन, स्लैब कलवर्ट और रीटेनिंग वॉल) तक सड़क का उन्नयन	704.98
10.	ऊपरी सुबनसिरी जिले में पानीमुरी आरडब्ल्यू लिंक सड़क को जोड़ने के लिए दिगी वाया सिनयुमरिजो तक सड़क का निर्माण	131.95
11.	वाका सर्कल मुख्यालय के तहत जानम से ओखाओसम तक सड़क का निर्माण (19 कि.मी.) चरण-1	390.90
12.	लोहित जिले में महादेवपुर शहर से कृष्णापुर गांव लेकांग सर्कल तक सड़क का निर्माण (4.5 कि.मी.)	214.33
13.	तीकेवी नयापिन का अवसंरचना विकास	122.65
14.	कैपिटल कॉम्प्लेक्स (पापुमपारे जिला) में पुलिस अफसर मैस और अपर सबओरडीनेट्स तथा पुलिस अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण	310.27
15.	ऊपर सुबनसिरी जिले में मेंगा जिबा तक सड़क का सुधार और उन्नयन (0.8 कि.मी.)	80.25
16.	चांगलांग जिले में विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय की स्थापना, चांगलांग	177.55
17.	पूर्वी जिले में पाके से सेप्पी लिया सड़क का विकास (22 कि.मी.)	574.63
18.	चांगलांग जिले में नामचिक-एम'पेन सड़क का उन्नयन (37 कि.मी.)	747.62
	कुल	**8522.30**

असम (रुपए लाख)

1.	मोतीनगर से भूबन हिल टैम्पल तक का सुधार और लघु पुल चरण-1	131.16
2.	नलबाड़ी जिले में बागल्स सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 10/1 एवं 18/1 का निर्माण	123.45
3.	एलएनसीपीआर के तहत जेबी सड़क का सुधार	105.82
4.	तांगला सिंचाई मंडल के तहत पलासगढ़ में कुलसिक नदी से फूलो सिंचाई स्कीम	687.16
5.	जोरहाट जिले में जेबी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 4/1 और 6/1 का निर्माण	72.69
6.	फुमेन फांगचो लघु सिंचाई स्कीम	218.67
7.	रामफलबिल बाजार के बीच से ऑल वैदर रोड तक एसपीटी पुलों को आरसीसी पुलों में बदलने सहित एनटी सड़क का उन्नयन (अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र)	269.71
8.	कामरूप जिले में कला और शिल्प के राजकीय कॉलेज की नई अवसंरचना का निर्माण	178.61

1	2	3
9.	नागांव ग्रामीण सड़क प्रभार(नागांव जिले) के तहत कलांग नदी पर घाही बोरझोरा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	100.22
10.	बुरीनगर एलआईएस (नलबाड़ी जिला)	73.47
11.	पसबसागर शहर जलापूर्ति स्कीम	679.70
12.	मोरीगांव जिले में भोरभोगिया मिकिरभेटा धींग सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 5/3 का निर्माण	96.69
13.	बारपेटा जिले में मानस सैंक्च्युरी को जाने वाली बारपेटा बासबाड़ी सड़क का 1 कि.मी. 21वें कि.मी. का सुधार	103.11
14.	गुवाहाटी, असम में उत्तर-पूर्वी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (एनईजेओटीआई) का अवसंरचना विकास	62.40
15.	ढुबरी शहर जलापूर्ति योजना	296.25
16.	जोरहाट स्टेडियम का विकास	108.40
17.	गरमारी गागामारी सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	95.21
18.	रूपशिर अली (पुल सं. 3/2, 5/2, एवं 5/4 का निर्माण)	85.05
19.	असम में डिब्रुगढ़ ग्रामीण सड़क मंडल, डिब्रुगढ़ के तहत पुरानी एटी सड़क पर पुल सं. 1/2 एवं 4/1 का निर्माण	105.31
20.	उदालगुड़ी जिले में चिंतवांग बोटियामारी सड़क का सुधार	321.72
21.	फ्लोराईड, आर्सनिक/आयरन प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिकरूट नदी से ग्रेटर डोकमोका तेकेलांगजन जलापूर्ति स्कीस	670.74
22.	तिनसुखिया ग्रामीण सड़क उपमंडल/मंडल में बोरहापजन सामदांग वाया नहोरोनी सड़क से सुकनगुड़ी एल.पी स्कूल मक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटापिंग	115.00
23.	जोरहाट शहर में सड़कों का सुधार	49.57
24.	दिसपुर जलापूर्ति स्कीम का स्थायीकरण	289.66
25.	डिब्रुगढ़ मंडल में टेंगाघट खेरेमिया मोऊजा में बूढ़ीडिहिंग नदी से लिफ्ट सिंचाई स्कीम	53.00
26.	डिब्रुगढ़ मंडल में सासोनी मोऊजा में बूढ़ीडिहिंग नदी से लिफ्ट सिंचाई स्कीम	42.32
27.	बास्का जिला, असम में हाजुआ-नलबाड़ी सड़क पर पोटा नदी के ऊपर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	106.92
	कुल	**5242.01**

1	2	3
मणिपुर		(रुपए लाख)
1.	शांगशक में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	248.65
2.	कोंथोऊज जलपूर्ति स्कीम का संवर्धन	234.36
3.	चूड़ाचादपूर, मणिपुर के दामपी जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	199.40
4.	पूरूल उपमंडल मुख्यालय, में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	113.51
5.	सेनापारती, मणिपुर के मुख्यालय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	54.45
6.	पश्चिम इम्फाल, मणिपुर के मोयरांगखोम (ओल्ड थमबुथोंग) में इम्फाल नदी के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	256.75
7.	पूर्वी इम्फाल में चिंगारेन मापा में इरिल नदी के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	229.30
8.	मणिपुर में चिंगई (कुइनगई) और तूसोम के बीच चालो नदी के ऊपर पुल का निर्माण	108.85
9.	ऊनोपत और आस-पास के गांवों में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	64.29
10.	चांदेल जिले में 50 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण और सुसज्जितकरण	473.68
	कुल	**1983.24**
मेघालय		(रुपए लाख)
1.	मेघालय के रिभाई जिले में नई उमतरू एचई परियोजना (2×20 मे. वा)	1738.38
2.	मेघालय में किलिंग में 400/220 केवी, 2×315 एमवीए सीआईएस सब स्टेशन सहित पलाटाना बोंगाईगांव के एक सर्किट का लीलो	3365.00
3.	पश्चिमी गारो हिल्स जिला, मेघालय में बांदापाड़ा-मल्लांगकोना-शल्लांग सड़क (52 कि.मी.) चरण-10.00 कि.मी. की मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सड़क का निर्माण	385.95
4.	मेघालय में मासिनराम जलापूर्ति योजना (पहाड़ी मंडल)	139.82
5.	ग्रेटर सोहरिनखान जलापूर्ति योजना	241.29
6.	मेघालय में रि-भोई जिले में जीएस रोड एनएच 40 से नांगथीमई दमसनिंग तक मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सड़क का निर्माण	153.41
	कुल	**6023.85**

1	2	3
मिजोरम		(रुपए लाख)
1.	मिजोरम में 3 बैले पुलों का निर्माण	103.55
2.	मिजोरम में लाई स्वायत्त जिला परिषद के लाँगतलाई शहर का उन्नयन	417.09
3.	बिल्खअथलिर (पम्पिंग) जलापूर्ति स्कीम कोलासिब जिला, मिजोरम	275.49
4.	मिजोरम में लाँगतलाई कॉलेज का अवसंरचना विकास	48.99
5.	मिजोरम में सैतुआल और थिंगसुलथलिहा में सीएचसी के लिए मेडिकल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	46.66
6.	मिजोरम में सईफल से हारतोकी तक बैम्बू लिंक सड़क का निर्माण (0-27.5 कि.मी.)	409.40
7.	मिजोरम में लांगतलाई से सईहा तक 33 केवी डी/ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण (टावर टाईप)	171.74
8.	मिजोरम में विभिन्न कालेजों का अवसंरचनात्मक विकास (सं.10)	482.70
9.	मिजोरम में डब्ल्यू. फैलेंग जलापूर्ति स्कीम (पम्पिंग)	358.27
10.	मिजोरम के कॉलकुल्ह में मिमबुंग से तुइवई तक और गोडाउपन तक पहुच मार्ग का निर्माण	129.56
11.	बैराबी जलापूर्ति स्कीम मिजोरम	173.07
12.	मिजोरम में खनपुई-तुआलबुंग सड़क चरण-1 का निर्माण	69.60
13.	मिजोरम में सैतुआर और थिंगसुलथलिहा में लड़कों और लड़कियों के होस्टल का निर्माण	67.98
14.	मिजोरम में खाओजॉल से चम्पाई तक 132 केवी सिंगल सर्किट लाईन का निर्माण	74.60
	कुल	**2828.70**
नागालैंड		(रुपए लाख)
1.	चुचुयिमलांग से मोंगदिकांग तक सड़क का निर्माण (20 कि.मी.)	195.26
2.	लांगलेंग में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	415.03
3.	दिजेफे से राजेफे तक वाया वीदिमा सड़क का निर्माण (15 कि.मी.)	489.64
4.	चीफोबाजोऊ आर. डी ब्लॉक के 24 गांवों को जलापूर्ति उपलब्ध कराना	859.64
5.	कोहिमा लईके सड़क जंक्शन से ओल्ड पुईलवा (पुईलो) सड़क का निर्माण-15 कि.मी.	132.17
6.	चेन ईएसी मुख्यालय, चेनवाटन्यू गांव में जलापूर्ति का संवर्धन	74.04
7.	फेक जिले में लेनिए सें मेलुरी सड़क पर तेजू नदी पर आरसीसी टी-बीम गिरडर डबल लेन पुल का निर्माण	323.73

1	2	3
8.	सीमा सड़क से चांगलांगशू तक सड़क का सुधार और उन्नयन -19 कि.मी.	219.13
9.	वाया खुमवोफू से रूजाझो से फेक तक सड़क का निर्माण (13 कि.मी.)	184.81
10.	तोउफेमा से काशा तक सड़क का निर्माण/सुधार (8.5 कि.मी.)	129.48
11.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार	39.00
12.	राजेबा से चिजारी तक वाया थेटसुमी सड़क का निर्माण (25.30 कि.मी.)	579.32
13.	एनएच-155 से थीफूजू तक सड़क का निर्माण (25 कि.मी.)	268.97
14.	दीमापुर में नार्थ-ईस्ट एक्सपो केन्द्र की स्थापना	225.87
15.	न्यू पेरेन जिले के तहत उपायुक्त मुख्यालयों के लिए रैस्ट हाऊस का निर्माण	77.40
16.	132 केवी एसी/सी वोखा-जुनरोबोटो-मकोकचुंग ट्रांसमिशन लाईन चरण-1, वोखा दोयांग एनएच-61 का निर्माण	735.58
17.	खुजा में फेक जिले के तहत ईएसी मुख्यालय के रैस्ट हाऊस का निर्माण	57.34
18.	बोस्ता में कोहिमा जिले के तहत ईएसी मुख्यालय के लिए रैस्ट हाऊस का निर्माण	48.02
19.	खोंसा में किफिरे जिले के तहत अतिरिक्त सहायक आयुक्त मुख्यालय के लिए रैस्ट हाऊस का निर्माण	66.49
20.	मेलुरी में फेक जिले के तहत एडीसी मुख्यालय के लिए रैस्ट हाऊस का निर्माण	66.18
21.	नीमी-लालुरी सड़क से मिनरल डिपाजिट क्षेत्रों तक तीजू पुल और चिजूती पुल का निर्माण	715.59
	कुल	**5902.07**
सिक्किम		(रुपए लाख)
1.	पूर्वी सिक्किम में पाकयोंग-मार्कोम रेलोप सड़क का निर्माण	600.00
2.	उत्तरी सिक्किम में राबोमचू एचईपी में 2×5 एमवीए, 11/66 केवी ट्रांसफार्मरों सहित 11/66 केवी स्विचयार्ड का डिजाईन, सप्लाई, इरैक्शन, टैस्टिंग, एवं कमिशनिंग और मालटिन में अतिरिक्त बे सहित राबोमचू से मालटिन तक 66 केवी ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	391.54
3.	मेल्ली बाजार के लिए जलापूर्ति स्कीम, दक्षिणी सिक्किम	314.00
4.	उत्तरी सिक्किम में 66/11 केवी, 2.5 एमवीए फोडोंग सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाकर 5 एमवीए करना और सभी विद्युत उपस्करों का प्रतिस्थापन	309.94
5.	सिंगताम शहर के लिए जल वितरण नेटवर्क, पूर्वी सिक्किम	757.78
6.	सिक्किम में विभिन्न स्थानों पर 5 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए बहुउद्देशीय हॉल एवं कमरों का निर्माण	229.55

1	2	3
7.	नामची से समद्रुप्त्से रोपवे, दक्षिण सिक्किम	360.97
8.	सिक्किम के ग्यालशिंग बाजार और इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित विद्यमान 440 वीएल.टी. ओवरहैड वितरण लाईनों कारे सर्विस कनैक्शनों सहित भूमिगत केबल प्रणाली में बदलना	160.32
9.	पूर्वी सिक्किम में रीहनॉक जलापूर्ति स्कीम	361.65
	कुल	**3485.75**

त्रिपुरा (रुपए लाख)

1.	त्रिपुरा मैलक-गामुकाबाड़ी वाया बुरबारिया का सुधार (7.50 कि.मी.)	384.50
2.	त्रिपुरा में मोहनपुर-सिमना सड़क (ओडीआर) पर सीएच 18.40 कि.मी. पर चंपकचेरा के ऊपर आरसीसी पुल कर निर्माण	102.17
3.	त्रिपुरा में गाग्री तुलामुरा सड़क (ओडीआर) पर तुलामुराचेरा पर तुलामुरा के पास आरसीसी पुल का निर्माण	118.19
4.	त्रिपुरा में बिशालगढ़ तकारजारा सड़क पर गोलाघाटी के पास आरससीसी पुल का निर्माण	127.14
5.	त्रिपुरा में 15 राजकीय डिग्री कालेजों में सुविधाओं का उन्नयन	1711.65
6.	त्रिपुरा में एनएलसीपीआर के तहत 'कैलाशहर' उत्तरी त्रिपुरा में जिला खेल परिसर के निर्माण के लिए संस्वीकृमित पर विचार करना	142.28
7.	त्रिपुरा में थालीबाड़ी-मिकरोसा सड़क पर 4.50 कि.मी. पर काकरीचेरा के पास आरसीसी पुल का निर्माण	95.62
8.	त्रिपुरा में थालीबाड़ी-मिकरोसा सड़क पर 4.50 कि.मी. पर काकरीचेरा के पास आरसीसी पुल का निर्माण	75.52
9.	महारानी-तुलाशिखर सड़क पर 6.05 कि.मी. पर बालुचेरा पर कॉजवे के निकट कृष्णापुर में आरसीसी पुल का निर्माण	64.13
	कुल	**2821.20**

बीटीसी पैकेज (रुपए लाख)

1.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, कोकराझार के लिए बोडो भाषा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	100.00
2.	टीटागुड़ी (कोकराझार) समथाइबाड़ी (चिरांग) और उदालगुड़ी जिले में बोरनागांव में पाशु चिकित्सालयों में विद्यमान में बढ़ोत्तरी	250.00
3.	खरूओजन, मुसालपुर में प्रस्ताविक एकीकृत टैक्सटाईल पार्क	1158.87
	कुल	**1508.87**

विवरण III

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान एनएलसीपीआर तथा बीटीसी पैकेज के तहत उपयोग की गई राशि

अरूणाचल प्रदेश (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	एनएलसीपीआर परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	सर्व शिक्षा अभियान (2005-06)	8.20
2.	जे एन कॉलेज, पासीघाट में 200 बिस्तरों वाले हॉस्टल का निर्माण	1.44
3.	अनिनी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण	1.00
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कालारियांग में 150 बार्डर हॉस्टलों का निर्माण	0.53
5.	सर्व शिक्षा अभियान 2006-07	8.22
6.	त्वांग कित्पी में विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण	1.64
7.	पश्चिम कॉमेंग जिले में खासो (दिरांग) में रामकृष्ण शारदा मिशन (लड़कियों के लिए)	3.85
8.	अरूणाचल प्रदेश (सामान्य अस्पताल, नाहरलपागुन) में माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण	2.00
9.	आर.के. मिशन अस्पताल के लिए कॉर्पस फंड़	20.00
10.	अरूणाचल में राज्य विधायी भवन का निर्माण	4.10
11.	त्वांग मोनेस्ट्री से अनी कोम्प (त्वांग जिला) तक रोपवे	1.04
12.	लुमला में 33/11 केवी 2×1.6 एमवीए सब स्टेशन सहित त्वांग से लुमला तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	2.00
13.	सागली से सकियांग तक सड़क (50. कि.मी.) का सुधार/निर्माण	13.69
14.	सियुम के निकट सुबनसिरी नदी पर स्टील सस्पेंशन पुल का निर्माण (लं. 174 मी.)	0.13
15.	पालिजी थ्रिजिनो सड़क (17.00 कि.मी.) का सुधार	1.13
16.	पक्के से वाई तक सड़क का निर्माण (18.00 कि.मी.)	5.99
17.	गांधी पुल स्थल पर सियांग नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण	2.74
18.	मेंगा गिबा सड़क का सुधार/उन्नयन (8 कि.मी.)	0.10

1	2	3
19.	टुटिंग के निकट कोडक में सियांग नदी पर स्टील सस्पेंशन पुल और पहुंच मार्गों का निर्माण	1.40
20.	दिपलामंगु पुल प्वाइंट से पिपू तक सड़क का निर्माण(14 कि.मी.)	1.24
21.	बामेंग से लाडा तक सड़क का निर्माण (40 कि.मी.)	1.42
22.	मंचल प्रशासनिक सर्कल को जोड़ने के लिए लोहित नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण (लं. 156.55 मी.)	3.22
23.	त्वांग जिले में लहाऊ से मुक्टो सर्कल मुख्यालय, तक वाया मिरबा, गोमकेलिंग और सेरजोंग लिंक सड़क का निर्माण (15 किमी)	4.65
24.	दोईमोख तोरू सड़क 40. कि.मी. (एनएच 52 ए) से निर्जुली से सागली तक सड़क का सुधार	6.54
25.	ऊपरी सियांग जिले में जेगिंग से रामसिंग तक सड़क का निर्माण (35 कि.मी.)	1.50
26.	पश्चिमी कॉमेंग जिले में नाफरा से नाखू और नाचिबान तक सड़क का निर्माण (11 कि.मी.)	2.38
27.	पश्चिमी सियांग जिले में नियोरक से रिमेमोकू गांव तक सड़क का निर्माण (20 कि.मी. चरण-1 9.20 कि.मी.)	1.80
28.	निचले सुबनसिरी जिले में जोप से सिलसांगो तक सड़क का निर्माण (30 कि.मी.)	9.93
29.	पूर्वी सियांग जिले में संगम प्वाइंट पर बीआरटीएफ सड़क एवं कोमसिंग गांव के बीच सियांग नदी पर मोटर वाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण (लं. 225 मी.)	1.58
30.	सतनागुड़ी से लोंगदिंग सड़क वाया कानोबाड़ी बानफेरा वानू और जेदुआ सड़क का निर्माण (चरण-1 15.50 कि.मी.)	1.75
31.	बामडिला टाऊनशिप में जलापूर्ति परियोजना	2.15
32.	त्वांग जिले में लुमला टाऊनशिप में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	1.60
33.	सिले में सिले, रानी, सिकाबामिन, सिका टोड, ओवन गांव के लिए पोर्टेबल पीने के पानी की आपूर्ति स्कीम	0.47
34.	14-दोइमुख विधान सभा हलके के तहत सभी प्रशासनिक मुख्यालयों और इसके गांव को जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना/बढ़ाना	3.51
	कुल	**122.96**

1	2	3
असम		(रुपए करोड़)
1.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय कैम्पस, कोकराझार	2.11
2.	आमगुड़ी और अर्नी नाला बंद करने सहित दिजमोरे से सोनानी गांव तक 14वें कि.मी. से 23.15वें कि.मी. तक ब्रह्मपुत्र बांध को ऊचा उठाना एवं मजबूत करना	2.12
3.	असम मे बोरजन संयुक्त सिंचाई स्कीम (कार्बी आंगलोंग)	7.00
4.	असम मेडिकल कॉलेज (होप)	3.70
5.	दिफू (कार्बी अंगलोंग) में जयसिंग दोलाई ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण	1.12
6.	2×50 केवी के लिए 220/132 केवी बालीपाड़ा (तेजपुर) उप स्टेशन और 132 केवी गोहपुर-देपोटा लाइन	3.10
7.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय के निकट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए स्ट्रीट लाइट लगाना	0.35
8.	220/132 केवी 2×50 एमवीए, 132/33 केवी तथा 1×16 एमवीए, आजिया उप स्टेशन का निर्माण	2.27
9.	धेमाजी जिला, असम में पहुंच मार्गों सहित श्रीपानी जेंगराई सड़क पर आरसीसी पुल सं. 1/1, 41, और 5/1 का निर्माण	0.95
10.	रोवता उदालगुड़ी सड़क दरांग	1.19
11.	उदालगुड़ी-तामुलपुर सड़क, दरांग	5.40
12.	चामूपाड़ा-पुरंदिया रोड	0.92
13.	नलबाड़ी जिले में हरिपुर संसारघाट सड़क पर आरसीसी पुल सं. 2/2 का निर्माण	0.41
14.	आरसीसी पुल सं. 20/1 का निर्माण नलबाड़ी जिले में नलबाड़ी पल्ला सड़क	0.69
15.	कार्बी आंगलांग जिले में डीएलएचएस सड़क पर आरसीसी पुल सं. 42/5, तथा 74/1 का निर्माण	0.39
16.	मंडाकाटा नॉर्थ गुवाहाटी सड़क पर आरसीसी पुल का निर्माण (सं. 2)	0.61
17.	बारपेटा जिले में सारूपेटा भुयापाड़ा पर आरसीसी पुल सं. 1/2, और 3/1 का निर्माण	0.62
18.	जोरहाट जिले में मेटनाअली जारहाट तिताबोर पर आरसीसी पुल सं. 4/2, 9/2, 10/2 और 17/2 का निर्माण	0.69
19.	नलबाड़ी तिले में बनगांव जगारा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 12/1 और 12/2 का निर्माण	0.57
20.	काचर जिले में सिल्चर कुम्भीरग्राम सड़क पर आरसीसी पुल सं. 13/1, 14/1, 15/1, 20/1, और 22/1 का निर्माण	1.68
21.	दारंग जिले में उदालगुड़ी बारबेंगेरा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 6/1 का निर्माण	0.46

1	2	3
22.	दारंग जिले में मंगलदोई भूटीयाचांग सड़क पर आरसीसी पुल सं. 8/2, 20/1, 21/1, 23/3, 29/2, 32/1, 36/1 और 40/1 का निर्माण	3.48
23.	राष्ट्रीय खेल 2005 के लिए भांगागढ़- भारालुमुख वीआईपी सड़क का सुधार	5.49
24.	नमाती, मसलपुर सड़क, नलबाड़ी	0.11
25.	कोकराझार में धुबरी काचूगांव सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1 और 40/1 का निर्माण	0.77
26.	नागांव जिला (असम) में नीलबागान होजाई सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 1/1 और 4/1 का निर्माण	0.60
27.	धेमाजी जिले में पुकिया सिलापत्थर सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	0.43
28.	नागांव जिले में नागांव-भुरागांव में पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 4/1और 15/1 का निर्माण	0.89
29.	गोआलपाड़ा जिले में गुरनगर टिकरीकिला सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 2/2 और 4/2 का निर्माण	0.74
30.	कोकराझार जिले में गोरांग नदी पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	2.53
31.	मोरीगांव जिले में बोरभोगिया मिकिरभाटा सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 9/2 का निर्माण	0.95
32.	सिवसागर जिला (असम) में माउंट सेपोन सनपुड़ा सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल का निर्माण 17/4, 19/4, 20/2, और 26/1 का निर्माण	0.38
33.	सोनितपुर जिले में चारद्वार सड़क पर मनसिरी नदी पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 3/2 का निर्माण	0.46
34.	उत्तरी लखीमपुर कमलाबाड़ी सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1, 6/1, और 14/1 का निर्माण	1.80
35.	सोनितपुर जिला (असम) में इटाखोला पावोई सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 2/3, 5/1, 9/1, 11/1, 15/3, 16/1, 18/1, और 19/4 का निर्माण	1.27
36.	धुबरी जिले में फकीराग्राम, सप्तग्राम सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरससीसी पुल सं. 1/1, 4/1, 8/1, और 9/2 का निर्माण	2.84
37.	सोनितपुर जिले में चारयाली पावोई सड़क पर पहुंच मार्गो, संरक्षण कार्य और सबवे सहित आरसीसी पुल सं. 3/1, 3/2, और 4/1 का निर्माण	0.15
38.	धेमाजी जिला (असम) में भैराबपुर से कुलीबाजार सड़क पर पहुंच माग्रों सहित आरसीसी पुल सं. 3/1, 3/2, और 4/1का निर्माण	1.47
39.	असम के डिब्रुगढ़ जिले में खोवांग भामुन सड़क पर पहुच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 10./1 का निर्माण	0.33
40.	असम के डिब्रुगढ़ जिले में बूढ़ागोहेन टिनथ्रेंजिया सड़क पर आरसीसी पुल सं. 5/1 का निर्माण	0.31

1	2	3
41.	करीमगंज जिला (असम) में सोनाखिरा बुबरी घाट सड़क पर पहुंच मार्गो संरक्षण कार्यो सहित आरसीसी पुल सं. 5/1 का निर्माण	0.40
42.	गोलाघाट जिला (असम) में पहुंच मार्गो और बचाव कार्य सहित माउंट गोलाघाट मेरापानी सड़क पर आरसीसी पुल सं. 24/2 और 32/2 का निर्माण	0.58
43.	सोनितपुर जिला (असम) में बालीबाड़ा में इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर को जाने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण	0.85
44.	धेमाजी जिला, में गोगामुख घिलामारा सड़क पर पहुंच मार्गो सहित आरसीससी पुल सं. 10/1 का निर्माण	0.34
45.	असम में बोंगाईगांव जिले में जोगीघोपा छपार सड़क पर भरालकुंडा नदी पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 5/1 सिस्टर पार बिल पर पुल सं. 7/1, दुलानी बील पर पुल सं. 8/1 चंपामती नदी की डिस्ट्रीब्यूटर पर पुल सं. 9/9 और हिल कैनल पर पुल सं. 11/1 का निर्माण	2.21
46.	उदालगुड़ी जिला, असम में भुल्ला नदी पर भरालकुंडा नदी पर आरसीसी पुल सं. 2/3 लक्खी नदी पर पुल सं. 3/2 और लखीमोरासुती नदी पर बेंगबाड़ी अंबागांव सड़क पर आरसीसी पुल सं. 11/1 का निर्माण	3.76
47.	बारपेटा जिला, असम में डॉ. जिनाराम दास सड़क पर कलदिया नदी पर पहुंच मार्गो सहित आरसीसी पुल सं. 2/4, 6/1, और 8/1 का निर्माण	0.56
48.	नागांव जिले के तहत, नागांव मोरिकोलोंग नानोई दाखिनपाथ सड़क का सुधार	0.79
49.	जोरहाट जिले में जोरहाट मास्टर योजना क्षेत्र के सड़क नेटवर्क के लिए परियोजना	1.42
50.	बारपेटा जिला, असम मे मानस सैंक्चुरी को जाने वाली बारपेटा बासीबाड़ी सड़का का 1 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तकक का सुधार	3.85
51.	एनएच-37 से जी एस सड़क तक विद्युत कार्यो सहित 4 लेन त्रिपुरा सड़क का निर्माण	3.58
52.	कोकराझार, बीएस में एपेक्स स्टेडियम	1.16
53.	ग्रेटर सिल्चर टाउन जलापूर्ति स्कीम	1.31
54.	गोलाघाट टाउन जलापूर्ति स्कीम	1.30
55.	धुब्री टाउन जलापूर्ति स्कीम	3.02
	कुल	**86.48**

मणिपुर (करोड़ रु.)

1.	9 जिले में वैटरिनरी अस्पताल का निर्माण	2.30
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय का अवसंरचना विकास चरण-2	0.37
3.	सर्वशिक्षा अभियान	2.65

1	2	3
4.	सर्वशिक्षा अभियान (2006-07)	3.78
5.	काकचिंग इथेई मारू मेन कैनल का आधुनिकीकरण	0.85
6.	सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरणों का सुदृढ़ीकरण	2.99
7.	मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में 32 पीएचसी का निर्माण	1.65
8.	घाटियों में 10 पीएचसी का निर्माण	2.42
9.	घाटी क्षेत्र में 18 पीएचस का निर्माण	1.13
10.	इंफाल में जे एन अस्पताल में 480 बिस्तरों का उन्नयन तथा उपस्करीकरण	2.74
11.	लेईमाखोंग से इरोसेम्बा तक एसटीएंड्डी-33 केवी डीसी लाइन	0.57
12.	मोंगसांगेई से खुमकलंपक तक वाया कोंगबा एसटीएंड्डी-33 केवी डीसी लाइन	1.79
13.	लाखमई से उपस्टेशन की संस्थापना	0.17
14.	नमारे में उपस्टेशन की संस्थापना	0.63
15.	थानलोन में उपस्टेश की संस्थापना	0.22
16.	थिंक्यू में उपस्टेशन की संस्थापना	0.24
17.	लामलोंग पुल की स्थापना	0.16
18.	सेनापति-फइबुंग सड़क (128.90 कि.मी.)	11.40
19.	लेशांगथेम में थोउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	1.07
20.	10.75 कि.मी. की मोईरांग-कुम्बी सड़क पर खुंगा नदी के ऊपर कुम्बी पुल का निर्माण	1.32
21.	कियामेई मांग मापा पर इंफाल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	2.71
22.	बाबू बाजार पर पुल का निर्माण	0.87
23.	हाओका पर थोउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	1.38
24.	हीरोक चिंगडोंगपोक में हीरोक नदी पर पुल का निर्माण	0.64
25.	खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंफाल में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	5.81
26.	खुगा डैग (खुगा नदी स्रोत)-जोन-3 से चूड़ाचांदपुर शहर के लिए जलापूर्ति बढ़ाना	1.36
27.	कोइटे और लोकलाओं नदी स्रोत जोन-1 से चूड़ाचांदपुर शहर के लिए जलापूर्ति बढ़ना	1.36

1	2	3
28.	चकपिकारोंग में जलापूर्ति बढ़ाना	0.15
29.	खोउपुम में जलापूर्ति बढ़ाना	0.35
30.	तामेई में जलापूर्ति बढ़ाना	0.43
31.	कांगपोक्पी में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.25
32.	माओं में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.20
33.	माराम में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.29
34.	साइकुल में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.15
35.	ताड़ुबी में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.11
36.	वैथाऊ पट जलपूर्ति स्कीम	10.42
37.	इंफाल शहर चरण-से जलापूर्ति बढ़ना (29.5 एमएलडी)	1.16
	कुल	**68.03**

मेघालय (करोड़ रु.)

1.	प्राथमिक विद्यालय भवन	1.27
2.	अपर प्राथमिक विद्यालय भवन	0.78
3.	सुतंगा प्रेसबिटेरियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्कूल भवन का निर्माण	0.74
4.	थामस जोन्स सिनोड कॉलेज, जोवई के भवन अवसंरचना की कैंमस विकास परियोजना	1.05
5.	मावसिनराम बॉर्डर एरिया कॉलेज के लिए अवसंरचना जरूरतें	0.63
6.	किनटोन मस्सार, मावलाई शिलांग, में ओ एम. राय मेमोरियल स्कूल के भवन का निर्माण	0.67
7.	सर्वशिक्षा अभियान 2006-07	5.00
8.	बालजेक, तुरा में हवाईअड्डे का निर्माण	3.18
9.	मिसा (असम) से बिरनीहाट (मेघालय) तक 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	19.96
10.	माफलांग-बलात सड़क पर पुलों और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण	3.69
11.	डबल लेन का उन्नयन और दाखिया-सुतंगा-साइपुंग-माउलसी-हाफलोंग सड़क का सुदृढ़ीकरण (9 से 16 कि.मी.)	0.77

1	2	3
12.	दखिया-सुतंगा-साइपुंग-माउलसी-हाफलोंग सड़क का सुधार, चौड़ा करना तथा उस पर मैटलिंग और ब्लैकटापिंग करना (16 कि.मी.)	2.00
13.	जाकरेम-रानीकोट सड़क का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण (6-15 कि.मी.)	1.09
14.	लुमश्नोंग-उमलोंग सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित निर्माण (0-8 कि.मी.)	1.50
15.	माकिरवाट-रंगब्लांग सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार (12 से 19 कि.मी.) (8 कि.मी.)	1.51
16.	तुरा शहर के आराइमाइल से दाकोपगरे तक सड़क को चौड़ा करके दो लेन का बनाना (4 कि.मी.)	0.93
17.	दखिया-सतुंगा-साइपुंग-माउसली-हाफलोंग सड़क पर लिटेन नदी पर पुल (नं. 31/1) का पुनर्निर्माण	0.71
18.	एनएच-37 (गुवाहाटी-शिलांग सड़क) के 9वें मील से किलिंग पिलांगकाटा सड़क का सुधार चौड़ा करना तथा मैटलिंग सुदृढ़ीकरण करना तथा मैटलिंग और ब्लैकटापिंग (6.00 कि.मी.)	0.98
19.	मुखाइलोंग लमसिरमिट सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार (19 कि.मि.)	2.87
20.	मुशुट से लुम्पुथोई वाया रंगड सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित निर्माण (12 कि.मी.)	1.53
21.	तुरा जिले में गारोबाधा बेटासिंह सड़क वाया रंगासाखोना (जीआर सड़क के 6वें कि.मी.) बीएम सड़क के 6वें कि.मी. तक वाया खासीबिल का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (7.833 कि.मी.)	2.80
22.	एनएच-51 से रोंगसिगरे तक सड़क का सुधार, मैटलिंग एवं ब्लैकटापिंग (4.725 कि.मी.)	1.03
23.	नोंगपो शहरी जलापूर्ति स्कीम	4.55
24.	जोवाई जलापूर्ति परियोजना	2.57
25.	तुरा चरण-3 जलापूर्ति परियोजना	1.40
26.	मईरांग जलापूर्ति स्कीम	1.24
	कुल	**64.45**

मिजोरम (करोड़ रु. में)

1.	मिजोरम विश्वविद्यालय (अतिरिक्त) का अवसंरचना विकास	7.64
2.	मारा संबद्ध जिला परिषद में स्कूल भवनों का निर्माण	0.67
3.	एलएडीसी के अंतर्गत स्कूलों का निर्माण	0.74
4.	लुंगलेई में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल	0.46
5.	सिविल हॉस्पीटल, आईजोंल में बहिरंग रोगी विभाग ब्लॉक का निर्माण	1.70
6.	मिजोरम के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक हॉलों का निर्माण	1.48

1	2	3
7.	कोलासिब से आईजोल (मेलरियाट) तक डी/सी टॉवर्स पर 132 केवी एस/सी लाइन का निर्माण, आईजोल (जोवांगतुई) में एक सर्किट लिलो के साथ 132 केवी सब-स्टेशन	6.68
8.	खाउजाल से चंपई तक 132 केवी एकल सर्किट लाईन का निर्माण	1.40
9.	लांगतलाई से सैहा तक 33 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाईन (टॉवर टाईप) का निर्माण	2.30
10.	चकमा स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत चांगते-बोरापानसुरी सड़क	1.75
11.	लाई एडीसी के तहत लुंगतियान-माम्ते सड़क वाया वारटेक काई	5.33
12.	मिजोरम में साइफल से होरटीको (0-27.5 कि.मी.) तक बांस पौधारोपण क्षेत्रों तक लिंक सड़क का निर्माण	4.09
13.	तुइरियाल एयरफील्ड से होरटोकी से बुकपुई तक (0-40) प्रस्तावित क्षेत्रों तक बम्बू पौधारोपण लिंक सड़क का निर्माण	7.05
14.	तुइरियाल एयरफिल्ड से बुकपुई तक (0-40) प्रस्तावित बम्बू पौधारोपण क्षेत्रों तक बम्बू पौधारोपण लिंक सड़क का निर्माण चरण-2 (40-84)	7.91
15.	पारवा-1 से सिमेनासोरा सड़क का उन्नयन	3.78
16.	आईजोल जलापूर्ति स्कीम (चरण-2)	6.12
	कुल	**59.20**

नागालैंड (करोड़ रु.)

1.	पुगलवा में सैनिक स्कूल के लिए अतिरिक्त सुविधाएं (फॉल्स सीलिंग)	0.52
2.	गहरे ट्यूबवैलों के द्वारा भूमिजल संसाधनों का उपयोग	0.20
3.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार स्थापित करना	1.36
4.	दीमापुर, खोपानाला, जालुकी, पेरेन सड़क का उन्नयन	10.53
5.	ओल्ड फेक वाया खुजा से सताखा सड़क तक सड़क का निर्माण और उन्नयन	6.57
6.	लोंगखुम वाया मांगमेटोंग-अलिबा सड़क का सुधार और उन्नयन	3.11
7.	मोन जिले में सड़कों का सुधार (पी एम पैकेज के तहत)	7.12
8.	तुवेनसांग जिले में सड़कों का सुधार (पी एम पैकेज के तहत)	10.41
9.	वोखा जिले में सड़कों का सुधार (पी एम पैकेज के तहत)	1.41
10.	धनसिरी नदी पर दो लेन के आरसीसी पुल का निर्माण	2.03

1	2	3
11.	नागालैंड में हेजीडेसा गांव में इन्टांकी नदी पुल तक सड़क का सुधार (6.60 कि.मी.) और मोंगलुमुख से जालुकी जांडी गांव तक का सड़क का उन्नयन (6.30 कि.मी.)	4.43
12.	फेक से चोजुबा तक सड़क का निर्माण (44.36 कि.मी.)	5.50
13.	नागालैंड में मिनरल डिपोजिट क्षेत्रों में लिंक सड़कों का निर्माण	8.20
14.	मोन कस्बे में वांगखाऊ कॉलेज में मिनी आउटडोर स्टेडियम	0.46
	कुल	**61.84**

सिक्किम (करोड़ रु.)

1.	विभिन्न स्कूलों के लिए स्कूल भवन तथा रेल वाटर हार्वेस्टिंग	4.53
2.	सिक्किम में गांव पर्यटक का विकास (क) चिरबिरे (ख) जूम और (ग) माझीगांव रीवर बैंक	5.28
3.	नामची से सामद्रुप्तसे रोपवे, साउथ सिक्किम	1.81
4.	मेल्ली में केंद्रीकृत लोड डिस्पैच केंद्र	1.15
5.	ग्यालसिंग पेलिंग और राबोंगला को कवर करते हुए सिक्किम के साउथ और वेस्ट जिले में 132 केवी प्रणाली का विस्तार	5.43
6.	गंगटोक शहर के ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क की री-मॉडलिंग	1.60
7.	रिम्बी चरण-1, चरण-2 का सिंक्रोनाइजेशन और और कालेज एचईपी से कॉमन 11 केवी ग्रिड और इसके आगे 66 केवी स्टेट ग्रिड	5.63
8.	3 स्थानों पर सब ट्रांसमिशन और वितरण कार्य अर्थात् (1) गंगटोक में वीआईपी कॉम्प्लेक्स को विद्युत आपूर्ति (2) टाडोंग में रेफरल अस्पताल में सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाकर 1×5 एमवीए 66/11 केवी ट्रांसफार्मर (3) नीचे से 66 केवी डी/सी लाइन का निर्माण	2.38
9.	बुलबुले में लिलो व्यवस्था के साथ नाथुला को 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	5.02
10.	ग्यालसिंग सोरेन सड़क (डेंटांग तक) पर सरफेस सुधार/चौड़ा करना, कारपेटिंग और पुल प्रतिस्थापन: (क) पेल्लिंग- डेटांग सड़क (20 कि.मी.) और (ख) कलेज खोला पर बी बी लाल सस्पेंशन पुल का प्रतिस्थापन	2.99
11.	पश्चिमी सिक्किम में डेटामा उत्तरी सड़क (10 कि.मी.) की कारपेटिंग और सरफेस सुधार	0.52
12.	दक्षिण सिक्किम में सोरेंग बुडांग सड़क वाया मालबासी (10 कि.मी.) की कारपेटिंग/सरफेस सुधार	0.00
13.	दक्षिण सिक्किम में नामची रोबोंगला सड़क पर कारपेटिंग/सरफेस सुधार संरक्षण कार्य ओर (26 कि.मी.)	0.78
14.	पूर्वी सिक्किम में रानीपुल-पाकयोंग सड़क के डाईवर्जन का निर्माण	0.77

1	2	3
15.	सिक्किम में पेल्लिंग-युकसोम सड़क पर विद्यमान 2 सस्पेंशन का निर्माण	0.37
16.	दक्षिण सिक्किम में राबोंगला माखा सड़क पर (26 कि.मी.) का उन्नयन	0.14
17.	सिंगटाम में तीस्ता नदी पर गोसकान द्वारा पुल का निर्माण	2.69
18.	ग्लासिंग जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.32
19.	सिक्किम में ग्रेटर गंगटोक चरण-2 के लिए जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.87
20.	पूर्वी सिक्किम में ग्रेटर रंगपो के लिए जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	3.30
21.	सारेंग उपमंडल के तहत चाकमाकी और रिंगयांग के लिए जलापूर्ति स्कीम	1.62
22.	पश्चिम सिक्किम में रबडेंटसे में वर्षा जल हार्वेस्टिंग ढ़ांचे का निर्माण	1.45
23.	पूर्वी सिक्किम में सांग नया बाजार के लिए जलापूर्ति का संवर्धन	0.62
	कुल	**49.27**

त्रिपुरा (करोड़ रु.)

1.	150 उच्च विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	0.67
2.	100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	1.36
3.	विशेष विशिष्ट ब्लॉक, जी बी पंत अस्पताल, अगरतला	0.07
4.	त्रिपुरा, अगरतला में स्टेट लेवल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट	2.71
5.	त्रिपुरा में उत्तर जिला अस्पताल	4.00
6.	त्रिपुरा में दक्षिण जिला अस्पताल	4.76
7.	अगरतला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल	13.68
8.	गोबिंद बल्लभ पंत हॉस्पीटल का विकास	4.01
9.	जनजाति विकास परियोजना	4.36
10.	अगरतला में न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स परियोजना	7.20
11.	बोधजंगनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सहित ट्रांसमिशन स्कीम	2.95
12.	बनिकया चौमुहानी शालबगान सड़क (9.00 कि.मी.) को चौड़ा करना तथा उसका सुदृढ़ीकरण	1.19
13.	कमालपुर-माराचेरा-अंबासा सड़क पर बने 2 सेमी स्थायी लकड़ी के पुलों (एसपीटी) को आरसीसी पुलों में बदलना	0.62
14.	हलाहली-अंबासा-दंगाबाड़ी-बेल का उन्नयन	11.19
	कुल	**58.77**

1	2	3
बीटीसी पैकेज		(करोड़ रु.)
1.	चंपामती सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	18.71
2.	सुक्ला सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	0.67
3.	कोकराझार में आरएनबी सिविल हॉस्पीटल का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.78
4.	कोकराझार में बोडोफा कल्चरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	2.75
5.	उदालगुड़ी जिले में शीतागार का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.40
6.	कोकराझार जिले में शीतागार का निर्माण (ओटीसी पैकेज)	0.40
7.	स्रिनवगई गोसाईगांव में उत्तर-पूर्व गेटवे बस टर्मिनल का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.15
8.	कौरबाहा-नागार्जुली सड़क का एसपीटी पुलों में बदलने सहित मैटलिंग तथा ब्लैक टापिंग द्वारा सुधार (बीटीसी पैकेज)	3.53
9.	उत्तर काजोलगांव डंगटोल सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.45
10.	सुंदरी बिद्यापुर वाया काकरागांव सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	2.03
11.	विद्यमान हार्ड क्रस्ट के सुधार सहित सहित गोसाईगांव से सराबिल सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग तथा एसटीपी पुल को आरसीसी पुल में बदलना (बीटीसी पेकेज)	2.30
12.	फकीराग्राम-सेरफारगुड़ी सड़क को एसटीपी पुलों से आरसीसी पुलों में बदलने सहित चौड़ा करना तथा सुदृढ़ीकरण (बीटीसी पैकेज)	0.07
13.	उत्तर काजोलगांव बेंगटोल सोनितपुर सड़क, चिरांग का सुधार (बीटीसी पैकेज)	1.35
14.	बरामा से मसालपुर,बास्का, एनएच-31 सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	2.50
15.	जलाह रूपाही सौदारभिथा गोबरधाना सड़क, बास्का, का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.73
16.	उदालगुड़ी भक्तपाड़ा सड़क वाया भैराबगुड़ी, उदालगुड़ी का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.03
17.	कलाईगांव कुंदरबिल सड़क, उदालगुड़ी का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.04
18.	धमधमा-तुपालिया-सुबनखाटा (डीटीएस) सड़क सुधार (विद्यमान मेटल्ड सरफेस के सुधार सहित शेष हिस्सों की मैटलिंग ओर ब्लैकटापिंग) (बीटीसी पैकेज)	3.79
19.	गोरश्वर से खोईराबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.50
20.	खोरांग महानपुर सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.14
21.	चपागुड़ी-खगराबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	0.70

1	2	3
22.	तुलसीइयोरा-कैलामैला सड़क वाया आमगुड़ी (बीटीसी पैकेज)	4.44
23.	बिजनी पनबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	0.77
24.	गोसाईगांव से काजीगांव वाया भुक्का, तिपकाई सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.92
25.	बाक्सा जिले में इंडो भूटान हिल्स को जाने वाली तिहू दोमनी सड़क का 7 कि.मी. से 25 कि.मी. तक सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.48
26.	11 एसपीटी पुलों को आरसीसी में बदलने सहित खोइराबाड़ी एमपीके (अंधेरीघाट) से हरिसिंगा वाया भेरगांव, टांगला और पुरंदीया 42.25 कि.मी . लंबी सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	2.87
27.	कासीकोटरा बामुनगांव बेंगटोल सड़क का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.31
28.	काकराझार जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	2.56
	कुल	**58.37**

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान एनएलसीपीआर एवं पैकेज के तहत उपयोग की गई राशि

क्र.सं.	परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश		(करोड़ रु.)
1.	अनीनि में उच्चतर माध्यमिक स्कूल का पुनर्निर्माण	0.69
2.	त्वांग जिले के कित्पी में विवेकानन्द केंद्रीय विद्यालय	2.00
3.	ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में अरूणाचल कल्याण और शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का अवसंरचरण विकास (जेएनके स्कूल भवन का निर्माण)	0.98
4.	ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश में अरूणाचल कल्याण और शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का अवसंरचना विकास (जेएनके स्कूल के हॉस्टल भवन का निर्माण) (जेएनके स्कूल भवन के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव)	0.50
5.	त्वांग मोनेस्ट्री से अनी गोंपा तक रोपवे (त्वांग जिला)	1.00
6.	डोंग में हॉड स्प्रिंग में पर्यटन अवसंरचना विकास जिसमें वालोंग, हवाई और हेडलियांग में यात्री निवास शामिल है	1.21
7.	लुमला में 33/11 केवी, 2ग1.6 एमवीए सब स्टेशन के साथ त्वांग से लुमला तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	1.64
8.	अलांग से पासीघाट तक 132 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन	10.47

1	2	3
9.	सागली से साकियांग तक सड़क का सुधार/निर्माण (50 कि.मी.)	6.94
10.	सियूम के निकट सुबनसिरी नदी पर सस्पेंशन स्टील पुल का निर्माण (लम्बाई 174.00 मी.)	3.06
11.	पालिजी-श्रीजिनो सड़क का सुधार (17 कि.मी.)	0.81
12.	पक्के से वाई तक सड़क का निर्माण (18 कि.मी.)	1.82
13.	मेंगा-गिबा सड़क का सुधार/उन्नयन (8 कि.मी.)	0.53
14.	दिपूलाम्पू पुल प्वाइंट से पिपू तक का निर्माण (14 कि.मी.)	0.56
15.	मंचल प्रशासनिक सर्कल को जोड़ने के लिए लोहित नदी पर मोटरवाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण (लम्बाई 156.55)	4.13
16.	त्वांग जिले में लहोऊ नाला से मुक्तो सर्कल मुख्यालय तक वाया मिरबा, गोमकेलिंग और सेरजोंग,(15 कि.मी.) लिंक सड़क का निर्माण	2.62
17.	निर्जुली से सागली तक दोइमुख तोरू सड़क 40 कि.मी. (एनएच 52 ए से) का सुधार	2.45
18.	ऊपरी सियांग जिले में जेंगिंग से रामसिंग तक सड़क का निर्माण (35 कि.मी.)	0.85
19.	केयिंग से पाकसिंग सड़क पर सियोम पर पुल का निर्माण (लम्बाई 122.00 मी.)	3.01
20.	पश्चिमी कामेंग जिले में नाफरा से नाखू और नाचीबन तक सड़क का निर्माण (11 कि.मी.)	3.87
21.	पश्चिमी सियांग जिले में नियोरक से राइम मोकू गांव तक सड़क का निर्माण (20 कि.मी. चरण-1 9.20 कि.मी.)	1.05
22.	निचली सुबनसिरी जिले में जोच से सिलसांगो तक सड़क का निर्माण (30 कि.मी.)	1.24
23.	पूर्वी सियांग जिले में सिले से यागरूग तक सड़क का निर्माण (10 कि.मी.)	1.58
24.	सिजोसा सर्कल के तहत नमारा और कई अन्य गांवों के बीच बैली पुल (स्टील से हुए गिर्डर पुल) का निर्माण	0.21
25.	दुमपोरिजो से हाली तक सड़क का निर्माण (45 कि.मी.)	9.81
26.	सतनागुड़ी से लोंगडिंग सड़क वाया कानूबाड़ी, बानफेरा, वानू और जेदुआ सड़क का निर्माण (चरण-1) (15.50 कि.मी.)	2.00
27.	गाचक-मोरसिंग सड़क का निर्माण (24.50 कि.मी.)	4.82
28.	वाक लिरोमोबा सड़क का निर्माण (78 कि.मी.) चरण-1 (15 कि.मी.)	2.03
29.	न्यू मोहोंग से महादेवपुर टाउनशिप तक वाया नोंगखोंन तक सड़क का निर्माण (12 कि.मी.)	0.93

1	2	3
30.	चांगलांग से खिमियांग तक सड़क का निर्माण (36.10 कि.मी.)	2.20
31.	तामेन-ताली वाया यिरकोउम सड़क का निर्माण (60 कि.मी.) चरण-1 (0-49 कि.मी.)	6.06
32.	संग्राम से फसांग-पलांग वाया नियापिन सड़क का निर्माण (एसडीओ मुख्यालय) चरण-1	2.29
33.	दोसिंग, पारेंग, सिने, यिबुक और लिगिंग सड़क का सुधार और विस्तार (चरण-1)	1.06
34.	खेती से दादम तक का सड़क का निर्माण (21 कि.मी.)	3.42
35.	जिरो टाउनशिप में 32 कि.मी. लम्बी आंतरिक सड़क का पुन:स्थापन/उन्नयन	4.40
36.	बोमडिला टाउनशिप में जलापूर्ति परियोजना	0.69
37.	14-दाईमुख विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी प्रशासनिक मुख्यालय और इसके गांव में जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना/संवर्धन	3.89
	कुल	**96.81**

असम (करोड़ रु.)

1.	उत्तर-पूर्वी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गुवाहाटी (असम) का अवसंरचना विकास	1.07
2.	असम (कार्बी आंगलांग) में बोरजन संयुक्त सिंचाई स्कीम	3.18
3.	डिब्रुगढ़ जिले में तेंगाखाट खेरेमिया मोउजा में बुडीडोइंग नदी पर एलआईएस	0.92
4.	डिब्रुगढ़ जिले में सासोनी मोउजा में बुडीडोइंग नदी पर एलआईएस	0.78
5.	असम मेडिकल कॉलेज (होप)	1.51
6.	असम में डुबरी जिले में मानकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र	0.50
7.	बालीपाड़ा औद्योगिक संवर्धन केंद्र, सोमितपुर को पावर लाइन	3.06
8.	220/132 केवी 1×50 एमवीए, 132/33 केवी और 1×16 एमवीए, एजिया सब स्टेशन का निर्माण	1.63
9.	रोवता-उदालगुड़ी रोड, दारंग	0.47
10.	अंबागांव-बारीगांव सड़क	2.31
11.	चामूपाडा-पुंरदिया सड़क	1.23
12.	नलबाड़ी जिले में नलबाड़ी पल्ला सड़क पर आरसीसी पुल सं. 20/1 का निर्माण	0.39
13.	नलबाड़ी जिले में बनगांव जगारा सड़क पर आरसीसी पुल सं. 12/1 और 12/2 का निर्माण	0.21
14.	कचार जिले में सिल्चर कुम्भीरग्राम सड़क पर आरसीसी पुल सं. 13/1, 14/1, 15/1, 20/3, और 22/1 का निर्माण	1.27

1	2	3
15.	कोकराझार में ढुबरी-काचूगांव सड़क पर मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1 और 45/1 का निर्माण	0.85
16.	कोकराझार जिले में गोरांग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	0.11
17.	सिवसागर जिला (असम) में माउंट सेपोन सनपुड़ा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित पुल सं. 17/4, 19/4, 20/2 और 26/1 का निर्माण	0.75
18.	ढुबरी जिले में फकीराग्रामी सप्तग्राम सड़क पर पहुच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 1/1, 4/1, 8/1, और 9/2 का निर्माण	1.13
19.	सोनितपुर जिले चरियाली पावोई सड़क पर पहुंच मार्गों, संरक्षण कार्यो और सबसे सहित आरसीसी पुल सं. 6/1 का निर्माण	0.35
20.	नलबाड़ी जिले में बागाल्स सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 16/1, 19/1, और 19/3 का निर्माण	1.18
21.	मालीगांव, गुवाहाटी (असम) में ए टी रोड पर अतिरिक्त दो लेन के रेल ओवर ब्रिज का निर्माण	0.28
22.	सोनितपुर जिले में बल्लीपाड़ा में औद्योगिक संवर्धन केंद्र को जाने वाले पहुंच मार्ग का निर्माण	1.57
23.	असम में बोंगाईगांव जिले में भारलकुंड़ा नदी पर आरसीसी पुल सं. 5/1 सिस्टर पार बील पर 7/1, दुलानी बील पर 8/1 चंपावती नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी पर 9/9 और हिल कैनाल पर 11/1 जोगीघोपा चपार सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल का निर्माण	2.11
24.	बारपेटा जिला, असम में डॉ. जिनाराम दास सड़क पर कलदिया नदी पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/4, 6/1, और 8/1का निर्माण	1.14
25.	बरपेटा जिला, असम मे मानस सैंचुरी को जाने वाली बारपेटा बासीबाड़ी सड़क का 1 किलोमीटर से 21 किलोमीटर का सुधार	3.31
26.	जोरहाट जिले में जे बी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 4/1, एवं 6/1	1.01
27.	नागांव जिले के अंतर्गत नागांव-बारापुजिया सड़क का सुधार	0.94
28.	जोरहाट टाउप में सड़कों का सुधार	0.91
29.	सिवसागर टाउन में सड़कों का सुधार	1.08
30.	नाजीराखाट सोनापुर सड़कों को चौड़ा करना और बढ़ाना (लं. 6.00 कि.मी.)	1.02
31.	12 कि.मी. 18 कि.मी. तक दिब्रुगढ़ से सेपाखाती सड़क का पहुंच मार्गों सहित 2 आरसीसी पुल सं. 18/1, और 19/1, का निर्माण (सरायघाट में बूढ़ीदिहिंग के ऊपर पुल)	6.67
32.	गुवाहाटी, असम में काहिलपाड़ा से डॉन बोस्को स्कूल तक सड़क का सुधार	1.13

1	2	3
33.	कामरूप जिले में एनएच-37 से शुरू करके रामपुर मॉडल सड़क का सुधार	0.71
34.	ढुब्री जिले में सिलेपर बोरसिझोरा सड़क पर स्थायी कैनाल गदाधर पर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	1.35
35.	नागांव सड़क पर श्रीमंत संकरदेव गोवसोना केंद्र सड़क पर संटीजन के ऊपर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	0.88
36.	ढुबरी जिले में बेलगुड़ी-सतरासल सड़क पर आरसीसी पुल सं. 4/1 का निर्माण	0.82
37.	हैलाकांडी जिले में स्वप्नपुर से रामचंडी सड़क की मैटलिंग तथा ब्लैकटापिंग	1.20
38.	एनएच-37 से जी एस सड़क तक विद्युत कार्यों सहित 4 लेन त्रिपुरा सड़क का निर्माण	3.32
39.	सिल्चर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	1.40
	कुल	**53.75**

मणिपुर (करोड़ रु.)

1.	गवर्नमेंट कॉलेज आफ टैक्नोलाजी का निर्माण	2.63
2.	मणिपुर में विश्वविद्यालय और 60 संबद्ध कॉलेज	5.39
3.	रंगकई राजकीय उच्च विद्यालय, चूड़ाचांदपुर में 8 क्लास रूम का निर्माण	0.25
4.	पूर्वी इंफाल में इताम नदी पर बैरेज का निर्माण	1.14
5.	रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज (रिम्स) में धर्मसाला भवन का निर्माण	0.65
6.	जिरीबाम उप प्रभाग में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.93
7.	तामेनलोंग जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.53
8.	सेनापति जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.49
9.	उखरूल जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.40
10.	चांदेल जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.14
11.	इंफाल में जे एन अस्पताल में 480 बिस्तरों वाले उन्नयन तथा उपस्करीकरण	2.79
12.	एसटीएंडडी-2×1 एमवीए उप स्टेशन, तथा सिवापुरीखान	0.08
13.	नमारे में उप स्टेशन की संस्थपना	0.06
14.	29 जनजातीय गांवों का दूसरे चरण का बिजलीकरण	0.55

1	2	3
15.	मणिपुर में माराम उप स्टेशन विलोंग उप स्टेशन तक 33 केवी एस/सी के साथ विलोंग सहित 2×2.5 एमवीए 33/11 केवी उप स्टेशन की संस्थापना	1.70
16.	तामेनलोंग-तोउसेम-हाफलोंग सड़क पर बराक नदी के ऊपर बैली सस्पैंशन का निर्माण (लं. 360 फीट)	0.66
17.	लामलोंग पुल की स्थापना	0.63
18.	सिंगजामेई पुल का निर्माण	0.01
19.	सेनापति-फइबुंग सड़क (128. 90 कि.मी.)	2.19
20.	लेशांगथेम में थोउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	1.07
21.	ईरोंग इचिंग में पुल का निर्माण	1.05
22.	कियामेई मांग मापा पर इंफाल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	1.16
23.	बाबू बाजार पर पुल का निर्माण	0.92
24.	हीरोक चिकडोंगपोक में हीरोक नदी पर पुल का निर्माण	0.69
25.	जिरी-तिपाईमुख सड़क का सुधार (8-48 कि.मी.)	5.73
26.	लमसांग-खोंधामपट सड़क का सुधार	0.85
27.	खुमान लंपक स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, इंफाल में राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना	5.81
28.	तामेनलोंग जिला मुख्यालय का संयुक्त जलापूर्ति	0.83
29.	चकपिकारोंग में जलापूर्ति बढ़ाना	0.41
30.	खोउपुम में जलापूर्ति बढ़ाना	0.28
31.	कांगपोक्पी में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.13
32.	माओं में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.14
33.	माराम में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.16
34.	साइकुल में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.07
35.	ताडुबी में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.12
36.	वैथाउ पट जलापूर्ति स्कीम	16.49
37.	कोल्थोऊजम जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन (पश्चिमी इंफाल जिला)	2.74
38.	पुरूल उप प्रभाग मुख्यालय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.32

1	2	3
39.	तुन्जोय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.68
40.	उनोपट और उसके आसपास के गांव में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.93
41.	मणिपुर में रिहा लुइटे और उसके आसपास के गांव में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.10
	कुल	83.90

मेघालय (रु. करोड़)

1.	सुतंगा प्रसबिटेरियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए स्कूल का निर्माण	0.35
2.	जैतिया हिल, पोस्कुर माध्यमिक स्कूल भवन का निर्माण	0.55
3.	एसएजी विस्तार कार्यक्रम-नई अर्थव्यवस्था में उत्तर-पूर्व में रोजगार संभावनाओं का विकास और क्षेत्रीय कौशल को बढ़ावा देना और डॉक्यूमेंट्री करना	0.99
4.	वाणिज्य उत्पादन के लिए बिरनीहाट में अदरक प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए सुविधाओं को अद्यतन करना	0.51
5.	मिसा (असम) से बिरनीहाट (मेघालय) तक 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	25.00
6.	रि-भोई जिले में उस्त्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना में 30% अनुदान की संस्वीकृति (2×20 मे. वा.)	15.21
7.	रिबई-लपमाला-सुचेन सड़क के पुलों और सड़क के निर्माण सहित सुधार चौड़ा करना और मजबूतीकरण (1-17 कि.मी.)	4.32
8.	जाकरेम-रानीकोट सड़क का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण (6-15 कि.मी.)	1.65
9.	लुमश्नोंग-उमलोंग सड़क का मैटलिंग और टापलिंग सहित सुधार (0-8 कि.मी.)	1.41
10.	माकिरवाट-रंगब्लांग सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सहित सुधार (12 से 19 कि.मी.) (8 कि.मी.)	1.50
11.	तुरा शहर के अराइलमाइल से दाकोपगरे तक सड़क को चौड़ा करके दो लेन का बनाना (4 कि.मी.)	0.62
12.	दखिया-सुतंगा-साइपुंग-माउलसी-हाफलोंग सड़क पर लिटेन नदी पर पर पुल (नं. 31/1) का पुनर्निर्माण	0.05
13.	एनएच-37 (गुवाहाटी-शिलांग सड़क) के 9वें मील से किंलिंग पिलांगकाटा सड़क का सुधार, चौड़ा करना, सुदृढ़ करना तथा मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (6.00 कि.मी.)	0.99
14.	मुखाइयालोंग लमसिरमिट सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटापिंग सुधार (19 किमी.)	2.86
15.	मुशुट से लुम्पुथोई वाया रंगड का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण (12 किमी.)	1.50
16.	एनएच-51 से रोंगसिगरे तक सड़क का सुधार, मैटलिंग एवं ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण (4.725 कि.मी.)	1.00
17.	विलियम नगर टाउन में सड़कों को डबल लेन में चौड़ा करना (8 कि.मी.)	1.98
18.	नोंगपो शहरी जलापूर्ति स्कीम	2.75
19.	जोवाई जलापूर्ति परियोजना	0.44
	कुल	63.68

1	2	3
मिजोरम		(रु. करोड़)
1.	मिजोरम में माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण	2.36
2.	चंफई में स्टेडियम का निर्माण	3.55
3.	आईजोल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	4.11
	कुल	10.02
नागालैंड		(रु. करोड़)
1.	एकीकृत गुइकी सिंचाई परियोजना	0.73
2.	दीमापुर में स्टेट रेफरल हॉस्पीटल को स्थायित्व प्रदान करना	6.45
3.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार स्थापित करना	1.24
4.	किफिरे-पुगंरो सड़क (तुएनसांग सेमिनार सड़क)	2.01
5.	टंग-जंक्सन से चेनमोहो सड़क (मोन सेमिनार सड़क)	0.00
6.	टोहोक-चेन्खाओ-वांग्ती 31 कि.मी.	0.17
7.	किफिरे-आमाहातोर-लुखानी सड़क (तुएनसांग सेमिनार सड़क)	0.54
8.	टोहोक-चेन मुख्यालय-चेनलाइसो-वांगती 49 कि.मी.	0.23
9.	तुवेनसांग जिले में सड़कों का सुधार (पी एम पैकेज के तहत)	10.41
10.	वोखा जिले में सड़कों का सुधार (पी एम पैकेज के तहत)	1.41
11.	धनसिरि नदी पर दो लेन के आरसीसी पुल का निर्माण	2.03
12.	रुसोमा से किजुमेतुमा तक सड़क का उन्नयन (36.00 किमी.)	11.31
13.	फेक से चोजुबा तक सड़क का निर्माण (44.36 किमी.)	5.81
14.	नागालैंड में मिनरल डिपोजिट क्षेत्रों में लिंक सड़कों का निर्माण	8.20
15.	राजेबा से चिजामी वाया थेत्सुमी तक सड़क का निर्माण	8.10
16.	रुजाजो से फेक टाउन वाया खुम्वोफू तक सड़क का निर्माण	2.71
17.	रुसोमा से किजूमेटुमा सड़क पर डीजेडयू-यू नदी के ऊपर आई आर सी श्रेणी 'ए' लोडिंग का टी-बीम गर्डर डबल लेन पुल का निर्माण	1.71
18.	नागालैंड में पर्यटन गांवों से मुख्य/लघु हब्स तक सड़क उन्नयन और सुधार	1.51

1	2	3
19.	नागालैंड में तामलू प्रशासनिक मुख्यालय से सेमयूचिंग तक सड़क का निर्माण	3.60
20.	नागालैंड में झेकिए से होकिए वाया सातोई (झेकिए से चोखुवी)-26 कि.मी. तक सड़क का निर्माण और सुधार	5.23
21.	नागालैंड में एनएच-150 से थिफूजू तक सड़क का निर्माण (25 किमी.)	3.75
22.	नागालैंड में केफोरे से कितुस्किर तक सड़क का निर्माण (10 किमी.)	2.31
23.	नागालैंड में अगुनातो-समातोर तक सड़क का निर्माण	4.94
24.	नागालैंड में नोकलाक से थोनोकन्यू वाया संगलाऊ तक सड़क का निर्माण	2.66
25.	नागालैंड में तऊफेमा से कासा तक सड़क का निर्माण/सुधार (8.5)	1.81
26.	नागालैंड में कोहिमा लेक सड़क जंक्शन से पुराना पोएलवा तक सड़क का निर्माण-15	2.64
27.	नागालैंड में यांगली से शुरूहोतो तक सड़क का निर्माण (17 किमी.)	3.16
28.	नागालैंड में लिफायान में लोंगथो से गवर्नर्स कैंप सड़क का निर्माण 20 कि.मी.	3.86
29.	नागालैंड में चुचूइमलांग से मोगडिकांग तक सड़क का निर्माण 20 कि.मी.	3.90
30.	मोकोकचुंग में खेल हॉल का निर्माण	0.85
31.	चेन ईएसी मुख्यालय चेनयालू गांव में जलापूर्ति का संवर्धन	0.86
32.	नागालैंड में चीफोबोजोऊ आर.डी. ब्लॉक के 24 गांवो में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	9.79
	कुल	113.96

सिक्किम (रु. करोड़)

1.	विभिन्न स्कूलों के लिए स्कूल भवन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग	1.33
2.	सिक्किम में विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर प्रयोगशाला और 12 क्लास रूम भवनों का निर्माण	2.77
3.	सिक्किम में गांव पर्यटन का विकास (क) चिरबिरे (ख) जूम और (ब) माझीगांव रीवर बैंक	5.13
4.	नामची से सामद्रुप्तसे रोपवे, साउथ सिक्किम	0.55
5.	मायोंग से चुंगथांग तक 66 केवी एस/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और चुंगथांग में ट्रांसफॉर्मर बे तथा मायोंग में फीडर बे	0.25
6.	ग्यालसिंग पेलिंग और राबोंगला को कवर करते हुए सिक्किम के साउथ और वेस्ट जिले में 132 केवी प्रणाली का विस्तार	1.04

1	2	3
7.	पश्चिम सिक्किम मे डेंटाम उत्तरी सड़क (10 कि.मी.) की कारपेटिंग और सरफेस सुधार	0.15
8.	पूर्वी सिक्किम में रानीपुल-पाकयोंग सड़क के डाइवर्जन का निर्माण	0.42
9.	दक्षिण सिक्किम सर्कल के तहत नामची असांगथांग सड़क (5 कि.मी.)	1.39
10.	पश्चिम सिक्किम में लेगछिप ताशीडिंग सड़क पर रंगीत नदी पर प्री-स्ट्रेस्ड पुल का निर्माण	2.73
11.	पूर्व में पक्योंग-माचोंग-रोलेप सड़क	6.52
12.	पश्चिम में 18.3 कि.मी. श्रीबादाम-देथांग-मंगलबेरी सड़क का निर्माण/सुधार	0.46
13.	पूर्वी सिक्किम में एलएलएचपी से नांदोक सड़क का उन्नयन (4 किमी.)	0.72
14.	पूर्वी सिक्किम में तिनटेक दिक्चू सड़क का सुधार और चौड़ा करना-12 कि.मी.	2.31
15.	उत्तरी सिक्किम में पासिंगदोंग पीएचई से लिंगथेम गुंफा तक और लिंगथेम स्कूल 8 किमी., ऊपरी डिजोंगो तक लिंक सड़क का निर्माण	2.05
16.	ग्यालसिंग जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.15
17.	सारेंग उपमंडल के तहत चाकमाकी और रिंगयांग के लिए जलापूर्ति स्कीम	0.89
18.	पश्चिम सिक्किम में रबडेंटसे में वर्षा जल हार्वेस्टिंग ढांचे का निर्माण	0.77
19.	पूर्वी सिक्किम में रेनोक जलापूर्ति स्कीम	5.00
20.	केंद्रीय पांदेम, सिक्किम में ग्रामीण जलपूर्ति स्कीम का संवर्धन	3.70
	कुल	37.83

त्रिपुरा (रु. करोड़)

1.	150 उच्च विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	9.94
2.	100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	15.27
3.	त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज का अवसंरचनात्मक विकास	2.50
4.	कृषि कॉलेज के लिए भवन का निर्माण	20.18
5.	त्रिपुरा में उत्तर जिला अस्पताल	0.76
6.	अगरतला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल	2.69
7.	जनजाति विकास परियोजना	0.09

1	2	3
8.	अगरतला में न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स परियोजना	2.61
9.	बोधजंगनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट सहित ट्रांसमिशन स्कीम	4.00
10.	हलाहली-अंबासा-दंगाबाड़ी-बेल का उन्नयन	11.77
11.	तेलियामुरा के लिए पेय जलापूर्ति स्कीम	0.41
12.	मेलाघर में जलापूर्ति स्कीम	2.79
13.	जतनबाड़ी-नूतनबाड़ी में जलापूर्ति स्कीम	1.64
14.	बिशालगढ़ में जलापूर्ति स्कीम (1.00 एमसीडी)	2.18
	कुल	76.83

बीटीसी पैकेज (रु. करोड़)

1.	चंपामती सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	3.83
2.	सुक्ला सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	0.97
3.	बीटीसी क्षेत्र के काजलगांव में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पीटल का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	8.26
4.	कौरबाहा-नागार्जुली सड़क का एसपीटी पुलों को आरसीसी लघु पुलों में बदलने सहित मैटलिंग तथा ब्लैक टॉपिंग द्वारा सुधार (बीटीसी पैकेज)	1.50
5.	नाराबाड़ी दौकीबाड़ी सड़क (नाराबाड़ी से फ्लोरिकन गार्डन वाया मालगांव) का मैंटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (बीटीसी पैकेज)	0.13
6.	कोकराझार में भैरागड़ी काचूगांव सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	3.29
7.	विद्यमान हार्ड क्रस्ट के सुधार सहित गोसाईगांव से सरायबिल सड़क की मेटलिंग और ब्लैकटॉपिंग तथा एसटीपी पुल का आरसीसी पुल में बदलना (बीटीसी पैकेज)	2.51
8.	जालाह रुपाही सौदारभिथा गोबरधाना सड़क, बास्का का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.51
9.	गोरेश्वर से खोइराबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.48
10.	लैलोगपाड़ा-कोपाती सड़क वाया बोरो बाजार (बीटीसी पैकेज)	0.59
11.	चपागुड़ी-खगराबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.70
12.	तुलसीइयोरा-कैलामैला सड़क वाया आमगुड़ी (बीटीसी पैकेज)	0.35
13.	बिजनी-पनबाड़ी (बीटीसी पैकेज)	3.02
14.	गोसाईगांव से काजीगांव वाया भुक्का, तिपकाई सड़क (बीटीसी पैकेज)	2.75

1	2	3
15.	बास्का जिले में इंडो भूटान हिल्स को जाने वाली तिहू दोमनी सड़क का 7 किमी. से 25 किमी. तक सुधार (बीटीसी पैकेज)	1.47
16.	कासीकोटरा बामुनगांव बेंगटोल सड़क का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	3.28
17.	कोकराझार जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	2.62
18.	भेरागांव पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	1.09
19.	उत्तरपार पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	3.70
	कुल	43.05

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एनएलसीपीआर एवं बीटीसी पैकेज के तहत उपयोग की गई राशि

क्र.सं.	परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3
अरूणाचल प्रदेश		(रु. करोड़)
1.	जे एन कॉलेज, पासीघाट में 200 बिस्तरों वाले हॉस्टल का निर्माण	1.30
2.	सर्व शिक्षा अभियान 2006-07	6.07
3.	त्वांग जिले के कित्पी में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय	0.91
4.	सांतिदेव विद्यालय, बोमडिला मोनेस्ट्री का विकास	0.92
5.	अरूणाचल प्रदेश (सामान्य अस्पताल, नाहरलागुन) में माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण	0.64
6.	आर के मिशन अस्पताल का नया ओपीडी ब्लॉक	1.14
7.	आर के मिशन अस्पताल, ईटानगर के चिकित्सा उपस्करों का उन्नयन	3.67
8.	ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश सिविल सचिवालय भवन का निर्माण	33.07
9.	अरूणाचल के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ऊपरी अधीनस्थ और पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस ऑफिसर्स मेस और आवास का निर्माण (पापुम पारे जिला)	2.48
10.	कथालगुड़ी देओमाली ट्रांसमिशन लाइन	0.94
11.	सागली से साकियांग तक सड़क का सुधार/निर्माण (50 किमी.)	3.06
12.	मेंगा-गिबा सड़क का सुधार/उन्नयन (8किमी.)	1.28

1	2	3
13.	टूटिंग के निकट कोडक में सियांग नदी पर स्टील सस्पेंशन पुल और पहुंच मार्गो का निर्माण	4.78
14.	बामेंग से लाडा तक सड़क का निर्माण (40 कि.मी.)	2.76
15.	निर्जुली से सागली तक दोइमुख तोरू सड़क 40 किमी. (एनएच-52ए से) का सुधार	2.12
16.	केयिंग से पाकसिंग सड़क पर सियोम पर पुल का निर्माण (लंबाई 122.00 मीटर)	1.27
17.	एनएच 52ए से पापू हिल सैटलमेंट तक सड़क का निर्माण (2 किमी.)	1.26
18.	पश्चिम सियांग जिले में नियोरक से राइम मोकू गांव तक सड़क का निर्माण (20 किमी., चरण.-1: 9.20 कि.मी.)	3.55
19.	पूर्वी सियांग जिले संगम प्वाइंट पर बीआरटीएफ सड़क एवं कोमसिंग गांव के बीच सियांग नदी पर मोटरवाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण (लं. 225 मी.)	2.17
20.	पूर्वी सियांग जिले में सिले से यागरूग तक सड़क का निर्माण (10 किमी.)	1.77
21.	दुमपोरिजो से हाली तक सड़क का निर्माण (45 कि.मी.)	11.21
22.	सतनागुड़ी से लोंगडिंग सड़क वाया कानूबाड़ी, बानफेरा, वानू और जेदुआ सड़क का निर्माण (चरण-1) -(15.50 किमी.)	1.24
23.	गाचम-मोरसिंग सड़क का निर्माण (24.50)	8.29
24.	वाक लिरोमोबा सड़क का निर्माण (78 किमी.)-चरण-1(15 किमी.)	2.33
25.	न्यू मोहोंग से महादेवपुर टाउनशिप तक वाया नोंगखोन तक सड़क का निर्माण (12 किमी.)	1.25
26.	चांगलांग से खिमियांग तक सड़क का निर्माण (36.10 किमी.)	1.25
27.	हवाई से पंचल पुल प्वांइट तक सड़क का निर्माण (55.77 किमी.)	5.71
28.	तामेन-ताली वाया यिरकोउम सड़क का निर्माण (60 किमी.): चरण-I 10-49 किमी.	1.86
29.	संग्राम से फासांग-पलांग वाया नियापिन सड़क का निर्माण (एसडीओ मुख्यालय) (चरण-1)	3.17
30.	दोसिंग, पारेंग, सिने, यिबुक और लिगिंग सड़क का सुधार और विस्तार (चरण-1)	0.83
31.	खेती से दादम तक सड़क का निर्माण (21 किमी.)	3.83
32.	मागोपम से बिचोम वाया नाम्फ्री (50 किमी.) वाया डिचिंग, सचेदा, रामू-सोतू और सिंगचुंग सब डिवीजन के तहत सड़क	10.42
33.	युचुली में (5.50 किमी.) (निचले सुबनसिरी), किमिन जिरो बीआरटीएफ सड़क से कृषि विज्ञान केंद्र पर 80 कि.मी. प्वांइट सड़क का निर्माण	2.70

1	2	3
34.	रोइंग शांतिपुर सड़क (चौ. 9.20 किमी.) पर जियाटिनियाली से बिजारी वाया इडली (19.80 किमी.) पर सड़क का निर्माण	5.45
35.	अरूणाचल प्रदेश में त्वांग टाउनशिप सड़क नेटवर्क का सुधार	1.73
36.	तिरप जिले में काम्हुआ नोक्नू गांव (पोंगचऊ सर्कल) से निग्नू-बीआरटीएफ सड़क प्वाइंट (वाका सर्कल) तक पी डब्ल्यू डी सड़क का निर्माण	4.78
37.	नामसांग-खेला सड़क का निर्माण (45.30)	1.78
38.	चाम्बांग से फा (30 किमी.) तक निर्माण, चरण-1	4.24
39.	दोपारिजो जलापूर्ति स्कीम	0.09
40.	त्वांग जिले में लुमला टाउनशिप में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	1.13
41.	सिले में सिले, रानी, सिकाबामिन, सिका टोड, ओयन गांव के लिए पोर्टेबल पीने की आपूर्ति स्कीम	4.91
42.	14-दोईमुख विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी प्रशासनिक मुख्यालय और इसके गांव में जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराना/संवर्धन	2.11
43.	अरूणाचल प्रदेश में मेबो-सब डिवीजिनल मुख्यालय और संबंधित गांवों, पश्चिम सियांग जिले में पोर्टेबल पेय जल आपूर्ति उपलब्ध कराना	6.00
	कुल	161.50

असम (रु. करोड़)

1.	उत्तर-पूर्वी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गुवाहटी (असम) का अवसंरचना विकास	1.43
2.	गुवाहाटी में असम टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट का अवसंरचना विकास तथा आधुनिकीकरण और संवर्धन	2.00
3.	सोनितपुर और जोयसिधि, असम में दाखिमदोल लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण	0.67
4.	गुवाहाटी 1250 क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण	0.40
5.	दिफू (कार्बी आंगलोंग) में जयसिंग दोलोई ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण	1.46
6.	असम में ढुबरी जिले में मानकाचर में काजू प्रसंस्करण संयंत्र	1.15
7.	गुवाहाटी के विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय पार्किंग	2.91
8.	ढिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क प्रभाग में सड़क के किनारे निकास-सह-पैदलपथ का निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट पहुंचाने का प्रावधान	1.99
9.	बालीपाड़ा औद्योगिक ग्रोथ केंद्र, सोनितपुर में पावरलाइन	3.21

1	2	3
10.	220/132 केवी, 1×50 एमबीए, 132/3 केवी तथा 1×16 एमबीए आजिया उप स्टेशन का निर्माण	2.60
11.	काचर जिले में 2×16 एमबीए से 2×25 एमबीए तक 132/33 केवी की क्षमता वाले पंचग्राम सब स्टेशन का संवर्धन	1.39
12.	धेमाजी जिला, असम में बाहिरजोनाई बेराचापड़ी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आर सी सी पुल सं. 1/1, 3/1 और 5/1 का निर्माण	1.51
13.	नलबाड़ी जिले में हरिपुर संसारघाट सड़क पर आर सी सी सं. 2/2 का निर्माण	0.15
14.	आर सी सी पुल सं. 20/1 का निर्माण-नलबाड़ी जिले में नलबाड़ी पल्ला सड़क	0.06
15.	हवाई अड्डा सड़क को जाने वाले अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर आरसीसीपुल (सं.2)	0.40
16.	बरपेटा जिले में सारूपेटा भुयापाड़ा पर आरसीसीपुल सं. 1/2 और 3/1 का निर्माण	0.38
17.	जोरहाट जिले में मेटानाअली जोरहाट तिताबोर पर आरसीसीपुल सं. 4/2, 9/2, 10/2 और 17/1 का निर्माण	0.11
18.	नलबाड़ी जिले में बनगांव जगारा सड़क पर आरसीसीपुल सं. 12/1 और 12/2 का निर्माण	0.20
19.	काचर जिले में सिल्चर कुम्भीरग्राम सड़क पर आरसीसीपुल सं. 13/1, 14/1, 15/1, 20/3 और 22/1 का निर्माण	0.22
20.	कार्बी आलोंग जिले में बरपाथर-बोकाजन-दाइथेर-चौकीहोला (बीबीडीसी) पर आरसीसीपुल सं. 24/1 का निर्माण	0.27
21.	ढिब्रूगढ़ जिले में मोरन नाहरकटिया सड़क पर आरसीसी पुल सं. 35/2 और 35/2 का निर्माण	0.10
22.	दारंग जिले में मंगलदोइ भूटियाचांग सड़क पर आरसीसी पुल सं. 8/2, 20/1, 21/1, 23/3, 29/2, 32/1, 36/1 और 40/1 का निर्माण	0.28
23.	कोकराझार में धुबरी काचूगांव सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 27/2, 28/1,29/1, 30/2, 32/2, 35/1, और 45/1 का निर्माण	1.52
24.	नागांव जिला (असम) में नीलबागानहोजाइ सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 1/1 और 4/1 का निर्माण	1.10
25.	धेमाजी जिले में पुकिया सिलापत्थर सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	0.79
26.	नागांव जिले में नागांव-भुरागांव में पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 3/1 का निर्माण	2.98
27.	हैलाकांडी जिले में सिल्चर-हैलाकांडी सड़क पर पहुंच मार्गों तथा सबवे सहित आरसीसी पुल सं. 38/1, 43/1, 43/3 और 44/2 का निर्माण	1.11
28.	गोआलपाड़ा जिले में गुरनगर टिकरीकिला सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/2 और 4/2 का निर्माण	0.37

1	2	3
29.	कोकराझार जिले में गोरांग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/1 का निर्माण	3.14
30.	मोरीगांव जिले में बोरभोगिया मिकिरभाटा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 9/2 का निर्माण	0.97
31.	सिवसागर जिला (असम) में माउंट सेपोन सनपुड़ा सड़क पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 17/4, 19/4, 20/2 और 26/1 का निर्माण	0.86
32.	सोनितपुर जिला (असम) में इटाखोला पावोई पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/3, 5/1, 9/1, 11/1, 15/3, 16/1, 18/1 और 19/4 का निर्माण	2.60
33.	धुबरी जिले में फकीराग्राम, सप्तग्राम सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सु. 1/1, 4/1, 8/1 और 9/2 का निर्माण	0.61
34.	सोनितपुर जिले में चारियाली पोवाई सड़क पर पहुंच मार्गों, संरक्षण कार्य और सबवे सहित आरसीसी पुल सं. 6/1 का निर्माण	0.30
35.	नलबाड़ी जिले में बागाल्स सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 16/1, 19/1 और 19/3 का निर्माण	1.18
36.	धेमाजी जिला (असम) में भैराबपुर से कुलीबाजार सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 1/1, 3/1, 3/2 और 4/1 का निर्माण	1.12
37.	सिवसागर जिले, असम में सेपोन सफ्री सड़क पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 6/1, 7/1, 8/1 8/2, 9/1, 11/1 और 11/2 का निर्माण	0.68
38.	असम के डिब्रूगढ़ जिले में बूढ़ागोहेन टिनथेंगजिया सड़क पर आरसीसीपुल सं. 5/1 का निर्माण	0.38
39.	डिब्रूगढ़ जिला, असम में बामुनबाड़ी से जारीगुड़ी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 2/1 का निर्माण	0.34
40.	करीमगंज जिला (असम) में सोनाखिरा बुबरी घाट सड़क पर पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्यों सहित आर सीसीपुल सं. 5/1 का निर्माण	0.16
41.	जोरहाट जिला, असम में टिओक बोलोमा, नाकाचारी सड़क पर पहुंच मार्ग सहित आरसीसीपुल सं. 11/1 का निर्माण	0.34
42.	गोलाघाट जिला (असम) में पहुंच मार्गों और बचाव कार्य सहित माउंट गोलाघाट मेरापानी सड़क पर आरसीसीपुल सं. 24/2 और 32/2 का निर्माण	1.07
43.	धेमाजी जिला, असम में गोगामुख घिलामारा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 10/1 का निर्माण	0.40
44.	असम में बोंगाईगांव जिले में जोगीघोपा छपार सड़क पर भरालकुंडा नदी पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 5/1, सिस्टर पार बील पर पुल सं. 7/1, दुलानी बील पर पुल सं. 8/1, चंपामती नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल सं. 9/9 और हिल कैनल पर तुल सं. 11/1 का निर्माण	2.00

1	2	3
45.	उदालगुड़ी जिला, असम में भुल्ला नदी पर आरसीसीपुल सं. 2/3, लक्खी नदी पर पुल सं. 3/2 और लखीमोरासुती नदी पर बेंगबाड़ी अंबागांव सड़क पर आरसीसीपुल सं. 7/2 का निर्माण	1.88
46.	बारपेटा जिला, असम में डॉ. जिनाराम दास सड़क पर कलदिया नदी पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल सं. 2/4 6/1 और 8/1 का निर्माण	0.93
47.	नागांव जिले के तहत नागांव मोरिकोलोंग नानोई दाखिनपाथ सड़क का सुधार	0.99
48.	जोरहाट जिले में जोरहाट मास्टर योजना क्षेत्र के सड़क नेटवर्क के लिए परियोजना	2.50
49.	बरपेटा जिला, असम में मानस सैंक्चुरी को जाने वाली बारपेटा बासीबाड़ी सड़क का 1 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक सुधार	1.77
50.	जोरहाट जिले में जे बी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 4/1 एवं 6/1	0.92
51.	मोतीनगर से बुबन हिल टेम्पल तक चरण 1 तक सड़क और लघु पुल का निर्माण	1.03
52.	नागांव जिले के अंतर्गत नागांव-बारापुजिया सड़क का सुधार	0.86
53.	भागरपुर से चंद्रनाथपुर वाया बाबुर बाजार (लं. 5.5 कि.मी.)	0.80
54.	सिवसागर टाउन में सड़कों का सुधार	1.08
55.	12 कि.मी. से 18 कि.मी. तक टिब्रूगढ़ से सेपाखाती सड़क का पहुंच मार्गों सहित 2 आरसीसीपुल सं. 18/1 और 19/1 का निर्माण (सरायघाट में बूढ़ीदिहिंग के ऊपर पुल)	8.29
56.	गुवाहाटी, असम में काहिलपाड़ा से डॉन बोस्को स्कूल तक सड़क का सुधार	1.14
57.	कामरूप जिले में एनएच-37 से शुरू करके रामपुर मॉडल सड़क का सुधार	1.29
58.	दुबरी जिले में सिलेपर-बोरसीझोरा सड़क पर स्थायी कैनाल गदाधर पर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	2.70
59.	नागांव सड़क पर श्रीमंत शंकरदेव गोवसोना केंद्र सड़क पर संतीजन के ऊपर आरसीसी पुल सं. 1/1 का निर्माण	0.50
60.	दुबरी जिले में बेलगुड़ी-सतरासल सड़क पर आरसीसीपुल सं. 4/1 का निर्माण	1.15
61.	एन एच 37 से जी एस सड़क तक विद्युत कार्यो सहित 4 लेन त्रिपुरा सड़क का निर्माण	3.32
62.	काचर जिले में कैथाल सड़क पर घागरा नदी के ऊपर पहुंच मार्गो और बचाव कार्य सहित 7 कि.मी. आरसीसीपुल का निर्माण	0.79
63.	नलबाड़ी जिले में बागल्स सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 10/1 एवं 18/1 का निर्माण	0.96
64.	लखीमपुर जिले में बहानीगांव स्ट्रीम के ऊपर आरसीसीपुल सं. 18/2 और लालुक-नारायणपुर वाया बिहपुरिया सड़क पर कचीकाटा नदी के ऊपर आरसीसीपुल सं. 19/1 का निर्माण	0.66

1	2	3
65.	धरमतुल दांदुआ सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 7/1	0.77
66.	उदालगुड़ी ग्रामीण सड़क प्रभाग के तहत बदलापाड़ा से धरमजुली तक सड़क का सुधार	3.56
67.	ग्रेटर सिल्चर टाउन जलापूर्ति स्कीम	0.88
68.	गोलाघाट टाउन जलापूर्ति स्कीम	2.26
69.	सिबसागर टाउन जलापूर्ति स्कीम	2.26
70.	धुब्रीटाउन जलापूर्ति स्कीम	1.29
	कुल	93.93

मणिपुर (रु. करोड़)

1.	9 जिलों में वैटरिनरी अस्पताल का निर्माण	2.33
2.	मणिपुर में विश्वविद्यालय और 60 संबद्ध कॉलेज	2.68
3.	काकचिंग इथेई मारू मेन कैनल का आधुनिकीकरण	1.24
4.	पूर्वी इंफाल में इताम नदी पर बैरेज का निर्माण	1.27
5.	सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य उपकरणों का सुदृढ़ीकरण	0.01
6.	सेनापति जिले में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और उपस्करीकरण	4.49
7.	मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में 32 पीएचसी का निर्माण	1.65
8.	घाटियों में 10 पीएचसी का निर्माण	2.77
9.	तामेई में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	0.38
10.	29 जनजातीय गांवों का दूसरे चरण का बिजलीकरण	0.9
11.	पश्चिमी इंफाल में सेकमाइजिन में संबद्ध 33 केवी लाइन और संबंधित कार्य सहित 2×5 एमबीए 33 के वी सब स्टेशन की संस्थापना	1.19
12.	चंदेल में चाकपिकारोंग में 33 केवी लाइन सहित 2×1एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की संस्थापना	1.75
13.	पश्चिमी इम्फाल में सैगोलमांग में संबद्ध 33 केवी लाइन और कार्यों सहित 2×3.15 एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	1.07
14.	उखरूल में उखरूल खुंजाओ में संबद्ध 33 केवी लाइन एवं संबंधित कार्यों सहित 2×5 एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	1.32

1	2	3
15.	चूड़ाचांदपुर में हेंगलेप में संबद्ध 33 केवी लाइन सहित 2×1 एमवीए 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना	1.29
16.	सेनापति-फइबुंग सड़क (128.90 कि.मी.)	8.4
17.	लेशांगथेम में थोउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	0.84
18.	ईरांग इचिंग में पुल का निर्माण	1.28
19.	कियामेई मांग पर इंफाल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	0.16
20.	बाबू बाजार पर पुल का निर्माण	0.05
21.	हाओका पर थोउबल नदी के ऊपर पुल का निर्माण	0.35
22.	हीरोक चिंगडोंगपोक में हीरोक नदी पर पुल का निर्माण	0.59
23.	0-12 किमी. से साओमबंग-सागोलमंड सड़क का सुधार	0.7
24.	वैथाऊ पट जलापूर्ति स्कीम	13.18
25.	कोन्थोऊजम जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन (पश्चिम इंफाल जिला)	2.74
26.	चूड़ाचांदपुर में साइकोट ब्लॉक मुख्यालय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.94
27.	सेनापति में लियाई खुल्लेन में जलापूर्ति स्कीम की पुन:स्थापना	1.08
28.	सेनापति में मोटबुंग में संयुक्त जलापूर्ति	0.76
29.	पश्चिम इम्फाल में लांगथाबल पुरमखोंग में जलापूर्ति का संवर्धन	2.7
30.	चूड़ाचांदपुर में चांगपिकोट में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.37
31.	मणिपुर में रिहा लुइटे और उसके आसपास के गांव में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.23
	कुल	59.72

मेघालय (रु. करोड़)

1.	स्कूल भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्षाओं के भवन निर्माण के लिए आरके मिशन, चिरापूंजी की अतिरिक्त जरूरत	0.28
2.	सुतंगा प्रेसबिटेरियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए स्कूल भवन का निर्माण	0.33
3.	मावसिनराम बॉर्डर एरिया कॉलेज के लिए अवसंरचना जरूरतें	1.05
4.	किनटोन मस्सार, मावलाई शिलांग में ओ.एम.रॉय मेमोरियल स्कूल के भवन का निर्माण	1.21
5.	मेघालय में रि-भोई जिले में रि-भोई प्रेसबीटेरियन हायर सैकेंडरी स्कूल, नांगपोह में स्कूल भवन का निर्माण	1.15

1	2	3
6.	मेघालय में नांगस्टाइन में नए नांगस्टाइन बाजार परिसर का निर्माण	1.53
7.	लुमश्नोंग-उमलोंग सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण (0-8 कि.मी.)	2.40
8.	माकिरवाट-रंगब्लांग सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार (12 से 19 किमी.) (8 किमी.)	0.98
9.	तुरा-शहर के अराइमाइल से दाकोपगरे तक सड़क को चौड़ा करके दो लेन का बनाना (4 कि.मी.)	0.34
10.	दखिया-सुतंगा-साइपुंग-माउलसी-हीफलोंग सड़क पर लिटेन नदी पर पुल (नं.31/1)का पुनर्निर्माण	0.88
11.	एनएच-37 (गुवाहाटी-शिलांग सड़क) के 9वें मील किलिंग पिलांगकाटा सड़क का सुधार चौड़ा करना, सुदृढ़ करना तथा मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग (6.00 कि.मी.)	0.79
12.	मुखाइयालोंग लमसिरमिट सड़क का मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार (19 कि.मी.)	1.15
13.	तुरा जिले में गारोबाधा-बेटासिंह सड़क वाया रंगासाखोना (जी आर सड़क के 6ठे किमी. से) बीएम सड़क के 6ठे कि.मी. तक वाया खासीबिल का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (7.833 कि.मी.)	4.28
14.	एनएच-51 से रोंगसिगरे तक सड़क का सुधार, मैटलिंग एवं ब्लैकटॉपिंग (4.725 कि.मी.)	0.86
15.	विलियम नगर टाउन में सड़कों को डबल लेन में चौड़ा करना (8 किमी.)	5.45
16.	सोनापुर (एनएच-44) से लाड बोरसोरा तक मैटलिंग एवं ब्लैकटॉपिंग सहित सड़क का सुधार (10 किमी.)	2.62
17.	रिम्बई से दिचिनरूम तक डबल लेन सड़क की मैटलिंग एवं ब्लैकटॉपिंग सहित उसका सुधार/निर्माण (7किमी.)	1.78
18.	लिंगखाट-डाओकी सड़क का पुनःस्थापना (9.75 किमी.)	0.01
19.	नोंगपो शहरी जलापूर्ति स्कीम	3.76
20.	जोवाई जलापूर्ति परियोजना	0.78
21.	मैरांग जलापूर्ति स्कीम	2.11
	कुल	33.74

मिजोरम (रु. करोड़)

1.	मारा स्वायत्तसं जिला परिषद में स्कूल भवनों का निर्माण	0.76
2.	मिजोरम के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक हॉलों का निर्माण	1.48
3.	मिजोरम के मारा स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को गहन करना और सुदृढ़ करना	0.17
4.	पारवा-1 से सिमेनासोरा सड़क का उन्नयन	3.78

1	2	3
5.	मिजोरम में केटुआम-अर्थाकॉन सड़क पर तुइचांग पर पुल का निर्माण	0.81
6.	लांगपुइघाट-कुकुरदुल्या सड़क का निर्माण	3.45
7.	लांगतलाई स्लाइडिड लोकेशन पर सड़क निर्माण और पुनःस्थापना कार्य	0.69
8.	चंफई में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	4.06
9.	आईजोल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	5.07
10.	सिहमुई, मिजोरम में आइजोल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	3.98
	कुल	24.25

नागालैंड (रु. करोड़)

1.	11 राजकीय उच्च विद्यालय भवनों का सुधार और उन्नयन	3.08
2.	एकीकृत गुइकी सिंचाई परियोजना	0.63
3.	टी सुरंग सिंचाई परियोजना	5.26
4.	गहरे ट्यूब-वैलों के द्वारा भूमिजल संसाधनों का उपयोग	0.37
5.	कोहिमा में राज्य अभिलेखागार स्थापित करना	0.77
6.	दीमापुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सपो केन्द्र की स्थापना	6.62
7.	नागालैंड में लांगलैंग में बहुद्देशीय हॉल का निर्माण	4.13
8.	गणेशनगर से पेरेन तक 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन (33 केवी पर चार्जड) लाइन का निर्माण और जालुकी एवं पेरेन में 5 एमवीए, 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	6.73
9.	रूसोमा से किजुमेतुमा तक सड़क का उन्नयन (36.00 कि.मी.)	1.50
10.	फेक से चोजुबा तक सड़क का निर्माण (44.36 किमी.)	3.19
11.	नागालैंड में मिनरल डिपोजिट क्षेत्रों में लिंक सड़कों का निर्माण	7.02
12.	राजेबा से चिजामी वाया थेत्सुमी तक सड़क का निर्माण	9.26
13.	रूजाजो से फेक टाउन वाया खुम्वोफू तक सड़क का निर्माण	3.10
14.	रूसोमा से किजूमेटुमा सड़क पर डीजेडयू-यू नदी के ऊपर आई सी श्रेणी 'ए' लोडिंग का टी-बीम गर्डर डबल लेन पुल का निर्माण	3.19
15.	नागालैंड में पर्यटन गांवों से मुख्य/लघु हब्स तक सड़क उन्नयन और सुधार	4.11

1	2	3
16.	नागालैंड में तामलू प्रशासनिक मुख्यालय से सेमयूचिंग तक सड़क का निर्माण	4.29
17.	नागालैंड में झेकिए से होकिए वाया सातोई (झेकिए से चोखुवी)-26 कि.मी. तक सड़क का निर्माण और सुधार	5.64
18.	नागालैंड में एनएच-150 से थिफूजू तक सड़क का निर्माण (25 किमी.)	3.04
19.	नागालैंड में तऊफेमा से कासा तक सड़क का निर्माण/सुधार (8.5 किमी.)	2.07
20.	नागालैंड में कोहिमा लेक सड़क जंक्शन से पुराना पोएलवा तक सड़क का निर्माण-15 किमी.	2.64
21.	नागालैंड में यांगली से शुरू होते तक सड़क का निर्माण (17 कि.मी.)	4.74
22.	नागालैंड में लिफायान में लोंगथो से गवर्नर्स कैंप तक सड़क का निर्माण 20 कि.मी.	3.86
23.	नागालैंड में चुचुइमलांग से मोगडिकांग तक सड़क का निर्माण 20 कि.मी.	4.34
24.	नागालैंड में एनएच-61 (अलीचेन से मांगमेटोंग-11 किमी.) से डोयांग हाइड्रो परियोजना चरण-1 तक	2.49
25.	नागालैंड में ओडीआर से एमडीआर तक (28 किमी.) दीमापुर-नुइलैंड सड़क का उन्नयन	10.38
26.	को-को डोयांग सड़क (एनएच-61) से कितसाकी वाया अतोइजू एसडीओ मुख्यालय-37 (एमडीआर)	5.98
27.	मॉन और चुई गांवों के लिए जलापूर्ति स्कीम	0.08
28.	चेन ईएसी मुख्यालय चेनयात्लू गांव में जलापूर्ति का संवर्धन	0.86
	कुल	109.37

सिक्किम (रु. करोड़)

1.	सिक्किम में विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहुद्देशीय हॉल, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला और 12 क्लास रूम भवनों का निर्माण	0.54
2.	नामची से सामद्रुप्तसे रोपवे, साउथ सिक्किम	2.69
3.	पश्चिम सिक्किम में डेंटाम उत्तरी सड़क (10 कि.मी.) की कारपेटिंग और सरफेस सुधार	0.14
4.	सिंगताम में तीस्ता पर गोस्कन दारा पुल का निर्माण	3.72
5.	दक्षिण सिक्किम सर्कल के तहत नामची असांगथांग सड़क (5 कि.मी.)	0.49
6.	पूर्व में पाक्योंग-माचोंग-रोलेप सड़क	3.76
7.	पश्चिम सिक्किम में 18.3 कि.मी. श्रीबादाम-देथांग-मंगलबेरी सड़क का निर्माण/सुधार	0.68
8.	पूर्वी सिक्किम में एलएलएचपी से नांदोक सड़क का उन्नयन (4 कि.मी.)	0.41

1	2	3
9.	पूर्वी सिक्किम में तिनकेट दिक्चू सड़क का सुधार और चौड़ा करना-12 कि.मी.	0.86
10.	उत्तरी सिक्किम में पासिंगदोंग पीएचई से लिंगथेम गुंफा तक और लिंगथेम स्कूल 8 कि.मी., ऊपरी डिजोंगो तक लिंक सड़क का निर्माण	0.37
11.	पूर्वी सिक्किम में ग्रेटर रंगपो के लिए जलापूर्ति का संवर्धन	0.99
12.	पूर्वी सिक्किम में सांग नया बाजार के लिए जलापूर्ति का संवर्धन	0.69
13.	पूर्वी सिक्किम में रेनोक जलापूर्ति स्कीम	5.74
	कुल	21.08
त्रिपुरा		(रु. करोड़)
1.	150 उच्च विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	1.91
2.	100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अवसंरचना उन्नयन	3.93
3.	त्रिपुरा में 15 सरकारी डिग्री कालेजों में संविधाओं का उन्नयन	13.89
4.	कृषि कॉलेजों के लिए भवन का निर्माण	20.18
5.	त्रिपुरा प्रौद्योगिक संस्थान (चरण-1)का निर्माण	2.86
6.	त्रिपुरा अगरतला में स्टेट लेवल पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट	0.92
7.	अगरतला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पीटल	0.56
8.	जनजाति विकास परियोजना	0.08
9.	नाज़ुल कला क्षेत्र (चरण11)	2.95
10.	हलाहली-अंबासा-दंगबाड़ी-बेल का उन्नयन	4.01
11.	मोहनपुर सिमना सड़क पर सीएच 30.10 किमी. पर सुरमाचेर नदी पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.53
12.	धनपुर से काकराबन सड़क पर सीएच 7.00 किमी. पर स्थानीय नाले पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.70
13.	धनपुर से काकराबन सड़क पर सीएच 4.50 किमी. पर स्थानीय नाले पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.55
14.	जोगेन्द्रनगर से जम्पाईजाला सड़क पर सीएच 4.40 किमी. पर स्थानीय नाले पर आरसीसी पुल का निर्माण	0.68
15.	थालीबरड़ी-मिकरोसा सड़क पर काकरीचेरा के ऊपर आरसीसीपुल का निर्माण	0.76
16.	गार्गी-तुलामोरा सड़क (ओडीआर) पर तुलामुराचेरा पर तुलामुरा बाजार के पास सीएच 9.00 किमी पर आरसीसीपुल का निर्माण	1.18

1	2	3
17.	बिशालगढ़-गोलाघाटी-टकरजाला सड़क पर गोलाघाटी बाजार के निकट बुरीमा नदी पर आरसीसीपुल का निर्माण	1.27
18.	कमलपुर-बिलासचेरा सड़क पर सीएच 0.90 किमी. पर दुराइचेरा पर आरसीसीपुल का निर्माण	1.07
19.	बेरीमुरा-तलतला सड़क पर लोहार पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.83
20.	खोवाइ-उदना सड़क पर सीएच 12.01 किमी. पर लक्ष्मीचेरा नदी पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.78
21.	कमलाघाट-गामचाकोबरा-बाणिक्य चाऊमूहानी सड़क पर सीएच 0.45 किमी. पर लोहर के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण	0.96
22.	मोहनपुर-सिमना सड़क पर सीएच 18.40 किमी. पर चम्पकचेरा पर आरसीसीपुल का निर्माण	1.02
23.	त्रिपुरा में मैलक-गामूकाबारी वाया बुरबारिया सड़क का सुधार (7.50 किमी.)	3.85
24.	तेलियामुरा के लिए पेय जलापूर्ति स्कीम	0.23
	कुल	65.70

बीटीसी पैकेज (रु. करोड़)

1.	चंपामती सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	3.48
2.	सुक्ला सिंचाई परियोजना (बीटीसी पैकेज)	3.15
3.	कोकराझार में आरएनबी सिविल हॉस्पीटल का नवीकरण/पुनर्निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.68
4.	बीटीसी एरिया, काजलगांव में 100 बिस्तरों वाला हॉस्पीटल (बीटीसी पैकेज)	2.80
5.	कोकराझार में बोडोफा कल्चरल कॉम्प्लेक्स का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	3.00
6.	उदालगुड़ी जिले में शीतागार का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.46
7.	कोकराझार जिले में शीतागार का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.46
8.	स्रिनवगई गोसाइगांव में उत्तर-पूर्व गेटवे बस टर्मिनल का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.51
9.	कौरबाहा-नागार्जुली सड़क का एसपीटी पुलों को आसीसी लघु पुलों में बदलने सहित मैटलिंग तथा ब्लैक टापिंग द्वारा सुधार (बीटीसी पैकेज)	1.50
10.	नलबाड़ी दावकीबाड़ी सड़क की मैटलिंग तथा ब्लैक टॉपींग (नलबाड़ी से फ्लोरिकन गार्डन वाया मालगांव)(बीटीसी पैकेज)	0.23
11.	उत्तर काजोलगांव डंगटोल सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.29
12.	कोकराझार में भौरागुड़ी काचूगांव सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	3.22

1	2	3
13.	काशीकोत्रा से बासुगांव सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.12
14.	सुंदरी बिद्यापुर वाया काकरागांव सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.19
15.	विद्यमान हार्ड क्रस्ट के सुधार सहित गोसाईगांव से सरायबिल सड़क की मेटलिंग और ब्लैकटॉपींग तथा एसटीपी पुल को आरसीसीपुल में बदलना (बीटीसी पैकेज)	1.81
16.	उत्तर काजोलगांव बेंगटोल सोनितपुर सड़क, चिरांग का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.17
17.	बरामा से मसालपुर, बास्का एनएच-31 सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.48
18.	जलाह रूपाही सौदारभिथा गोबरधाना सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.40
19.	धमधमा-तुपालिया-सुबनखाटा (डीटीसी) सड़क का सुधार (विद्यमान मेटल्ड सरफेस के सुधार सहित शेष हिस्सों की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग)(बीटीसी पैकेज)	0.67
20.	गोरेश्वर से खोइराबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	0.47
21.	भेरागांव-चौनी-खगराबाड़ी-दीमाकुची सड़क (बीटीसी पैकेज)	0.81
22.	लैलोंगपाड़ा-कोपती सड़क वाया बोरो बाजार (बीटीसी पैकेज)	0.24
23.	तुलसीइयोरा-कैलामैला सड़क वाया आमगुड़ी (बीटीसी पैकेज)	0.56
24.	बिजनी-पनबाड़ी सड़क (बीटीसी पैकेज)	0.78
25.	गोसाईगांव से काजीगांव वाया भुक्का, तिपकाई सड़क (बीटीसी पैकेज)	1.06
26.	बास्का जिले में इंडो भूटान हिल्स को जाने वाली तिहू दोमनी सड़क का 7 किमी. से 25 किमी. तक सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.70
27.	11 एसपीटी पुलों को आरसीसी में बदलने सहित खोइराबाड़ी एमपीके सड़क (अंधेरीघाट) से हरिसिंगा वाया भेरगांव, टांगला और पुरंदिया 42.25 कि.मी. लंबी सड़क का सुधार (बीटीसी पैकेज)	7.25
28.	काशीकोटरा बामुनगांव बेंगटोल सड़क का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.12
29.	कोकराझार जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	2.21
30.	भेरागांव पाइप्ड जलपूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	1.00
31.	उत्तरापार पाइप्ड जलापूर्ति स्कीम (बीटीसी पैकेज)	2.91
	कुल	45.73

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एनएलसीपीआर तथा बीटीसी के तहत उपयोग की गई राशि (16-11-2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना	जारी की गई राशि
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश		(रु. करोड़)
1.	सागाली से साकियांग तक सड़क का सुधार/निर्माण (50 किमी)	1.07
2.	गांधी ब्रिज स्थल पर सियांग नदी पर मोटरवाहन योग्य सस्पेंशन पुल का निर्माण	9.26
3.	चांगलांग से खिमीयांग तक सड़क का निर्माण (36.10 किमी.)	2.10
4.	जीरो टाऊनशिप में 32 किमी. अंतरिम सड़क का पुन:स्थापना और उन्नयन	4.96
5.	पुगिंग से पल्लिंग तक सड़क का निर्माण	1.04
6.	नामसांग-खेला सड़क का निर्माण (45.30)	1.75
7.	वक्का सर्कल मुख्यालय के तहत जानम से ओखासन तक सड़क का निर्माण (19 किमी.) चरण-1	3.91
8.	सिले में सिले, रानी, सिकाबामिन, सिका टोड, ओयन गांवों के लिए पोर्टेबल पेयजल आपूर्ति स्कीम	5.73
9.	अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग जिले में मेबो उप मंडल मुख्यालय और आस-पास के गांवों के लिए पोर्टेबल जलापूर्ति उपलब्ध कराना	1.25
	कुल	31.06
असम		(रुपये करोड़)
1.	असम के लिए सर्व शिक्षा अभियान (2006-07)	30.09
2.	डिब्रूगढ़ जिले में तेंगाखाट खेरेमिया मोउजा में बूढ़ीडुहिंग नदी पर एलआईएस	1.12
3.	डिब्रूगढ़ जिले में सासोनी मोउजा में बूढ़ीडुहिंग नदी पर एलआईएस	0.91
4.	काचर जिले में पंचग्राम सब स्टेशन की 132/33 केवी ट्रांसफार्मर क्षमता को 2×16 से 2×25 एमवीए तक बढ़ना	1.77
5.	कोकराझार में ढुबरी-काचूगांव सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 27/2, 28/1, 29/1, 30/2, 32/2, 35/1 और 45/1 का निर्माण	0.42
6.	हेलाकांडी जिले में सिल्चर-हेलाकांडी सड़क पर पहुंच मार्गों और सबवे सहित आरसीसीपुल सं. 38/1, 43/1, 43/3 और 44/2 का निर्माण	0.90
7.	कोकराझार जिले में गोरांग नदी पर कोकराझार मोनाकोचा सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसी पुल संख्या 2/1 का निर्माण	2.50

1	2	3
8.	असम के डिब्रूगढ़ जिले खोवांग भामुन सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 10/1 का निर्माण	0.11
9.	असम के डिब्रूगढ़ जिले में बामुनबाड़ी से जारीगुड़ी सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 2/1 का निर्माण	0.22
10.	असम में बारपेटा जिले में मानस सैंक्चयुरी को जाने वाले बारपेटा बाशीबाड़ी सड़क का 1 किमी. से 21वें किमी. तक सुधार	1.03
11.	ग्रेटर तेजपुर शहर में सड़कों और प्राकृतिक ड्रेनेज प्रणाली का सुधार	2.79
12.	डलगांव कोपती सड़क का सुधार (ओरांग-डलगांव सड़क)	0.50
13.	डलगांव शहर से सियालमाड़ी वाया डेकरीगांव सड़क का उन्नयन	1.02
14.	नागांव जिले में नगांव-बारापुजिया सड़क का सुधार	0.86
15.	जोरहाट शहर में सड़कों का सुधार	0.83
16.	नाजिराखाट सोनापुर सड़क को चौड़ा करना और ऊंचा उठाना (लं. 6.00 किमी.)	1.37
17.	असम में बास्का जिले में हाजुआ नलबाड़ी सड़क पर पोटा नदी पर आरसीसीपुल सं. 1/1 का निर्माण	0.83
18.	ढुबरी जिले मं बेलगुड़ी-सत्रासल सड़क पर आरसीसीपुल सं. 4/1 का निर्माण	0.49
19.	मोरीगांव जिले में भोरभोगिया मिकिरभेटा ढींग सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 5/3 का निर्माण	0.75
20.	डिब्रुगढ़ ग्रामीण मंडल के तहत गौरीसागर मोरान सड़क पर आरसीसीपुल सं. 57/1 का निर्माण और नाहरकटिया-तिंखोंग सड़क पर दिसाम नदी पर आरसीसी पुल सं. 15/2 का निर्माण	0.62
21.	गोलपाड़ा में एटी सड़क (पुरानी) पर पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्यों सहित आरसीसीपुल सं. 32/1 का निर्माण	1.66
22.	धर्मतुल डांडुआ सड़क पर पहुंच मार्गों सहित आरसीसीपुल सं. 7/1 का निर्माण	0.27
23.	गरमारी गागलमारी सड़क पर आरसीसीपुल सं. 4/1 का निर्माण	0.73
24.	रूपशिर अली (पुल सं. 3/2, 5/2 एवं 5/4 का निर्माण)	0.66
25.	नागांव जिले मं अंबागांव काठपाड़ा सोलमारी सिंगियारी सड़क (एनजी-एम-17) पर आरसीसीपुल सं. 6/1, 9/1 एवं 10/1 का निर्माण	0.72
26.	मोरीगांव जिले में मिकिरभेटा भुरबंधा सड़क पर भालुकमाड़ी पर पहुंच मार्गों और संरक्षण कार्यों सहित आरसीसीपुल सं. 8/1 का निर्माण	0.41
27.	डिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क मंडल के तहत डिब्रू-चैखोवा राष्ट्रीय पार्क की ओर जाने वाले सड़क नेटवर्क का सुधार	1.22

1	2	3
28.	तिनसुकिया ग्रामीण सड़क उप मंडल/मंडल में बोरहाजजन सामडांग वाया नाहोरोनी सड़क से सुकानगुड़ी एलपी स्कूल तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग	1.14
29.	डिब्रूगढ़ जिले में डिब्रूगढ़ ग्रामीण सड़क मंडल के तहत पुरानी एटी सड़क पर पुल संख्या 1/2 एंव 4/1 का निर्माण	1.03
30.	एई नदील पर आरसीसीपुल का निर्माण	16.63
31.	टांगला काचूबिल सड़क का सुधार (बीटीसी क्षेत्र)	1.96
32.	जोरहाट में जोरहाट स्टेडियम का विकास	0.85
33.	पेयजल जलापूर्ति, गोसीगांव	0.82
34.	ढुबरी शहर जलापूर्ति स्कीम	1.97
35.	दिसपुर जलपूर्ति स्कीम का स्थिरीकरण	2.25
	कुल	81.45

मणिपुर (रु. करोड़)

1.	ताउसेम में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण	0.42
2.	थिंक्यू में सब स्टेशन की स्थापना	0.10
3.	मोइरांग-कुंबी सड़क पर 10.75 किमी पर खुंबा नदी पर कुंबी पुल का निर्माण	1.02
4.	बाबू बाजार पर पुल का निर्माण	0.71
5.	हाओखा में थाउबल नदी पर पुल का निर्माण	0.67
6.	जीरी-तिपाईमुख सड़क का सुधार (8-48 किमी.)	4.00
7.	लामसांग-खोंगघामपैट सड़क का सुधार	1.52
8.	चाकपीकारोंग में जलापूर्ति का संवर्धन	0.50
9.	वायथाउ पैट जलापूर्ति स्कीम	1.16
10.	पुरूल उप मंडल मुख्यालय में जलपूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.32
11.	तुंगजॉय में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.68
12.	ऊनोपत और आस-पास के गांवों में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.05
13.	चांदेल में कोमलाथाबी में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	1.19

1	2	3
14.	चूड़ाचांदपुर में थानलांग में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.67
15.	चूड़ाचांदपुर में सिंघाट में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.65
16.	उखरूल में सांघशाक में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	2.44
17.	चूड़ाचांदपुर में सांगपीकोट में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.44
18.	पूर्वी इम्फाल में खोमीडोल्क जलापूर्ति प्रणाली की पुनःस्थापना	1.62
19.	बिश्नुपुर में लिमारम इरेंगहाम क्षेत्र में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.91
20.	चांदेल में साजिक तम्पक में जलापूर्ति स्कीम का संवर्धन	0.93
21.	मणिपुर में सपाम में जलापूर्ति स्कीम	0.92
	कुल	22.92

मेघालय		(रु. करोड़)
1.	मेंदीपाथर सैकेंडरी स्कूल, पूर्वी गारो हिल्स में स्कूल भवन का निर्माण	0.32
2.	मीसा (असम) से बिरनीहाट (मेघालय) तक 220 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	11.07
3.	पुलों के पुनर्निर्माण और रिम्बाई-लपमाला-सुचेन सड़क की पुलियों सहित का सुधार, चौड़ा करना और सुदृढ़ करना (1-17 किमी.)	0.17
4.	दखिहा-सुतंगा-साइपुंग-माऊसली-हॉफलांग सड़क की मैटलिंग सड़क और ब्लैकटॉपींग सहित उसका सुधार तथा उसे चौड़ा करना (16 किमी.)	2.10
5.	जाकरेम-रानीकोट सड़क का निर्माण और सुदृढ़करण (6-15 किमी.)	0.18
6.	माओकिरवाट-रंगब्लांग सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग सहित उसका सुधार (12 से 19 किमी.) (8 किमी.)	0.18
7.	तुरा शहर के अराईमाइल से डोकोग्रे तक सड़क को चौड़ा करके डबल लेन का बनाना (4 किमी.)	0.85
8.	दखिहा-सुतंगा-साइपुंगा-माओबली-हाफलांग सड़क पर लीटेन नदी पर पुल (पुल सं.-31/1) का निर्माण	0.50
9.	मुखाइयालांग लुमशिरमित सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित सुधार (19 किमी.)	1.15
10.	मुशुट से लुमपूथोइ वाया रंगद तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपिंग सहित निर्माण (12 किमी.)	1.27
11.	तुरा जिले में गारोबाधा-बेतासिंग सड़क वाया रंगासाखोना (जीआर सड़क के 6ठे किमी. से बीएम सड़क के 6ठे किमी. तक वाया खासीबिल)का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (7.833 किमी.)	2.00
12.	विलियमनगर शहर में सड़कों को चौड़ा करके 2 लेन का बनाना (8 किमी.)	2.79

1	2	3
13.	माओसाह्यू-नांगस्टेंग-उमबनलाई-माओफू सड़क के शेष हिस्से का निर्माण (6 से 13 किमी.)	1.26
14.	सोनापुर (एनएच-44) से लाड बोरसोरा तक सड़क मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग सहित उसका सुधार/निर्माण	1.58
15.	रिम्बई से डिचिनरूम तक डबल लेन सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग सहित उसका सुधार/निर्माण (7 किमी.)	2.29
16.	लिंगखाट-डाउकी सड़क का पुनःस्थापना (9.75 किमी.)	3.73
17.	डामलग्रे-मेलिम-बोलडामगिरी सड़क, तुरा पर पुलों और पहुंच मार्गों का पुनर्निर्माण (पुल सं. 5/3, 8/5, 9/1 और 10/2)	1.50
18.	खेरापाड़ा से डेकूबाजार पर पुलों का पुनर्निर्माण (पुल सं. 2/5, 5/3 और 10/2)	1.20
19.	रांगजेंग-मांगसांग-एडोरग्रे सड़क तक सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग (33वें से 38वां किमी.) तथा पुलों सहित सड़क का निर्माण (5.16 किमी.)	0.75
20.	मेघालय में जैंतिया हिल्स जिले में दखिहा-सुतंगा-साइपुंग-माउलसेइ हाफलांग सड़क की मैटलिंग और ब्लैकटॉपींग सहित उन्हें चौड़ा करके 2 लेन का बनाना (भाग 1 से 8 और 18 किमी.)	1.47
21.	ग्रेटर सोहरीबरखाम जल आपूर्ति योजना (हिल्स प्रभाग)	2.41
22.	मावसिन्रम जल आपूर्ति योजना (हिल्सप्रभाग)	1.40
	कुल	40.17

मिजोरम (रुपए करोड़)

1.	मारा स्वायत जिला परिषद में स्कूल भवन का निर्माण	0.48
2.	आइजोल में मिजोरम लॉ कालेज का निर्माण	0.9
3.	मिजोरम के आइजोल शहर मेंदशवीं तक के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण	0.6
4.	मिजोरम के साईहा में आर ए लोरेन मार्केट सेंटर का निर्माण	1.35
5.	चम्फई में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	2.53
6.	आईजोल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण	2.23
7.	लोवर साकावर्दई जलापूर्ति योजना (हिल्साप्रभाग)	0.89
8.	मिजोरम में ग्रेटर साईतुल जलापूर्ति योजना (हिल्स प्रभाग)	7.6
	कुल	16.58

1	2	3
नागालैंड		(रुपए करोड़ में)
1.	तोहोक-चेनवाओं-वागंति, 31 किमी.	1.81
2.	तोहोक-चेनएचक्य-चेनलासो-वांग्नति,-49 किमी.	3.88
3.	ल्यूनसांग जिले में प्रधान मंत्री पैकेज के तहत सड़कों का सुधार	12.00
4.	प्रधानमंत्री पैकेज के तहत वोखा जिले में सड़कों का सुधार	0.99
5.	धानसिरि नदी पर 02 लेन आरसीसीपुल का निर्माण	1.74
6.	हेजीदेसा गांव से इनतांकी नदी के पुल तक (6.60 किमी.) के रोड का सुधार एवं नागालैंड में मोंगलुमुक से जालुकी गांव तक सड़क का उन्नयन	2.12
7.	नागालैंड के छोटे और बड़े पर्यटक गांवों को जाने वाली सड़कों सुधार और उन्नयन	1.73
8.	नागालैंड में सेकीए से होकिए वाया सातोई (सेकीए से चोखुवी) 26 किमी. सड़क का सुधार एवं निर्माण	5.97
9.	नागालैंड में केफेर से कितुरस्कीर (10 किमी.) सड़क का निर्माण	2.34
10.	नागालैंड में कोहिमा लेक रोड जंक्शन से पुराना पुईलवा (15 किमी.) सड़क निर्माण	1.32
11.	नागालैंड में राष्ट्रीय मार्ग-61 (अलीचेन से मंगमेरांग-11 किमी.) से दोयंग जल परियोजना फेज-1तक सड़क का सुधार एवं उन्नयन	2.53
12.	नागालैंड में दीमापुर-नुईलैंड सड़क ओडिआर से एमडीआर (28 किमी.) तक सड़क की उन्नयन	10.38
13.	सेकिए से सातोई-70 किमी. (घुखुयों से सातोई प्रशा मुख्यालय एमडीआर (28 किमी.) तक सड़क का उन्नयन	5.08
14.	नीमी-लालुटी सड़क से लवण संग्रह क्षेत्र के बीच तेजु पुल एवं चिझुती पुल का निर्माण	7.16
15.	पेरेन सरकारी कालेज, पेरेन में इंडोर और आउट डोर स्टेडियम का निर्माण	2.90
	कुल	61.94
सिक्किम		(रुपए करोड़)
1.	विभिन्न स्कूलों के लिए स्कूल भवन और वर्षा जल संग्रहण का निर्माण	1.48
2.	सिक्किम में विभिन्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए बहुउद्देशीय हाल, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला और 12 अध्ययन कक्षों का निर्माण	3.50
3.	दक्षिण सिक्किम में नायची से सामुद्रुप्तसे, रोपवे	5.78

1	2	3
4.	बुलबुले में लीचो (एल आ एल ओ) व्यवस्था सहित नाचुला तक 132 के.वी. ट्रांसमीशन लाईन का निर्माण	4.06
5.	महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और बगीचे का पूर्णतया विद्युतीकरण तथा इस समय लगी हुई एल.टी. ओवर हैड केबल को युजी केबल से बदलनी, दक्षिण में स्थितं राबोंग बाजार के इलेक्ट्रिक नेटवर्क का आधुनिकीकरण और	1.44
6.	पश्चिम सिक्किम देनताम-उतरे सड़क (10 किमी.) का सुधार एवं कार्पेटिंग	0.25
7.	सिंगताम में तीसता नदी पर गोशकाम द्वारा पुल का निर्माण	0.64
8.	दक्षिणी सिक्किम सर्कल (5 किमी.) के तहत नामची असंगथांग रोड	1.96
9.	पश्चिम सिक्किम में लेगशिप किडिंग रोड पर रंगीत नदी को प्री स्ट्पोस्ड पुल का निर्माण	1.57
10.	पूर्व में पाकयांग-मचोंग-रोलेप रोड	1.14
11.	पश्चिम सिक्किम में श्रीबादाम-डेथोंग-मंगलबारे 18-3 किमी. रोड का निर्माण सुधार	1.64
12.	पूर्वी सिक्किम में तिकेत दिकेपु 12 किमी. रोड का सुधार एवं चौड़ा करना	3.18
13.	उत्तरी सिक्किम के अपर डेगोगो में पासिंगडोंग पी.एच.ई. से लिंघटेम गुम्फा (मानेस्टरी) और लिनंगथम स्कूल का निर्माण	2.68
14.	दक्षिणी सिक्किम में देवखोला पर 70 मीटर का स्पन पूल एवं 8 किमी. का जीएलवीसी रोड का निर्माण	0.70
15.	दक्षिणी सिक्किम में सिचे-रंका रोड (11 किमी.) की डबल लाइनिंग	0.82
16.	दक्षिण सिक्किम में 8 किमी. के नामची फोंगला रोड के साथ ल्वंग खोला पर 40 मीटर का स्पान स्टील पुल का निर्माण	0.48
17.	पूर्वी सिक्किम में सिचे-रंका रोड (11 किमी.) की डबल लाइनिंग	2.95
18.	पूर्वी सिक्किम में सांग नया बाजार के लिए जल आपूर्ति का विस्तार	0.46
19.	पूर्वी सिक्किम (अतिरिक्त तट) में ग्रेटर रंगपो के लिए जल आपूर्ति योजना का विस्तार	1.32
	कुल	36.05
	त्रिपुरा	
1.	150 उच्च विद्यालयों के मूल भूत संसाधनों का उन्नयन	0.11
2.	100 उच्चत माध्यमिक विद्यालयों के मूलभूत संसाधनों का उन्नयन	0.58
3.	त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान (फेज-1) का निर्माण	2.86

1	2	3
4.	त्रिपुरा में टेलीमुरा उप मंडल अस्पताल का सुधार	2.31
5.	त्रिपुरा में खुमुल्वग टीटीएएडीसी पर मोटर स्टैंड का निर्माण	0.46
6.	धानपुर से काकराबन रोड पर 4.50 किमी. पर स्थानीय नाले पर आरसीसीपुल का निर्माण	1.02
7.	गार्गी-तुलामुरा रोड (ओडीआर) पर स्थित तुलामुरा मार्केट के समीप 9.00 किमी. पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.32
8.	कमालपुर-बिलासछेरा रोड पर 0.90 किमी पर घुरिया छेरा पर आरसीसी पुल का निर्माण	1.55
9.	सतचंउ ब्लाक आफिस पुराना मानुबांकुल रोड 0.50 किमी पर कालापानी छेरा पर आरसीसीपुल का निर्माण	0.96
10.	महारारी तुलाशिखर रोड पर 6.05 किमी. स्थित बालुछेरा के उपर कृष्णापुर पुर काजवे के समीप आरसीसी का निर्माण	0.64
11.	खोवेई-उडना रोड पर 12.01 किमी. पर लक्ष्मीछेरा नदी के उपर आरसीसी पुल का निर्माण	1.13
12.	मोहानपुर-सिमना रोड पर 14.60 किमी. पर स्थानीय नाले के ऊपर आरसीसीपुल का निर्माण	0.64
13.	त्रिपुरा स्पोर्ट्स का अपग्रेडेशन, बधररघाट	1.01
14.	बाल छात्रवास का निर्माण (स्पोर्ट्स), त्रिपुरा	1.09
15.	बालिका छात्रावास का निर्माण (स्पोर्स्ट्स), त्रिपुरा	1.00
	कुल	15.68

बीटीसी पैकेज (रुपए करोड़)

1.	चंदामती सिंचाई परियोजना (बीटीसी)	3.03
2.	सुकला सिंचाई परियोजना (बीटीसी)	0.35
3.	कोकराझार में आरएनबी सिविल अस्पताल का मरम्मत/पुनर्निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.00
4.	बीटीसी क्षेत्र में काजलगांव में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.25
5.	कोकाझार में बोडोफा सांस्कृतिक कांप्लेक्स का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	1.00
6.	श्रींवगई गोसाईगांव में नार्थ ईस्ट गेट वे बस टर्मिनस का निर्माण (बीटीसी पैकेज)	0.25
7.	एसटीपी बिज्र को आरसीसी ब्रिज में बदलने तथा सड़क की कठोर सतह का सुधार सहित गोसाईगांव से सराईबिल रोड को पक्का करना और तारकोल बिछाना (बीटीसी पैकेज)	1.00
8.	उदलगुड़ी भक्तापारा रोड वाया भैरागुडी, उदलगुड़ी, में सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.12

1	2	3
9.	कलाईगांव कुंदरबिल रोड, उदलागुरी का सुधार (बीटीसी पैकेज)	0.04
10.	खोरंग महानपुर रोड (बीटीसी पैकेज)	0.21
11.	चपगुड़ी-खागराबाड़ी रोड (बीटीसी पैकेज)	1.35
12.	तुलसीझयोरा-केलामेला रोड (बीटीसी पैकेज)	0.53
13.	कोकराझार जिले में गोसाईगांव सप्तग्राम रोड पर गंगा नदी पर एसपीटी ब्रिज का आरसीसी ब्रिज में बदलना (बीटीसी पैकेज)	2.00
14.	बस्क जिले में कल्दिया और डायरिंग नदी पर 2 बिज्र सहित जालाह से कुभारीकाता रोड का सुधार (बीटीसी पैकेज)	2.73
15.	कोकाझार जल आपूर्ति योजना (बीटीसी पैकेज)	0.50
16.	सुबनखाटा जल आपूर्ति योजना (बीटीसी पैकेज)	0.92
17.	उदलगुरी नल जल आपूर्ति योजना (बीटीसी पैकेज)	0.37
18.	भेरागांव नल जल आपूर्ति योजना (बीटीसी पैकेज)	1.94
	कुल	20.13

विवरण-IV

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (2007-2008 से 2011-2012) स्कीम/परियोजना-वार जारी की गई एनईसी निधियां*

राज्य-अरूणाचल प्रदेश (रु. लाख)

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
क.	**कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र**					
1.	अखरोट का पौधारोपण					
2.	कीवी फलों की खेती	26.45				
3.	बड़ी इलायची की खेती और संतरा पौधारोपण			88.69		88.69
4.	दुमपोरजी के तहत पारिजो में संतरा का बाग					
5.	नेरामेक, गुवाहटी द्वारा अदरक का विपणन	5.00	48.30			

1	2	3	4	5	6	7
6.	सुअर प्रजनन फार्म की स्थापना					
7.	यजुली और रोइंग में समेकित मत्स्य पालन					
8.	नाहरगांव में पशुचिकित्सालय को सुदृढ़ बनाना					
9.	अम्बाम एरिया में समेकित बागवानी विकास	10.00				
10.	एनईआर में शस्य विज्ञान का विविधीकरण	130.00				
11.	एनईआर में पौधारोपण फसलों का नवीकरण	1.84				
12.	रिस्सी गांव, पालिन सर्कल में बड़ी इलायची के बाग की स्थापना			40.21		40.21
13.	चेसिंग रिजो (मागरिया) में संतरा और इलायची के बाग की स्थापना			49.00	49.00	
14.	पश्चिमी सियांग जिला के लोगी क्षेत्र में हाईटेक संतरा की खेती			54.00		54.00
15.	बड़ी यरेन में कृषि और बागवानी क्षेत्र में कॉम्पैक्ट क्षेत्र विकास				100.00	
16.	जीरो में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और विकास केन्द्र की स्थापना					143.44
17.	जीरो, निचला सुबरसिरी में किवी और बड़ी इलायची की जैविक खेती					176.17
	उप योग	173.29	48.30	231.90	149.00	502.51
ख.	**विद्युत एवं आरआरई**					
1.	सांगली में सब स्टेशन का सुधार					
2.	बनदेरदेवा में सब स्टेशन का सुधार			78.00		
3.	देपोरजी में सब स्टेशन का सुधार			195.00		
4.	ईटानगर मं 132/33 के वी लाइन 2×20 एमवीए सब स्टेशन का निर्माण					
5.	जीरो से तामेन तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण	300.00		87.90		
6.	पासीघाट से मेबो तक विद्यमान 33 केवी लाइन का सुधार	25.00	100.00			

1	2	3	4	5	6	7
7.	हापोली, जीरो में एलटी वितरण प्रणाली का सुधार	150.00	200.00		70.11	
8.	बिजली संस्थापन नाहरलागुन, निरजुली	200.00		200.00		
9.	मिगो-जिरो से पिस्टाना तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण			183.020	300.00	
10.	डीसी टावर टी/एल होज और पोटिन तक 33 केवी सिंगल सर्किट का निर्माण		500.00	3500.00		
11.	निरजुली से किमिन वाया होज और पोटिन तक 33 केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण			200.00		150.00
12.	रागा बिजली उप-प्रभाग के अंतर्गत प्रणाली सुधार		250.00	150.00		
15.	बोमडिला टाऊनशिप के आस-पास का प्रणाली सुधार				200.00	
16.	रूपा टाऊनशिप के आस-पास प्रणाली सुधार				150.00	
17.	संग्राम में और उसके आस-पास विद्यमान टी एंड डी प्रणाली का सुधार				150.00	
18.	दारोरीजो टाऊनशिप में एचटी/एलटी लाइन्स प्रणाली सुधार का निर्माण					200.00
19.	पिस्टाना सब स्टेशन से में जिओ तक 33केवी एक्सप्रेस लाइन का निर्माण					200.00
	उप योग	675.00	146.00	4761.02	1070.11	700.00
ग.	**जल संसाधन**					
1.	चुन्पुरा और असम की सुरक्षा के लिए लोहित नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य					
2.	बोरदुली और समीपवर्ती गांव की सुरक्षा के लिए लोहुपाक नदी के बाएं किनारे पर भूक्षरण रोधी कार्य	165.41				
3.	व्यवहार्य घरेलू टेराफिल जल व्यवस्था					
4.	ताराटमक नदी पर भूक्षरण संबंधी कार्य	200.00	80.00			
5.	सिल्लुक मे सिस्सरी नदी के किनारे भूरक्षण संबंधी कार्य	200.00	70.00			
6.	दोलुंग नदी पर भूरक्षण कार्य	127.50	100.00		7.68	

1	2	3	4	5	6	7
7.	दिकरोंग नदी पर करसिंगा में संरक्षण कार्य			80.00	50.00	143.47
8.	तजांगसिया और सिखे (होंग) नदी पर भूरक्षण स्कीम			60.00	160.00	
9.	राक्स और हिया में भूरक्षण और दीवार संरक्षण			50.00	25.00	
10.	सरकारी प्राथमिक स्कूल, पापुमपारे, ऊपरी होलोंगी में भू संरक्षण कार्य			40.00	160.00	
11.	दिरांग टाऊनशिप में बाढ़ संरक्षण कार्य			40.00	40.00	178.92
12.	ब्रोकेनटांग गांव और संबद्ध क्षेत्रों के बचाव के लिए भूरक्षण कार्य				146.00	175.77
13.	ऊपरी धोकोसो कृषि क्षेत्र गंगा में बाढ़ संरक्षण दीवार का निर्माण				157.00	141.36
14.	पापुमपारे जिले में पारे नदी पर भूरक्षण कार्य				140.00	135.32
15.	दिकरोंग नदी के दाहिने किनारे पर करसिंगसा में निर्माण और संरक्षण कार्य				100.00	150.00
16.	मेगा जल उपचार प्लांट, कोलोरियांग-कुरूंग कुमे जिले का निर्माण				120.00	
17.	लघु सिंचाई नहर का सुधार और सुबनसिरी जिले के एफसी कार्य का निर्माण				120.00	
	उप योग	692.91	250.00	270.00	1225.68	924.84
घ.	**उद्योग एवं पर्यटन**					
1.	अरूणाचल प्रदेश के त्योहार					
2.	एन ई ट्रेड एक्सपो-दिल्ली					
3.	बांस से संबंधित कार्य का विकास					
4.	फटपी में पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण		13.50			151.22
5.	कुरूंग कुमे जिले में लाइंग में पर्यटन लॉज का निर्माण			81.56	50.00	
6.	त्वांग में पीटीएसओ झील का विकास और सौंदर्यकरण			145.41		
7.	त्वांग में थांगाफी झील का विकास और सौंदर्यीकरण				140.00	

1	2	3	4	5	6	7
8.	महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर वन विश्राम गृह का उन्नयन				100.00	
9.	जीरो में माइयोको 2010-11 का त्योहार				12.00	
10.	तिरबिन पश्चिमी सियांग जिले में झील का पर्यटन अवसंरचना विकास				133.41	
	उप योग		13.50	226.97	435.41	151.22
ङ	**सूचना एवं जन संपर्क**					
1.	ईटाफोर्ट, ईटानगर में पुरातत्व पार्क का संरक्षण/अनुरक्षण				120.00	150.00
	उप योग				120.00	150.00
च.	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़क और पुल	2531.74	4100.00	3076.41		
2.	हवाई पत्तन					
3.	सर्वेक्षण और जांच			80.63		
4.	सड़कों का रखरखाव					
5.	डिगबोई-पेनगुड़ी-बोरडुम्सा सड़क का निर्माण				1500.00	500.00
6.	लांगडिंग-नोकजन सड़क का निर्माण				600.00	1500.00
7.	सेपा-च्यांगताजो सड़क का सुधार				1400.00	2000.00
8.	दामेन-डोलोंगमुख सड़क का निर्माण				3500.00	
9.	रूपा-खालाकतांग सड़क पर विद्यमान वर्क ब्रिज कनवर्शन				43.52	
	उप योग	2531.74	4100.00	3157.04	7043.42	4000.00
छ.	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	आर के मिशन अस्पताल, ईटानगर को सहायता					
2.	पालिन, नेनजिओ (साकियांग) में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना	60.80		75.00	50.00	
3.	पालिन में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल (चरण-11) का अवसंरचना विकास				155.00	

1	2	3	4	5	6	7
4.	रागा/बोआ सिमला में पीएचसी का उन्नयन	150.00	68.85			
5.	दुर्घटना एवं ट्रामा केन्द्र				69.00	
6.	20 बिस्तरों वाली कार्डिएक केयर यूनिट का निर्माण	84.05				
7.	फजला अस्पतालों में बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन संयंत्र की स्थापना			90.00	150.00	100.00
8.	पिस्टाना, निचली सुबनसिरी जिले में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए सहायता				130.00	
9.	सागाली, पापुमपारे के तहत पारेंग में 30 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना					130.00
	उप योग	294.85	68.85	165.00	554.00	230.00
च.	**जन शक्ति क्षेत्र**					
1.	फेलोशिप एवं अकादमिक					
2.	छात्रों को वित्तीय सहायता/स्टाइपेंड एवं बुक ग्रांट	20.00	22.00	50.00	50.00	
3.	खेल और युवा कार्यक्रमों को संवर्धन	97.00	70.52	290.71		
4.	चांगलांग जिले में फुटबाल स्टेडियम का निर्माण				130.00	
5.	दिरांग में उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए छात्रों एवं छात्राओं के होस्टल का निर्माण				140.00	140.00
6.	त्वांग में लुमला में राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का अवसंरचना विकास				140.00	140.00
7.	त्वांग में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण				2.44	
8.	बोरडुरिया एवं 6 अध्यामिक स्कूल, नयापिन के लिए चारदीवारी का निर्माण				100.00	
9.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नयापिन के लिए चारदीवारी का निर्माण				72.00	
10.	लील मिडल स्कूल, संग्राम का अवसंरचना विकास					130.00
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), तबारिजो का अवसंरचना विकास					169.50
12.	ताहिला में गैलरी सहित जनरल ग्राउन्ड का सुधार					80.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	दीपू गोंगो-11, ऊपरी सुबरसिरी जिले में एसएसए एमई स्कूल में छात्रों एवं छात्राओं के होस्टल एवं चारदीवारी का निर्माण					80.00
14.	याचुली और याजाली में लघु खेल स्टेडियम का निर्माण					150.00
15.	चामबांग, कुरूंग कुमे जिला में लघु खेल स्टेडियम का निर्माण					150.00
16.	तोरू जिले में इंडोर स्टेडियम का निर्माण					111.00
17.	ताली सर्कल के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं एमई स्कूल का अवसंरचना विकास					140.00
	उप योग	117.00	92.52	340.71	634.71	1290.50
झ.	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र**					
1.	मैन्युल इनर लाइन परमिट सिस्टम का ऑटोमेशन			28.40	55.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश में एग्रो-हार्टीकल्चर मेडिसिनल के लिए विकासात्मक योजनान्वयन एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिक का उपयोग				100.00	
	उप योग			28.40	155.00	0.00
	अरूणाचल प्रदेश, कुल योग	4484.79	6033.17	9181.04	11387.06	7949.07

राज्य-असम (रुपए लाख)

1	2	3	4	5	6	7
क.	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	दीमोरिया में कार्बनिक साइट्रस फार्म स्थापित करना		18.00			
2.	सिंगामारी थोक बिक्री बाजार का विकास, गुवाहाटी					
3.	सेंट्रल डेरी को सुदृढ़ बनाना, खानपारा					
4.	गोसाईगांव में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	125.82		8.10		
5.	डक ब्रीडर फार्म को सुदृढ़ बनाना, नौगांव					
6.	जोरहाट में संबद्ध विपणन सुविधा सहित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना				176.63	
	उप योग	125.82	18.00	8.10	176.63	0.00

1	2	3	4	5	6	7
ख	**विद्युत एवं आरआरई**					
1.	मरियानी से नाजिरा तक 132 केवी एस सी टी लाइन			600.00		
2.	लुंगनिट लघु हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, चरण-1 एवं 11		150.00			
3.	132/33 केवी, 1x16 एमवीए उमरांगशु सब स्टेशन का निर्माण				537.00	
4.	अजिया सब स्टेशन में 220/132 केवी 1x100 एमवीए ऑटो ट्रांसफार्मर की संस्थापना				500.00	
5.	132/33 केवी 2x2.5 एमवीए नाजिरा सब स्टेशन का निर्माण					700.00
	उप योग		150.0	600.00	1037.00	700.00
ग.	**जल संसाधन**					
1.	पथारकांडी में लोंगाई नदी पर बाढ़ सुरक्षा					
2.	धेमजी जिले में जिधोल नदी पर नियंत्रण	125.00	125.00		100.00	
3.	बोरमाहारी सिंचाई योजना, कार्बी एंगलांग जिला					
4.	थेकराजन सिंचाई योजना, कार्बी एंगलांग जिला					
5.	अमलोगा बरासापुर भू संरक्षण और जल वितरण, सोनितपुर	22.50				
6.	बासीशा वाहिनी वाटरशेड, गुवाहटी का जैव-विविधता संरक्षण			40.00	100.00	
7.	अमरिंग एचईपी, केए जिले का कॉनसेप्ट पेपर का एस एंड आई और तैयारी		40.00			
8.	असम में धानखुंडा फुलों सिंचाई योजना				145.50	
9.	लांगपरपन एमआईएस का आधुनिकीकरण और विस्तार				64.00	
10.	कोकराझार में रायमोना गांव और समीपवर्ती क्षेत्रों का जनाली नदी के कटाव से सुरक्षा				120.00	
	उप योग	147.50	165.00	40.00	529.50	0.00
घ.	**उद्योग और पर्यटन**					
1.	एकीकृत मुगा सिल्क उद्योग स्थापित करना					
2.	एन ई ट्रेड एक्सपो, नई दिल्ली					

1	2	3	4	5	6	7
3.	बॉयलर जांच प्रयोगशाला स्थापीत करना, गुवाहाटी	50.00		34.60		
4.	सुयालकुची/समीपवर्ती क्षेत्रों में बुनकरों के लिए एकीकृत पायलट परियोजना					
5.	ग्रामीण बुनकरों का सशक्तीकरण, गोहपुर					
6.	बांस से संबंधित कार्यों और बीटीसी क्षेत्र का विकास		36.30			
7.	यात्री निवास-सह गेस्ट हाउस का निर्माण, गुवाहाटी	500.00	100.00			
8.	बीटीसी क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना के लिए परियोजना की रूपरेखा तैयार करना					
9.	पारिस्थितिकी-पर्यटन-सह-वनस्पति बाग और ऑर्किड कल्चर, डिब्रूगढ़			71.43		
10.	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद पर्यटन अवसंरचना विकास		90.00			
11.	असम के टीआरएसएम उत्पादों का प्रचार और संवर्धन				188.31	
	उप योग	550.00	226.30	106.03	188.31	0.00
ङ	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें और पुल	9281.25	12685.00	9978.89		
2.	सर्वेक्षण एवं जांच					
3.	आईएसबीटी/आईएसटीटी	500.00	500.00	124.24		
4.	अंहार जलीय परिवहन					
5.	बैथालांगसू-कामपुर-राहा सड़क (9वीं योजना)				136.75	
6.	रिम्बई बेतवा बोरसारा जलालपुर सड़क का सुधार (10वीं योजना)				400.00	
7.	पंडित-हमचन्द्रा-गोस्वामी सड़क का सुधार (10वीं योजना)				461.20	
8.	वोखा-मारामानी सड़क का सुधार (10वीं योजना)				700.00	
9.	एनए-अली सड़क का सुधार (10 वीं योजना)				2200.00	
10.	नाहरकाटिया-जॉयपुर-खोंसा सड़क का सुधार (10वीं योजना)				24.89	
11.	सापेखाटी-पिथगुटी सड़क का सुधार (10वीं योजना)				300.00	
12.	फुलेरटोल में बराक नदी पर आरसीसीपुल का निर्माण, 10वीं योजना				263.10	

1	2	3	4	5	6	7
13.	एसपीटी पुल दइनादुबी-दामरा-में दीपथार सड़क का बदलाव				20.00	
14.	ओरांग-मजबात-रूपा सड़क पर लकड़ी के पुल का बदलाव				25.00	
15.	लंका गरमपानी सड़क का निर्माण (10वीं योजना)				417.70	
16.	फटीकरॉय-केलाशहर-धर्मनगर सड़क का निर्माण (9वीं योजना)				268.65	
17.	मैरांग-रानीगोडाडन-आजरा सड़क का सुधार/उन्नयन (11वीं योजना)				735.00	
18.	तवेनसांग लंगलांग लाहदोईगढ़ सड़क का सुधार				352.60	
19.	सिल्चर-द्वारबंद-खांडुली-बैभालांगसो सड़क का सुधार (10वीं योजना)					1500.00
20.	जोवई-नरतियांग-खांडुली-बैथालांगसो सड़क का सुधार (11वीं योजना)					1050.00
21.	मनकाचर-महेन्द्रगंज सड़क का सुधार (11वीं योजना)					500.00
22.	डिगबोई-पेनगरी सड़क का निर्माण					1000.00
	उप योग	9781.25	13185.00	10103.13	6304.89	4050.00
च	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञता तथा सुपर विशेषज्ञता के लिए सहायता					
	1 जीएमसी, गुवाहाटी		183.77			
	2 एएमसी, डिब्रूगढ़	100.00		80.78	60.11	
	3 एमएमसी, सिल्चर		225.00	119.22	139.89	
2.	जे.के. सैकिया होम्योपैथी कॉलेज, जोरहाट					
3.	राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी को सहायता			50.00		
4.	क्षेत्रीय डेंटल कॉलेज गुवाहाटी	139.41	90.00	83.84	100.00	
5.	क्षेत्रीय नर्सिंग कॉलेज गुवाहाटी	225.00	86.25	69.58		
6.	सोनारी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल हेतु सहायता				53.44	

1	2	3	4	5	6	7
7.	सीएनईसपीआर, गुवाहाटी द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर जहाजी अस्पताल			40.00		
8.	एसएमआर चैरिटी अस्पताल को सहायता, पानीखेती					
9.	डाउन टाऊन कॉलेज, पानीखेती में शैक्षिक सुविधाओं का अवसंरचना विकास			100.58		100.00
10.	नेमकेयर अस्पताल में आधुनिक बर्न केयर केन्द्र की स्थापना		90.00			
11.	नेमकेयर अस्पताल में आधुनिक बर्न केयर केन्द्र की स्थापना		90.00		100.00	
	उप योग	464.41	675.02	544.00	453.44	100.00
छ	**जनशक्ति सैक्टर**					
1.	खेल और युवा कार्यक्रम	94.10				
2.	एनईआर के छात्रों को स्टाइपेंड और बुक ग्रांट के लिए वित्तीय सहायता	40.00	46.00	132.00	128.00	
3.	सारीहाजन, दिसपुर में खेल होस्टल का निर्माण				17.53	
4.	दीफू, राजकीय कॉलेज के लिए प्रस्तावित आरसीसी 2 तल के लड़कों के होस्टल का निर्माण				101.00	
	उप योग	134.10	46.00	132.00	145.53	101.00
	असम, कुल योग	11203.08	14465.32	11533.26	8835.30	4951.00
राज्य-मणिपुर						
क	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	आलू के बीज का फार्म स्थापित करना, माओ	34.43			165.38	
2.	चार समुदाय आधारित पारिपर्यटन परियोजना स्थापित करना					
3.	एनईआर में शस्य विज्ञान फसलों का विविधीकरण	62.21	14.13	166.80		
4.	प्रोगेनी ऑचर्ड-सह-नर्सरी का पुनरूद्धार (मराम-जेलज़ाग-जिरीबाम)					123.99
	उप योग	96.44	14.13	166.80	165.38	123.99

1	2	3	4	5	6	7
ख	**विद्युत एवं आर आर ई**					
1.	132 केवी काकचिंग सब स्टेशन का संवर्धन					
2.	कोंगबा में 132 के वी सब स्टेशन की संस्थापना	300.00	108.71			
3.	तामेंग में 1×10 केडब्लल्यू सोलर हाइब्रिड सिस्टम की संस्थापना	63.56				
4.	उखरूल जिले में 1×10 केडब्ल्यू क्षमता विंड सोलर की संस्थापना			42.88		
5.	सेनापति में 70 केडब्ल्यू (7 प्रणालीयां) विंड सोलर हाइब्रिड प्रणाली की संस्थापना				141.00	54.30
6.	यूरेमबाम में 132/33 केवी सब स्टेशन का नवीकरण/आधुनिकीकरण				500.00	
	उप योग	369.56	108.71	42.88	641.00	54.30
ग.	**जल संसाधन**					
1.	ट्यूवाल एचईपी के लिए एस/आई (3×17=51मे.वा.)					
2.	इम्फाल रिवर एफसी स्कीम			50.00	50.00	
3.	थाउबल नदी एफसी स्कीम					
4.	तरांग नदी एफसी स्कीम					
5.	ईरिल नदी एफसी स्कीम					
6.	कोंगबा नदी एफसी स्कीम					
7.	लइलामबुई के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीम			5.40		
8.	चापकी बेसिन वाटर से लोकताक तक के ट्रांसफर के लिए एस/आई					
9.	आईविंग एचईपी परियोजना का एस एंड आई			29.21		
10.	चौकिदारखोंग नहर, थाउबल से होते हुए क्रास रेगुलेटर का निर्माण				68.00	
11.	तिदिम क्रासिंग चूराचांदपुर यू/एस कोइटे स्ट्रीम का भू-संरक्षण कार्य				80.00	

1	2	3	4	5	6	7
12.	तुइवई एचई परियोजना का सर्वेक्षण और जांच				30.00	
13.	सेकमई, पश्चिम जिले से होते हुए कनक्रीट वायर का निर्माण				125.00	
14.	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना लफोक, तमेनलांग				100.00	
	उप योग			84.61	453.00	0.00
घ	**उद्योग और पर्यटन**					
1.	एन ई ट्रेड एक्सपो, दिल्ली	3.60				
2.	बांस से संबंधित कार्यों का विकास					
3.	फ्लैगशिप होटील, इम्फाल का उन्नयन			59.00	59.00	
4.	पंथोइबी एम्पोरियम, नई दिल्ली का नवीकरण				104.88	
5.	सर्किट हाऊस, चूराचांदपुर शहर का निर्माण					168.00
	उप योग	3.60		59.00	163.88	168.00
ङ	**परिवहन एवं संचार**					
1.	सड़कें एवं पुल	2038.70	1900.00	858.80		
2.	हवाई पत्तन					
3.	सर्वेक्षण एवं जांच			29.87		
4.	लोकटक लेक का संरक्षण					
5.	आईएसबीटी/आईएसटीटी		500.00		500.00	
6.	तामेंगलांग-तामई सड़क का सुधार				1400.00	
7.	जांच तथा सर्वेक्षण और डीपीर आर की तैयारी (11वीं योजना)				31.50	
8.	ग्यूलाहलैंड, इम्फाल में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का निर्माण				75.00	550.00
9.	कांगपोकपी-तामई सड़क का सुधार (11वीं योजना)					1300.00
	उप योग	2038.70	2400.00	888.67	2681.50	1850.00

1	2	3	4	5	6	7
च.	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	जेएन अस्पताल का स्तरोन्नयन, इम्फाल	15.29			35.00	
2.	नर्सिंग स्कूल और हॉस्टल का निर्माण, लंफेलपात, इम्फाल	100.00	113.86	86.00		
3.	दुर्घटना और ट्रोमा केंद्र					
4.	परंपरागत भारतीय औषध पद्धति के संवर्धन के लिए अनुसंधान अध्ययन					
5.	फजला अस्पताल को सहायता, चूड़ाचांदपुर	100.00	90.00		66.91	
6.	शिजा हैल्थ केयर और आरआई, लांगोल, इम्फाल द्वारा ब्लॉड बैंक की स्थापना			50.00	110.00	100.00
7.	क्रिश्चियन अस्पताल, इम्फाल में आधुनिक चिकित्सा एवं उपस्कर का प्रापण				90.00	
	उप योग	215.29	20386	136.00	301.91	100.00
छ.	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	फेलोशिप और अकादमिक					
2.	खेल और युवा कार्यक्रमों का विकास		28.74	46.12		
3.	एनईआर के छात्रों को स्टाइपेंड और बुक ग्रांट के लिए वित्तीय सहायता	20.00	22.00	40.00	162.00	
4.	डॉ. टीएओ मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट की मेजबानी				45.11	
5.	थाउबल कॉलेज के ब्लॉक में विज्ञान प्रयोगशाला (जी2) का निर्माण					127.00
6.	यूनाइटेड कॉलेज चांदेल के ब्लॉक में विज्ञान प्रयोगशाला (जी2) का निर्माण					140.00
7.	आरके सनातोम्बी देवी विद्यालय जीरीबाम बापूपारा, इम्फाल के छात्रों और छात्राओं के होस्टल का निर्माण और कम्पांउड की फेंसिंग					90.00
	उप योग	20.00	50.74	86.12	207.1	357.00

1	2	3	4	5	6	7
ज.	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्टर**					
1.	आईटी पार्क का निर्माण, मणिपुर					
	उप योग					0.00
	मणिपुर, कुल योग	2737.79	2777.44	1464.08	4613.08	2653.29
राज्य-मेघालय						
क.	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	ऑरेंज मेंडारिन का सिट्रस पुनर्जीवन		50.79			
2.	मेघालय में स्ट्राबरी खेती					
3.	गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में बोरो धान की खेती	45.00				
4.	एकीकृत मत्स्यपालन विकास परियोजना, माओकरिआ	63.20		50.16		
5.	सामुदायिक जैव विविधिता संरक्षण परियोजना					
6.	कृषि प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण (बीटीसी)					
7.	केंद्रीय हैचरी और पोलट्री फार्म, उपसनिंग					
8.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और पोल्ट्री फार्म, किरदेमकुलाई का सुदृढ़ीकरण					
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, टूरा	4.73				
10.	मुर्गा विकास के लिए एकीकृत परियोजना			89.60		
11.	वाणिज्य नकदी फसल, उमसनिंग के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना			178.78		
12.	नॉकरेक क्षेत्र, पूर्वी गारो हिल्स में बागवानी विकास			158.38		
	उप योग	112.93	50.79	476.92	0.00	0.00
ख.	**विद्युत एवं आर आर ई**					
1.	132 केवी एस/सीटी लाइन दूसरे सर्किट का निर्माण		42.00			
2.	मेघालय में 132 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण	300.00				
3.	उमतरू स्विचयार्ड में चरण- IV से सरूसजाई लाइन तक लीलो 132 केवी डी/सी का निर्माण	150.00			75.00	

1	2	3	4	5	6	7
4.	नांगलनबिब्रा से अजिया तक डी/सी टावर पर 132 केवी एस/सी का निर्माण (100 किमी.)	1438.24		1100.00	450.00	
5.	सेलिम एचईपी, मेघालय का सर्वेक्षण/जांच	100.00				
6.	बिरनीहाट के उपतरू स्विचयार्ड में 33केवी क्षमता की संस्थापना	100.00	100.00	79.26		
7.	लाकरोह लघु जल परियोजना, जैंतिया हिल्स	187.00		130.00		80.00
8.	उमियम में सुमेर नेहू का 132 केवी लीलो का निर्माण		250.00	100.00		
9.	उमियम में 132/33 केवी 2×20 एमवीए सब स्टेशन का निर्माण		80.00	300.00		
10.	मेदीपथार में 132/33 केवी 2×20 एमवीए सब स्टेशन का निर्माण			47.10	200.00	100.00
11.	मॉओनगैप में माओलई-चेरा एस/सी पर लीलो में 132 केवी डी/सी का निर्माण			100.00		250.00
12.	पो स्टेशन और 132 केवी ग्रिड एस/एस के लिए संरक्षण प्रणाली का नवीकरण और आधुनिकीकरण				69.86	
13.	रांगखोन, पश्चिम गारो हिल्स में 132/33 केवी सब स्टेशन का संवर्धन				140.00	200.00
14.	लुमजिंगशाई में कॉमन एनडब्ल्यू और रिमोट टर्मिनल यूनिट 132 केवी की संस्थापना और उसे चालू करना				160.00	
15.	132 केवी सिंगल सर्किट माओलई-नांगलबिब्रा एस/सी लाइन माओनगैप सब स्टेशन पर लीलो का निर्माण				150.00	
	उप योग	2275.24	472.00	1856.36	1244.83	630.00
ग.	**जल संसाधन**					
1.	उमंगोट और मिंटडू लेशका एचईपी का सर्वेक्षण/जांच	115.00	50.00	70.00		112.73
2.	140 मे.वा. पश्चिम खासी हिल्स जिले के माओबलई एचईपी का सर्वेक्षण और जांच		20.00	20.00		169.00
3.	गनोल एचई परियोजना, चरण-11, पश्चिम गारो हिल्स जिले का सर्वेक्षण और जांच	40.00	20.00			75.96
4.	सेलिम, एचईपी, जैंतिया जिले का सर्वेक्षण और जांच				50.00	

1	2	3	4	5	6	7
5.	ऊपरी खरी डाइवर्शन परियोजना, चरण-1 एवं 11 का सर्वेक्षण और जांच				65.00	
6.	मिंटडू-लेशका एचई परियोजना चरण-11 के सर्वेक्षण और जांच में संशोधन					129.39
7.	जैंतिया हिल्स जिले में एचईपी और बहुउद्देशीय परियोजना का सर्वेक्षण और जांच					162.00
	उप योग	115.00	110.00	110.00	115.00	650.00
घ.	**उद्योग एवं पर्यटन**					
1.	नई दिल्ली में एनई ट्रेड एक्सपो					
2.	बांस से संबंधित कार्यों का विकास					
3.	मार्गनर लेक को पर्यटक स्थल में बदलना			190.65		
4.	रेन रॉक त्योहार सोहरा का संचालन			6.35		
5.	पर्यटन में सेवा प्रदानों के लिए क्षमता निर्माण			44.11		
6.	माओफलांग में सैक्रेड ग्रोव के लिए पारिस्थितिकी-पर्यटन		6.75			
	उप योग		6.75	241.11	0.00	0.00
ङ	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें तथा पुल	4978.00	2900.00	3686.14		
2.	हवाई पत्तन					
3.	सर्वेक्षण एवं जांच					
4.	एजिया-मेधीपारा-फुलबाड़ी-टूरा सड़क का निर्माण (11वीं योजना)				1800.00	
5.	एजिया-मेधीपारा-फुलबाड़ी-टूरा सड़क का निर्माण (10वीं योजना)				256.20	500.00
6.	रिमबई-बटाअ-बोरसारा-जलालपुर सड़क का निर्माण (10वीं योजना)				147.90	
7.	सोनापुर-उमडेन-नांगपोह सड़क का सुधार (9वीं योजना)				700.00	300.00
8.	मैरांग-रानीगोडाउन-आजरा सड़क का सुधार और उन्नयन (11वीं योजना)				2600.00	
9.	जोवाई-नरतियांग-खांडुली-बैथालांगसो सड़क का सुधार (11वीं योजना)				1000.00	
	उप योग	4978.00	2900.00	3686.14	5504.10	1800.00

1	2	3	4	5	6	7
च.	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	फसविल अस्पताल में आर्थोपेडिक एवं पुनर्वास केंद्र का उन्नयन					
2.	दुर्घटना और ट्रॉमा केंद्र, नांगपोह, जोवई और टूरा		164.00			
3.	बाओरी नेत्रालय, शिलांग को सहायता					
4.	समपूरक चिकित्सा और ग्रामीण मोबाइल सेवा के लिए केन्द्र					
5.	विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यशाला-सह-कैम्प					
6.	टूरा अस्पताल और जी/दास अस्पताल,			100.00		125.00
	शिलांग में 6 बिस्तर वाले आईसीयू की स्थापना					
7.	सिविल अस्पताल में दीर्घ ऑपरेशन थियेटर और आपातकालीन वार्ड के लिए डाइलेसिस यूनिट, एंडोस्कोपी यूनिट की स्थापना के लिए उपस्कर अवसंरचना का उन्नयन				145.00	
8.	सिविल अस्पताल टूरा और गणेश दास अस्पताल प्रत्येक में 50 बिस्तर वाले आईसीयू की स्थापना				100.00	
	उप योग		164.00	100.00	2450.00	125.00
छ	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	फेलोशिप और अकादमिक					
2.	खेल और युवा कार्यक्रमों की उन्नति				27.00	
3.	एन ई आर के छात्रों के लिए स्टाइपेंड और बुक ग्रांट की वित्तीय सहायता	20.00	22.00	80.00	55.00	
4.	वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय फुटबाल लीग				21.77	
	उप योग	20.00	22.00	107.00	76.77	0.00
ज.	**विज्ञान और प्रोद्योगिकी सेक्टर**					
1.	ई-गवर्नेंस अवसंरचना का विकास					
	उप योग					0.00
	मेघालय, कुल योग	7501.17	3725.54	6577.53	7185.73	3205.00

1	2	3	4	5	6	7
राज्य-मिजोरम						
क.	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	लाभार्थियों को फिंगरलिंट्स और मत्स्य पालन की आपूर्ति					
2.	दारलक, मिजोरम, में हैचरी-सह-मत्स्य फार्मिंग	6.15				
3.	मिजोरम मल्टी कोमोडेटी उत्पारदक कॉपरेटिव यूनियन लिमिटेड					
4.	मंडारिन संतरे का पुनर्जीवन					
5.	बड़ी इलायची विस्तार योजना					
6.	अरेकानट पौधारोपण, जमुआंग					
7.	मिजोरम में कीवी की खेती और प्रशिक्षण	30.00		2.73		
8.	चिते, दमदाई, मिजोरम में खुम्बी की खेती	30.00	10.48	22.00		
9.	सामुदायिक जैव विविधता संरक्षण परियोजना					
10.	मिजोरम में अदरक के लिए बाजार हस्तक्षेप					
11.	मिजोरम में बेस सुअर प्रजनन फार्म की स्थापना					
12.	टीएनटी क्षेत्र, मिजोरम में सूअर फार्म की स्थापना					
13.	आधुनिक बूचड़खाने की स्थापना, मिजोरम					
14.	एनईआर में शस्य विज्ञान फसलों का विविधीकरण	70.58	57.72			
15.	चम्फाई में वाणिज्यिक स्तर पर अंगूर की खेती			108.77		
16.	चिते, आइजोल में एकीकृत बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना					95.76
	उप योग	136.73	68.20	133.50	0.00	95.76
ख.	**विद्युत एवं आर आर ई**					
1.	दारलोन में 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण					
2.	पी जी सी आई एल 132 के वी सब स्टेशन से जुआंगतुई तक के बीच सैकेंड सर्किट 132 के वी लाइन का निर्माण					

1	2	3	4	5	6	7
3.	हनाहलान में 1×1.6 एमवीए 33/11 सब स्टेशन का निर्माण					
4.	मेलरियात में 132 केवी केन्द्रीय सब स्टेशन का निर्माण	200.00	360.00	400.00	360.00	127.30
5.	आइजोल के लिए एरियल बंचड् केबल्स के साथ एलटी ओवरहैड लाइन	200.00	100.00	50.00	27.69	
6.	जोखाओसांग में 2.5 एमवीए, 33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	200.00	73.00	30.00		
7.	सर्चिप सब स्टेशन से सियालसुक तक 33 केवी टीएल का निर्माण		250.00		100.00	97.30
8.	बुकपुई, सर्चिप में 132 केवी सब स्टेशन का नवीकरण और आधुनिकीकरण				150.00	
9.	मेलरियात में 132 केवी खुमटुंग-11 बे का निर्माण				80.00	
10.	मेलरियात में 132 केवी खुमटुंग-1 बे का निर्माण					150.00
11.	लुआंगमुआल, आइजोल में मेलरियात सब स्टेशन से 132 केवी एस/सी टीएल का निर्माण					150.00
	उप योग	600.00	783.00	480.00	717.69	524.60
ग.	**जल संसाधन**					
1.	नगोप के कृषि संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई			30		
2.	संगऊ डब्ल्यू. एस. एस (पुम्पिंग), चरण-1			35	30.00	130.68
3.	फुआईबुआंग पम्पिंग जल आपूर्ति स्कीम, आइजोल				117.00	
4.	द्वारपुई वेंगथार, आइजोल में दीर्घ भूस्खलन से बचने के लिए चैकबांध का निर्माण/पुश्ता दीवार और निकासी कार्य				80.00	
5.	समगऊ जल आपूर्ति स्कीम-चरण-1				150.00	
6.	बुआलपुई एनजी और लुंगजारतुम, सइहा जिले में जल आपूर्ति स्कीम				120.00	
7.	नगोप में कृषि संभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की तैयारी					155.57
	उप योग			65.00	497.00	286.25

1	2	3	4	5	6	7
घ.	**उद्योग एवं पर्यटन**					
1.	एन ई ट्रेड एक्सपो, नई दिल्ली		3.60			
2.	बांस पौधारोपण का परियोजना सर्वेक्षण					
3.	बांस से संबंधित कार्यों/तकनीकी पार्क का विकास		50.00	59.70		
4.	4 राज्यों में देशीय हथकरघा विपणन को बढ़ावा देना					
	उप योग	53.60	59.70	0.00	0.00	
ङ	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें एवं पुल					
2.	लेंगलुई हवाई पत्तन का सुधार	3767.05	2300.00	1792.06		
3.	सर्वेक्षण और जांच		1000.00	200.00		
4.	कोलेडाइन में अंतरदेशीय जल परिवहन					
5.	आई एस बी टी	90.00		5.76		
6.	साइतुल-फुल्लेन सड़क का उन्नयन (10वीं योजना)				800.00	750.00
7.	तनलोन-सिंघाट (नगोपा-तुइवई सड़क) का उन्नयन (11वीं योजना)				1400.00	
8.	मामित भैराबी सड़क का उन्नयन (10वीं योजना)				331.00	250.00
9.	लेंगपुई हवाई अड्डे रनवे पटरी का सुदृढ़ीकरण				142.80	
10.	भैराबी-जमुआंग सड़क का उन्नयन				176.40	250.00
11.	शेरखान-भागाबाजार सड़क का उन्नयन (11वीं योजना)					2200.00
12.	केतुम-अर्थाकॉन सड़क का उन्नयन					200.00
	उप योग	3857.05	3300.00	1997.82	2850.20	3650.00
च	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	दुर्घटना और आपात केंद्र, कोलासिब और सर्चिप	158.56				
2.	पारंरिक भारतीय औषध पद्धति के संवर्धन के लिए अनुसंधान अध्ययन					

1	2	3	4	5	6	7
3.	प्रेसबेटेरियन अस्पताल, दुर्तलांग में 6 बिस्तर वाला आईसीयू		116.57			
4.	5 सिविल/जिला अस्पतालों में केन्द्रीय स्टेराइल आपूर्ति विभाग का सुधार			30.00		
5.	केन्द्रीय स्टेराइल आपूर्ति विभाग का सुदृढ़ीकरण और सुधार				50.00	100.00
6.	आइजोल में कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) का कार्यान्वयन				130.00	180.00
7.	बाउंगकॉन, छिमवेंग में बेथेसडा में अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र में ब्लड बैंक की स्थापना					75.00
	उप योग	158.56	116.57	30.00	180.00	355.00
छ.	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	एनईआर के छात्रों को स्टाइपेंड/बुक ग्रांट के लिए वित्तीय सहायता	20.00	22.00	38.00	150.00	
2.	खेल और युवा कार्यक्रम	18.6	4.20			
3.	रामलुन खेल परिसर का सुधार और विकास					
4.	फुलफुइ, आइजोल में खेल केन्द्र का निर्माण/स्थापना					140.00
5.	मुआललुंगथू में बहु-खेल केन्द्र का निर्माण					150.00
	उप योग	38.60	26.20	38.00	150.00	290.00
	मिजोरम, कुल योग	4790.94	4347.57	2804.02	4394.89	5201.61
राज्य-नागालैंड						
क.	**कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	मशरूम की खेती का विकास					
2.	संतरे की खेती का विकास/शस्य विज्ञान फसलों का विविधकरण		40.43			
3.	पैशन फ्रुट खेती का विकास					
4.	अनानास की खेती का विकास					
5.	एकीकृत मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम					

1	2	3	4	5	6	7
6.	मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र का सुदृढ़ीकरण, दीमापुर					
7.	फिश सीड उत्पाद फार्म, दीमापुर					
8.	याजांग गांव में समुदाय आधारित एक्वाकल्चर					
9.	दीमापुर में फिश सीड और टेबल फिश फार्म	25.00			22.84	
10.	चुमुकेदीमा में फिश सीड और टेबल फिश फार्म		91.42			
11.	नागालैंड में वर्मी कम्पोस्टिंग परियोजना/एनईआर में एकीकृत कृषि विकास		187.00	24.84		
12.	कार्बनिक खाद्य उत्पादन का संवर्धन	24.08			23.04	
13.	बेस पिग ब्रीडिंग फार्म की स्थापना, मेदजीफेमा, वोखा			143.44	110.00	
14.	समुदाय आधारित पारि-पर्यटन परियोजना					
15.	दीमापुर में कोल्ड स्टोरेज यूनिट की स्थापना				7.00	
16.	बागवानी उत्पादों को विपणन सहायता	15.66				
17.	उच्च पैदावार धान की खेती	62.21		108.00	108.00	
18.	मक्खी-पालन और मधु विकास, कोहिमा			52.87	200.00	
19.	कोहिमा में उच्च-तकनीकी केले की खेती				163.08	163.08
20.	रिओ कॉलोनी, दीमापुर में चाबोर मत्स्य परियोजना का विकास				130.84	
	उप योग	126.95	318.15	329.15	764.38	163.08
ख.	**विद्युत एवं आर आर ई**					
1.	दुईलुमरोई माइक्रो हाइडल परियोजना					
2.	मोन में 66/33/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण	500.00	50.00			10.64
3.	132/33 केवी मेलुरी सब स्टेशन का उन्नयन		260.00	150.00		
	उप योग	500.00	310.00	150.00		10.64
ग.	**जल संसाधन**					
1.	कैथे नदी की भूरक्षण से सुरक्षा					
2.	डूजा सिंचाई परियोजना के लिए संशोधित डी पी आर तैयार करना					

1	2	3	4	5	6	7
3.	सिंचाई परियोजना			20.00		
4.	थेइमेजे मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, चेईचामा गांव				120.00	
	उप योग			20.00	120.00	0.00
घ	**उद्योग एवं पर्यटन**					
1.	दीमापुर और वाजेहो में सजावटी मार्बल परियोजना की स्थापना					
2.	नई दिल्ली में एन ई ट्रेड एक्सपो					
3.	बांस संबंधित कार्यो का विकास					
4.	पर्यटन अवसंरचना का विकास			9.55		
5.	ग्रामीण फाइबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, लोगासा	16.26				
6.	पर्यटन लॉज, दीमापुर का नवीकरण और उन्नयन			51.00	100.00	150.00
7.	फेक जिले में फुटसेरो झील का विकास				110.00	
8.	नुइलैंड दीमापुर में लावी झील का विकास				112.79	
	उप योग		16.26	60.55	322.79	150.00
ङ	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें और पुल	3479.15	2900.00	2125.00		
2.	कोहिमा में हवाई अड्डे का व्यवहार्यता अध्ययन (चईथू)					
3.	दीमापुर हवाई अड्डे में ड्रेनेज का निर्माण	100.00	47.68			
4.	सर्वेक्षण और जांच					
5.	आई एस बी टी, कोहिमा, मोकोकचुंग और दीमापुर	300.00	700.00	185.27		
6.	लांगडिंग-नोकजन सड़क का निर्माण (11वीं योजना)				1000.00	1500.00
7.	लांगडिंग-लदाईगढ़ सड़क का निर्माण (10वीं योजना)				1500.00	
8.	फवस्वेमा-किदीमा-जुकेतसा-तदुबी का निर्माण (11वीं योजना)				500.00	1600.00
9.	यिमचेनकीमोंग से वारोमोंग तक सड़क का सुधार (10वीं योजना)				23.00	

1	2	3	4	5	6	7
10.	वोखा-मेरापानी सड़क का उन्नयन (10वीं योजना)				90.50	
	उप योग	3879.15	3647.68	2310.27	3113.50	3100.00
च	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	पैरामेडिकल नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोहिमा					
2.	नागालैंड अस्पताल में सीटी स्कैन के लिए सहायता			140.00		
3.	रैफरल हॉस्पीटल को सुसज्जित करना, दीमापुर					
4.	दुर्घटना और ट्रोमा सेंटर, दीमापुर और मोकोकचुंग					
5.	एनएचके में आईसीसी और सीसीयू की स्थापना, कोहिमा					
6.	जीओन अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, दीमापुर को सहायता	65.05		90.00	225.00	93.44
7.	रूझाझो और ताऊफेमा में पीएचसी की स्थापना	67.94				
8.	मोन में 50 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना			30.00	140.00	
9.	बेथेल चिकित्सा केन्द्र, कोहिमा का आधुनिकीकरण		50.00	50.00	75.00	
10.	मोकोकचुंग जिले में 5 बिस्तर वाले आईसीयू, उच्च निर्भरता इकाई डाइलेसिस यूनिट की स्थापना				90.00	100.00
11.	नागा अस्पताल में नर्सिंग स्कूल का उन्नयन और अवसंरचना विकास					50.00
12.	नागा अस्पताल में ओपीटी कैज्युअलटी और डाइगनोस्टिक परिसर का उन्नयन और अवसंरचना विकास					75.00
13.	ओकिंग अस्पताल और अनुसंधान क्लिनिक,					120.00
	कोहिमा अस्पताल का उपस्कर अवसंरचना उन्नयन					
	उप योग	132.99	50.00	310.00	53.00	438.44
छ.	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	खेल और युवा कार्यक्रमों का विकास	52.50	28.46	35.00		
2.	एनईआर के छात्रों को स्टाइपेंड और बुक ग्रांट की वित्तीय सहायता	20.00	22.00	10.00		8.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	डा. टी. आओ मेमोरियल फुटबाल टूर्नामेंट, दीमापुर				1.60	
4.	लांगलेंग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण				4.58	
5.	फुटसेरा में बहुद्देशीय स्टेडियम का निर्माण					140.00
6.	सानिस एसडीआर मुख्यालय, वोखा में बहुद्देशीय स्टेडियम का निर्माण					130.00
7.	वोजुरो शहर, वोखा में लघु आउटडोर स्टेडियम का निर्माण					89.00
	उप योग	72.50	50.46	45.00	6.18	367.00
	नागालैंड, कुल योग	4776.85	4376.99	3224.97	4856.85	4229.16

राज्य-सिक्किम

क. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप

1.	आरगेनिक फार्मिंग के लिए जैव उर्वरक इकाई की स्थापना					
2.	देओराली में पोलीक्लीनीक पशु चिकित्सालय की स्थापना					
3.	गंगटोक में पोलीक्लीनीक पशु चिकित्सालय की स्थापना					
4.	सामुदायिक जैव विविधा संरक्षण परियोजना					
5.	कुमरेक रेंगपो में एकीकृत पोलकृत पोलट्री फार्मिंग		18.00			
6.	एनईआर में शस्य विज्ञान फसलों का विविधीकरण	30.00				
7.	मोनो क्रापिंग को उच्च पैदावार धान की खेती में बदलना			14.91		
8.	लाइवस्टॉक के विकास के लिए विस्तार/प्रशिक्षण सैल का अवसंरचना विकास			123.45		
9.	बूमतार, नामची में पशु चिकित्सा संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए अवसंरचना विकास				120.00	
10.	टोंगपो के पास कुमरेक में एकीकृत पोल्ट्री फार्मिंग और हेचरी के लिए अवसंरचना				18.74	
	उप योग	30.00	18.00	138.36	138.74	0.00

1	2	3	4	5	6	7
ख.	**विद्युत और आर आर ई**					
1.	गंगटोक के विद्यमान 3.3 केवी स्विचयार्ड में 11 केवी प्रणाली में बदलना	100	51.20			
2.	ग्यालशिंग में 66/11 केवी स्विचयार्ड में 66 केवी बे का विस्तार और सर्दुग में 1×5 एमबीए एस/एस का निर्माण	296.2				
3.	रोंगली से सुनडुंग तक एक 66 केवी लाइन के निर्माण के साथ रोंगली एचईपी में 2×3.5 एमवीए, 3.3/66 केवी स्विचयार्ड-सह-सब स्टेशन को चालू करना	293.07		38.32	190.00	
4.	नेटवर्क गंगटोक के एक हिस्से के रूप में 11/11 केवी टीएनए सब स्टेशन के साथ 11 केवी सब स्टेशन को जोड़ना	46.56				
5.	पाकयोंग बाजार में एचटी एंड एलवाई विद्युत आपूर्ति और डीएस का संवर्धन	100	155.2			
6.	एमजी रोड, गंगटोक की विद्यमान वितरण प्रणाली का उन्नयन	200	100	296.7		
7.	पेलिंग में विद्यमान 11 केवी टीएल एवं एलटी वितरण ऊपरी लाईन का बदलाव		60	350	130.00	
8.	विद्यमान सीएलडीसी के साथ नए सब स्टेशन एवं जनरेशन स्टेशन का एकीकरण			49		
9.	66 केवी स्विचयार्ड का नवीकरण और निचले लैगयाप एचपी, रानीपुर में 1×7.5 एमवीए, 66/11 केवी सब स्टेशन का निर्माण					
10.	रिम्बी चरण-1 एवं 11 और खेप चरण-11 के सिनक्रोनाइजेशन की स्थापना			100		
11.	अम्बेडकर सड़क में एचटी एवं एलटी ओवरहैड लाइनों का बदलाव		500	150	47.26	
12.	फोडोंग के लिए डी/सी 66 केवी टॉवर में ताडोंग सब स्टेशन से आईसीएआर कंपाउंड तक 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन का बदलाव				200.00	

1	2	3	4	5	6	7
13.	नामची के आस पास विद्यमान ओवरहैड एलटी लाइन के बदलाव सहित सेंट्रल पार्क का विद्युतीकरण				200.00	
14.	विद्यमान ओवरहैड एलटी लाइन को अंडरग्राउंड केबल प्रणाली में सहित सेंट्रल बदलाव				200.00	
15.	गंगटोक, सिक्किम के नए सब स्टेशन की स्थापना के लिए संवितरण प्रणाली का उन्नयन				180.00	
16.	लिंगताम पूर्वी सिक्किम में 10 संख्या की सूक्ष्म परियोजनाएं				150.00	
17.	गंगटोक में एचटी/एलटी वितरण प्रणाली का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण				150.00	
18.	66 केवी सिंगल सर्किट टीएल रोगली-1 एचईपी का डिजाइन, आपूर्ति, इरेक्शन, जांच चालू करना					80.00
	उप योग	1035.83	866.40	1084.02	1493.20	80.00
ग.	**जल संसाधन**					
1.	चुंगथांग बाजार जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण					
2.	लाचेन बाजार जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	45.00				
3.	कालुक-रिचेंगपोंग जल आपूर्ति स्कीम का निर्माण	100.00	57.50			
4.	गंगटोक सीवर योजना का विस्तार	90.00				
5.	सिक्किम में ड्रेनेज विकास पद्धति					
6.	सेलेप जल ट्रीटमेंट प्लांट का फीडर, गंगटोक, जल आपूर्ति स्कीम		50.00	200.00		
7.	नामची उप प्रभाग के तहत रोवंगला जल आपूर्ति स्कीम	140.00				
8.	पाकयोंग जल आपूर्ति स्कीम	125.00	30.00			
9.	स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज सिस्टम, गंगटोक	110.00	70.00			
10.	200 आईसीडीएस केन्द्रों को जल सुविधा और स्वच्छता					
11.	350 आईसीडीएस केन्द्रों को जल सुविधा और स्वच्छता					
12.	नामची, दक्षिण सिक्किम को जल आपूर्ति	100.00	270.75	145.00		159.66

1	2	3	4	5	6	7
13.	रानीपुल जल आपूर्ति स्कीम	105.00	231.45			
14.	आदमपुल रूमटेक के नीचे रानी खोला के साथ नदी प्रशिक्षण कार्य			20.00	80.00	50.00
15.	सिनोतार जेमी हल्का, चरण-1 में झोरा नदी प्रशिक्षण कार्य			45.00	40.00	173.25
16.	जोरथांग नदी के लिए स्ट्रोम जल डिस्पोजल का निर्माण			45.00		179.28
17.	बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन स्कीम का संवर्धन			45.00		
18.	पश्चिमी सिक्किम में देतांत जल आपूर्ति स्कीम का संवर्धन			40.00		76.72
19.	सेलेप जल उपचार के फीडर का उन्नयन और आधुनिकीकरण				100.00	
	उप योग	815.00	709.70	540.00	220.00	638.91
घ.	**उद्योग और पर्यटन**					
1.	एन ई ट्रेड एक्सपो, दिल्ली		3.60			
2.	सिक्किम में बांस पौधारोपण का विकास					
3.	ही बरमीओक, पश्चिमी सिक्किम में रोडोडेंड्रन सैंक्चयुरी		16.20	145.25		
4.	उत्तर पूर्वी राज्य पर्यटन फोरम, गंगटोक			5.90		
	उप योग		19.80	151.15	0.00	0.00
ङ	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें और पुल	1498.82	2401.28	2235.73		
2.	हवाई पत्तन					
3.	सर्वेक्षण और जांच					
4.	किमबूबोते-सोकपे सड़क पर दो पुलों के बदलाव सहित उन्नयन और निकास				572.80	
5.	रलांग-फमताम सड़क का उन्नयन-निकास और कारपेटिंग (10वीं योजना)				300.00	300.00
6.	संकालांग बे साकयोंग एचएस सड़क उत्तरी जिले का सुदृढ़ीकरण निकास और कारपेटिंग				14.14	

1	2	3	4	5	6	7
7.	तनक में माखा-लिंगी-यांगांग-सड़क पर तीस्ता खोला नदी के ऊपर माखा पुल का निर्माण (10वीं योजना)				200.00	
8.	सिमचूथांग-पार्बोंग-यांगयांग सड़क का सुधार (11वीं योजना)					950.00
9.	बर्मिक-लेगशिप सड़क का सुधार (10वीं योजना)					53.91
10.	10 मील लेगशिप-क्यूजिंग से तिंगमू तक सड़क का निर्माण (10वीं योजना)					56.76
11.	मेली फोंग सड़क पर 9 किमी. में राबी-खोला नदी पर 102 मी. स्टील पुल के साथ सस्पेंशन पुल का बदलाव					42.87
12.	समबोरिया-सोरांग सड़क पर रिंगयांग नदी के ऊपर पुल का निर्माण (10वीं योजना)					12.52
13.	संगखोला-जिंगला मारतम सड़क का सुधार (11वीं योजना)					500.00
	उप योग	1498.82	2401.28	2235.73	1086.94	1916.06
च.	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय का सुदृढ़ीकरण					
2.	सीएचसी, पीएचसी और पीएचएससी का स्तरोन्नयन	97.3				
3.	एनईआर में आईएसएम अनुसंधान अध्ययन					
4.	दुर्घटना और ट्रॉमा केन्द्र, नामची			50.00		28.30
5.	सिक्किम के पीएचसी में एक्स-रे ब्लॉक का निर्माण					500.00
	उप योग	97.30		50.00		78.30
छ.	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	फेलोशिप और अकादमिक					
2.	सोरेंग साइंस कॉलेज में प्रशासनिक खंड का निर्माण					184.00
3.	एन ई आर के छात्रों के लिए स्टाइपेंड और बुक के लिए वित्तीय सहायता	30	22.00			
4.	एन ई आर में खेल और युवा कार्यक्रमों का संवर्धन			341.37		
5.	ताडोंग और अन्य संस्थानों में राजकीय कॉलेजों का निर्माण					

1	2	3	4	5	6	7
6.	सिक्किम के विभिन्न स्थानों पर स्कूल भवनों का निर्माण				194.40	150.00
7.	261 राजकीय ग्रामीण स्कूलों में स्कूल फर्नीचर की आपूर्ति					150.00
	उप योग	30.00	22.00	341.37	194.40	484.00
ज.	**विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र**					
1.	बिजनेस कम्युनिकेशन सुविधा, गंगठोक					
2.	आई टी प्रशिक्षण केंद्र गंगटोक और नामची					
3.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का कम्प्यूटरीकरण				100.00	
	उप योग				100.00	0.00
	सिक्किम, कुल योग	3506.95	4037.18	4540.63	3233.28	3197.27
राज्य-त्रिपुरा						
क.	**कृषि और संबद्ध कार्यकलाप**					
1.	मशरूम की खेती का विकास					
2.	सिट्रस/संतरा खेती का नवीकरण और विकास	141.71			52.04	
3.	हल्दी की खेती का विस्तार					
4.	एकीकृत मत्स्य पालन विकास परियोजना		4.04			
5.	स्वच्छ जल प्रॉन कल्चर का संवर्धन	16.65				
6.	ब्यॉलर डक फार्म की स्थापना, आर के नगर	17.28				
7.	रेबिट फार्म को सुदृढ़ बनाना, आर के नगर					
8.	जैव विविधा संरक्षण परियोजना					
9.	500 एमटी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, सकचंद	25.00				
10.	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र को सुदृढ़ बनाना, यूजीटीसी	30.90				
11.	फसल और मृदा के लिए डेमो परियोजना					
12.	अमरपुर में 1000 एमटी क्षमता बहुद्देशीय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना					90.79
13.	पशु चिकित्सालय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का सुदृढ़करण, अगरतला					32.40
	उप योग	231.54	4.04		52.04	123.19

1	2	3	4	5	6	7
ख	**विद्युत और आर आर ई**					
1.	बारामुरा गैस आधारित थर्मल परियोजना	1000.00	3220.60	2500.00	479.00	
2.	अगरतला में ऊर्जा पार्क					
3.	गामई, तिला, तेलियामुरा, त्रिपुरा में 1×15 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफार्मर का विस्तार					
4.	अगरतला से खोवाई तक 132 केवी लाइन (45सीकेएम)					
5.	तेलियामुरा से अंबासा तक 132 केवी लाइन					
6.	अंबासा से कुमारघाट तक 132 केवी लाइन					
7.	रवीन्दर नगर-सोनपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा में 1×15, 66/11 केवी सब स्टेशन का संवर्धन					
8.	जिरानिया में 1×10 एमवीए, 66/11 केवी और 1×10 एमवीए 132/33 केवी ट्रांसफार्मर का संवर्धन					
ग	**उद्योग और पर्यटन**					
1.	बांस संबंधी कार्यकलापों का विकास		83.57			
2.	रबड़ प्रोसेसिंग/लैमिनेटिड रबड़ इकाई की स्थापना	100.00				
3.	रबड़ की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग		62.00			
4.	लेटिक्स फैक्टरी और क्रेप मिल्स, त्रिपुरा का विस्तार					
5.	पर्यटन विभाग द्वारा स्टार कोटि के होटलों का निर्माण					
6.	एन ई ट्रेड एक्सपो, दिल्ली	3.60				
7.	आत्मसमर्पण किए गए मिलिटेंट्स के लिए बांस संबंधित कार्यकलाप		100.00			71.80
8.	समुदाय आधार के जरिए ग्रामीण गरीबों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बांस का विकास				80.00	
9.	पायलट बांस के जरिए आजीविका विकास के लिए परियोजनाओं की स्थापना				45.04	
10.	तेबारिया में चाय क्षमता प्रोसेसिंग फैक्ट्री को शुरू करना					179.42

1	2	3	4	5	6	7
घ.	**परिवहन और संचार**					
1.	सड़कें और पुल	1637.35	3500.00	4434.40		
2.	सर्वेक्षण और जांच			45.70		
3.	आई एस बी टी और आई एस टी टी		475.00	100.60	500.00	
4.	बिशलगढ़-बॉक्सानगर-सोनामुरा-बारपथारी-बेलोनिया सड़क का सुधार (11वीं योजना)				3000.00	
5.	कोवाइफुंग-एलमारा सड़क का सुधार (10वीं योजना)				12.38	3900.00
6.	सोनाई-मोहन नदी पर लकड़ी के पुल को बीयूजी पुल में बदलना				69.41	
	उप योग	2112.35	3600.60	4980.10	3081.79	3900.00
ङ	**स्वास्थ्य क्षेत्र**					
1.	डायबिटीज अनुसंधान केंद्र का स्तरोन्नयन					
2.	विपसेट का स्तरोन्नयन, अगरतला					
3.	दुर्घटना और ट्रॉमा केन्द्र, कुलाई और जीबी पंत अस्पताल				81.00	60.00
4.	कैंसर अस्पताल, अगरतला का उन्नयन			75.00	150.00	75.00
	उप योग			75.00	231.00	135.00
च.	**जनशक्ति क्षेत्र**					
1.	फैलोशिप और अकादमिक					
2.	शरीरिक शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज का आधुनिकीकरण					
3.	खेल स्कूल का आधुनिकीकरण					
4.	कृत्रिम क्लाइंबिंग दीवार का निर्माण					
5.	राजधानी खेल परिसर में खेल के मैदान का विकास					
6.	एन ई आर के छात्रों को स्टाइपेंड और बुक ग्रांट के लिए वित्तीय सहायता	74.00	22.00	150.00	169.03	
7.	पानीसागर में शारीरिक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय कॉलेज में फेसिंग और निकास प्रणाली सहित खेल के मैदान का विकास					150.00
	उप योग	74.00	22.00	150.00	169.03	150.00
	त्रिपुरा, कुल योग	6921.49	6992.81	7705.10	4209.70	4487.61

[अनुवाद]

आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियां

138. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश के दक्षिणी राज्यों में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें संलिप्त संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध केन्द्र सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी से देश के दक्षिणी राज्यों में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि होने का पता नहीं चलता है। तथापि, अभी हाल, में दक्षिणी राज्यों में कुछेक आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों का पता चला है जिनमें केरल में एक लेक्चरर की हथेली काटना, दिनांक 25 जुलाई, 2008 को बंगलौर में सिलसिलेवार बम विस्फोट और 17 अप्रैल, 2010 को गंगलौर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक अन्य बम विस्फोट के साथ-साथ दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 को तमिलनाडु में मदुरई के निकट आई ई डी का पता लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तीन राज्यों में नक्सली हिंसा की संख्या में वर्ष 2011 में वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि की तुलना में गिरावट आयी है।

विगत चार वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008 में यथासंशोधित विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (विधिविरुद्ध एसोसिएशन घोषित करने के लिए) और धारा 35 (आतंकवादी संगठन घोषित करने हेतु) के तहत संगठनों को विधिविरुद्ध अथवा/और आतंकवादी संगठन के रूप में अभिनिषिद्ध किया जाता है। आज तक इस अधिनियम के तहत 35 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है जिनमें स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी), लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) जैसे संगठन भी शामिल हैं जो दक्षिणी राज्यों में सक्रिय हैं। 9 संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, (यूएपीए), 1967 के तहत विधिविरुद्ध एसोसिएशन घोषित किया गया है।

विवरण

राज्य	नक्सली घटनाएं 1 जनवरी से 15 नवम्बर, 2010	नक्सली घटनाएं 1 जनवरी से 15, नवम्बर, 2011
आन्ध्र प्रदेश	82	44
कर्नाटक	1	0
केरल	3	0
महाराष्ट्र	75	92

कृषि ऋण

139. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि किये जाने के बावजूद लगभग 40 प्रतिशत किसान कृषि में रुचि नहीं रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये ऋण उद्योगों के लाभ के लिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों को ऋण के रूप में दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में किसी भी आर्थिक कार्यकलाप में ब्याज का स्तर कई सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। सरकार ने ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं प्राप्त की है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उनके लिये ऋण में वृद्धि के बाजूद 40 प्रतिशत कृषक कृषि-कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं तथापि जुलाई 2005 में प्रकाशित वर्ष 2003 में सर्वेक्षण के आधार पर (कृषि के कुछ पहलू) पर आनी रिपोर्ट संख्या-496 (59वां) दौर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने यह रिपोर्ट दी थी कि लगभग 40 प्रतिशत किसान कृषि कार्य पसन्द नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) सभी अनुसूचित स्वदेशी वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि कृषि-क्षेत्र अग्रिम के अधीन पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत प्राप्त करें जिसमें से 4.5 प्रतिशत को कृषि, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य और कृषि आधारित संस्करण एकक शामिल हैं, के लिये अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के अधीन माना जायेगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान बुनियादी स्तर के कृषि ऋण-प्रवाह का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	धनराशि (रुपये करोड़ में)
2008-09	301908
2009-10	384514
2010-11	446779

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपलब्धि

140. श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री धनंजय सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य तौर पर देश के लिये तथा विशेष तौर से विभिन्न राज्यों के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत, जारी एवं उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के लिये नमनीयता प्रदान करती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषि और समवर्गी क्षेत्र को अतिरिक्त निधियों के आवंटन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दे कर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दे कर इस क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास के 11वीं योजना लक्ष्य में योगदान देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आकेवीवाई) शुरू की गई है। राज्यों हेतु कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और कृषि और समवर्गी क्षेत्र में विकास लाने के लिए परियोजनायें चुनने के लिए राज्यों को पूर्ण लचालापन उपलब्ध है। 11वीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में विकास लगभग 3.4% रहा है। उनकी योजना में से कृषि और समवर्गी क्षेत्र हेतु राज्य का आवंटन 2006-07 में 8770 करोड़ रु. (4.88%) से बढ़ा कर 2010-11 (संशोधित अनुमान) में 22158 करोड़ रु. (6.04%) कर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए राज्यवार निधि आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए राज्यवार निधि आवंटन, निर्मुक्त और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने कृषि और समवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाओं को चुनने तथा शुरू करने का पूरा लचीलापन प्राप्त है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	316.57	297.17	296.01	410.00	410.00	410.00	393.45	432.29	432.29	727.74	728.40	173.3.
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.88	0.00	0.00	16.10	15.98	15.98	39.08	28.95	24.43	8.26	4.13	
3.	असम	142.62	144.12	142.62	79.86	79.86	79.86	256.87	216.87	156.17	227.77	113.89	-
4.	बिहार	148.54	148.54	148.54	110,79	110.79	108.29	380.94	415.10	369.86	506.82	253.42	193.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	116.48	117.45	117.45	131.78	136.14	136.14	461.00	503.44	459.54	230,57	107.44	57.18
6.	गोवा	6.91	0.00	0.00	11.87	0.00	-	11.31	7.07	4.71	49.55	24.78	-
7.	गुजरात	243.39	243.39	243.39	386.19	386.19	386.19	353.45	388.63	371.97	513.48	257.74	199.66
8.	हरियाणा	74.00	39.50	39.49	112.77	112.77	109.25	204.74	226.80	193.74	168.92	85.17	-
9.	हिमाचल प्रदेश	15.11	15.11	15.11	33.02	33.03	33.03	94.85	94.85	93.89	99.93	46.63	25.10
10.	जम्मू और कश्मीर	16.17	1.20	1.18	42.05	42.85	35.13	162.16	96.42	52.30	103.03	36.52	-
11.	झारखण्ड	58.62	29.31	29.28	70.13	70.13	70.13	160.96	96.90	96.08	168.56	84.29	-
12.	कर्नाटक	316.57	314.14	314.14	410.00	410.00	410.00	284.03	264.03	271.83	595.90	297.95	-
13.	केरल	60.11	30.06	30.06	110.92	110.92	106.44	192.35	149.65	132.90	173.93	86.97	14.28
14.	मध्य प्रदेश	146.05	146.05	114.81	247.44	247.44	213.8	589.09	559.18	431.87	398.37	186.78	76.00
15.	महाराष्ट्र	269.63	261.77	261.77	407.39	404.39	653.00	653.00	417.93	727.67	363.83	-	
16.	मणिपुर	4.14	0.90	0.90	5.6	5.86	5.86	24.81	15.50	15.50	22.25	11.13	-
17.	मेघालय	13.53	6.77	6.77	24.68	24.68	24.68	46.12	46.12	27.38	14.66	7.33	-
18.	मिजोरम	4.29	0.80	0.80	4.15	0.00	-	7.49	3.75	3.75	34.61	17.30	11.55
19.	नागालैंड	13.89	6.95	6.95	20.38	20.38	20.38	13.24	13.25	13.25	37.54	18.77	-
20.	ओडिशा	115.44	115.44	115.44	121.49	121.49	120.32	274.40	274.40	239.01	356.96	174.13	75.72
21.	पंजाब	87.52	87.52	87.52	43.23	43.23	43.23	179.12	179.12	154.11	138.67	69.44	-
22.	राजस्थान	233.75	233.76	233.76	186.12	186.12	186.12	572.47	628.01	628.01	685.04	342.53	172.03
23.	सिक्किम	11.37	5.68	5.66	15.29	15.29	15.29	6.56	6.56	6.56	20.08	1004	5.17
24.	तमिलनाडु	140.38	140.38	140.38	127.90	127.90	119.37	225.71	250.03	246.69	333.12	161.45	-
25.	त्रिपुरा	34.02	16.08	16.08	31.28	31.28	31.28	116.86	116.46	54.05	17.99	9.00	-
26.	उत्तर प्रदेश	316.57	316.57	316.57	390.97	390.97	390.97	635.92	695.36	695.36	57.26	376.63	-
27.	उत्तराखंड	20.60	10.30	10.29	71.36	71.46	16.80	2.61	1.31	-	131.77	65.89	
28.	पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	147.38	147.38	147.38	142.82	476.15	335.98	178.05	476.65	237.52	
	कुल राज्य	3060.53	2876.34	2842.37	3770.25	3756.53	3640.75	6818.74	6719.05	5771.23	7729.30	4181.10	1003.01

दूरदर्शन/आकाशवाणी से राजस्व

141. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन (डीडी)/आकाशवाणी (ए आई आर) द्वारा दूरदर्शन/आकाशवाणी-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त केन्द्रों के रख-रखाव एवं नवीकरण पर दूरदर्शन/आकाशवाणी-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में नये दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना संबंधी कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नये केन्द्रों का कार्यकरण कब से शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निवल वाणिज्यिक		अन्य संसाधन	कुल
	दूरदर्शन	आकाशवाणी		
2008-09	737.05	194.42	69.44	1000.91
2009-10	828.48	215.92	102.03	1146.43
2010-11*	950.06	275.75	50.58	1276.43
2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	448.88	163.66	16.46	626.00

*लेखा-समाधान के अध्यधीन

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा उनके भवन और अधिष्ठापनों के रख-रखाव तथा पुनरुद्धार पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निवल वाणिज्यिक		कुल
	दूरदर्शन	आकाशवाणी	
2008-09	26.47	31.44	57.91
2009-10	36.01	40.37	76.38
2010-11*	49.57	54.29	103.86
2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	9.12	11.13	20.25

*लेखा-समाधान के अध्यधीन

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान राज्य सहित देश भर में एन आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई स्कीम अनुमोदित नहीं की गई है और इसलिए, उक्त को शुरू किए जाने का मुद्दा नहीं उठता।

खाद्य तेल की आपूर्ति

142. **श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य तेलों की मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर है तथा गत कुछ महीनों में इसके फुटकर मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाने और आयात में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, हां। देश में खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति में अंतर है जिसे आयात के जरिए पूरा किया जाता है। देश में खाद्य तेलों की मांग आबादी बढ़ने और जीवन स्तर बेहतर होने के कारण बढ़ी है।

पिछले तीन माह के दौरान सोयाबीन तेल, पाम तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल जैसे पैकिंग वाले खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है। वर्तमान माह और पिछले तीन माह के लिए खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि, लगभग 50% घरेलू जरूरत को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। इसलिए घरेलू मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ना लाजमी है।

(ग) और (घ) सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने और आयात बढ़ाने के लिए निम्नानुसार विभिन्न पग उठाए हैं:-

(i) 14 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों और 9 पाम तेल उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एकीकृत तिलहन, दाल, पाम तेल और मक्का स्कीम क्रियान्वित की जा रही है ताकि तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ावा जा सके। इस स्कीम तथा कृषि मैक्रो प्रबंधन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) तिलहनों के संबंध में उन्नत उत्पादन और जन्तु बाधा प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने के लिए विस्तार कार्य किया जा रहा है।

(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन 2010-11 के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 'दाल और तिलहन ग्रामों' का गठन करने के लिए दालों और तिलहनों के लिए विशेष पहल के रूप में एक नई उप स्कीम लागू की गई है।

(iv) सरकार ने पामतेल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन 2011-12 के दौरान 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आबंटित किया है।

(v) खुल सामान्य लाइसेंस के अधीन खाद्य तेलों (नारियल तेल को छोड़कर) का आयात करना।

(vi) क्रुड और रिफाइंड तेलों पर अप्रैल, 2008 से आयात शुल्क क्रमश: शून्य और 7.5% करके खाद्य तेलों के आयात को उदार बनाया गया है, जिसे जारी रखा गया है।

(vii) नारियल तेल (कोचीन पत्तन के जरिए), लघु वन उत्पाद से उत्पादित कुछ तेलों और 10 हजार टन प्रति वर्ष की सीमा के अध्यधीन 5 किलोग्राम तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों को छोड़कर मार्च, 2008 से खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपर्युक्त छूट के साथ खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध सितम्बर, 2012 तक बढ़ा दिया गया है।

(viii) घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 2008 में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की केन्द्रीय राजसहायता के साथ राशन कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए "राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम" लागू की है। यह स्कीम सितम्बर, 2012 तक बढ़ाई गई है।

विवरण

खाद्य तेलों का तेलवार दैनिक खुदरा मूल्य

यूनिट (रुपए प्रति किलोग्राम)

क्र.सं.	केन्द्र	दिल्ली			मुम्बई			कोलकाता			चेन्नई		
		दिनांक	दिनांक	अंतर	दिनांक	दिनांक	अंतर	दिनांक	दिनांक	अंतर	दिनांक	दिनांक	अंतर
	तेल का नाम	15.11.11	15.08.11		15.11.11	15.08.11		15.11.11	15.08.11		15.11.11	15.08.11	
1.	सोयाबीन तेल	88	83	5	सू.न.	76	-	72	69	3	सू.न.	सू.न.	सू.न
2.	सूरजमुखी तेल	108	93	15	सू.न.	84	-	95	85	10	84.62	80	4.62
3.	पॉम तेल	सू.न.	सू.न.	–	सू.न.	67		63	64	-1	62.64	60	2.64
4.	मूंगफली तेल	135	128	7	सू.न.	118	-	120	105	15	109.89	100	9.89
5.	सरसों तेल	83	77	6	सू.न	85	-	80	75	5	95.6	84	11.6

सू.न.-सूचित नहीं किया गया है।

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग

मदरसों का वित्तपोषण

143. **श्री रूद्रमाधव राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय उलेमा और मशारख बोर्ड (एआईयूएमबी) ने केन्द्र सरकार से देश में सऊदी पेट्रो डालर की आवक को रोकने के लिए मदरसों के किये जा रहे वित्त पोषण की लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गैर-कनूनी विदेशी निधियों का आवक तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उसके उपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए /किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के माध्यम से देश में किसी भी 'व्यक्ति' द्वारा विदेशी अभिदायों की प्राप्ति और उसके उपयोग की निगरानी करती है। एफ सी आर ए, 2010 और एफ सी आर आर, 2011 के अतिरिक्त देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संघों/न्यासों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए देश के विभिन्न कानूनों जैसे कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा राज्य के स्थानीय कानूनों का विधिक ढांचा विद्यमान है।

क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली

144. **श्री आर. थामराई सेलवन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और इसके साथ उप-नगरों के बीच तथा राज्य की राजधानियों और कस्बों के बीच द्रुत संपर्क प्रदान करने के लिये रेल आधारित क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली शुरू किये जाने हेतु अपने प्रस्ताव अग्रेषित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में ऐसी रेल आधारित क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली शुरू किये जाने हेतु आने प्रस्ताव अग्रेषित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधापनी क्षेत्र हेतु एकीकृत परिवहन योजना का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में यात्रियों को सुविधाएं मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आठ अंर्तशहरी रेल कोरीडोर की आवश्यकता अभिज्ञात की गई है। इस अध्ययन के अनुसार कारीडोर की अननंतिम लम्बाई और लागत संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	करीडोर	लम्बाई (कि.मी.)	रोलिंग स्टॉक सहित कुल लागत (रुपए मिलियन में)
1	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	67	14910
2	दिल्ली-गुडगांव-रिवाड़ी-अलवर	158	34100
3	दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल	60	13370
4	गाजियाबाद-खुर्जा	83	18380
5	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	89	19720
6	दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक	70	15670
7	गाजियाबाद-हापुड़	57	12820
8	दिल्ली-शहादरा-बड़ौत	56	12500
	कुल	640	141470

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

युवाओं के लिए कौशल विकास

145. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नक्सल प्रभावित/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस संबंध में वित्त मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) युवाओं की क्षमता के दोहन और राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा के उपयोग हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 59 जिलों में लगभग 1000 ग्रामीण युवा और 7000 युवा क्लब सदस्यों के लिए मान्यता प्रान्त व्यावसायिक प्रशिक्षण दाताओं के माध्यम से रोजगार गम्य कुशलता आधारित अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम चलाकर रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से युवा रोजगार गम्यता कुशलता परियोजना नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय कुशलता विकास निगम द्वारा अपनी भागीदार एजेन्सी के माध्यम से कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जुलाई, 2011 में मणिपुर और मेघालय राज्यों में सूचना

प्रौद्योगिकी और व्यक्तित्व विकास के साथ ग्रामीण खुदरा बिक्री और विपणन में तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 3.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद यह प्रस्ताव है कि इसे देश के नक्सल/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित अन्य सभी राज्यों में विस्तारित किया जाए।

(ग) और (घ) एक प्रस्ताव योजना आयोग को संदर्भित किया गया है जिसमें 12वीं योजना अवधि के दौरान युवा रोजगार गम्यता कुशलता के अंतर्गत 15000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुमान रखा गया है।

(ङ) सरकार ने 2010-11 के दौरान युवाओं की संभावनाओं का दोहन करने तथा राष्ट्रीय निर्माण के लिए उनकी ऊर्जा को सरणीकृत करने के लिए "राष्ट्रीय युवा कोर" नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में 20,000 स्वयंसेवकों को नामांकित करने की परिकल्पना है जिसमें से 8000 की जम्मू व कश्मीर में तथा 12000 की तैनाती अन्य राज्यों में की जानी है।

[हिन्दी]

वार्ताकारों की रिपोर्ट

146. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिलीप पडगांवकर की अध्यक्षता वाले वार्ताकार दल ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में अपनी अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि, हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष/ सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट के संबंध में अभी तक कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (च) जी, हां। डा. दिलीप पडगांवकर की अध्यक्षता वाले वार्ताकार दल ने जम्मू और कश्मीर के संबंध में अपनी अंतिम रिर्पोट 12 अक्टूबर, 2011 को प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

आई एच एस डी जी के अंतर्गत निधियां

147. श्री ए. सम्पत:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष समेकित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को निधियां स्वीकृत और जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही शहर/कस्बा-वार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार को प्राप्त शहर/कस्बा-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृतिक मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी धनराशि तथा स्वीकृत रिहायशी मकानों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) आईएचएसडीपी के अंतर्गत रिहायशी मकानों को पूरा करके प्राप्त सफलता का शहर कस्बा वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09					2009-10					2010-11				
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	जारी एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	जारी एसीए	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए+उन्नयन)	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	20	451.87	271.98	18639	48.91	-	-	-	-	195.03	-	-	-	-	114.86
2	अरुणाचल प्रदेश	1	9.95	8.96	176	0.00	0	-	-	0	-	-	-	-	-	4.48
3	अस्सम	3	28.76	23.38	1974	7.39	1	17.92	13.73	1301	11.17	-	-	-	-	.
4	बिहार	6	113.39	64.21	3264	32.10	4	81.10	38.51	3192	-	5	156.63	67.40	5986	19.26
5	छत्तीसगढ़	4	49.10	36.82	3076	0.00	-	-	-	-	43.57	-	-	-	-	13.74
6	गोवा	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
7	गुजरात	9	114.58	73.22	6364	33.84	6	39.71	17.13	3655	13.99	-	-	-	-	6.46
8	हरियाणा	3	33.42	26.74	1785	0.00	-	-	-	-	13.37	-	-	-	-	19.81
9	हिमाचल प्रदेश	3	31.90	20.88	800	6.39	-	-	-	-	10.44	2	17.38	11.71	338	5.85
10	जम्मू और कश्मीर	15	42.60	34.50	3408	13.80	12	25.72	17.86	608	9.61	13	36.88	29.72	953	5.38
11	झारखंड	6	123.67	72.39	6576	33.33	-	-	-	-	-	3	74.59	43.35	3676	13.94
12	कर्नाटक	9	138.81	76.93	4184	0.00	-	-	-	-	38.46	-	-	-	-	37.84
13	केरल	11	55.50	42.18	5800	47.82	16	80.59	55.29	7636	8.24	-	-	-	-	30.72
14	मध्य प्रदेश	4	28.48	21.88	1708	10.94	7	48.90	28.87	1869	12.48	5	26.46	16.78	1104	6.77
15	महाराष्ट्र	56	1166.39	772.57	48683	386.79	1	30.50	20.19	1488	92.29	-	-	-	-	84.06
16	मणिपुर	1	10.83	8.33	663	6.18	3	16.04	11.66	1063	4.48	-	-	-	-	5.66
17	मेघालय	2	19.66	13.46	456	3.58	-	-	-	-6.72	-	-	-	-	-	6.72
18	मिजोरम	7	31.00	23.57	1450	3.77	-	-	-	-	11.12	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	नागालैंड			0.00		0.00	1	2.39	0.60	265	7.85					
20	ओडिशा	16	184.06	123.30	7709	55.34	1	16.99	9.45	456	17.92	2	8.17	5.42	316	4.73
21	पंजाब	1	21.01	8.22	720	3.54					11	253.01	99.76	5326	50.46	50.46
22	राजस्थान	4	83.37	52.12	3214	40.24	5	81.85	45.94	3215	43.94	18	304.28	196.00	12647	122.00
23	सिक्किम			0.00		0.00	1	19.91	17.92	39	8.96					
24	तमिलनाडु	52	249.24	184.17	15500	77.38	2	40.97	18.73	2322	90.85					70.92
25	त्रिपुरा	2	20.01	17.60	1150	0.00	2	16.44	14.11	1565	19.02					12.36
26	उत्तर प्रदेश	124	771.75	509.10	29733	256.50	10	160.35	100.63	5456	18.49	15	299.77	177.76	8479	198.2
27	उत्तराखंड			0.00		0.00	19	155.42	87.66	4801	26.99					16.84
28	पश्चिम बंगाल	34	377.09	297.60	19706	227.42	1	0.64	0.15	75	72.14					34.15
29	दिल्ली			0.00		0.00			0							
30	पुडुचेरी			0.00		0.96					0.43					
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	9.88	8.90	0	0.00					3.16					
32	चंडीगढ़			0.00		0.00										
33	दादरा और नगर हवेली			0.00		0.00	1	5.24	2.89	144						1.44
34	लक्षद्वीप			0.00		0.00										
35	दमन और दीव			0.00		0.00										
		394	4166.32	2793.01	186738	1296.21	93	840.68	501.32	39150	780.72	74	1177.17	647.90	38825	879.93

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आईएचएसडीपी)

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	40	0
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	0	0
	कुल		40	0

अरुणाचल प्रदेश (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	रोइंग	176	0
	कुल		176	0

विवरण II

आंध्र प्रदेश (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	अडोनी*	0	0
2	आंध्र प्रदेश	अनाकाप्ले	384	384
3	आंध्र प्रदेश	बापतला*	0	0
4	आंध्र प्रदेश	बापतला*	0	0
5	आंध्र प्रदेश	भीमूनिपटम*	0	0
6	आंध्र प्रदेश	भोंगीर*	0	0
7	आंध्र प्रदेश	बोधन*	0	0
8	आंध्र प्रदेश	चिल्कालुरीपेट*	0	0
9	आंध्र प्रदेश	चिराला*	0	0
10	आंध्र प्रदेश	चितूर*	0	0
11	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	0	0
12	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	434	434
13	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	600	600
14	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा* (राजमचेर)	263	263
15	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	0	0

1	2	3	4	5
16	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	0	0
17	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा*	0	0
18	आंध्र प्रदेश	गडवाल*	513	513
19	आंध्र प्रदेश	गडवाल	0	0
20	आंध्र प्रदेश	गुड्डुर	1559	1202
21	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	0	0
22	आंध्र प्रदेश	गुंटुर	1792	968
23	आंध्र प्रदेश	जनगांव*	0	0
24	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	720	398
25	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा*	0	0
26	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	3120	0
27	आंध्र प्रदेश	करीमनगर	2304	2254
28	आंध्र प्रदेश	कवाली*	0	0
29	आंध्र प्रदेश	कवाली*	0	0
30.	आंध्र प्रदेश	खम्मम	725	716
31	आंध्र प्रदेश	कोठागुदेम	938	410
32	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल	2112	1
33	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल*	0	0
34	आंध्र प्रदेश	मचेरला*	0	0
35	आंध्र प्रदेश	मछलीपट्टम*	0	0
36	आंध्र प्रदेश	मदनापल्ले*	0	0
37	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर	525	525
38	आंध्र प्रदेश	महबूबनगर*	0	0
39	आंध्र प्रदेश	मंचोरियल*	0	0

1	2	3	4	5
40	आंध्र प्रदेश	मिरयालगुडा*	0	0
41	आंध्र प्रदेश	मिरयालगुडा	986	669
42	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा	378	378
43	आंध्र प्रदेश	नालगौंडा*	0	0
44	आंध्र प्रदेश	नरासारावपेट*	0	0
45	आंध्र प्रदेश	नारायनपेट*	0	0
46	आंध्र प्रदेश	निर्मल*	0	0
47	आंध्र प्रदेश	निजामाबाद	1020	866
48	आंध्र प्रदेश	ओंगोल*	0	0
49	आंध्र प्रदेश	पलवांचा*	0	0
50	आंध्र प्रदेश	पेड्डापुरम	1831	1416
51	आंध्र प्रदेश	पोन्नूर*	0	0
52	आंध्र प्रदेश	प्रोद्दातुर	1500	1400
53	आंध्र प्रदेश	राजामुंद्री	3192	2250
54	आंध्र प्रदेश	राजामुंद्री	2832	912
55	आंध्र प्रदेश	रामचंद्रपुरम	768	672
56	आंध्र प्रदेश	रायाचोटी	1272	797
57	आंध्र प्रदेश	रेपल्ले*	0	0
58	आंध्र प्रदेश	सोमालकोटा	912	72
59	आंध्र प्रदेश	सोमालकोटा	2008	0
60	आंध्र प्रदेश	संगरेड्डी	559	192
61	आंध्र प्रदेश	सटनापल्ले*	0	0
62	आंध्र प्रदेश	सिद्धिपेर	0	0
63	आंध्र प्रदेश	सिरसिल्ला	766	673

1	2	3	4	5
64	आंध्र प्रदेश	सूर्यापेट	1556	794
65	आंध्र प्रदेश	तंदुर*	0	0
66	आंध्र प्रदेश	तेनाली	0	0
67	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	0	0
68	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	4087	528
69	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	3360	0
70	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	1560	0
71	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	2136	0
72	आंध्र प्रदेश	वेनुकोडा*	0	0
73	आंध्र प्रदेश	वानापर्थी	384	360
74	आंध्र प्रदेश	वानापर्थी*	0	0
75	आंध्र प्रदेश	येल्लानडु*	0	0
76	आंध्र प्रदेश	जहीराबाद	800	112
77	आंध्र प्रदेश	धोने	0	0

नोट:* यह दर्शाता है कि परियोजना का अवस्थापना भाग को अनुमोदित किया गया था।

असम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	असम	बदरपुर	56	14
2	असम	बोकाजन	1010	0
3	असम	धिंग	790	0
4	असम	धुब्री	99	31
5	असम	गोलाधाट	839	72
6	असम	कामपुर कस्बा	384	0

1	2	3	4	5
7	असम	करीमगंज	458	290
8	असम	कोकराझार	1301	0
9	असम	लंका	409	184
10	असम	मंगलदोई	949	0
11	असम	नागांव	802	0
12	असम	नलबाड़ी	201	135
13	असम	पलासबाड़ी	108	55
14	असम	सर्थेबाड़ी	260	173
15	असम	तिहु	162	0
16	असम	तिनसुकिया	840	106
		कुल	8668	1060

बिहार (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	बिहार	अररिया	728	0
2	बिहार	आरा	754	0
3	बिहार	औरंगाबाद	247	0
4	बिहार	बहादुरगंज	294	170
5	बिहार	बाढ़	1154	0
6	बिहार	बेगूसराय	853	0
7	बिहार	भागलपुर (एम. कार्मो)	1188	817
8	बिहार	बिहार	810	0
9	बिहार	फारबिसगंज	870	0

1	2	3	4	5
10	बिहार	गया	1747	0
11	बिहार	जमुई	960	0
12	बिहार	जोगबनी	321	0
13	बिहार	कांटी	143	137
14	बिहार	किशनगंज	552	535
15	बिहार	किशनगंज	1255	0
16	बिहार	मधेपुरा	319	0
17	बिहार	मधेपुरा	776	0
18	बिहार	मोतीपुर	520	425
19	बिहार	मुंगेर	868	0
20	बिहार	नरकटियागंज	300	0
21	बिहार	पुर्णिया	1487	0
22	बिहार	रोसड़ा	1562	0
23	बिहार	सहरसा	820	0
24	बिहार	शेखपुरा	207	20
25	बिहार	सुपौल	207	0
		कुल	18942	2104

छत्तीसगढ़ (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	छत्तीसगढ़	बालोद	200	0
2	छत्तीसगढ़	बेमेत्रा	200	0
3	छत्तीसगढ़	भानपुरी	210	0

1	2	3	4	5
4	छत्तीसगढ़	भाटापारां	450	0
5	छत्तीसगढ़	भिलाई	1168	690
6	छत्तीसगढ़	चारोडा	1344	0
7	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	6492	0
8	छत्तीसगढ़	डोंगरगांव	480	0
9	छत्तीसगढ़	डोगरगांव	200	0
10	छत्तीसगढ़	दुर्ग	1638	514
11	छत्तीसगढ़	जगदलपुर	880	484
12	छत्तीसगढ़	जमुक	228	0
13	छत्तीसगढ़	कवार्धा	1032	0
14	छत्तीसगढ़	खेरागढ़	492	0
15	छत्तीसगढ़	कुम्हारी	320	0
16	छत्तीसगढ़	कुरुद	204	0
17	छत्तीसगढ़	रायगढ़	1312	0
18	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	1072	0
		कुल	17922	1688

दादरा और नगर हवेली (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	0	0
2	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	144	0
		कुल	144	0

दमन और दीव (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	दमन एवं दीव	दमन	16	14
	कुल		16	14

गुजरात (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	गुजरात	अमरेली	742	281
2	गुजरात	अंकलव	804	4
3	गुजरात	बगसारा	386	188
4	गुजरात	भावनगर	1000	0
5	गुजरात	बोरियावी	611	416
6	गुजरात	धंधुका	666	0
7	गुजरात	धरमपुर	132	0
8	गुजरात	धंगाध्रा	564	348
9	गुजरात	दोहाद	480	0
10	गुजरात	गोंदल	1775	0
11	गुजरात	हालेला	446	179
12	गुजरात	हलाद	828	0
13	गुजरात	हिम्मतनगर	1296	0
14	गुजरात	जामनगर	864	336
15	गुजरात	जामनगर (पांबे)	254	0
16	गुजरात	जेतपुर नवगढ़	1130	743

1	2	3	4	5
17	गुजरात	कादी	664	0
18	गुजरात	कलोल	400	0
19	गुजरात	खंभात	606	0
20	गुजरात	लिंबडी	384	0
21	गुजरात	महुआ	500	0
22	गुजरात	मंडवी	1548	0
23	गुजरात	मोडासा	576	0
24	गुजरात	नवसारी	992	0
25	गुजरात	नवसारी (वांबे)	387	0
26	गुजरात	पाटन	1320	0
27	गुजरात	पेटलाड	836	0
28	गुजरात	प्रांतिज	449	105
29	गुजरात	राजकोट (वांबे)	1160	0
30	गुजरात	सोनगढ़	784	0
31	गुजरात	उमरेठ	760	0
32	गुजरात	ऊना	1272	384
33	गुजरात	ऊंझा	624	624
34	गुजरात	उपलेटा	396	0
35	गुजरात	वड़ोदरा (वांबे)	86	0
36	गुजरात	वड़ोदरा (वांबे)	768	0
37	गुजरात	वलसाड	926	0
38	गुजरात	वापी	1008	0
	कुल		28424	3604

हरियाणा (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	हरियाणा	अंबाला सिटी	495	389
2	हरियाणा	अंबाला सदर	423	227
3	हरियाणा	बंधुनगर	192	0
4	हरियाणा	भिवानी	1679	1160
5	हरियाणा	दादरी	423	409
6	हरियाणा	हिसार	1360	250
7	हरियाणा	जगाधरी	968	345
8	हरियाणा	झज्जर	431	146
9	हरियाणा	जिंद	933	427
10	हरियाणा	कालका	130	24
11	हरियाणा	लडवा	200	61
12	हरियाणा	नारायनगढ़	611	232
13	हरियाणा	पंचकुला (फेज 1)	2388	2072
14	हरियाणा	पंचकुला (फेज 2)	2449	0
15	हरियाणा	पंचकुला (फेज 3)	2457	0
16	हरियाणा	पिंजोर	150	42
17	हरियाणा	रेवाड़ी	485	318
18	हरियाणा	यमुनानगर	652	238
	कुल		16426	6340

हिमाचल प्रदेश (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	480	0

1	2	3	4	5
2	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	328	0
3	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	152	0
4	हिमाचल प्रदेश	नालगढ़	128	0
5	हिमाचल प्रदेश	परवानु	192	0
6	हिमाचल प्रदेश	सरकाघाट	130	
7	हिमाचल प्रदेश	सोलन	336	0
8	हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	208	
		कुल	1954	0

जम्मू और कश्मीर (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	जम्मू और कश्मीर	पुंछ	270	0
2	जम्मू और कश्मीर	परोल	1001	0
3	जम्मू और कश्मीर	बशोली	592	0
4	जम्मू और कश्मीर	खोर	313	1
5	जम्मू और कश्मीर	बनिहाल	57	14
6	जम्मू और कश्मीर	थानामंडी	94	16
7	जम्मू और कश्मीर	बटोट	114	0
8	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	53	0
9	जम्मू और कश्मीर	नौशेरा	110	0
10	जम्मू और कश्मीर	रायगढ़	50	0
11	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	672	0
12	जम्मू और कश्मीर	सोपोर टाउन	446	0

1	2	3	4	5
13	जम्मू और कश्मीर	बांदीपोरा	413	0
14	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम	256	0
15	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	226	0
16	जम्मू और कश्मीर	रियासी	223	0
17	जम्मू और कश्मीर	संबल टाउन	207	0
18	जम्मू और कश्मीर	हंडवारा	196	0
19	जम्मू और कश्मीर	रामनगर	187	0
20	जम्मू और कश्मीर	मगम	140	0
21	जम्मू और कश्मीर	शोफियन	132	0
22	जम्मू और कश्मीर	गंदरबाल	110	0
23	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	85	0
24	जम्मू और कश्मीर	हाजिन टाउन	71	0
25	जम्मू और कश्मीर	मट्टन	44	0.0
26	जम्मू और कश्मीर	बारमूला फेज II	0	0
27	जम्मू और कश्मीर	हजिन फेज 2	0	0
28	जम्मू और कश्मीर	हंडवारा फेज II	0	0
29	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम फेज 2	0	0
30	जम्मू और कश्मीर	मागम फेज 2	0	0
31	जम्मू और कश्मीर	मट्टम फेज II	0	0
32	जम्मू और कश्मीर	रामनगर फेज 2	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	रियासी फेज 2	0	0
34	जम्मू और कश्मीर	शेफियन फेज 2	0	0
35	जम्मू और कश्मीर	शोपिट पी. 2	0	0
36	जम्मू और कश्मीर	डीएलफी कश्मीर	292	0

1	2	3	4	5
37	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	316	0
38	जम्मू और कश्मीर	बड़गाम पी 2	0	0
39	जम्मू और कश्मीर	गंदरबाल पी. 2	0	0
40	जम्मू और कश्मीर	संबल टाउन पी -2	0	0
41	जम्मू और कश्मीर	चेनानी	103	0
42	जम्मू और कश्मीर	उड़ी	51	0
43	जम्मू और कश्मीर	अर्निया	124	0
44	जम्मू और कश्मीर	भदेरवाह	103	0
45	जम्मू और कश्मीर	बिलावर	175	0
46	जम्मू और कश्मीर	चकमलाई	92	0
47	जम्मू और कश्मीर	दुरु वेरीनाग	82	0
48	जम्मू और कश्मीर	कलकोटा	140	0
49	जम्मू और कश्मीर	कोकेरनाग	83	0
50	जम्मू और कश्मीर	लेह	0	0

झारखंड (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	झारखंड	चाईबासा	736	0
2	झारखंड	चतरा	932	0
3	झारखंड	डाल्टनगंज	969	0
4	झारखंड	गिरीडीह	1132	0
5	झारखंड	गुमला	1292	0
6	झारखंड	हजारीबाग	1230	0

1	2	3	4	5
7	झारखंड	लोहरदग्गा	1623	0
8	झारखंड	गिरीडीह	1391	0
9	झारखंड	फुसरो	886	0
10	झारखंड	सेराईकेला	1353	0
		कुल	11544	0

कर्नाटक (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	कर्नाटक	बगलकोटा	240	100
2	कर्नाटक	बसवाकल्यान	170	170
3	कर्नाटक	बेलगाम	136	130
4	कर्नाटक	बेल्लारी	520	320
5	कर्नाटक	भाल्की	150	150रू
6	कर्नाटक	चिंचोली	200	0
7	कर्नाटक	चिंतामणी	798	0
8	कर्नाटक	डोड बल्लापुर	648	640
9	कर्नाटक	गदब-बेटिगेरी	738	734
10	कर्नाटक	गजेंद्रगढ़	500	321
11	कर्नाटक	गौरीबिंदानुर	0	0
12	कर्नाटक	गुलबर्गा	786	724
13	कर्नाटक	हसन	1000	1000
14	कर्नाटक	हिरिहुर	123	121
15	कर्नाटक	होलेनार्सिपुर	1000	1000

1	2	3	4	5
16	कर्नाटक	हुबली धारवाड़	600	312
17	कर्नाटक	हुबली धारवाड़	109	109
18	कर्नाटक	हुबली धारवाड़	430	0
19	कर्नाटक	कादुर	500	500
20	कर्नाटक	कनकपुर	727	535
21	कर्नाटक	कोप्पल	265	250
22	कर्नाटक	मंड्या	558	154
23	कर्नाटक	मुलबगल	600	222
24	कर्नाटक	नागमंगला	420	324
25	कर्नाटक	नांजनुगुड	540	328
26	कर्नाटक	पावांडा	508	440
27	कर्नाटक	रामानग्रक	1800	500
28	कर्नाटक	सौंदतीयेल्लाम	145	145
29	कर्नाटक	शाहपुर	207	175
30	कर्नाटक	शिकारपुर	330	325
31	कर्नाटक	शिमोग	600	594
32	कर्नाटक	सिदलाघट्टा	200	144
33	कर्नाटक	सिंधनुर	1005	370
34	कर्नाटक	सिरा	682	234
	कुल		17237	11071

केरल (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	केरल	अलप्पुझा	950	510

1	2	3	4	5
2	केरल	अलुवा	90	66
3	केरल	अंगामली	38	3221
4	केरल	अटिंगल	20	132
5	केरल	चालकुड्डी	534	286
6	केरल	चंगानासारी	388	307
7	केरल	चंगानसारी	850	0
8	केरल	चाकवाड	13f	88
9	केरल	चेर्थला	454	115
10	केरल	चित्तूर-तथामंगलम	1313	838
11	केरल	गुरुवयुर	123	45
12	केरल	इरिंजलकुडा	151	125
13	केरल	इरिंजलकुडा	394	78
14	केरल	कलपेट्टा	78	28
15	केरल	कान्हरगड	221	107
16	केरल	कान्हागड	855	0
17	केरल	कन्नूर	301	136
18	केरल	कासटगोड	174	107
19	केरल	कोडुनगल्लूर	285	43
20	केरल	कुथूपरंबा	43	40
21	केरल	कोठामंगलम	192	154
22	केरल	कोट्टायम	831	27
23	केरल	कोझीकोड	511	42
24	केरल	कुननमकुलम	206	136
25	केरल	मलापुरम	1229	993

1	2	3	4	5
26	केरल	मलापुरम	726	402
27	केरल	मत्तानूर	128	61
28	केरल	मत्तानूर	620	124
29	केरल	मुवतपूइना	874	649
30	केरल	नेदुमांड	532	372
31	केरल	नेयट्टिकांरा	744	357
32	केरल	ओटापलम	607	563
33	केरल	ओटापलम	619	312
34	केरल	पल्लकाड	2001	470
35	केरल	परावूट	373	220
36	केरल	परावूट	389	268
37	केरल	परावूट	743	372
38	केरल	पथनमथीट्टा	749	384
39	केरल	पय्यनूर	314	43
40	केरल	पेरिथलमन	500	343
41	केरल	परिथलमना	879	688
42	केरल	पेरंबबूर	344	142
43	केरल	पोन्नानी	229	0
44	केरल	पुनालुट	1012	625
45	केरल	क्विलांडी	435	291
46	केरल	शोरानूर	596	485
47	केरल	तलिपरारांबा	242	123
48	केरल	थालासरी	104	34
49	केरल	थोडुपुझा	420	127

1	2	3	4	5
50	केरल	त्रिशूर	246	0
51	केरल	तिरूर	257	88
52	केरल	वडाकरा	62	11
53	केरल	वर्कला	661	227
		कुल	26295	12405

मध्य प्रदेश (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	मध्य प्रदेश	चौराई	0	0
2	मध्य प्रदेश	अमरावारा	0	0
3	मध्य प्रदेश	बालाघाट	966	0
4	मध्य प्रदेश	बरेला	120	20
5	मध्य प्रदेश	बरेसराई	160	8
6	मध्य प्रदेश	बेतया	9	48
7	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	83	0
8	मध्य प्रदेश	चन्दामेट	21	0
9	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	50	0
10	मध्य प्रदेश	दमोह	10	12
11	मध्य प्रदेश	दिपालपुर	9	16
12	मध्य प्रदेश	देवास	121	0
13	मध्य प्रदेश	देवास	1384	0
14	मध्य प्रदेश	दिकर	0	0
15	मध्य प्रदेश	गंजबसोडा	110	24

1	2	3	4	5
16	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	4576	0
17	मध्य प्रदेश	हर्रा	139	0
18	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	297	228
19	मध्य प्रदेश	इटारसी	153	0
20	मध्य प्रदेश	जऔरा	167	100
21	मध्य प्रदेश	जीरन	126	0
22	मध्य प्रदेश	जीरापुर	0	0
23	मध्य प्रदेश	कटंगी	160	0
24	मध्य प्रदेश	खंडवा	1296	0
25	मध्य प्रदेश	खंडवा	812	0
26	मध्य प्रदेश	खरगोन	200	0
27	मध्य प्रदेश	खुंजर	100	48
28	मध्य प्रदेश	कुर्वाइ	48	12
29	मध्य प्रदेश	लतेरी	0	0
30	मध्य प्रदेश	महीदपुर	0	0
31	मध्य प्रदेश	मझोली	140	0
32	मध्य प्रदेश	मंदीदीप	202	0
33	मध्य प्रदेश	मंदसौर	500	0
34	मध्य प्रदेश	मोहगांव	267	0
35	मध्य प्रदेश	मुवारा (कटनी))	2182	399
36	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	651	84
37	मध्य प्रदेश	ओरछा	274	0
38	मध्य प्रदेश	पदरौना	0	0
39	मध्य प्रदेश	पनसेमल	128	16

1	2	3	4	5
40	मध्य प्रदेश	पाटन	120	0
41	मध्य प्रदेश	पेटलवाड़	240	194
42	मध्य प्रदेश	रतनगढ़	135	0
43	मध्य प्रदेश	रीवा	248	0
44	मध्य प्रदेश	रुंजी गौतमपुरा	96	0
45	मध्य प्रदेश	सागर	480	0
46	मध्य प्रदेश	सतना	270	0
47	मध्य प्रदेश	शौसर	461	0
48	मध्य प्रदेश	शाहपुरा	104	0
49	मध्य प्रदेश	सिंगौली	0	0
50	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	300	0
51	मध्य प्रदेश	सिरोन्ज	114	24
52	मध्य प्रदेश	सिरोंज	0	0
53	मध्य प्रदेश	विदिशा	217	36

महाराष्ट्र (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	महाराष्ट्र	अचलपुर	965	0
2	महाराष्ट्र	अकोला	803	0
3	महाराष्ट्र	अकोला	1118	0
4	महाराष्ट्र	अकोला	1413	0
5	महाराष्ट्र	अमलनेर	462	270
6	महाराष्ट्र	अमरावती	1200	14

1	2	3	4	5
7	महाराष्ट्र	अंजनगांव	316	35
8	महाराष्ट्र	अर्वा	329	119
9	महाराष्ट्र	आस्टा	1256	1150
10	महाराष्ट्र	आस्टा	950	0
11	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	617	256
12	महाराष्ट्र	बालपुर	1652	0
13	महाराष्ट्र	बारामती	259	0
14	महाराष्ट्र	भंडारा	1169	293
15	महाराष्ट्र	भंडारा	1544	0
16	महाराष्ट्र	बुडडाना	892	762
17	महाराष्ट्र	बुल्डाना	1395	0
18	महाराष्ट्र	चालिसगांव	1392	0
19	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	1179	137
20	महाराष्ट्र	चंदूर	347	0
21	महाराष्ट्र	चंदूरबाजार	985	0
22	महाराष्ट्र	चोपडा	504	160
23	महाराष्ट्र	चोपडा	630	0
24	महाराष्ट्र	दर्वादा	380	0
25	महाराष्ट्र	देउलाई परवारा	527	232
26	महाराष्ट्र	देवली	370	35
27	महाराष्ट्र	देसाईगंज	504	107
28	महाराष्ट्र	दुलेगांव राजा	749	0
29	महाराष्ट्र	धुले	966	350
30	महाराष्ट्र	दिग्रास	952	0
31	महाराष्ट्र	दोंडाइचा वर्वाडे	1050	500

1	2	3	4	5
32	महाराष्ट्र	दोंडइया वर्वाडे	1050	850
33	महाराष्ट्र	दोंडइया वर्वाडे	1100	0
34	महाराष्ट्र	हिंगनघाट	1077	142
35	महाराष्ट्र	हिंगोली	1814	0
36	महाराष्ट्र	हिंगोली	1063	0
37	महाराष्ट्र	इचालकरगंज	1488	0
38	महाराष्ट्र	जलगांव	472	0
39	महाराष्ट्र	जमनेर	1238	576
40	महाराष्ट्र	कागल	1002	0
41	महाराष्ट्र	कलमेश्वर	201	37
42	महाराष्ट्र	कराड	152	*24*
43	महाराष्ट्र	करंजा	768	0
44	महाराष्ट्र	कटोल	1418	377
45	महाराष्ट्र	खमगांव	1430	737
46	महाराष्ट्र	खापा	176	72
47	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	2206	761
48	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	2667	0
49	महाराष्ट्र	लातूर	0	0
50	महाराष्ट्र	लोनार	700	0
51	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	300
52	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	6
53	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	0
54	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	0
55	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	0

1	2	3	4	5
57	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	0
58	महाराष्ट्र	मालेगांव	1440	0
59	महाराष्ट्र	मल्कापुर	207	0
60	महाराष्ट्र	मोहपा	261	115
61	महाराष्ट्र	मोवाड	378	0
62	महाराष्ट्र	मुदखेड	810	0
63	महाराष्ट्र	मुर्तिजापुर	1003	84
64	महाराष्ट्र	नलदुर्ग	1206	316
65	महाराष्ट्र	नंदुरबार	1176	0
66	महाराष्ट्र	नरखेड	680	430
67	महाराष्ट्र	नरखेड	1603	0
68	महाराष्ट्र	नरखेड	1189	0
69	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	2399	0
70	महाराष्ट्र	पंढारकोडा	625	60
71	महाराष्ट्र	पर्तुर	800	0
72	महाराष्ट्र	पुर्रार	572	0
73	महाराष्ट्र	पौनी	76	6
74	महाराष्ट्र	पौनी	978	265
75	महाराष्ट्र	पाल्टन	895	0
76	महाराष्ट्र	पुलगांव	302	56
77	महाराष्ट्र	रहाता	672	0
78	महाराष्ट्र	राजुरा	777	0
79	महाराष्ट्र	रामटेक	265	0
80	महाराष्ट्र	रिसोड	1040	20

1	2	3	4	5
81	महाराष्ट्र	सांगली-मिरज-कुपवाड	175	0
82	महाराष्ट्र	सांगली मिरज-एंड कुपवाड	3798	0
83	महाराष्ट्र	सतारा	1473	0
84	महाराष्ट्र	सावनेट	566	40
85	महाराष्ट्र	सावंतर्वाडा	62	40
86	महाराष्ट्र	शहाडा	1020	0
87	महाराष्ट्र	शेंदुर्जनां	460	14
88	महाराष्ट्र	शिरडी	376	0
89	महाराष्ट्र	श्रीपुर-वारवाडे	440	0
90	महाराष्ट्र	श्रीरामपुर	1798	60
91	महाराष्ट्र	सिदखैड राजा	435	0
92	महाराष्ट्र	शोलापुर	1289	88
93	महाराष्ट्र	तासगांव	393	216
94	महाराष्ट्र	तिरोरा	557	402
95	महाराष्ट्र	तितोरा	551	266
96	महाराष्ट्र	तिरोरा	900	0
97	महाराष्ट्र	तिरोरा	946	0
98	महाराष्ट्र	तुमसर	234	59
99	महाराष्ट्र	उपरोह	276	0
100	महाराष्ट्र	उरार इस्लामपुर	503	108
101	महाराष्ट्र	विजयपुरम	1212	0
102	महाराष्ट्र	वाई	342	0
103	महाराष्ट्र	वर्धा	634	201
104	महाराष्ट्रं	वर्धा	360	192
105	महाराष्ट्र	वाशिम	1316	0

1	2	3	4	5
106	महाराष्ट्र	युवतपाल	1257	14
107	महाराष्ट्र	येवला	996	108
	कुल		99224	11472

मणिपुर (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	मणिपुर	बिस्णुपुर	375	0
2	मणिपुर	जिरिबम	288	24
3	मणिपुर	काकथिंग खुनोऊ	548	0
4	मणिपुर	मणिपुर (एम क्राप)	140	0
5	मणिपुर	मोरांग	663	0
6	मणिपुर	थऊबल	815	0

मेघालय (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	मेघालय	नोंगपोह	216	0
2	मेघालय	तुरा	456	48
3	मेघालय	विलियमनगर	240	0

मिजोरम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	मिजोरम	चेम्फाई	74	34
2	मिजोरम	चेम्फाई-2	376	96
3	मिजोरम	कोलासिब-1	50	25

1	2	3	4	5
4	मिजोरम	कोलसिब-2	250	175
5	मिजोरम	लुंगलेई	500	181
6	मिजोरम	मामित	150	55
7	मिजोरम	साइहा	200	73
8	मिजोरम	सर्छिप	350	112
		कुल	1950	751

नागालैंड (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	नागालैंड	दीमापुर	2496	430
2	नागालैंड	नागालैंड (वांबे)	265	0

उड़ीसा (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	उड़ीसा	अनुगुल	334	70
2	उड़ीसा	बौलंगीर	324	226
3	उड़ीसा	बोलांगीर	152	103
4	उड़ीसा	बालेश्वर	387	0
5	उड़ीसा	बारगढ़	732	267
6	उड़ीसा	बारीवदा	474	65
7	उड़ीसा	भद्रक	238	51
8	उड़ीसा	भद्रक	166	0
9	उड़ीसा	भवानीपटना	164	90

1	2	3	4	5
10	उड़ीसा	बीरामीतरपुर	200	84
11	उड़ीसा	बरहामपुर	1202	0
12	उड़ीसा	ब्रजराजनगर	177	33
13	उड़ीसा	व्यासनगर	1016	59
14	उड़ीसा	कटक	456	0
15	उड़ीसा	ढेंकानाल	613	279
16	उड़ीसा	जाजपुर	295	246
17	उड़ीसा	जटनी	72	0
18	उड़ीसा	जटनी	132	0
19	उड़ीसा	जेयपुर	323	5
20	उड़ीसा	झारसगुडा	786	158
21	उड़ीसा	केन्द्रपाड़ा	87	34
22	उड़ीसा	केंदुझुर	891	68
23	उड़ीसा	खरीर रोड	305	229
24	उड़ीसा	खोर्धा	91	0
25	उड़ीसा	मल्कनगिरी	236	2
26	उड़ीसा	नवरंगपुर	532	10
27	उड़ीसा	नयागढ़	226	64
28	उड़ीसा	पटलाखेमंडी	307	2
29	उड़ीसा	पाटनागड़	159	0
30	उड़ीसा	पुलबनी	157	0
31	उड़ीसा	राउरकेला	124	124
32	उड़ीसा	संबलपुर	90	27
33	उड़ीसा	सोनपुर	934	304

1	2	3	4	5
34	उड़ीसा	तालचर	155	0
		कुल	13365	2620

पुडुचेरी (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	पुडुचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	कैराइकल	432	0
	कुल		432	0

पंजाब (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	पंजाब	बरेटा	400	0
2	पंजाब	बरेटा	240	0
3	पंजाब	भटिंडा	592	0
4	पंजाब	भटिंडा	1328	0
5	पंजाब	भिखी	34	0
6	पंजाब	भिखी	3ळ2	0
7	पंजाब	बुढाल्डा	384	0
8	पंजाब	जालंधर	2311	0
9	पंजाब	जालंधर	1627	0
10	पंजाब	मनसा	240	0
11	पंजाब	मऊर	672	0
12	पंजाब	राजपुरा	720	0
13	पंजाब	सर्दुलगढ़	704	0
14	पंजाब	सर्दुलगढ़	400	0

राजस्थान (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	राजस्थान	अनुपगढ़	592	0
2	राजस्थान	असिंद	694	88
3	राजस्थान	बाली	523	67
4	राजस्थान	बालोत्रा	447	238
5	राजस्थान	बांसवाड़ा	217	0
6	राजस्थान	बारन	407	0
7	राजस्थान	बाड़मेर	1281	0
8	राजस्थान	भद्र	1332	0
9	राजस्थान	भवानीगढ़	114	97
10	राजस्थान	भीलवाड़ा	1704	1398
11	राजस्थान	भीनमाल	339	2
12	राजस्थान	बीकानेर	0	0
13	राजस्थान	बीकानेर	1216	1
14	राजस्थान	बिलारा	574	0
15	राजस्थान	छाबड़ा	312	48
16	राजस्थान	छोटी सद्री	380	0
17	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	540	198
18	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	433	1
19	राजस्थान	गंगापुर सिटी	151	3
20	राजस्थान	गुलाबपुरा	0	0
21	राजस्थान	हनुमानगढ़	651	300

1	2	3	4	5
22	राजस्थान	जैसलमेर	1042	0
23	राजस्थान	जैसलमेर	1497	0
24	राजस्थान	जैतराम	214	0
25	राजस्थान	जैलोर	291	0
26	राजस्थान	झालरपाटन	413	0
27	राजस्थान	जोधपुर	883	24
28	राजस्थान	जोधपुर	1832	55
29	राजस्थान	कैथून	327	0
30	राजस्थान	केकरी	871	0
31	राजस्थान	कोटा	1478	6
32	राजस्थान	कोटा	845	0
33	राजस्थान	निंबहेड़ा	1457	0
34	राजस्थान	पाली	2722	761
35	राजस्थान	फाल्ना	361	171
36	राजस्थान	फालोड़ी	764	99
37	राजस्थान	पीलीबंगा	244	0
38	राजस्थान	पिंडवारा	686	0
39	राजस्थान	पोखरन	787	74
40	राजस्थान	प्रतापगढ़	711	232
41	राजस्थान	रानी	19	14
42	राजस्थान	रावतभाटा	1439	0
43	राजस्थान	खातसर	1398	9
44	राजस्थान	सद्री	46	46
45	राजस्थान	सांचोर	390	0

1	2	3	4	5
46	राजस्थान	संगोड	442	0
47	राजस्थान	सवाई माधोपुर	976	313
48	राजस्थान	सिकर	556	256
49	राजस्थान	सोजत	196	36
50	राजस्थान	सुमेरपुर	529	2
51	राजस्थान	सूरतगढ़	1493	10
52	राजस्थान	तखतगढ़	635	0
53	राजस्थान	टोंक	136	136
54	राजस्थान	टोंक	384	0
55	राजस्थान	उदयपुर	1737	0

सिक्किम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	सिक्किम	सिंगटम	39	0
	कुल		39	0

तमिलनाडु (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	तमिलनाडु	अचरपक्कम	186	181
2	तमिलनाडु	अलमपलयम	143	108
3	तमिलनाडु	अरानी	139	124
4	तमिलनाडु	अरियालूर	378	123
5	तमिलनाडु	उरुपुकोट्टाई	879	265

1	2	3	4	5
6	तमिलनाडु	अवालपुनडुरई	90	56
7	तमिलनाडु	बोडिनयक्ककानुर	326	280
8	तमिलनाडु	चेन्नई (वांबे)	1443	354
9	तमिलनाडु	चिदंबरम	392	207
10	तमिलनाडु	कुनूर	395	254
11	तमिलनाडु	धरमपुर	188	257
12	तमिलनाडु	धरमपुरी	433	125
13	तमिलनाडु	दिंडिगुल	590	433
14	तमिलनाडु	ईरोड	454	274
15	तमिलनाडु	गंगावल्ली	140	112
16	तमिलनाडु	गोबिचेटिपल्लयम	177	101
17	तमिलनाडु	इडाप्पडी	225	377
18	तमिलनाडु	इनाम करूर	240	196
19	तमिलनाडु	कंबम	325	219
20	तमिलनाडु	कांचीपुरम	299	88
21	तमिलनाडु	कराईकुड्डी	195	156
22	तमिलनाडु	करूनगुझी	342	326
23	तमिलनाडु	करूरपुर	148	136
24	तमिलनाडु	करूर	185	158
25	तमिलनाडु	कोडइकनाल	67	67
26	तमिलनाडु	कोडइकनाल	900	545
27	तमिलनाडु	कोदुमुडी	75	29
28	तमिलनाडु	कोवलीपट्टी	112	80
29	तमिलनाडु	कृष्णागिरी	252	104

1	2	3	4	5
30	तमिलनाडु	कुहालुर	65	205
31	तमिलनाडु	कुमारपालयम	80	55
32	तमिलनाडु	कुंबाकोनयम	849	211
33	तमिलनाडु	लक्कमपटी	131	79
34	तमिलनाडु	ममलापुरम	320	317
35	तमिलनाडु	मनापुरई	120	119
36	तमिलनाडु	मन्नूरगुडी	69	69
37	तमिलनाडु	मेलूर	502	334
38	तमिलनाडु	मेट्टापलायम	72	41
39	तमिलनाडु	मेट्टूर	113	100
40	तमिलनाडु	मोहानूर	161	111
41	तमिलनाडु	नागापटिजमं	0	0
42	तमिलनाडु	नागरकोइल	214	167
43	तमिलनाडु	नामक्कलम	440	252
44	तमिलनाडु	नंदीवरम-गुडुवंचेरी	326	276
45	तमिलनाडु	पी. मेट्टूपल्लयम	78	59
46	तमिलनाडु	पी.एन. पट्टी	153	113
47	तमिलनाडु	पलापलायम	120	861
48	तमिलनाडु	पटटूकोटर्टइ	2143	385
49	तमिलनाडु	पेराम्बलूर	580	339
50	तमिलनाडु	पोल्लाची	1511	602
51	तमिलनाडु	पुदुकोट्टाई	2030	278
52	तमिलनाडु	आरपुडुपट्टी	153	61
53	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	277	184

1	2	3	4	5
54	तमिलनाडु	रानीपेट्टाई	121	90
55	तमिलनाडु	सलेम	1006	335
56	तमिलनाडु	सत्यमंगलम	250	260
57	तमिलनाडु	सीरापल्ली	121	60
58	तमिलनाडु	सिरकली	52	52
59	तमिलनाडु	शिवगंगा	155	106
60	तमिलनाडु	शिवाकासी	223	130
61	तमिलनाडु	श्रीपेरुम्बुदुर	370	290
62	तमिलनाडु	तंजावुर	1760	238
63	तमिलनाडु	थांथोनी	200	158
64	तमिलनाडु	थेडेवकर	115	72
65	तमिलनाडु	थेनीअल्लिनगरम	130	105
66	तमिलनाडु	तिरुवरूर	1226	236
67	तमिलनाडु	तुरूईवुर	602	1853
68	तमिलनाडु	तिरूचेंगोडे	422	141
69	तमिलनाडु	थिकीचरापली	1208	356
70	तमिलनाडु	थिरूकावकुदंरम	276	243
71	तमिलनाडु	थिकनेतावेली	2003	329
72	तमिलनाडु	तिरूपथुर	240	240
73	तमिलनाडु	थिकपुर	2060	2013
74	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाई	832	633
75	तमिलनाडु	तुर्ताकोटिन	500	576
76	तमिलनाडु	उदामेंडगलम	1082	1443
77	तमिलनाडु	उदुमलाईपेट्टाराई	160	749

1	2	3	4	5
78	तमिलनाडु	उथुकुली	61	743
79	तमिलनाडु	वनियमबाडी	105	132
80	तमिलनाडु	वीरागनूर	231	27
81	तमिलनाडु	वेलूर	86	97
82	तमिलनाडु	विलुप्पुरम	502	203
83	तमिलनाडु	विरूद्धनगर	676	42
84	तमिलनाडु	वलाजाबाद	506	138
		कुल	37585	22335

त्रिपुरा (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	त्रिपुरा	बेलोनिया	499	100
2	त्रिपुरा	रानीबाजार	651	366
3	त्रिपुरा	सोनामुरा	820	170
4	त्रिपुरा	तेलियामुरा	400	370
5	त्रिपुरा	उदयपुर	745	0

उत्तराखंड (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	217	0
2	उत्तराखंड	चंपावत	73	0
3	उत्तराखंड	दिनेशपुर	387	77
4	उत्तराखंड	हल्दवानी	501	0

1	2	3	4	5
5	उत्तराखंड	हल्द्वानी काठगोदाम	422	0
6	उत्तराखंड	जसपुर	48	44
7	उत्तराखंड	जसपुर	192	0
8	उत्तराखंड	कलागुंडी	290	154
9	उत्तराखंड	काशीपुर	428	176
10	उत्तराखंड	किच्छा	159	51
11	उत्तराखंड	लालकुआं	100	0
12	उत्तराखंड	लेठौरा	100	62
13	उत्तराखंड	लेंठोरा	264	0
14	उत्तराखंड	महुदाबरा	266	173
15	उत्तराखंड	महुखेरगंज	403	84
16	उत्तराखंड	मंगलौर	461	0
17	उत्तराखंड	मसूरी	96	0
18	उत्तराखंड	पौड़ी	178	48
19	उत्तराखंड	पिथोरागढ़	200	120
20	उत्तराखंड	श्रीनगर	53	19
21	उत्तराखंड	विकासनगर	194	0
		कुल	5032	1008

उत्तर प्रदेश (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर		स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3		4	5
1	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	इलामपुर	660	0
2	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	इंदिरानगर	558	0

1	2	3		4	5
3	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	जमालपुर मौफी	168	0
4	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	शंकरगढ़	407	0
5	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लाल गोपालगंज	396	0
6	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	कुरांव	209	0
7	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर नगर	किरछोआ	72	0
8	उत्तर प्रदेश	औरैया	बिधुवा	600	360
9	उत्तर प्रदेश	औरैया	बाबरपुर	180	96
10	उत्तर प्रदेश	औरैया	अचल्दा	132	56
11	उत्तर प्रदेश	औरैया	डिबियापुर	72	0
12	उत्तर प्रदेश	औरैया	फफूंद	60	32
13	उत्तर प्रदेश	औरैया	भेखमपुर	46	24
14	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	आजमगढ़	465	280
15	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	सराईमीर	144	0
16	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	बिलरियागंज	125.00	0
17	उत्तर प्रदेश	बदायूं	उझारी	128	96
18	उत्तर प्रदेश	बागपत	बरूत	206	148
19	उत्तर प्रदेश	बलिया	बलिया	313	0
20	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	उतरौला	60	24
21	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	पछपोरवा	48	10
22	उत्तर प्रदेश	बांदा	बिसंडा	96	92
23	उत्तर प्रदेश	बांदा	नारायणी	72	72
24	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	रामनगर	96	0
25	उत्तर प्रदेश	बरेली	सनोआ	160	0
26	उत्तर प्रदेश	बरेली	नवाबगंज	46	0

1	2	3		4	5
27	उत्तर प्रदेश	बस्ती	बस्ती	163	73
28	उत्तर प्रदेश	बहराइच	सालरगंज	336	0
29	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर	भदोही	360	0
30	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	झालू-2	266	178
31	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	अफजलगढ़	184	184
32	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	झालू	56	56
33	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	नेहतोर	48	48
34	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुंग्रासी	192	0
35	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	चतारी	112	64
36	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खानपुर	96	48
37	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुलंदशहर	750	0
38	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	बुगरासी-2	239.00	0
39	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	खुर्जा	119.00	0
40	उत्तर प्रदेश	चंदौली	मुगलसराय	273	0
41	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली	263	0
42	उत्तर प्रदेश	चंदौली	मुगलसराय	168	0
43	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चंदौली फे-2	168	0
44	उत्तर प्रदेश	चंदौली	चकिया	48	0
45	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	मानिकपुर	144	0
46	उत्तर प्रदेश	सीएसएम नगर	परदेसपुर	1028	0
47	उत्तर प्रदेश	सीएसएम नगर	मुसाफिरखाना	534.00	0
48	उत्तर प्रदेश	देवरिया	लार	1527	456
49	उत्तर प्रदेश	ऐटा	आवागढ़	96	0
50	उत्तर प्रदेश	ऐटा	ऐटा	96	0

1	2	3	4		5
51	उत्तर प्रदेश	ऐटा	निधुलिकलां	60	0
52	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंतपुर	240	72
53	उत्तर प्रदेश	इटावा	जसवंतपुर	228	32
54	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद	393	299
55	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	बीकापुर	84	44
56	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	गोसाईगंज	72	64
57	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	फैजाबाद	1197.00	0
58	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	मोहम्मदबाद	132	0
59	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद	72	0
60	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद	फतेहपुर	216	0
61	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	दादरी	637	325
62	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	जेवर	272	144
63	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	दादरी	216	216
64	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	रबुपुरा	72	72
65	उत्तर प्रदेश	जीबी नगर	दन्कौर	48	44
66	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1236	712
67	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	फरीदनगर	268	112
68	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	अर्भला	208	0
69	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	डासना	204	144
70	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	सादत	36	0
71	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	गाजीपुर	420	0
72	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	611	314
73	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	शाहनवाज	72	0
74	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	628	0

1	2	3		4	5
75	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	पीपी गंज	544.00	0
76	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर	कुरारा	132	0
77	उत्तर प्रदेश	हरदोई	गोपामऊ	144	0
78	उत्तर प्रदेश	हरदोई	संदीला	252ण00	0
79	उत्तर प्रदेश	जालौन	अरई	288	0
80	उत्तर प्रदेश	जालौन	कडुरा	156	0
81	उत्तर प्रदेश	जालौन	कालपी	120	0
82	उत्तर प्रदेश	झांसी	पिटहारे	144	0
83	उत्तर प्रदेश	जेपी नगर	अमरोहा	115	0
84	उत्तर प्रदेश	जेपी नगर	जोया	42	0
85	उत्तर प्रदेश	जेपी नगर	हासनपुर	36	0
86	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	चिबरमऊ	648	0
87	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्वा	528	0
88	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	तिर्वा	312	0
89	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	छिबरामऊ	240	0
90	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	सौरिखा	144	0
91	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	झिंझक	492	0
92	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	सिकंदरा	204	0
93	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	रसूलाबाद	216	0
94	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	शिवाली	132	0
95	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	डेरापुर	72	0
96	उत्तर प्रदेश	रामाबाई नगर	अमरोहा	72	0
97	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	बिठूर	108	108
98	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर	शिवराजपुर	132	112

1	2	3	4		5
99	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	अजुवा	144	0
100	उत्तर प्रदेश	कौशांबी	मंझानपुर	120	0
101	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर	अंबेडकर नगर	100	0
102	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर	मालवी नगर	81	0
103	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर	पडरौना	912.00	0
104	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	सिंगाही	108	0
105	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	गोला	120	0
106	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	पाली	144	0
107	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	महोना	762	500
108	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	काकोरी	629	493
109	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	मलिखाबाद	148	132
110	उत्तर प्रदेश	महराजगंज	महराजगंज	399	0
111	उत्तर प्रदेश	महोबा	महोबा	84	72
112	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	किस्नी	748	0
113	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	घिरोर	450.00	0
114	उत्तर प्रदेश	मथुरा	कोसीकला	384	75
115	उत्तर प्रदेश	मथुरा	नंदगांव	224	192
116	उत्तर प्रदेश	मथुरा	वृंदावन	276	252
117	उत्तर प्रदेश	मथुरा	गोकुल	88	88
118	उत्तर प्रदेश	मथुरा	महावर	72	72
119	उत्तर प्रदेश	मथुरा	छाता	48	48
120	उत्तर प्रदेश	मथुरा	राया	48	48
121	उत्तर प्रदेश	मऊ	मऊ	479.00	0
122	उत्तर प्रदेश	मेरठ	हस्तिनापुर	582	395

1	2	3		4	5
123	उत्तर प्रदेश	मेरठ	लावर	359	120
124	उत्तर प्रदेश	मेरठ	खरखौदा	96	30
125	उत्तर प्रदेश	मेरठ	हस्तिनापुर-2	306.00	0
126	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर	536	410
127	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	चुनार	216	184
128	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	मिर्जापुर	853	282
129	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	उमरिकला	306	0
130	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	ठाकुर द्वारा	210	0
131	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	भतवाली	196	0
132	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	मुरादाबाद	48	0
133	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	ठाकुर द्वारा	846.00	0
134	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	बनत	476	0
135	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	255.00	0
136	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	नुरिया	886	50
137	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	बेल्हा	676	290
138	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	अंतु	579	306
139	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ सिटी	531	270
140	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	कुंडा	272	0
141	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली	353	7
142	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली	100	100
143	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	लालगंज	246	0
144	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	बछरावन	284.00	0
145	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली-2	1031.00	0
146	उत्तर प्रदेश	राय बरेली	राय बरेली-3	429.00	0

1	2	3		4	5
147	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर	462	0
148	उत्तर प्रदेश	रामपुर	रामपुर	156	0
149	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर	456	260
150	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	सहारनपुर	208	48
151	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	बिस्वान	252	0
152	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	घोरावल	656	0
153	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	दुदी	451.00	0
154	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर	252	0
155	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	जवाहरनगर	72	0
156	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	हरिहरपुर	72	0
157	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	पटेलनगर	60	0
158	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	घासीगंज	116	55
159	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर	कोररिपुर	180.00	0
160	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	हैदराबाद	168	0
161	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	नवाबगंज	144	0
162	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उगू	120	0
163	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	उन्नाव	96	0
164	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	अकरमपुर	345.00	0

पश्चिम बंगाल (आईएचएसडीपी)

क्र.सं	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल रिहायशी मकान	पूर्ण कुल रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार	420	420
2	पश्चिम बंगाल	आरमबाग	522	130

1	2	3	4	5
3	पश्चिम बंगाल	अशोकनगर कल्याणगढ़	848	548
4	पश्चिम बंगाल	बदुरिया	516	422
5	पश्चिम बंगाल	बहरामपुर	168	0
6	पश्चिम बंगाल	बलूरघाट	790	629
7	पश्चिम बंगाल	बनगांव	767	154
8	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	415	147
9	पश्चिम बंगाल	बर्धमान	1629	1020
10	पश्चिम बंगाल	बसिरहाट	1069	801
11	पश्चिम बंगाल	बेल्डांगा	362	175
12	पश्चिम बंगाल	बीरनगर	300	300
13	पश्चिम बंगाल	बिष्णुपुर	364	0
14	पश्चिम बंगाल	बोलपुर	573	571
15	पश्चिम बंगाल	चकदाहा	887	885
16	पश्चिम बंगाल	चकदाहा	440	0
17	पश्चिम बंगाल	चंद्रकोना	350	318
18	पश्चिम बंगाल	कोटई	636	441
19	पश्चिम बंगाल	कूपर्सकैंप	450	289
20	पश्चिम बंगाल	देनहार	390	388
21	पश्चिम बंगाल	बाल्खोला	360	136
22	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	890	125
23	पश्चिम बंगाल	धुइलया	400	382
24	पश्चिम बंगाल	धुपगुरी	509	509
25	पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर	591	4
26	पश्चिम बंगाल	दिनहाटा	319	304

1	2	3	4	5
27	पश्चिम बंगाल	दुबराजपुर	416	356
28	पश्चिम बंगाल	ईग्रा	332	275
29	पश्चिम बंगाल	इंग्लिशबाजार	852	572
30	पश्चिम बंगाल	गंगारामपुर	685	601
31	पश्चिम बंगाल	गंगारामपुर	467	128
32	पश्चिम बंगाल	घाटल	352	163
33	पश्चिम बंगाल	गोबारदंगा	500	477
34	पश्चिम बंगाल	गुसकारा	450	171
35	पश्चिम बंगाल	हब्रा	896	420
36	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	645	624
37	पश्चिम बंगाल	हल्दिया	795	715
38	पश्चिम बंगाल	हल्दीबारी	304	304
39	पश्चिम बंगाल	इस्लामपुर	370	263
40	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	625	613
41	पश्चिम बंगाल	जांगीपुर	344	344
42	पश्चिम बंगाल	जांगीपुर	650	520
43	पश्चिम बंगाल	जोयनगर मंजिलपुर	225	89
44	पश्चिम बंगाल	झाल्दा	408	37
45	पश्चिम बंगाल	झाड़ग्राम	645	434
46	पश्चिम बंगाल	झाड़ग्राम	205	150
47	पश्चिम बंगाल	जियागंज आजिमगंज	593	583
48	पश्चिम बंगाल	जियागंज आजिमगंज	521	115
49	पश्चिम बंगाल	कलियागंज	400	288

1	2	3	4	5
50	पश्चिम बंगाल	कलियंपोगं	567	222
51	पश्चिम बंगाल	कल्ना	1060	1044
52	पश्चिम बंगाल	कांडी	555	376
53	पश्चिम बंगाल	कटवा	650	377
54	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर	272	118
55	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर	232	80
56	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर	306	126
57	पश्चिम बंगाल	खरार	300	153
58	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	632	498
59	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	320	0
60	पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर	640	298
61	पश्चिम बंगाल	शिरपाई	300	189
62	पश्चिम बंगाल	कुर्सियांग	565	362
63	पश्चिम बंगाल	माल	465	465
64	पश्चिम बंगाल	मथाभंग	181	179
65	पश्चिम बंगाल	मथाभंग	402	81
66	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	948	686
67	पश्चिम बंगाल	मेकलीगंज	294	271
68	पश्चिम बंगाल	मेमारी	621	610
69	पश्चिम बंगाल	मिरिक	423	183
70	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	497	257
71	पश्चिम बंगाल	नवद्वीप	735	170
72	पश्चिम बंगाल	ओल्डमाल्दाह	550	257

1	2	3	4	5
73	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया	611	162
74	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर	400	100
75	पश्चिम बंगाल	रायगंज	2000	1924
76	पश्चिम बंगाल	रामजीवनपुर	300	208
77	पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट	603	141
78	पश्चिम बंगाल	रामपुरहाट	155	155
79	पश्चिम बंगाल	रानाघाट	297	18
80	पश्चिम बंगाल	सैंथिया	340	325
81	पश्चिम बंगाल	शांतिपुर	357	24
82	पश्चिम बंगाल	सोनामुखी	200	188
83	पश्चिम बंगाल	सुरी	728	12
84	पश्चिम बंगाल	ताहिरपुर	390	374
85	पश्चिम बंगाल	ताकी	307	306
86	पश्चिम बंगाल	ताकी	504	119
87	पश्चिम बंगाल	तामलुक	456	186
88	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर	584	370
89	पश्चिम बंगाल	तूफानगंज	308	308
90	पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	1998	1396
91	पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	1206	839
92	पश्चिम बंगाल	सिलिगुड़ी	1859	315
93	पश्चिम बंगाल	पंसकुरा	498	480
94	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (वांबे)	75	–
95	पश्चिम बंगाल	बहनलहारी	330	322

आतंकवादियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान

148. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011 के दौरान कश्मीर घाटी में सेवा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के कुछ कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2011 के दौरान 31 अक्टूबर, 2011 तक लश्कर-ए-तैयबा के नौ अति वांछित आतंकवादी मारे गए हैं।

ताजमहल की स्थिति

149. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिपोर्टों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में ताजमहल के ध्वस्त हो जाने के खतरे के बारे में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त स्मारकों की नींव कमजोर और जर्जर हो गई है और गत वर्ष गुंबद के भागों में कुछ दरारें आ गई हैं और स्मारक के चारों ओर स्थित चार मीनारें झुकती जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विश्व प्रसिद्ध स्मारक के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) प्रिंट मीडिया के कुछ एक वर्ग में बिना किसी उपयुक्त वैज्ञानिक आधार के ऐसी आशंका जताई गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देहरादून, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद जैसी विभिन्न एजेंसियों की मार्फत कराये गए वैज्ञानिक अध्ययनों में नष्कर्ष निकाला है कि चारों मीनारों सहित यह स्मारक विन्यास योजना और उठान में बिल्कुल स्थिर है।

(ङ) मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए ताजमहल पर नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जाता है। आवश्यक अध्ययन द्वारा नियमित रूप से इस स्मारक की निगरानी की जाती है।

कृषि की उत्पादन लागत

150. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट मिली है कि खेती हेतु किसानों द्वारा वहन की जा रही उच्च उत्पादन लागत के क्या कारण पंजाब सहित देश में कृषि अव्यवहार्य बन गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए पंजाब में उगाई गई फसलों के लिए किसानों द्वारा वहन की गई आदान लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) खेती की बढ़ती हुई आदान लागत के प्रभाव का संतुलन उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को सनिश्चित करने के माध्यम से किया जाता हैं जो किसानों के पूंजी निवेश पर पर्याप्त मुनाफा प्राप्त करने के लिए उन्हें मदद करता है केन्द्र सरकार की एजेंसियां तथा राज्य स्तरीय निकायें बाजार में अपने प्रापण संचालनों के माध्यम से विशेषकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस समय अपने उत्पाद बेचने में किसानों की सहायता करते हैं जब उस जिंस के लिए बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाते हैं। सरकार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने तथा तत्पश्चात खेती की लागत को कम करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों तथा कृषि व्यवसायों यथा एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन, अभियान्त्रिकी, जल संरक्षण आदि को भी बढ़ावा देती है। तथापि, सरकार अनेक कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को सहायता के माध्यम से खेती की आर्थक संभाव्यता में भी सुधार करती है।

विवरण

2005-06 से 2008-09 के दौरान पंजाब के लिए आदान लागत की प्रवृत्तियों के ब्यौरे

(रुपए में)

फसलें/वर्ष		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कपास	ए2 + फएल/हे	20209.59	22358.93	23934.84	29047.10
	ए2 + एफएल/क्विं.	959.12	988.76	1079.78	1145.04
	सी2/हे.	33849.46	36865.64	40490.82	50828.83
	सी/2क्विं.	1606.12	1630.07	1826.48	2003.76
धान	ए2 + एफएल/हे.	17247.31	16955.21	18951.70	25154.75
	एफएल/क्विं.	280.16	266.53	275.63	372.07
	सी2/हे.	30007.47	30384.12	34781.20	45291.24
	सी2/क्विं.	487.28	477.42	505.92	669.89
गेहूं	ए2 + एफएल/हे.	14558.15	16253.66	17121.53	17945.58
	ए2 + एफएल/क्विं.	303.26	335.38	337.94	408.63
	सी2/हे.	26690.59	29946.95	32826.96	35423.48

लागत ए2 + एफ एल में मानव श्रम (पारिवारिक श्रम सहित), बैल श्रम, मशीनरी श्रम, बीज, उर्वरक तथा खाद सिंचाई प्रभार, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज तथा पट्टे पर ली गई भूमि के लिए अदा किये गये किराया पर हुए खर्च, शामिल है।

लागत सी2 में लागत ए2, पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य, स्वामित्व प्राप्त निर्धारित पूंजीगत परिसम्पतियों के मूल्य पर ब्याज, स्वामित्व प्राप्त भूमि के किराया मूल्य शामिल है।

शहरों के नामों में परिवर्तन

151. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्य में कुछ शहरों के नामों में परिवर्तन के संबंध में निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, मंत्रालय में संबंधित सरकार से शहरों/कस्बों के नामों में परिवर्तन करने के 30 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 29 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और एक प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कस्बों/शहरों के नामों में परिवर्तन करने के संबंध में प्राप्त मामलों की सूची

(उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर)

क्र.सं.	पुराना नाम	नया नाम	राज्य	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	टाऊन साहिबजादा अजीत सिंह नगर	अजीतगढ़	पंजाब	अनुमोदित
2.	टाऊन सुनाम	सुनाम ऊधम सिंह वाला	पंजाब	अनुमोदित
3.	टाउन नवांशहर	शहीद भगत सिंह नगर	पंजाब	अनुमोदित
4.	टाऊन मुक्तसर	श्री मुक्तसर साहिब	पंजाब	अनुमोदित
5.	टाउन फुलबनी	बौध और कौधामल	उड़ीसा	अनुमोदित
6.	टाउन सोनापुर	सुबरनपुर	उड़ीसा	अनुमोदित
7.	सिटी बॉम्बे	मुंबई	महाराष्ट्र	अनुमोदित
8.	सिटी मद्रास	चेन्नई	तमिलनाडु	अनुमोदित
9.	सिटी त्रिवेन्द्रम	थिरूवनंतपुरम	केरल	अनुमोदित
10.	टाउन क्वीलोन	कोल्लम	केरल	अनुमोदित
11.	टाउन त्रिचुर	थ्रुसूर	केरल	अनुमोदित
12.	टाउन अलेप्पी	अलापूझा	केरल	अनुमोदित
13.	टाउन पालघाट	पालक्काड	केरल	अनुमोदित
14.	टाउन कन्नानूर	कन्नूर	केरल	अनुमोदित
15.	टाउन तेलीचेरी	थालासेरी	केरल	अनुमोदित
16.	टाउन बाडागरे	वडाकरा	केरल	अनुमोदित
17.	टाउन परूर	परावूर	केरल	अनुमोदित
18.	टाउन अलवाए	अलूवा	केरल	अनुमोदित
19.	टाउन कोचीन	कोच्चि	केरल	अनुमोदित
20.	टाउन देवी कोलम	देवी कुलम	केरल	अनुमोदित

1	2	3	4	5
21.	टाउन चंगनचेरी	चंगनसेरी	केरल	अनुमोदित
22.	टाउन सिराथिंकिल	चिराथिंकीझू	केरल	अनुमोदित
23.	टाउन क्रेनागनोर	कुडुनगल्लूर	केरल	अनुमोदित
24.	टाउन मन्नारघाट	मन्नारकाड	केरल	अनुमोदित
25.	टाउन मननानटोड्डी	मनानथावाडी	केरल	अनुमोदित
26.	टाउन सुल्तान्स बैटरी	सुल्थानबाथरी	केरल	अनुमोदित
27.	टाउन गोटेगांव	श्रीघाम	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
28.	सिटी माहू	अम्बेडकर नगर	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
29.	सिटी भोपाल	भाजहपाल	मध्य प्रदेश	अनुमोदित
30.	सिटी कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	अनुमोदित

टी.वी. चैनलों को अनुमति

152. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में प्रचालन किए जा रहे समाचार और मनोरंजन टी.वी. चैनलों की भाषा-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने टी.वी. चैनलों ने विदेशी समाचार चैनलों के साथ सहयोग किया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को नये मनोरंजन और समाचार टी.वी. चैनलों के प्रचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के कितने निवेदन प्राप्त हुए साथ ही सरकार द्वारा स्वीकृत/अभी भी लम्बित निवेदनों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने नये चैनलों के प्रचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई मानदंड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मौजूदा अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग दिशानिर्देशों में संशोधित किए जाने के क्या कारण हैं और मौजूदा दिशानिर्देशों/मानदंडों को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) दिनांक 17.11.2011 तक स्थिति के अनुसर, दूरदर्शन के 35 चैनलों और 415 गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों सहित विभिन्न भाषाओं में 430 समाचार एवं समसामयिक विषयक सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को इस मंत्रालय के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमति दी गई है। इनका ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) इस मंत्रालय के अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, एफडीआई/एफआईआई/एनआरआई निवेशों सहित विदेशी इक्विटी किसी समाचार एवं समसामयिक विषयक (एनसीए) चैनल के लिए अनुमति प्राप्त करने की इच्छुक आवेदक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी के 26 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह मंत्रालय अनुमति-प्रदत्त समाचार एवं समसामयिक विषयक (एनसीए) चैनलों द्वारा विदेशी समाचार चैनलों के साथ सहयोग करने के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एन गैर-समाचार एवं समाचार टीवी चैनल संचालित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में सरकार को प्राप्त हुए अनुरोधों की संख्या को, सरकार द्वारा अनुमति-प्रदत्त अनुरोधों/उसके पास

अभी भी लंबित अनुरोधों की संख्या के साथ, श्रेणी-वार, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं

(घ) से (च) ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टी.वी. चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव तैयार किया था जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 7.10.2011 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिया गया हैं इन दिशानिर्देशों को विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करने के पश्चात इस मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2008 से दिनांक 21.11.2011 तक निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति:

विवरण	श्रेणी	2008	2009	2010	2011 (दिनांक 21 नवम्बर तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
प्राप्त आवेदन	समाचार	88	55	150	116	409
	गैर-समाचार	91	49	151	109	400
	कुल	179	104	301	225	809
प्रदत्त अनुमति	समाचार	50	43	90	18	201
	गैर-समाचार	86	44	87	22	239
	कुल	136	87	177	40	440
जांचाधीन	समाचार	38	12	60	98	208
	गैर-समाचार	05	05	64	87	161
	कुल	43	17	124	185	369

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ

153. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री प्रदीप माझी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011 के दौरान जम्मू-कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल मार दिए गए और गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घुसपैठियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मार्ग को चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्य में घुसपैठ तथा घुसपैठियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 2011 (31 अक्टूबर तक) के दौरान जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा 4 घुसपैठिये मारे गए और 5 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया।

(ख) और (ग) घुसपैठियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मार्ग कश्मीर घाटी में गुरेज, करनाह, नौगाम, माछल और केरन, जम्मू

क्षेत्र में केरी, कृष्णा घाटी, नौशेरा और पुंछ तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पर्गवाल, खौर, अखनूर साम्बा, आर एस पुरा हैं।

(घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार धुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण-रेखा और घुसपैठ के मार्गो पर बहु-स्तरीय एवं बहु-मॉडल तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार एवं उपकरण, उन्नत आसूचना एवं अभियान समन्वय, घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना के आदान प्रदान को सह-क्रियाशील बनाना, और राज्य के अन्दर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर धुसपैठ-रोधी कार्रवाइयों की आवधिक तौर समीक्षा की जाती है।

सरकार ने राज्य में शान्ति भंग करने के उग्रवादियों के प्रयासों एवं क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए विभिन्न आतंकवाद-रोधी तरीके अपनाए हैं। सरकार द्वारा युवाओं को मुख्यधारा में लाने तथा स्थानीय युवाओं को उग्रवादी कार्रवाइयों में शामिल होने से हतोत्साहित करने संबंधी नीतियो को भी प्रोत्साहन दिया गया है।

[हिन्दी]

जातिवाद में सम्मिलित एजेंसियां

154. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कट्टरवाद और जातिवाद के प्रचार में शामिल एजेंसियों के मौजूद होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन एजेंसियों के प्रति नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) (क) से (ङ): कट्टरवाद और जातिवाद के प्रचार में शामिल एजेंसियों के मौजूद होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार इसकी रोकथाम, उनका पता लगाने और जांच करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों का प्रावधान है। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपायों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की क्षमता में वृद्धि करती है जिसमें समाज के अधिकांश वर्गों में जागरूकता बढ़ाने और उनकी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने में सहायता मिलती है। भारत सरकार विभिन्न परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी समूहों की गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा किसी घटना की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर सलाह भी देती है।

आईएसआई द्वारा हिंसाः

155. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटर सर्विसिस इंटेलिजेंस (आई एस आई) द्वारा समर्थित कई संगठन देश में हिंसा फैलाने में सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कार्यकलापों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध आसूचना जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान स्थिति आतंकवादी संगठन (विशषकर लश्कर-ए-तैएबा (एल ई टी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिजबुल मुजाहिद्दीन (एचएम) इत्यादि आई एस आई से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) सरकार आतंकवाद, अतिवाद और अलगावाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योकि इसका कोई भी मामला, चाहे वह वास्तविक अथवा काल्पनिक जैसा भी हो, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। अतिबाद और आतंकवाद के खतरे से लिपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तादाद को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सीआईएफएफ की तैनाती करने के लिए, सीआईएसएफ अधिनियम में संशोधन, चेन्नई कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन एस जी हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन एस जी के कार्मिकों के अवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन एस जी

को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना ताकि वह अदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घन्टे प्रतिदिन (24x7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना; सीमाओं पर चौबीसों घन्टों नगरानी और गश्त लगाकर प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगााना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच ऐजेसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजन चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कतिपय अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

केले की खेती को प्रोत्साहन

156. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केले की खेती को प्रोत्साहन देने और निर्यात तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं की निगरानी हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के कृषि विभागों के बीच कोई समन्वय तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षो के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि किसानों तक नहीं पहुंचती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) सरकार बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन तथा विपणन को शामिल करके एक आद्योपांत प्रणाली सुनिश्चित करके राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) तथा पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनइएचएस), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) सकीमों के दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को क्रियान्वित कर रही हैं। एनएचएम, एचएमएनइएचएस, एलएचबी स्कीमों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, केला सहित विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। एनएचएम तथा एचएमएनइएच ग्रामीण मंडियों, थोक मंडियों तथा टर्मिनल मंडियों जैसी मंडियों की मूलभूत अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। वाणिज्य मंत्रालय में कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीइडीए) केला सहित बागवानी जिंसों के निर्यात के लिए अपनी स्कीमों के जरिए सहायता दे रहा है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के बागवानी तथा कृषि विभागों के द्वारा एनएचएम तथा एचएमएनइएच स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। एनएमएनएच की संचालन समिति के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से स्कीमें का निरीक्षण किया जाता है। स्कीमों के क्रियान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए आवधिक बैठकों को आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर, पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलइसी) स्कीमों की मानटरिंग करती है। इसके अतिरिक्त, स्कीमों की मानिटरिंग के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण खेती विकास केन्द्रों के सदस्यों सहित गठित संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) भी राज्यों तथा लाभानुभोगी क्षेत्रों का आवधिक दौरा करता है।

(ङ) स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थी किसानों की संख्या इन स्कीमों संकलित नहीं की गई है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

सीएसआईडीसी को अनुदान

157. **श्री जगदीश शर्मा:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितना अनुदान प्रदान किया गया; और

(ग) यदि नहीं तो कब तक राशि जारी जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) जी हां। संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत, सभी राज्य नोडल एजेंसियों को वार्षिक आधार पर आवर्ती/ अनावर्ती अनुदान सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी), छत्तीसगढ़ की राज्य नोडल को गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए एस एन ए अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2008-09	2.50 लाख रुपए का आवर्ती अनुदान
2010-11	5.00 लाख रुपए का आवर्ती अनुदान

इस मंत्रालय को वर्ष 2011-12 के आवर्ती/अनावर्ती अनुदान की निर्मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अवसंरचना विकास स्कीम, खाद्य पार्क घटक के अंतर्गत, इस मंत्रालय ने राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़ में खाद्य पार्क की स्थापना के लिए 31.02.2002 को अनुमोदित 4.00 करोड़ रुपए की राशि में से 2.00 करोड़ रूपए की राशि सीएसआईडीसी और इसके सह-प्रमोटर को जारी की थी।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

158. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और सुझावों हेतु सरकारों को भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत दो दशक के दौरान राज्य-वार पशुधन के विकास हेतु आरंभ की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(च) इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पशुधन नीति राज्यों को विभिन्न राज्य विशिष्ट कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश उपलब्ध कराएगी ताकि पशु उत्पादकता में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के वास्ते उपयुक्त प्रौद्योगिकियां शामिल करने, विपणन लिंकेज, विस्तार सेवाओं, संस्थानों की पुनर्सरंचना और अधिक निवेश के संदर्भ में समर्थन तथा उसे बनाए रखने प्रस्तावित राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देशयों को पूरा किया जा सके। प्रस्तावित राष्ट्रीय पशुधन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) पशुधन उत्पादकता बढ़ाने और उन बाधाओं को दूर करना जो उत्पादकता में रूकावट डालते हैं।

(2) एक दशक के भीतर पशु प्रोटीन की उपलब्धता को 10 ग्राम प्रति व्यक्ति के मौजूदा स्तर को बढ़ाकर 20 ग्राम प्रति व्यक्ति करके दुगुना करना।

(3) छोटी जोत प्रणाली से संबंधित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की समझ में सुधार करना और छोटी खेती उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए उपयुक्त विस्तार मॉडलों का विकास।

(4) प्रत्येक पशुधन प्रजाति के लिए प्रजनन नीति तैयार करना जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करना है।

(5) गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए समूची खाद्य चेन में गुणवत्ता,आश्वासन उपलब्ध कराना।

(6) प्राकृतिक आपदाओं और रोग के प्रकोपों से संबंधित आकस्मिक योजना तैयार करना जिसमें उपयुक्त बीमा पैकेज भी शामिल होंगे।

(7) पशुचिकित्सा स्नातकों, सहायक स्टाफ तथा किसानों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के लिए शिक्षा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।

(8) पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने तथा पशुधन और पशुधन उत्पादों की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए प्रमुख पशु रोगों को उन्मूलन और नियंत्रण।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय पशुधन नीति के प्रारूप को टिप्पणियां/अनुमोदन के लिए सभी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सर्कुलेट किया गया था और इसे राज्यों के पशुपालन मंत्रियों के 13 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न सम्मेलन में रखा गया था। उक्त सम्मेलन में इस पर सर्वसमिति से सहमति हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय पशुधन नीति संबंधी मंत्रिमंडल नोट के प्रारूप को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/योजना आयोग को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। राष्ट्रीय पशुधन नीति में प्रक्षेपणों को अद्यतन किया जा रहा है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा पशुधन के विकास के लिए कोई विशिष्ट परियोजना शुरू नहीं की गई थी। इसके बावजूद पशुधन के विकास का सुनिश्चत करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों की गतिविधियों की प्रतिपूर्ति करती है। इस प्रकार की योजनाएं मांग आधारित हैं और राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना सीमा के भीतर जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक/पर्यटन स्थलों के संबंध में कार्यक्रम

159. श्री वैजयंत पांडा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन चैनलों पर ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के स्थलों की विरासत को दर्शाने वाले नए कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा सहित देश के विरासत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है जिनका इस प्रयोजन हेतु वृत्तचित्र बनाया गया है; और

(घ) दूरदर्शन चैनल पर उक्त कार्यक्रम कब तक प्रसारित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन (राष्ट्रीय) और उसके क्षेत्रीय चैनल समय-समय पर ऐतिहासिक एवं पर्यटक महत्व के विरासत स्थलों को दर्शाने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। वर्ष 2010 व 2011 के दौरान डीडी नेशनल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रसारण किया है:

क्र.सं.	कार्यक्रम	धारावाहिक-कड़ियों (एपिसोडों) की संख्या
1.	संस्कृयुिदे श्रुतिलायंगेल/सर्वजन प्रार्थनालय "(भार में सार्वजनिक पूजा केन्द्र)"	22 एपिसोड
2.	भारत के किले	26 एपिसोड

उक्त कार्यक्रम डीडी नेशनल पर प्रत्येक रविवार को क्रमश- प्रात: 6.30 बजे तथा रात्रि 8.30 बजे प्रसारित किए गए।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कार्यक्रमें के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विरासत केन्द्र कवर किए गए। दूरदर्शन उड़िया के संदर्भ में कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर द्वारा धरोहर और संस्कृति पर निर्मित वृत्तचित्रों की सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	हेरिटेज विलेज रघुनाथपुर
2.	संस्कृति पर वृतचित्र
3.	शक्ति पीठ घंटेश्वरी
4.	ललित गिरि/रतनागिर
5.	हुमा (झुका हुआ मंदिर)
6.	कोणार्क: सूर्य भगवान का रथ मंदिर
7.	ओडिशा के मंदिर

1	2
8.	ओडिशा पर्यटन
9.	ओडिशा के ऐतिहासिक स्थल
10.	ओडिशा का वन और पर्यावरण
11.	रानीपुर झरियल (पर्यटन स्थल)
12.	नृसिंहनाथ/हरिशंकर
13.	चिल्का (पक्षी अभयारण्य)
14.	भीतर कानिका/चांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य
15.	कांतिलो नीला माधव
16.	पारादीप बंदरगाह
17.	श्रीक्षेत्र पुरी

[हिन्दी]

शहरी परिवहन व्यवस्था

160. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में मैट्रो जैसी व्यवहार्य और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था आरम्भ कर शहरी परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वर्तमान परिवहन प्रणाली में सुधार हेतु वित्तीय रूप से व्यवहार्य और शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कोई दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है और इस प्रायोजन हेतु निधियां जुटाने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 तैयार की है। जिसमें निजी वाहन प्रणाली की तुलना में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) में सार्वजनिक प्रणाली में निवेश को प्राथमिकता देने, पैदलीकरण तथा गैर-मोटरीकृत परिवहन, भू-उपयोग और परिवहन एकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन प्रणालियों, परिवहन मांग प्रबंधन आदि का उल्लेख है। उक्त नीति में व्यवहार्यता अंतराल निधियन जो कि परियोजना की पूंजीगत लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत के अध्यधीन है, के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत सहायता का भी उल्लेख है।

(ङ) वर्ष 2008 में मैसर्स विलम्बर स्मिथ एसोसिएट प्राइवेट लि. के जरिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए हाल के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक 87 चिन्हित शहरों में शहरी परिवहन के लिए मोटे तौर पर 4,35,380 करोड़ रूपए का कुल निधियां अपेक्षित हैं।

गन्ना उत्पादन

161. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गन्ने के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी नहीं, महोदया। वर्ष 2011-12 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में गन्ने को उत्पादन 342.20 मिलियन टन तक अनुमानित है जो बढ़कर 2010-11 (चौथे अग्रिम अनुमान) के 339.17 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 3.03 मिलियन टन अधिक है। विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात 2011-12 के दौरान गन्ना उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ग) गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, राज्य की प्राथमिकताओं एवं अपेक्षाओं के आधार पर राज्यों को

और अधिक नम्यता प्रदान करने तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म कृषि प्रबंधन मोड के तहत "गन्ना आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों का सतत विकास (सुबाक्स)" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शामिल किया गया है। इसका क्रियान्वयन विभिन्न गन्ना उत्पादक राज्यों में किया गया है।

योजना का मुख्य जोर क्षेत्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकीयों का अन्तरण, किसानों को प्रशिक्षण, फार्म औजारों, की आपूर्ति, गुणन, लघु ड्रिप सिंचाई अन्त:सिंचाई अन्त:संरचना आदि पर है।

विवरण

गन्ना उत्पादन के राज्यवार अनुमान

राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन')			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12**
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	15380.0	11708.0	14784.0	14040.0
अरूणाचल प्रदेश	23.4	27.1	#	#
असम	1099.7	1059.0	1097.0	984.0
बिहार	4959.9	5032.6	15000.0	11447.2
छत्तीसगढ़	25.4	29.2	21.8	51.7
गुजरात	15510.0	12400.0	14240.0	13015.0
गोवा	49.3	52.3	#	#
हरियाणा	5130.0	5335.0	5987.0	7102.0
हिमाचल प्रदेश	53.1	45.6	38.3	28.3
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0
झारखंड	348.8	447.0	457.3	457.3
कर्नाटक	23328.0	30443.0	37595.0	39710.0
केरल	275.5	285.0	2667.0	2859.0
मध्य प्रदेश	2975.0	2535.0	2667.0	2859.0
महाराष्ट्र	60648.0	64159.0	78838.0	83416.0
मणिपुर	21.3	21.3	#	#
मेघालय	0.3	0.2	#	#
मिजोरम	13.7	12.4	#	#
नागालैंड	185.8	152.9	#	#
ओडिशा	646.2	489.9	902.7	607.9

1	2	3	4	5
पंजाब	4670.0	3700.0	4170.0	5100.0
राजस्थान	388.2	344.5	360.9	319.7
तमिलनाडु	32804.4	29745.6	34292.0	30030.0
त्रिपुरा	51.7	44.9	#	#
उत्तर प्रदेश	109048.0	117140.0	120555.0	123901.0
उत्तरांचल	5590.0	5842.0	6516.0	7186.0
पश्चिम बंगाल	1638.3	1000.8	1100.0	1450.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.0	2.0	#	#
पुदुचेरी	162.3	247.3	#	#
अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	435.3	425.3
अखिल भारत	285029.3	292301.6	339167.6	342197.4

*19.07.2011. को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

*13.10.2011. को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान

#अन्यों में शामिल, लागू नही

आईपीएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल

162. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आपात सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की विषय-वस्त और गुणवत्ता से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रशिक्षण माड्यूल/कार्यक्रम की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सेवा छोड़ने वाले आईपीएस अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारियों को सेवा छोड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों, जिन्हें पांच स्तरों पर अनिवार्य प्रशिक्षण और सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, के प्रशिक्षण की विषयवस्तु और गुणवत्ता को उत्कृष्ट स्तर का बनाने हेतु, उनके प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व देती है।

(ग) और (घ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों और कार्यक्रमों की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए हाल के वर्षो में जंगल-युद्धकला, रणनीतियों, साइबर अपराधों, विधि-विज्ञान जैसे विषयों को जोड़ा गया है।

(ङ) और (च) वर्ष 2008, 2009 और 2010 में क्रमशः 12, 10 और 8 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों ने त्यागपत्र दिया हैं आई पी एस कैडर में सेवा-छोड़ने की समस्या से निपटने के लिए राज्य कैडरों की क्षमता और उनके संघटन की समीक्षा की गई है, नियमित भर्ती अधिकारियों के वार्षिक बैच आकार को बढ़ाकर 150 किया गया है और

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा योजना के माध्यम से आई पी एस अधिकारियों की भर्ती का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

सीपीएमएफ में भर्ती कोटा

163. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) में भर्ती के लिए देश के ग्रामीण, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों से कोई कोटा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित बल और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में भर्ती के लिए विहित कोटा भरा गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने कर्मियों की राज्य-वार और बल-वार भर्ती की गई है;

(ङ) क्या सरकार का देश के जनजातीय ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में सीपीएमएफ के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ग) इस आधार पर कोई कोटा नियत नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीपीएमएफ द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग

164. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) द्वारा तलीशी, जब्ती तथा लोगों को गिरफ्तार करने में शक्तियों के दुरूपयोग से संबंधित अनेक मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है और पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बल-वार दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का उग्रवाद तथा नक्सल रोधी अभियान हेतु तैनात सीमा सुरक्षा बलों को ऐसी शक्तियां प्रदान करने प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं कि सीपीएमएफ द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) किसी भी केन्द्रीय सैनिक बल (सीपीएमएफ) द्वारा तलाशी, जब्ती और गिरफ्तार करने में शक्तियों का दुरूपयोग करने का कोई मामला गृह मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 4 और 139 को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा अधिनियम में एक सामर्थकारी प्रावधान किया जा रहा है ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो संबंधित राज्य सरकार की सहमति से तलाशी, जब्ती और गिरफ्तार करने की ऐसी शक्तियां उग्रवाद रोधी एवं नक्सल-रोधी अभियानों के लिए तैनात किए गए बी एस एफ कार्मियों को प्रदान की जा सकें। इस प्रयोजनार्थ, सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011 नामक एक विधेयक दिनांक 18.8.2011 को राज्य सभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने, अपनी 154वीं रिपोर्ट में विधेयक को किसी परिवर्तन के बगैर स्वीकार कर लिया है और विधेयक को पारित करने की सिफारिश की है। प्रस्तावित विधेयक को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किए जाने की सम्भावना है। एस एस बी और आई टी बी पी के अधिनियमों में ऐसे सामर्थकारी प्रावधान पहले से ही विद्यमान हैं।

(ङ) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सी ए पी एफ को विनियमित करने वाले अधिनियमों और नियमों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में ऐसे पर्याप्त प्रावधान/सुरक्षोपाय विद्यमान हैं जिनमें शक्तियों का किसी प्रकार का दुरूपयोग करने वाले बल कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक इकाइयों को भूमि

165. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंद लघु औद्योगिक इकाइयों को भूमि आबंटित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज का तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन या अनुरोध प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) कतिपय नए औद्योगिक क्षेत्रों में इन लघु औद्योगिक इकाइयों को कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवस्थापना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के पास ऐसा कोई नया प्रस्ताव न तो लंबित है अथवा विचाराधीन है। उद्योगों की पुरानी पुनर्स्थापना स्कीम के अंतर्गत रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार/डीएसआईआईडीसी द्वारा स्कीम के अनुसार आबंटन हेतु पात्र पाए औद्योगिक इकाईयों को पहले ही 22492 वैकल्पिक औद्योगिक प्लाट/फ्लैट आबंटित किए जा चुके थे। आज की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत मात्र 189 पात्र इकाईयां ही प्रतीक्षारत हैं।

(ग) से (ङ) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उपर्युक्त स्कीम के तहत अस्वीकृत मामलों पर पुन: विचार हेतु समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों/संगठनों/व्यक्तियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं निन्होंने पुनर्स्थापना स्कीम 1996 के तहत आवेदन किया था और विशेष रूप से उल्लिखित दस्तावेजों द्वारा यह सिद्ध करने में सफल रहे थे कि उनकी इकाईयां 19.4.1996 से पूर्व गैर-अनुरूप (नॉन कांफोर्मिग) क्षेत्र/रिहायशी क्षेत्र में स्थापित थीं और अंतिम तिथि से पूर्व मानदण्डों का उल्लंघन किया था, स्कीम के तहत उनको औद्योगिक प्लाट आबंटित किए गए हैं तथा आबंटन हेतु कुछ ही प्रतीक्षारत हैं। अभी अस्वीकृत मामलों पर पुन: विचार करने का न तो कोई प्रस्ताव है और नहीं पुनर्स्थापना के लिए कोई नई स्कीम विचारधीन है।

[अनुवाद]

भूमि आवंटन

166. श्रीमती जे. शांता: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक निकायों/जन सुविधा सेवाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाती है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मदर डेयरी, अस्पतालों, विद्यालयों आदि को भूमि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे आवंटनों की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) सरकार, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को रियायती दरों पर भूमि आबंटित करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) 68 मदर डेयरी के बूथ और छह निजी अस्पतालों के लिए भूमि आबंटित की गई है। विभिन्न स्कूलों को 231 भू-खंड आबंटित किए गए हैं।

(घ) संबंधित आबंटन पत्रों में आबंटन की निबंधन एवं शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि का प्रीमियम प्रभार, वार्षिक भू-किराया और दुरूपयोग के विरुद्ध धारा शामिल हैं।

अवैध अतिथि गृह

167. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने अवैध अतिथि गृह हैं;

(ख) कितने अतिथि गृहों के पास एमसीडी/एनडीएमसी/डीडीए/डीसीपी (लाइसेंसिंग) द्वारा जारी वैध लाइसेंस हैं और कितने अतिथि गृहों के पास कोई लाइसेंस नहीं हैं;

(ग) क्या अधिकांश अतिथि गृह अवासीय उद्देश्यों के लिए बने भवनों में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

168. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगले दक्षिण एशियाई खेलों और साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अब तक तैयार किया गया ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित, आवंटित और व्यय की गई धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां। ढाका, बांग्लादेश में 2010 में आयोजित 11वें संस्करण के बाद भूटान ने खेलों के आयोजन पर अपनी असमर्थता व्यक्त की है। दक्षिण एशियाई देशों के वर्णक्रम में अगला होने के कारण 12वें दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी करने की बारी भारत की है।

(ख) दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद भारतीय ओलंपिक परिषद के अनुच्छेद 12(40) के अनुसार राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात भारतीय ओलंपिक संघ की यह जिम्मेदारी है कि वह खेलों का आयोजन करे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्वयं खेलों का आयोजन कर सकती है या यह प्राधिकार किसी आयोजन समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। देश के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय समिति होने के कारण उससे खेलों के संचालन के बारे में ब्यौरे तैयार करने की अपेक्षा है।

(ग) अब तक इस प्रयोजन के लिए कोई राशि आबंटित/रखी या खर्च की गई है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ से प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

खाद्य मुद्दों पर बैठक

169. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने खाद्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय से बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) खाद्यान्नों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकारों से मंत्रालय में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और चीनी की खरीद, आवंटन, भंडारण, वितरण और ढुलाई जैसे खाद्यान्नों संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनेक सम्मेलन और समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

[हिन्दी]

बागवानी उत्पाद का परिरक्षण

170. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में बागवानी उत्पादों में कटाई उपरांत हानियों का वर्तमान प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन उत्पादों में कटाई उपरांत बड़े पैमाने पर हुई हानियों के कारणों का हाल ही में विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं सहित बागवानी उत्पादों के परिरक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) कृषि

उपजों की फसल हानियों एवं फसलोत्तर हानियों का केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी की संस्थान (सीआईपीएचईटी) द्वारा व्यापाक मात्रात्मक किया गया है। 21 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित अध्ययन रिर्पोट के अनुसार, चयनित फसलों में हानियां निम्नानुसार हैं:

क्षेत्रक का नाम	हानियां (% में)
चयनित अनाज	3.9 से 6.0 तक
दालें	4.3 से 6.1 तक
तिलहन	2.8 से 10.1 तक
चयनित फल एवं सब्जियां	5.8 से 18.0 तक

(ख) और (ग) खण्डित आपूर्ति श्रृंखला तथा मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ पर्याप्त प्रसंस्करण अवसंरचना के अभाव के कारण देश में प्रसंस्करण स्तर बिल्कुल कम है।

(घ) बागवानी उपज प्रसंस्करण सहित शीघ्र सड़ने वाले पदार्थो के परिक्षण में नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम लागू है। स्कीम में देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार हेतु वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय उद्यमियों को संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रूपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीत श्रृंखला सुविधाओं, मूल्य वृद्धि एवं परिक्षण अवसंरचना की स्थापना को प्रोत्साहन दे रहा है जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर तथा दुर्गम में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

जलापूर्ति और जल-मल व्ययन प्रणाली

171. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री अब्दुल रहमान:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 50 प्रतिशत शहरों और कस्बों की जलापूर्ति, जल-मल व्ययन प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्टॉर्म-वॉटर ड्रेनेज आदि जैसी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों और कस्बों का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जहां पाइप द्वारा जलापूर्ति, जन-मल व्ययन प्रणाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्टार्म-वाटर ड्रेनेज या तो मौजूद नहीं हैं या खस्ता हाल हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का एक कार्य-योजना तैयार करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरी क्षेत्रों में अवसंरचनाओं का उन क्षेत्रों में जनसंख्या विकास की रफ्तार के मद्देनजर विकास हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य का विषय है और ऐसी सेवाओं को मुहैया कराना और बनाये रखना राज्य सरकार का दायित्व है। ऐसे ब्यौरों का रख-रखाव भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के दो घटकों यथा शहरी अवस्थापना और शासन घटक तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की स्कीमों के घटक को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पर्याप्त अवसंरचनाओं के साथ सभी शहरों और कस्बों को शामिल करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा हैं जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 10 प्रतिशत की एकमुश्त स्कीम, सेटेलाइट कस्बों के अवसंरचनात्मक विकास की स्कीम। इन सभी स्कीमों में, जल और सीवरेज क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन स्कीमों के तहत स्वीकृत जल आपूर्ति और स्वच्छता स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III, IV और V पर हैं।

विवरण I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)-यूआईजी (शहरी अवस्थापना और शासन)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	जल आपूर्ति	147	1923171.46
2.	सीवरेज	108	1462411.22
3.	ठोस कचरा प्रबंधन	41	202417.69
4.	बरसाती पानी निकास	71	824903.82

विवरण II

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)-यूआईडीएसएसएमटी (छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास की स्कीम)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	जल आपूर्ति	438	8448.39
2.	सीवरेज	97	2894.04
3.	ठोस कचरा प्रबंधन	56	342.02
4.	बरसाती पानी निकास	64	729.76

विवरण III

पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एन ई आर यू डी पी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	जल आपूर्ति	4	4690.00
2.	सीवरेज	0	0
3.	ठोस कचरा प्रबंधन	2	1891.00
4.	बरसाती पानी निकास	0	0

विवरण IV

सेटेलाइट कस्बों में शहरी संरचना विकास स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति (यूआईडीएसएसटी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	जल आपूर्ति	4	19455.41
2.	सीवरेज	3	16010.19
3.	ठोस कचरा प्रबंधन	4	6779.96
4.	बरसाती पानी निकास	0	0

विवरण V

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	जल आपूर्ति	23	18378.72
2.	सीवरेज	शून्य	000.0
3.	ठोस कचरा प्रबंधन	5	1670.52
4.	बरसाती पानी निकास	18	18533.21

दलहनों का उत्पादन

172. **श्री नित्यानंद प्रधान:**
श्रीमती जे. शांता:
श्री रूद्रमाधव राय:
चौधरी लाल सिंह:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री प्रदीप माझी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री रायापति सांबासिवा:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दलहनों तथा तिलहनों का उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट का रूझान दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कमी का ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश में दलहनों और तिलहनों की पैदावार को बढ़ाने के लिए कलस्टर दृष्टिकोण/आकस्मिक योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त आकस्मिक योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियों का अतिरिक्त आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सहायता हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान दलहन का उत्पादन 14.57 मिलियन टन से बढ़कर 18.09 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन भी इसी अवधि के दौरान 27.72 मिलियन टन से बढ़कर 31.10 मिलियन टन हो गया। उपलब्धता के संदर्भ में खाद्य तेल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2007-08 के दौरान 11.4 किलोग्राम/वर्ष से बढ़कर वर्ष 2009-10 के दौरान 13.1 किलोग्राम/वर्ष हो गई है। तथापि दलहन के मामले में वर्ष 2008 के दौरान उपलब्धता 15.3 किलोग्राम/वर्ष से घटकर वर्ष 2010 के दौरान 11.6 किलोग्राम/वर्ष हो गई है। दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी मुख्यत: जनसंख्या वृद्धि की अनुपात के तुलना में दलहन उत्पादन की निम्न वृद्धि दर के कारण है।

(ग) और (घ) भारत सरकार विभिन्न फसल विकास अर्थात दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएमदलहन), समेकित तिलहन, दलहन आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम), बृहत कृषिप्रबंधन (एमएमए), वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का समेकित विकास और देश के प्रमुख दलहन और तिलहन उत्पादक राज्यों में आरकेवीवाई के तहत आयलपाम क्षेत्र विस्तार (ओपीएई) पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से समूह दृष्टिकोण में दलहन और तिलहन के उत्पादन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

(ङ) और (च) अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज के माध्यम से रबी मौसम के दौरान दलहन के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन एनएफएसएम-दलहन के तहत किया गया है और राज्यों द्वारा तैयार आकस्मिकता योजना के आधार पर राज्यों को निर्मुक्त किया गया।

खाद्यान्नों की खरीद

173. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:**
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाजों सहित खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि हुई है/वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उक्त जिन्सों की खरीद को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान खरीद में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के लिए रबी विपणन मौसम 2010-11 के दौश्रान 225.14 लाख टन गेहूं खरीदा गया था जबकि रबी विपणन मौसम 2011-12 के दौरान 281.44 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इसी प्रकार खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के दौरान 341.79 लाख टन चावल खरीदा गया था। अनुमान है कि खरीफ विपणन मौसम 2011-12 के दौरान 353.15 लाख टन चावल खरीदा जा सकता है जिसके प्रति 16. 11.2011 तक 101.04 लाख टन चावल खरीद लिया गया था।

पिछले 3 वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के ब्यौरे संलग्न विवरण क्रमश: I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) खरीदारी में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:-

(i) खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में खरीदे जा रहे फसल वर्ष 2011-12 के साधारण और ग्रेड-ए धान के लिए 1080 रूपये प्रति क्विंटल और 1110 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया हैं रबी विपणन मौसम 2010-11 के लिए गेहूं हेतु 1120 रूपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल के बोनस के अनुमति दी गई थी। फसल 2011-12 के गेहूं, जिसकी खरीददारी रबी विपणन मौसम 2012-13 में की जाएगी, के लिए 1285 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

(ii) धान/चावल और गेहूं की खरीददारी के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले गए हैं।

(iii) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच का लघु और सीमांत किसानों तक विस्तार करने के लिए सहकारी समितियों और स्वयं सेवी समूहों के लिए धान हेतु 2.5% और गेहूं हेतु 2% की दर पर कमीशन प्रभारों की अनुमति दी गई हैं।

(iv) भारतीय खाद्य निगम और राज्यों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे किसानों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर क्रय केन्द्र खोले जहां वे सरकारी खरीददारी के लिए अपने उत्पाद ला सकें।

विवरण I

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन मौसम में गेहूं की खरीद (अप्रैल-मार्च)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
बिहार	500	497	183	477
चंडीगढ़	10	12	9	7
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दिल्ली	6	0	10	8
गुजरात	415	75	1	105
हरियाणा	5237	6924	6347	6891
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	1	नगण्य	1
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0
झारखंड	2	नगण्य	नगण्य	0
मध्य प्रदेश	2410	1968	3539	4894
महाराष्ट्र	10	0	0	
पंजाब	9941	10725	10209	10957
राजस्थान	935	1152	476	1302
उत्तर प्रदेश	3137	3882	1645	3460
उत्तराखंड	85	145	86	42
पश्चिम बंगाल	0	0	9	0
कुल	22689	25382	22514	28144

नगण्य: 500 टन से कम

* 01.08.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण II

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन मौसम में चावल की खरीद (अक्तूबर-सितम्बर)

(हजार टन में)

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	#2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9058	7555	9610	106
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	3	8	16	0
बिहार	1083	890	882	0
चंडीगढ़	10	14	10	13
छत्तीसगढ़	2848	3357	3741	0
दिल्ली	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	नगण्य
हरियाणा	1425	1819	1687	1931
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
जम्मू और कश्मीर	7	0	11	0
झारखंड	143	23	नगण्य	0
कर्नाटक	107	86	180	0
केरल	237	261	263	81
मध्य प्रदेश	247	255	502	1
महाराष्ट्र	261	229	308	4
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	2801	2497	2465	0
पुदुचेरी	8	8	40	नगण्य

1	2	3	4	5
पंजाब	8554	9275	8635	7604
राजस्थान	11	0	0	0
तमिलनाडु	1201	1241	1543	239
उत्तर प्रदेश	4007	2901	2554	115
उत्तराखंड	349	375	422	10
पश्चिम बंगाल	1744	1240	1310	0
अखिल भारत जोड़	34104	32034	34180	10104

नगण्य: 500 टन से कम

30.09.2011 की स्थिति के अनुसार (17.11.2011 को अद्यतन)

* 17.11.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण III

गत चार वर्षों के लिए मोटे अनाजों की राज्यवार और विपणन मौसमवार खरीद

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	*2010-11	*2011-12
आंध्र प्रदेश	178	7	0	0
छत्तीसगढ़	9	1	3	0
गुजरात	0	0	0	0
हरियाणा	310	77	73	17
कर्नाटक	712	316	40	0
मध्य प्रदेश	60	नगण्य	9	2
महाराष्ट्र	107	6	3	नगण्य
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	नगण्य	0
जोड़:	1376	407	128	19

नगण्य: 500 टन से कम

* 17.11.2011 की स्थिति के अनुसार

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न

174. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि मंत्रालय सहित कतिपय वर्गों ने जनसंख्या के बड़े भाग को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कदम का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या हैं साथ ही सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा समाज के जरुरतमंद तबके को राजसहायता प्राप्त दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है उक्त अधिनियम के अधीन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम मूल्य पर जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्नों का आवंटन करने की योजना बना रही है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर डाले गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रारूप पर अपनी टिप्पणियों में कुछ व्यक्तियों/संगठनों ने विधेयक के प्रारूप में अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों से संबंधित प्रावधानों से असहमति व्यक्त की है। योजना आयोग ने अपनी टिप्पणियों में सुझाव दिया है कि प्राथमिकता की श्रेणी के लिए मूल्य (नामिनल टर्म) नाममात्र नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए बल्कि इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबद्ध किया जाना चाहिए। आम श्रेणी के लिए मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 100% पर निर्दिष्ट किये जाएं। कृषि मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया है कि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास होने चाहिए।

उक्त विधेयक के प्रारूप में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि प्राथमिकता के परिवारों के लिए चावल/गेहूं/मोटे अनाज हेतु मूल्य क्रमश: 3/2/1 रूपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होने चाहिए और आम परिवारों के लिए गेहूं तथा मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गए मूल्य के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम

175. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य की कमी तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव से निपटने के वैश्विक पहल के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम हेतु खाद्य की निर्बाध आपूर्ति को अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों का मुक्त प्रवाह करने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात पर क्रमश: 9.2.2007 और 1.4.2008 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तथापि भारत सरकार राजनैतिक आधार/मानवीय सहायता के लिए मामला दर मामला आधार पर विभिन्न देशों को गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति देती रही है। प्रतिबंध लगाने के बाद राजनैतिक आधार/मानवीय सहायता के लिए 20.78 लाख टन गैर बासमती चावल और 8.60 लाख टन गेहूं की मात्रा की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के वर्षों के दौरान भारत में उनके देशीय कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को क्रमश: 48,299 टन, 48,512 टन, 34,026 टन और 34,228 टन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) मात्रा दी गई थी। उपर्युक्त के अलावा भारत ने सार्क खाद्य बैंक स्थापित करने के लिए सार्क के अन्य सदस्यों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें भारत का हिस्सा 3.06 400 टन है।

हाल के वर्षों में गेहूं और चावल का रिकार्ड उत्पादन और खरीददारी हुई है जिससे बफरस्टॉक और रणनीतिक रिजर्व में मानदंडों से अधिक मात्रा जमा हो गई है। इस पर्याप्त उपलब्धता और भंडारण स्थान की अस्थाई कमी के कारण अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने 8.9.2011 को हुई अपनी बैठक में गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लाकर इन पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया। यह निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पतनों के जरिए निजी रूप से रखे स्टॉक में से किया जाना है। यह भी निर्णय लिया गया कि निर्यात पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए और जैसे ही यह मात्रा गैर बासमती चावल और गेहूं के मामले में 20-20 लाख टन के स्तर पर पहुंच जाए, वैसे ही सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पुन: विचार करे। गेहूं उत्पादों का निर्यात भी 3.7.2009 से 31.3.2010

तक 6.50 लाख टन की मात्रात्मक सीमा के साथ निजी खाते पर अनुमत किया गया है और इसे 31.3.2012 तक बढ़ाया गया है।

पेरिस में 22-23 जून, 2011 को हुए जी-20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में खाद्यान्न मूल्य की गतिशीलता और कृषि पर कार्ययोजना संबंधी मंत्रालीय घोषणा जारी की गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि आमतौर पर कृषि उत्पादन और उत्पादकता, बाजार सूचना और पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय नीति, समन्वय, अत्यंत कमजोर वर्गों के लिए मूल्यवृद्धि के प्रभाव को कम करना और कृषिगत वित्तीय बाजारों का वित्तीय नियमन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। व्यापार नीति के बारे में यद्यपि भारत इस बात से सहमत है कि खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से खाद्यान्नों की उपलब्धता प्रभावित होती है लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि खाद्यान्नों की राष्ट्रीय कमी के समय मुक्त निर्यात की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि भूमंडलीय खाद्य सुरक्षा से पहले घरेलू खाद्य सुरक्षा आती है। इसलिए भारत निर्यात के मुक्त प्रवाह के लिए सहमत नहीं हुआ है। बल्कि इस मामले में राष्ट्रीय जरूरतों और घरेलू खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना है।

कारागारों की स्थिति

176. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विभिन्न करागारों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार का कारागारों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी निधियां प्रदान की गईं/जारी की गईं/उपयोग किया गया, साथ ही पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई विशेष वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराने हेतु कोई नया अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारत के संविधान की सूची-2 की प्रविष्टि 4 के अनुसार, "कारागार" राज्य का विषय है। इसलिए, कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, चल रही प्रकिया के रूप में इस मंत्रालय में दिनांक 16.09.2011 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 में 1800 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से राज्यों (अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) में केन्द्र और राज्य सरकारों की क्रमशः 75:25 की भागीदारी के आधार पर कारागारों के आधुनिकीकरण की एक योजना आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में अतिरिक्त कारागारों का निर्माण विद्यमान कारागारों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार और अतिरिक्त बैरकों का निर्माण, स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति में सुधार तथा कारागार स्टाफ के लिए रिहाइशी आवासों का निर्माण शामिल था।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस मंत्रालय ने आधुनिकीकरण के दूसरे चरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

सिक्किम में एनडीआरएफ की तैनाती

177. **श्री प्रेम दास राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही के सिक्किम के भूकंप में राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के दल को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दल द्वारा कितने व्यक्तियों को बचाया गया है;

(घ) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के अनुरूप अपने आप को ढालने की चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। सिक्किम के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लिए 403 बचाव कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 10 टीमों का गठन किया गया था और तत्काल स्पेशलाइज्ड कोलैप्स्ड स्ट्रक्टर सर्च एण्ड रेस्क्यू (सी एस एस आर) और मेडिकल फर्स्ट रेसपाण्डर (एम एफ आर) उपकरणों यथा- डायमण्ड चेन सॉ, कारबाइड टप्स चेन सॉ, सरकुलर सॉ, हैण्ड सॉ, एंगल कटर, बोल्ट कटर, रोटरी हैमर ड्रिल, कॉर्डलेस ड्रिल हैमर, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन, 03 सिलिण्डर वाले एयर लिफ्टिंग बैग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे-05, लाइफ

डिटेक्टर टाइप-1-20, लाइफ डिटेक्टर टाइप-2-3, पर्सनल एलर्ट सेफ्टी सिस्टम, एम एफ आर किट इत्यादि के साथ वहां भेजा गया था।

(ग) एन डी एफ ने ध्वस्त इमारतों के अन्दर फंसे 06 शव निकाले। एन डी आर एफ ने गम्भीर रूप से घायल 07 पीड़ितों सहित 802 पीड़ितों को उपचार भी मुहैया कराया।

(घ) और (ङ) जी, हां। एन डी आर एफ के कार्मिकों को नियमित रूप से स्वामी विवेकानंद इस्टीट्यूट आफ माउण्ट आबू (राजस्थान), हिमालयन माउण्टनियरिंग इंस्टीट्यूट, मसूरी और नेहरू इंस्टीट्यूट आफ माउण्टेनियरिंग उत्तरकाशी (उत्तराखंड) जैसी विभिन्न संस्थाओं में पर्वतारोहण तलाशी एवं बचाव कार्रवाईयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी

178. **श्री अर्जुन राम मेघवाल:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों से कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विकसित देशों की जीडीपी के अनुरूप जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए क्या व्यापक कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) एनएसएसओ पंचवर्षीय, रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार, अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तनों के कारण कृषि में प्रति हजार व्यक्ति तैनात कार्मिकों की अनुमानित संख्या 2005-06 में 580 से घटकर 2009-10 में 532 हो गया था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) से अद्यतन उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 2004-05 मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी 2010-11 में 14.4 प्रतिशत थी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबध क्षेत्र की हिस्सेदारी 2006-07 में 17.4 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 16.8 प्रतिशत, 2008-09 में 15.7 प्रतिशत तथा आगे 2009-10 में 14.6 प्रतिशत तक हो गई थी। यह जैसाकि पहले सूचित किया गया है अर्थव्यवस्था में ढ़ाचागत परिवर्तनों के कारण हुआ है।

(ङ) भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में वृद्धि करने तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी करने के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। कुछ मुख्य योजनाएं हैं-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), गुणवत्ता बीज के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपॉम), ग्रामीण भण्डारण योजना आदि।

[अनुवाद]

एनसीटी दिल्ली में अपराध

179. **श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) में चोरी और चेन झपटने के मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है तथा कितने मामले सुलझाये गये और कितने मामले सुलझाये नहीं जा सके और सभी मामलों के निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाये गय हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात्, 2008, 2009, 2010 और 2011 (दिनांक 31.10.2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी टी) में चोरी और चेन छीनने के सूचित किए गए मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

चोरी के मामले

वर्ष	सूचित किए गए मामले	सुलझाए गए मामले	अनसुलझे मामले
2008	18867	5700	13167
2009	21731	5812	15919
2010	23088	4971	18117
2011 (दिनांक 31.10.2011 तक)	19300	5003	14297

चेन छीनने के मामले

वर्ष	सूचित किए गए मामले	सुलझाए गए मामले	अनसुलझे मामले
2008	771	428	343
2009	740	470	270
2010	812	423	389
2011 (दिनांक 31.10.2011 तक)	758	485	273

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामलों की जांच-पड़ताल का गहनता से पर्यवेक्षण करते हैं। सुलझाए न जा सके मामलों को निपटाने के लिए विशेष टीमें बनाई जाती हैं और अपराध शाखा जैसी विशेषीकृत इकाइयों द्वारा इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं।

(ग) और (घ) दिनांक 21.10.2011 को पुलिस स्टेशन मार्ग में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/511/34 के अंतर्गत एफ आई आर संख्या 184 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें मोटरसाइकिल चुराने के लिए एक अन्य व्यक्ति के साथ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

(ङ) चोरी और छीना-झपटी जैसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. बीट गश्त प्रणाली में सुधार करना।
2. पुलिस की अधिक उपस्थित और गश्त लगाना।
3. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध के पैटर्न पर आधारित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना।
4. मोटर बाइक चलाने वाले युवाओं की लक्षित जांच करना।
5. क्षेत्र में पुलिस की अधिक उपस्थिति के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करना।
6. सक्रिया आपराधिक गैंगों के विरुद्ध जिला पुलिस और विशेषीकृत इकाइयों द्वारा समष्टि रूप में आसूचना एकत्र करना।
7. ज्ञात अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना।
8. दोषसिद्धि अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद जेल से बाहर आने वाले अपराधियों की गतिविधियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. 'आंख और कान, योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से अपराध के नियंत्रण के लिए जन भागीदारी।

[हिन्दी]

बीपीएल कार्ड

180. श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)कार्ड जारी किये जाने में अनियमितताओं/विसंगतियों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने फर्जी कार्डों का पता चला और ऐसे कार्डों के चलते कितनी हानि हुई है;

(ग) नकली कार्डों पर रोक लगाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों को ही कार्ड जारी किये जायें;

(घ) क्या लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या के मद्देनजर राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) (क) से (ङ) लक्षित वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी आकलन अध्ययन में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी करने में शामिल करने/शामिल न करने की त्रुटियां होने की सूचना दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निरस्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की राज्यवार संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है। जाली/अपात्र कार्डों को निरस्त करना और पात्र परिवारों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों को इसे आवधिक रूप से करना होता है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके वर्ष 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना और खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने सहित जाली/अपात्र राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों और ऐसे राशन कार्ड रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करें। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्टूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक गहन अभियान चलाएं। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे जाली कार्ड वापिस करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जाली कार्ड धारकों को चेतावनी जारी करें।

सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेख से नीचे के परिवारों को वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए के लिए भी खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे (अंत्योदय अन्न योजना सहित) के लिए खाद्यान्नों का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जा रहा है ताकि उनकी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। खाद्यान्नों के किए इन तदर्थ अतिरिक्त आवंटनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं;

(i) 2010-11 136.72 लाख टन

(ii) 2011-12 123.67 लाख टन

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वर्ष 2008 से समाप्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(31.08.2011 तक यथासूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012 जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	1681000		1681000

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	3005	1028		4043
3.	असम	5629	2936	43786		52351
4.	बिहार	0	151166	8813		159979
5.	छत्तीसगढ़	73896	191000	0	97000	361896
6.	दिल्ली	107000	58000	0		165000
7.	गुजरात	725000	103000	0		828000
8.	हरियाणा	0	236	2753		2989
9.	हिमाचल प्रदेश	1484	203	762		2449
10.	झारखंड	0	65000	0		65000
11.	कर्नाटक	118947	218488	967	628	339030
12.	केरल	0	114	0		114
13.	महाराष्ट्र	0	0	1275000		1275000
14.	मिजोरम	742	831	0		1573
15.	राजस्थान	0	3092	0		3092
16.	तमिलनाडु	200350	106678	2054		309082
17.	उत्तर प्रदेश	52400	51736	38971		143107
18.	पश्चिम बंगाल	2494422	675036	0		3169458
19.	चंडीगढ़	349	0	0		349
20.	लक्षद्वीप	0	300	0		300
21.	पुदुचेरी	0	16	0		16
	जोड़	3780229	16308373	3055134	97628	8563828

[अनुवाद]

सीपीडब्ल्यूडी में विद्युत वस्तुओं की खरीद

181. श्री पूर्णमासी राम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीवीओ ने विद्युत और अन्य वस्तुओं के अंकित मूल्य से अधिक की दर पर सीपीडब्ल्यूडी द्वारा खरीद के संबंध में जांच को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों का नाम और ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सीपीडब्ल्यूडी अभी भी केनद्रीय भंडार में उपलब्ध दरों से अधिक दर पर विद्युत वस्तुओं की खरीद कर रही है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सीपीडब्ल्यूडी में दिल्ली विद्युत प्रभाग द्वारा खरीदे गए सीएफएल और पंखों की खरीद दर, विशिष्टताओं और मात्रा आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी खरीद में मितव्ययिता लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम और ब्यौरे विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) इन निविदा हेतु पहलें सरकारी नीति के अनुसार की गयी हैं।

विवरण I

नियम 14 के अंतर्गत सीएस जारी	नियम 14/नियम 9 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसित	नियम 16 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसित	चेतावनी/अप्रसन्नता ज्ञापन हेतु अनुशंसित
सर्वश्री एच.एस. संधु अ.इं.(वै.), जे.एस. सचदेवा, का.इं.(वै.) (सेवानिवृत्ति), पी.के. गुप्ता, सहायक अभियंता (वै.), ए.के. बाली, सहायक अभियंता (वै.) ए.के. चौहान सहायक अभियंता (वै.), बिपिन बिहारी, सहायक अभियंता (वै.), वाई.पी. सिंह सहायक अभियंता (वै.), गजेन्द्र कुमार, ड्राफ्ट्स मैन	**नियम 9** श्री वाई.पी. सिंह कार्यकारी अभियंता (वै.) (सेवानिवृत्त)	श्रीमती अर्चना लूथरा सहायक अभियंता (वै.) सर्वश्री भुवनेश कुमार खरे, सहायक अभियंता (वै.), आर.एस. दहिया सहायक अभियंता (वै.), राजीव चन्द्रा, सहायक लेखा अधिकारी	**चेतावनी** **सर्वश्री** अशोक कुमार, उ.श्रे.लि. सतबीर सिंह राठी, एडी. (एच), जय गोपाल अरोरा, उ.श्रे. लि. भगवान सिंह, हेड वलर्क, श्रीमती कंचन बाला ऊ.क्षे.लि., श्री ब्रिजमोहन, उ.श्रे.लि., राजनारायण, हेड क्लर्क, हरि स्वरूप, एस.ओ. (एच), दीपक कुन्द्रा, एस.ओ.(एच), एस.सी. दीक्षित, डीडी (एच), संतोष कुमार, डीडी (एच), आलोक कुमार, जू.इं. नीलकमल श्रीवास्तव, सइं., दिलवर सिंह रावत, का.इं., आर.एन. दंडेकर, मु.इ., श्रीमती डिम्पल अहलूवालिया, अ.श्रे.लि., श्री जी.के. मल्होत्रा, उ.श्रे.लि., श्री आर.सी. जोशी, हेड क्लर्क, वी.पी. सिंह, का.इं., एस.पी. सिंह, उ.श्रे.लि., आर.एन. शर्मा, हेड क्लर्क, ए.के. अहूजा, स.इं.(वै.), नरेश कुमार, ड्राफ्ट्स मैन, राम इकबाल प्रसाद, ड्राफ्ट्स मैन एन.के. बख्शी ड्राफ्ट्स मैन, एस.पी. मंडोलिया, उ.श्रे.लि., ओम प्रकाश, उ.श्रे.लि. **अप्रसन्नता** श्री.डी.सी.आर. आजाद, डीडी (एच), श्री आर. के. दुग्गल, अधि.इं. (स्वेच्छा सेवानिवृत्ति)
8 (आठ)	1 (एक)	4 (चार)	30 (तीस)

विवरण II

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	दर	इकाई	खरीद की तिथि
	वित्त वर्ष 2009-10				
1	36 वाट 4 पिन टाइप पीएसल टाइप सीएफ लैम्प 6500 के (हालोनिक्स मेक)	100	79.87	प्रत्येक	29.07.2009
2.	23 वाट सीएफएल लैम्प 6500 के स्परिल टाइप पिन टाइप कैप के साथ इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वैलास्ट (हालोनिक्स मेक)	500	129.16	प्रत्येक	29.07.2009
3.	18 वाट 4 पिन पीएलसी टाइप सीएफ लैम्प 6500 के (हालोनिक्स मेक)	1800	66.03	प्रत्येक	29.07.2009
4.	10 वाट 4 पिन पीएलसी टाइप सीएफ लैम्प 6500के (हालोनिक्स मेक)	300	61.48	प्रत्येक	29.07.2009
5.	5 वाट सीएफएल लैम्प पिन टाइप कैप के साथ इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वैलास्ट (हालोनिक्स मेक)	150	63.96	प्रत्येक	29.07.2009
6.	55 वाट सीएफएल लैम्प स्परिल टाइप (जम्बो), स्क्रू टाइप, ई. 27 कैप के साथ इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वैलास्ट (हालोनिक्स मेक)	100	478.96	प्रत्येक	29.07.2009
7.	45 वाट सीएफएल लैम्प स्क्रू टाइप ई 27 कैप, 6500 के साथ इनबिल्ट इलेक्ट्रानिक्स मेक)100	100	329.96	प्रत्येक	29.07.2009
8.	23 वाट सीएफएल स्पिरल टाइप 2 पिन (हालोनिक्स मेक)	340	127.92	प्रत्येक	06.08.2009
9.	13 वाट सीएफएल स्पिरल टाइप 2 पिन (हालोनिक्स मेक)	50	63.00	प्रत्येक	06.08.2009
10.	11 वाट सीएफएल स्पिरल टाइप 2 पिन (हालोनिक्स मेक)	50	48.37	प्रत्येक	06.08.2009
11.	9 वाट सीएफएल स्पिरल टाइप 2 पिन (हालोनिक्स मेक)	150	48.25	प्रत्येक	06.08.2009
	वित्तीय वर्ष 2010-11				
1.	18 वाट कूल डेलाइट 4 पिन पीएलएल टाइप सीएफएल (सूर्या मेक)	400	81.00	प्रत्येक	14.05.2010
2.	टी-5, 28 वाट कूल डेलाइट (सूर्या मेक)	1800	57.37	प्रत्येक	14.05.2010
3.	सीएफएल 2 पिन 11 वाट लैम्प (सूर्या मेक)	1000	48.31	प्रत्येक	29.10.2010
4.	सीएफएल 2 पिन 11 वाट लैम्प (सूर्या मेक)	1000	54.44	प्रत्येक	29.10.2010

तिहाड़ जेल के कैदियों को बीमा कवर

182. **श्री मानिक टैगोर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिहाड़ जेल के कैदियों को जीवन बीमा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीमा हेतु कार्यविधि और अर्हता क्या है तथा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं का पूरे देश में विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। बीमा कवर उन 2000 कैदियों के लिए होगा/जिन्हें विभिन्न अपराधों के लिए सजा दी गई है और कारागार में कई वर्ष तक बंद रहेंगे। यह बीमा कवर जीवन बीमा पालिसी के माध्यम से उन्हें एक अवसर प्रदान करता है ताकि रिहा होने पर वे समाज में स्वतंत्रतापूर्वक स्थापित हो सकें। बीमा व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा और प्रीमियम का भुगतान अर्ध वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर होगा।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अत: कारागारों में इस प्रकार की योजना का कार्यान्वयन प्राथमिक रूप से राज्य से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तम्बाकू की खेती

183. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रति प्रतिबद्धता के भाग के रूप में तम्बाकू के उत्पादन को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू की खेती के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है;

(घ) क्या किसानों को वैकल्पिक फसल को अपनाने हेतु पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी राजसहायता प्रदान की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 2.2 करोड़ रु. के परिव्यय से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंदरी में "विभिन्न सस्य जलवायुवीय उप क्षेत्रों में बीड़ी और चबाने वाली तम्बाकू की वैकल्पिक फसलें" नामक अनुसंधान परियोजना का वित्तपोषण किया है इस परियोजना को तंबाकू की वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणालियों को अपनाने हेतु तंबाकू उत्पादकों को उचित सिफारिशें देने के लिए प्रचालित किया जा रहा है तथा इसे तीन चरणों, यथा-(1) वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणालियों की पहचान (2) प्रदर्शन तथा (3) विभिन्न राज्यों में व्यवहार्य फसलों/फसल प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना, में पूरा किया जाना है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तंबाकू की खेती के तहत कुल क्षेत्र निम्नलिखित है:-

वर्ष	क्षेत्र (मि.है.)
2007-08	0.35
2008-09 (अनंतिम)	0.39
2009-10 (अनंतिम)	0.44

स्रोत: अर्थ एवं साख्यिकी निदेशालय

(घ) वर्तमान में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को तंबाकू के स्थान पर अन्य लाभप्रद फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जेलों में भ्रष्टाचार

184. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न जेलों में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामले सामने आए तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) देश की जेलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्ठ 4 के अनुसार "कारागार" राज्य का विषय है। अत: कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तदनुसार भ्रष्टाचार, अपराधियों के साथ मिलीभगत आदि सहित कारागारों से संबंधित सभी मामलों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की ही है। इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) कारागार प्राथमिक रूप से राज्य का विषय है, तथापि, केन्द्र सरकार ने देश में कारागार प्रबंधन के बेहतर प्रशासन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विस्तृत परामर्शी-पत्र भी जारी किए हैं।

[अनुवाद]

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

185. श्री महेश जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्यों को धनराशि का आवंटन बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान सहित राज्यों को बढ़ी हुई धनराशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी नहीं। क्योंकि छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) की मिशन अवधि दिनांक 31.3.2012 को समाप्त हो रही है इसलिए यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत आवास

186. श्री एल. राजगोपाल: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा समेकित आवासन और मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को कस्बा और शहर-वार कुल कितने आवास संस्वीकृत/अनुमोदित किए गए हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में अब तक कस्बा और शहर-वार बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत कितनी आवासीय इकाई को पूरा कर लिया गया;

(ग) क्या 2009-10 से उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं राज्य हेतु स्वीकृत नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) उप-मिशन और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत स्वीकृत और पूर्ण शहर/कस्बा वार आवासों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II के रूप में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 2311.99 करोड़ रू के सात वर्षीय मिशन अवधि आबंटन की तुलना में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 2278.88 करोड़ रू की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की वचनबद्धता की गई है; इसलिए 2009-10 से लेकर अब तक कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

विवरण I

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (आंध्र प्रदेश) के लिए आवासीय यूनिटों की स्थिति

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत आवासीय यूनिटों की संख्या	पूर्ण आवासीय यूनिटों की संख्या
1	हैदराबाद	16	78746	52477
2	विजयवाड़ा	8	31525	16586
3	विशाखापट्टनम	12	24423	21134
	कुल	36	134694	90197

टिप्पणी: आंकड़े राज्य से प्राप्त अक्टूबर 2011, की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

विवरण II

एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश) के लिए आवासीय यूनिटों की स्थिति

क्र.सं.	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत आवासीय यूनिटों की संख्या	पूर्ण आवासीय यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1	अडोनी	1	*	*
2	अनकपल्ली	2	384	384
3	बपतला	1	*	*
4	भीमुनिपटनम	1	*	*
5	भोनगिर	1	*	*
6	बोडन	1	*	*
7	चिल्काकलूरीपेट	1	*	*
8	चिराला	1	*	*
9	चित्तूर	1	*	*
10	कुडप्पा	7	1297	1297
11	धोने	1	*	*
12	गडवाल	2	513	513
13	गुडुर	1	1559	1202
14	गुंटुर	2	1792	968
15	जनगांव	1	*	*
16	काकीनाडा	3	3840	398
17	करीमनगर	1	2304	2254
18	कावली	2	*	*
19	खम्मन	1	725	716
20	कोथागुडम्म	1	938	410
21	कुरनुल	2	2112	1754

1	2	3	4	5
22	मछरेला	1	*	*
23	मछलीपटनम	1	*	*
24	मदनापल्ली	1	*	*
25	महबूबनगर	2	525	525
26	मनचेरीयल	1	*	*
27	मीरयालगुडा	2	986	669
28	नालगोंडा	2	378	378
29	नरसारावपेट	1	*	*
30	नरायणपेट	1	*	*
31	निर्मल	1	*	*
32	निजामाबाद	1	1020	866
33	अंगोले	1	*	*
34	पलवांचा	1	*	*
35	पेडापुरम	1	1831	1416
36	पौन्नुर	1	*	*
37	प्रोडातुर	1	1500	1400
38	राजामुंदरी	2	6024	3162
39	रामचंद्रपुरम	1	768	672
40	रायाचोटी	1	1272	797
41	रेपल्ली	1	*	*
42	समालकोटा	2	2920	72
43	सनगारेड्डी	1	559	192
44	सटेनपल्ली	1	*	*
45	सिद्धीपेट	1	*	*

1	2	3	4	5
46	सिरसिला	1	766	673
47	सूर्यापेट	2	1556	794
48	तेंदूर	1	*	*
49	तेनाली	1	*	*
50	तिरूपति	4	11143	528
51	विनुकोंडा	1	*	*
52	वनापर्थी	2	384	360
53	येलेंडू	1	*	*
54	जाहिराबाद	1	800	112
	कुल	77	47896	22512

टिप्पणी: * दर्शाता है कि परियोजनाओं का अवसंरचनात्मक भाग ही अनुमोदित था। आंकड़े राज्य से प्राप्त अक्टूबर 2011, की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

प्याज के मूल्य में कमी

187. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से सितम्बर 2011 की अवधि के दौरान गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में घरेलू बाजार में प्याज की कीमत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्याज के निर्यात पर सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो निर्यात पर पाबंदी लगाने से पहले देश के बाजारों में प्रति टन प्याज की कीमत कितनी थी;

(ङ) पाबंदी लगाने के बाद प्याज के मूल्य में वृद्धि का क्या कारण है;

(च) क्या सरकार ने प्याज के मूल्यों के संबंध में सचिवों के समूह से कोई सुझाव मांगे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी नहीं, महोदया, अप्रैल-सितम्बर, 2010 तथा अप्रैल-सितम्बर, 2011 (आधार वर्ष 2004-05=100) के दौरान प्याज के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

अवधि	2010	20011
अप्रैल	148.0	156.9
मई	139.0	150.3
जून	150.2	174.4
जुलाई	158.0	200.9
अगस्त	164.7	244.8
सितम्बर	204.8	253.1

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना के तहत लगाया गया था तथा यह 19.09.2011 तक लागू रहा।

नासिक एवं दिल्ली में अगस्त 2011 में प्याज के लिए मॉडल दर (प्रतिबंध से पहले) क्रमश: 106080 रुपए तथा 10460 रुपए प्रति टन थी।

(ङ) से (छ) प्रतिबंध के बाद प्याज के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि हालांकि दरों में गिरावट हुई। जैसाकि राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा जानकारी दी गई थी प्याज की थोक बिक्री एवं खुदरा मूल्यों की समीक्षा यह दर्शाती है कि अनेक बाजारों में खुदरा एवं थोक बिक्री मूल्यों में 21 सितम्बर, 2011 से एक क्रमबद्ध एवं गिरती हुई प्रवृति बड़े पैमाने पर दर्शायी गई है। सचिवों की समिति (सीओएस), प्याज के मूल्यों सहित आवश्यक जिंसों के मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

[अनुवाद]

जेलों में मोबाइल फोन का उपयोग

188. श्री के.पी. धनपालन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि केरल के जेल के कैदियों द्वारा विदेशों में लगातार कॉल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) पूरे देश में जेल के कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) केरल के कारागारों में जेल अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान लगभग 120 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और हाईटेक सेल की सेवाओं के माध्यम से 28 मोबाइल फोनों की कॉल का ब्यौरा प्राप्त किया गया है जिसमें 18 अंकों के नम्बरों, 16 अंकों के नम्बरों, 4 अंकों के नम्बरों इत्यादि सहित कुछ नम्बर उपयोग के किए गए पाए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने कारागारों में मोबाइल फोनों के प्रयोग के संबंध में दिनांक 7.6.2010 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अनुपालन के लिए विशिष्ट परामर्शी पत्र जारी किया है।

मृदा स्वास्थ्य

189. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग तथा पारिस्थितिकी उर्वरता की उपेक्षा के कारण समूचे देश में मृदा का स्वास्थ्य देश के खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में मृदा के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या नीतियां तैयार की गई हैं;

(ग) रसायन और जैव उर्वरक का क्रमश: कितना प्रतिशत देश में खेती के बुनियादी घटक के रूप में उपयोग किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत देश में जैव उवरकों के उपयोग को रासायनिक उर्वरकों के गंभीर प्रभाव के मद्देनजर देश में बढ़ावा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इनके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जबकि देश में प्रति हैक्टेयर 144. 44 किग्रा की दर पर रासायनिक उर्वरकों की खपत बहुत से अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है, वहीं जैविक सामग्री के कम प्रयोग के साथ उर्वरकों के असंतुलित उपयोग और वर्षों में सूक्ष्म तथा द्वितीयक पोषक तत्वों की उपेक्षा के कारण देश के बहुत से भागों में, विशेष रूप से गहन खेती वाले सिंधु गंगा के मैदानी भागों में, बहुत से पोषक तत्वों में कमी आई है और मृदा स्वास्थ्य में गिरावट आई है।

(ख) और (ग) उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निरूपित नीतियों तथा किए गए उपायों में मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मृदा परीक्षण आधारित जैव उर्वरकों, स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित तथा युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा देना शामिल हैं। जैविक खाद के साथ-साथ मृदा परीक्षण आधारित रासायनिक उर्वरकों के संतुलित तथा युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंध परियोजना

शरु की गई है। वर्तमान में उपलब्ध ऐसे सभी पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल जैविक साधन लगभग 25 प्रतिशत तक रासायनिक उर्वरकों को अनुपूरित कर सकते हैं।

(घ) से (च) जी, हां। जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2004-05 से राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत अन्यों के साथ-साथ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तथा जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषि में बृहद प्रबंध जैसी प्रमुख स्कीमों के तहत भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I, II तथा III में दिया गया है।

विवरण I

कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा नाबार्ड द्वारा एनपीओएफ के तहत स्थापित जैविक आदान उत्पादन यूनिटों की कुल संख्या तथा इन यूनिटों द्वारा 31.05.2011 तक सृजित कुल उत्पादन क्षमता (मी.टन. में) का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	यूनिटों की कुल संख्या तथा सृजित क्षमता (मी. टन/वर्ष)					
		फल सब्जी अपशिष्ट कंपोस्ट यूनिट		जैव उर्वरक		वर्मीकल्चर	
		संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	0	9	1218	5	600
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	40	1500
3	असम	1	32	0	0	67	2450
4	बिहार	0	0	0	0	44	2230
5	छत्तीसगढ़	0	0	1	37.5	108	4635
6	दिल्ली	1	100	0	0	0	0
7	गोवा	1	26	1	150	0	0
8	गुजरात	1	44	3	405	86	3870
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	300	37	1470
10	जम्मू और कश्मीर	2	200	1	37.5	25	937
11	झारखंड	0	0	1	75	23	975
12	कर्नाटक	4	410	2	300	59	6400
13	केरल	2	50	2	300	1	10
14	मणिपुर	0	0	1	37.5	20	750
15	महाराष्ट्र	1	150	12	1335	38	4075

1	2	3	4	5	6	7	8
16	मध्य प्रदेश	1	100	2	100	83	5512
17	मिजोरम	1	100	1	37.5	62	2325
18	मेघालय	0	0	1	84	0	0
19	नागालैंड	0	0	1	37.5	103	3862
20	ओडिशा	0	0	1	37.5	147	5512
21	पंजाब और हरियाणा	1	25	2	280	213	24337
22	राजस्थान	0	0	1	81	170	16500
23	सिक्किम	0	0	0	0	8	300
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	72	2700
25	तमिलनाडु	2	110	10	640	45	2128
26	उत्तर प्रदेश	2	125	1	37.5	140	18862
27	उत्तराखंड	0	0	2	270	78	3037
28	पश्चिम बंगाल	0	0	2	210	7	753
	कुल	20	1472	59	6010.5	1681	115730

टिप्पणी- कृषि एवं सह. विभाग द्वारा 31.03.10 तक तथा नाबार्ड द्वारा 31.05.2011 तक वित्तपोषित यूनिटें

विवरण II

जैविक आदान उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए मार्च, 2011 तक राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत निर्मुक्त कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु लाख में)

क्र.सं.	राज्य	कुल जारी धनराशि/ सब्सिडी की प्रतिबद्धता
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	164.73
2	अरुणाचल प्रदेश	60
3	असम	86.46
4	बिहार	64.5
5	छत्तीसगढ़	180.9
6	दिल्ली	40
7	गोवा	33.94
8	गुजरात	218.12
9	हिमाचल प्रदेश	95.58
10	जम्मू और कश्मीर	137.5

1	2	3
11	झारखंड	74.5
12	कर्नाटक	251.52
13	केरल	64.36
14	मणिपुर	50
15	महाराष्ट्र	238.116
16	मध्य प्रदेश	185.82
17	मिजोरम	153
18.	मेघालय	11.34
19	नागालैंड	174.5
20	उड़ीसा	240.5
21	पंजाब और हरियाणा	338.83
22	राजस्थान	176
23	सिक्किम	12
24	त्रिपुरा	108.00
25	तमिलनाडु	236.72
26	उत्तर प्रदेश	280.77
27	उत्तराखंड	131.62
28	पश्चिम बंगाल	34.58
	कुल	3843.906

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषि में बृहद प्रबंध की जैविक खेती के तहत निर्मुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य	आरकेवीवाई			एमएमए		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2500.00	0.00	1671.00	792.00	384.49	165.30
अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.00	0.00	206.09	0.00	300.00
असम	0.00	129.25	0.00	81.40	157.89	95.31
बिहार	743.50	1808.86	3305.00	54.00	50.78	0.00
छत्तीसगढ़	240.00	875.00	1500.00	79.50	0.00	40.50
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	74.00	293.91	221.00	10.12	20.00	123.50
हरियाणा	82.00	0.00	54.00	45.00	25.00	15.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	286.00	171.23	0.00	0.00
झारखंड	0.00	0.00	72.00	5.00	8.00	0.00
कर्नाटक	0.00	763.00	50.00	523.00	37.23	20.00
केरल	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	400.00	0.0	701.00	115.48	200.00	150.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	614.50	278.00	594.09
मणिपुर	0.00	0.00	35.00	482.00	293.88	138.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	275.02	6.00	65.00
नागालैंड	0.00	0.00	104.00	51.20	0.00	97.00
ओडिशा	0.00	104.44	1115.00	25.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	850.00	90.50	64.00	322.22
राजस्थान	0.00	2272.00	2910.00	0.00	5.00	0.00
सिक्किम	0.00	835.00	0.00	394.08	222.00	957.92
तमिलनाडु	910.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	40.00	115.00	2.10	24.20	0.00
उत्तर प्रदेश	1000.00	0.00	1567.00	218.14	150.00	245.60
पश्चिम बंगाल	0.00	977.55	51.00	278.12	55.00	80.00
उत्तराखंड	0.00	1151.34	0.00	0.00	14.79	31.34
हिमाचल प्रदेश	150.00	310.52	2266.00	179.00	10.00	0.00
कुल	6099.50	9565.87	16873.00	4733.58	2014.26	3440.78

[हिन्दी]

शारीरिक और खेल-कूद शिक्षा

190. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शारीरिक और खेल-कूद शिक्षा प्रदान करने वाले सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों की राज्य-वार और स्थान-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त संस्थानों द्वारा कितने छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान संस्थान-वार कितने छात्र प्रशिक्षणरत हैं;

(ग) उक्त संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान खेल-कूद प्रतियोगिता/ प्रतिस्पर्धा में खेल-कूद के प्रकार-वार ऐसे कितने छात्रों ने भाग लिया;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे और संस्थानों को खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखता। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर, और इसका गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, तिरूवनंतपुरम शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, बंगलौर और कोलकाता खेल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं;

शारीरिक शिक्षा

एल एन यू पी ई

1.	2008-09	-	699
2.	2009-10	-	840
3.	2010-11	-	809
4.	चालू वर्ष		
	ग्वालियर	-	744
	गुवाहाटी	-	121

एलएनयूपीई, तिरूवनंतपुरम

1.	2008-09	-	172
2.	2009-10	-	167
3.	2010-11	-	177
4.	चालू वर्ष	-	197

खेल शिक्षा

एनएसएनआईएस

वर्ष	पटियाला	बंगलौर	कोलकाता
2008-09	247	93	55
2009-10	243	97	59
2010-11	269	145	45
चालू वर्ष	275	129	39

(ग) ये संस्थान आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, फुटबाल, हाकी, बास्केटबाल, मुक्केबाजी, टेनिस, टेवल टेनिस, बालीबाल, हैन्डबाल, क्रिकेट, वेलोड्रम सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक, खो खो, कबड्डी, भारोतोलन, कुश्ती और तरणताल जैसे विधाओं में अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) जिन छात्रों को उक्त संस्थानों में खेल शिक्षा प्रदान की जाती है, वे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी विधाओं में कोच बन जाते हैं।

(ङ) और (च): लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय का गुवाहटी परिषद कार्यशील हो गया है। भा.खे.प्रा. और एलएनयूपीई के वर्तमान केन्द्रों को सुदृढ़ और देश के अन्य भागों में एलएनयूपीई के केन्द्र खोलने पर बल दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

दूध की कीमत

191. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की कीमत में काफी अधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में दूध का उत्पादन हुआ तथा निर्यात किया गया तथा तत्संबंधी घरेलू प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(घ) क्या अत्यधिक मात्रा में दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग हेतु आपूर्ति में कमी आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो दूध और दुग्ध उत्पादों की कमी को पूरा करने तथा कीमत को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) दूध का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) (आधार वर्ष 2004-05=100) 07.11.2009 में 146.9 से बढ़कर 05.11.2011 में 196.9 हो गया है। मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित दूध की मात्रा और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार है:-

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)
2008-09	108.6	258
2009-10	112.5	263
2010-11	116.2	269

विगत तीन वर्षों के दौरान केसीन और केसीन उत्पादों (एस एस कोड 350110 और 350190) सहित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों (एच एस कोड-0401, 0402, 0403, 0404, 0405 और 0406) की निर्यात संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित दूध कुल मिलाकर दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, कमी वाले मौसम के दौरान, दुग्ध पाउडर/दुग्ध वसा को मिलाकर तरल दूध की कमी को पूरा किया जाता है।

(ङ) सरकार द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्य को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को राज्य दुग्ध परिसंघों और महानगर डेरियों द्वारा दूध बनाने के लिए वर्ष 2011-12 के लिए टैरिफ रेट कोटा के अंतर्गत 0% रियायती शुल्क दर पर 50,000 मी. टन स्किम्ड मिल्क पाउडर और संपूर्ण दुग्ध पाउडर और 15,000 मी. टन बटर, बटर आयल और एन्हाइड्रेट दुग्ध वसा आयात करने की अनुमति दी गई है।

2. 18.02.2011 से दूध पाउडरों (स्किम्ड दुग्ध पाउडर, संपूर्ण दुग्ध पाउडर, डेयरी वाइटनर और शिशु आहार दूध सहित), केसीन और केसीन उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान दुग्ध उत्पादों का निर्यात

(मात्रा टन में)

आयात निर्यात कोड	मद विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
0401	दूध एवं क्रीम, जो संक्रेन्द्रित हो और जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी वस्तु न मिली हो।	8,354.15	5,563.84	2,737.37
0402	दूध एवं क्रीम जो सेंक्रन्द्रित हो और जिसमें चीनी और अन्य मीठी वस्तु शामिल हो।	39,463.74	20,348.32	17,903.79

1	2	3	4	5
0403	छांछ, कर्डल्ड दूध और क्रीम, चांगर्ट, केफीर और अन्य खमीरीकृत या अम्लकृत दूध और क्रीम गाढ़ा किया हुआ हो या नहीं, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी वस्तु न हो या फ्लेवर्ड हो या फल, मेवे या कोको मिलाया हुआ हो।	212.03	134.72	372.00
0404	वे गाढ़ा किया हुआ हो या नहीं, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी वस्तु न हो; प्राकृतिक दूध संघटक युक्त उत्पाद, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठी वस्तु न हो, जिनको अन्यथा विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं किया हो।	2,069.90	689.08	1,188.77
0405	दूध से प्राप्त मक्खन और अन्य वसा और तेल; डेयरी स्प्रेड	17,208.42	4,971.29	12,164.65
0406	चीज़ और दही	2,838.54	2,672.72	2,5000.78
3501	केसीन, केसीनेटस और अन्य केसीन संजात; केसीन ग्लू	8,387.53	8,300.71	10,217.90

स्रोत: निर्यात-आयात डाटा बैंक, वाणिज्य विभाग

खाद्यान्नों की कमी

192. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार धान और गेहूं के आंतरिक उपयोग हेतु उत्पादन में कमी का अनुमान लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धान और गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2011-12 के दौरान आयात हेतु किन देशों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) इस स्तर पर, वर्ष 2011-12 के दौरान धान एवं गेहूं उत्पादन में कमी होने की संभावना नहीं है जिसमें इन जिंसों का आयात किया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन/आकाशवाणी कार्यक्रमों की लोकप्रियता

193. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन (डीडी) और आकाशवाणी (एआईआर) कार्यक्रमों के दर्शकों/श्रोताओं की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान डीडी/एआईआर-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ एम कार्यक्रमों सहित डीडी और एआईआर कार्यक्रमों की लोकप्रियता को बढ़ाने हेतु तथा निजी चैनलों की तुलना में कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो डीडी/एआईआर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि टैम मीडिया के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निजी चैनलों की तुलना में दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल की टीआरपी/दर्शक संख्या लगातार तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात वर्ष 2008 (1.27), वर्ष 2009 (0.88) और वर्ष 2010 (0.68) में सर्वाधिक थी। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए रेडियो श्रोता सर्वेक्षण के अनुसार, श्रोताओं की संख्या क्रमश: 58%, 51% और 48% रिकार्ड की गई थी। श्रोताओं की संख्या में गिरावट आने का कारण पूरे देश में निजी एफएम चैनलों की बढ़ती संख्या रहा है सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती का उद्देश्य जनता के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि निजी चैनल व्यापक रूप से वाणिज्यिक हितों से संचालित होते हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है। प्रसार भारती का लक्ष्य लगातार विषय-वस्तु और गुणवत्ता दोनों को उत्कृष्ट बनाने का रहा है। दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों/कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करता है और प्रसारण की विषय-वस्तु और तकनीकी गुणवत्ता में और आगे सुधार करने का प्रयास करता है। एसएफसी स्कीम के जरिए विभिन्न सॉफ्टवेयर घरानों/निर्माताओं से अच्छी गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त करने के पयास किए जा रहे हैं। दूरदर्शन डीडी-1 पर प्रसारण करने के लिए विभिन्न विषयों पर बेहतर फीचर फिल्मों की आउटसोर्सिंग कर रहा है। बेहतर प्रतिभा की आउटसोर्सिंग द्वारा घरेलू कार्यक्रमों की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टूडियों और उपस्करों का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है और उन्हें अद्यतन बनाया जा रहा है। आकाशवाणी केन्द्रों के विभिन्न चैनलों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नियमित अध्ययनों द्वारा श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं की मॉनीटरिंग करने और जानकारी एकत्र करने के लिए आकाशवाणी के पास अपना स्वयं का तंत्र उपलब्ध है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में नियमित आधार पर सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों में कार्यक्रम सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सदस्यगण अपने सुझाव देते हैं, जिन पर कार्यक्रमों की आयोजना और प्रसारण के लिए उचित ध्यान दिया जाता है। पत्रों, ई-मेल, फोन-कॉलों और एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होने वाली श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को यथोचित महत्व दिया जाता है। संबंधित अंचलों/क्षेत्रों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी केन्द्रों पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें संबंधित राज्य/क्षेत्र में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम अधिकारी अपने-अपने अनुभवों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तथा कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करते हैं।

प्राचीन मंदिरों को प्रोत्साहन

194. **डॉ. कृपारानी किल्ली:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश सहित देश में कई अप्रचलित प्राचीन मंदिरों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मंदिरों के आस-पास अवसंरचना को विकसित करने हेतु तथा और अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिरों सहित देश में उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण और रखरखाव करता है जिन्हें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत ऐसा घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में 137 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। आगन्तुकों के लिए सुविधाओं सहित संरक्षित स्मारकों का संरक्षण परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय मानकों के अनुसार किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटन संबंधी सुविधाएं (जैसे- पीने का पानी, प्रसाधन खण्ड, विकलांगों के लिए सुविधाएं, रास्ते, सांस्कृतिक सूचना पट्ट/संकेतक, वाहन पार्किंग, आदि भी मुहैया कराता है।

कृषि श्रमिकों की उपलब्धता

195. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:**
श्री दत्ता मेघे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि श्रमिकों को कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने भी पंजाब और हरियाणा सहित देश के विभिन्न भागों में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता को प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भारतीय कृषि को नियुक्तिधीन तथा बेरोजगार से परिभाषित किया गया है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि 11वीं योजना के लिए प्रक्षेपण का तात्पर्य है कि 11वीं योजना के दौरान प्रक्षेपित दुगुनी कृषि विकास दर कृषि रोजगार में बढ़ोत्तरी के बिना ही संभव होगी। जबकि 1993-94 से 2004-05 तक 11 वर्ष की अवधि में कृषि ने 8.8 मिलियन नौकरी अवसरों का योगदान दिया, इससे 11वीं योजना में कोई वृद्धि प्रक्षेपित नहीं हुई है तथा बारहवीं योजना अवधि (2006-07 से 2016-17) तक चार मिलियन कृषि कार्मिकों की कुल कमी प्रक्षेपित हुई है।

(ग) और (घ) पंजाब तथा हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कृषि संचालनों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन से मजदूरों की उपलब्धता पर आंशिक प्रभाव की जानकारी मिली है।

(ङ) कृषि में भिन्न-भिन्न योजनाओं के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के विलय के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किये गय थे ताकि मनरेगा तथा कृषि मंत्रालय की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

मन्नार की खाड़ी में सुरक्षा

196. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मन्नार की खाड़ी के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा हेतु विशेष धनराशि आबंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु के इन क्षेत्रों में मछुआरों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के लिए किसी विशेष प्रकार की निधियों का आबंटन नहीं किया गया हैं तथापि, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की तटीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा तटरक्षक के साथ मिलकर कराए गए सुभेद्यता अन्तराल विश्लेषण के पश्चात, सरकार द्वारा राज्य-वार निधियां आबंटित की गई हैं।

तटीय सुरक्षा योजना के चरण-1 के तहत तमिलनाडु को मार्च, 2011 तक 12 तटीय पुलिस स्टेशन, 24 नार्वे, 12 जीपों, 36 मोटर साइकिलें, 40 जांच चौकियां और 12 सीमा चौकियां मुहैया करायी गई हैं।

तटीय सुरक्षा योजना के चरण-2 के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए 30 तटीय पुलिस स्टेशनों (प्रति सी पी एस 48 लाख रुपए),20 नावों (प्रति नाव 4.00 करोड;), 12 जेट्टियों (प्रति जेट्टी 50 लाख रुपए), 30 चार पहिया वाहनों (प्रति चार पहिया वाहन 7.00 लाख रुपये) और 60 मोटर साइकिलों (प्रति मोटर साइकिल 0.60 लाख रुपए) का प्रावधान है। 01 अप्रैल, 2011 से लेकर 5 वर्षों की अवधि के लिए निगरानी उपकरणों, कम्प्यूटर सिस्टम और फर्नीचर आदि के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन को 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी जाती है।

'मन्नार की खाड़ी सहित' तमिलनाडु के तटीय जलक्षेत्र में मछुआरों की सुरक्षा का उत्तरादायित्व भारतीय तटरक्षक का है। इन क्षेत्रों में, किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने और मछुआरों को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए तट रक्षक और नौसेना के जहाज (शिप) तैनात किए जाते हैं।

कृषि उत्पादकता का अध्ययन

197. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि में कुल कारक उत्पादकता तथा अनुसंधान निवेश में सहयोग पर नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था तथा नीति अनुसंधान केन्द्र ने एक व्यापक अध्ययन किया है जिसमें रोचक निष्कर्ष सामने आए हैं जिसका नीतियों पर काफी प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। एक शोध पत्र में डा. रमेश चन्द, निदेशक राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र तथा नीति अनुसंधान केन्द्र (एनसीएपी) डा. पद्युम्न, एनसीएपी में वरिष्ठ परामर्शदाता तथा डा. सन्त कुमार, एनसीएपी में वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा एक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कृषि अनुसंधान में किये गये निवेश से भारत प्रतिवर्ष 33 प्रतिशत लाभ प्राप्त कर रहा है तथा यदि अनुसंधान में किये गये निवेश से भारत प्रतिवर्ष 33 प्रतिशत लाभ प्राप्त कर रहा है तथा यदि अनुसंधान नहीं होता तो भारत खाद्यान्नों के मामले में पूर्णरूप से आयात पर ही निर्भर रहता।

(ग) संसाधनों के आवंटन हेतु सभी ज्ञात मुद्दों तथा प्रतिस्पर्धी जरूरतों को ध्यान में रखा गया हैं कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योजना परिव्यय दसवीं योजना में 5368 करोड़ रूपये से बढ़कर 11वीं योजना अवधि में 12023 करोड़ रूपये हो गया है।

आईएआरआई से चित्रकला का गायब होना

198. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) से चोरी हुई दो बहुमूल्य पेंटिंग में नीलामी के लिए रखी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) मैसर्स सौथेबाइस ऑफ लंदन, यू.के. से दिनांक 23 नवम्बर 2010 को इस आशय का एक ई-मेल प्राप्त हुआ कि रोइरिच की दो पेन्टिंग बिक्री के लिए एक ग्राहक द्वारा लायी गई हैं तथा न्यूयार्क स्थित रोइरिच संग्रहालय ने उन्हें सूचित किया कि ये पेन्टिंग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संग्रह से थी। इनको अभी तक नीलामी के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मैसर्स सौथेबाइस को सूचित किया है कि ये पेन्टिंग वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान से संबंधित है।

(ख) से (घ) सीबीआई ने दिनाकं 13.9.20111 को धारा 120 बी, 380 आपीसी तथा धारा 25 आर/डब्ल्यू सेक्शन ऑफ एन्टिक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर अधिनियम, 1972 के तहत आपराधिक मामला आरसी 220211 (ई) 0014 दर्ज किया है।

प्रिंट मीडिया हेतु पैकेज

199. श्री रामसिंह राठवा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिंट मीडिया हेतु मौद्रिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घोषित प्रोत्साहन दिसम्बर, 2010 में समाप्त हो गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसको वर्तमान वर्ष के लिए बढ़ाए नहीं जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी हां। वैश्विक आर्थिक मंदी और प्रिंट मीडिया की मांगों के मद्देनजर, सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए विशेष राहत के रूप में दिनांक 27.02.2009 से 30.06. 2009 तक के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जिसमें सम्मिलित थे (1) डीएवीपी विज्ञापनों पर 15% एजेंसी कमीशन का अधित्याग और (2) डीएवीपी दरों में 10 की बढ़ोत्तरी। यह प्रोत्साहन पैकेज गैर-सरकारी विज्ञापनों में पूर्व वर्ष में एसी अवधि की तुलना में हुई राजस्व हानि के प्रलेखी प्रमाण के अध्यधीन था। बाद में, इसे 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ा दिया गया था।

(ग) यह 31 दिसंबर, 2009 को समाप्त हो गया।

(घ) प्रिंट मीडिया उद्योग से प्रोत्साहन पैकेज के विस्तार के लिए कोई मांग नहीं थी क्योंकि उसे उद्योग में मंदी की वजह से दिया गया था।

[हिन्दी]

घटिया बीजों की आपूर्ति

200. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया बीजों, पौधों की आपूर्ति तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घूस देने की बात सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने रिपोर्ट दी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, मैसर्ज बेयर बायो साइंसेज द्वारा विपणित बीज में तीन नमूने राज्य में 2009-10 के दौरान घटिया पाए गए थे। राज्य सरकार ने डीलरों/वितरकों तथा उत्पादकों के खिलाफ कार्यवाही की है तथा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई। इसी प्रकार, बिहार सरकार ने भी वर्ष 2009-10 के दौरान एक घरेलू तथा एक बहु राष्ट्रीय कंपनी अर्थात मैसेर्ज मोनसेंटो इंडिया लि. द्वारा आपूर्ति किए गए संकर मक्का के बीजों में अनाज के दाने कम विकसित होने के बारे में सूचित किया है। राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए गठित दल द्वारा इस शिकायत की जांच की गई थी। इस दल ने पाया कि टासेल तथा सिल्क का कम और अव्यवस्थित विकास हुआ जिसके फलस्वरूप मक्का की फसल में दाने कम विकसित हुए और उक्त दल ने इसका कारण प्रतिकूल मौसम दशाओं को ठहराया। तदनुसार, राज्य सरकार ने बीज के पैकेटों पर संकर मक्का की बुवाई का समय तथा तापमान की स्थिति का ब्यौरा देने के लिए बीज कंपनियों को सलाह दी है।

(ग) बीज अधिनियम, 1996, बीज नियमावली, 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत राज्य सरकारें राज्य में नकली/घटिया /जाली बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकार संपन्न हैं। इन वैधानिक प्रावधानों के संगत नियमों के तहत अधिसूचित बीज निरीक्षकों को नमूना आहरित करने, स्टाक को जब्त करने तथा 'बिक्री रोको' आदेश जारी करने तथा न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार दिए गए हैं, बशर्ते कि संगत जिसे विधि का प्रावधानों का उल्लंघन करती हों।

[अनुवाद]

समुद्र तटों के साथ लगे स्थापनों की .सुरक्षा

201. श्री वैजयंत पांडा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश की तटीय सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने समीक्षा के दौरान परमाणु स्थापनों, तेल परिशोधनशालाओं, पत्तनों आदि जैसे सुभेद्य स्थापनों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन स्थापनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या निरोधक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) 26/11 की मुम्बई घटना के बाद देश के समूचे तटीय सुरक्षा परिदृश्य की भारत सरकार द्वारा बहु-स्तरीय समीक्षा की गई है। इसमें तटरेखा पर स्थित संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा शामिल है। इस संबंध में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें की गई हैं। इन पर प्रकाश डाला गया है:-

(i) तटीय सुरक्षा योजना चरण-1, जिसमें 73 पुलिस थानों, 97 जांच चौकियों, 58 आउट पोस्टों, 30 बैरकों, 204 नावों, 153 जीपों तथा 312 मोटरसाइकिलों का प्रावधान है, कार्यान्वित की गई है।

(ii) भारतीय नौसेना को, समग्र समुद्री सुरक्षा जिसमें तटीय सुरक्षा प्राधिकारी पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त तटीय पुलिस की गश्त वाले क्षेत्रों सहित भूभागीय जलक्षेत्रों की तटीय सुरक्षा के लिए जवाबदेह प्राधिकारी के रूप में भारतीय तटरक्षक को पदनामित किया गया है। तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्र तथा राज्य की एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय की जवाबदेही के लिए महानिदेशक, तटरक्षक को कमांडर तटीय कमान के रूप में पदनामित किया गया है।

(iii) संवेदनशीलता/कमी के विश्लेषण तथा तटरक्षक और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसरण में तटीय सुरक्षा योजना का चरण-2 अनुमोदित किया गया है तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका कार्यान्वयन दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ हो गया है। इस योजना में 131 समुदी पुलिस थानों, 60 घाटों, 10 समुद्री अभियान केन्द्रों, 180 नावों, 35 आर आई बी (रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट), 10 बड़े जलयानों (अंडमान और निकोबार), 131 चार पहिया वाहनों तथा 242 मोटर साइकिलों का प्रावधान किया गया है।

(iv) नौवहन मंत्रालय को सभी प्रकार के जलयानों अर्थात मछली पकड़ने तथा इससे इतर जलयानों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रकिया को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा इन नावों में स्वचालित पहचान प्रणाली (ए आई एस) स्थापित करने/इनका प्रावधान सुनिश्चित करने से संबंधित अधिदेश प्रदान किया गया है।

(v) मत्स्यपालन विभाग सभी मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करने के लिए कदम उठा रहा है।

(vi) भारत के महापंजीयक (आर जी आई) को मछुआरों सहित तटीय गांवों के लोगों को बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी) जारी करने का अधिदेश प्रदान किया गया है।

(vii) तटरक्षक, तटरेखा के साथ-साथ रडार सेंसरों की श्रृंखला तैयार कर रहा है। यह देश की पश्चिमी तटरेखा पर 9 अतिरिक्त तटरक्षक स्टेशन भी स्थापित कर रहा है।

(viii) सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ix) नौसेना ने कमांडर-इन-चीफ तटीय रक्षा के रूप में मौजूदा नौसेना कमांडर-इन चीफ के प्रभार में मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयार में 4 संयुक्त अभियान केन्द्रों की स्थापना की है।

(x) नौसेना द्वारा बल सुरक्षा, नौसेना बेस तथा साथ-साथ स्थित संवेदनशील क्षेत्रों और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के लिए 1000 कार्मिकों के साथ सागर प्रहरी बल (एस पी बी) नामक एक विशेष बल का गठन किया गया है। सागर प्रहरी बल के अंतर्गत सभी कमान आएंगे तथा कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है।

(xi) सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों की तैयारी में सुधार लाने के लिए भारतीय नौसेना/तटरक्षक द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सीमा-शुल्क विभाग के साथ द्वि-वार्षिक रूप से सागर कवच जैसे संयुक्त तटीय अभियान चलाए जाते हैं। सभी पणधारियों के लाभ हेतु कमियों तथा प्रत्येक अभियान में सीखे गए पाठ के प्रसार के लिए क्रियाविधियां तैयार की गई हैं।

समुद्र के रास्ते होने वाले खतरों के खिलाफ मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढीकरण समिति गठित की गई है ताकि देश की समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन में वृद्धि

202. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी मौसम, 2011-12 के दौरान बढ़े हुए गन्ने के उत्पादन के मद्देनजर चीनी का उत्पादन बढ़ने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान चीनी के अनुमानित उत्पादन में होने वाली वृद्धि के साथ तत्संबंधी ब्यौरे दें;

(ग) क्या देश में कम उत्पादन के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी का आयात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयातित चीनी की मात्रा तथा उस पर हुए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सितम्बर, 2011 में कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रिलीज किए गए गन्ने के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमानों के आधार पर पिछले चीनी मौसम 2010-11 के दौरान लगभग 243 लाख लगभग 243 लाख टन (अनंतिम) चीनी उत्पादन के प्रति वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के लिए देश में चीनी उत्पादन लगभग 246 लाख टन होना प्रक्षेपित किया गया जोकि उत्पादन में मामूली वृद्धि है।

(ग) और (घ) पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने चीनी का कोई आयात नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने टन-दर-टन आधार पर अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत 17.2.2009 से 30.9.2009 तक चीनी मिलों को शुल्कमुक्त कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति दी थी और खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 17. 4.2009 से कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी का आयात करने की अनुमति दी थी जो 30.11.2011 तक लागू है।

पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

चीनी मौसम	आयातित मात्रा (लाख मी. टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
2008-09	10.97	192340.72
2009-10	19.42	516964.43
2010-11 (जुलाई, 2011 तक)	2.96	77628.58

स्त्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिक महानिदेशालय, कोलकाता

[अनुवाद]

शत्रु संपत्ति विधेयक

203. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नया शत्रु संपत्ति विधेयक संसद में पुर:स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नया विधेयक अभिरक्षकों तथा उत्तराधिकारियों के हितों के संरक्षण के संबंध में सदन को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ङ) शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधि-मान्यकरण द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के नियमों के अनुसरण में राज्य सभा के सभापति ने शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 को दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए समिति के पास भेज दिया था। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार वर्तमान विधेयक को वापस ले और समिति के मतों और टिप्पणियों को शामिल करते हुए एक नया विधेयक लाए।

टीवी कार्यक्रमों के प्रभाव

204 श्रीमती जे. शांता:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, परिवारों तथा सामाजिक मूल्यों सहित जनता पर टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले रिएलिटी शो, अश्लीलता, हिंसा और भयावह विषय-वस्तु के प्रभाव/दुष्प्रभाव की कोई समीक्षा/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की विषय-वस्तु के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इस संबंध में कोई प्रभावशाली विधान लाने और इस प्रकार के टी.वी. कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने और उन्हे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (छ) निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की कोई पूर्व-सेंसरशिप नहीं होती है। तथापि, सभी निजी टीवी चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक होता है। उक्त संहिता में व्यापक विषयगत सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं जो ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण को स्पष्टत: निषिद्ध करते हैं जिनसे, अन्य बातों के साथ-साथ, सुरुचि अथवा शालीनता को ठेस पहुंचती हो; जिनमें किसी प्रकार की अश्लीलता अंतर्विष्ट हो; जो बच्चों को बदनाम करते हों; जो अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त हों। जब कभी कोई उल्लंघन होता है, नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट पर्याप्त प्रावधानों के मद्देनजर, सरकार ने ऐसी कोई समीक्षा नहीं की है/अध्ययन नहीं किया है और न ही उक्त मामले में ऐसा कोई अध्ययन करने

अथवा कोई प्रतिबंध लगाने अथवा कोई कानून बनाने के लिए फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है।

सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

205. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान जेएनएनयूआरएम के घटक, लघु और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के निर्माण हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) सामुदायिक केन्द्र का निर्माण छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु स्वीकार्य घटक नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनएफएसएम के अंतर्गत वित्तपोषण

206. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग हुई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार और उड़ीसा सहित देश में एनएफएस एम के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए कार्यो का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गोवा सहित कुछ राज्य सरकारों ने उक्त योजना के अंतर्गत कुछ और जिलों को शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की राज्यवार प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मंजूर की गई, निर्मुक्त तथा प्रयुक्त धनराशियों का बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) एनएफएसएस का क्रियान्वयन 18 राज्यों के 480 जिलों में किया जा रहा है जिसके तीन घटक नामत: एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-चावल, गेहूं तथा दलहन और ओडिशा में एनएफएसएस-दलहन हैं। बिहार में एनएफएसएम के तहत बीज, सूक्ष्म पोषक तत्वों, मृदा सुधारकों, पौध रक्षण रसायनों, फार्म मशीनरी आदि की खरीद के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं। किसान प्रशिक्षण तथा खेतों पर आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं। किसान प्रशिक्षण तथा खेतों पर आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों से भी लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, हाल ही में निर्मुक्त किस्मों के बीज मिनीकिट भी इन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए नि:शुल्क वितरित किये गये हैं।

(ग) एनएफएसएम के तहत शामिल जिलों का नाम राज्यवार तथा फसलवार संलग्न विवरण-II में उल्लिखित किया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय को गुजरात तथा उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों से जिलों को शामिल करने/मौजूदा जिलों को प्रतिस्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुये थे। उन जिलों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया जो मानदण्ड पूरा करते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान एक और राज्य, जम्मू व कश्मीर का एनएफएसएम-चावल के तहत शामिल किया गया है तथा त्रिपुरा राज्य को वर्तमान रबी मौसम अर्थात 2011-12 से राज्य में क्रियान्वयन हेतु एनएफएसएम-चावल के तहत कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। एनएफएसएम के तहत गोवा को शामिल करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मंजूर की गई, निर्मुक्त तथा प्रयुक्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	मंजूर की गई राशि	निर्मुक्ति	प्रयुक्त राशि (30.09.2011 की स्थिति)
1.	आंध्र प्रदेश	102.13	51.80	37.37
2.	असम	33.97	15.58	*30.10
3.	बिहार	73.21	58.87	8.75
4.	छत्तीसगढ़	54.49	44.34	7.21
5.	गुजरात	30.25	23.96	7.21
6.	हरियाणा	29.63	24.29	0.82
7.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.000
8.	झारखंड	22.55	5.55	1.94
9.	कर्नाटक	71.43	59.40	14.57
10.	केरल	3.04	2.28	0.00
11.	मध्य प्रदेश	166.47	141.82	23.00
12.	महाराष्ट्र	143.84	98.36	13.27
13.	उड़ीसा	53.81	53.67	17.80
14.	पंजाब	44.99	35.18	0.000
15.	राजस्थान	94.67	63.62	13.28
16.	तमिलनाडु	35.20	27.20	5.59
17.	उत्तर प्रदेश	271.80	229.96	47.95
18.	पश्चिम बंगाल	57.03	30.80	9.92
	कुल	1292.10	969.37	204.81

*30.10 करोड़ रुपए की राशि 2010-11 के दौरान बोरो/ग्रीष्म चावल के लिए राज्य को निर्मुक्त की गई थी। इस धनराशि का उपयोग राज्य द्वारा मई-जून, 2011 में किया गया है।

विवरण II

एनएफएसएम चावल के तहत जिलों के राज्यवार नाम

राज्य	जिला
1	2
1. आंध्र प्रदेश (11)	
1.	आदिलाबाद
2.	गुतूर
3.	खम्माम
4.	कृष्णा
5.	महबूबनगर
6.	मेंडक
7.	नालगौंडा
8.	नेलौर
9.	श्रीकामुलम
10.	विशाखापट्नम
11.	विजयनगरम
2. आंध्र प्रदेश (13)	
1.	बारपेटा
2.	बोंगईगांव
3.	दरांग
4.	धेमजी
5.	गोलपाड़ा
6.	कारबीआंगलांग
7.	कोकराझार
8.	लखीमपुर
9.	मोरीगांव
10.	नलबारी
11.	सोनितपुर
12.	नागांव
13.	तिनसुखिया
3. बिहार (18)	
1.	अररिया
2.	बांका
3.	पूर्वी चम्पारण
4.	पं. चम्पारण
5.	दरभंगा
6.	गया
7.	जमुई
8.	कटिहार
9.	किशनगंज
10.	मधुबनी
11.	मधेपुरा
12.	मुजफ्फरपुर
13.	नालन्दा
14.	सहरसा
15.	समस्तीपुर
16.	सीतामढ़ी
17.	शिवांग
18.	सुपौल

1	2
4. छत्तीसगढ़ (10)	
1.	दांतेवाड़ा
2.	जांजीगीर–चम्पा
3.	जशपुर
4.	कवरधा
5.	कोरबा
6.	कोरिया
7.	रायगढ़
8.	रायपुर
9.	राजनंदगांव
10.	सरगुजा
5. गुजरात (2)	
1.	दहोल
2.	पंचमहल
6. झारखंड (7)	
1.	गुमला
2.	हजारीबाग
3.	कुंटी
4.	रामगढ़
5.	रांची
6.	शिमडेगा
7.	सिंहभूम पश्चिम
7. कर्नाटक (7)	
1.	बेलगांव
2.	दक्षिण कनाडा

1	2
3.	हसन
4.	रायचूर
5.	शिमोगा
6.	उड्डूपी
7.	उत्तर कन्नड़ा
8. केरल (1)	
1.	पल्लाखाड
9. मध्य प्रदेश (9)	
1.	अनुपपुर
2.	दमोह
3.	दीनडोरी
4.	कटनी
5.	माडंला
6.	पन्ना
7.	रीवा
8.	सतना
9.	शहडोल
10. महाराष्ट्र (6)	
1.	बान्द्रा
2.	चांदपुर
3.	गड़चिड़ोली
4.	गोंदिया
5.	नासिक
6.	पुणे

1	2
11. उड़ीसा (15)	
1.	आंगुल
2.	बोलांगीर
3.	बौधा
4.	देवगढ़
5.	धेनकनाल
6.	जयपुर
7.	झारखंड
8.	कालासुगुडा
9.	कालाहांडी
10.	मलकानगिरी
11.	नवापाडा
12.	नवरंगपुर
13.	नयागढ़
14.	फूलबनी
15.	सुंदरगढ़
12. तमिलनाडु (5)	
1.	नागापथ्थम
2.	पुडुक्कुटई
3.	रामनाथपुरम
4.	शिवगंगई
5.	थिरून्नवूर
13. उत्तर प्रदेश (27)	
1.	आजमगढ़

1	2
2.	बदायूं
3.	बहराइच
4.	बलिया
5.	बलारामपुर
6.	बांदा
7.	बरेली
8.	बस्ती
9.	छत्रपतिशाहूजी महाराज
10.	देवरिया
11.	फतेहपुर
12.	गाजीपुर
13.	गोंडा
14.	गोरखपुर
15.	हरदोई
16.	मैनपुरी
17.	मऊ
18.	मिर्जापुर
19.	रायबरेली
20.	रामपुर
21.	सहारनपुर
22.	श्रीवास्ती
23.	सिद्धार्थनगर
24.	सीतापुर
25.	सोनभद्र

1	2
26.	सुल्तानपुर
27.	उन्नाव
14. पश्चिम बंगाल (8)	
1.	24 परगना दक्षिण
2.	कूच-बिहार
3.	दीनापुर (उत्तर)
4.	हावडा
5.	जलपाइगुडी
6.	मिदनापुर (पूर्वी)
7.	मिदानपुर (पश्चिम)
8.	पुरूलिया
15. जम्मू और कश्मीर (3)	
1.	जम्मू
2.	कथुआ
3.	सम्बा

एनएफएसएमएम-गेहूं के तहत जिलों के राज्यवार नाम

राज्य	जिला
1	2
1. बिहार (25)	
1.	अरिया
2.	बांका
3.	भागलपुर
4.	भभुआ
5.	चम्पारन (ई)
6.	चम्पारन (डब्ल्यू)
7.	दरभंगा
8.	जमुई
9.	कटिहार
10.	खगड़िया
11.	किशनगंज
12.	मधुबनी
13.	मधेपुरा
14.	मुंगेर
15.	मुजफ्फरपुर
16.	नालंदा
17.	नवादा
18.	पुर्णिया
19.	रोहतास
20.	समस्तीपुर
21.	सारन
22.	शेखपुरा
23.	सीतामढ़ी
24.	सुपौल
25.	वैशाली
2. गुजरात (4)	
1.	अहमदाबाद
2.	बनासकांठा
3.	मेहसाना
4.	साबरकांठा

1	2
3. हरियाणा (7)	
1.	अंबाला
2.	भिवानी
3.	गुडगांव
4.	झज्जर
5.	रोहतक
6.	महेंद्रगढ़
7.	यमुनानगर
4. मध्य प्रदेश (30)	
1.	बालाघाट
2.	बेतुल
3.	भिंड
4.	छतरपुर
5.	दामोह
6.	देवास
7.	धार
8.	ढ़ीढोरी
9.	ईस्ट नीमार
10.	गुना
11.	हारडा
12.	इंदौर
13.	जबलपुर
14.	झबुआ
15.	कटनी
16.	मंडला
17.	पन्ना
18.	रायसेन
19.	रायगढ़
20.	रेवा
21.	सागर
22.	सतना
23.	शहडोल
24.	सेहोर
25.	सेआनी
26.	शिवपुरी
27.	सिद्धी
28.	टिकमगढ़
29.	उज्जैन
30.	विदिशा
5. महाराष्ट्र (8)	
1.	अहमदनगर
2.	औरंगाबाद
3.	धुले
4.	नागपुर
5.	नासिक
6.	परभनी
7.	पुणे
8.	शोलापुर

1	2
6. पंजाब (10)	
1.	अमृतसर
2.	बरनाला
3.	भटिंडा
4.	फिरोजपुर
5.	गुरदासपुर
6.	होशियारपुर
7.	मोहाली
8.	रूपनानगर
9.	संगरूर
10.	तरन-तारन
7. राजस्थान (15)	
1.	अजमेर
2.	बंसवाड़ा
3.	भीलवाड़ा
4.	बीकानेर
5.	जयपुर
6.	जालौर
7.	झालावार
8.	कोटा
9.	नागौर
10.	पालि
11.	एस. माधवपुर
12.	सीकर
13.	सिरोही
14.	टोंक
15.	उदयपुर
8. उत्तर प्रदेश (39)	
1.	इलाहाबाद
2.	अम्बेडकर नगर
3.	आजमगढ़
4.	बहराइच
5.	बलिया
6.	बलरामपुर
7.	बाराबंकी
8.	सतना
9.	बस्ती
10.	चंदौली
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज
12.	देवरिया
13.	फैजाबाद
14.	फतेहपुर
15.	गाजीपुर
16.	गोंडा
17.	गोरखपुर
18.	हमीरपुर
19.	हरदोई
20.	जौनपुर

1	2
21.	झांसी
22.	कौशाम्बी
23.	कुशीनगर
24.	लखनऊ
25.	महाराजगंज
26.	मैनपुरी
27.	मथुरा
28.	मऊ
29.	प्रतापगढ़
30.	रायबरेली
31.	रविदासनगर
32.	संत कबीर नगर
33.	श्रीवास्ती
34.	सिद्धार्थनगर
35.	सीतापुर
36.	सोनभद्र
37.	सुल्तानपुर
38.	उन्नाव
39.	वाराणसी
9. पश्चिम बंगाल (4)	
1.	कूचबिहार
2.	दीनाजपुर (एन)
3.	दीनाजपुर (एस)
4.	जलपाईगुड़ी

एनएफएसएम-दलहन के तहत जिलों के राज्यवार नाम

राज्य	जिला
1	2
1. आंध्र प्रदेश	सभी 22 जिले
2. असम	
1.	बक्सा
2.	बरपेटा
3.	बोइनगाइगांव
4.	धूबरी
5.	जोरहट
6.	कामरूप
7.	कोकरझार
8.	सोनितपुर
9.	नागांव
10.	उदालगिरी
कुल	10 जिले
3. बिहार	सभी 38 जिले
4. छत्तीसगढ़	सभी 18 जिले
5. गुजरात	सभी 26 जिले
6. हरियाणा	सभी 21 जिले
7. झारखंड	
1.	छतरा
2.	दुमका
3.	गढ़वा

1	2
4.	गिरीडीह
5.	गुमला
6.	हजारीबाग
7.	लातेहर
8.	लोहरदग्गा
9.	पाकुड़
10.	पलामू
11.	रांची
12.	साहेबगंज
13.	सरायकिला
14.	सिमदेगा
15.	सिंह भूम (पश्चिम)
16.	खुंती
17.	रामगढ़
8. कर्नाटक	सभी 30 जिले
9. मध्य प्रदेश	सभी 50 जिले
10. महाराष्ट्र	सभी 33 जिले
11. उड़ीसा	सभी 30 जिले
12. पंजाब	सभी 20 जिले
13. राजस्थान	सभी 33 जिले
14. तमिलनाडु	सभी 30 जिले
15. उत्तर प्रदेश	सभी 72 जिले
16. पश्चिम बंगाल	सभी 18 जिले

[अनुवाद]

केबल टेलीविजन अधिनियम का उल्लंघन

207. **श्री डी.बी चन्द्रे गौडा:**
श्री यशवीर सिंह:
श्री नीरज शेखर:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उक्त अधिनियम में निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन कोड का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने वाले टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई करने के उपबंध किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विधिक उपबंध तथा विभिन्न उपाय करने के बावजूद प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर आपत्तिजनक और भ्रामक कार्यक्रम तथा विज्ञापन दर्शाना निर्बाध जारी है;

(घ) यदि हां, तो एक से अधिक बार उल्लंघन करने वाले चैनलों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध चैनलवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस के नवीकरण हेतु नए मानदंड/नीति दिशानिर्देश को क्रियान्वित करने का है और यह इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि जिन चैनलों के लाइसेंस का नवीकरण किया जाए वे पांच या उससे अधिक बार उक्त कोड का उल्लंघन करने का दोषी न हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रसारकों की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) जी, हां।

(ख) केबल टीवी नेटवर्क के मध्यम से टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित/पुन: प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन

नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपबंधित कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन करना आवश्यक होता है। जब कभी भी संहिताओं के किसी प्रकार के उल्लंघन की बात सरकार की जानकारी में लायी जाती है, तो उल्लंघन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघनों के कतिपय मामले सरकार की जानकारी में लाए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी टीवी चैनल को एक से अधिक बार जारी किए गए सलाह-पत्रों/चेतावनियों/आदेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) इस मामले में उपयुक्त तौर-तरीके प्रस्तावित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में निर्धारित किए जाएंगे।

विवरण

जनवरी 2008 से दिसंबर 2010 तक के पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2011 के दौरान उन निजी उपग्रह टीवी चैनलों की सूची जिन्हें एक से अधिक बार सलाह-पत्र, चेतावनी और आदेश जारी किए गए हैं

(अक्टूबर, 2011 तक)

क्र. सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	जारी किए गए सलाह पत्र/आदेश/चेतावनी का विवरण
1	2	3	4	5
1.	आज तक	06.07.2006	'हर्बल स्लिम टी' उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन	दिनांक 22.10.2008 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
2.	आज तक चैनल	26.03.2007	'मैक्सो साइक्लोथरीन कॉयल' नामक उत्पाद का विज्ञापन	दिनांक 12.11.2008 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
3.	आज तक	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	स्टार प्लस पर प्रसारित 'सच का सामना' शो पर आधारित समाचार का प्रसारण	चैनल को 24.08.2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
4.	आज तक	18.03.2008	एक बच्चे की सर्जरी करने में एलएनजेपी अस्पताल के डाक्टरों की लापरवाही पर समाचार	चैनल को 09.09.2008 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
5.	आज तक	कारण बताओ नोटिस नहीं	दिनांक 10.09.2008 को पृथ्वी और संपूर्ण जीवन के समाप्त होने के दावा करने वाले समाचार का प्रसारण	चैनल को 09.09.2008 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
6.	एशिया नेट	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	तिरुवनंतपुरम में एक नन द्वारा खुदकुशी की वारदात से संबंधित सामचार	चैनल को दिनांक 23.06.2009 को सलाह-पत्र जारी किया गया।
7.	एशिया नेट न्यूज	31.07.2009	आपराधिक रिपोर्टों पर आधारित और अभद्र दृश्य दर्शाने वाले 'एफआईआर' नामक समाचार कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
8.	बिंदास	11.09.2008	'दादागिरी-बीट द बुलीज' नामक अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 25.11.2008 को चेतावनी जारी की गई।
9.	बिंदास	29.07.2009	अश्लील धारावाहिक 'सुन यार चिल मार' का प्रसारण	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को सलाहपत्र जारी किया गया।
10.	बिंदास	26.08.2009	'दादागिरी' नामक रियालिटी शो का प्रसारण	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई।
11.	बिंदास	22.02.2011	'इमोशनल अत्याचार सीजन-2' कार्यक्रम में अभद्र दृश्यों, असभ्य और अश्लील भाषा का प्रसारण	चैनल को दिनांक 26.07.2011 को सात दिन तक क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के निदेश देते हुए आदेश जारी किया गया।
12.	बिंदास	05.05.2011	'लव लॉक अप' नामक असभ्य रियलिटी शो का प्रसारण	चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई
13.	बिंदास	19.04.2011	'दादागिरी-रिवेंज ऑफ सेक्सेस' कार्यक्रम में असभ्य विषय-वस्तु का प्रसारण	चैनल को दिनांक 03.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
14.	बिंदास	27.05.2011	'मेरी तो लग गई नौकरी' कार्यक्रम में अभद्रता एवं अश्लीलता और असभ्यता का प्रसारण	चैनल को दिनांक 20.09.2011 को चेतावनी जारी की गई।
15.	चैनल (वी)	27.07.2006	'से से से' नामक अश्लील गाने का प्रसारण	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाहपत्र जारी की गई।
16.	चैनल (वी)	08.10.2008	'गेट सार्जियस 5' नामक अश्लील रियलिटी ब्यूटी शो का प्रसारण	चैनल को 03.07.2009 को चेतावनी जारी की गई।
17.	चैनल (वी)	29.07.2009	'लांच पैड नामक असभ्य कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
18.	चैनल (वी)	05.05.2011	'फुल टॉस वेला ब्वायज' रियल्टी शो में अश्लील और अभद्र विषय वस्तु का प्रसारण	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को चेतावनी जारी की गई।
19.	कलर्स	28.11.2008	'बिग बॉस सीजन 2' नामक रियल्टी शो का प्रसारण जो गुड टेस्ट का नहीं था।	चैनल को दिनांक 03.06.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया।
20.	कलर्स चैनल	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	'लाडो' नामक धारावाहिक का प्रोमोज जो कन्या भ्रूण हत्या का प्रचार करने वाला प्रतीत होता था।	चैनल को दिनांक 16.06.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
21.	कलर्स चैनल	26.10.2009	'बिग बॉस सीजन-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण	चैनल को दिनांक 18.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया।
22.	कलर्स चैनल	26.10.2009	अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले धारावाहिक 'कोई आने को है' का प्रसारण	चैनल को दिनांक 29.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
23.	कलर्स चैनल	22.01.2010	'बैरी पिया' नामक टेली सीरियल का प्रसारण	चैनल को दिनांक 18.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
24	कलर्स	09.12.2010	बिग बॉस सीजन-4 रियल्टी शो का प्रसारण जो कि अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपर्युक्त नहीं था।	दिनांक 23.12.2010 को चैनल को कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद किसी भी समय करने के निदेश के साथ-साथ क्षमायाचना स्क्रॉल चलाने का आदेश जारी किया गया।
25.	कलर्स	29.12.2010	'रिश्तों से बड़ी प्रथा' धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अत्यधिक हिंसा और निष्ठुरता का प्रदर्शन किया गया।	चैनल को दिनांक 12.08.2011 को चेतावनी जारी की गई।
26.	कलर्स	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	'ना आना इस देश लाडो' नामक धारावाहिक का प्रसारण	चैनल को दिनांक 17.08.2009 के सलाह पत्र जारी किया गया।
27.	कलर्स	कोई कारण बताओ नहीं था।	बिग बॉस सीजन-4 नामक रियल्टी शो का प्रसारण जो अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था	चैनल को दिनांक 16.11.2010 को कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद करने का निदेश देते हुए आदेश जारी किया। चैनल ने निदेशों का अनुपालन नहीं किया और इस आदेश के विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी।
28.	आईबीएन 7	08.11.2007	गाजियाबाद के डॉ. अजय अग्रवाल पर किए गए स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित'शैतान डॉक्टर' नामक समाचार का प्रचारण	आईबीएन 7 चैनल को तीन दिन का क्षमायाचना स्क्रॉल चलाने का निदेश देते हुए दिनांक 03.01.2008 को आदेश जारी किया गया।
29.	आईबीएन 7	24.06.2008	महाराष्ट नव निर्माण सेना के समर्थकों द्वारा महाराष्ट्र में फैलाई गई हिंसा से संबंधित समाचार।	चैनल को दिनांक 31.12.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
30.	आईबीएन 7	11.08.2008	आपके घर श्रीराम 'शीर्षक में प्रसारित समाचार' कथा जिसमें अप्रमाणित तथ्यों पर आधारित अधूरा सत्य दिखाया गया।	चैनल को दिनांक 23.03.2009 को चेतावनी जारी की गई।
31.	आईबीएन 7	13.01.2010	मुनीर खान का बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के गंभीर बीमारियों का उपचार करने की वकालत करने वाले कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
32.	इमैजिन टीवी	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	'राखी का इंसाफ' नामक रियलिटी शो का प्रसारण जो अप्रतिबंधित लोक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं था।	चैनल का कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे के बाद करने का निदेश देते हुए दिनांक 16.11.2010 को आदेश जारी किया गया। चैनल ने निदेशों का अनुपालन किया और कार्यक्रम का समय रात्रि 11.00 बजे का दिया।
33.	इमैजिन टीवी	30.12.2010	'अरमानों का बलिदान आरक्षण' धारावाहिक का प्रसारण	चैनल को दिनांक 23.02.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
34.	इंडिया टीवी	28.11.2008	संत श्री आशाराम बापू के आश्रम में दो बच्चों की मृत्यु की घटना पर आधारित समाचार। समाचार असभ्य और अश्लील पाया गया जो बाल दर्शकों के उपयुक्त नहीं था।	चैनल को दिनांक 22.06.2009 को चेतावनी जारी की गई।
35.	इंडिया टीवी	02.07.2007	सुश्री जाह्नवी कपूर पर समाचार कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल को दिनांक 03.07.2009 को तीनों दिनों के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के लिए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने निदेशों का अनुपालन किया।
36.	इंडिया टीवी	कोई कारण बताओ नोटिस	स्टार प्लस पर प्रसारित 'सच का सामना' शो पर आधारित नहीं समाचार पत्र का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 24.08.2009 को सलाहपत्र जारी किया गया।
37.	इंडिया टीवी	19.04.2011	अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम टीवी पर साक्षात लक्ष्मी का प्रसारण	चैनल को दिनांक 23.09.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
38.	इंडिया टीवी	14.11.2007	राजोकरी गांव, नई दिल्ली पर सामचार जिसमें अंधविश्वास दिखाया गया था।	चैनल को दिनांक 19.03.2008 को जारी आदेश द्वारा चैनल को तीन दिनों के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के निदेश दिए गए।

1	2	3	4	5
39.	इंडिया टीवी	कोई कारण बताओ नोटिस	दिनांक 10.09.2008 को पृथ्वी और संपूर्ण जीवन के समाप्त नहीं होने के बारे में समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 09.09.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
40.	इंडिया टीवी	28.11.2008	मुंबई में आतंकी हमला-आतंकियों के साथ बातचीत पर समाचार का प्रसारण	सभी समाचार एवं सामयिकी चैनलों, आईबीएफ और एनबीए को दिनांक 24.02.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
41.	एमटीवी	22.02.2008	'न्यू एक्स डिओड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण	दिनांक 02.05.2008 को जारी आदेश द्वारा चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के निदेश दिए गए। चैनल ने निर्देशों का अनुपालन किया।
42.	एमटीवी	31.03.2009	एमटीवी रोडिज नामक अश्लील, आपत्तिजनक तथा अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण।	दिनांक 01.07.2009 को जारी आदेश द्वारा चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के निदेश दिए गए। चैनल ने निर्देशों का अनुपालन किया।
43.	एमटीवी	02.06.2009	'वोडाफोन एमटीवी स्पिलिट्सविला-2' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें दूसरे प्रतियोगी पर अनुचित टिप्पणी की गई थी।	दिनांक 04.04.2010 के आदेश के तहत चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने का निदेश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपात किया था।
44.	एमटीवी	03.02.2010	'स्पिलिट्सविला-3' नामक रियलिटी शो का प्रसारण जो अभद्र और अश्लील था।	चैनल को दिनांक 26.04.2010 को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के निदेश देते हुए चेतावनी जारी की गई।
45.	एनडीटीवी	19.12.2007	गुवाहाटी में भीड़ द्वारा हिंसा से संबंधित समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी की गई।
46.	एनडीटीवी इंडिया	30.06.2009	'सरकार की दुनियां' नामक आपत्तिजनक रियलिटी शो पर आधारित समाचार प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
47.	एनडीटीवी इमेजिन	28.07.2009	'बंदिनी' नामक धारावाहिक में अशोभनीय दृश्यों पर आधारित समाचार प्रसारण	चैनल को दिनांक 01.12.2009 को सलाहपत्र जारी किया गया।
48.	एनडीटीवी इमेजिन	06.10.2009	'पति पत्नी और वो' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 03.03.2010 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4	5
49.	न्यूज 24	24.06.2008	महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के समर्थकों द्वारा महाराष्ट्र में फैलाई गई हिंसा से संबंधित समाचर का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 31.12.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
50.	न्यूज 24	28.11.2008	'बिग बॉस सीजन-2' नामक रियल्टी शो का प्रसारण जो गुडटेस्ट का नहीं था।	चैनल को दिनांक 03.06.2009 को चेतावनी जारी की गई।
51.	सोनी टीवी	06.07.2006	हाइको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस उत्पाद का भ्रामक विज्ञापन।	चैनल को दिनांक 22.10.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
52.	सोनी टीवी	26.08.2009	'इस जंगल से मुझे बचाओ' रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
53.	सोनी टीवी	16.10.2009	'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' नामक कार्यक्रम का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
54.	सोनी टीवी	कारण बताओ नोटिस नहीं	अपंग व्यक्तियों से संबंधित विषय पर आधारित मान रहे तेरा पिता नामक टेली सीरियल का प्रसारण	चैनल को दिनांक 20.04.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
55.	सोनी टीवी	20.04.2011	कामेडी सर्कस महासंग्राम नामक रियल्टी शो का प्रसारण जिसमें बच्चों की छवि को धूमिल करती सामग्री।	चैनल को दिनांक 25.07.2011 को सलाहपत्र जारी किया गया।
56.	स्टार आनंदो	05.01.2010	ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी के विज्ञापन का प्रसारण जिसके माध्यम से शराब के उत्पादों का प्रचार किया गया।	चैनल को दिनांक 06.04.2010 को चेतावनी जारी की गई।
57.	स्टार आनंदो	02.04.2010	माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी के निजी मोबाइल नंबर को दिखाते हुए एसएमएस वाले समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 30.09.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
58.	स्टार न्यूज	22.02.2008	'न्यू एक्स डिओड्रेंट' नामक उत्पाद का अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	चैनल को दिनांक 02.05.2008 को तीनों दिनों के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के लिए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने निदेशों का अनुपालन किया।
59.	स्टार न्यूज	23.03.2009	मुंबई में आतंकवादी हमलों के विरोध प्रदर्शन पर समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 11.12.2009 को सलाहपत्र जारी किया गया।
60.	स्टार न्यूज	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	रायबरेली में दुर्घटना संबंधी तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार का प्रसारण	चैनल को दिनांक 01.02.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
61.	स्टार न्यूज	28.03.2007	पटियाला से श्री गोपाल कृष्ण कश्यप के आत्महत्या की घटना के समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.06.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।

1	2	3	4	5
62.	स्टार न्यूज	28.03.2007	खबर फिल्मी है कार्यक्रम में 'सेक्स में ट्विस्ट' और 'किस करो' नामक कार्यक्रम समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 25.06.2008 को सलाहपत्र जारी किया गया।
63.	स्टार प्लस	22.07.2009	'सच का सामना' नामक अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक रियल्टी गेम शो का प्रसारण	चैनल को दिनांक 27.11.2009 को चेतावनी जारी की गई। चैनल को यह भी निदेश दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मेट पर आधारित कार्यक्रम की फोमैटिंग करते समय भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाए।
64.	स्टार प्लस	23.10.2009	'सपना बाबुल का बिदाई' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई।
65.	स्टार प्लस	30.06.2010	प्रतिज्ञा टेली धारावाहिक का प्रसारण।	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। तथापि, चैनल को दिनांक 06.11.2010 को सलाहपत्र जारी किया गया।
66.	स्टार प्लस	26.08.2010	तेरे लिए टेली सीरियल में एक विशेष समुदाय के विरुद्ध टिप्पणी का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 28.02.2011 को चेतावनी जारी की गई।
67.	टीवी 5	16.09.2008	मदरसों की संकल्पना और कार्यकरण पर समाचार का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 24.06.2009 को जारी आदेश द्वारा तीनों दिनों के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के लिए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने निदेशों का अनुपाल किया।
68.	टीवी 5	25.02.2010	चिंतामणि और बिग स्क्रीन नामक कार्यक्रम में अश्लील दृश्यों का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 18.08.2010 को जारी आदेश द्वारा तीनों दिनों के लिए क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के लिए चेतावनी जारी की गई। चैनल ने निदेशों का अनुपाल किया।
69.	बीएच 1	19.08.2009	'सेटरडे नाइट लाइव' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अशोभनीय दृश्य दिखाए गए थे।	चैनल को दिनांक 08.12.2009 को चेतावनी जारी की गई।
70.	बीएच 1	11.09.2009	'साउथ पार्क' नामक कार्यक्रम का प्रसारण	चैनल को कार्यक्रम को प्रसारण से हटा लेने के निदेश देते हुए दिनांक 05.03.2010 को आदेश जारी किया गया।
71.	जी तेलुगु	14.06.2010	'आता' नामक असभ्य, अभद्र और अश्लील रियल्टी शो का प्रसारण।	चैनल को दिनांक 16.11.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।
72.	जी तेलुगु	कोई कारण बताओ नोटिस नहीं	कोडा बीति राजा और कोताले रानी रियल्टी शो का प्रसारण जिसमें आदिवासियों और उनकी संस्कृति का अपमान किया गया।	चैनल को दिनांक 25.07.2010 को सलाह पत्र जारी किया गया।

खाद्यान्न प्रबंधन

208. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि खाद्यान्न प्रबंधन में भारतीय खाद्य निगम की अकुशलता के कारण खाद्यान्नों के खराब होने की दर और खाद्यान्न प्रबंध लागत निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने उच्च खाद्य महंगाई तथा देश में बढ़ती खाद्य असुरक्षा के कारणों पर भी टिप्पणी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त रिपोर्ट में इस संबंध में कतिपय उपचारात्मक उपाय भी सुझाए गए हैं; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां। विश्व बैंक ने जून, 2001 में जारी खाद्य मुद्रास्फीति संबंधी अपनी रिपोर्ट में भारतीय खाद्य निगम की प्रचलनात्मक आवश्यकता पर टिप्पणी की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष 10-16 मिलियन टन अनाज गंवाता है। तथापि, तथ्यात्मक रूप से यह स्थिति सही नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	जिंस	क्षतिग्रस्त पाए गए खाद्यान्नों की मात्रा (लाख टन में)
2009-10	गेहूं	0.020
	चावल	0.050
	जोड़	0.070
2010-11	गेहूं	0.020
	चावल*	0.040
	जोड़	0.060
2011-12 (01.10.11 तक)	गेहूं	0.004
	चावल	0.003
	जोड़	0.007

*0.02 लाख टन क्षतिग्रस्त मोटे अनाज सहित।

(ग) से (च) विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का कारण फल, सब्जी, दूध, मछली, मांस, और मसालों जैसी अनाज इतर वस्तुओं को बताया गया है। विश्व बैंक रिपोर्ट में निम्नलिखित नीतिगत विकल्पों का सुझाव दिया गया है:-

(i) खाद्यान्नों का कुशल प्रबंधन

(ii) कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना

(iii) खाद्यान्नों विपणन में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना।

भारत सरकार ने विश्व बैंक रिपोर्ट में उल्लिखित कई सुझावों के क्रियान्वयन के लिए पहले ही पग उठाए हैं।

सब्जियों और फलों की कीमतों में वृद्धि

209. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान देश में सब्जियों और फलों की कीमतों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सब्जियों और फलों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) विगत तीन महीनों के दौरान सब्जी के लिए थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है, जबकि फल के लिए मासिक उतार-चढ़ावों के साथ घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) सब्जियां एवं फल (आधार वर्ष 2004-05=100):

अवधि	सब्जियां	फल
अगस्त, 2011	199.4	184.9
सितम्बर, 2011	216.1	177.1
अक्टूबर, 2011	236.1	178.8

फलों एवं सब्जियों के मूल्य अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। इनमें शामिल हैं-मौसम परिस्थितियों के कारण मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर, ढुलाई की लागत, भण्डारण, बिचौलियों की भूमिका तथा बढ़ती हुई आय के कारण बढ़ती हुई मांग, शहरीकरण आदि।

(ग) और (घ) देश में मौजूदा विपणन पद्धति को सुदृढ़ करने तथा सब्जियों एवं फलों की पर्याप्त आपूर्त को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, फलों एवं सब्जियों के विपणन अर्थात राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ग्रामीण बाजारों, थोक बिक्री बाजारों तथा टर्मिनल बाजार परिसरों के लिए मूलभूत सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता के प्रावधान हैं।

(ङ) फलों एवं सब्जियों सहित बागवानी फसलों वे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, कृषि एवं सहकारिता विभाग 2005-06 से देश में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)" पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। आठ पूर्वोत्तर राज्य तथा जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य जिन्हें पूर्वोत्तर एवं हिमालयन राज्यों (एचएमएनईएचएस) के लिए बागवानी मिशन के तहत शामिल किया गया है को छोड़कर इस मिशन के तहत सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तत्वाधान में 2011-12 के दौरान शहरी समूहों के लिए सब्जी की शुरुआत (वीआईयूसी) पर एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया हैं इस योजना का क्रियान्वयन एक मिलियन आबादी वाले 29 राज्यों के प्रत्येक शहर अथवा राजधानी नगर में किया जा रहा है। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक वर्ष (2011-12) की अवधि के लिए किया जाएगा। इस योजना में शामिल है-सब्जी उत्पादन से संबंधित सभी पहलु, बेसलाइन सर्वेक्षण करने के सहायता के साथ-साथ खुदरा स्तर तक विपणन करने के लिए पौध सामग्री के उत्पादन एवं आपूर्ति, किसानों के समूह का गठन, अभिज्ञात वर्गों में सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता सृजन के अलावा समूहों एवं बाजार के साथ उनके समन्वय।

[हिन्दी]

कृषकों को ऋण

210. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्रैक्टर खरीदने हेतु कृषकों को ऋण मुहैया कराने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि यदि ऋण लेकर ट्रैक्टर खरीदा जाता है तो इसकी लागत तकरीबन 50,000 रुपए तक बढ़ जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कृषि मंत्रालय ट्रैक्टर की खरीद

के लिए किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु किसी स्कीम या कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि वर्तमान में, मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम, कृषि में वृहत प्रबंध के तहत 40 एच.पी. तक के ट्रैक्टरों की खरीद के लिए पात्र किसानों को 45,000 रु. या लागत के 25% तक सब्सीडी के रूप में जो भी कम हो, वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार की सहायता संगत राज्य सरकारों के जरिये प्रदान की जाती है।

(ख) मंत्रालय किसी ऐसे अनुभवजन्य आंकड़े या अध्ययन से अवगत नहीं है जिसमें पता चलता है कि यदि ट्रैक्टर की खरीद ऋण के जरिए की जाती है तो इसके मूल्य में लगभग 50,000 रु. की वृद्धि होती है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओलंपिक खेल, 2012 की तैयारी

211. **श्री मानिक टैगोर:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारत को खेलवार कितने पदक प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन खेलों/एथलेटिक प्रतिस्पर्धाओं की पहचान की है जिन में भारत आगामी 2012 लंदन ओलंपिक्स में ज्यादा पदक प्राप्त कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों तथा खेल अवसंरचना हेतु इस प्रयोजनार्थ खेलवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खेलकूद का बजटीय आबंटन कितना रहा?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में भारत के पदकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) आगामी लन्दन ओलम्पिक के लिए एथलीटों और टीमों को तैयार करने की दृष्टि से मंत्रालय ने 'लंदन ओलंपिक' 2012 (ओपेक्स 2012) के लिए उत्कृष्टता अभियान' शुरू किया है जिसके अन्तर्गत बुनियादी संभावितों की पहचान की गई है। एथलीटों को देश और विदेश दोनों ही जगहों पर व्यापक और गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिताओं में भी भाग दिलाया जा रहा है। अनुमोदित निधियन मानक जो सी डब्ल्यू जी, 2010 पैमाने के अनुरूप हैं, उसके आधार को कुछ क्षेत्रों जैसे-आवास, पोषाहार, वैज्ञानिक समर्थन तथा दैनिक भत्ते में वृद्धि की गई है जिसके बजट को अप्रैल, 2011 से अगस्त, 2012 तक अवधि के लिए 258.48 करोड़ रूपये का अनुमान रखा गया है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिये गये हैं। "परियोजना ओपेक्स 2012" को मिशन मोड़ में शुरू किया गया है जिसका निधियन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अन्तर्गत किया जाता है और जिसकी संपूर्ति राष्ट्रीय खेल विकास निधि द्वारा की जाती है।

लन्दन ओलंपिक्स 2012, 26 खेल विधाओं में आयोजित किये जाएंगे। भारतीय टीमों/व्यक्तियों के राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में उनके प्रदर्शन तथा अर्हता प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लन्दन ओलम्पिक 2012 में भारतीय एथलीट टीमों को भाग लेने के लिए 16 विधाओं अर्थात तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, मुक्केबाजी, जिमनास्टिक, हाकी, जुडो, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, शूटिंग, टेबल टेनिस, लाइक्वांडो, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती की क्रमिक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए पहचान की गई है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के लिए विभाग के लिए निम्नलिखित बजटीय आवंटन है:-

क्र.सं.	वर्ष	बजटीय आवंटन	
		बजटीय अनुमानित अवस्था	संशोधित अनुमानित अवस्था
1.	2009-10	2448.00	2716.00
2.	2010-11	2564.00	2099.95
3.	2011-12	700.00	-

विवरण I

राष्ट्रमंडल खेल 2010 में विधावार पदकों की संख्या

क्र.सं.	खेल	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
01.	निशानेबाजी	14	11	05	30
02.	कुश्ती	10	05	04	19
03.	आरचरी	03	01	04	08
04.	भारोत्तोलन	02	02	04	08
05.	टेनिस	01	01	02	04
06.	एथलेटिक्स	02	03	07	12
07.	जिम्नास्टिक	-	01	01	02
08.	टेबल टेनिस	01	01	03	05
09.	बेडमिन्टन	02	01	01	04
10.	मुक्केबाजी	03	-	04	07
11.	पैरा-तैराकी	-	-	01	01
12.	हाकी (पुरुष)	-	01	-	01
	कुले	38	27	36	101

विवरण II

लन्दन ओलम्पिक 2012 (अप्रैल 2011 से जुलाई 2012-16 माह/490 दिन) के लिए उत्कृष्ट संचालन के अनुमानित बजट

क्र.सं.	विधा	कैम्परों की संख्या (पुरुष-महिला-कोच -सहायक कार्मिक)	औसतन कोचिंग केम्पों में दिनों की संख्या	कुल राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5
01.	आर्चरी	16+16+9+7	400	9.22
02.	एथलेटिक्स	21+27+24+9	400	15.94
03.	बैडमिंटन	24+14+15+7	400	13.09
04.	मुक्केबाजी	40+40+22+10	400	27.20

1	2	3	4	5
05.	जिम्नास्टिक	40+8+1+7	400	13.58
06.	हाकी	45+5+10+14	400	20.50
07.	जुडो	28+28+6+4	400	12.07
08.	रोइंग	16+12+9	400	8.74
09.	शूटिंग	62+30+16+7	400	43.80
10.	तैराकी	21+22+10+7	400	12.73
11.	टेबल टनिस	20+18+8+7	400	14.62
12.	त्वाईक्वान्डो	28+28+5+3	400	9.41
13.	टेनिस	राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अन्तर्गत 5 खिलाड़ी		2.17
14.	भारोत्तोलन	24+26+12+7	400	11.20
15.	कुश्ती	56+28+15+6	400	15.72
16.	याटिंग	10+2+5+7	400	8.40
	कुल			238.39

तैयारी पर 238.39 करोड़ रुपये + विदेशी कोचों के लिए 20 करोड़ रुपये=258.39 करोड़ रुपये

बीएसयूपी का क्रियान्वयन

212. श्री महेश जोशी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीबों को आधाराभूत सेवाओं (बीएसयूपी) उप-मिशन के क्रियान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है तथा राजस्थान में इस प्रकार के मिशन के अंतर्गत कौन से शहरों को चुना गया है;

(ख) इसके अंतर्गत कितने शहरों को कवर किया गया है तथा बीएसयूपी के क्रियान्वयन की सफलता दर क्या है;

(ग) क्या बीएसयूपी में बेघर लोगों को रैन बसेरे की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राजस्थान को कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है; और

(ङ) गरीबों तथा बेघरों को सस्ते घर मुहैया कराने में सरकार की विफलता के कारण क्या हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 को संचालित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाओं के उप-घटक (बी एस यू पी) की अवधि 7 वर्ष है। बी एस यू पी उप-मिशन के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर और अजमेर-पुष्कर शहरों को चुना गया है।

(ख) बी एस यू पी उप-मिशन के तहत शामिल शहरों की संख्या 65 है। बी एस यू पी के कार्यान्वयन की सफलता की दर संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/राज्य की क्षमता/संसाधनों के आधार पर भिन्न-भिन्न राज्यों और भिन्न-भिन्न शहरी स्थानीय निकायों में अलग-अलग है।

(ग) से (ङ) बी एस यू पी के स्वीकार्य घटक के अंतर्गत रैन बसेरों का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। तथापि, बी एस यू पी के उप मिशन में मुख्य जोर बसेरा, बुनियादी सेवाएं और अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने हेतु परियोजनाओं के माध्यम से स्लमों का एकीकृत विकास करना है ताकि शहरी गरीबों को सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान को बी एस यू पी के तहत स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	0	0	2	0
अनुमोदित परियोजना लागत	0	0	181.50	0
अनुमोदित केन्द्रीय अंश	0	0	88.11	0
अनुमोदित रिहायशी ईकाइयों की सं.	0	0	5814	0
जारी अतिरिक्त केन्द्रीय अंश	0	0	43.17	0

चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

213. **श्री एल. राजगोपाल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर-बासमती चावल की सभी किस्मों के निर्यात से प्रतिबंध हटाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) कृषकों की सहायता के लिए चावलों का निर्यात करने की आवश्यकता के बारे में जागरुकता फैलाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां। विभिन्न राज्य सरकारों अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि से तथा उपयुक्त राज्यों की किसान एसोसिएशनों और चावल मिल मालिक एसोसिएशनों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गैर बासमती चावल की कुछ प्रीमियम किस्मों के निर्यात की अनुमति देने के अनुरोध किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आंध्र प्रदेश से गैर बासमती सेला चावल और रॉ चावल के निर्यात की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया था। इन अनुरोधों को जांच की गई थी। देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता पर विचार करते हुए और चावल और गेहूं के बम्पर उत्पादन तथा केन्द्रीय पूल में इनकी पर्याप्त उपलब्धता देखते हुए तथा भंडारण स्थान की अस्थायी कमी होने के कारण सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:-

(i) सरकार ने 10.2.2010 को अधिसूचना संख्या 21 द्वारा 1 लाख टन "सोना मसूरी" और 25.-25 हजार टन गैर बासमती की "पोन्नी साम्बा" तथा "मट्टा" किस्मों के निर्यात की अनुमति दी है।

(ii) सरकार ने 9.9.2011 को अधिसूचना संख्या 71 और 72 द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ये निर्यात इडीआई युक्त पतनों के जरिए निजी रूप से रखे स्टॉक में से किए जाएंगे और इनकी कड़ी मॉनीटरिंग की जाएगी।

(ग) सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के जरिए जागरुकता पैरा करने के अलावा ढुलाई सहायता स्कीम, बाजार विकास स्कीम, गुणवत्ता विकास स्कीम अनुसंधान और विकास स्कीम तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के अधीन कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

214. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को विरासत स्मारक के रूप में घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को विरासत स्मारक के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में स्मारकों का जीर्णोद्धार

215. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में उन ऐतिहासिक/विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है; और

(ख) जीर्णोद्धार का यह कार्य कब से किया जा रहा है और गत वर्षों के दौरान इन पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्मारकों के संरक्षण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया हैं मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चुनिंदा स्मारकों पर प्रत्येक वर्ष विशेष मरम्मत कार्य किया जाता है तथापि सभी संरक्षित स्मारकों पर नेमी रखरखाव के लिए वार्षिक मरम्मत कार्य किया जाता है चालू वित्तीय वर्ष में कर्नाटक में उन स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन पर विशेष मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। इस राज्य में संरक्षित स्मारकों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान संरक्षण कार्य के लिए खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित/व्यय की गई निधियां (राशि लाख रुपये में)
1	2008-09	1512.58
2	2009-10	1819.46
3	2010-11	2457.42

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में कर्नाटक के स्मारकों का ब्यौरा जहां संरक्षण कार्य आरम्भ किये गए हैं।

बंगलौर मंडल

क्र.सं.	स्थान और जिला सहित स्मारक का नाम
1	2
1.	भोगनंदीश्वर, मंदिर, नंदी, कोलार
2.	देवनहल्ली किला, बंगलौर
3.	मधुगिरि किला, तुमकुर
4.	जुम्मा मस्जिद, सरा, तुमकुर
5.	टीपू सुल्तान महल, बंगलौर, बंगलौर
6.	किला और मंदिर (पहाड़ी पर संरचनाएं), चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग
7.	चित्रदुर्ग किले और मंदिर (सैमपीज सिद्धेश्वर एएवं हिडम्बंश्वर मंदिर), चित्रदुर्ग
8.	किला और मंदिर-(किले के अंदर तंकशाला के नजदीक कच्ची संरचना की मरम्मत), चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग
9.	मुसाफिर खाना एवं होंडा, संतेबेन्नूर, दावणगेरे
10.	प्रलेखन तैयार करना एवं संकेतक उपलब्ध कराना, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग
11.	कालेश्वर मन्दिर, बागली, दावणगेरे
12.	नरसिम्हा मंदिर, रंगपुरा, बेल्लारी
13.	किला और ध्वस्थ महल, उच्चंगीदुर्ग, दावणगेरे

1	2
14.	प्रलेखन तैयार करना और संकेतक उपलब्ध कराना, दावणगेरे
15.	किला एवं तहखाना, मंजराबाद, हसन
16.	पार्श्वनाथ बस्ती, हेलेड्डि, हसन
17.	शांतिनाथ बस्ती, हेलेबिडु, हसन
18.	विद्याशंकर मंदिर, श्रृंगेरी, चिकमगलूर
19.	अनन्तश्यन मंदिर, अनन्तश्यनगुडी, बेल्लारी
20.	गोपाल कृष्ण मंदिर, तिम्मलापुर, बेल्लारी
21.	कृष्ण मंदिर, कृष्णापुरम, बेल्लारी
23.	पट्टाभिराम मंदिर, कमलापुरम, बेल्लारी
24.	रंग मंदिर, कमलापुरम, बेल्लारी
25.	प्राचीन शिव मंदिर, वेंकटपुरम, बेल्लारी
26.	वीरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, बेल्लारी
27.	विष्णु मंदिर कमलापुरम, बेल्लारी
28.	विष्णु मंदिर परिसर (वराह मंदिर), कमलापुरम, बेल्लारी
29.	विट्टल मंदिर वेंकटपुरम, बेल्लारी
30.	जनाना अहाते में दीवार और प्रवेश द्वार, कमलापुरम, बेल्लारी
31.	अनंतपद्मनाभ मंदिर, कर्कला, उडुपी
32.	चतुर्मुख बसदी, कर्कला, उडुपी
33.	कट्टले बसदी, वारकुर, उडुपी
34.	सत्रह जैन मकबरे, मूदाबिदरी, मंगलौर
35.	केशव मंदिर, सोमनाथपुर, मैसूर
36.	कीर्तिनारायण मंदिर, तलाकड, मैसूर
37.	रामेश्वर मंदिर, नरसमंगला, चामराजनगर
38.	श्री कंटेश्वर मंदिर, नंजनगुड मैसूर
39.	सिडलु मल्लिकार्जुन मंदिर, बेट्टादपुरा, मैसूर
40.	विजयनारायण मंदिर, गुंदलूपेट, चामराजनगर
41.	केशव मंदिर, सोमनाथपुर, मैसूर
42.	किले और मंदिर, चन्द्रगुट्टी, शिमोगा
43.	कावलेदुर्ग किला, शिमोग
44.	त्रिमूर्तिनारायण मंदिर, बंदालिक, शिमोग
45.	रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगपट्टानाम, मांड्या
46.	लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, मारेहल्ली, मांड्या

धाड़वाड़ मंडल

क्र.सं.	स्थान और जिला सहित स्मारक का नाम
1.	बाडीगेरगुडी, एहोल
2.	हुचापाया मंदिर, एहोल
3.	मल्लिकार्जुन मंदिर, एहोल
4.	ज्योतिर्लिंग मंदिर, एहोल
5.	चरंतीमठ, एहोल
6.	गलगनाथ मंदिरों का समूह, एहोल
7.	नारायण देव मंदिर, बेवूर
8.	जैन मंदिर, हल्लूर
9.	रामदेव मंदिर, तालीकोट
10.	चकरी गुडी में कुआं, एहोल
11.	रामेश्वर मंदिर, बेवूर
12.	बाणशंकरी मंदिर में स्तंभावली सहित तालाब के लिए एस आर (प्लान), चोलचगुड्डा, बदामी,
13.	मंदिर समूहों के लिए एस आर (प्लान), चोलचगुड्डा, बदामी

1	2
14.	स्मारक समूहों के लिए एस आर (प्लान), चोलचगुड्डा, बदामी
15.	पल्लव शिलालेख के समीप उत्तरी बदामी किला दीवार के लिए संशोधित एस आर (प्लान), बदामी
16.	जैन मंदिर, नदंगढ
17.	स्मारकों का समूह, हलसी
18.	जैन मंदिर, वक्कुडं
19.	पंचलिंगेश्वर मंदिर, हूली
20.	भूवराहनरसिम्हा मंदिर, हलसी
21.	स्मारकों का समूह (सफा मस्जिद), बेलगाम
22.	स्मारकों का समूह, कोन्नूर
23.	किले के लिए एस आर (प्लान), मृजन
24.	स्मारकों के समूह के लिए एस आर (प्लान), गेरसोप्पा
25.	स्मारकों का समूह, भटकल
26.	हजार कोटरी
27.	बारूद कोठा
28.	बहमनी मकबरे
29.	अली बारीद, इब्राहिम बारीद, आमिर बारीद
30.	स्मारकों में सकेंतक उपलब्ध कराना
31.	नौबत खाना, बिदर
32.	प्रवेश द्वारों नगर दीवारों एवं नगर दुर्ग के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पूर्व)
33.	जहां बेगम मकबरा एवं मस्जिद आईनापुर के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पूर्व)
34.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं नौरस ट्रस्ट के बीच एन सी एफ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पूर्व)

1	2
35.	स्मारकों में सकेंतक उपलब्ध कराने के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पूर्व)
36.	जल मंडप, कुमतगी के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पूर्व)
37.	इब्राहिम रौजा के लिए संशोधित एस आर (प्लान), बीजापुर (पश्चिम)
38.	अर्कीला के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पश्चिम)
39.	नित्यनावार मस्जिद एवं शाहनवाज खान मकबरे के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पश्चिम)
40.	स्मारकों में सकेंतक उपलब्ध कराने के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पश्चिम)
41.	दक्खिनी ईदगाह एवं गुम्बट भावदी के लिए एस आर (प्लान), बीजापुर (पश्चिम)
42.	चन्द्रमौलेश्वर मंदिर, उंकल
43.	दो किले प्रवेश द्वार, धारवाड़
44.	काशीविश्वनाथ के समीप नन्नेश्वर मंदिर, लाकुंडी
45.	अशोक का शिला राजाज्ञा, मस्की, जिला कोप्पल
46.	प्रागैतिहासिक स्थल, हीरेबेकंल, जिला कोप्पल
47.	जैन बस्ती, लाकुंडी
48.	बड़ी झील की मरम्मत, इट्टागी
49.	हफ्थ गुम्बज (व्यक्तिगत), गुलबर्गा
50.	कगंनाहल्ली स्तूप का विस्तृत फोटो प्रलेखन, जिला गुलबर्गा
51.	प्रागैतिहासिक स्थल, राजनकोलूर, जिला यादगिरि
52.	प्रागैतिहासिक स्थल, विभूतिहल्ली, जिला यादगिरि
53.	हाथी द्वार एवं सटी हुई किला दीवार, गुलबर्गा, जिला गुलबर्गा
54.	किला दीवार के अंदर संरचना, गुलबर्गा जिला गुलबर्गा

1	2
55.	स्थल विकास, सननाती जिला, गुलबर्गा
56.	स्तूप, सन्नती, जिला गुलबर्गा
57.	सोमेश्वर मंदिर, हरलाहल्ली
58.	बिलेश्वर मंदिर, हंगल
59.	तारकेश्वर मंदिर एवं उप अनुषंगी, हंगल
60.	वीरभद्रेश्वर मंदिर, हंगल
61.	मुक्तेश्वर मंदिर, चौदाधानपुर
62.	मधुकेश्वर, मंदिर, बनवासी
63.	स्मारकों का समूह, हावेरी
64.	कदम्बेश्वर मंदिर, रतिहल्ली

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

216. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री बद्रीराम जाखड़

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसानों द्वारा औने-पौने दामों में अनाज बेचने और उन्हें हाल के खरीद मौसम के दौरान खोले गए खरीद केन्द्रों की अपर्याप्त संख्या के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने केन्द्र खोले गए, कितना खाद्यान्न खरीदा गया और कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से इतर खरीद एजेंसियों के खराब कार्य निष्पादन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आगामी फसलों के मौसम के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार को हाल के खरीद मौसमों के दौरान क्रय केंद्रों की अपर्याप्त संख्या होने के कारण किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करने में विफल रहने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खरीद मौसम शुरू होने से पहले भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार/ राज्य एजेंसियां उत्पादन, विपणन योग्य अतिरिक्त मात्रा और खरीद की संभावना के आधार पर किसी क्षेत्र में खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या का निर्धारण करती है।

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के लिए खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। गेहूं और और चावल की खरीदारी के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण III और IV में दिए गए है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां खरीदारी की संभावनाओं और क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए आपसी परामर्श से पर्याप्त संख्या में क्रय केंद्र खोलती है। इसके अलावा, मौसम के बीच में भी, जब कभी महसूस होता हैं, अतिरिक्त क्रय केंद्र खोले जाते हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों का लाभ प्रदान किया जा सके। लघु और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की पहुंच बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों और स्वयं सेवी समूहों के लिए धान हेतु 2.5% और हेतु 2% और की दर पर कमीशन प्रभार की अनुमति दी गई है।

विवरण I

गेहूं की खरीद के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित खरीद केन्द्रों की सूची दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
पंजाब	1600	1610	1702	1740

1	2	3	4	5
हरियाणा	364	365	367	367
उत्तर प्रदेश	4843	4409	4498	4573
राजस्थान	290	297	304	308
मध्य प्रदेश	1617	1248	1228	1996
दिल्ली	2	4	4*	4
बिहार	4498	2852	567	650
हिमाचल प्रदेश	7	7	7	5
गुजरात	215	153	188	212
झारखंड	13	18	8	10
छत्तीसगढ़	1333	1333	1333	1333
जम्मू और कश्मीर	15	15	15	3
महाराष्ट्र	85	85	58	456
उत्तराखंड	242	200	200	203
पश्चिम बंगाल	0	0	$	0
जोड़	15124	12596	10479	11830

विवरण II

धान की खरीद के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए संचालित/प्रस्तावित खरीद केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	खरीफ विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2009-10 (अनंतिम)	खरीफ विपणन मौसम 2010-11 (अनंतिम)	खरीफ विपणन मौसम 2011-12 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	489	518	534	1350
2.	असम	12	11	21	21

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	3791	2914	549	8943
4.	छत्तीसगढ़	1577	1577	1589	1864
5.	दिल्ली	2	2	4	4
6.	गुजरात	9	0	10	67
7.	हरियाणा	179	181	183	182
8.	हिमाचल प्रदेश	5	5	5	–
9.	झारखंड	40	29	10	518
10.	जम्मू और कश्मीर	15	15	15	10
11.	कर्नाटक	29	32	40	63
12.	केरल	210	450	470	475
13.	महाराष्ट्र	884	872	857	641
14.	मध्य प्रदेश	465	475	473	500
15.	उड़ीसा	2274	1130	503	3000
16.	पुदुचेरी	12	12	0	7
17.	पंजाब	1546	1588	1721	1750
18.	राजस्थान	12	0	0	–
19.	तमिलनाडु	1300	1281	317	1500
20.	उत्तर प्रदेश	2173	3841	2235	2300
21.	उत्तराखंड	39	59	52	63
22.	पश्चिम बंगाल	213	1500	1921	500
	सकल जोड़	15276	16492	11509	23758

विवरण III

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च) में गेहूं की खरीद

(हजार टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
बिहार	500	497	183	477
चंडीगढ़	10	12	9	7
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दिल्ली	6	0	10	8
गुजरात	415	75	1	105
हरियाणा	5237	6924	6347	6891
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	1	नगण्य	1
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0
झारखंड	2	नगण्य	नगण्डय	0
मध्य प्रदेश	2410	1968	3539	4894
महाराष्ट्र	10	0	0	-
पंजाब	9941	10725	10209	10957
राजस्थान	935	1152	476	1302
उत्तर प्रदेश	3137	3882	1645	3460
उत्तराखंड	85	145	86	42
पश्चिम बंगाल	0	0	9	0
जोड़	22689	25382	22514	28144

नगण्य: 500 टन से कम

*01.08.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण IV

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन में चावल की खरीद (अक्तूबर-सितम्बर)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9058	7555	9610	106
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	3	8	16	0
बिहार	1083	890	882	0
चंडीगढ़	10	14	10	13
छत्तीसगढ़	2848	3357	3741	0
गुजरात	0	0	0	नगण्य
हरियाणा	1425	1819	1687	1931
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
जम्मू और कश्मीर	7	0	11	0
झारखंड	143	23	नगण्य	0
कर्नाटक	107	86	180	0
केरल	237	261	263	81
मध्य प्रदेश	247	255	502	1
महाराष्ट्र	261	229	308	4
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	2801	2497	2465	0
पुदुचेरी	8	8	40	नगण्य
पंजाब	8554	9275	8635	76.4

1	2	3	4	5
राजस्थान	11	0	0	0
तमिलनाडु	1201	1241	1543	239
उत्तर प्रदेश	4007	2901	25554	115
उत्तराखंड	349	375	422	10
पश्चिम बंगाल	1744	1240	1310	0
अखिल भारत जोड़	34104	32034	34180	10104

नगण्य: 500 टन से कम

#30.09.2011 की स्थिति के अनुसार (17.11.2011 को अद्यतन)

*17.11.2011 की स्थिति के अनुसार

[अनुवाद]

खेल प्रशिक्षक

217. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) में वर्तमान आवश्यकता के मद्देनजर प्रशिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार/एनएसएफ का विचार वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने हेतु विदेशी प्रशिक्षकों की सेवा लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी नहीं। अधिकांश खेल विधाओं में कोच उपलब्ध हैं। तथापि, नेटबाल, रग्बी आदि जैसी कतिपय विधाएं जो नये खेल हैं, इनके लिए भारतीय कोच उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारतीय खिलाड़ियों को अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान के लिए कतिपय खेल विधाओं में विदेशी कोच अनुबन्ध पर रखे गये हैं। शीर्ष खेल देशों को विदेशी कोचों तथा व्यक्तियों जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल की है, को न सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने बल्कि भारतीय कोचों की कुशलता बढ़ाने के लिए भी रखा गया है।

(घ) चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान रखे गये विदेशी कोचों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	विधा	विदेशी कोचों की सं.
1.	एथलेटिक्स	5
2.	बाक्सिंग	1
3.	बास्केटबॉल	2
4.	बैडमिंटन	2
5.	जिम्नास्टिक	1
6.	जूडो	1
7.	हाकी	1
8.	शूटिंग	2
9.	स्क्वैश	1
10.	ताईक्वान्डो	1
11.	कुश्ती	3
12.	याटिंग	1
	कुल	21

खाद्यान्नों का स्टाक

218. डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री एम.बी. राजेश:.

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वर्ष में खाद्यान्नों की घरेलू मांग को पूरा करने और बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टॉक है;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की प्रत्याशित मांग और अनुमानित स्टॉक को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सस्ते मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) 1. 11.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 557.54 लाख टन खाद्यान्नों का स्टॉक था जिसमें 260.83 लाख टन चावल और 296. 71 लाख टन गेहूं था। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का वर्तमान स्टॉक वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन आवंटनों के मौजूदा स्तर पर खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 3 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर किए हुए किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आवंटन क्या मौजूदा स्तर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 किलोग्राम और 35 प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। मध्याह्न भोजन योजना, आईसीडीएस आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के लिए इन स्कीमों के अधीन आकलित आवश्यकता के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। उपर्युक्त के आधार पर मार्च, 2012 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता लगभग 276 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 16.5.2011 को गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्नों और 30.6.2011 को गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 50 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया है। उपर्युक्त के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 174 निर्धनतम/पिछड़ों जिलों में वितरण करने के लिए 27 राज्यों को 23.67 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निजी रूप से रखे स्टॉक में से प्राइवेट खाते पर गैर बासमती चावल और गेहूं का निर्यात करने की अनुमति दिनांक 9 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना द्वारा दी है।

सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन चावल और गेहूं की 612.07 लाख टन मात्रा का आवंटन किया है इस प्रकार राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई है।

अमरनाथ तीर्थ यात्रा

219. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरनाथ तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों की वार्षिक संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष यात्रा के दौरान अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(घ) यदि हां, तो हताहतों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है;

(ङ) घायलों के उपचार के लिए प्रदान की गई संभारिकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2008-2011 के दौरान श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या
2008	5,33,368
2009	3,92,653
2010	4,51,710
2011	6,35,611

(ग) पिछले वर्ष सूचित की गई 77 मौतों की तुलना में इस वर्ष यात्रा के दौरान 106 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई।

(घ) अनेक यात्रियों की मुख्यत: हृदय संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु हुई हैं पिछले वर्ष यात्रा पर जाने वाले कुल यात्रियों के 1.70% की तुलना में इस वर्ष कुल मौतें कुल तीर्थ यात्रियों का 1.67% रही हैं।

(ङ) यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए मेडिकल सुविधाएं राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य में अन्य एजेंसियां अर्थात सेना, केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा गैर-सरकारी संगठन भी सहयोग प्रदान करते हैं।

(च) श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर सरकार और बोर्ड सुरक्षित एवं सुविधाजनक तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने तथा यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाओं सहित विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निरंतर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन

220. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि उपसंविपणन समिति अधिनियम में नया संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ए.पी.एम.सी. एक्ट के अंतर्गत सभी किसानों द्वारा उपज को स्थानीय समितियों के माध्यम से बेचना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को और अधिक राहत प्रदान करने हेतु ए.पी. एम.सी. एक्ट में कब तक संशोधन किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम हैं। तथापि, कटाई पश्चात विपणन सुविधाओं के विकास में निवेश तथा विपणन लागत एवं कटाई पश्चात क्षति को कम करने के लिये उन्नत तथा वैकल्पिक विपणन माध्यमों के द्वारा किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक मॉडल एपीएमसी अधिनियम तैयार किया गया था तथा 2003 में इसे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके विचारार्थ तथा अपनाने हेतु परिचालित किया गया था। मॉडल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों से मण्डियों की स्थापना, प्याज, फलों, सब्जियों तथा फूलों जैसी जिंसों के लिए विशेष मण्डियां, कमीशन संस्थाओं का निषेध, मण्डी शुल्कों का औचित्यकरण, सरल पंजीकरण के साथ लाइसेंस व्यवस्था का बदलाव, मण्डी शुल्कों के विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहन, ग्रेडिंग तथा स्तरीकरण का संवर्द्धन आदि शामिल हैं। अब तक 16 राज्य सरकारों ने अपने संबंधित एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन किया है तथा प्रत्यक्ष विपणन, अनुबंध खेती एवं निजी/सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों की स्थापना के लिए प्रावधान किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शेष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अधिनियम की रूपरेखा के अनुसार उनके एपीएमसी अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली यातायात पुलिस

221. श्री जयप्रकाश अग्रवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली यातायात पुलिस कर्मियों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास रिक्त पदों को भरने हेतु महिला यातायात सिपाहियों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के अलग-अलग कुल कितने मामले दर्ज किए गए और इनमें कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए;

(ङ) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोई विशेष अभियान चलाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उक्त अवधि के दौरान जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि संग्रहित की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) दिल्ली यातायात पुलिस की स्वीकृत और वास्तविक संख्या क्रमश: 5634 और 5889 है।

(ख) और (ग) दिल्ली यातायात पुलिस में महिला यातायात कांस्टेबलों की भर्ती करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया है कि 15% भर्तियां महिलाओं के लिए होनी चाहिएं।

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.10.2011 तक) के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दर्ज किए गए सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	दर्ज की गई मृत्यु
2008	8435	2093
2009	7516	2325
2010	7260	2153
2011 (31.10.2011 तक)	6148	1727

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. दुर्घटनाओं प्रणव क्षेत्रों में यातायात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाना।
2. लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग में संलिप्त पाए गए ड्राइवरों की गिरफ्तारी।
3. घातक सड़क दुर्घटना के मामलों में संलिप्त पाए गए वाणिज्यिक वाहनों के परमिट निलम्बित करना।
4. तेज चलने वाले यातायात को धीमी गति से चलने वाले यातायात से पृथक करना।
5. दुर्घटना प्रवण सड़कों पर बीच में बनी सीमा के अन्तरालों को बंद करना।
6. दुर्घटना प्रणव क्षेत्रों में यातायात सिगनल/ब्लिंकर्स लगाना।
7. संभावित दुर्घटना स्थानों पर सचल गश्त लगाना।
8. अत्यधिक गति से गाड़ी चलाने, मदिरा पीकर ड्राइविंग करने इत्यादि के लिए रात्रि में विशेष जांच अभियान चलाना।
9. सभी सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा प्रदान करना।
10. सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना।
11. पैदल पार करने वाली क्रासिंग पर सुविधा बढ़ाना।

(ङ) और (च) दिल्ली यातायात पुलिस यातायात नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध नियमित रूप से अभियान चलाती है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.10.2011 तक) के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एकत्र की गई प्रशमन राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

वर्ष	कुल प्राप्त प्रशमन राशि
2008	59,58,32,100 रुपए
2009	52,38,64,600 रुपए
2010	44,16,06,900 रुपए
2011 (31.10.2011तक)	37,15,45,200 रुपए

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का ऑनलाइन पंजीकरण

222. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसानों की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ चरण दास महंत): (क) जी नहीं महोदया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाढ़ आश्रय

223. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों में सुविधा के लिए राज्य में समेकित बाढ़ आश्रयों को स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कार्यकरण

224. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के कार्यकरण की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कार्यकरण में किन खामियों की पहचान की गई; और

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रभावी कार्यकरण हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा हैं मंत्रालय स्कीमों के निष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करता है।

जम्मू और कश्मीर में संयुक्त कमान की बैठक

225. श्री मनीष तिवारी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 2011 में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से इस आशय से राज्य में संयुक्त कमान की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया था कि अशांत क्षेत्रों के रूप में क्षेत्र के अधिसूचना की समीक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सी.एस. एस.), संबंधित राज्य सरकार और सुरक्षा प्रतिष्ठानों का क्या मत/आपत्तियां हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

कृषि मजदूरी

226. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनेरगा) का कृषि मजदूरी पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने विशेष तौर पर फसल के मौसम में पर्याप्त संख्या में कृषि मजदूरो की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा पंजाब के राज्यों में कृषि मंत्रालय के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किये गय अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के आंशिक प्रभाव को दर्शाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ने इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी स्तरों पर तीव्र दबाव बना रखा है।

कृषि में भिन्न-भिन्न योजनाओं के साथ महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के विलय के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

जे.एन.एन.यू.आर.एम.

227. श्री पी.के. बिजू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) उक्त मिशन के कार्यान्वयन में कौन सी बड़ी कठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(घ) उक्त मिशन के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) मेसर्ज ग्रांट थोरंटन द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का मूल्यांकन किया गया था जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि जेएनएनयूआरएम देश में शहरी क्षेत्र के नवीकरण के लिए एक तंत्र सिद्ध हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात जेएनएनयूआरएम शहरी क्षेत्र के लिए इस प्रकृति और आकार का प्रथम राष्ट्रीय अग्रणी कार्यक्रम रहा है।

(ग) और (घ) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पेरास्टेटलों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयां उपयोग के अंतरण, विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे रेलवे, वन्य, डाक और तार विभागों) से अनुमति प्राप्त होने में देरी, क्षमता की कमी, भूमि का अधिग्रहण, संविदात्मक मुद्दे आदि से संबंधित हैं। सुधारों के क्रियान्वयन से संबधित चुनौतियां उनकी जटिलता और कठिनाई तथा स्थानीय निकायों की उनको प्राप्त करने की क्षमता हैं।

मिशन निदेशालय द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से क्षमता विकास उपाय जैसे कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पेरास्टेटल के अधिकारियों के द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी), राज्य स्तर पर सहायक कार्यक्रम प्रबंधान एककों (पीआईयू) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एककों (पीएमयू), राज्य स्तर पर स्वतंत्र पुनरीक्षा और मानीटरिंग एजेंसी (आईआरएमए) आदि का सहयोग लिया गया है। राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी), राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) और राज्य के लिए आईआरएमए के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जा रहा है। मिशन के क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की जाती है।

केन्द्रीय भंडार के लिए स्थान आबंटित करना

228. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के रिहायशी इलाकों में 20 वर्ग मीटर आकार से बड़ी दुकानें चलाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और देश के अन्य भागों में केन्द्रीय भंडार को आबंटित सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरएेज) का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में नियत शर्तें क्या हैं और केन्द्रीय भंडार को आबंटित प्रत्येक जीपीआरए का कुल कितना है;

(घ) क्या सरकार ने आबंटन की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है और दिल्ली के रिहायशी इलाकों में किरयाणा दुकानें चलाने के लिए केन्द्रीय भडार को जमीन आबंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार को आवंटित स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली और देश के अन्य भागों में केन्द्रीय भण्डार को आबंटित सामान्य पूल रिहायशी वास के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। नितिगत दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी कालोनियों में केन्द्रीय भण्डार द्वारा चयन की जाने वाली भूमि पर नए आउटलेटों की स्थापना करने तक बाजार दर के भुगतान पर विद्यमान आउटलेटों से कार्य संपादन जारी रखने की केन्द्रीय भण्डार को अनुमति देने तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनका आबंटन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

विवरण

क्र.सं.	क्वार्टर नं. और इलाका	टाइप	क्षेत्र (वर्ग मी.)
1	2	3	4
1.	आई-437, कस्तूरबा नगर, दिल्ली	I	24
2.	आई-441, कस्तूरबा नगर, दिल्ली	I	24
3.	आई-445, कस्तूरबा नगर, दिल्ली	I	24
4.	आई-433, कस्तूरबा नगर, दिल्ली	I	24
5.	एच-313, कालीबाड़ी मार्ग, दिल्ली	II	38
6.	एच-34, कालीबाड़ी मार्ग, दिल्ली	II	38
7.	बी-87 मोती बाग, दिल्ली	II	40
8.	जी-519 श्रीनिवासपुरी, दिल्ली	II	33
9.	जैड-535, तिमारपुर, दिल्ली	II	48
10.	139/1, सेक्टर-1, एम.बी. रोड दिल्ली	II	38
11.	1015/7 आ.के. पुरम, दिल्ली	II	37
12.	299/5, आर.के. पुरम, दिल्ली	II	36
13.	329/9 आर.के. पुरम, दिल्ली	II	37
14.	बी-245 सरोजिनी नगर, दिल्ली	III	49
15.	एच-638 सरोजिनी नगर, दिल्ली	III	47
16.	9, रोड सं. 4 एन्ड्रूजगंज, दिल्ली	III	51
17.	11, रोड सं. 4, एन्ड्रूजगंज, दिल्ली	III	51
18.	165, ब्लॉक 10, लोदी कालोनी, दिल्ली	III	76

1	2	3	4
19.	147, ब्लॉक एफ, नौरोजी नगर, दिल्ली	III	46
20.	20-ए वसंत विहार, दिल्ली	III	48
21.	20-बी, वसंत विहार, दिल्ली	III	48
22.	107/3, सेक्टर-1 एम.बी. रोड, दिल्ली	III	49
23.	1115/3 आर.के. पुरम, दिल्ली	III	46
24.	821/9 आर.के. पुरम, दिल्ली	III	57
25.	एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर, दिल्ली	IV	66
26.	33, नार्थ वेस्ट, मोती बाग, दिल्ली	IV	74
27.	321, पंडारा रोड, दिल्ली	VI	101
28.	कर्जन रोड हॉस्टल, दिल्ली-4 गैराज नं. 46, 47, 48 और 49 (आकार-19 वर्ग मी. प्रत्येक)	हॉस्टल	76

खाद्यान्न खरीद नीति

229. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई व्यापक खाद्यान्न खरीद नीति/कानून तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तत्संबंधी लक्ष्य का हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार मौजूदा खरीद नीति में कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है।

आवास संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णयों की समीक्षा

230. श्री पूर्णमासी राम: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए) द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं;

(ख) आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के कितने निर्णय लंबित हैं;

(ग) क्या आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है; तथा आवास संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के निर्णयों को स्थगित करने या समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवास संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के अब तक लिये गये निर्णयों की समीक्षा करने या स्थगित करने का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रिमंडल की आवास समिति (सी.सी.ए.) ने 221 मामले निपटाये हैं।

(ख) आज की तारीख में मंत्रिमंडल की आवास समिति के 11 निर्णय सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय में कार्यान्वयन हेतु लम्बित है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार (कार्य निपटान) नियमावली 1961 के नियम 6 (6) के अनुसार मंत्रिमंडल सी.सी.ए. द्वारा लिये गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है या रोक लगा सकता है।

(ङ) मंत्रिमंडल द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान सी.सी.ए. के निर्णय की समीक्षा नहीं की गई या रोक नहीं लगाई गई।

अध्यक्ष महोदया: लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न $12.0^{1}/_{2}$ बजे

इस समय सर्वश्री राजूशेट्टी, आनंद प्रकाश परांजपे, रमेश राठौड़, पी. लिंगम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03/4 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपाध्यक्ष महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री हरीश रावत।

...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्तूबर, 2011 को प्रख्यापित केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2011 (2011 का संख्यांक 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई **देखिए** संख्या एलटी 5277/15/11]

(2) (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गय **देखिए** संख्या एलटी 5278/15/11]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1949 (अ) जो 23 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 20क के अंतर्गत जिंक के साथ बेंटोनाइट सल्फर (ग्रेनूलर) का अनंतिम उर्वरक के रूप में विनिर्देशन अधिसूचित किया गया है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई **देखिए** संख्या एलटी 5279/15/11]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदया को पश्चिम बंगाल के कोलकाता दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य कुमारी ममता बनर्जी का दिनांक 9 अक्तूबर, 2011 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया ने उनका त्यागपत्र 9 अक्तूबर, 2011 से स्वीकार कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 $^1/_2$ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

(एक) 152वां से 155वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) देश में सिविल डिफेंस के पुनरुद्धार और पुनर्जीवन के बारे में 136वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 152वां प्रतिवेदन।

(2) भारत-पाक सीमा पर बाड़ और फ्लड लाइट लगाने संबंधी परियोजना के बारे में 135वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 153वां प्रतिवेदन।

(3) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011 के बारे में 154वां प्रतिवेदन।

(4) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010 के बारे में 155वां प्रतिवेदन।

(दो) साक्ष्य

श्री नवीन जिन्दल: महोदय, मैं शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य** सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मद संख्या 7- श्री प्रणब मुखर्जी।

...*(व्यवधान)*

* प्रतिवेदनों को दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया था।

** शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010 दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया था।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति$

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "अर्थव्यवस्था में अद्यतन मूल्य संबंधी स्थिति और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबावों" के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।"

उपाध्यक्ष महोदय: मैं 4 अगस्त, 2011 को सदन में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के जवाब में सभा पटल पर भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

2. मैं इसकी शुरुआत यह कहते हुए करूंगा कि जहां भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, वहीं वांछित परिणाम हासिल करने के लिए हमें महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। मेरा उद्देश्य उन कारणों को बताना है जिनकी वजह से पिछले दो वर्षों में विशेषकर अगस्त, 2011 से हेडलाइन मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट नहीं हो पाई है। मैं इस माननीय सदन को उस नीतिगत संरचना के बारे में भी बताना चाहूंगा जिसे लेकर हमें आशा है कि उससे अगले 6 से 12 महीनों में मुद्रास्फीति गिरकर अधिक स्वीकार्य स्तरों तक आ जाएगी।

3. डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जनवरी, 2010 से उच्च स्तर पर कायम है। अप्रैल, 2010 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 10.9 प्रतिशत थी और इसमें कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे थे जब इसने नवम्बर, 2010 में 8.2 प्रतिशत को छू लिया। दुर्भाग्यवश इसमें फिर वृद्धि हो गई और यह दिसम्बर, 2010 से 9 प्रतिशत से अधिक बनी रही है और अक्तूबर, 2011 में मुद्रास्फीति दर 9.7 प्रतिशत थी।, लेकिन, खाद्य मुद्रास्फीति जो फरवरी, 2010 में लगभग 22 प्रतिशत थी, कम होकर जून, 2011 में 8 प्रतिशत से नीचे आ गई और यह अक्तूबर, 2011 में 11.1 प्रतिशत थी तथा 5 नवम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 10.6 प्रतिशत थी।

4. अगस्त, 2011 में जब पिछली बार सदन में मुद्रास्फीति के मुद्दे पर चर्चा की थी, तब से समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति स्थिर रही है। यह अगस्त, 2011 में 9.8 प्रतिशत रही थी और सितम्बर एवं अक्तूबर, 2011 में 9.7 प्रतिशत थी। इस अवधि में खाद्य

$सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया **देखिए** संख्या एलटी 5280/15/11

मुद्रास्फीति पहले अगस्तर के 9.6 प्रतिशत से गिरकर सितम्बर में 9.2 प्रतिशत हो गई और फिर बढ़कर अक्तूबर में 11.1 प्रतिशत हो गई। तथापि, खाद्य भिन्न प्राथमिक मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट हुई जो अगस्त के 18.2 प्रतिशत से कम होकर अक्तूबर में 7.7 प्रतिशत रह गई। विनिर्मित वस्तुओं की मुद्रास्फीति 7.9 प्रतिशत से गिरकर 7.7 प्रतिशत रह गई।

5. इन तीन महीनों में, कतिपय खाद्य वस्तुओं नामशः फल और सब्जियों, अंडे, मांस, मछली और दूध का खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने में प्रमुख योगदान रहा है। ईंधन और विद्युत मदों के साथ-साथ, जिनमें अक्तूबर में बढ़ती मुद्रास्फीति देखी गई, इसके परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। खाद्य वस्तुओं में ही, अनाजों की औसत मुद्रास्फीति अगस्त से अक्तूबर, 2011 की अवधि में 4.7 प्रतिशत रही है और गेहूं में ऋणात्मक मुद्रास्फीति रही है। दालों की मुद्रास्फीति अगस्त में ऋणात्मक 4.3 प्रतिशत और सितम्बर, 2011 में 2.8 प्रतिशत रही थी।

6. मैं आपको पिछले दो वर्षों में कुछ चुनिंदा वस्तुओं की औसत मासिक खुदरा कीमतों में हुई घट बढ़ की भी थोड़ी जानकारी देता हूं। जैसे दिल्ली के मामले में जनवरी, 2010 में गेहूं की कीमत 15.03 रूपए प्रति किलोग्राम थी और अक्तूबर, 2011 में यही कीमत 15.0 रूपए प्रति किलोग्राम थी, चीनी जनवरी, 2010 में 44.2 रूपए प्रति किलोग्राम थी जिसमें उल्लेखनीय गिरावट हुई और यह अक्तूबर, 2011 में 33.3 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, अरहर दाल जनवरी, 2010 में 87.4 रुपए प्रति किलोग्राम थी जो कम होकर अक्तूबर, 2011 में 73.4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसी प्रकार मुम्बई में गेहूं की कीमतें जनवरी, 2010 और अक्तूबर, 2011 में 21 रुपए प्रति किलोग्राम पर लगभग समान थी, चीनी की कीमतें जनवरी 2010 के 42.1 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर अक्तूबर, 2011 में 32.6 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई तथा अरहर दाल की कीमतें 76.8 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर अक्तूबर, 2011 के बीच 13 रुपए प्रति किलोग्राम पर लगभग समान रहीं, इस अवधि में चीनी की कीमतें 38.3 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर 31.5 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई तथा अरहर दाल 66. 3 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर 54.6 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। हैदराबाद में, जहां का मुख्य भोजन चावल है, चावल की कीमतें जनवरी, 2010 में 19 रुपए प्रति किलोग्राम और अक्तूबर, 2011 में 20.8 रुपए प्रति किलोग्राम थीं, चीनी की कीमतें इस अवधि में 36 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होकर 31.2 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई और अरहर दाल की कीमतें 82 रुपयए प्रति किलोग्राम से घटकर 63.5 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। इन वस्तुओं के संबंध में अन्य केन्द्रों पर भी लगभग यही तस्वीर देखी जा सकती है लेकिन ऐसा सब्जिओं और फलों जैसी खाद्य वस्तुओं की मामलों में नहीं था, जैसा कि पहले कहा जा चुका है।

7. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति के बीच व्याप्त असंतुलन विशेषकर मांग के आपूर्ति से अधिक हो जाने के कारण होती है। तेजी से हो रहे विकास और संरचनात्मक परिवर्तन की अवधि में, जिस दौर से भारत इस समय गुजर रहा है, मुद्रास्फीति में वृद्धि का रुख रहता है। हमने ऐसा उन सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होते देखा है जो नीतिगत परिवर्तनों और तीव्र विकास की ऐसी अवधि से गुजरी हैं और इनमें चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से लेकर अर्जेंटीना तथा ब्राजील शामिल हैं।

वैश्विक घटनाक्रम

8. वैश्वीकृत देशों में जहां विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था ईंधन तेलों, खाद्य तेलों और अन्य प्राथमिक आयातों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के वस्तु आयातों पर निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि घट-बढ़ से घरेलू मुद्रास्फीति के स्तर और इसकी प्रबंध व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। विकसित विश्व में वृहद आर्थिक नीति के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद व्यवहार से भी विकासशील देशों में मुद्रस्फीति की प्रबंध व्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं।

9. अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास की रफ्तार बढ़ाने और बेरोजगारी कम करने के लिए अनेक देशों ने अपने बाजारों में नकदी का विस्तार किया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने मात्रात्मक नकदी सुलभता का दूसरा दौर शुरू किया जब इसने अमरीकी अर्थव्यवस्था में 600 बिलियन अमरीकी डालर जारी किए। यूके, जापान और कुछ अन्य औद्योगीकृत राष्ट्रों ने भी ऐसे उपाय किए हैं। आज के वैश्वीकृत विश्व में एक देश की नकदी दूसरे देश में आसानी से चली जाती है। हमने देखा है कि औद्योगीकृत देशों में बढ़ी हुई नकदी के कारण लगभग सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं और कुछ विकासशील देशों में मुद्रास्फीतिकारी दबाव पैदा हुए हैं। विगत पांच से छः महीनों में मुद्रास्फीति पाकिस्तान में 13 प्रतिशत से अधिक, अर्जेंटीना और रूस में 9 प्रतिशत से अधिक, बांग्लादेश में 10 प्रतिशत से अधिक और ब्राजील में 7 प्रतिशत से अधिक रही है। चीन में, जो अन्यथा कम मुद्रास्फीति वाला देश है, खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी, 2010 के ऋणात्मक 0.5 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी, 2011 में 5.2 प्रतिशत हो गई है और सितम्बर, 2011 में 7.8 प्रतिशत के स्तर पर है।

10. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक और विशिष्ट घटनाक्रम हुआ है जिसने आयात पर निर्भर उभरते बाजारों में पिछले 12 महीनों में मुद्रास्फीति रुझानों को कायम रखने में योगदान किया है। अल्पावधिक से मध्यवाधिक परिप्रेक्ष्य में वैश्विक विकास और व्यापार के कमजोर पूर्वानुमानों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्य अनुमानित रफ्तार पर नरम नहीं पड़ें हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी 2010

में कच्चे तेल की कीमत लगभग 75 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी, लेकिन चालू वर्ष में यह औसतन 110 अमरीकी डालर के आसपास कायम है। कमेडिटी बाजारों में सट्टेबाजी की गतिविधि और ईंधन तेल (लीबिया) की आपूर्ति संबंधी कुछ अड़चनों ने कमोडिटी बाजार में तंगी बनाए रखी है।

11. सॉवरेन ऋण संकट के कारण यूरो जोन में व्याप्त अधिक अनिश्चिता के कारण पूंजी यूरोप से हटकर संयुक्त राज्य अमरीकी की ओर चली गई है जिससे अधिकतर मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डालर का मूल्य बढ़ गया है। भारतीय रुपया जो अप्रैल, 2011 में 44.4 रुपए प्रति अमरीकी डालर था, गिरकर 21 नवम्बर, 2011 को 52 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। इसके परिणामस्वरूप, अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्यों के नरम पड़ने से जो थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हुआ था, वह रुपए के मूल्य ह्रास से सफाचट हो गया।

12. हमने अपने वैदेशिक क्षेत्र में इन सरोकारों का समाधान जी-20 तथा आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करने का प्रयास किया है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजारों पर कड़ी नजर रखे हैं और जैसे-जैसे स्थिति उभरेगी, वह अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रकाश में अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

घरेलू मांग आपूर्ति असंतुलन

13. अब मैं घरेलू मांग आपूर्ति कारकों का जिक्र करुंगा जिनके कारण भारत में मुद्रास्फीति की मौजूदा स्थिति पैदा हुई है। जब मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन होता है तो इसका अर्थ है कि दो काम किए जाने हैं-आपूर्ति में सुधार लाया जाए और मांग में कमी लाई जाए। लेकिन अल्पावधिक संदर्भ में आपूर्ति को बढ़ाकर वांछित स्तरों तक लाना हमेशा संभव नहीं होता। हम आयातों का सहारा ले सकते हैं अथवा निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे कुछ समय बाद आपूर्ति में बढ़ोत्तरी होगी। मांग की मोर्चे पर, हालांकि सिद्धातत: इसे कठोर राजकोषीय और मौखिक नीति नियंत्रण के जरिए दलाना और सीमित करना संभव है, लेकिन इसमें जोखिम यह रहता है कि यदि यह काम तेजी से किया जाए तो विकास में तेजी से कमी आएगी जिससे बेरोजगारी पैदा होगी।

14. अभी हाल में हुए सतत उच्च आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में क्रय शक्ति में सुधार हुआ है। 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि 2007 और 2010 के बीच औसत वास्तविक मजदूरी दर में अखिल भारतीय स्तर तक 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आन्ध्र प्रदेश में 42 प्रतिशत के स्तर पर तीव्रतम थी और ओडिशा में 33 प्रतिशत थी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों भी इस अवधि के दौरान वास्तविक कृषि मजदूरी में क्रमश: 19 और 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे कतिपय वस्तुओं और सेवाओं की मांग पैदा हुई जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं के लिए सतत् उच्च स्फीतिकारी दबाव बने। आपूर्ति संबंधी अनुक्रिया अपर्याप्त रही है और इसके साथ-साथ खाद्य अर्थव्यवस्था में मौसम के कारण हुई कमी के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आई हैं।

15. इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक, राजकोषीय और मौद्रिक उपाय किए गए हैं। राजकोषीय उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- चावल, गेहूं, प्याज और खाद्य तेल (कच्चा) पर आयात शुल्क घटाकर शून्य तथा परिष्कृत एवं हाइड्रोजनित तेलों और वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है;

- चावल (बीपीएल के लिए 5.65 रुपए प्रतिकिलोग्राम और एएवाई के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम) और गेहूं (बीपीएल के लिए 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम और एएवाई के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2002 से अपरिवर्तित रखा गया है;

- एक वित्त वर्ष में टेरिफ रेट कोटा के अंतर्गत वसारहित दूध पाउडर के 10 हजार मीट्रिक टन के कुल आयात के लिए शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को वर्ष 2011-12 के लिए शून्य प्रतिशत के रियायती शुल्क पर 30,000 टन दूध पाउडर और 15,000 मीट्रिक टन संबंधित उत्पादों के आयात की अनुमति दी गई है।

16. प्रशासनिक उपायों के संदर्भ में अलग-अलग समय पर निम्नलिखित उपाए किए गए:

- 9 सितम्बर, 2011 से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाद में 20 सितम्बर, 2011 से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब प्याज की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति है।

- खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई है।

- चावल (बीपीएल के लिए 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम और एएवाई के लिए 3 रुपए प्रतिकिलोग्राम) और

गेहूं (बीपीएल के लिए 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम और एएवाई के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम) के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य 2002 से अपरिवर्तित रखा गया है;

- वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द और तूअर में वायदा कारोबार करने पर वर्ष 2007-08 में लगाई रोक 2010-11 के दौरान लगी रही है। चीनी में वायदा कारोबार 27.5.2009 से 30.9.2010 तक रोक दिया गया था। तथापि, चीनी में वायदा कारोबार 27.12.2010 से फिर से शुरू किया गया है।

- खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और दालों (काबुली चना और अधिकतम 10000 टन प्रतिवर्ष तक जैविक दालों को छोड़कर) के निर्यात पर रोक लगाई गई।

- दालों धान और चावल के संबंध में 30 सितम्बर, 2011 तक और खाद्य तेल तथा खाद्य तिलहनों के मामले में 31 मार्च, 2011 तक स्टॉक सीमा लागू करने के आदेश जारी किए गए।

- दुग्ध पाउडर (स्किम्ड दुग्ध पाउडर, वसायुक्त दुग्ध पाउडर, डेयरी वाइटनर तथा बीपीएल परिवारों को बीपीएल निर्गम मूल्य पर वितरण करने के लिए 16 मई, 2011 को 50 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया।

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30.9.2011 तक एपीएल परिवारों को गेहूं 8.45 रुपए प्रति किलो और चावल 11.85 रुपए किलो की दर से वितरित करने के लिए 6.1.2011 को 25 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया।

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए रुपए/किलो की सब्सिडी के साथ राशन कार्डधारकों को प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड 1 लीटर की दर से वितरण हेतु सब्सिडीकृत आयातित खाद्य तेल के वितरण की योजना।

17. सब्सिडीकृत आयातित दालों के साथ-साथ आयतित खाद्य तेलों के वितरण की विशेष स्कीम की शुरुआत की गई ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता में कमी को पूरा किया जा सके। सरकार ने उपभोक्ताओं पर पड़ने वले मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से जून, 2011 तक ईंधन तेल (डीजल, केरोसीन तथा एलपीजी) की अंतरराष्ट्रीय कीमतों का पास थ्रू भी रोके रखा। अब तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों की वसूलियां डीजल हेतु 10.17 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस केरोसिन की 25.66 रुपए प्रति लीटर और एलपीजी 260.50 रुपए प्रति लीटर कम हैं।

18. माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि पिछले दो केन्द्रीय बजटों में हमने खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति से निपटने की दृष्टि से कृषि की आपूर्ति बेहतर करने क प्रयास किया है। हमने पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति ले जाकर खाद्य तेलों, दालों, दूध, मोटा अनाज तथा सब्जी का उत्पादन बढ़ाकर अपनी खाद्य आपूर्ति का बेहतर प्रबंधन करने हेतु कदम उठाए हैं। भंडारण और शीत भंडारण श्रृंखला में भी काफी सुधार रहा है। इन उपायों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, यह पिछले दो वर्षो के अनाज और दालों के मुद्रास्फीति के आंकड़ों से देखा जा सकता है।

19. मांग पक्ष के मोर्चे पर, इन कठिन स्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ाकर नकदी को कम किया है इस अवधि में मार्च, 2010 से छोटे उपायों की एक श्रृंखला के जरिए रेपो दर में 350 आधार बिंदु की बढ़ोत्तरी की गई है। यह इस समय 8.5 प्रतिशत है।

20. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2009-10 में 6.4 प्रतिशत था। 2010-11 में इस कम करके 4.7 प्रतिशत पर लाया गया था। इस वर्ष हमने अपने लिए 4.6 प्रतिशत का लक्ष्य रखा हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई खराबी और पिछले 3 से 4 महीनों में भारत पर पड़े इसके असर को देखते हुए यह एक कठिन लक्ष्य है। हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हड़बड़ी न करने के प्रति सावधान रहना होगा क्योंकि इससे विकास पर अत्यधिक मंदी का साया पड़ सकता है।

नीतिगत दृष्टिकोण-भविष्य में

21. बढ़ते आय स्तरों वाली अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का एक स्थायी समाधान कृषि उत्पादकता बेहतर करने, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने और मांग में वृद्धि के साथ रफ्तार बनाए रखने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में क्षमताएं बढ़ाने में निहित है। इसके लिए एक सहायक नीतिगत माहौल होना जरूरी है, और जहां जरूरी हो, सरकारी निवेशों में वृद्धि की जाए ताकि ये उपाय सक्रियता से लागू किए जा सकें। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को एक विशिष्ट भूमिका निभानी है। हम केन्द्र में नीतिगत

कमियों का समाधान कर रहे हैं और अपेक्षित क्रियाकलापों के उत्प्रेरण के लिए तो सृजित कर रहे हैं। राज्य सरकारों को भी कई क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करनी है, विशेषकर कृषिगत विस्तार, कृषि में सरकारी निवेश और कृषि विपणन में क्योंकि यह उत्तरदायित्वों के सांविधिनिक बंटवारे के तहत उनके क्षेत्राधिकार में आता है। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि राज्य सरकारें आगे आएं और केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पहलों का लाभ उठाएं।

22. कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम में संशोधन करने और उसे प्रवृत्त करने की तुरंत आवश्यकता है ताकि किसानों को अपने उत्पाद खुदरा केन्द्रों तक लाने के समर्थ बनाया जा सके और खुदरा व्यापारियों को भी किसानों से सीधे खरीदने की सुविधा हो। इससे किसानों को बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, बर्बादी रुकेगी तथा खुदरा बाजारों में प्रतिस्पर्धी कीमतें होंगी। सामूहिक रूप से , हमें ऐसे कदम उठाने की भी जरूरत हे जिनसे खाद्य वस्तुएं और अन्य शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बाधारहित प्रवाह संभव हो सके।

23. सरकार यूआईडीएआई मंच का प्रयोग करते हुए इन लाभों की सुपुर्दगी, जिसमें जनसंख्या के कमजोर वर्गों को सब्सिडी दिया जाना शामिल है, में सुधार लाने के लिए कार्य कर रही हैं हम श्री नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में केरोसीन, एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी के सीधे अंतरण पर बने कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर एलपीजी वितरण की नई प्रणाली की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। इससे सब्सिडियों में पर्याप्त बचत होगी और लक्षित स्तर तक पहुंचने में सुधार होगा।

24. मूल्य वृद्धि का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक महत्वपूर्ण साधन है। वस्तुत: अनाजों में साधारण मुद्रास्फीति कुछ राज्यों में पीडीएस के बेहतर प्रचालन के कारण संभव हो पाई है जैसे-जैसे हम गरीबों और कमजोर वर्गों को खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की ओर बढ़ रहे हैं, पीडीएस संबंधी त्वरित सुधार किए जाने अत्यावश्यक हैं और राज्यों को इसके लिए आवश्यक पहल करने की जरूरत है।

25. केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त खद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता सृजित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार, भंडारण अंतर के आधार पर 16.8 मिलियन टन के क्षमता निर्माण (पहले तय किए गए 15 मिलियन टन की तुलना में) को अनुमोदित किया गया है। अब तक कुल संस्वीकृत क्षमता 7.37 मिलियन टन है। आशा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक 4 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। संस्वीकृतियों का अगला दौर चल रहा है।

26. मैं आगे यह कहूंगा कि मुझे विश्वास है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में रखने और विकास को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लक्ष्यों में संतुलन बनाए रखने के महत्वपूर्ण सरोकार पर ध्यान देता है।

27. निष्कर्ष के तौर पर, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार मुद्रास्फीति को कम करके अधिक स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है कि मार्च अंत में मुद्रास्फीति 6 से 7 प्रतिशत के बीच होगी। जहां एक ओर हम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं मैं सभा पटल पर उन सुझावों का भी स्वागत करुंगा जो इस मुद्दे का समाधान करने में हमारी मदद कर सकेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मद संख्या 8- प्रो. के.वी. थॉमस।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

मूल्यों में वृद्धि के बारे में दिनांक 30.08.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के उत्तर में शुद्धि एवं इस संबंध में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल्यों में वृद्धि के बारे में श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संसद सदस्य और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गए दिनांक 30.8.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

"मूल्यों में वृद्धि" के बारे में दिनांक 30.8.2011 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के दिए गए उत्तर के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-1 में निम्नानुसार शुद्धि करता हूं:

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एलटी 5282/15/11

प्रश्न के जिन भागों का उत्तर दिया गया	के स्थान पर	पढ़िए
(क), (ख), (ग) और (घ)	गत एक वर्ष के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक संबंधी अनुबंध -1	गत एक वर्ष के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं का शुद्धि किया गया थोक मूल्य सूचकांक संलग्न है।

विलंब के कारण:

गलती का पता लगाने में विलंब के कारण शुद्धि किए गए उत्तर को निर्धारित अवधि में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका

असुविधा के लिए खेद है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दिनेश त्रिवेदी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04$^1/_2$ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(दो) दिनांक 22.11.2011 को पूर्व मध्य रेलवे के निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच गाड़ी संख्या 13009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में आग लगने की घटना*

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 22.11.2011 को पूर्व मध्य रेलवे संबंधी आग लगने की घटना सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

महोदय, बहुत ही दुख के साथ मैं सदन को 22.11.2011 को लगभग 02.35 बजे पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के निमाई घाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच गाड़ी सं. 13009 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सूचित करना चाहता हूं। जब गाड़ी रफ्तार में थी तो इंजन से 8वें नम्बर पर लगे थ्री टियर वातानुकूलित सवारी डिब्बे बी 1 में आग लग गई। बाद में, यह आग बिल्कुल साथ वाले थ्री टियर एसी कोच बी 2 में भी फैल गई। आग लगने की इस घटना के परिणामस्वरूप दो सवारी डिब्बे पूरी तरह से जल गए। अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 7 यात्रियों की मृत्यु हो गई।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एलटी 5282/15/11

धनबाद से दुर्घटना राहत मेडिकल गाड़ी के जरिए तत्काल चिकित्सा राहत रवाना कर दी गई। धनबाद और गिरीडीह से फायर ब्रिगेड दुर्घटना स्थल तक पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के दल के साथ मंडल रेल प्रबंधक, धनबाद दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। हाजीपुर स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। रेलवे बोर्ड से भी अधिकारियों का दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया।

मानवीय आधार पर प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच लाख रु. और प्रभावित बी 1 और बी 2 सवारी डिब्बे के प्रत्येक यात्री को हुई असुविधा और उसके साजो-सामान की क्षति के लिए 25,000 रु. की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है।

झारखंड सरकार के प्राधिकारियों के सहयोग से इस दुर्घटना के कारण की शरारती तत्वों की गतिविधि सहित सभी संभव दृष्टिकोण से जांच की जा रही है। बहरहाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) पूर्व सर्किल द्वारा इस घटना की सांविधिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में अधिक सतर्क रहने और विशेष संरक्षा अभियान चलाने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को अनुदेश दिए गए हैं।

मैं, रेलवे और अपनी ओर से, शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन शोक संतप्त परिवारो के प्रति संवेदना प्रकट करने में सदन मेरे साथ है।

अपराह्न 12.04$^1/_2$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे जिन सदस्यों को आज नियम

*सभा पटल पर रखे माने गये।

377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं। वे पर्चियों को व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट में सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए पर्चियां नियत समय के अन्दर सभा पटल पर प्राप्त हुई हैं।

...*(व्यवधान)*

(एक) कर्नाटक सरकार के राज्य राजमार्ग संख्या 17 का उन्नयन करने के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान राज्य राजमार्ग सं. 17 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के रूप में उन्नयन करने की आवश्यकता के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 केरल राज्य में कोझीकोड से शुरू होकर कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के उत्तांबली जंक्शन पर समाप्त होता है। कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 की कुल लंबाई 150 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के 44387 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला सरकारी निजी क्षेत्र भागीदारी से डीबीएफओटी आधार पर उन्नयन एवं इसे दो लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के पास लंबित है। अधिसूचना के अनुसार, राजमार्ग का 125.52 कि.मी. खंड जो बांदीपुर वन गुंडलुपेट कस्बा इसे सीमित करता है से होकर गुजरता है और नंजनगुड का मार्ग 7 से 10 मी. चौड़ी दो लेन वाली सड़क होगी मैसूर और नंजनगुड को जोड़ने वाला राजमार्ग जो कि खराब स्थिति में है उसे 15 मी. चौड़ा करके चार लेन वाली सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा काबिनी नदी के पार नंजनगुड में परियोजना के उन्नयन के रूप में एक पुल का निर्माण किया जाएगा इस संबंध में वर्ष 2009 में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु एक प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। और लागत में वृद्धि के कारण वर्ष 2011 में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पुनः प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 के इस खंड पर भारी यातायात जिसके कारण 241 जानलेवा और 936 गैर-जानलेवा दुर्घटनाएं हुई तथा सड़क की स्थिति में सुधार हेतु जनता की मांगों के मद्देनजर मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से विनतीपूर्वक अपील करता हूं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 212 पर भारी यातायात और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने हेतु वित्तीय अनुमोदन देकर उपर्युक्त परियोजना का उन्नयन करने हेतु तत्काल कदम उठाएं।

(दो) आंध्र प्रदेश में सिद्दीपेट होते हुए सिकंदराबाद और करीमनगर के बीच एक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं इस सभा का ध्यान सिद्दीपेट के रास्ते सिकंदराबाद और करीमनगर मुख्यालयों के बीच नई रेल लाइन बिछाने के महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

वर्तमान में सिकंदराबाद और करीमनगर के बीच मार्ग पर भारी भीड़ रहती है। सिकंदराबाद और करीमनगर के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले व्यक्तियों जैसे कर्मचारियों, छात्रों, व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा काजीपेट मार्ग से बचने हेतु वैकल्पिक एवं लघुतम मार्ग बनाने के लिए इन दोनों के बीच नई रेल लाइन बिछाने की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि जिसकी माननीय रेल मंत्री रेलबजट 2011 में पहले ही घोषणा कर चुके हैं। यह मुद्दा पिछले दो दशकों से लंबित था।

इसलिए, मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता को सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त बजटीय आवंटन के साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सिद्दीपेट के रास्ते सिकंदराबाद और करीमनगर के बीच समुचित सर्वेक्षण के आवश्यक निदेश जारी करने की कृपा करें।

(तीन) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में सी प्लेन शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि लक्षद्वीप पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में किसी परियोजना अथवा अवसंरचना विकास को पर्यावरण प्रभाव आकलन की स्थिति से गुजरना होता है। संघ द्वीप समूह में संपर्क सुविधा एक बड़ी समस्या है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से अन्य क्षेत्रों से कटा हुआ है। लक्षद्वीप में मुख्यभूमि की तरह रेलवे और सड़क मार्ग नहीं हैं। इस परिस्थितियों के मद्देनजर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि लक्षद्वीप में सी प्लेन्स की सेवा आरंभ की जाए जिसके लिए भूमि अधिग्रहण, भूस्वामियों को मुआवजे की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। सी प्लेन्स सेवा आरंभ करने से परिवहन क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे द्वीपसमूह का विकास होगा तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में इसकी पहले ही शुरुआत की जा चुकी है और इस सेवा को यहां भी आरंभ किया जा सकता है।

(चार) देश के गैर-सरकारी संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाने तथा सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के माध्यम से उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): देश में ऐसे बहुत से गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) हैं जिन्हें केन्द्र सरकार

के विभिन्न मंत्रालयों से एक बड़ी धनराशि अनुदान के रूप में मिल रही है लेकिन, इन संगठनों द्वारा सरकारी धनराशि मनमाने ढंग से व्यय/अपव्यय की जाती है। गैर सरकारी संगठनों को मिल रही सरकारी राशि का लेखा परीक्षण भी सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इन संगठनों को सूचना के अधिकार में शामिल किया गया है, जिस कारण लोगों को इनके क्रियाकलापों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है और इनमें से अधिकतर गैर सरकारी संगठन सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग कर रहे हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठनों की पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों को सूचना के अधिकार के तहत शामिल करते हुए इनके लेखा परीक्षकों एवं क्रियाकलापों की जांच सी.ए.जी. अथवा किसी सरकारी एजेंसी से करवाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के प्रत्येक गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) को सूचना के अधिकार के तहत शामिल करते हुए इनके लेखा परीक्षकों एवं क्रियाकलापों की जांच सी.ए.जी. अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से करवाए जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए।

(पांच) कपास के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कपास की फसल उत्पादित करने वाले किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। आए दिन किसानों की आत्महत्या की घटनाएं घट रही हैं, किंतु कपास उत्पादक किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है।

भारत देश विश्व का लगभग 15 प्रतिशत कपास पैदा करता है जिसमें विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। देश का प्रमुख कपास उत्पादक प्रदेश होने के बावजूद यहां कि किसानों की हालत शोचनीय है। एक समय था जब विदर्भ का किसान कपास की फसल पर अपने परिवार की रोजी रोटी कमा लेता था किंतु पिछले कुछ वर्षों में कपास उत्पादक किसानों की परिस्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। कपास की लागत का खर्च और कपास चुनने वाले मजदूरों की कमी एवं बढ़ती मजदूरी के कारण कपास उत्पादक किसानों की लागत काफी बढ़ गई है। एक एकड़ कपास की लागत लगभग 12 हजार रुपये है लेकिन कपास का उचित मूल्य न मिलने के कारण आज कपास की फसल उगाना घाटे का सौदा बन गया है।

विदर्भ में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण 90 फीसदी किसानों को कपास की फसल उगाना ही एकमात्र विकल्प है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष लगभग 360 लाख गांठे कपास उत्पादन होने का अनुमान है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई न्यूनतम मूल्य घोषित नहीं किया है। गत वर्ष कपास का निर्धारित मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल था और खुले बाजार में 7000 रुपये प्रति क्विंटल था। इसी कारण किसान सरकार से नाराज हैं और उनमें आक्रोश की भावना पनप रही है। किसान संगठनों और विदर्भ के राजनेताओं ने कपास उत्पादक किसानों की समस्या पर आवाज उठाई है और सरकार को कपास का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह कपास उत्पादक किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निपटाए और उन्हें 6000 रुपये प्रति क्विंटल कपास का उचित मूल्य दे और आए दिन हो रही किसानों की आत्महत्याओं को रोक लें।

(छह) उत्तराखंड में काशीपुर और जसपुर के बीच रेल लाइन का निर्माण कराने तथा काशीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर स्थित लेवल क्रासिंग संख्या 39 पर सड़क उपरि पुल का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह बाबा (नैनीताल-उधमसिंह नगर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड में काशीपुर से जसपुर के लिए रेल लाइन का सर्वे कर रेल लाइन का निर्माण तथा काशीपुर एन.एच.-74 पर अवस्थित समपार संख्या 39 पर समपार के बदले फ्लाई ओवर का निर्माण करने के संबंध में माननीय रेलमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

काशीपुर से जसपुर के लिए पूर्व में रेल लाइन का सर्वे हुआ था जो उत्तर प्रदेश में धामपुर को छूता है, इस रेल लाइन का निर्माण अभी लंबित पड़ा है। इसे शीघ्र पूर्ण करने पर पूरा उत्तराखंड एक छोर से दूसरी छोर तक जुड़ जाएगा और उत्तराखंड में सड़कों पर यातायात का बोझ कम होगा। काशीपुर में स्थित एन.एच.-74 पर अवस्थित समपार संख्या 39 पर समपार के बदले फ्लाई ओवर का निर्माण करने से यहां पर दैनिक ट्रैफिक जाम से पर्यटकों एवं स्थानीय जनता को निजात मिलेगी।

केन्द्र सरकार से पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में रेल मार्ग के विस्तार को प्राथमिकता देने की कृपा करें जिससे उत्तराखंड का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।

(सात) श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बार-बार हमले से भारतीय मछुआरों को बचाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मानिक टैगोर (विरूद्धनगर): केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि श्रीलंकाई नौसेना पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु तटवर्ती क्षेत्र में हमारे भारतीय मछुआरों पर हमला कर रही है जो हमारे भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अनेक मछुआरों को बंधक बनाया गया, उनपर हमला किया गया और उनके मछली पकड़ने वाले जाल तथा नौकाओं को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था इस कारण उनके जीवन और आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी भारत सरकार ने भी इस मामले को अनेकों बार श्रीलंका सरकार के समक्ष उठाया है परंतु अब वे वही दोहरा रहे हैं और वर्तमान तमिलनाडु सरकार भी इसे अनेकों बार माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के ध्यान में ला चुकी है परंतु भारत सरकार और श्रीलंका सरकार दोनों के द्वारा ही इस पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई है। यह नोट किया जाए कि मई, 2011 से लगभग बार बार श्रीलंकाई नौसेना ने विशेष रूप से नागपट्टिनम तूतीकोरीन, कन्याकुमारी तटवर्ती क्षेत्रों और वह भी हमारे भारतीय जल क्षेत्र में हमारे भारतीय मछुआरों पर हमला किया है।

अत:, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि मछुआरों की नौका में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करें ताकि उनके आवागमन का आसानी से पता लगाया जा सके, हमारे जल क्षेत्र में श्रीलंकाई सेना के आवागमन को रोकने हेतु हमारी नौसेना द्वारा निगरानी की जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को प्रभावित मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमले के दौरान क्षतिग्रस्त मछली पकड़ने वाले जाल, नौकाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि उनके जीवन आजीविका को परिवर्तित और विकसित किया जा सके।

(आठ) कर्नाटक के बेलगाम में तिलकवाडी प्रथम द्वार तथा कपिलेश्वर मंदिर पर लेवल क्रासिंग पर रेल उपरि पुल का निर्माण करने के लिए निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम): कर्नाटक लगभग छह लाख की जनसंख्या वाला तेजी से विकसित होने वाला शहर है। वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण दो रेल साधनों एक तो तिलकवाड़ी फर्स्ट गेट के निकट और दूसरे कपिलेश्वर मंदिर के निकट दो रेल उपरिपुलों का बनाया जाना आवश्यक हो जाता है। इन दोनों संबंधों पर प्रत्येक ट्रेन के गुजरने के समय वाहनों की इतनी भीड़ होती है जिसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि रेल मंत्रालय में इन दो सोपानों पर रेल उपरिपुलों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की है। तथापि, इस प्रयोजन हेतु कोई धनराशि नियत नहीं की गई है। वाहनों की बढ़ती भीड़ से राहत दिलाने हेतु इन दो सोपानों पर रेल उपरिपुलों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह वित्तीय आबंटन और इन दो रेल सोपानों पर रेल उपरिपुलों के शीघ्र निर्माण हेतु तत्काल कार्यान्वयन करें।

(नौ) हरौनी रेलवे स्टेशन से कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली एमईएमयू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) रेलगाड़ियों को उनके निर्धारित समयानुसार चलाने तथा स्टेशन पर रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): रेलवे का देश में जो नेटवर्क है उसका और कोई विकल्प नहीं हो सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे के विभिन्न कार्यों के लिए जनता की लंबे समय से कई मांगें हैं, जिसके संबंध में अनेक माध्यमों से रेलवे मंत्रालय तक अपनी बात जन-प्रतिनिधि पहुंचाते रहे हैं पर स्थानीय नागरिकों की जायज मांगों पर रेलवे मंत्रालय द्वारा अभी तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है।

कानपुर-लखनऊ प्रखण्ड पर हरौनी रेलवे स्टेशन से कई मेमू गाड़ियां चलती हैं जिससे लखनऊ स्थित विभिन्न कार्यालयों में नौकरी-पेशा लोग आते-जाते हैं परंतु ये मेमू गाड़ियां अपने समय से काफी विलंब से चलती हैं जिससे स्थानीय नागरिकों को नौकरी हेतु समय से कार्यालय और घर पहुंचने में असुविधा होती है। मेमू गाड़ियों के विलम्ब होने का मुख्य कारण इन्हें प्राथमिकता न देने के कारण होती है।

इस हरौनी स्टेशन पर पहले एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव था परंतु उसे भी अब समाप्त कर दिया है। इसी क्रम में अन्य मांगों के साथ स्थानीय जनता की मांग है कि यहां से पहले की भांति एक्सप्रेस गाड़ी (चित्रकूट एक्सप्रेस) का ठहराव इस हरौनी स्टेशन पर अवश्य किया जाए।

मेरी मांग है कि हरौनी रेलवे स्टेशन पर निम्न सुविधाएं अविलंब उपलब्ध कराने हेतु रेलवे आवश्यक कदम उठाए–मेमू गाड़ियों का संचालन समय से हो, उपरिगामी पुल निर्माण, लो लेबल के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाई जाए, प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 यात्रियों के लिए अंग्रेजों के जमाने के बने शेड एवं बैठने के सीटों को वर्तमान यात्रियों की संख्या के अनुरूप विस्तार एवं पेयजल के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

(दस) अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है, के परिवार के सदस्यों का अनुकंपा आधार पर तत्काल नियुक्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुरी सीकरी): देश के अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बड़ी मुस्तैदी के साथ की जाती है, पर उनकी सेवाकाल के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो हमारे होनहार सुरक्षा बलों के परिवार की महिलाओं को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। इस दौरान उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी के कारण बिखर जाता है। ऐसे परिवारों का और भी बुरा हाल हो जाता है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होते हैं क्योंकि उनका पूरा का पूरा परिवार ऐसे जवानों पर निर्भर रहता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अनुकंपा के आधार पर वर्ष 2007 में रोजगार के लिए 340 रिक्त पड़े पदों में से मात्र 4 महिलाओं को नौकरी दी गई, वर्ष 2008 में 3 महिलाओं को, वर्ष 2009 में 5 महिलाओं को रोजगार दिया गया। रोजगार न देने का विभागों के पास कई कारण हैं, जैसे शारीरिक उपयुक्तता, योग्यताएं व अन्य मानदंडों का पूरा होना पर क्या इस बात पर कभी गौर किया गया कि जिन होनहार जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाली और सेवा के दौरान अपनी जान दे दी, क्या उनके विभागों का यह उत्तरदायित्व नहीं कि वह अर्द्ध-सैनिक बलों के परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए बिना विलंब किए अनुकंपा के आधार पर मानदंडों में थोड़ा लचीलापन लाते हुए उनके परिवार के सदस्य को विभाग में सेवा का अवसर दे।

मेरी मांग है कि अर्द्ध-सैनिक बलों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आए आवेदनों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हो और महिलाओं को मानदंडों में शिथिलता प्रदान करते हुए अविलंब उन्हें नौकरी प्रदान की जाए।

(ग्यारह) बिहार के खगड़िया जिले में बादल-नगरपाड़ा बांध के तटबंधों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत खगड़िया जिला में बदला-नगरपाड़ा बांध के सोनवर्षा घाट (19वें कि.मी.) से पहाड़पुर चौक (37.5वें कि.मी.), कुल 18.5 कि.मी. तटबंध मजबूत नहीं रहने से तटबंध के बाहर के लोगों में असुरक्षा की आशंका बराबर बनी रहती है। वर्तमान समय में पौड़ा एवं उसके अगल-बगल के गांवो में कोशी नदी से तटबंध में कटाव लगा हुआ है। तटबंध की चौड़ाई कम होने एवं बरसात के दिनों में ट्रैक्टर से तटबंध की सुरक्षा के लिए जाने वाली सामग्री के कारण भी तटबंध पर बड़े-बड़े गढ्ढे हो जाने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षात्मक सामग्री ले जाने के लिए दूसरा कोई सड़क मार्ग भी नहीं रहने से सुरक्षात्मक कार्य कराने में भी काफी दिक्कत होती है। बिहार सरकार ने तटबंध मरम्मत के कुछ कार्य कराए हैं जो अपर्याप्त है। कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग, खगड़िया ने बदला-नगरपाड़ा बांध के सोनवर्षा घाट (19वें कि.मी.) से पहाड़पुर (37.5वें कि.मी.) तक तटबंध पर सेवा पथ बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये का डीपीआर जल संसाधन मुख्यालय पटना में समर्पित किया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाई नहीं हुई है।

आग्रह है कि तटबंध की सुरक्षा को देखते हुए बदला-नगरपाड़ा बांध के सोनवर्षा (19वें कि.मी.) से पहाड़पुर चौक (37.5 कि.मी.) के बीच कुल 18.5 कि.मी. तटबंध का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं उस पर सेवा पथ बनायी जाए।

(बारह) यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों के लाभ को बढ़ावा देने के लिए ऐलोपैथिक उपचार के हानिकारक प्रभावों को दर्शाने वाले मीडिया के विज्ञापनों की विषय-वस्तु को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर): यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी आदि में हर्बल उपचार के अच्छे प्रभाव के मद्देनजर आजकल टेलीविजन मीडिया के विभिन्न चैनलों पर बहुत से विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। सच है कि एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभावों का संदर्भ देते हुए इनके उपचार का पक्ष लेने हेतु सकारात्मक प्रभावों को दिखाने के लिए विभिन्न कहानियां गढ़ी जा रही हैं।

यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के चिकित्सा भिन्न-भिन्न रोगों के लिए निर्धारित रूप से विचित्र सूचना दे रहे हैं। अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ मासूम व्यक्तियों को उनके रोगियों के तौर पर दिखाया जाता है, जिनके गंभीर रोगों का इलाज हो चुका है और उनसे इस बारे में छोटी बना-बनाया भाषण दिया जाता है कि उनकी दवाइयों से उनकी चिकित्सीय समस्याओं का निदान किस प्रकार हुआ।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह मासूम लोगों के जीवन की रक्षा करने हेतु मीडिया विशेषकर-टेलीविजन में ऐसे विज्ञापनों की विषयवस्तु को नियंत्रित और निगरानी करने हेतु नई प्रणाली लागू करें।

(तेरह) केरल के पालक्काड; में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): मैं इस सम्मानित सभा और सरकार का ध्यान पालक्काड; कोच फैक्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा काफी वर्षों पूर्व 1980 में केरल के पालक्काड में कोच फैक्ट्री का वादा किया गया था। हम गत तीन दशकों से इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तथापि, सरकार ने हाल में घोषणा की थी कि पालक्काड में कोच फैक्ट्री स्थापित की जाएगी और गत रेल बजट में इस परियोजना का उल्लेख किया है। केरल सरकार द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध करा चुकी है। यह पहली ऐसी रेल कोच फैक्ट्री है जिसके लिए रेलवे संबद्ध राज्य सरकार से निशुल्क भूमि की मांग की है। अन्य सभी रेल कोच फैक्ट्रियों को रेलवे द्वारा स्वयं खरीदी गई भूमि पर स्थापित किया गया है। यद्यपि, पालक्काड में 430 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है तथापि रेलवे ने भूमि का अधिग्रहण करने तथा परियोजना शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया हैं माननीय रेल मंत्री ने संसद में अनेकों बार आश्वासन दिए थे कि कोच फैक्ट्री जल्द ही स्थापित की जाएगी। दिनांक 19 सितम्बर, 2011 को माननीय रेल मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों तथा सांसदों के साथ बैठक में घोषणा की थी कि दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 को पालक्काड कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा यद्यपि घोषणा की तिथि के बाद से एक महीने का समय व्यतीत हो गया हैं तथापि रेलवे ने कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है। रेलवे की तरफ से इस विलंब और कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण केरल की जनता के लिए गहन चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। मैं सरकार से आगह करता हूं कि वह इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करे और पालक्काड कोच फैक्ट्री का शिलान्यास करने हेतु तत्काल कदम उठाए। मैं परियोजना को अविलंब और समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी की भी मांग करता हूं।

(चौदह) भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल को बांटने के मुद्दे पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): पश्चिम बंगाल के दो भाग हैं एक तो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी भाग है और दूसरा उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग के विकास की स्थिति उसी प्रकार है जैसी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। मैं आपका ध्यान राष्ट्र हित के महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा यह भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी जल बंटवारे से संबंधित है। तिस्ता नदी का उद्गम हिमालय है जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और बांग्लादेश में बहती है। तिस्ता नदी का दो-तिहाई से अधिक भाग भारत में है और इसका केवल एक भाग बांग्लादेश में बहता है। यह उत्तरी-पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है।

बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। वर्ष 1971 में, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग जो कृषि पर निर्भर हैं, के चहुंमुखी आर्थिक विकास हेतु व्यापक तिस्ता बैराज परियोजना तैयार की थी और इसे वर्ष 1975 में विधिवत रूप से भारत के योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया था। यदि केन्द्र सरकार बांग्लादेश को उसके वास्तविक हक से अधिक पानी देने का निर्णय लेती है तो इससे हमारे इस क्षेत्र की हमारी जनता के लिए कठिनाई उत्पन्न होगी। मैं इस मुद्दे को दिनांक 24.08.2011 को लोक सभा में पहले ही उठा चुका हूं।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं आग्रह करता हूं कि उपर्युक्त मामले में उचित और न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य में सभी राजनीतिक दल की सर्वसम्मति बने।

(पंद्रह) गन्ने के लिए एक उचित और लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): वर्ष 2010-2011 के लिए सीएसीपी द्वारा घोषित गन्ने के मूल्य 145/- रुपये प्रति क्विंटल को महाराष्ट्र शासन द्वारा ज्यों का त्यों लागू कर महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के लिए जैसे एक जबरदस्त वज्रपात कर दिया, क्योंकि यह मूल्य किसानों की गन्ना उपजाने की लागत से भी कम था। फलस्वरूप प्रदेश के किसानों के पास आत्महत्या या आंदोलन दो ही रास्ते थे। परंतु सौभाग्य से किसान जागा और महाराष्ट्र में किसानों का एक अभूतपूर्व आंदोलन खड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र सरकार ने 205/-, 185/- और 180/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से महाराष्ट्र को विभिन्न जोनों में बांटकर गन्ने की पहली किस्त देने की घोषणा कर दी।

अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीएसीपी गन्ने का जो (एफ.आर.पी.) उचित व लाभकारी मूल्य तय करता है वह वास्तविकता से एकदम दूर है। अतः समय आ गया है कि ये संस्थान कृषि मूल्यों का निर्धारण करने में एक आमूलचूल परिवर्तन करे और देश के विभिन्न किसान संगठनों को भी इसमें जोड़कर नयी व्यवस्था से गन्ने के मूल्य का निर्धारण करने का पुनर्विचार करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: लोक सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 23 नवंबर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री यशवंत लागुरी	1
2.	श्री पन्ना लाल पुनिया श्री पी. विश्वनाथन	2
3.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3
4.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री पूर्णमासी राम	4
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	5
6.	श्री प्रहलाद जोशी श्री ए.टी. नाना पाटील	6
7.	श्री अर्जुन राय श्री एस.आर. जेयदुरई	7
8.	श्री सुरेश कुमार शेटकर श्री यशवीर सिंह	8
9.	श्री उदय प्रताप सिंह	9
10.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	10
11.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री अनंत कुमार हेगड़े	11
12.	श्री जगदीश सिंह राणा श्री अर्जुन राम मेघवाल	12
13.	श्री गजानन ध. बाबर श्री धर्मेन्द्र यादव	13
14.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	14
15.	श्रीमती जे. शांता	15
16	श्री भूदेव चौधरी श्रीमती ज्योति धुर्वे	16
17.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	17
18.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	18
19.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी श्री प्रबोध पांडा	19
20.	श्री प्रेम दास राय	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	55, 73, 74, 196
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	108, 113, 174
3.	श्री आनंदराव अडसुल	108, 174
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	16, 97, 165, 221
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	45
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	3, 41, 88, 160
7.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	134, 187
8.	श्री अशोक अर्गल	52, 107
9.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	84
10.	श्री गजानन ध. बाबर	8, 108, 113, 174
11.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	55, 150
12.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	15, 149, 195
13.	श्री संजय भोई	119, 129, 183
14.	श्री पी.के. बिजू	31, 227
15.	श्री हेमानंद बिसवाल	8, 62, 124
16.	श्री हरीश चौधरी	39, 44, 61 147

1	2	3
17.	डॉ. महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	86 158, 200
18.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	28, 125, 136, 152, 211
19.	श्रीमती श्रुति चौधरी	33, 103, 169, 205, 222
20.	श्री अधीर चौधरी	26
21.	श्री राम सुन्दर दास	115
22.	श्री गुरुदास दासगुप्त	71, 171
23.	श्रीमती रमा देवी	37, 119, 130, 180
24.	श्री के.पी. धनपालन	43, 49, 135, 188, 214
25.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	91, 107, 161, 202
26.	श्री निशिकांत दुबे	23, 137, 204
27.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	119, 129, 183
28.	श्री ए. गणेशमूर्ति	43
29.	श्री एल. राजगोपाल	1, 133, 186, 213
30.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	109, 171, 207
31.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	60, 89, 171, 206
32.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	184
33.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	37, 224
34.	श्री बद्रीराम जाखड़	8, 25, 121, 216, 224
35.	श्रीमती जयाप्रदा	118, 131, 207
36.	श्री महेश जोशी	47, 132, 185, 212

1	2	3
37.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	59, 130, 187
38.	श्री प्रहलाद जोशी	124
39.	श्री कपिलमुनि करवारिया	115
40.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	60, 83
41.	श्री रमेश विश्वनाथन काट्टी	58, 138
42.	डॉ. कृपारानी किल्ली	60, 64, 145, 194, 218
43.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	62, 141, 170, 190
44.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	8, 93, 130, 163 216
45.	श्री पी. कुमार	43, 65
46.	श्री शैलेन्द्र कुमार	40, 120
47.	श्री यशवंत लागुरी	206
48.	श्री पी. लिंगम	71
49.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	18, 44, 139, 160
50.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	51
51.	श्री प्रदीप माझी	75, 79, 153, 172
52.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	119, 129, 183
53.	श्री हरि मांझी	3, 41
54.	श्री दत्ता मेघे	73, 195
55.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	51, 121, 178, 210
56.	श्री विलास मुत्तेमवार	78, 146, 152, 193, 198
57.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	5, 116, 122, 171

1	2	3
58.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	45
59.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	68, 148
60.	श्री नारनभाई कछाड़िया	42, 107, 125, 180, 202
61.	श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव	63, 228
62.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	10, 94, 164, 203
63.	श्री पी.आर. नटराजन	35, 104, 172
64.	श्री वैजयंत पांडा	72, 110, 159, 172, 201
65.	श्री जयराम पांगी	29
66.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	119, 129, 183
67.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	105
68.	श्री किसनभाई वी. पटेल	75, 79, 153, 172
69.	श्री ए.टी. नाना पाटील	45, 51, 121, 156
70.	श्री सी.आर. पाटील	36
71.	श्रीमती कमला देवी पटले	32
72.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2, 87, 207, 229
73.	श्री नित्यानंद प्रधान	110, 172, 208, 223
74.	श्री पन्ना लाल पुनिया	108, 170
75.	श्री अब्दुल रहमान	57, 109, 171,
76.	श्री प्रेमदास राय	117, 177
77.	श्री सी. राजेन्द्रन	173
78.	श्री एम.बी. राजेश	13, 130, 218
79.	श्री पूर्णमासी राम	126, 181, 230
80.	श्री रामकिशुन	55, 137
81.	श्री जगदीश सिंह राणा	82, 112
82.	श्री कादिर राणा	86
83.	श्री रायापति सांबासिवा राव	8, 21, 140, 172, 202
84.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	27, 124
85.	श्री रामसिंह राठवा	4, 90 , 199
86	श्री अशोक कुमार रावत	77, 108, 158, 207
87.	श्री रूद्र माधव राय	17, 143, 172, 192
88.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	62, 106, 175, 202
89.	श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी	76, 146, 151, 197, 220
90.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	84, 101, 168, 204
91.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	116, 176, 209, 224
92.	श्री एस. अलागिरी	7
93.	श्री एस. सेम्मलई	69
94.	श्री एस. पक्कीरप्पा	34, 100, 140, 189, 215
95.	श्री एस.आर. जेयदुरई	123, 179
96.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	6, 55, 142, 191, 217
97.	श्री ए. संपत	66, 111, 112, 147
98.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	134, 206, 226

1	2	3
99.	श्री हमदुल्लाह सईद	20, 76, 99, 167, 219
100.	श्री अर्जुन चरण सेठी	50
101.	श्रीमती जे. शांता	98, 166, 172, 204
102.	श्री जगदीश शर्मा	85, 149, 157
103.	श्री नीरज शेखर	110, 118, 131, 207
104.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2, 85, 96, 173
105.	श्री एंटो एंटोनी	128
106.	श्री जी. एम सिद्देश्वर	9, 92, 107, 162, 172
107.	श्री भूपेन्द्र सिंह	102, 136
108.	श्री दुष्यंत सिंह	22, 58
109.	श्री गणेश सिंह	38, 118
110.	श्री इज्यराज सिंह	108, 147
111.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	24, 100, 162
112.	श्रीमती मीना सिंह	46
113.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	170, 206, 207
114.	श्री यशवीर सिंह	110, 118, 131, 207
115.	चौधरी लाल सिंह	67, 172
116.	श्री धनंजय सिंह	48, 140
117.	राजकुमारी रत्ना सिंह	39, 108, 119, 224
118.	श्री उदय प्रताप सिंह	111
119.	श्री विजय बहादुर सिंह	23, 60
120.	डा. संजय सिंह	61, 147
121.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	56, 172

1	2	3
122.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	60, 82, 155
123.	श्री ई.जी. सुगावनम	11, 95
124.	श्री के. सुगुमार	30, 128
125.	श्रीमती सुप्रिया सुले	68
126.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	57, 146
127.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	14, 135, 176, 178
128.	श्री मानिक टैगोर	43, 107, 127, 182, 211
129.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	73, 207
130.	श्री मनीष तिवारी	225
131.	श्री जगदीश ठाकोर	108
132.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	83
133.	श्री आर. थामराईसेलवन	12, 46, 144, 193
134.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	65
135.	श्री पी.टी. थॉमस	19, 49
136.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	70,113
137.	श्री शिवकुमार उदासी	54
138.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	187
139.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	43, 44, 130
140.	श्री वीरेन्द्र कुमार	146, 184
141.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	81, 154
142.	श्री धर्मेन्द्र यादव	8, 108, 113, 114
143.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	59, 130, 134
144.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	80
145.	योगी आदित्यनाथ	53, 136

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2, 7, 11, 12, 14,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3, 5, 13
संस्कृति	:	15
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	18
गृह	:	1, 4, 6, 8, 17, 19
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	20
सूचना और प्रसारण	:	9
शहरी विकास	:	
युवा कार्यक्रम और खेल	:	10,16.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2, 8, 14, 27, 31, 32, 37, 40, 42, 44, 49, 52, 54, 55, 62, 72, 73, 75, 86, 89, 96, 102, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 122, 128, 130, 134, 139, 140, 150, 156, 158, 161, 172, 178, 183, 187, 189 191, 192, 195, 197, 198, 200, 206, 209, 210, 220, 226
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3, 25, 26, 35, 38, 56, 59, 63, 65, 70, 79, 99, 106, 107, 121, 124, 126, 142, 169, 173, 174, 175, 180, 202, 208, 213, 216, 218, 229
संस्कृति	:	18, 21, 45, 50, 88, 149, 194, 214, 215
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	137
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	9, 64, 157, 170, 222, 224
गृह	:	10, 12, 29, 30, 34, 39, 41, 46, 48, 53, 57, 66, 68, 71, 74, 77, 78, 80, 83, 98, 100, 104, 105, 110, 115, 118, 120, 123, 127, 129, 131, 133, 138, 143, 146, 148, 151, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 167, 176, 177, 179, 182, 184, 188, 196, 201, 203, 219, 221, 223, 225
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	19, 23, 28, 47, 60, 82, 93, 108, 125, 135, 147, 186, 212
सूचना और प्रसारण	:	4, 6, 16, 51, 81, 84, 85, 92, 97, 103, 109, 141, 152, 159, 193, 199, 204, 207
शहरी विकास	:	5, 7, 13, 17, 20, 22, 33, 43, 69, 87, 91, 95, 101, 132, 136, 144, 160, 165, 166, 171, 181, 185, 205, 227, 228, 230
युवा कार्यक्रम और खेल	:	1, 11, 15, 24, 36, 58, 61, 67, 76, 90, 145, 168, 190, 211, 217.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/20/1/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोशिएट्स, प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।